NOT TO BE ISSUED

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

सातवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 17 में अंक 1 से 10 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
No. D....52....
Date 18/12/01

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सहायक सम्पादक

सतेन्द्र सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 17, सातवां सत्र, 2001/1923 (शक)]

अंक 2, मंगलवार, 24 जुलाई, 2001/2 श्रावण, 1923 (शक)

विषय	कॉलम
निधन सम्बन्धी उल्लेख .	1–2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 21 से 23	8–30
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 24 से 40	30–67
अतारांकित प्रश्न संख्या 231 से 417	67–405
प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य	
भारत और पाकिस्तान के बीच शिखर वार्ता	
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	405
सभा पटल पर रखे गए पत्र .	409–415
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति .	416
लोक लेखा समिति .	
बाईसवां प्रतिवेदन	416
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
अध्ययन दौरा प्रतिवेदन	417
याचिका समिति	
आठवां और नौवां प्रतिवेदन	417
एन.एस.सी.एन. के साथ हुए युद्ध विराम समझौते को नागालैण्ड से बाहर लागू करने के निर्णय के पश्चात् पूर्वोत्तर राज्यों में उत्पन्न स्थिति के बारे में .	417–431
उड़ीसा और केरल में बाढ़ की स्थिति के बारे में .	431–438
आतंकवादियों द्वारा जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ तीर्थयात्रियों की हत्या के बारे में .	441–446
विधेयक–*पुर:स्थापित* .	452–454
(एक) परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक	452
(दो) दिल्ली अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक	453
(तीन) अधिवक्ता कल्याण निधि विधेयक	453

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) किसानों के हितों की रक्षा के लिए राजस्थान में भूमिगत जल स्तर बढ़ाने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री राम सिंह कस्वां 454

(दो) दौसा से लालसोट तक बनाए जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार सवाई माधोपुर (राजस्थान) होते हुए श्योपुर (मध्य प्रदेश) तक किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जसकौर मीणा..... 455

(तीन) लखनऊ-मौरवां-बक्सर-बिंदकी-सागर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने तथा बक्सर में गंगा नदी पर पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

डा. अशोक पटेल..... 455

(चार) भोपाल-कोटा या जयपुर-कोटा रेलगाड़ी को रतलाम, मध्य प्रदेश तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय..... 456

(पांच) कर्नाटक को अन्तर-राज्यीय नदी जल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा..... 456

(छह) कर्नाटक में सूखे से उत्पन्न स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए वहां केन्द्रीय दल भेजे जाने और राज्य को पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार..... 457

(सात) मंगलौर में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री जी.एस. बसवराज..... 457

(आठ) केरल में खाड़ी देशों के वाणिज्य दूतावास खोले जाने की आवश्यकता

प्रो. ए.के. प्रेमाजम..... 458

(नौ) उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में सफेदाबाद रेलवे क्रासिंग पर उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री राम सागर रावत..... 458

(दस) महाराष्ट्र में नासिक शहर से विमान सेवा आरम्भ किए जाने की आवश्यकता

श्री उत्तमराव ढिकले..... 459

(ग्यारह) राष्ट्रीय गन्ना और चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान को उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में ही बनाए रखे जाने की आवश्यकता

श्री बाल कृष्ण चौहान..... 459

(बारह) बिहार के मुंगेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मलेरिया के प्रकोप की रोकथाम की आवश्यकता

श्री ब्रह्मानन्द मंडल..... 459

विषय	कॉलम
(तेरह) पश्चिम बंगाल में पूर्व रेलवे के हसनाबाद-बारासाट सेक्शन का विद्युतीकरण शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
श्री अजय चक्रवर्ती	460
उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (विधिमान्यकरण) निरसन विधेयक	460–463
विचार करने के लिए प्रस्ताव	460
श्री शांता कुमार	460
डा. बी.बी. रमैया	461
खण्ड 2 और 1	463
पारित करने के लिए प्रस्ताव	463
टीकाकरण (निरसन) विधेयक	464–469
विचार करने के लिए प्रस्ताव	464
डा. सी.पी. ठाकुर	464, 468
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	464
प्रो. रासा सिंह रावत	466
खण्ड 2 और 1	469
पारित करने के लिए प्रस्ताव	469
स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ (संशोधन) विधेयक	470–477
विचार करने के लिए प्रस्ताव	470
डा. सी.पी. ठाकुर	470, 474
प्रो. रासा सिंह रावत	471
श्री पवन कुमार बंसल	471
खण्ड 2 और 1	475
पारित करने के लिए प्रस्ताव	475
औद्योगिक विवाद (बैंककारी कम्पनी) विनिश्चय (निरसन) विधेयक	476
विचार करने के लिए प्रस्ताव	476
डा. सत्यनारायण जटिया	476
खण्ड 2 और 1	477
पारित करने के लिए प्रस्ताव	477
अंतर्राज्यिक जल-विवाद (संशोधन) विधेयक	477–481
विचार करने के लिए प्रस्ताव	477
श्री अर्जुन सेठी	477
प्रो. रासा सिंह रावत	479

विषय	कॉलम
नियम 193 के अधीन चर्चा	
आगरा में भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुई शिखर वार्ता	481–520
श्री मुलायम सिंह यादव	482
श्री माधवराव सिंधिया	493
डा. विजय कुमार मल्होत्रा	507

लोक सभा

मंगलवार, 24 जुलाई, 2001/2 श्रावण, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए]*

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मुझे सभा को अपने दो पूर्व सहयोगियों नामत: श्री निरेन घोष और श्री थोट्टा सुब्बा राव के निधन की जानकारी देनी है।

श्री निरेन घोष ने 1980 से 1984 तक सातवीं लोक सभा के दौरान पश्चिम बंगाल के दमदम संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व श्री घोष 1962 से 1975 तक राज्य सभा के सदस्य रहे।

एक योग्य सांसद श्री घोष ने सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया।

एक सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्ता और मजदूर नेता श्री घोष 1969 में ''बंगाल चटकल मजदूर यूनियन'' के अध्यक्ष थे तथा वह अनेक मजदूर संघों तथा सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए थे।

श्री घोष ने अनेक देशों की यात्राएं की थी और 1972 के दौरान रोम में आयोजित अंतर-संसदीय सम्मेलन में वह भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य थे।

वह साहित्यिक रुचि के व्यक्ति थे तथा उन्होंने अनेक विषयों पर लेख लिखे।

श्री निरेन घोष का निधन 87 वर्ष की आयु में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 1 जुलाई, 2001 को हुआ।

श्री थोट्टा सुब्बा राव ने 1991 से 1996 तक दसवीं लोक सभा के दौरान आंध्र प्रदेश के काकीनाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व श्री राव 1983 से 1991 तक आंध्र प्रदेश विधान सभा के सदस्य थे। श्री राव 1985-86 के दौरान आंध्र प्रदेश विधान सभा में सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के सदस्य थे।

वह एक योग्य प्रशासक थे तथा अत्यंत साधारण स्तर से उठकर वे 1988-89 के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बने।

श्री राव एक योग्य सांसद थे और वह सभा की कार्यवाही में गहरी रुचि रखते थे। 1993 से 1995 तक वे ऊर्जा संबंधी समिति के सदस्य थे और 1991 से 1996 तक वे लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के सदस्य थे।

पेशे से किसान श्री राव सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता थे। बागवानी में उनकी गहरी रुचि थी। कृषक समुदाय और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए उन्होंने अथक कार्य किया।

62 वर्ष की आयु में श्री थोट्टा सुब्बा राव का निधन कुछ समय बीमार रहने के बाद 10 जुलाई, 2001 को हैदराबाद में हुआ।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा शोकसंतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मैन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, यू.टी.आई. में करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब प्रश्नकाल के बाद, अभी नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः प्रश्नकाल के बाद आप जो चाहे कह सकते हैं, परंतु अभी नहीं। मैं आपको मौका दूंगा। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः मैं बोल रहा हूं कृपया आप लोग बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कृपया मुझे बोलने दें। आप क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः जयपाल रेड्डी जी, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः हमने क्वश्चन ऑवर को सस्पैंड करने का नोटिस दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आपने क्वश्चन ऑवर को सस्पैंड करने का नोटिस दिया है।

[अनुवाद]

मैंने प्रश्नकाल को निलंबित करने के लिए कई नोटिस प्राप्त किए हैं। आज अपराह्न 3 बजे हम लोग कार्यमंत्रणा समिति की बैठक करने जा रहे हैं। कार्यमंत्रणा समिति यह निर्णय करने जा रही है कि हम इस मामले पर किस प्रकार चर्चा करेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आपने स्थगन प्रस्ताव भी दिया है

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तात में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदयः श्री दासमुंशी जी ने नोटिस दिया है तथा मैंने उन्हें अपना निवेदन करने के लिए बुलाया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी क्या आप यू.टी.आई. पर चर्चा के बारे में कुछ कहना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः श्री मुलायम सिंह यादव, कृपया आप बैठ जाइए। आप यह भूल रहे हैं कि यह प्रश्नकाल है। यह क्या है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः श्री परांजपे, कृपया अपनी सीट पर जाएं। आज प्रश्न का पहला दिन है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः यह ठीक नहीं है, आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप यह प्रश्नकाल के बाद कह सकते हैं, अभी नहीं। कृपया समझिए कि यह प्रश्न काल है। यदि आप कोई मामला उठाना चाहते हैं तो आप इसे 'शून्य काल' में उठा सकते हैं, अभी नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कृपया अपनी सीट पर जाएं। आप इसे 'शून्य काल' के दौरान उठा सकते हैं। सभा में कोई भी मामला उठाने का यह उचित तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तात में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपको जीरो ऑवर में मौका मिलेगा, अभी नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, आपको भी सुन लेंगे। आपको भी जीरो ऑवर में मौका मिलेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मणिपुर की स्थिति ऐसी है कि हम इसके लिए अत्यंत क्षुब्ध हैं। मणिपुर की जनता बगावत पर उतर आई है। संसद सदस्यों, विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों समेत कोई भी सुरक्षित नहीं है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। महिलाएं, बच्चे और प्रत्येक व्यक्ति सड़क पर उतर आया है...*(व्यवधान)* सरकार को इस मामले पर तत्काल वक्तव्य देना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम सभी महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करने वाले हैं। हमने इसके लिए कल नेताओं की बैठक में भी सहमति जताई थी।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, हमें इस मामले की गंभीरता को कम नहीं आंकना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: रघुवंश जी, आप बैठ जाइये, प्लीज।

श्री मुलायम सिंह यादव।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, प्राथमिकता के आधार पर, मणिपुर के मामले पर सारे नियमों को निलम्बित करके, तत्काल हमारे कार्यस्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करके, चर्चा कराइये, क्योंकि सरकार की अदूरदर्शिता के निर्णय के कारण पूरे के पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में आग लगी हुई है।...*(व्यवधान)* मणिपुर का मामला हमारी राय में कश्मीर से भी ज्यादा गम्भीर है। एक महीने से वहां के जनप्रतिनिधि अपने-अपने घरों में नहीं जा पा रहे हैं और दिल्ली में अपनी सुरक्षा की गुहार सरकार से कर रहे हैं...*(व्यवधान)* तब भी उनके घरों पर हमले हो रहे हैं और अभी तक लगभग दो दर्जन लोगों की पुलिस की गोली से हत्याएं हो चुकी हैं, इसलिए सारे नियमों को रद्द करके इस पर बहस कराई जाये।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, मैं प्रत्येक माननीय सदस्य द्वारा उठाए गये मुद्दे का उत्तर दूंगा...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप दोनों के नोटिस के बारे में हमने बता दिया। आप दोनों बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय के कथन के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: रामदास जी, आप क्या कर रहे हैं, अब आप बैठ जाएं। आसन अपने पैरों पर है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तात में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तात में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: रघुवंश प्रसाद जी, आप बैठ जाएं। आप सीनियर मेम्बर हैं, आप बैठ जाएं। आप क्या कर रहे हैं।

[अनुवाद]

आप ठीक व्यवहार नहीं कर रहें हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन: अध्यक्ष जी, यहां तीन महत्त्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं। पहला मुद्दा मुख्य विपक्ष की ओर से यू.टी.आई. पर चर्चा के बारे में उठाया गया है।

श्री मुलायम सिंह यादव: यू.टी.आई. के बारे में नहीं, हमारी मांग पहले मणिपुर पर चर्चा के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, दासमुंशी जी ने यू.टी.आई. के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज उ.प्र.): आज देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है, यह सब इनकी गलत नीतियों के कारण हो रहा है।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह क्या हो रहा है? कुंवर अखिलेश सिंह, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: यदि आप ऐसा ही व्यवहार करते रहेंगे, तो आपके विरुद्ध कार्रवाई करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। मुझे लगता है यही एक रास्ता है। यह क्या हो रहा है?

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन: अध्यक्ष जी, मैं कहूंगा कि यहां तीन नहीं, चार मुद्दे उठाए गए हैं, और मैं हिन्दी वर्णमाला के हिसाब से एक, दो, तीन नहीं, बल्कि अंग्रेजी क्रोनोलॉजिकल आर्डर के हिसाब से ए, बी, सी और डी कहूंगा कि आगरा पहले, फिर अमरनाथ, फिर मणिपुर और चौथा यू.टी.आई. है और इन राज्यों के बारे में मैं प्रतिक्रिया देना चाहूंगा। जहां तक आगरा शिखर वार्ता का सवाल है, आज चार बजे उस पर चर्चा प्रारम्भ होने वाली है। मैं समझता हूं कि कुछ सदस्यों ने अगर आज का एजेंडा नहीं देखा तो वे कृपया देखें। जहां तक अमरनाथ यात्रा पर चर्चा की बात है, यदि आप चाहें तो आगरा के मुद्दे के साथ ही उसको शामिल किया जा सकता है और अगर चाहें तो गृह मंत्री जी अलग से उस पर सदन में वक्तव्य देने को तैयार हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तीसरा मुद्दा मणिपुर पर चर्चा का है। स्वाभाविक रूप से सबको इस पर चिंता है। मणिपुर की स्थिति पर चर्चा इस सदन में दो प्रकार से हो सकती है, वह आप तय कर सकते हैं। एक तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है, जिसकी अनुमति इस सदन से लेना जरूरी है, तब भी सीजफायर मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। अगर आप राष्ट्रपति शासन से इसे अलग उठाकर चर्चा करना चाहते हैं तो उस पर भी सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। यू.टी.आई. के बारे में भी आप जब कहेंगे, जिस नियम के अंतर्गत आपका आदेश होगा, उस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार को इसमें डरने की कोई बात नहीं है, हम सभी तरह से चर्चा के लिए तैयार हैं।*...(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.18 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

पुलिस हिरासत में मौतें

***21. श्री पी.आर. खूंटे:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों की घटनाओं में वृद्धि हो रही है और अनेक राज्यों में पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार ऐसी घटनाओं को रोकने और स्थिति में सुधार लाने हेतु इस संबंध में राज्यों को कोई निदेश जारी करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से पता चलता है कि गत 3 वर्षों अर्थात् 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान पुलिस हिरासत में हुई मौतों की घटनाएं क्रमशः 180, 177 और 127 थीं। इसलिए, हिरासत में मौतों की घटनाएं बढ़ नहीं रही हैं। तथापि, इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि निरुद्ध व्यक्तियों के साथ पुलिस हिरासत में अमानवीय व्यवहार की घटनाओं के संबंध में समय-समय पर रिपोर्टें प्राप्त होती हैं। यह नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार हेतु संवैधानिक और कानूनी पूर्वोपाय के बावजूद होता है।

भारत सरकार ने राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को यह सुनिश्चित करने हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं कि पुलिस मानवीय रूप से व्यवहार करे और तथाकथित पुलिस हिरासत, यातना और अन्य ज्यादतियों के सभी मामलों की जांच की जाए और उनसे सख्ती के साथ निपटा जाए। गिरफ्तारी और जांच-पड़ताल करने के संबंध में 1986 की दांडिक रिट याचिका संख्या 53 और 1987 की दांडिक रिट याचिका सं. 592 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने 18 दिसंबर, 1996 के अपने निर्णय में जारी किए दिशानिर्देश अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को भी परिचालित किए गए हैं। 'पुलिस' राज्य का विषय होने के कारण, उक्त दिशानिर्देशों और निदेशों को मुख्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जाना है।

एक मध्यम और दीर्घकालीन उपाय के रूप में, सभी स्तरों पर पुलिस कार्मिक के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 'मानवाधिकार' पर विशेष जोर दिया जा रहा है। 'प्रारंभिक' और 'सेवा कालीन' प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी जांच-पड़ताल के लिए वैज्ञानिक तरीकों के इस्तेमाल के बारे में पुलिस कार्मिक को सुग्राही बनाने के लिए विशेष जानकारी शामिल होती है।

[हिन्दी]

श्री पी.आर. खूंटे: माननीय अध्यक्ष जी, देश के विभिन्न राज्यों में पुलिस निरंकुश होती जा रही है।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: पुलिस फायरिंग हो रही है, उस पर आप क्या करेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मुलायम सिंह यादव, प्रक्रिया क्या है? मैंने श्री खूंटे का नाम प्रश्न संख्या 21 का नाम अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए पुकारा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में सिवाय प्रश्न काल की कार्यवाही के कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री खूंटे कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में प्रश्न काल की कार्यवाही के सिवाय कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री पी.आर. खूंटे: अध्यक्ष जी, देश के विभिन्न राज्यों की पुलिस लगातार निरंकुश होती जा रही है। मानवाधिकार का भी हनन उसके द्वारा हो रहा है। आए दिन पुलिस अभिरक्षा में निर्दोष लोगों की मृत्यु हो रही है। राजनैतिक दलों से जुड़े हुए लोगों के साथ भी पुलिस का बर्ताव ठीक नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिए हमारे नवगठित प्रदेश छत्तीसगढ़ में और तमिलनाडु में भी यह हो रहा है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव पर आपने व्यवस्था नहीं दी।

अध्यक्ष महोदय: आप क्यों गड़बड़ करते हैं, मैंने रूलिंग दे दी है, लेकिन आपने सुनी नहीं है। बार-बार हाउस को क्यों डिस्टर्ब करते हैं, यह ठीक नहीं है। आप एक सीनियर मेम्बर हैं। मैंने आपके प्रस्ताव पर रूलिंग दे दी है, लेकिन आपने सुना नहीं है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या रूलिंग दी है?

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल की कार्यवाही के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री पी.आर. खूंटे: तमिलनाडू में वहां के पूर्व मुख्य मंत्री और भारत सरकार के दो मंत्रियों के साथ जिस तरह से पुलिस ने बर्ताव किया, वह ठीक नहीं है। आए दिन ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। इसलिए मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस तरह का जो घटनाक्रम आए-दिन हो रहा है, क्या उसकी रोकथाम के लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है और अगर नहीं की गई है तो उसका क्या कारण है?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य का यह प्रश्न था कि जो डैथ्स पुलिस कस्टडी में होती है, वे घटनाएं ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, उसके बारे में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने खुद अपने आंकड़े देकर यह बताया है कि वे बढ़ नहीं रही हैं बल्कि घटी हैं। उन्होंने 593 केसेज की जांच की है। जो 593 केसेज हैं, वे तीन साल में हुए, उनकी जांच स्वयं एनएचआरसी ने की है। उनमें ज्यूडिशियल कस्टडी के भी केसेज हैं, पुलिस कस्टडी के भी केसेज हैं और उन्होंने यह बताया है 593 केसेज में से 508 केसेज ऐसे हैं जिनमें नैचुरल कॉजेज से, स्वाभाविक तौर पर डैथ्स हुई हैं। कोई ज्यादती या थर्ड डिग्री मैथड से ज्युडिशियल कस्टडी में या जेल में किसी ज्यादती की वजह से डैथ्स नहीं हुई हैं। 85 केसेज ऐसे हैं जिनमें अननैचुरल कॉजेज पाये गये हैं। उन्होंने जितने केसेज रिकमेंड किये, उनमें 24 केसेज पुलिस कस्टडी के हैं, बाकी ज्युडिशियल कस्टडी के हैं और उन केसेज में से जितने केसेज में उन्होंने पेमेंट ऑफ कम्पेंसेशन के लिए रिकमेंड किया, जिनमें कहीं डिसीप्लिनरी एक्शन के लिए रिकमेंड किया, तीन केसेज में उन्होंने डिसीप्लिनरी एक्शन इनीशिएट करने के लिए रिकमेंड किया, उन तीनों में से, जिनमें ज्युडिशियल कस्टडी में डैथ हुई, उनमें भी डिसीप्लिनरी प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी गई हैं। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि कस्टोडियल डैथ की तादाद बढ़ रही हैं और सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के जितने ज्युडिशियल प्रोनाउंसमेंट आये हैं, जिनमें दो जजमेंट्स मई में आये हैं और एनएचआरसी की जितनी ऑबजर्वेशंस हैं, उनके मुताबिक स्टेट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस बार-बार इश्यू की गई हैं क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर और उन सब इंस्ट्रक्शंस की इम्प्लीमेंटेशन प्रांतीय सरकारों ने करनी हैं और प्रांत की सरकारों को बार-बार एडवाइज भी दी गई है और इंस्ट्रक्शंस भी जारी कर दी गई हैं। जहां तक...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री राशिद अलवी, यह क्या हो रहा है? कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री अलवी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आपको कोई मामला उठाने से पहले अध्यक्षपीठ की अनुमति लेनी होगी। आप अपनी ओर से कोई मामला नहीं उठा सकते। क्या आपको प्रक्रिया मालूम नहीं है?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कर रहे हैं? आप बैठ जाइए। क्या आपको सदन का प्रोसीजर मालूम नहीं है?

...(व्यवधान)

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: जहां तक ट्रेनिंग का सवाल है, लोगों का जो यह नॉर्मली इम्प्रैशन है कि वाकई आज आजादी मिलने के 53-54 साल बाद भी थर्ड डिग्री मैथड पुलिस के कर्मचारी इस्तेमाल करते हैं, उसे किस तरह से बंद किया जाये, पुलिस ऐसे हथकंडे न बनाएं, इसके लिए न सिर्फ इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं बल्कि पुलिस कांस्टेबल्स, पुलिस पर्सनल, सीनियर ऑफिसर्स इन सबके ट्रेनिंग कोर्स में, इन सबके सिलैबस में ह्यूमन राइट्स के सबजैक्ट उनके सिलैबस में शामिल किये गये हैं। सर्विस ट्रेनिंग में ये शुरू किये गये हैं और इनीशियल ट्रेनिंग में भी ये मुद्दे रखे गये हैं। ये सब कार्य किये जा रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि ये घटनाएं जैसे अभी यहां तमिलनाडु के बारे में कहा गया या किसी और जगह की घटना हो, उनके बारे में सरकार ने बाकायदा अलग से रिपोर्ट मंगाई और उसके मुताबिक सरकार ने एक्शन लिया। जब कहीं कोई ऐसी बात सामने आती है, उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है।

श्री पी.आर. खूंटे: अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल प्रश्न यह था कि पुलिस कस्टडी में जो हत्याएं होती हैं या जिस प्रकार से पुलिस के द्वारा अत्याचार किये जाते हैं, उसके अतिरिक्त अभी जो खासकर छत्तीसगढ़ राज्य और तमिलनाडु प्रदेश में हुआ, जहां पुलिस ने निरंकुश होकर किसी शासन प्रमुख के कहने पर, राजनीतिक दलों के नेताओं को, विशेषकर सांसदों को, विधायकों को, प्रतिपक्ष

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

के नेताओं को, केन्द्रीय मंत्रियों को और पूर्व मुख्यमंत्री के साथ जिस प्रकार लाठीचार्ज करके बर्बरतापूर्वक पीटा, प्रतिपक्ष के नेता श्री नंद कुमार साय को जो हमारे छत्तीसगढ़ विधान सभा के हैं, उनके पैर में फ्रैक्चर कर दिया गया, आज भी उन्हें वैसाखी पर घूमना पड़ रहा है।...*(व्यवधान)* इस प्रकार के निरंकुश पुलिस अधिकारियों के खिलाफ, केन्द्र सरकार के ध्यान में मामला आने के बावजूद भी अभी तक क्या कोई कार्रवाई की गई है और यदि नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं, यही मैं जानना चाहता हूं।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: यह सवाल मूल प्रश्न से ताल्लुक नहीं रखता। चूंकि अगर कस्टोडियल डैथ की बात है, अगर एजीटेशन के सिलसिले में पुलिस ज्यादती करती है, उसके बारे में शिकायत आएगी तो उसकी इंक्वायरी कराई जा सकती है। उसके लिए अलग से प्रश्न दें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने लिखित उत्तर में यह कहा है कि हिरासत में मौतों की घटनाएं बढ़ नहीं रही हैं, परंतु मुझे लगता है कि यह वक्तव्य सही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: यदि यह सही नहीं है तो आप अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या इसके लिए किसी विस्तृत स्पष्टीकरण की आवश्यकता है?

श्री रमेश चेन्नितला: महोदय, प्रत्येक राज्य में हिरासत में मौतों की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत हिरासत में मौतों के मामले में दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कानून में संशोधन करने का विचार कर रही है।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री स्पष्ट उत्तर दीजिए क्या आप सी.पी.सी. (दण्ड प्रक्रिया संहिता) में संशोधन करेंगे या नहीं।

[हिन्दी]

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: अध्यक्ष महोदय, अभी ऐसा कोई प्रपोजल हमारे सामने नहीं है, लेकिन एन.एच.आर.सी. ने बहुत सारी आब्जर्वेशन्स की हैं। उन्होंने कहा है कि कस्टोडियल डैथ में डीएम को तुरन्त सूचित किया जाए, इसके लिए स्टेट्स को इन्स्ट्रक्शन्स दे दी गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इन-क्वैस्ट प्रोसीडिंग्स और पोस्ट-मार्टम की वीडियो फिल्म तैयार की जाए। इसके बारे में भी स्टेट्स को इन्स्ट्रक्शन्स दे दी गई हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि इन-क्वैस्ट प्रोसीडिंग्स एग्जीक्युटिव मैजिस्ट्रेट के बजाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से कराई जाए। इस बारे में भी उनको इन्स्ट्रक्शन दे दी गई हैं। जिन आफीसर्स को सीआरपीसी की धारा 197 के तहत प्रोटैक्शन हैं और प्रौसीक्युशन के लिए सैंक्शन लेनी पड़ती है, उस प्रोवीजन को अमेंड किया जाए। इस बात को भी ध्यान में रखा गया है, लेकिन अभी सीआरपीसी को अमेंड करने के बारे में कोई प्रपोजल हमारे सामने नहीं है।

[अनुवाद]

श्री एन.एन. कृष्णदास: माननीय, अध्यक्ष महोदय, श्री अब्दुल नसीर मदानी कोयम्बटूर जेल में पिछले तीन साल से बंद है। वे कोयम्बटूर बम विस्फोट में अभियुक्त हैं और उनके खिलाफ मामला दर्ज है। आरोप यह था कि माननीय गृह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी के दौरे के दौरान बम रखा गया था। न्यायालय में अभी तक मुकदमा शुरू नहीं हुआ है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि इस मामले में मुकदमें की शुरुआत के लिए हो रही इस देरी पर भारत सरकार का क्या रुख है।

अध्यक्ष महोदय: श्री कृष्णदास, मुख्य प्रश्न हिरासत में हुई मौतों से संबंधित है। यह एक अलग प्रश्न है इसमें कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री अली मोहम्मद नाईक।

...(व्यवधान)

श्री अली मोहम्मद नाईक: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर में पिछले तीन सालों के दौरान हिरासत में कितनी मौतें हुईं, और साथ ही सरकार ने इसके संबंध में यदि कोई कार्रवाई की है तो वह क्या है।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: महोदय, जहां तक विवरण का प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर राज्य में हिरासत में कोई मौत नहीं हुई है। यदि माननीय सदस्य को हिरासत में हुई किसी मौत का पता है तो, वे हमें लिख सकते हैं। हम राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। हमें उनसे जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सदन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आप को पता होना चाहिए कि अनुपूरक प्रश्न कैसे पूछा जाता है। आप को नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

[हिन्दी]

रुग्ण उर्वरक कंपनियों को फिर से चालू करना

*22. **श्री रामशकल:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रूग्ण उर्वरक कंपनियों को फिर से चालू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों के नाम क्या हैं, जिनको विदेशी कंपनियों की सहायता से पुन: चालू किए जाने का प्रस्ताव है?

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) और (ख) जहां तक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के रूग्ण उर्वरक उपक्रमों (सी पी एस यूज) का संबंध है, सरकार ने उनके पुनर्वास/पुनर्गठन के प्रस्तावों की जांच करने के लिए दिनांक 8.6.2001 को मंत्रियों के दल का गठन किया है। विदेशी सहयोग से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उर्वरक उपक्रमों के पुनरुद्धार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री रामशकल: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी से जानना चाहा था कि जो कम्पनियां वर्षों से उर्वरक के क्षेत्र में काम कर रही थीं, आज वे बंद पड़ी हैं। जिस प्रकार से आज किसानों में उर्वरक की मांग बढ़ती चली जा रही है, मैं जानना चाहता हूं कि उन बंद पड़ी हुई रुग्ण कंपनियों और उनमें कार्यरत कर्मचारियों के बारे में सरकार का क्या विचार है? उर्वरक के क्षेत्र में जो बंद पड़ी हुई रुग्ण कम्पनियां हैं, उन्हें चालू करने का सरकार का विचार है या नहीं? माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि सरकार ने उनके पुनर्वास के प्रस्तावों की जांच करने के लिए दिनांक 8.6.2001 को मंत्रियों के एक दल का गठन कर दिया है। वर्षों से रुग्ण इकाइयां बंद पड़ी हुई हैं और आप कह रहे हैं कि 8.6.2001 को मंत्रियों का एक दल गठित कर दिया है। इनमें कार्यरत कर्मचारियों के भविष्य के बारे में सरकार की क्या नीयत है, सरकार क्या करना चाहती है, यही हम माननीय मंत्री जी से जनाना चाहते हैं?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: महोदय, जहां तक उनकी रिस्ट्रक्चरिंग का सवाल है, उसका मैंने जवाब दिया है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बन गया है, लेकिन जो वर्कर्स का सवाल है, इसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में कहा था:-

[अनुवाद]

"सरकार की घोषित नीति यह है कि सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों को पुनर्गठित, पुनरुज्जीवित किया जाए जिनमें अर्थक्षम बनने की क्षमता है। सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों को बंद कर दिया जाए जिन्हें पुनरुज्जीवित नहीं किया जा सकता लेकिन इसमें कर्मचारियों के हित पूरी तरह सुरक्षित रहें।"

[हिन्दी]

वर्कर्स के इंटरेस्ट के फुली प्रोटक्शन के लिए मैं हाउस को एश्योर करता हूं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स सभी पहलुओं पर विचार करके गवर्नमेंट को रिपोर्ट देंगा, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जा सकता है।

श्री रामशकल: महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कौन-कौन सी रुग्ण कम्पनियां हैं, उनका डिटेल आ जाए कि ये-ये रुग्ण कम्पनियां बंद पड़ी हुई हैं। दूसरा मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से देश में यूरिया का उपयोग बढ़ता चला जा रहा है, उससे भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होती जा रही है। एक दिन ऐसा आएगा कि भूमि उपजाऊ नहीं रहेगी और पूरी जमीन ऊसर बन जाएगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि यूरिया के बदले कोई ऐसी खाद का प्रयोग किया जाए, जिससे जमीन की उर्वरा शक्ति भी बरकरार रहे और किसान को भी अच्छी उपज मिले।

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: आपने जो पहला सवाल किया है, उसमें मैं आपको बताता हूं कि चार कम्पनियां फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड, प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड तथा पायराइट्स एंड केमिकल्स लिमिटेड सिक हैं जो बीआईएफआर में रेफर हुई हैं। जहां तक खाद का सवाल है, खाद की कोई कमी नहीं है। दूसरे फर्टिलाइजर्स को लाने के लिए जो सब कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट आ गई है। उस पर हम विचार कर रहे हैं और उसे बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी नई पालिसी आएगी, उसमें दर्ज करेंगे।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू: माननीय, अध्यक्ष महोदय, भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड रामागुंडम करीमनगर में स्थित है। यह एक पिछड़ा क्षेत्र है। यह पिछले तीन सालों से बंद है। इसलिए कर्मचारियों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार और संसद सदस्य भी इस मामले को उठा रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि पिछले तीन सालों से जब से यह कारखाना बंद है तब से क्या कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: महोदय, जो भी कम्पनी सिक हो जाती है वह बीआईएफआर को रेफर होती है, लेकिन इसके बावजूद भी कई मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट, एसोसिएशन, वर्कर्स की डिमांड आई कि हम दोबारा से कोशिश करें कि क्या वे चल सकतो हैं। इसके लिए ही ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना और वह इस पर विचार कर रहा है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही कोई फैसला होगा।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड की छ: इकाईयां बंद हो चुकी हैं। इनमें से पांच इकाइयां गोरखपुर, बरौनी, दुर्गापुर, तलचेर और रामागुन्डम में स्थित हैं। उन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि ये इकाइयां कई सालों से बंद पड़ी हैं। गोरखपुर इकाई पिछले 15 सालों से बंद पड़ी है। दुर्गापुर इकाई पिछले छ: सालों से बंद है। बरौनी, रामागुण्डम और तलचेर की प्रत्येक इकाई पिछले तीन सालों से बंद है। रामागुण्डम और तलचेर की उर्वरक इकाई कोयले पर आधारित है।

अब, हम अपनी यूरिया बनाने की इकाइयों को धीरे-धीरे बंद कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: बसुदेव आचार्य जी, मैं आशा करता हूं कि आप सीधा अनुपूरक प्रश्न पूछेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य: क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं क्योंकि चीन में अभी तक...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप फिर से मुद्दे से हट कर चीन की बात कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: अध्यक्ष महोदय, चीन में अभी भी कच्चे माल (फीडस्टॉक) के रूप में कोयला आधारित उर्वरक और यूरिया विनिर्माण एकक हैं। हमारे पास भी कोयले के विपुल भंडार हैं।

क्या मैं माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि क्या भारत सरकार फीडस्टॉक के रूप में कोयला आधारित उन एककों का पुनरुद्धार करने पर विचार करेगी जो कोयला खानों के निकट हैं? जैसे तालचेर, रामागुंडम और दुर्गापुर इकाई। यदि हम फीडस्टॉक के रूप में कोयला आधारित इन इकाइयों का पुनरुद्धार करते हैं तो इसकी उत्पादन लागत कम हो जायेगी।

अध्यक्ष महोदय: यह एक अच्छा प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: अध्यक्ष जी, जैसा सदस्य महोदय ने आज एक सुझाव दिया तथा कुछ अन्य संसद सदस्यों की तरफ से भी प्रपोजल आये और जैसा मैंने भी कहा कि सभी पहलुओं पर हम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में विचार करेंगे, उसी के बाद फैसला करेंगे क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। इनके बंद होने के कई कारण रहे हैं, जैसे फीड स्टॉक बहुत महंगा था, वर्क-फोर्स ज्यादा थी, मशीनरी पुरानी है यानी मिस-मैच है मशीनरी का। इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाकर देखा जाए कि कौन-कौन सा कारखाना चल सकता है, किस तरह से चल सकता है और उनके लिए क्या हो सकता है। उन सब बातों पर विचार करने के लिए ही ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी: सर, क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि चार-चार प्रधान मंत्रियों ने गोरखपुर के खाद कारखाने को दोबारा खोलने का ऐलान किया है। वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने भी गोरखपुर की आम सभा में इस संबंध में यह घोषणा की थी कि गैस-लाइन जगदीशपुर से लाई जाएगी और गोरखपुर का खाद का कारखाना दोबारा खोला जाएगा। जब दो-तीन बार इस पर विचार हो गया तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को फिर से इसे भेजने का क्या कारण है?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: उसे ठीक से कैसे चलाया जा सके, यह सुझाव तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ही देगा।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: प्रधानमंत्री जी ने जब बोल दिया है तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स क्या करेगा?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: प्रधानमंत्री जी ने ही ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया है, मैंने नहीं बनाया है।

कुंवर अखिलेश सिंह: इस कारखाने को चलाने के लिए क्या किया जा रहा है...*(व्यवधान)* जब सब तरफ से कहा जा रहा है तो...*(व्यवधान)* इसे चलाने के लिए क्या किया जा रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कुंवर अखिलेश सिंह जी, कृपया शांत हो जाइये। आपको इन सभी अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर की जरूरत नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः मिस्टर अखिलेश सिंह, आपका यह क्या बिहेवियर है, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं। आप हमेशा ही हाउस को डिस्टर्ब करते हैं। आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

माननीय मंत्री महोदय को श्री नारायण दत्त तिवारी जी के अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः यह उचित नहीं है। आप मंत्री जी को भी उत्तर नहीं देने दे रहे हैं। यदि यही स्थिति रही तो मुझे आपके खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी क्योंकि इसके सिवाय मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उससे सभा की कार्यवाही बाधित हो रही है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सभा में उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसाः ऑनरेबल तिवारी जी ने जो कहा है, सी.सी.इ.ए. ने इन-प्रिंसिपल उसका डिसीजन दे दिया है और उसके सभी पहलुओं पर विचार हो रहा है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ए.पी. जितेन्द्र रड्डीः अध्यक्ष महोदय, सरकारी क्षेत्र के ऐसे कई उपक्रम हैं जो अपना उर्वरक उत्पादन बंद कर रहे हैं। 1994 में तत्कालीन माननीय प्रधान मंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हा राव ओमान गए थे और उर्वरकों का उत्पादन करने के लिए उसके साथ एक करार किया और उस समय कहा था कि जब वह संयंत्र विशेष तैयार हो जायेगा तो हमें काफी सस्ते दामों पर उर्वरक दिये जायेंगे। आज हम 2001 में पहुंच गये हैं लेकिन इस संबंध में अभी तक कुछ नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदयः ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी जी, मूल प्रश्न रुग्ण इकाइयों के पुनरुद्धार से संबंधित है।

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डीः महोदय, मैं तो सिर्फ उस संयंत्र में उर्वरकों के उत्पादन के बारे में जानना चाहता हूं। यदि वह संयंत्र तैयार हो गया है तो हमें सस्ते दामों पर उर्वरक मिल सकते हैं। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि इस संबंध में क्या हो रहा है।

अध्यक्ष महोदयः आपका अनुपूरक प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। इसलिए इसकी अनुमति नहीं दी जायेगी।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखरः अध्यक्ष जी, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी और अखिलेश सिंह जी ने गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट के बारे में सवाल पूछा था और जब दो वर्ष पहले कृभको ने कहा था कि हम इस सरकार से पैसा नहीं लेंगे, और गोरखपुर प्लांट को फिर से चालू करेंगे, जैसा अखिलेश जी ने अभी कहा है, उस पर सरकार निर्णय क्यों नहीं करती है क्योंकि इसमें पैसे का सवाल नहीं है। जैसा नारायण दत्त जी ने कहा कि एक नहीं अनेक प्रधान मंत्रियों ने कहा है कि उसे चालू किया जाएगा, फिर उस पर पुनर्विचार क्यों हो रहा है? कृभको ने कहा है कि हमारे पास पैसा है और उस प्लांट को फिर से चलाया भी जा सका है। फिर ऐसे मामले में देर क्यों की जाती है? अगर प्रधान मंत्री जी ने कोई कमेटी बनाई है तो उनसे कहिए कि उस कमेटी से अलग करके गोरखपुर के बारे में सोचें।

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसाः अध्यक्ष महोदय, कृभको ने गोरखपुर के कारखाने को चलाने के लिए नहीं, नया लगाने के लिए एक प्रपोजल दी है। जैसा मैंने पहले कहा कि यह इन-प्रिंसिपल वह एप्रूव हो चुका है लेकिन उसकी कभी जरूरत नहीं है। हमने दो साल यूरिया इम्पोर्ट नहीं किया क्योंकि हम यूरिया के मामले में सैल्फ-सफिशियेंट हैं। चार प्रोजैक्ट्स नए आने थे। उन्हें सरकार ने इसलिए डेफर कर दिया क्योंकि उनकी अभी जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। वैसे यह इन-प्रिंसिपल एप्रूव हो चुका है। जब भी जरूरत पड़ेगी तो उसे कर देंगे।

श्री चन्द्रशेखर: अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री महोदय जो बात कह रहे हैं, क्या उन्हें इस बात का ज्ञान है कि तीन साल पहले इस देश के किसानों में यूरिया के लिए तहलका मच गया था। जिस समय कृभको ने कहा था, उस समय देश में यूरिया की कमी थी। आज हमारे मंत्री महोदय कह रहे हैं कि यूरिया के मामले में हम सैल्फ-सफिशियेंट हैं। वह इस मामले में सैल्फ-सफिशियेंट होंगे लेकिन किसानों को सफिशियेंट यूरिया नहीं मिल रहा है।

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय चन्द्रशेखर जी को बताना चाहता हूं कि दो साल से कोई भी यूरिया इम्पोर्ट नहीं हुआ। इंडो-ओमान प्रोजैक्ट साढ़े 16 लाख टन यूरिया पैदा करेगा, इसका एग्रीमैंट हो चुका है और काम शुरू हो चुका है। सकार जब भी जरूरत महसूस करेगी...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): अध्यक्ष महोदय, किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: यहां के यूरिया कारखाने बंद हो रहे हैं और यूरिया विदेशों से मंगाया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री इस बारे में घोषणा कर चुके हैं। फिर इसे चालू क्यों नहीं किया जा रहा है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। हाउस की प्रोसिडिंग्स को ऐसे औब्सट्रक्ट न करें।

...(व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: कृभको इसे चलाने के लिए तैयार है।...*(व्यवधान)* मंत्री जी इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह जवाब दे रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए और बेहतर होगा कि आप इन विवादों में न पड़ें।

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जिस दिन भी गवर्नमेंट की तरफ से एप्रूवल आ गई, हम सबसे पहले गोरखपुर का कारखाना चालू करेंगे। अभी मैं यही कह सकता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, गोरखपुर का कारखाना चलेगा या नहीं?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: इसका जवाब दे दिया गया है। *...(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: इसे कब चालू करेंगे?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक बात नहीं है। आप क्वश्चन आवर में सारे हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप सीनियर लीडर हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव: इसे कब तक करेंगे?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: सबसे पहल करेंगे।

बच्चों को गोद लेने वाले केन्द्रों की गतिविधियां

***23. श्री प्रहलाद सिंह पटेल:**
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में बच्चों को गोद वाले अनेक केन्द्र, शिशुओं को खरीदने और बेचने के धंधे में लिप्त पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इन गिरोहों की गतिविधियों के बारे में सी.बी.आई. द्वारा जांच किए जाने के आदेश दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस जांच रिपोर्ट के क्या निष्कर्ष निकले;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में ऐसी गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने हेतु कोई कानून बनाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) ऐसी गतिविधियों को रोकने हेतु उठाए जा रहे अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): क) से (छ) विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) और (ख) हाल ही में, आन्ध्र प्रदेश की कुछ एजेंसियों के विरुद्ध कदाचार के आरोप प्राप्त हुए थे। प्राथमिक जांच के बाद आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कुछ एजेंसियों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारम्भ की है। इनमें से दो एजेंसियों, जो केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं,

(1) भारतीय समाज कल्याण परिषद्, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश।

(2) जॉन एब्राहम मैमोरियल बिथैनी होम, तन्दूर, आन्ध्र प्रदेश।

की मान्यताएं तुरन्तु निरस्त कर दी गई हैं। आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) जी नहीं, क्योंकि, राज्य सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं।

(ङ) और (च) मौजूदा कानूनों और दिशा-निर्देशों में कदाचार को रोकने की पर्याप्त व्यवस्था है।

(छ) भारत सरकार अवैध दत्तक-ग्रहण गृहों के विरुद्ध कार्रवाई करने, बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया में विलम्ब को रोकने, दत्तक-ग्रहण गृहों में सभी अनाथालयों के लिए लाइसेंस सुनिश्चित करने, राज्य सलाहकारों बोर्डों और राज्य दत्तक-ग्रहण कक्षों की स्थापना करने, दत्तक-ग्रहण के क्षेत्र में गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए कार्रवाई करने और दत्तक-ग्रहण गृहों का संयुक्त रूप से निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर सभी राज्य सरकारों को लिखती रही है।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: अध्यक्ष महोदय, मैंने सरकार का जवाब पढ़ा है। उसमें आंध्र प्रदेश के बारे में स्पष्ट तौर पर लिखा है। मेरा प्रश्न भावनाओं से जुड़ा है। मैंने उत्तर पढ़ा है और उसमें कार्रवाई करने की बात कही गई है। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं और जिनको इस पर निगरानी रखनी थी, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, उसका जवाब में कोई उल्लेख नहीं है। बाद में उत्तर में कहा गया है कि राज्य सरकार अभी इसकी जांच कर रही है, इसलिए वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। क्या इस कानून को सरकार पर्याप्त मानती है? जहां तक मुझे जानकारी है, यदि किसी बच्चे को गोद लेता है या कोई संस्था उसे देती है तो निश्चित रूप से किसी न्यायाधीश के सामने एग्रीमैंट करना पड़ता है।

इस सब के बावजूद यह घटना घटी। केन्द्र सरकार यह मानती है कि उसने राज्य सरकारों को अनेक बार इस बारे में निर्देश दिये हैं, मैं इस संबंध में स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपका सप्लीमेंटरी क्या है?

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि उस संस्था और उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है? जो मौजूदा कानून है, यदि वे पर्याप्त हैं लेकिन फिर भी ऐसी भयानक भूलें क्यों की गई हैं, क्या सरकार इस पर विचार करेगी? केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को जो निर्देश दिये हैं, क्या राज्य सरकारों द्वारा उन पर अमल किया गया है या राज्य सरकार ने कोई सुझाव केन्द्र सरकार को दिये हैं- यदि हां, तो क्या हैं, मैं यही जानना चाहता हूं।

डा. मुरली मनोहर जोशी: अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बात यह स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि यह प्रश्न बच्चों को गोद लेने वाले केन्द्रों में उनके खरीदने और बेचने के धंधे से संबंधित है। बच्चों को किस प्रकार प्राप्त किया गया है, इस बारे में जानकारियां आई हैं। इस तरह की शिकायतें नहीं आई कि जो बच्चे गोद ले लिये गये, वे बेचे गये। कुछ लोगों और कुछ अभिकरणों ने बच्चे खरीदे, इस प्रकार की शिकायतें आई हैं। जैसे ये शिकायत आई, वैसे ही जांच की कार्यवाही शुरू की गई। केन्द्र सरकार द्वारा संचालित ऐसी दो संस्थायें, जो मान्यता प्राप्त थीं, उनकी मान्यता तत्काल रद्द कर दी गई है। बाकी संस्थाओं पर जांच की कार्यवाही हो रही है। आज तक ऐसी सात संस्थाओं को निलम्बित कर दिया गया है और जांच रिपोर्ट आने के बाद राज्य सरकार उन पर कार्यवाही करेगी। हम निरन्तर राज्य सरकारों से सम्पर्क में हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी जाकर इसका निरीक्षण किया है। उसने जो रिपोर्ट दी है, उसके आधार पर शिकायतों के ये तथ्य मिले हैं कि बच्चे प्राप्त करने में जरूर अनियमिततायें हुई हैं लेकिन दत्तक-गृहों की ओर से उन्हें बेचा नहीं गया है। ऐसे बेचा जाना संभव भी नहीं है क्योंकि कानून इतना व्यवस्थित है कि यदि कोई व्यक्ति एक बार दत्तक लेगा, फिर उसका बेचा जाना बड़ा कठिन है। मैं इस बात को मानता हूं कि बच्चों को गलत ढंग से खरीदा गया और इसके भी कई कारण हैं। एक कारण यह है कि गरीबी की वजह से महिला/लड़की इसलिये खरीदी गई कि घर में सामाजिक दृष्टिकोण ठीक नहीं है। कई बार ज्यादा लड़कियां हो गई तो उन्हें बेचा गया। बच्चे गरीब हैं या बंजारा जाति के लोग हैं, वहां गरीबी एक अभिशाप है। इसलिये हमने सारी रिपोर्ट ली है और उसके आधार पर राज्य सरकारों से निरंतर सम्पर्क में हैं और सचेत हैं।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि जिन अधिकारियों को मानिटरिंग करनी चाहिये थी, स्पेशल

निगरानी रखनी चाहिये थी, क्या उन्होंने ऐसा किया। उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है, मैं यही जानना चाहता हूं।

डा. मुरली मनोहर जोशी: अध्यक्ष महोदय, सी.आई.डी. की जांच हो रही है और इसके लिये एक पुलिस अधिकारी को इन सारी चीजों की जांच के लिये लगाया गया है। चूंकि इस प्रकार की शिकायतें कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश के बार्डर पर थीं, इसलिये इन दोनों राज्यों को रिपोर्ट आने के बाद केन्द्र सरकार उन पर कार्यवाही करेगी। हम यह सुनिश्चित कर चुके हैं कि जांच होने के बाद जो भी दोषी पाये जायेंगे, उनके विरुद्ध अवश्य कार्यवाही की जायेगी।

[अनुवाद]

श्री जी.एस. बसवराज: हाल ही मैं, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बच्चों को गोद लेने के मामलों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। 100 से भी ज्यादा छोटे बच्चों को 1500 रुपये में बेचा गया है। मेरे विचार से गरीबी और लिंग समस्या के कारण ही पिछले 10-15 वर्षों से ऐसे मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। राज्य सरकारों ने इस मामले में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यह जानना चाहता हूं कि विशेष रूप से छोटी लड़कियों को इस तरह अवैध रूप से गोद लेने पर नियंत्रण लगाने के लिए 'कैरा' के अंतर्गत क्या कार्यवाही की गई है।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि एडॉप्शन के मामले में, गोद के मामले में शिकायतें नहीं हैं। जो एजेन्सियां हैं और वे जिस काम के लिए बच्चों को अधिग्रहीत करती हैं, उनके द्वारा अधिग्रहीत करने में बहुत सारी शिकायतें आई हैं। ऐसे 188 बच्चों को अप्रैल, 2001 में बचाया गया है और उसके बाद 18 बच्चों को जून, 2001 में बचाया गया है। हम इसमें सक्रिय हैं। अब हमने इसमें कुछ परिवर्तन करने के बारे में सोचा है, क्योंकि सामान्य तौर पर इन दत्तक गृहों के बारे में राज्य सरकारें सिफारिश करती हैं, वे ही इन्हें मान्यता देती हैं, लाइसेन्स देती हैं। केन्द्र सरकार अभी तक केवल 36 ऐसे गृहों को चलाती रही है। अब हमने यह कहा है कि राज्य सरकारें जिन गृहों को चलायेंगी हम उन्हें पैसा देंगे, ताकि वे मजबूती से काम करें और कोई नाजायज ढंग से बच्चों को न खरीद सके। हम उनसे बराबर आग्रह कह रहे हैं और मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार और मेरा मंत्रालय इस विषय में बहुत सचेष्ट हैं। सामाजिक न्याय तथा आधिकारिता मंत्रालय के साथ मिलकर इसमें काम हो रहा है। हम अपने आयोगों के द्वारा बराबर इसमें काम कर रहे हैं। मैं सदन से कह चुका हूं कि हम शीघ्र ही राष्ट्रीय बाल आयोग बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। उसकी लगभग सारी प्रक्रियाएं कानूनी ढंग से हो रही हैं। उन्हें पूरा करने के लिए हम सदन के सामने आयेंगे। हम सचेष्ट हैं कि बालकों के अधिकारों और उनके जीवन को सुनिश्चित और संरक्षित किया जाए। राज्य सरकारों से हम बराबर आग्रह कर रहे हैं क्योंकि अभी जो कुछ कानूनी इंतजाम हो रहे हैं, वे राज्य सरकारें कर रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें हमें यह देखना पड़ेगा कि बच्चों की बिक्री के बारे में अन्य कानून क्या कहते हैं। अभी बच्चों की बिक्री के बारे में हम गृह मंत्रालय से बात करेंगे कि जो दंड संहिता है उसमें कहां तक हम इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कर सकते हैं, ताकि इसे कॉगनीजेबल अपराध बनाया जाए। सरकार इस बारे में पूरी तरह से काम कर रही है।

[अनुवाद]

श्री अजित कुमार पांजा: अध्यक्ष महोदय, मीडिया में प्राय: रोज ही लगभग पूरे देश में शिशु दत्तक गृहों के विभिन्न गैर-कानूनी कार्यों की खबरें आती हैं। मैं इन दो विशेष प्रश्नों के संबध में उत्तर चाहता हूं (एक) क्या सरकार ने शिशु दत्तक, गृहों को खोलने के लिए कोई दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और (दो) क्या शिशु दत्तक गृहों के कार्यों की निगरानी करने के लिए कोई स्थायी निगरानी समिति बनाई गई है?

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: अध्यक्ष महोदय, 1995 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एक रूल से, ये सारी चीजें चली हुई हैं, वह नियम हम भी लागू करते हैं। उन्होंने जो संशोधन सुझायें हैं, उन्हें हमने इसमें शामिल कर लिया है। जैसा मैंने अभी बताया कि यह काम सामाजिक न्याय और आधिकारिता विभाग का है। हम उनसे बराबर बात कर रहे हैं और उनसे बराबर सम्पर्क में रहते हैं कि इस कानून के अनुसार जो कुछ करना है वह आप सुनिश्चित करें। हमें यह बताया गया है कि वे इसमें काफी निगरानी और चौकसी रख रहे हैं। मैंने जैसा निवेदन किया कि हमने इसके कारणों की मीमांसा की है। हमने जो सजेशन भेजा है उसमें बताया गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है, गरीबी उसका एक बहुत बड़ा कारण है। लोगों में अवेयरनैस नहीं है। लड़कियों के प्रति समाज का दृष्टिकोण उसके अंदर बाधक है। हमने इसे ठीक करने के लिए सुझाव दिया है कि जो जनजातीय इलाके, ट्राइबल एरियाज हैं, जहां ये घटनाएं ज्यादा हो रही हैं, वहां आंगनबाड़ियों की संख्या बढ़ा दी जाए। इसके अलावा हमने यह कहा है कि दूसरी जगह अगर एक हजार पर एक आंगनबाड़ी होती है तो वहां हम तीन सौ पर करें। हमने शिशुगृहों को पैसा देने की संख्या बढ़ा दी है। हम यह

कोशिश कर रहे हैं कि जिन कारणों से यह होता है, उन्हें हम रोकें। क्योंकि उन कारणों को नहीं रोकेंगे जिनसे ये देश भर में फैल रही हैं तो यह फैलती रहेंगी। हम इसको सामाजिक और कानूनी, दोनों दृष्टियों से देख रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल: क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि ऐसे दत्तक गृहों को मान्यता देने का मानदंड क्या है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश के इन दो दत्तक गृहों में जो कुछ हुआ वह क्या राज्य सरकार अथवा किसी और की सिफारिश के आधार पर किया गया था। यदि यह किसी और की सिफारिश के आधार पर किया गया थो तो वह कौन था?

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: इसमें हमारे यहां एक राज्य सरकारों की सिफारिश है और एक कारा नाम का संगठन है, उसकी सिफारिश है। वह स्वायत्तशासी संस्था है। राज्य सरकारें सिफारिश करती हैं, तब केन्द्र उसकी परीक्षा करता है और अच्छी तरह से परीक्षण करने के बाद उनको लाइसेन्स और मान्यता दी जाती है। जहां तक रेकमंडेशन की बात है, जब तक राज्य सरकार की सिफारिश नहीं आती, तब तक हम उसमें किसी तरह की मान्यता नहीं देते। इसके लिए रूल्स बने हुए हैं, गाइडलाइन्स हैं जिसके आधार पर उन्हें अलग-अलग शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। जब तक वह शर्तें पूरी नहीं करते, सिफारिश नहीं आती।

श्री रूपचन्द पाल: राज्य सरकार के अलावा क्या कुछ और भी रेकमंडेशन थी?

डा. मुरली मनोहर जोशी: राज्य सरकार की तरफ से और बाकी जो मैंने बताया एजेन्सीज हैं, वह सिफारिश करेंगी लेकिन जब तक राज्य सरकार उनकी ठीक से जांच नहीं करेगी, हमारे पास सिफारिश नहीं भेजेगी।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: बच्चों को गोद लेने का जो घोटाला उजागर हुआ है वह तो देश में बच्चों को प्रभावित करने वाले उनके शोषण से जुड़े हुए कई मुद्दों का केवल एक पहलू है। चाहे वह गोद लेने का प्रश्न हो, चाहे यह भ्रूण-हत्या का अथवा बाल श्रम जैसे किसी अन्य मुद्दे का प्रश्न हो, सरकार के पास बार-बार कई सुझाव आ रहे हैं लेकिन बच्चों की कोई ट्रेड यूनियन अथवा संसद में लॉबी नहीं है। इसलिए, उनकी भारतीय नागरिकों के मूक भुक्तभोगी समूह के रूप में उपेक्षा की गई है।

मुझे खुशी है कि माननीय प्रधान मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। इस वर्ष बालदिवस के अवसर पर न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर समिति ने बाल अधिकारों के संबंध में प्रारूप संहिता प्रस्तुत की थी। यह कार्य 'यूनीसेफ' से वित्तपोषण के द्वारा किया गया है। यह आश्वासन दिया गया था कि यह भारत में बाल अधिकारों की संहिता का आधार तैयार करेगा। माननीय मंत्री जी भी वहां उपस्थित थे। प्रधान मंत्री जी ने वहां आश्वासन दिया था कि ऐसा किया जायेगा। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि इस देश में बच्चों की स्थिति, उनके अधिकार और सुरक्षा जो सरकार तथा अन्य संगठनों और संस्थाओं को देनी चाहिए, के समग्र प्रश्न पर ध्यान देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से इसकी अद्यतन स्थिति जानना चाहती हूं।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण बात माननीय सदस्या ने उठाई है। मैं इसके लिए सम्माननीय सदस्या को धन्यवाद देता हूं। सरकार ने इस बारे में पूरी चौकसी रखी है, पूरे कदम उठाए हैं, इस कोड का हमने निर्माण कर लिया है और विभिन्न मंत्रालयों को हमने भेजा है, ताकि उनके कमेन्ट्स हमारे पास आ जाएं। हमारी तरफ से तैयारी पूरी है। जैसे ही उनकी टिप्पणियां आएंगी, हम कैबिनेट में उसे ले जाकर संसद में आएंगे। हम चाहते हैं कि चार्टर ऑफ राइट्स जल्दी से जल्दी बने। इसमें राज्य सरकारों से, विभिन्न संस्थाओं से, इसमें काम करने वाले संगठनों से हमने राय ली है और जस्टिस अय्यर द्वारा जो ड्राफ्ट दिया गया था, उसको भी ध्यान में रखा है तथा आप देखेंगे कि जो इंटरनेशनल सहमतियां हैं, उसके आधार पर और जस्टिस अय्यर द्वारा प्रदत्त कोड के आधार पर हमने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और बहुत जल्दी आपके सामने हम आ जाएंगे।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले: अध्यक्ष महोदय, जिस संस्था ने बालकों के साथ खराब बर्ताव किया है उन संस्थाओं के नाम क्या हैं और उन संस्थाओं के पीछे कौन सी प्रेरणा शक्ति है?

डा. मुरली मनोहर जोशी: उन दोनों के नाम हैं- भारतीय समाज कल्याण परिषद्, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और जॉन अब्राहम मैमोरियल बिथैनी होम, तांडुर, आंध्र प्रदेश।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले: हां, इसे आप देखिये अध्यक्ष जी!

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: धन्यवाद, महोदय।

सभापटल पर रखे गये विवरण में यह बताया गया है कि विद्यमान विधान और दिशानिर्देशों में ऐसे कदाचारों पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त रूप से प्रावधान किए गये हैं। 'कदाचार' शब्द और गैर-कानूनी आपराधिक गतिविधियों के लिए बहुत हल्का है। प्रिंट मीडिया में प्रकाशित रिपोर्टों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि ये आपराधिक गतिविधियां विशेष रूप से बहुत पिछड़े बच्चों और छोटी-छोटी लड़कियों के मामले में काफी अर्से से चल रही है।

मध्याह्न 12.00 बजे

मेरा प्रश्न है कि क्या इसका अर्थ यह है कि प्राधिकारियों की जानकारी के बिना ये आपराधिक गतिविधयां चल रही हैं? कहीं ये राज्य अधिकारियों की मिली भगत से तो नहीं चल रही या फिर इन आपराधिक कार्यों पर रोक लगाने के लिए विद्यमान कानून पर्याप्त और कठोर नहीं हैं?

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: श्रीमान्, मैं पहले भी यह निवेदन कर चुका हूं कि कानूनों में कहीं कोई कमी नहीं है। जो दिक्कत आती है उनको पूरे रूप में क्रियान्वित करने में, इम्पलीमेंटेशन में आती है, जो ज्यादातर राज्य सरकारों के जिम्मे है, उनको यह काम करना होता है। हमारा काम यह है कि अगर हमारे पास कोई शिकायत आए, कोई कमजोरी नजर आए, तो हम उसे अपने कानूनों के मुताबिक दूर करें और उसमें हमने कहीं किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी है।

मैं इससे सहमत नहीं हूं कि जनजातीय इलाकों में, ट्राइबल इलाकों में ऐसी घटनाएं हुई हैं और पिछले कुछ दिनों में हमारे ध्यान में आई हैं। सरकार ने जैसा मैंने अभी बताया कि अप्रैल महीने में 188 बच्चों को राहत पहुंचाई। उन्हें वहां से प्राप्त किया और रीहैबिलिटेट किया। जून में फिर 18 बच्चों को हमने प्राप्त किया और रीहैबिलिटेट किया।

जैसी ही कोई शिकायत मिलती है उसके बारे में कदम उठाया जाता है। अगर माननीय सदस्यों के पास कोई घटनाएं हों, शिकायतें हों, तो बताएं, हम उनकी भी जांच कराएंगे और जो राहत पहुंचाई जा सकती है, वह जरूर पहुंचाएंगे।

हमें यह भी मालूम है कि इस प्रकार की घटनाओं से बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए कठिनाइयां पैदा होती हैं। ऐसा न हो, उसके लिए हम जरूर प्रयास करेंगे।

यूनीसेफ ने इसमें कई प्रकार के मंत्रालयों को इन्वाल्व नहीं किया है, लेकिन जब भी आवश्यकता पड़ती है हमने सबको इन्वाल्व करके, इसमें काम करने का प्रयास किया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास के बारे में बैठक

***24. श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ने ग्रामीण विकास के बारे में सर्वदलीय बैठक आयोजित की है;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई और इसके क्या परिणान निकले;

(ग) क्या मंत्रालय को ग्रामीण विकास परियोजनाओं पर कार्य योजना तैयार कर उसे प्रधान मंत्री को भेजने के लिए कहा गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने उक्त कार्ययोजना प्रस्तुत कर दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस कार्य योजना के कार्यान्वयन पर कब तक विचार किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न ही नहीं उठते।

नागालैंड में संघर्ष विराम

***25. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:**
श्री चाडा सुरेश रेड्डी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागालैंड में संघर्ष विराम को नागालैंड के पड़ोसी राज्यों के नागा बहुत क्षेत्रों में भी लागू करने के केन्द्र सरकार के निर्णय से विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों, विशेषकर मणिपुर में बड़े पैमाने पर असंतोष फैला है और इसका विरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों के जन-प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री से भेंट की है और संघर्ष विराम की घोषणा तुरंत वापस लेने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ङ) इस विरोध के फलस्वरूप हुए जान और माल के नुकसान का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों, विशेषकर मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने ेतु क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (च) एन एस सी एन (आई/एम) के साथ ''राज्य क्षेत्रीय सीमाओं को ध्यान में रखे बिना'' संघर्ष विराम को बढ़ाए जाने के विरोध में मणिपुर में, विशेषकर छात्र समुदाय में, कड़ी प्रतिक्रिया हुई है।

असम के मुख्यमंत्री ने राज्य क्षेत्रीय को ध्यान में रखे बिना एन एस सी ए (आई/एम) के साथ संघर्ष विराम की समीक्षा करने के लिए लिखा है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री मुकुट मिथि ने भी ऐसी ही रुख अपनाया है।

मणिपुर राज्य के चुने हुए प्रतिनिधि 23 जून को गृह मंत्री से और 24 जून और 8 जुलाई 2001 को प्रधानमंत्री से मिले। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि समझौते में शामिल किए गए ''विदआउट टेरीटोरियल लिमिट्स'' शब्दों सहित संघर्ष विराम समझौते की समीक्षा की जाएगी।

मणिपुर में राजनैतिक व्यक्तियों के साथ हिंसा और हमले की घटनाएं हुई हैं। राज्य विधान सभा भवन और कुछ अन्य भवनों में आग लगा दी गई। 18 जून, 2001 को पुलिस फायरिंग में 13 विद्यार्थी मारे गए और बाद में एक अन्य घायल होने के कारण मरा इस आंदोलन के दौरान बाद में दो और मौतें हुई- एक मध्यम आयु की महिला की और एक पुरुष की। पूर्वोत्तर के अन्य किसी राज्य के हिंसक घटनाओं और सम्पत्ति के नुकसान की सूचनाएं नहीं मिली हैं।

मौके पर स्थिति का जायजा लेने के लिए मेरे मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री आई.डी. स्वामी की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय दल ने इम्फाल का दौरा किया। मणिपुर और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उनकी प्रादेशिक अखंडता को नहीं छेड़ा जाएगा।

साक्षरता में धीमी प्रगति

***26. श्री टी.एम. सेल्वागनपति:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेंटर फार डवलपमेंट स्टडीज द्वारा किए गए गहन अध्ययन से यह बात सामने आई है कि भारत में साक्षरता के क्षेत्र में बहुत धीमी प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक राज्यों में साक्षरता दर 30 प्रतिशत से भी कम है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निरक्षरता उन्मूलन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) प्रो. के.एन. राज द्वारा स्थापित विख्यात संस्था-सेंटर फार डेवलपमेंट स्टडीज, तिरूवनन्तपुरम् ने अखिल भारतीय आधार पर साक्षरता में हुई प्रगति पर कोई अध्यनन नहीं किया है।

2001 की जनगणना (अनन्तिम जनसंख्या जोड़) दर्शाती है कि भारत ने पिछले दशक के दौरान साक्षरता के क्षेत्र में विशेष प्रगति की है। 1991 में साक्षरता 52.21 प्रतिशत थी जो बढ़कर 2001 में 65.38 प्रतिशत हो गई है और इस प्रकार साक्षरता के क्षेत्र में 13.17 प्रतिशत बिन्दुओं की वृद्धि दर्ज की गई है। आजादी के बाद किसी भी दशक में वृद्धि की यह सबसे अधिक दर है। वर्ष 1991 और 2001 की राज्यवार साक्षरता दर संलग्न विवरण में दी गई है। इससे ज्ञात होता है कि इस समय भारत में ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहां साक्षरता दर 30 प्रतिशत से कम है।

यूनेस्को ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को साक्षरता का विस्तारीकरण, जागरूकता बढ़ाने और साक्षरता की मांग उत्पन्न करने में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 1999 का प्रतिष्ठित नोमा साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब यूनेस्को ने वर्ष 2001 के लिए महिला समाख्या कार्यक्रम को नोमा साक्षरता पुरस्कार का सम्मानीय उल्लेख देने का निर्णय लिया है। महिला समाख्या कार्यक्रम महिला समूहों

में क्षमता का सृजन करता है तथा ग्रामीण क्षेत्रों खासकर सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित वर्गों की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में योगदान देता है।

प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र की सभी विद्यमान योजनाओं और कार्यक्रमों को समाविष्ट करके सर्व शिक्षा अभियान नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान जिलों पर बल देते हुए मिशन रूप में प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए एक समग्र और संकेद्रित दृष्टिकोण है। सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य निम्नवत हैं:

(1) 2003 तक 6-14 आयु-वर्ग के सभी बच्चे स्कूल/ शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र/सेतु पाठ्यक्रम में हों,

(2) 2007 तक 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चे पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करें, और

(3) 2010 तक 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चे आठ वर्ष की शिक्षा पूरी करें।

(4) जीवन पर्यन्त शिक्षा को महत्व देते हुए संतोषप्रद गुणवत्ता की प्रारंभिक शिक्षा पर बल।

(5) प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर 2007 तथा प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर 2010 तक सभी महिला-पुरुष भेदभाव और सामाजिक अंतराल को पाटना।

(6) 2010 तक सभी बच्चों को शिक्षारत बनाए रखना।

यह दृष्टिकोण सामुदायिक स्वामित्व पर आधारित है तथा पंचायती राज संस्थाओं के परामर्श से तैयार की गई ग्राम शिक्षा योजनाएं, जिला प्रारंभिक शिक्षा योजनाओं का आधार बनेंगी। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पूरे देश को शामिल किया जाएगा तथा लड़कियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा कठिन परिस्थितियों में रहने वाले अन्य बच्चों की शैक्षिक जरूरतों पर विशेष बल दिया जाएगा। मार्च, 2002 तक देश के सभी जिलों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत लाया जाएगा।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का उद्देश्य पूर्ण साक्षरता प्राप्त करना अर्थात 2005 तक 75 प्रतिशत की पोषणक्षम प्रभाव सीमा को प्राप्त करना है। यह मिशन 15-35 आयु वर्ग के निरक्षरों को कार्यसाधक साक्षरता प्रदान करके इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। निरक्षरता उन्मूलन पर विशेष बल देने के लिए जो उपाय किए गए हैं, उनमें राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पैरामीटर का संशोधन और वित्तीय प्रतिमानकों की वृद्धि, सम्पूर्ण साक्षरता और उत्तर साक्षरता के चरणों का समेकीकरण, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरणों को शक्तियों का प्रत्यायोजन, सतत शिक्षा के क्षेत्र को विस्तृच करना, जनशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ करना और ग्रामीण क्षेत्रों में उनके कार्यकलापों का विस्तार करना, अच्छी अध्ययन-अध्यापन सामग्री तैयार करने और प्रशिक्षण की उत्तम कोटि के लिए राज्य संसाधन केन्द्रों को पुन: गतिशील बनाना शामिल हैं।

विवरण

साक्षरता दर

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991	2001
1	2	3	4
1.	जम्मू और कश्मीर	–	54.46
2.	हिमाचल प्रदेश	63.9	77.13
3.	पंजाब	58.5	69.95
4.	चंडीगढ़	77.8	81.76
5.	उत्तरांचल	–	72.28
6.	हरियाणा	55.8	68.59
7.	दिल्ली	75.3	81.82
8.	राजस्थान	38.5	61.03
9.	उत्तर प्रदेश	41.6	57.36
10.	बिहार	38.5	47.53
11.	सिक्किम	56.9	69.68
12.	अरुणाचल प्रदेश	41.6	54.74
13.	नागालैंड	61.6	67.11
14.	मणिपुर	59.9	68.87
15.	मिजोरम	82.3	88.49
16.	त्रिपुरा	60.4	73.66
17.	मेघालय	49.1	63.31
18.	असम	52.9	64.28
19.	पश्चिम बंगाल	57.7	69.22
20.	झारखंड	–	54.13
21.	उड़ीसा	49.1	63.61

1	2	3	4
22.	छत्तीसगढ़	–	65.18
23.	मध्य प्रदेश	44.2	64.11
24.	गुजरात	61.3	69.97
25.	दमन और दीव	71.2	81.09
26.	दादर और नागर हवेली	40.7	60.03
27.	महाराष्ट्र	64.9	77.27
28.	आन्ध्र प्रदेश	44.1	61.11
29.	कर्नाटक	56.0	67.04
30.	गोवा	75.5	82.32
31.	लक्षद्वीप	81.8	87.52
32.	केरल	89.8	90.92
33.	तमिलनाडु	62.7	73.47
34.	पांडिचेरी	74.7	81.49
35.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	73.0	81.18
	भारत	52.2	65.38

*वर्ष 1991 के दौरान जम्मू और कश्मीर में जनगणना नहीं हुई थी।

कुलपतियों की शक्तियों में कमी

*27. **डा. जसवंतसिंह यादव:**
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की आपातकालीन शक्तियों को कम कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ङ) सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अधिनियमों अथवा संविधियों द्वारा उनके कुलपतियों को कतपिय 'आपातकालीन शक्तियां' प्राप्त हैं। इन शक्तियों के आधार पर कुलपतियों को प्राधिकृत किया गया है कि वे उन मामलों, जिनमें तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता हो, में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण को प्राप्त शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। जबकि इन शक्तियों का आशय विश्वविद्यालयों के संबंधित निकायों की बैठक आयोजित करने की प्रतीक्षा किए बिना आपात और अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने में कुलपतियों को समर्थ बनाना है तथापि कुछ विश्वविद्यालय इस शक्ति का यदा-कदा प्रयोग करते रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय के कोर्ट, कार्यकारी परिषद और शैक्षिक परिषद इत्यादि जैसे सांविधिक निकायों को उत्तरोत्तर रूप से कहा जा रहा है कि वे कुलपतियों द्वारा इन निकायों की ओर से की गई कार्यवाही का अनुसमर्थन करें। इस प्रकार इन सांविधिक निकायों का महत्व गौण होता रहा है। ऐसी प्रत्यावर्ती स्थिति को रोकने के उद्देश्य से तथा इस बात का सुनिश्चित करने के लिए कि ये सांविधिक निकाय विश्वविद्यालयों के समग्र लोकतांत्रिक प्रशासन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें, राष्ट्रपति, जो सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के विजिटर भी हैं, के अनुमोदन से सरकार ने सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों द्वारा अनुपालनार्थ निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किये हैं:-

(1) कुलपतियों को प्रदत्त आपात शक्तियों के प्रयोग में संयम बरता जाना चाहिए और इन शक्तियों का प्रयोग केवल ऐसी आपातकालीन परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए जिनमें आमतौर पर ऐसी शक्तियों के प्रयोग के लिए सशक्त प्राधिकरण की निकट भविष्य में बैठक होने की सम्भावना नहीं हो और उपयुक्त निकाय के विचारार्थ किसी निर्णय को स्थगित रखने से गम्भीर प्रशासनिक असुविधाएं पैदा होने की सम्भावना हो।

(2) शिक्षण और अकादमिक पदों के सृजन, उक्त पदों पर नियुक्ति, भर्ती कार्यविधियों को अंतिम रूप देने, योग्यता के आधार पर पदोन्नति योजना/कैरियर प्रौन्नति योजना के तह पदोन्नतियां, पदधारियों के लिए वैयक्तिक आधार पर पदों के उन्नयन जैसे दैनिकी मामलों को निरपवाद रूप से उन प्राधिकरणों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिन्हें आमतौर पर ऐसे मामलों में निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त हो। कुलपतियों द्वारा ऐसे

मामलों में आपात शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

(3) सांविधियों को संशोधित करने/बनाने/उनका निरसन करने जैसे नीतिगत मामलों, जिनमें वस्तुतः विजिटर की सम्मति प्राप्त करना आवश्यक होता है, का निर्णय कुलपतियों द्वारा आपात शक्तियों का प्रयोग करके बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण

*28. **श्री कांतिलाल भूरियाः**
श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डीः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण हेतु राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) इस अवधि के दौरान ग्रामीण सड़क सम्पर्क कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सड़कों के निर्माण/उन्नयन हेतु राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार ग्रामीण सड़कों के चयन में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) वर्ष 2001-2002 के लिए राज्य योजना के अंतर्गत मंत्रालय के अनुदान में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2500 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। यद्यपि राज्यवार आबंटनों के बारे में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है तथापि राज्य सरकारों को सूचित किया गया है कि इस चरण में उपलब्ध निधियां पिछले वर्ष के आबंटन से अधिक नहीं होगी।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे जिला ग्रामीण योजनाओं के आधार पर अपने प्रस्ताव 31 जुलाई, 2001 से पहले भेज दें।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

बंजरभूमि के विकास हेतु सर्वेक्षण

*29. **श्री जे.एस. बराड़ः** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में बंजरभूमि का विकास करने और वहां आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(ङ) इस संबंध में चल रही परियोजनाओं और चालू वर्ष के दौरान प्रारम्भ किए जाने के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि संसाधन विभाग द्वारा कोई विस्तृत भू-सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी, हैदराबाद द्वारा दूर संवेदी आंकड़ों का प्रयोग करते हुए भारत की बंजरभूमि संबंधी एटलस, 2000 (वेस्टलैण्ड एटलस ऑफ इंडिया, 2000) तैयार किया गया है जिसमें राजस्थान और गुजरात राज्यों सहित देश में बंजरभूमि का ब्यौरा दिया गया है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) विभिन्न राज्यों में बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि को विकसित करने के लिए भूमि संसाधन विभाग द्वारा समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं।

(ङ) वर्ष 1995-96 से 2000-2001 तक की अवधि के दौरान 29.32 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को विकसित करने के लिए समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 298 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं। इन परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 8 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को विकसित करने के लिए नई परियोजनाएं स्वीकृत करने का प्रस्ताव है।

विवरण-I

भारत में राज्य-वार बंजरभूमि

क्रम सं.	राज्य	कुल बंजरभूमि (क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	51750.19
2.	अरुणाचल प्रदेश	18326.25
3.	असम	20019.17
4.	बिहार	20997.55
5.	गोवा	613.27
6.	गुजरात	43021.28
7.	हरियाणा	3733.98
8.	हिमाचल प्रदेश	31659.00
9.	जम्मू और कश्मीर	65444.24
10.	कर्नाटक	20839.28
11.	केरल	1448.18
12.	मध्य प्रदेश	69713.75
13.	महाराष्ट्र	53489.08
14.	मणिपुर	12948.62
15.	मेघालय	9904.38
16.	मिजोरम	4071.68
17.	नागालैंड	8404.1
18.	उड़ीसा	21341.71
19.	पंजाब	2228.4
20.	राजस्थान	105639.11
21.	सिक्किम	3569.58
22.	त्रिपुरा	1276.03
23.	तमिलनाडु	23013.9
24.	उत्तर प्रदेश	38772.8
25.	पश्चिम बंगाल	5718.48
26.	संघ राज्य क्षेत्र	574.3
	योग	638518.31

विवरण-II

वर्ष 1995-96 से वर्ष 2000-2001 तक की अवधि के दौरान समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के तहत (वर्ष-वार और राज्य-वार) स्वीकृत की गई/चल रही परियोजनाओं की संख्या

क्रम सं.	राज्य का नाम	कुल	क्षेत्र (हैक्टेयर में)	योग लागत (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	26	297127	11885.08
2.	बिहार	1	1000	40.00
3.	छत्तीसगढ़	5	56670	2266.80
4.	गुजरात	20	217383	8695.32

1	2	3	4	5
5.	हिमाचल प्रदेश	17	196622	7864.88
6.	हरियाणा	3	25983	1039.32
7.	जम्मू और कश्मीर	3	26880	1075.20
8.	झारखंड	3	18642	745.68
9.	कर्नाटक	14	172004	6880.16
10.	केरल	3	29551	1182.04
11.	महाराष्ट्र	16	185868	7434.72
12.	मध्य प्रदेश	28	252106	10084.24
13.	उड़ीसा	21	154909	6196.36
14.	पंजाब	1	550	22.00
15.	राजस्थान	22	189377	7575.08
16.	तमिलनाडु	20	148894	5955.76
17.	उत्तर प्रदेश	34	369960	14798.40
18.	उत्तरांचल	5	58532	2341.28
	कुल परियोजनाएं	242	2402058	96082.32
पूर्वोत्तर राज्य				
1.	अरुणाचल प्रदेश	1	1500	60.00
2.	असम	15	141035	5641.40
3.	मेघालय	7	34725	1389.00
4.	मणिपुर	7	66468	2658.72
5.	मिजोरम	7	75208	3008.32
6.	नागालैंड	12	137650	5506.00
7.	सिक्किम	7	73254	2930.16
	कुल परियोजनाएं	56	529840	21193.60
	कुल योग	298	2931898	117275.92

जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद

*30. **श्री रामजीलाल सुमन:**
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर में एकतरफा संघर्ष विराम लागू किए जाने और उसे वापस लेने के बीच की अवधि के दौरान हुई हिंसात्मक घटनाओं का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान कितने आम नागरिक, सैन्यकर्मी, राज्य सरकार के कर्मचारी और आतंकवादी मारे गए;

(ग) क्या यह सच है कि संघर्ष विराम से तत्काल पहले छः महीनों की तुलना में संघर्ष विराम की अवधि के दौरान अधिक मौतें हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने एकतरफा संघर्ष विराम के संभावित परिणामों का आकलन किया था;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा घुसपैठ/उग्रवाद को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (घ) एकतरफा युद्ध विराम के 185 दिनों के दौरान हिंसक घटनाओं और हताहतों की संख्या की तुलना इससे पूर्ववर्ती सदृश अवधि से करने पर निम्नलिखित तसवीर सामने आती है:

	एकतरफा युद्ध-विराम से पहले 27.5.2000 से 27.11.2000 तक (185 दिन)	एकतरफा युद्ध-विराम के दौरान 28.11.2000 से 31.5.2001 तक (185 दिन)
हिंसा की कुल घटनाएं	1672	2142
कुल मौतें	1669	1406
मारे गए सिविलियन	461	543
मारे गए सुरक्षा कर्मी	223	266
मारे गए उग्रवादी	985	597

जैसा कि देखा जा सकता है, शांति पहल की अवधि के दौरान मारे गए सिविलियनों और सुरक्षा कर्मियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई।

(ङ) और (च) जी हीं, श्रीमान्। भारत सरकार, जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा स्थिति का नियमित आधार पर आकलन और समीक्षा करती है। ऐसी ही एक समीक्षा एकतरफा युद्ध विराम की घोषणा करने से पहले भी की गई थी। जम्मू और कश्मीर के लोगों की भावनाओं के सम्मान में यह सशक्त रूप से महसूस किया गया था कि राज्य में शांति को एक मौका दिया जाना चाहिए। सरकार ने उग्रवादियों/आतंकवादियों के विरुद्ध संघर्ष अभियान शुरू न करने के सिद्धांत की घोषणा द्वारा एक सुविचारित कदम उठाया।

(छ) संघर्ष अभियान शुरू करने पर रोक के हटते ही सुरक्षा बलों ने उग्रवाद और घुसपैठ को रोकने के लिए भीतरी क्षेत्रों और नियंत्रण रेखा/अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप उग्रवादियों/आतंकवादियों के विरुद्ध एक जोरदार विद्रोह-विरोधी अभियान शुरू किया है।

केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के सामंजस्य के साथ, जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद/आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए अपनी बहु-आयामी रणनीति को जारी रखे हुए है। यह रणनीति, सुरक्षा आयाम के अतिरिक्त, आर्थिक विकास को तेज करने और लोगों की वास्तविक शिकायतों को दूर करने पर भी ध्यान केन्द्रित करती है। सरकार ने राज्य में जनता के विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी ग्रुपों के साथ वार्ता के लिए अपने दरवाजे भी खुले रखे हैं।

बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद

*31. **श्री खारबेल स्वाइं:**
श्री शंकर सिंह वाघेला:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बांग्लादेश सीमा पर गत तीन वर्षों के दौरान अर्ध-सैनिक बलों के कितने जवान मारे गए;

(ख) क्या उस भारत-बांग्लादेश सीमा विवाद को सुलझाने में कोई प्रगति हुई है जिसमें अप्रैल, 2001 में सीमा सुरक्षा बल के 16 जवान मारे गए थे;

(ग) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच सीमांकित न की गई ऐसी सीमा का ब्यौरा क्या है जिसके बारे में दोनों पक्षों के बीच अभी भी विवाद है;

(घ) क्या बांग्लादेशी राइफल्स द्वारा मारे गए सीमा सुरक्षा बल के 16 जवानों के लिए बांग्लादेश से किसी क्षतिपूर्ति की मांग की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) भारत-बांग्लादेश सीमा पर अपनी जान गंवाने वाले सीमा सुरक्षा बल के जवानों के मामले में सरकार द्वारा कितना मुआवजा दिया गया?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) सीमा सुरक्षा बल को भारत-बांग्लादेश सीमा पर सीमा की चौकसी करने वाले बल के रूप में तैनात किया जाता है। 13 जुलाई, 1998 और 12 जुलाई, 2001 के बीच भारत-बांग्लादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के 45 जवान मारे गए हैं।

(ख) और (ग) जी हां, श्रीमान्। 13 जून, 2001 को दो संयुक्त सीमा कार्य ग्रुप (जे.बी.डब्ल्यू.जी.) गठित किए गए हैं। पहला जे बी डब्ल्यू जी भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा की लगभग 6.5 कि.मी. लम्बी असीमांकित भूमि का सीमांकन करेगा। दूसरा जे बी डब्ल्यू जी एन्कलेवों और प्रतिकूल रूप से कब्जा किए गए क्षेत्रों की अदला-बदली का काम करेगा।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

(ङ) उपर्युक्त (घ) भाग के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) स्थिति के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार इन मौतों के लिए बांग्लादेश से मुआवजे की मांग करना उचित नहीं समझती है।

(छ) सरकार ने हैड कांस्टेबल यू. राम नायक, जिनके मामले में निकट संबंधी के बारे में विवाद है, को छोड़कर सीमा सुरक्षा बल के मारे गए प्रत्येक कार्मिक के निकट सम्बन्धी को केन्द्रीय निधि से 7.5 लाख रुपए अनुग्रहपूर्वक मुआवजे के रूप में, राष्ट्रीय रक्षा निधि से 2.5 लाख रुपए तथा अन्य पेंशन संबंधी लाभों की राशि पहले ही जारी कर दी है।

ग्रामीण विकास के लिए धन के आबंटन में कमी किया जाना

*32. **श्री अशोक ना. मोहोल:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण विकास योजनाओं के बजट आबंटन में कटौती करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी योजनाओं के कार्यनिष्पादन का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में योजना-वार उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं में बहुत धीमी प्रगति हुई है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इन योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम हैं, जो देश भर में कार्यान्वित किये जा रहे हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान वास्तविक उपलब्धियों के योजनावार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) 1998-99 के अंत तक चल रही स्वरोजगार योजनाओं और मजदूरी रोजगार योजनाओं को पुनर्गठित किया गया। नये ढंग से तैयार किया गया तथा 1 अप्रैल, 1999 से जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की संशोधित योजना अस्तित्व में आयी। 1999-2000 के दौरान प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत (इंदिरा आवास योजना को छोड़कर) उपलब्धि में गिरावट आयी है। योजनायें शुरू करने तथा कार्यान्वयन एजेंसियों को इनके बारे में अवगत कराने की व्यापक प्रक्रिया की वजह से योजनाओं के वास्तविक कार्यान्वयन में विलंब हुआ। अक्तूबर, 1999 के अंत तक नये कार्य शुरू करने पर लगे प्रतिबंध (देश में आम चुनाव की वजह से) के कारण भी निष्पादन पर असर पड़ा।

(छ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विभिन्न उपायों जैसे आवधिक प्रगति रिपोर्टों, राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण, क्षेत्र अधिकारियों द्वारा फील्ड दौरों, निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकों आदि के जरिए निगरानी की एक व्यापक प्रणाली विकसित की है ताकि योजनाओं के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। समय-समय पर राज्यों के मुख्य मंत्रियों से भी धनराशि का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए कहा जाता है। ग्रामीण विकास मंत्री भी कार्यक्रमों की समीक्षा करने और योजनाओं के प्रभावी और शीघ्र कार्यान्वयन की आवश्यकता के बारे में राज्य प्राधिकारियों को बताने के लिए विभिन्न राज्यों का दौरा करते रहे हैं।

विवरण

1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत उपलब्धियां

क्रम सं.	योजना का नाम	इकाई	1998-99 से 2000-2001
1.	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना/समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	लाभान्वित लोगों की संख्या	3550449
2.	जवाहर ग्राम समृद्धि योजना/जवाहर रोजगार योजना	रोजगार श्रमदिनों (लाख रु. में) की संख्या	8943.74
3.	सुनिश्चित रोजगार योजना	रोजगार श्रमदिनों (लाख में) की संख्या	9121.01
4.	इंदिरा आवास योजना	निर्मित आवासों की संख्या	2542635
5.	केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	निर्मित स्वच्छ शौचालयों की संख्या	3294152
6.	त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम	कवर की गई बसावटों की संख्या	252332
7.	समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	वाटरशेडों की संख्या	अनुपलब्ध

*अनंतिम और आंशिक-पूर्ण रिपोर्टें प्रतीक्षाधीन हैं।

प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना

***33. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:**
श्री दिलीप संघाणी:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों में प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक स्थापित किए गए ऐसे पार्कों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे पार्क स्थापित करने हेतु कोई नए प्रस्ताव स्वीकृति हेतु सरकार के पास लम्बित हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन्हें कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने की संभावना है;

(च) क्या सरकार ने हाल ही में महिलाओं के लिए और अधिक प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) चालू वर्ष के दौरान कितने पार्क स्थापित किए जाने की सम्भावना है और इस कार्य हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(झ) अभी तक स्थापित किए गए ऐसे पार्कों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (झ) केन्द्र सरकार द्वारा टैक्नो (प्रौद्योगिकी) पार्कों के नाम से विभिन्न राज्यों में कोई भी पार्क स्थापित नहीं किए गए हैं। तथापि, केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों की सुविधाओं एवं सेवाओं की स्थापना करने संबंधी विभिन्न योजनाएं हैं जोकि साफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्यमों सहित विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रधान उद्यमवृत्ति के विकास एवं वर्धन को बढ़ावा देने वाली हैं, जिनका प्राथमिक उद्देश्य अनुसंधान एवं विकास संबंधी जानकारियों का त्वरित गति से वाणिज्यीकरण किए जाने के लिए अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं तथा उद्योगों के बीच सघन विचार-विमर्श करना है। केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों

द्वारा अभी तक स्थापित किए गए पार्कों/सुविधाओं का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इस तरह से पार्कों की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव राज्य सरकारों सहित विभिन्न क्षेत्रों से आवधिक रूप से प्राप्त होते रहते हैं और उन पर संबद्ध विभाग/मंत्रालय की विशिष्ट योजना के स्वरूप एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार ही कार्यवाही की जाती है।

विवरण

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.)

विभाग द्वारा निम्नलिखित प्रकार के पार्कों/सुविधाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है:-

विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्क (एस.टी.ई.पीज.)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमवृत्ति पार्कों (एस.टी.ई.पीज) संबंधी योजना की शुरूआत विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े व्यक्तियों के बीच नवप्रवर्तन एवं उद्यमवृत्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डी.एस.टी. द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों नामत: आई.डी.बी.आई., आई.एफ.सी.आई. तथा आई.सी.आई.सी.आई. के सहयोग से 1984-85 में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत उत्कृष्टता वाले शिक्षण संस्थानों तथा अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में व उनके आस-पास एस.टी.ई.पीज. स्थापित किए गए। अब तक 16 एस.टी.ई.पीज. को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है जिनका ब्यौरा निम्नवत है:

विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यम पार्कों (एस.टी.ई.पीज.) का राज्यवार विवरण

क्र. सं.	राज्य	एस.टी.ई.पीज. की संख्या	अवस्थिति
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	(1) पाउडर धात्विकी और नए उपादान के लिए अंतर्राष्ट्रीय अग्रगत अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद।
2.	बिहार	1	(1) बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा, रांची
3.	हिमाचल प्रदेश	1	(1) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला
4.	कर्नाटक	3	(1) एस.जे. इंजीनियरी कालेज, मैसूर
			(2) कर्नाटक क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, सूरथकल
			(3) बसवेश्वर इंजीनियरी कालेज, बागलकोट
5.	मध्य प्रदेश	1	(1) मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी कालेज, भोपाल
6.	महाराष्ट्र	2	(1) पूना विश्वविद्यालय, पुणे
			(2) जवाहरलाल नेहरू उद्यमी रासायनिक पार्क, मुम्बई
7.	पंजाब	2	(1) गुरु नानक देव इंजीनियरी कॉलेज, लुधियाना
			(2) थापर इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, पटियाला
8.	तमिलनाडु	2	(1) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, तिरूचिरापल्ली
			(2) पी.एस.जी. कालेज ऑफ टेक्नोलॉजी, कोयम्बटूर

1	2	3	4
9.	उत्तर प्रदेश	2	(1) हारकोर्ट बलटर टेक्नोलॉजीकल इंस्टीट्यूट, कानपुर (2) रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की
10.	पश्चिम बंगाल	1	(1) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) खड्गपुर
	कुल	16	

निम्नलिखित दो प्रस्तावों की संवीक्षा शुरू की जा चुकी है:-

1. उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में प्रौद्योगिकी पार्क।

2. सम्राट अशोक प्रौद्योगिकीय संस्थान, विदिशा, मध्य प्रदेश में एस.टी.ई.पी.।

ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आर.टी.पी.)

ग्रामीण लोगों को चयनित प्रौद्योगिकियों पर प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन उपलब्ध कराने, प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों पर डाटा बेस तैयार करने तथा उद्यमवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए आर टी पार्कों की स्थापना की जा रही है। निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार 3 ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्कों को स्वीकृति दी गई है:-

क्रम सं.	राज्य का नाम	ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्कों की संख्या
1.	त्रिपुरा	2
2.	सिक्किम	1

असम से प्राप्त प्रस्ताव की संवीक्षा शुरू कर दी गई है।

महिला प्रौद्योगिकी पार्क (डब्ल्यू टी पी)

डब्ल्यू टी पी संसाधन केन्द्रों की तरह कार्य करते हैं जहां ग्रामीण महिलाओं के लिए क्षमता सृजन एवं प्रौद्योगिकी समर्थता हेतु पूरी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाती है जिससे उनकी आय क्षमता तथा रोजगार अवसरों में बढ़ोत्तरी होती है। निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार 3 महिला प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना की गई है:-

क्रम सं.	राज्य का नाम	ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्कों की संख्या
1.	उत्तरांचल	1
2.	कर्नाटक	1
3.	राजस्थान	1

कोई नया प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी बी टी)

विभाग द्वारा निम्नलिखित प्रकार के पार्कों/सुविधाओं को प्रोन्नत किया जा रहा है:-

माइक्रोप्रोपेगेशन प्रौद्योगिकी पार्क

माइक्रोप्रोपेगेशन प्रौद्योगिकी पार्कों को शोध संस्थानों एवं उद्योग के बीच अन्तरपृष्ठ उपलब्ध कराने हेतु प्रोन्नत किया जा रहा है। वे सिद्ध प्रौद्योगिकियों को उद्यमियों को प्रभावी रूप से अन्तरण करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करते हैं तथा दक्षता प्राप्त मानवशक्ति के सृजन के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हैं।

अब तक दो एम टी पी की स्थापना की गई है और ये निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं:

1. राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे, महाराष्ट्र
2. टाटा एनर्जी रिसर्च इन्स्टीट्यूट, नई दिल्ली, दिल्ली

महिलाओं के लिए जैव प्रौद्योगिकी पार्क

जैव प्रौद्योगिकी पार्कों को पर्यावरण अनुकूल जैव प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के माध्यम से महिला उद्यमियों के लिए अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्रोन्नत किया जा रहा है।

महिलाओं के लिए एक जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना चेन्नई में तलिमनाडु सरकार के साथ मिलकर संयुक्त रूप से की गई है।

जैव प्रौद्योगिकी पार्कों तथा इसी प्रकार की अन्य सुविधाओं की स्थापना करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श की प्रक्रिया आरम्भ की गई है।

विभाग को गुजरात जैव प्रौद्योगिकी पार्क के संयोजन में गुजरात रिसर्च इन्स्टीट्यूट फार बायोटैक्नोलोजी स्थापित करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय पूरे देश में साफ्टवेयर टैक्नोलोजी पार्क्स आफ इंडिया (एस टी पी आई) के माध्यम से साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों (एस टी पी) की स्थापना कर रहा है। साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना का मुख्य उद्देश्य हाई-स्पीड डाटा संचार संयोजनों (लिंक्स) का प्रयोग कर देश से साफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ावा देना है। अब तक 19 अन्तर्राष्ट्रीय गेटवेज सहित 20 एस टी पी की स्थापना की जा चुकी है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	एस टी पी आई केन्द्र	राज्य
1	2	3
1.	औरंगाबाद	महाराष्ट्र
2.	भुवनेश्वर	उड़ीसा
3.	बंगलौर	कर्नाटक
4.	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल
5.	चेन्नई	तमिलनाडु
6.	कोयम्बटूर	तमिलनाडु
7.	गांधीनगर	गुजरात
8.	गुवाहाटी	असम
9.	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश
10.	इन्दौर	मध्य प्रदेश
11.	जयपुर	राजस्थान
12.	मोहाली	पंजाब

1	2	3
13.	मैसूर	कर्नाटक
14.	मणिपाल	कर्नाटक
15.	नवी मुम्बई	महाराष्ट्र
16.	नोएडा	उत्तर प्रदेश
17.	पुणे	महाराष्ट्र
18.	श्रीनगर	जम्मू एवं कश्मीर
19.	तिरूवनन्तपुरम	केरल
20.	विजाग	आन्ध्र प्रदेश

एस टी पी की स्थापना के लिए निम्नलिखित राज्यों के साथ बातचीत की प्रक्रियाएं शुरू की गई है:-

क्र.सं.	केन्द्र	राज्य
1.	शिलांग	मेघालय
2.	इम्फाल	मणिपुर
3.	गोवा	गोवा
4.	जम्मू	जम्मू एवं कश्मीर
5.	रांची	झारखंड
6.	भिलाई	छत्तीसगढ़

[हिन्दी]

मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग

*34. **श्री रामदास आठवले:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के महानगरों में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) महानगरों की मलिन बस्तियों में रहने वाले दलितों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा मलिन बस्तियों के बढ़ते हुए क्षेत्रों के कारण उत्पन्न हो रही समस्याओं से निपटने हेतु कोई कदम उठाए गए/उठाये जाने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान मलिन बस्तियों के विकास हेतु कितनी धनराशि खर्च की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी हां।

(ख) देश के मैट्रो शहरों में मलिन बस्तियों (स्लमों) में रहने वाले लोगों की संख्या मुख्यत: शहरी इलाकों में रोजगार की तलाश

तथा चिकित्सा, शिक्षा इत्यादि अन्य बेहतर सुविधाओं की सुलभता के कारण ग्रामीण इलाकों और छोटे कस्बों के लोगों के लगातार आकर बसने के कारण बढ़ रही है।

(ग) प्राप्त सूचना में दलितों के बारे में ऐसा कोई विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया गया है।

(घ) और (ङ) स्लम सुधार राज्य का विषय है और राज्य सरकारें अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न शहरों में स्लमों के सुधार के लिए विशिष्ट योजनाएं, कार्यक्रम और स्कीमें तैयार करती हैं और अपनी राज्य योजनाओं में आवश्यक प्रावधान करती हैं। तथापि, स्लम वासियों की जीवन दशाओं में सुधार की दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर अगस्त 1996 में राष्ट्रीय स्लम सुधार कार्यक्रम (एन.एस.डी.पी.) नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था, ताकि शहरी स्लमों के सुधार के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मुहैया की जा सके। इससे पूर्व शहरी स्लमों का पर्यावरणीय सुधार (ईआईयूएस) कार्यक्रम, जो मूलत: 1972 से चालू हुआ था, का 1974 में कार्यक्षेत्र बढ़ाया गया और उसे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का अभिन्न अंग बनाया गया तथा उसे अप्रैल, 1974 में राज्य क्षेत्र को अन्तरित कर दिया गया।

(च) राष्ट्रीय स्लम सुधार कार्यक्रम (एनएसडीपी) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को जारी राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र.सं.	वर्ष	जारी राशि (लाख रु. में)
1.	1998-99	35357.44
2.	1999-2000	39189.50
3.	2000-2001	24153.07

[अनुवाद]

पनधारा (वाटरशेड) विकास कार्यक्रम

*35. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:**
श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आज की तिथि तक देश में राज्य-वार कितनी समेकित पनधारा परियोजनाएं चल रही हैं;

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान तथा आज की तिथि तक पनधारा विकास कार्यक्रमों के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई और अभी तक कितनी-कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न पनधारा कार्यक्रमों के लिए धनराशि में वृद्धि करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन पर, राज्यवार, क्या कार्यवाही की गई;

(ङ) क्या सरकार ने देश में पनधारा विकास कार्यक्रमों के विकास हेतु नए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) और (ख) "समेकित पनधारा (वाटरशेड) परियोजनाओं" के नाम से कोई योजना कार्यान्वित नहीं की जाती है। तथापि, भूमि संसाधन विभाग "समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम" (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य-वार कोई आबंटन नहीं किया जाता है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आज तक समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 298 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक (राज्य-वार) जारी निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। परियोजनाएं 4 से 5 वर्षों की अवधि में परियोजना-दर-परियोजना आधार पर कार्यान्वित की जाती हैं। निधियां सात किस्तों में जारी की जाती हैं। प्रथम किस्त स्वीकृति के समय पर जारी की जाती है। बाद की प्रत्येक किस्त जारी की गई अंतिम किस्त की 50 प्रतिशत से अधिक राशि के उपयोग किए जाने के बाद जारी की जाती है। उपयोग में लाई गई कुल राशि का परिकलन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद किया जाता है। तथापि राशि जारी करने की प्रक्रिया से राज्यों को जारी की गई निधियों का उपयोग सुनिश्चित होता है।

(ग) और (घ) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, राज्य सरकारों को निधियों का कोई आबंटन नहीं किया जाता है। अत: निधियां बढ़ाने के लिए राज्यों से अनुरोध प्राप्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस कार्यक्रम के तहत वर्ष के दौरान परियोजनाओं की स्वीकृति चल रही परियोजनाओं की देयताओं को पूरा करने के पश्चात् विभाग में उपलब्ध निधियों, चल रही परियोजनाओं में हुई प्रगति, राज्य में विकसित की जाने वाली बंजरभूमि के क्षेत्र, कार्यान्वयन की क्षमता आदि को ध्यान में रखते हुए दी जाती है। तथापि परियोजनाएं इस विषय से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिएं।

(ङ) और (च) वाटरशेड विकास के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत 1.4.1995 से लागू हुए थे। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को और अधिक लचीलापन लाने, पंचायती राज संस्थाओं के लिए लक्ष्योन्मुखी भूमिका सुनिश्चित करने, दो प्रकार का दृष्टिकोण अपनाने, एग्जिट प्रोटोकॉल तथा परियोजना के कार्यान्वयन और परियोजना पूरी होने के पश्चात् इसके रख-रखाव में अधिक सामुदायिक भागीदारी की व्यवस्था करने हेतु संशोधित किया गया है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	नौवीं पंचवर्षीय वर्ष योजना के दौरान चल रही समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) परियोजनाओं की संख्या	वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान (17.7.2001 तक) जारी की गई निधियां (लाख रुपये में)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	26	2077.93
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	–
3.	असम	15	772.57
4.	बिहार	1	–
5.	छत्तीसगढ़	5	413.99
6.	गुजरात	20	758.14
7.	हिमाचल प्रदेश	17	888.65
8.	हरियाणा	3	51.23
9.	जम्मू और कश्मीर	3	272.06
10.	झारखंड	3	74.21
11.	कर्नाटक	14	432.11
12.	केरल	3	197.22
13.	महाराष्ट्र	16	550.54
14.	मेघालय	7	142.28
15.	मणिपुर	7	379.56
16.	मध्य प्रदेश	28	1627.98
17.	मिजोरम	7	451.32
18.	नागालैंड	12	1039.48
19.	उड़ीसा	21	547.00
20.	पंजाब	1	139.83
21.	राजस्थान	22	971.86
22.	सिक्किम	7	203.00
23.	तमिलनाडु	20	809.87
24.	उत्तर प्रदेश	34	1538.18
25.	उत्तरांचल	5	327.03
	योग	298	14666.04

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में केन्द्रीय मंत्री पर हमला

***36. **श्री माणिकराव होडल्या गावित:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक केन्द्रीय मंत्री के 23.6.2001 के कश्मीर दौरे के दौरान आतंकवादियों ने उनके हेलीकाप्टर पर हथगोला फेंक कर हमला किया था जिसमें वे मंत्री बाल-बाल बच गए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कश्मीर में गत कुछ माह के दौरान आतंकवादी गतिविधियों में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है क्योंकि केन्द्रीय मंत्री पर हमले की यह दूसरी घटना है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी गतिविधियों को रोकने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कम उठाए जा रहे हैं और इस संबंध में अभी तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है तथा तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) 23.6.2001 को आतंकवादियों ने केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्री ओमर फारूक अब्दुल्ला को ले जारे हैलीकॉप्टर पर उस समय राकेट फायर किए जब वह सोगाम, जिला कुपवाड़ा में उतरने ही वाला था। सौभाग्य से मंत्री घायल होने से बच गए। हैलीकॉप्टर को तुरंत जिला पुलिस लाईंस, कुपवाड़ा की तरफ मोड़ दिया गया जहां से वे श्रीनगर लौट गए।

(ग) जनवरी से जून, 2001 तक की आतंकवादी घटनाओं और आतंकवाद सम्बन्धी मौतों के महीने-वार आंकड़े निम्न प्रकार हैं:-

महीना	घटनाएं	मारे गए सिविलियन	मारे गए सुरक्षाकर्मी	मारे गए आतंकवादी
जनवरी	370	74	38	78
फरवरी	286	77	40	87
मार्च	299	66	62	98
अप्रैल	367	79	53	118
मई	411	88	40	159
जून	372	58	45	217

(घ) सरकार ने जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों और घुसपैठ को नियंत्रित करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, सीमा-प्रबन्धन का सुदृढ़ीकरण, भीतरी प्रदेश में समुचित सुरक्षा कार्रवाईयां, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के साथ-साथ दूर-दराज में रहने वाले लोगों, छितराई आबादी और अल्प संख्यकों को सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा बलों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी, हथियार और उपस्कर, एकीकृत मुख्यालय और निचले स्तरों पर आपरेशन ग्रुपों और आसूचना ग्रुपों के ढांचे के माध्यम से व्यापक कार्यात्मक एकीकरण आदि शामिल हैं।

जहां तक अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा का सम्बन्ध है, जब कभी इस संबंध में जानकारियां प्राप्त होती हैं तो सम्बन्धित राज्य सरकारों को सतर्क कर दिया जाता है और वे सावधिक खतरे के आकलन के आधार पर विशिष्ट व्यक्तियों को समुचित सुरक्षा उपलब्ध कराती है। जम्मू और कश्मीर में राज्य सरकार अतिविशिष्ट व्यक्तियों को इस प्रकार की सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करती है जबकि दिल्ली में अति विशिष्ट व्यक्तियों को आवश्यक सुरक्षा दिल्ली पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 1 जनवरी, 2001 से 15 जुलाई, 2001 की अवधि के दौरान आतंकवाद से संबंधित घटनाओं के संबंध में 56 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं।

[अनुवाद]

राजधानी में अपराध दर

***37. श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के रिकार्ड के अनुसार अन्य महानगरों की तुलना में राजधानी में अपराध दर सर्वाधिक पाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य महानगरों की तुलना में राजधारी में सर्वाधिक अपराध दर होने के कारणों का पता लगाने के बारे में कोई गहन अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राजधानी में अपराधों को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा किये गये अपराध रिकार्ड के नवीनतम संकलन के अनुसार, वर्ष 1999 के

दौरान देश के प्रमुख महानगरों में प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर निम्न प्रकार थी:

क्रम सं.	शहर	अपराध दर
1.	बंगलौर	507.6
2.	भोपाल	589.6
3.	चेन्नई	103.0
4.	दिल्ली	454.6
5.	इन्दौर	609.3
6.	जयपुर	586.0
7.	कोलकाता	89.3
8.	मुम्बई	163.7
9.	नागपुर	466.1

(ग) और (घ) दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को अपराध प्रवृत्ति का विश्लेषण करने और अपराध बहुल क्षेत्रों की शिनाख्त करने और अपराध को रोकने के लिए उपयुक्त नीति बनाने का कार्य दिया गया है। राजधानी में उच्च अपराध दर का मुख्य कारण जनसंख्या में तेजी से वृद्धि, बड़ी संख्या में आने-जाने वाली जनसंख्या, आर्थिक विषमताएं और सामान की आसानी से उपलब्धता तथा भीतरी प्रदेश का न होना और सुभेद्य सीमा इत्यादि माना जाता है।

(ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में, बीट गश्त को गहन करना, सामरिक महत्व के स्थानों पर सशस्त्र टुकड़ियों की तैनाती, आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करना, अपराधियों और आतंकवादियों के संदिग्ध ठिकानों पर कड़ी निगरानी रखना और बार-बार छापे मारना, घरेलू नौकरों और किराएदारों के पूर्ववृत्तों का सत्यापन करना, अपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों पर निगरानी बढ़ाना, पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों के सात समन्य बैठकें करना, रेजीडेन्ट वेलफैयर एसोसिएशनों के सदस्यों के साथ बैठकें करना, प्रत्येक पुलिस जिले में आतंकवादी-विरोधी एककों का गठन करना और चलती बसों, बाजारों, व्यापारिक स्थानों और अन्य अपराध बहुल स्थानों पर सादे कपड़ों में पुलिस कार्मिकों की तैनाती करना सम्मिलित है।

राज्यों में नक्सलवादी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने में होने वाले खर्चे की प्रतिपूर्ति

*38. **श्री नरेश पुगलिया:**
श्री राजैया मल्याला:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा उनके राज्यों में नक्सलवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने में होने वाले खर्च की 50 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति करती थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के शुरू होने से लेकर अब तक केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को वर्ष-वार कितनी धनराशि की प्रतिपूर्ति की है;

(घ) क्या इस योजना की अवधि और आगे बढ़ाई गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या कुछ राज्य सरकारों ने नक्सलवाद की समस्या से निपटने हेतु एक योजना केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ङ) सरकार ने नक्सलवादी गतिविधियों की समस्या से निपटने में राज्यों द्वारा किए गए सुरक्षा संबंधी व्यय के 50% की प्रतिपूर्ति करने के लिए एक योजना क्रियान्वित की है। यह प्रतिपूर्ति, राज्य पुलिस को संक्रियात्मक रूप से और अधिक कारगर बनाने के लिए जरूरी मदों, राज्यों द्वारा केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल/सेना की तैनाती हेतु आवश्यक प्रावधानों पर किए गए व्यय, आतंकवादी हिंसा के शिकार व्यक्तियों को अनुग्रहपूर्वक अनुदान तथा आनुग्राहिक राहत इत्यादि के लिए की जाती है। यह योजना राज्यों के प्रभावित जिलों के लिए है। अभी तक राज्य सरकारों को निम्नलिखित धनराशि की प्रतिपूर्ति की गई है:

	1.4.1996 से 31.3.1999 तक	1.4.1999 से 31.3.2000 तक
आन्ध्र प्रदेश	30.46 करोड़ रु.	6.74 करोड़ रु.
बिहार	28.80 करोड़ रु.	–
मध्य प्रदेश	5.00 करोड़ रु.	1.42 करोड़ रु.
महाराष्ट्र	1.96 करोड़ रु.	0.50 करोड़ रु.
उड़ीसा	3.58 करोड़ रु.	1.91 करोड़ रु.
कुल	69.80 करोड़ रु.	10.57 करोड़ रु.

इस योजना को 31.3.2001 से आगे पांच वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। झारखंड और छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों के चुनिंदा जिले भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं।

(च) से (ज) विकास और सुरक्षा पहलुओं को शामिल करते हुए आंध्र प्रदेश (1299.19 करोड़ रु.), बिहार (1862.72 करोड़ रु.), छत्तीसगढ़ (572 करोड़ रु.), मध्य प्रदेश (615 करोड़ रु.), महाराष्ट्र (838 करोड़ रु.) और उड़ीसा (268.84 करोड़ रु.) की एकीकृत कार्य योजनाएं प्राप्त हुई हैं। इन योजनाओं की जांच करने के पश्चात्, योजना आयोग ने प्रशासन को जिम्मेवार बनाने हेतु संस्थागत उपायों और लोगों को व्यापक रूप से शामिल करके वितरण तंत्र को सुदृढ़ करने के संबंध में कतिपय मुद्दों को उठाया है। आयोग ने इस संबंध में विस्तृत रणनीति तैयार कने का सुझाव दिया है, जिसके कतिपय पहलुओं का समर्थन किया जा सकता है। संबंधित राज्य सरकारों को तदनुसार सलाह दी गई है।

मेगा सिटी परियोजनाएं

*39. **श्री चन्द्रेश पटेल:**
श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मेगा सिटी परियोजनाओं के लिए नगरों का चयन करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार कुछ और शहरों को मेगा सिटी परियोजनाओं में शामिल करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) अहमदाबाद को इस परियोजना में शामिल न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) मेगा सिटी परियोजनाओं के लिए जिन राज्यों के नगरों का चयन किया गया है उन्हें दिए रहे लाभों का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ङ) 1991 की जनगणना के अनुसार 40 लाख से अधिक आबादी वाले शहर मेगा सिटी स्कीम के अन्तर्गत वित्तपोषण के लिए पात्र हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बंगलौर की आबादी 40 लाख से अधिक थी अत: इन शहरों को मेगा सिटी स्कीम के अन्तर्गत वित्तपोषण के लिए चुना गया।

मेगा सिटी स्कीम के अन्तर्गत और शहरों को शामिल करने का इस समय सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अहमदाबाद शहर की आबादी भारत की जनणना 1991, जनगणना खण्ड भाग-2-ए (2)- ए सीरीज, सीरीज 1-भारत, के अनुसार 33.12 लाख है, इस स्कीम हेतु शहरों के चयन का आबादी के अतिरिक्त कोई अन्य मानदण्ड नहीं है।

स्कीम के अन्तर्गत, बढ़ती शहरी जरूरतों को पूरा करने के लिए शहरी सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, शहरी नवीकरण, सर्विस भूमि और स्थलों/किफायती मकानों के प्रावधान, विशेषतया शहरी गरीबों के लिए किफायती मकानों में वृद्धि स्लम सुधार और पुनर्वास परियोजनाओं, परिवहन कठिनाइयों को दूर करने के लिए मैट्रोपोलिटन क्षेत्रों के अन्तर्गत मुख्य/उप मुख्य मार्गों का निर्माण/सुधार/विस्तार, मेगा शहरों के चारों ओर मुद्रिका मार्गों की स्थापना, ट्रक टर्मिनलों के निर्माण और विकास अथवा विस्तार, शहरों में जल आपूर्ति और सीवरेज और जल निकासी प्रणालियों के सुधार कचरा अथवा विस्तार शहरों में जल आपूर्ति और सीवरेज और जल निकासी प्रणालियों के सुधार, कचरा निपटान स्कीमें और शहर में ही शहरी कचरा, कंपोस्टिंग संयत्र लगाने, पर्यावरणीय सुधार और सफाई तथा शहर सौन्दर्यकरण स्कीमों, बड़े वाणिज्यिक और व्यापार परिसरों तथा राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्रों, विश्व व्यापार और प्रदर्शनी स्थलों तथा इसी प्रकार के अन्य केन्द्रों के निर्माण, कामकाजी महिला होस्टलों, पर्यटक परिसरों, (होटल नहीं), बारात घरों, वृद्धावस्था और निराश्रित बाल गृहों, सामुदायिक शौचालयों सहित रैन बसेरों आदि जैसे भवनों के निर्माण से संबंधित अवस्थापना परियोजनाएं शामिल हैं।

वित्तपोषण पैटर्न में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा 25-25 प्रतिशत अनुदान तथा शेष 50% राशि संस्थागत वित्त से जुटाने का प्रावधान है। परियोजनाएं राज्य स्तरीय परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा मंजूर की जाती है।

एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्यपुस्तकों में असंतुलन

*40. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एन.सी.ई.आर.टी. की इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में भारी क्षेत्रीय असंतुलन है;

(ख) क्या सरकार को इसकी भी जानकारी है कि पूर्वोत्तर भारत के प्राचीन और मध्य-कालीन इतिहास की उपेक्षा की गई है;

(ग) क्या जिन्ना के कुचक्र के बावजूद लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई के असम के भारत में विलय कराने जैसे महत्वपूर्ण योगदान का कहीं भी उल्लेख नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् एक स्वायत्त निकाय है। स्कूल पाठ्यपुस्तक लेखन के सम्बन्ध में उनकी स्वतंत्र शैक्षिक प्रणाली है। तथापि, राज्य सरकारें और राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्य पुस्तकों को अपनाने/उन्हें अनुकूल बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछली पुस्तकों के अवलोकन से यह पाया गया कि इतिहास की कुछ पुस्तकों में उत्तर-पूर्व भारत के इतिहास की कम जानकारी दी गई है। यह भी पाया गया कि लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई के योगदान का उल्लेख नहीं है। अब नई स्कूल पाठ्य-पुस्तकों में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि इस प्रकार का क्षेत्रीय असंतुलन न रहे।

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास में निवेश

231. श्री राजो सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान देश में मानव संसाधन विकास की विभिन्न परियोजनाओं में किए गए निवेश का राज्य-वार और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में राज्य-वार विशेषकर बिहार में कितने तकनीकी संस्थान चल रहे हैं; और

(ग) सरकार का देश में मानव संसाधन विकास के संवर्द्धन हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) शिक्षा के क्षेत्र में मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत चालू वित्त वर्ष (2001-2002) के दौरान किए गए आवंटनों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इन योजनाओं के तहत राज्य-वार आवंटन सामान्यतया राज्य सरकारों/स्वैच्छिक एजेंसियां से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर किए जाते हैं।

(ख) देश में तकनीकी संस्थानों की संख्या से संबंधित राज्य-वार सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में अधिकतर केन्द्रीय योजनाएं/कार्यक्रम देशभर में सुपरिचित हैं। राज्य सरकारों से भी समय-समय पर अनुरोध किया जाता है कि वे इन योजनाओं का व्यापक प्रचार करें।

विवरण-I

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	वर्ष 2001-2002 में आवंटित निधि
1	2	3
1.	ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड	520.00
2.	शिक्षक शिक्षा	220.00
3.	शिक्षा गारंटी योजना एवं वैकल्पिक नवाचार शिक्षा	400.00
4.	प्राथमिक शिक्षा का राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम	930.00
5.	सर्व शिक्षा अभियान	500.00
6.	राष्ट्रीय महिला शिक्षा कार्यक्रम	10.00
7.	शिक्षाकर्मी परियोजना	30.00
8.	लोक जम्बिश	59.00
9.	महिला सामाख्या कार्यक्रम	11.00
10.	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (जि.प्र.शि.का.)	1100.00
11.	प्राथमिक शिक्षा के लिए भारत सरकार यू.एन. का संयुक्त कार्यक्रम	10.00
12.	साक्षरता अभियान एवं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड	27.00
13.	नवसाक्षरों के लिए सतत शिक्षा	108.50
14.	जन शिक्षण संस्थान	25.00
15.	सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम	0.04

1	2	3
16.	प्रौढ़ शिक्षा में जनसंख्या शिक्षा	2.24
17.	गैर-सरकारी संस्थाओं को सहायता	15.00
18.	स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा (क्लास)	84.50
19.	विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा (आई.ई.डी.सी.)	21.40
20.	शिक्षा का व्यवसायीकरण	42.70
21.	स्कूल शिक्षा में पर्यावरणीय प्रबोधन	2.60
22.	विज्ञान प्रयोगशालाओं की प्रोन्नति	18.00
23.	योग की प्रोन्नति	0.30
24.	शैक्षिक प्रौद्योगिकी	13.70
25.	लड़कियों के लिए छात्रावास सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता	4.30
26.	राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना	3.50
27.	नवाचारी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने वाली शैक्षिक संस्थाओं में सांस्कृतिक/कला मूल्यों को सुदृढ़ करना	4.30
28.	राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना	0.01
29.	लड़कियों के लिए नि:शुल्क शिक्षा	1.00
30.	हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति	10.00
31.	भारतीय भाषाओं के केन्द्रीय संस्थान की गैर-सरकारी संगठनों/क्षेत्रीय भाषा केन्द्रों की योजना	5.00
32.	शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम	20.00
33.	शिक्षा में संस्कृति एवं मूल्यों को सुदृढ़ करना	5.00
34.	संस्कृत शिक्षा का विकास	10.50
35.	मदरसा का आधुनिकीकरण	10.50
36.	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना	2.00
37.	ग्रामीण क्षेत्रों में मेधावी बच्चों के लिए छात्रवृत्तियां	1.00
38.	पुस्तक प्रोन्नति कार्यकलाप एवं स्वैच्छिक एजेंसियां	0.50
39.	प्रतिलिप्यधिकार के मामलों पर सेमिनार एवं कार्यशालाएं आयोजित करना	0.90
40.	बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों पर वित्तीय सहायता	2.80
41.	शिक्षा नीति के कार्यान्वयन का मूल्यांकन, सेमिनार और अध्ययन की योजना	1.00
42.	तकनीकी शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्र	7.00
43.	सूचना प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	0.01
44.	तकनीकी शिक्षा में उप क्षेत्र विकास कार्यक्रम	0.01

विवरण-II

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	तकनीकी संस्थानों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	538
2.	अण्डमान एवं निकोबार	2
3.	अरूणाचल प्रदेश	2
4.	असम	25
5.	बिहार	72
6.	चंडीगढ़	13
7.	दमन एवं दीव	1
8.	दिल्ली	91
9.	गोवा	17
10.	गुजरात	129

1	2	3
11.	हरियाणा	100
12.	हिमाचल प्रदेश	25
13.	जम्मू एवं कश्मीर	39
14.	कर्नाटक	566
15.	केरल	128
16.	मध्य प्रदेश	185
17.	महाराष्ट्र	615
18.	मणिपुर	6
19.	मेघालय	3
20.	मिजोरम	4
21.	नागालैंड	2
22.	उड़ीसा	132
23.	पांडिचेरी	16
24.	पंजाब	91
25.	राजस्थान	110
26.	सिक्किम	5
27.	तमिलनाडु	713
28.	त्रिपुरा	4
29.	उत्तर प्रदेश	389
30.	पश्चिम बंगाल	122
	कुल	4145

कीटनाशकों का उत्पादन और उनका दुष्प्रभाव

232. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कीटनाशक दवाओं का उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) उक्त फैक्ट्रियों में उत्पादन की जा रही कीटनाशकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कीटनाशक दवाओं के दुष्प्रभाव के कारण वर्ष 1995 से 2000 के दौरान उक्त फैक्ट्रियों में कितने लोग बीमार हुए और उक्त अवधि के दौरान इन बीमारियों के कारण राज्य-वार और रोग-वार कितने श्रमिकों की मृत्यु हई; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी बीमारियों से श्रमिकों को बचाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) कीटनासी कारखानों के लिए विनिर्माण लाइसेंस राज्य सरकारों द्वारा जारी किए जाते हैं।

(ग) ये आंकड़े इस मंत्रालय में नहीं रखे जाते हैं।

(घ) कीटनाशी अधिनियम, कारखाना अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों सहित विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं।

[अनुवाद]

कुद्रेमुख से लौह अयस्क का निर्यात

233. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक के कुद्रेमुख क्षेत्र से निकाले जाने वाले लौह अयस्क का निर्यात जापान को किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया गया;

(ग) क्या यह सही है कि कुद्रेमुख के लौह अयस्क में सोने की मात्रा अधिक है जो हमारे देश के लिए सस्ती पड़ेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं या किए जाने का विचार है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) जी, हां। कुद्रेमुख आयरन और कंपनी लिमिटेड जापान को लौह अयस्क सांद्रण, लौह अयस्क पैलेट तथा पैलेट चूर्ण का निर्यात करती है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान के आई ओ सी एल द्वारा जापान को निर्यात की गई कुल मात्रा निम्नानुसार है:-

मात्रा: ड्राई मीट्रिक टन में

वर्ष	सांद्रण	पेलेट्स	पेलेट्स चूर्ण
2000-2001	836089	61588	31054
1999-2000	962329	81109	81334
1998-1999	1048840	188151	62277

(ग) से (ङ) कुद्रेमुख में लौह अयस्क पछोड़न के संबंध में किए गए प्रारंभिक परीक्षणों से उसमें सोने के अंश होने के संकेत मिले हैं जो इतने कम हैं कि उनका निष्कर्षण आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।

भू-संसाधन प्रबंधन संबंधी सम्मेलन

234. डा. राम चन्द्र डोम: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवम्बर, 2000 को दिल्ली में आयोजित भू-संसाधन प्रबंधन संबंधी सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को सरकार द्वारा कार्यान्वित कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2001-2002 की वार्षिक योजना में पनधारा विकास तथा ग्रामीण भारत के स्वरूप में सुधार करने के बारे में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही गयी है;

(घ) देश के भू-संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम में केन्द्र और राज्यों का हिस्सा कितना है;

(ङ) क्या केन्द्र और राज्य स्तर पर वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियों को अद्यतन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) खाद्य, रोजगार और पर्यावरण सुरक्षा के संबंध में भूमि संसाधन प्रबंधन के बारे में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 9 नवम्बर से 13 नवम्बर, 2000 तक सोसाइटी अधिनियम के तहत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत भारतीय भू-संरक्षण सोसाइटी (एस.सी.एस.आई.) द्वारा किया गया था और इसका आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि संसाधन विकास द्वारा नहीं किया गया था। अन्यों के साथ-साथ भूमि संसाधन विभाग ने भी इस सम्मेलन के लिए भारतीय भू-संरक्षण सोसाइटी को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी थी।

(ग) और (घ) भूमि संसाधन विभाग, वाटरशेड विकास के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत वाटरशेड पद्धति के जरिए तीन मुख्य भूमि विकास/क्षेत्र विकास कार्यक्रम नामत: समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) तथा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) कार्यान्वित कर रहा है। समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है जिसके तहत केन्द्र सरकार द्वारा शत प्रतिशत वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। मरूभूमि विकास कार्यक्रम तथा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच 75:25 की वित्तपोषित पद्धति के साथ केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं है। इन तीनों कार्यक्रमों के लिए लागू वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों में इन कार्यक्रमों के तहत वाटरशेट विकास परियोजनाओं को तैयार करने तथा कार्यान्वित करने में लोगों की भागीदारी की पहले ही परिकल्पना की गयी है। फिर भी वाटरशेड विकास संबंधी संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों में सामुदायिक भागीदारी पर और अधिक बल दिया गया है।

(ङ) और (च) गत तीन वर्षों के दौरान इन तीनों कार्यक्रमों के तहत जारी निधियां तथा स्वीकृत की गयी नई परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	परियोजना का नाम	(चालू और नई परियोजनाओं के लिए) जारी की गई निधियां (करोड़ रुपये में)				स्वीकृत की गई नई परियोजनाएं (क्षेत्र लाख हैक्टेयर में)			
		1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002 30.6.2001 तक)	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002 (30.6.2001 तक)
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	73.00	94.99	189.78	10.55	4.40	11.39	16.85	शून्य

1		2	3	4	5	6	7	8	9
2.	मरूभूमि विकास कार्यक्रम	79.80	84.99	134.99	27.48	2.00	7.50	8.30	शून्य
3.	समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम	62.00	83.07	127.78	13.77	5.18	7.01	11.03	शून्य
	योग	214.80	263.05	452.55	51.80	11.58	25.90	36.18	शून्य

देश में केन्द्रीय विद्यालय

235. श्री टी. गोविन्दन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में किसी नए केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नए केन्द्रीय विद्यालय शुरू करने की गति धीमी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार के पास लंबित आवेदनों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसधान विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन शैक्षिक वर्षों के दौरान वर्ष-वार तथा राज्य-वार खोले गए/पुन:स्थापित किए गए केन्द्रीय विद्यालयों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) और (घ) हालांकि नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए कुछ आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं परंतु बजटीय कमियों के कारण सिविल/रक्षा क्षेत्र में और नए केन्द्रीय विद्यालय नहीं खोले गये हैं।

(ङ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पास लम्बित पड़े आवेदन पत्रों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

पिछले तीन शैक्षिक वर्षों के दौरान बंद किए गए केन्द्रीय विद्यालयों के स्थान पर खोले गए/पुन: स्थापित किए गए केन्द्रीय विद्यालयों की सूची

क्र. सं.	स्थान, जहां विद्यालय खोले गए	राज्य	क्षेत्र	कैफियत
1	2	3	4	5
		1998-99		
1.	उड़ी	जम्मू व कश्मीर	परियोजना	
2.	सालबनी	पश्चिम बंगाल	परियोजना	
		1999-2000		
1.	एन टी पी सी, कायमकुलम	केरल	परियोजना	
2.	मंदसौर	मध्य प्रदेश	सिविल	केन्द्रीय विद्यालय नं. 2 मिस्सामारी जिसे केन्द्रीय विद्यालय नं. 1 मिसामारी के साथ मिला दिया गया था, के स्थान पर खोला गया।

1	2	3	4	5
3.	आई टी बी पी, गौचर	उत्तर प्रदेश	सिविल	केन्द्रीय विद्यालय जॉबनेर के स्थान पर
4.	धारचुला	उत्तर प्रदेश	परियोजना	
5.	मुजफ्फरनगर	उत्तर प्रदेश	सिविल	केन्द्रीय विद्यालय फतेहपुर के स्थान पर
6.	रूड़की नं. 2	उत्तर प्रदेश	रक्षा	केन्द्रीय विद्यालय नं. 2 के स्थान पर खोला गया जिसे केन्द्रीय विद्यालय न. बेंगदुबी के साथ मिला दिया गया था।
7.	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	दिल्ली	उच्च अध्ययन	केन्द्रीय विद्यालय कूपवाड़ा के स्थान पर खोला गया (केन्द्रीय विद्यालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की संस्वीकृति वर्ष 2001-2002 में वापिस ले ली गई।
8.	एस पी जी, पपनकला, द्वारका	दिल्ली	सिविल	केन्द्रीय विद्यालय नं. 3 तेजपुर, असम के स्थान पर खोला गया जिसे केन्द्रीय विद्यालय नं. 2 तेजपुर के साथ मिला दिया गया था।
	2000-2001			
1.	चामेरा नं. 2 एन एच पी सी	हिमाचल प्रदेश	परियोजना	
2.	सिलवासा	दादर व नगर हवेली	सिविल	केन्द्रीय विद्यालय नं. 4 झांसी के स्थान पर खोला गया जिसे केन्द्रीय विद्यालय नं. 3 के साथ मिला दिया गया था।

विवरण-II

सिविल/रक्षा क्षेत्र में (जहां पर प्रायोजकों ने अपेक्षित बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना स्वीकार किया है) नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने हेतु लम्बित पड़े आवेदनों/प्रस्तावों की सूची

क्र. सं.	स्थान तथा राज्य का नाम	द्वारा प्रायोजित	क्षेत्र
1	2	3	4
	असम (पूर्वोत्तर)		
1.	पी.टी.सी., डेरगांव	राज्य सरकार	सिविल
	त्रिपुरा (पूर्वोत्तर)		
2.	बी.एस.एफ. खसाईमंगल, तेलियामरा	गृह मंत्रालय	सिविल
	बिहार		
3.	बी.आर.सी., दानापुर	रक्षा मंत्रालय	रक्षा

1	2	3	4
4.	फोर्ब्सगंज, जिला-अररिया	राज्य सरकार	सिविल
5.	पूर्णिया	-वही-	-वही-
	केरल		
6.	पलयाड़, थालासेरी	-वही-	-वही-
	उड़ीसा		
7.	क्योंझर	-वही-	-वही-
	पश्चिम बंगाल		
8.	बोलपुर	कलक्टर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, बोलपुर	-वही-
9.	दुर्गापुर	गृह मंत्रालय	-वही-
10.	बी.एस.एफ., रानीनगर	-वही-	-वही-
	महाराष्ट्र		
11.	सांगली	राज्य सरकार	-वही-
	राजस्थान		
12.	बी.एस.एफ., पोखरन	गृह मंत्रालय	-वही-
	उत्तर प्रदेश		
13.	एटा	राज्य सरकार	-वही-
14.	ग्रेटर नोएडा	के.वि.एस. (मुख्यालय)	सिविल
15.	रक्षा विहार, कानपुर	रक्षा मंत्रालय	रक्षा
	कर्नाटक		
16.	बगलकोट	राज्य सरकार	सिविल
	मध्य प्रदेश		
17.	जी.सी., सी.आर.पी.एफ., बंगरसिया	गृह मंत्रालय	सिविल
	दिल्ली		
18.	बसंत कुंज	के.वि.एस. (मुख्यालय)	-वही-
19.	सेक्टर 25, रोहिणी	-वही-	-वही-
20.	सेक्टर 5, द्वारका	-वही-	-वही-

1	2	3	4
21.	सेक्टर 12, द्वारका	के.वि.एस. (मुख्यालय)	सिविल
22.	सेक्टर 22, रोहिणी	-वही-	-वही-
23.	नरेला	-वही-	-वही-

समिति का गठन

236. श्री रामजी मांझी: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** समिति के गठन के बारे में 27.2.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 865 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) सूचना एकत्र कर ली गई है और आश्वासन की पूर्ति की सूचना संसदीय कार्य मंत्रालय को भेज दी गई है।

उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण और आयुक्त, दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं. 1833/94- न्यू फ्रैन्ड्स को-ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी बनाम डीडीए व अन्य में कहा था कि इस याचिका में उल्लिखित सम्पत्तियों के संबंध में जिन व्यक्तियों ने भवन योजना आंचलिक विकास योजना तथा मास्टर प्लान का उल्लंघन किया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए वे एक समन्वय समिति बनाएंगे।

दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि अनधिकृत निर्माणों/भवनों और दोषी अधिकारियों का पता लगा लिया गया है और दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष तथ्य भी पेश किए जा चुके हैं। उपर्युक्त कोर्ट केस में उल्लिखित संपत्तियों के मामले में दिल्ली नगर निगम ने अभी तक 14 मामलों में सील करने/गिराने की कार्रवाई की है।

सलेम इस्पात संयंत्र

237. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सलेम इस्पात संयंत्र के काफी शेयरों के विनिवेश के बाद इसके कार्यकरण और कार्य निष्पादन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विनिवेश के बाद कामगार और दिहाड़ी श्रमिक सुरक्षित तथा संरक्षित हो गये हैं;

(घ) यहि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो वर्तमान संदर्भ में सरकार किस तरह से उनके हितों की रक्षा कर पायेगी?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) सेलम इस्पात संयंत्र (एस एस पी) अभी भी सेल का एक हिस्सा है और इसके शेयरों का विनिवेश नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ) सरकार के निर्णय के अनुसार सेलम इस्पात संयंत्र (एस एस पी) का संयुक्त उद्यम में परिवर्तन इस शर्त पर ही होगा कि एस एस पी में कार्य कर रहे सभी कार्मिकों को समाहित किया जाए और मौजूदा क्षतिपूर्ति पैकेजों तथा अन्य सेवा शर्तों को पूरी तरह से बरकरार रखा जाए।

एन.पी.पी.ए. की सिफारिशें

238. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नेशनल प्राइसिंग पालिसी अथारिटी (एन.पी.पी.ए.) द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार मानदंडों की समीक्षा करने हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के नेतृत्व में एक कृतक बल नियुक्त किया गया था और ज्ञान आधारित समाज संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त कृतक बल द्वारा इसे स्वीकार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो एन.पी.पी.ए. द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन मंत्रालयों के नाम क्या हैं और जिन्हें इस मामले में प्रतिनिधित्व करने और अपना विचार रखने के लिए कहा गया था?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ भारत में भेषज उद्योग की स्थिति का मूल्यांकन करने तथा इनमें से प्रत्येक क्षेत्र के लिए अपेक्षित रणनीति का पता लगाने के लिए डा. मुरली मनोहर जोशी, मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में भेषज और ज्ञान आधारित उद्योगों पर टास्क फोर्स का गठन किया है ताकि यह उद्योग विश्व में अग्रणी बन सके। इस टास्क फोर्स में वित्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, संसदीय कार्य तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालयों के सदस्य शामिल हैं।

[हिन्दी]

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना संबंधी अध्ययन

239. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पी.ए.ओ.) ने गुजरात में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के संबंध में अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या इस पर किए गए अध्ययन से यह पता चला है कि पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत प्रदत्त धनराशि का उपयोग राज्य की कुछ पंचायतों ने नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) योजना आयोग के अंतर्गत कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पी.ए.ओ.) नामक कोई भी संगठन नहीं है। तथापि, योजना आयोग का कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पी.ई.ओ.) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न केन्द्र द्वारा प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र कार्यक्रमों पर अनुसंधान/मूल्यांकन अध्ययन करता है। पी.ई.ओ. ने जवाहर ग्राम समृद्धि योजना पर कोई अध्ययन नहीं किया।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

झुग्गी निवासियों का पुनर्वास

240. **श्री पवन कुमार बंसल:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चंडीगढ़ को झुग्गी मुक्त बनाने की योजना का परित्याग कर दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गैर-नियोजित मजदूर कालोनियों की संख्या कितनी है और ऐसी कालोनियों में कितने परिवार रह रहे हैं;

(घ) उनको पुनर्वासित कराने के लिए क्या समय निश्चित किया गया है; और

(ङ) सार्वजनिक भूमि पर नए अतिक्रमण रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) चंडीगढ़ प्रशासन ने बताया है कि वे ''लायसेंसिंग ऑफ टेनेमेन्ट्स, साइट्स एक सर्विसेज चंडीगढ़ स्कीम, 1979'' नाम एक स्कीम कार्यान्वित कर रहे हैं तथा यह स्कीम काफी लोकप्रिय है। इस स्कीम के तहत पूर्वनिर्दिष्ट मजदूर कॉलोनियों में रहने वाले स्लम वासियों का पुनर्वास किया जाता है। वर्तमान में कुछ अन्य छोटी मजदूर कॉलोनियों के अलावा दो बड़ी मजदूर कॉलोनियों, अर्थात् जनता एवं कुम्हार कॉलोनियों में पुनर्वास कार्य चल रहा है।

(ग) और (घ) गैर-नियोजित मजदूर कॉलोनियों तथा इनमें रहने वाले परिवारों की संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, चंडीगढ़ प्रशासन से प्रायोजित एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा किए गए क्षेत्र अध्ययन (फील्ड स्टडी) से पता चला है कि करीब 24 अनधिकृत मजदूर कॉलोनियां हैं जिनमें लगभग 52,000 परिवार हैं। पुनर्वास के लिए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं निर्धारित की गई हैं क्योंकि स्व-स्थाने पुनर्वास या कहीं और पुनर्स्थापन का निर्णय पर्यावरण तथा नगर-नियोजन को ध्यान में रखते हुए किया जाना है।

(ङ) अपने अतिक्रमण रोधी स्टाफ के माध्यम से चंडीगढ़ नगर निगम नये अतिक्रमण को रोकने के लिए पूरे शहर में निगरानी कर रहा है तथा साथ-साथ यह चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा

नियुक्त अतिक्रमण रोधी मजिस्ट्रेट के साथ समन्वय करते हुए सार्वजनिक भूमि से पुराने अतिक्रमणों को लगातार हटाता रहा है।

तिहाड़ जेल में सेलफोन

241. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्य **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तिहाड़ जेल में कई कैदी सेलफोन रखते हुए पाए गए हैं और उन मोबाइल फोनों की सहायता से अपनी देशद्रोही गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तिहाड़ जले में कितने कैदियों के पास सेलफोन हैं;

(ग) क्या यह पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है कि ये फोन पाने में कैसे सफल हो जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ङ) क्या सरकार का विचार सेलफोनों को नाकाम करने के लिए तिहाड़ जेल में जैमर लगाने का है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) तिहाड़ जेल में मोबाइल फोन ले जाने को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) पिछले दो वर्षों के दौरान, दो अलग-अलग घटनाओं में केन्द्रीय कारागार, तिहाड़ के दो कैदियों से एक सेलफोन और एक सिम कार्ड बरामद किया गया था।

(ग) और (घ) 26 अप्रैल, 2000 को एक सेलफोन केन्द्रीय कारागार, तिहाड़ की कारागार संख्या 3 के एक कैदी से बरामद किया गया था। जेल प्रशासन द्वारा की गई जांच-पड़ताल से पता चला है कि यह फोन साक्षात्कार के दौरान इसे मिलने आए व्यक्ति द्वारा उसे दी गई वस्तुओं में से एक में छुपाया गया था।

दोबारा, 7 नवम्बर, 2000 को कारागार प्राधिकारियों द्वारा की गई अचानक तलाशी के दौरान केन्द्रीय कारागार, तिहाड़ की कारागार संख्या 4 में एक कैदी की कोठरी से दो साकेट और एक सिम कार्ड सहित कुछ निषिद्ध वस्तुएं बरामद की गई थी। सिम कार्ड को कोठरी में रखे ट्रांजिस्टर में छुपा हुआ पाया गया था। यद्यपि, सेल फोन को खोजने के प्रयास किए गए, लेकिन उसका पता नहीं लग सका।

(ङ) और (च) कारागार परिसर में एक सेल फोन जैमर लगाया गया है और उसे बारी-बारी से प्रत्येक कारागार में इस्तेमाल किया जाता है।

(छ) जेल में अंदर मोबाइल फोनों को ले जाने को रोकने के लिए जेल प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों में, जेल परिसर में दाखिल होने से पूर्व और बाहर जो समय स्टाफ और आंगतुकों की तलाशी और जामा-तलाशी, वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में अचानक तलाशियां लेना और निषिद्ध वस्तुओं का पता लगाने के लिए जाम: तलाशी दल द्वारा अत्याधुनिक उपकरणों जैसे मैटल डी-टैक्टर, डीप सर्च मैटल डीटैक्टर्स और सेल फोन डी-टैक्टर्स का प्रयोग शामिल है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड

242. **श्री अमीर आलम:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बंजर भूमि विकास बोर्ड की गतिविधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और आज की तारीख तक राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड द्वारा क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा सहायता प्रदान की गई है और उन्हें स्वीकृत किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड, भूमि संसाधन विभाग, पूर्ववर्ती बंजरभूमि विकास विभाग में है। भूमि संसाधन विभाग तीन मुख्य भूमि विकास तथा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नामत: समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) और मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) कार्यान्वित कर रहा है। जबकि सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम विर्निदिष्ट विकास खण्डों में कार्यान्वित किए जाते हैं, समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम सामान्यत: शेष खण्डों में कार्यान्वित किया जाता है।

(ख) उपर्युक्त तीन कार्यक्रमों के अंतर्गत चल रही तथा स्वीकृत की गई नई परियोजनाओं के लिए गत तीन वर्षों के दौरान

(वर्ष-वार) जारी की गई निधियों का ब्यौरा तथा इसी अवधि के दौरान स्वीकृत की गई नई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में किसी भी विकास खण्ड को अभिज्ञात नहीं किया गया है। तथापि गत तीन वर्षों के दौरान भूमि संसाधन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम तथा समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के तहत स्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा तथा इन परियोजनाओं के लिए और चल रही अन्य परियोजनाओं के लिए जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	योजना का नाम	(चल रही और नई परियोजनाओं के लिए) जारी की गई निधियां (करोड़ रुपये में)			उत्तर प्रदेश के लिए स्वीकृत की गई नई परियोजनाएं (क्षेत्र लाख हैक्टेयर में)		
		1998-1999	1999-2000	2000-2001	1998-99	1999-2000	2000-2001
1.	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	8.39*	10.93*	18.38	शून्य	1.43	0.47
2.	समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम	14.65	14.62	14.84	0.84	1.01	0.25

*इसमें उत्तरांचल में स्थित क्षेत्रों के लिए जारी की गई निधियां भी शामिल हैं।

विवरण

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरूभूमि विकास कार्यक्रम तथा समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष-वार जारी की गई निधियां तथा स्वीकृत की गई नई परियोजनाएं

क्रम सं.	परियोजना का नाम	(चालू और नई परियोजनाओं के लिए) जारी की गई निधियां (करोड़ रुपये में)				स्वीकृत की गई नई परियोजनाएं (क्षेत्र लाख हैक्टेयर में)			
		1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002 30.6.2001 तक)	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002 (30.6.2001 तक)
1.	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	73.00	94.99	189.78	10.55	4.40	11.39	16.85	शून्य
2.	मरूभूमि विकास कार्यक्रम	79.80	84.99	134.99	27.48	2.00	7.50	8.30	शून्य
3.	समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम	62.00	83.07	127.78	13.77	5.18	7.01	11.03	शून्य
	योग	214.80	263.05	452.55	51.80	11.58	25.90	36.18	शून्य

कपार्ट द्वारा स्वैच्छिक संगठनों को निधियों का आबंटन

243. **श्री जय प्रकाश:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तारीख तक ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए कपार्ट द्वारा विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों को आबंटित धनराशि का स्वैच्छिक संगठन-वार, परियोजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक जारी/प्रयुक्त और अब तक बिना खर्च पड़ी धनराशि का परियोजना-वार, स्वैच्छिक संगठन-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन स्वैच्छिक संगठनों की पहचान की है जिन्होंने उक्त अवधि के दौरान कुछ अन्य प्रयोजनों के संबंध में अपनी धनराशि का उपयोग किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्वैच्छिक संगठन-वार ब्यौरा क्या है: और

(ङ) इन स्वैच्छिक संगठनों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

फायर ब्रिगेड द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाना

244. **श्री रघुनाथ झा:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फायर ब्रिगेड दिल्ली द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाना आसान बना दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सुनिश्चित करने के लिए चेतावनियां जारी की गई हैं कि अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए जाने की प्रक्रिया को आसान बनाने का मतलब शहर में आग लगने से नहीं है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

अवैध रूप से बंदी बनाने के विरुद्ध राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा सुझाए गए उपाय

245. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा पुलिस में सुधार लाने के लिए की गई विभिन्न सिफारिशों के बावजूद अवैध रूप से बंदी बनाने के मामले में विरुद्ध आयोग ने शिकायत करने वालों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले दो वर्षों के दौरान अवैध रूप से बंदी बनाने जैसे मामलों की संख्या बढ़ी है;

(ग) यदि हां, तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान अवैध रूप से बंदी बनाने के राज्य-वार कितने मामलों के बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सूचित किया गया;

(ङ) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पुलिस द्वारा अवैध रूप से बंदी बनाने के मामलों को कम करने के बारे में कोई उपाय सुझाया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर क्या कार्रवाई की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन एच आर सी) को अवैध रूप से बंदी बनाने के सूचित किए गए मामलों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। पिछले दो वर्षों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा प्राप्त आरोपों की संख्या बढ़ी है। अवैध रूप से बंदी बनाने की इस प्रकार की घटनाएं, जहां कहीं आरोप सच पाए जाते हैं, संगत कानूनों के गलत ढंग से कार्यान्वित करने के कारण होती है।

(ङ) से (छ) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपने दिनांक 22.11.99 के पत्र में सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को गिरफ्तारी के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों को पालन करने की सलाह दी है ताकि अवैध रूप से बंदी बनाने के मामलों को कम किया जा सके/रोका जा सके। अवैध रूप से बंदी बनाये जाने संबंधी प्रत्येक शिकायत आयोग द्वारा व्यक्तिगत रूप से निपटाई जाती है और प्रत्येक मामले में तथ्यों के आधार पर संबंधित प्राधिकारणों को विशिष्ट सिफारिशें की जाती हैं। तब इस

प्रकार के मामलों में सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में की गई कार्रवाई की रिपोर्टें मंगायी जाती है। चूंकि, कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करना राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों का काम है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अवैध रूप से बन्दी बनाए जाने संबंधी सूचित किए गए मामलों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1998-1999	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	06	07	19
2.	अरूणाचल प्रदेश	–	–	–
3.	असम	03	01	02
4.	बिहार	10	30	16
5.	गोवा	–	01	02
6.	गुजरात	02	06	08
7.	हरियाणा	11	29	54
8.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–
9.	जम्मू और कश्मीर	–	05	04
10.	कर्नाटक	06	05	15
11.	केरल	08	01	02
12.	मध्य प्रदेश	14	11	22
13.	महाराष्ट्र	03	11	17
14.	मणिपुर	01	–	01
15.	मेघालय	–	–	–
16.	मिजोरम	–	–	–
17.	नागालैंड	–	–	–
18.	उड़ीसा	04	01	06
19.	पंजाब	10	17	04
20.	राजस्थान	06	28	12
21.	सिक्किम	–	–	–
22.	तमिलनाडु	29	17	45

1	2	3	4	5
23.	त्रिपुरा	–	–	–
24.	उत्तर प्रदेश	298	956	964
25.	पश्चिम बंगाल	02	01	02
26.	दिल्ली	18	29	17
27.	संघ शासित क्षेत्र	05	01	01
28.	छत्तीसगढ़	–	–	01
29.	झारखंड	–	–	43
30.	उत्तरांचल	–	–	–
	कुल	436	1157	1257

बिना हेलमेट के दिल्ली पुलिस के अधिकारी

246. श्री भीम दाहाल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि दिल्ली पुलिस के अधिकांश अधिकारी दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनते;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को हेलमेट पहनने से छूट प्राप्त है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि नहीं तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान आज तक दिल्ली पुलिस के कितने अधिकारियों का यातायात नियमों का पालन न करने के कारण चालान किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) जबकि चालू वर्ष (19 जुलाई, 2001 तक) के दौरान इस अपराध के संबंध में दो पुलिस अधिकारियों का चालान किया गया है, पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान ऐसा कोई भी मामला सूचित नहीं किया गया था।

उर्वरक और रसायन त्रावणकोर लिमिटेड

247. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल में उर्वरक और रसायन त्रावणकोर लिमिटेड की समस्याओं की जांच करने हेतु किसी उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो समिति की रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा उर्वरक और रसायन त्रावणकोर लिमिटेड की बकाया राशि और उसका ब्याज माफ करने हेतु कोई कदम उठाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (घ) सरकार ने फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (फैक्ट) की समस्याओं की जांच करने हेतु कोई उच्चाधिकार प्राप्त समिति नियुक्त नहीं की है। तथापि, फैक्ट ने सरकार से वित्तीय सहायता के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी द्वारा अपनी अमोनिया परियोजना के कार्यान्वयन हेतु सरकार से लिए गए बकाया ऋण तथा उस पर ब्याज को बट्टे खाते डालने का अनुरोध शामिल था। इस प्रस्ताव पर अगस्त, 1999 में सचिवों की समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया था। उन विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप सरकार फैक्ट को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के पैकेज को अन्तिम

रूप देने की प्रक्रिया शुरू की है जिसमें बकाया ऋण तथा उस पर ब्याज को बट्टे खाते डालने के उनके अनुरोध पर भी विचार किया जायेगा।

एम.सी.एल. की खुले मुहाने वाली खानों में सुरक्षा उपाय

248. श्री अनन्त नायक: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानदी कोलफील्ड्स लि. (एम.सी.एल.) अपनी खुले मुहाने वाली खानों में सुरक्षा उपयों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन खुले मुहाने वाली खानों के क्षेत्र में अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं; और

(घ) यदि हां, तो एम.सी.एल. द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने और दुर्घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए या उठाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) जी, नहीं। महानदी कोलफील्ड्स लि. को ओपनकास्ट खानों में आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए लागू नहीं होता है।

सिंगरेनी कोलियरीज लिमिटेड द्वारा विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति

249. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में स्थित सिंगरेनी कोलियरीज लिमिटेड विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन विद्युत संयंत्रों की ओर से कोयले की और अधिक मांग की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सिंगरेनी कोलियरीज उन संयंत्रों की इस मांग को पूरा कर सकती है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार राज्य में विद्युत संयंत्रों की मांग को पूरा करने हेतु सिंगरेनी कोलियरीज का विस्तार करने का है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) जी, हां। महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (एम.एस.ई.बी.), कर्नाटक पावर कारपोरेशन लि. (के.पी.सी.एल.), आंध्र प्रदेश पावर जेनरेशन कारपोरेशन लि. (ए.पी.जी.ई.एन.सी.ओ.) तथा एन.टी.पी.सी. के रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एस.सी.सी.एल.) से संयोजित है। ये संयोजन कोयला मंत्रालय में कार्यरत स्थायी संयोजन समिति (लघु-अवधि) द्वारा प्रत्येक तिमाही में आवंटित किए जाते हैं। जुलाई-सितम्बर, 2001-2002 की तिमाही हेतु एस.सी.सी.एल. से विद्युत संयंत्रों को संयोजनों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

(आंकड़े ''000 टन प्रति माह में)

क्र.सं.	विद्युत गृह	2001-2002 (जुलाई-सितम्बर की तिमाही हेतु)
1.	कोठागुडम टी.पी.एस.*	500
2.	रामागुंडम ''बी''*	30
3.	नेल्लोर टीपीएस*	15
4.	रायलसीमा टीपीपी*	100
5.	एनटीपीसी, रामागुंडम	850
6.	पारली टीपीएस, एमएसईबी	260
7.	रायचूर टीपीएस, केपीसीएल	220

*एपीजीईएनसीओ के तापीय विद्युत गृह

(ग) और (घ) कोठागुमडम, रामागुंडम ''बी'' तथा नेल्लोर तापीय विद्युत संयंत्रों की विद्यमान यूनिटों की कोयले की आवश्यकता की पूर्ति पूर्ण रूप से एस.सी.सी.एल. द्वारा की जाती है। एन.टी.पी.सी. रामागुंडम, रायलसीमा, पारली तथा रायचूर तापीय विद्युत गृहों के कोयले की आवश्यकता की पूर्ति एस.सी.सी.एल. के साथ-साथ कोल इंडिया लि. की अनुषंगियों द्वारा भी की जाती है।

(ङ) एस.सी.सी.एल. ने 2000-2001 (अनंतिम) में 30.27 मिलियन टन के स्तर से दसवीं योजना के अंत तक (2006-2007) 36.13 मिलियन टन का उत्पादन स्तर प्रक्षेपित किया है।

ओ.सी.एफ. क्षेत्र में विद्युतीकरण की योजना

250. **श्री अधीर चौधरी:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** दिनांक 20.2.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 73 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रिवरसाइट स्पोर्टस एण्ड रीक्रिएशन क्लब, मयूर विहार फेस-1 एक्सटेंशन, दिल्ली के निकट ओ.सी.एफ. क्षेत्र में विद्युतीकरण की योजना में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या दिल्ली विद्युत बोर्ड द्वारा 25 अप्रैल, 2001 के मांग-पत्र में मांगी गई राशि के अनुसार डी.डी.ए. ने बोर्ड को विद्युत उप-स्टेशन के निर्माण हेतु 22,58,031 रुपये के अपने हिस्से का भुगतान कर दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो डी.डी.ए. कब तक उक्त राशि का भुगतान कर देगा; और

(घ) इस विद्युत उप-स्टेशन के कब तक आरम्भ हो जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) दिल्ली विद्युत बोर्ड ने 44,16,264 रु. की कुल लागत की विद्युतीकरण योजना तैयार की है जिसमें 22,63,031 का भुगतान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। व्यय अनुमानों सहित योजना दिल्ली विकास प्राधिकरण को भेज दी गई है।

(ख) और (ग) डी.डी.ए. को मांग-पत्र हाल ही में प्राप्त हुआ है तथा इस पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जा रही है।

(घ) दिल्ली विद्युत बोर्ड ने सूचित किया है कि सब स्टेशन आरम्भ करने में 5-6 महीने का समय लग जाता है।

दिल्ली में पशुओं की खाल की जब्ती

251. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 और आज तक की तिथि तक की अवधि के दौरान दिल्ली पुलिस ने कितने मामलों में पशुओं की खालें जब्त की हैं; और

(ख) पशुओं की खालों को अवैध रूप से अपने पास रखने के दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) संदर्भाधीन अवधि के दौरान ऐसे मामलों की संख्या 13 थी, जिनमें दिल्ली पुलिस ने इस प्रकार की जब्तियां की।

(ख) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के संगत प्रावधानों के अधीन कार्रवाई की गई है।

[हिन्दी]

बांग्लादेशी और नेपाली प्रवासी

252. **श्री सुन्दर लाल तिवारी:**
श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्रीमती रेणूका चौधरी:
श्री माधवराव सिंधिया:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्री बसुदेव आचार्य:
श्री अबुल हसनत खां:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में बसे बांग्लादेशी और नेपाली प्रवासियों को कार्यानुमति-पत्र देने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश के विभिन्न भागों में बसे बांग्लादेशी और नेपाली प्रवासियों की संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(घ) इन अवैध प्रवासियों को यहां अनिश्चित काल के लिए बसने देने के क्या कारण हैं और उन्हें वापस उनके देश भेजने में आ रही परेशानियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने बांग्लादेशी और नेपाली शरणार्थियों को कार्यानुमति-पत्र देने का प्रस्ताव है;

(च) सरकार की इस नीति से भारतीयों के रोजगार अवसरों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(छ) कार्यानुमति-पत्र देने के योजना के अंतिम प्रारूप का ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस प्रक्रिया के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। तथापि, भारत और बांग्लादेश की बीच मई 2001 के हस्ताक्षरित संशोधित वीसा समझौता के अनुसार, किसी देश के नागरिकों को, जिन्हें दूसरे देश के पदनामित प्राधिकारी द्वारा वर्क परमिट जारी किया गया है, वर्षानुवर्ष आधार पर मल्टीपल इन्टरी वीसा दिया जा सकता है। अत: भारत में पहले से ही बसे बांग्लादेश आप्रवासियों को वर्क परमिट देने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं। जहां तक नेपाली आप्रवासियों का संबंध है, नेपाली राष्ट्रिकों के लिए भारत आने के लिए वीसा की आवश्यकता नहीं है।

(ग) और (घ) सरकार किसी अवैध आप्रवासी को देश में अनिश्चितकाल तक ठहरने की अनुमति नहीं देती हैं। एक बार उसका पता लग जाने और उसकी पहचान सुनिश्चित हो जाने पर उसे वापस भेज दिया जता है। अवैध बांग्लादेशी आप्रवासियों का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने की शक्तियां राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को प्रदत्त की गयी हैं और सुस्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। इसके अतिरिक्त, बांग्लादेश से आए अवैध आप्रवासियों का कारगर ढंग से पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को नियमित रूप से सुग्राही बनाए रखती है। अवैध बांग्लादेशी राष्ट्रिकों का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने में अनेक समस्याएं हैं जैसे बांग्लादेश से आए इन अवैध आप्रवासियों की भारतीयों से मिलती-जुलती जातीय भाषायी और क्षेत्रीय समानताओं के कारण इन्हें स्थानीय जनता के साथ घुलमिल जाने और छिपे रहने में सहायता मिलती है।

(ङ) भारत में कोई भी बांग्लादेशी या नेपाली शरणार्थी नहीं है अत: उन्हें वर्क परमिट देने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(च) सरकार, वर्क परमिट पर नीति निर्धारित करते सयम भारतीयों के हितों का उपयुक्त ध्यान रखेगी।

(छ) वर्क परमिट की विस्तृत योजना अभी तैयार करनी है।

(ज) ब्यौरे तैयार करने के लिए अभी तक कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।

[अनुवाद]

गैर-आदिवासियों द्वारा आदिवासियों का शोषण

253. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार आदिवासियों को गैर-आदिवासियों को शोषण से बचाने हेतु संविधान की पांचवीं अनुसूची में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो यह संशोधन कब तक कर दिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संविधान की पांचवीं अनुसूची इन क्षेत्रों की शान्ति और अच्छे प्रशासन के लिए पहले ही एक विशेष दायित्व डालती है। पांचवीं अनुसूची के अनुसार, राज्य निम्नलिखित के लिए विनियम/कानून बना सकते हैं:-

* अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा तथा उनमें भूमि के हस्तांतरण का निषेध या सीमित करना;
* ऐसी जनजातियों के सदस्यों को भूमि के आवंटन को विनियमित करना, तथा
* धन उधार देने का व्यवसाय करने को विनियमित करना।

[हिन्दी]

तकनीकी और प्रबंधन संस्थानों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद

254. श्री पुन्नू लाल मोहले: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्षेत्रीय महाविद्यालयों सहित सभी प्रबंधन और तकनीकी संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों के लिए कितने पद आरक्षित हैं;

(ख) क्या ऐसे सभी संस्थानों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्ति पर्याप्त संख्या में नियुक्त हैं;

(ग) यदि हां, तो इन संस्थानों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कितने व्यक्ति तैनात हैं और कुल पदों की संख्या में उनका प्रतिशत कितना है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन पदों के चयन हेतु गठित चयन समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और इस समिति और बोर्डों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को शामिल करने हेतु क्या प्रावधान है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ङ) सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार केन्द्रीय क्षेत्र में सभी प्रबंधन व तकनीकी संस्थानों में गैर-संकाय पदों का 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षित होता है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को इन संस्थानों में गैर-संकाय पदों पर पर्याप्त संख्या में नियुक्त किया गया है। नियुक्ति/रिक्त पदों का भरा जाना एक गतिशील प्रक्रिया है अतः केन्द्रीय रूप से इसके विस्तृत ब्यौरे नहीं रखे जाते। इन संस्थानों की संविधियों/नियमावली व विनियमों के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न पदों के लिए चयन समिति का गठन प्रत्येक संस्थान में भिन्न-भिन्न होता है। जब भी इन पदों के लिए साक्षात्कार लिए जाते हैं तो चयन समिति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के एक सदस्य को शामिल करने का निर्देश हैं।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास हेतु दमन और दीव को धनराशि जारी करना

255. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव को आई.आर.डी.पी., जे.आई.वाई और टी.आर.वाई.एस.ई.एम. को क्रियान्वित करने हेतु कितनी धनराशि जारी की है; और

(ख) इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत तैयार और क्रियान्वित की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उन कार्यक्रमों के माध्यम से वर्ष-वार रोजगार के कितने अवसर पैदा हुए?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) और (ख) पूर्ववर्ती स्वरोजगार कार्यक्रमों अर्थात् आई आर डी पी, ट्राइसेम, डवाकरा, सिट्रा इत्यादि को पुनर्गठित करने के बाद 1.4.99 को स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई) नामक एक नया स्वरोजगार कार्यक्रम शुरू किया गया। तब से अब तक पूर्ववर्त्ती कार्यक्रम नहीं हैं। इसी प्रकार जवाहर रोजगार योजना को 1.4.1999 से जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे जी एस वाई) के रूप में पुनर्गठित किया गया है। जे जी एस वाई का प्राथमिक उद्देश्य ग्राम स्तर पर आवश्यकता आधारित ग्रामीण ढ़ांचे का सृजन करना है तथा इसका गौण उद्देश्य क्षेत्रों में रोजगार का सृजन करना है। वर्ष 1998-99 के दौरान आई आर डी पी, ट्राइसेम तथा जे आर वाई के अंतर्गत तथा वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान एस जी एस वाई तथा जे जी एस वाई के अंतर्गत दमन व दीव संघ राज्य क्षेत्र में सृजित रोजगार अवसरों तथा रिलीज की गई केन्द्रीय निधियों को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

वर्ष	आई आर डी पी		ट्राइसेम		जे आर वाई		एस जी एस वाई		जे जी एस वाई	
	केन्द्रीय रिलीज (लाख (रु. में)	सहायता प्राप्त परिवार (सं.)	केन्द्रीय रिलीज (लाख रु. में)	प्रशिक्षित युवक (सं.)	केन्द्रीय रिलीज (लाख रु. में)	सृजित श्रमदिवस (लाख श्रमदिवस	केन्द्रीय रिलीज (लाख (रु. में)	सहायता-प्राप्त स्व-रोजगारी (सं.)	केन्द्रीय रिलीज (लाख रु. में)	सृजित श्रमदिवस (लाख श्रमदिवस)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1998-99	13.72	71	2.30	58	10.06	0.11	–	–	–	–
1999-2000	–	–	–	–	–	–	29.90	6	0	0
2000-2001	–	–	–	–	–	–	0	6	0	0

मुम्बई में लवणीय भूमि का विकास

256. श्री किरीट सोमैया: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मुम्बई में लवणीय भूमि के विकास का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस भूमि के विकास में रुचि दिखाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस भूमि का विकास किस प्रकार किए जाने का विचार है;

(च) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में जनप्रतिनिधियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ङ) केन्द्र सरकार ने मुम्बई स्थित साल्ट पान भूमि का महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से विकास करने के लिए उसे औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग से लेकर शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। सरकार ने फालतू लवणीय भूमि के उपयोग से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए मंत्रियों का एक दल भी गठित किया है।

(च) और (छ) जी, हां। लोक सभा के माननीय सांसद श्री किरीट सोमैया से सामूहिक आवास परियोजनाओं, व्यवसायिक उपयोग, जन-सुविधाओं के विकास, स्लमों के पुनर्वास के लिए लवणीय भूमि के उपयोग एवं समुद्री गरान पार्क का पारिस्थितिकीय-पर्यटन पर्यावरणीय परियोजना के रूप में विकास करने के सुझाव मिले हैं।

[हिन्दी]

पुलिस थानों में ई-मेल सुविधा

257. डा. अशोक पटेल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दिल्ली के कुछ पुलिस थानों में कम्प्यूटरीकृत ई-मेल सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सुविधा को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) दिल्ली पुलिस, मुख्यालय में ई-मेल से शिकायतें प्राप्त करने की सुविधा पहले ही स्थापित की जा चुकी है। इस सुविधा को पुलिस स्टेशनों तक बढ़ाना निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

नई दिल्ली की आवासीय कालोनियों में सड़कों की बदहाली

258. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या **शहरी और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि आर.के. पुरम, सरोजनी नगर और इसके आसपास के क्षेत्रों में सड़कों की हालत खराब है जिनमें गहरे गड्ढ़े हैं जिससे वाहन चालकों को इन सड़कों पर चलने में परेशानी होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड जैसे विभिन्न निकाय सड़कों को खोदकर ऐसी ही छोड़ देते हैं, उन्हें समतल/उनकी मरम्मत नहीं करते जिससे इन क्षेत्रों में एम.सी.डी. की सड़कों का उपयोग करने में वाहन चालकों को परेशानी होती है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वरा ऐसे कार्यों को करने हेतु निर्धारित मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ जन-प्रतिनिधियों और इन क्षेत्रों के लोगों ने मुख्यमंत्री, दिल्ली, एन.डी.एम.सी./एम.सी.डी. के आयुक्तों को इस संबंध में लिखा है परन्तु उनके द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई/नहीं की जा रही है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन सभी खराब सड़कों की मरम्मत करने और यह सुनिश्चित करने कि खुदाई के पश्चात् इन्हें निर्धारित समयावधि में ठीक कर दिया जाए, क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

शहरी और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् ने बताया है कि सड़कों की हालत संतोषजनक है। हालांकि बरसात के मौसम में कुछ गड्ढ़े हो जाते हैं जिनकी अस्थायी रूप से तत्काल मरम्मत कर दी जाती है। नियमित मरम्मत कार्य बरसात का मौसम समाप्त होने के बाद ही किया जाता है। यह भी बताया गया है कि III क्रास रोड, VI क्रॉस रोड एक्स वाई ब्लाक, सरोजनी नगर में सीवर लाइन बिछाने का काम चल रहा है। सीवर लाइन का काम पूरा होने के बाद मरम्मत कार्य शुरू किया जाएगा।

(ग) और (घ) विभिन्न एजेंसियों द्वारा सामान्य रूप से की गई खुदाई में मरम्मत कार्य दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् द्वारा डिपाजिट कार्य के रूप में किया जाता है। तथापि निजी एजेंसियों द्वारा ऑप्टीकल फाइबर केबल बिछाने के मामले में मरम्मत कार्य उन्हीं एजेंसियों द्वारा ही किया जाएगा।

(ङ) जी, हां। सड़कों के गड्ढ़ों की मरम्मत कर दी गई है और दिल्ली नगर निगम द्वारा पूर्व-मिश्रित कार्पेट द्वारा पैच मरम्मत के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

(च) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि खुदाई का काम बंद कर दिया गया है और सड़कों की मरम्मत का काम शुरू किया जा रहा है।

[हिन्दी]

गरीबी उपशमन कार्यक्रम

259. **श्री ताराचन्द भगोरा:**
श्री त्रिलोचन कानूनगो:

क्या **शहरी और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी उपशमन कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक प्रतिवर्ष इस कार्य हेतु राज्य-वार और योजना-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई तथा जारी की गई;

(ख) आज की तिथि तक अप्रयुक्त/बिना व्यय की बची धनराशि का ब्यौरा क्या है और राज्य-वार और योजना-वार इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उड़ीसा में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों के सर्वाधिक प्रतिशत को देखते हुए गरीबी उपशमन कार्यक्रम के अन्तर्गत इस राज्य के लिए कोई विशेष आवंटन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार राज्य में गरीबी समाप्त कने हेतु कोई विशेष प्रबन्ध करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय 1.12.1997 से स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के माध्यम से चला रहा है ताकि शहरी बेरोजगारों अथवा अल्प रोजगार प्राप्त गरीबों को (1) नौवीं कक्षा तक शिक्षित लोगों को स्व-रोजगार उद्यम लगाने के लिए प्रोत्साहन देकर, और (2) मजदूरी रोजगार के प्रावधान के जरिए लाभप्रद रोजगार मुहैया कराया जा सके। स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान और अब तक नियत और जारी केन्द्रीय राशियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) राज्यों के पास व्यय से बची राशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। ऐसा पूर्व के शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रमों से बढ़ी राशियों के स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना में अन्तरण के कारण है।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को राशियों का नियतन योजना आयोग द्वारा समय-समय पर यथासूचित शहरी गरीबी की स्थिति के आधार पर किया जाता है।

विवरण-I

1998-99, 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अंतर्गत नियत/जारी केन्द्रीय अंश का राज्यवार विवरण

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	1998-99 के दौरान नियतन/जारी	1999-2000 के दौरान ब.अनु.आ.*	1999-2000 के दौरान जारी*	2000-2001 के दौरान नियतन*	2000-2001 के दौरान जारी*	2001-2002 के दौरान नियतन@
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	*1364.28*	*1526.5*	*1398.08*	*1417.04*	*1417.04*	*1417.04*
2.	अरूणाचल प्रदेश	65.01	68.19	88.65	72.82	–	72.82
3.	असम	823.08	916.57	191.07	864.89	63.30	864.89
4.	बिहार	779.22	872.36	408.63	606.30	–	606.30
5.	छत्तीसगढ़**	–	–	–	422.69	422.69	422.69
6.	गोवा	34.40	37.72	28.72	35.86	–	36.86
7.	गुजरात	788.28	882.58	340.62	818.01	697.47	818.01
8.	हरियाणा	134.79	150.79	182.23	138.77	125.14	139.77
9.	हिमाचल प्रदेश	74.94	75.06	70.91	78.44	56.72	78.44
10.	जम्मू तथा कश्मीर	72.31	74.84	97.76	89.68	25.34	89.68
11.	झारखंड**	–	–	–	202.10	202.10	• 202.10
12.	कर्नाटक	114.08	1246.57	1340.11	1150.40	168.00	1150.40
13.	केरल	377.09	421.93	448.32	389.46	256.50	389.46
14.	मध्य प्रदेश	1511.77	1692.17	1836.21	1143.05	888.59	1143.05
15.	महाराष्ट्र	2043.29	2310.71	715.38	2129.23	–	2123.29
16.	मणिपुर	191.12	211.04	44.24	200.45	–	200.45
17.	मेघालय	118.45	131.76	27.30	123.56	19.00	123.56
18.	मिजोरम	125.64	139.22	146.30	128.15	126.77	128.15
19.	नागालैंड	84.16	94.41	82.34	85.13	76.25	85.13
20.	उड़ीसा	360.44	403.63	460.83	375.11	69.24	375.11
21.	पंजाब	135.22	151.27	160.99	139.42	41.29	139.42
22	राजस्थान	620.52	694.64	330.23	643.53	376.08	643.53

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	सिक्किम	30.98	31.02	30.03	33.48	32.49	33.48
24.	तमिलनाडु	1479.77	1655.95	514.00	1529.39	764.70	1529.39
25.	त्रिपुरा	157.74	174.11	82.52	162.00	162.00	162.00
26.	उत्तराचंल**	–	–	–	102.97	102.97	102.97
27.	उत्तर प्रदेश	1988.42	2202.09	2344.02	1956.43	1340.78	1956.43
28.	प. बंगाल	822.00	919.87	285.52	849.64	826.54	849.64
29.	अंडमान निकोबार द्वीप. स.	116.43	118.13	71.97	111.43	–	111.43
30.	चंडीगढ़	80.98	75.88	0.00	102.29	–	102.29
31.	दादर एवं नागर हवेली	37.67	39.37	54.06	27.08	145.00	27.08
32.	दमन व दीव	63.92	65.62	47.66	52.20	–	52.20
33.	दिल्ली	183.61	183.61	19.00	139.96	40.00	139.96
34.	पाण्डिचेरी	67.39	67.39	29.60	49.04	67.00	51.04
	कुल	15847.00	17635.00	11877.29	16370.00	8513.00	16374.00

*बजट अनुमान आधारित

**नये सृजित राज्य

@अभी तक कोई जारी नहीं

विवरण-II

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्य-वार राशियों की स्थिति

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	30.11.97 के अनुसार पुरानी स्कीमों से सूचित खर्च न हुई बकाया राशि	एसजेएस आरवाई के तहत 1.12.97 से 31.3.2001 तक जारी के अंश	1.12.97 से जारी राज्य अंश	कुल (3+4+5)	सूचित खर्चें	राज्यों/ केन्द्र शा. प्रदेशों के पास उपलब्ध शेष राशियां	सूचित अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	3953.26	5019.06	646.82	9619.14	6991.25	2627.89	मार्च-01
2.	अरूणाचल प्रदेश	458.65	204.65	182.96	846.26	191.74	654.52	मार्च-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	असम	1773.96	1617.83	111.72	3503.51	786.37	2717.14	मार्च-01
4.	बिहार	4647.39	1693.94	201.43	6542.76	555.99	5986.77	सित-99
5.	छत्तीसगढ़*	0.00	422.69	124.02	546.71	294.92	251.79	मार्च-01
6.	गोवा	221.90	84.06	20.60	326.56	202.70	123.86	दिस-00
7.	गुजरात	2728.98	2346.23	1317.57	6394.78	3910.34	2484.44	मार्च-01
8.	हरियाणा	544.10	529.03	134.62	1207.75	840.99	366.76	मार्च-01
9.	हिमाचल प्रदेश	698.04	253.11	150.36	1101.51	982.03	119.48	मार्च-01
10.	जम्मू तथा कश्मीर	939.20	258.95	10.68	1208.83	787.55	421.28	मार्च-01
11.	झारखंड*	0.00	202.10	0.00	202.10	0.00	202.10	सु.न.
12.	कर्नाटक	4888.75	3358.65	1121.51	9368.91	5283.99	4084.92	मार्च-01
13.	केरल	846.82	1284.90	342.79	2474.51	2093.00	381.51	मार्च-01
14.	मध्य प्रदेश	3053.95	5163.75	810.01	9027.71	7140.89	1886.82	मार्च-01
15.	महाराष्ट्र	4860.44	4160.89	1386.95	10408.28	3821.18	6587.10	दिस.-00
16.	मणिपुर	543.38	358.31	40.98	942.67	98.22	844.45	मार्च-01
17.	मेघालय	311.47	237.99	73.00	622.46	160.60	461.86	मार्च-01
18.	मिजोरम	89.77	468.34	168.81	726.46	543.36	183.56	मार्च-01
19.	नागालैंड	641.10	296.08	55.31	992.49	429.20	563.29	मार्च-01
20.	उड़ीसा	1116.34	1113.62	514.72	2744.68	2365.53	379.15	मार्च-01
21.	पंजाब	1541.47	405.83	139.26	2086.56	1527.10	559.46	मार्च-01
22.	राजस्थान	3160.17	1656.74	390.28	5207.19	3357.42	1849.77	दिस.-00
23.	सिक्किम	106.16	114.00	22.90	243.06	162.50	80.56	मार्च-01
24.	तमिलनाडु	7514.65	3677.97	1093.81	12286.43	10690.61	1595.82	मार्च-01
25.	त्रिपुरा	151.20	496.24	117.67	765.11	492.72	272.39	मार्च-01
26.	उत्तराचंल*	0.00	102.97	0.00	102.97	0.00	102.97	सु.न.
27.	उत्तर प्रदेश	7372.06	6854.25	1972.71	16199.02	13409.59	2789.43	मार्च-01
28.	प. बंगाल	2679.15	2452.70	666.60	5798.45	4232.14	1566.31	मार्च-01
29.	अंडमान निकोबार द्वीप.स.	120.31	261.06	सू.न.	381.37	38.61	342.76	दिस.-00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	चंडीगढ़	77.70	129.40	सू.न.	207.10	27.44	179.66	मार्च-01
31.	दादर एवं नागर हवेली	73.31	249.23	सू.न.	322.54	117.53	205.01	मार्च-01
32.	दमन व दीव	81.65	161.63	सू.न.	243.28	20.05	223.23	सित-00
33.	दिल्ली	184.24	275.31	58.62	518.17	79.90	438.27	दिस-00
34.	पाण्डिचेरी	269.13	186.66	85.81	631.69	164.36	367.23	मार्च-01
	कुल	55638.70	46100.16	11962.52	113701.38	71799.82	41901.56	

*नये सृजित राज्य

सू.न = सूचित नहीं

[अनुवाद]

मंत्रियों द्वारा विदेशी दौरे

260. **श्री शिवाजी माने:**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री और अन्य केन्द्रीय मंत्रियों ने अधिकारिक तौर पर कितने देशों का दौरा किया;

(ख) इन दौरों पर कितना व्यय हुआ;

(ग) देश-वार हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश-वार इन दौरों का क्या परिणाम निकला?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

नवोदय विद्यालय

261. **श्रीमती जसकौर मीणा:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितने नवोदय विद्यालय हैं;

(ख) इन विद्यालयों में राज्य-वार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं;

(ग) इन विद्यालयों में ऐसी श्रेणियों के विद्यार्थियों की पर्याप्त संख्या में प्रवेश सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इन श्रेणियों के विद्यार्थियों को दी जी रही विशेष सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) 30 जून, 2001 की स्थिति के अनुसार 446 जवाहर नवोदय विद्यालय संस्वीकृत किए जा चुके हैं। राज्यवार सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) 31.3.2000 तक जवाहर नवोदय विद्यालयों में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की संख्या के बारे में सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) नवोदय विद्यालय समिति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की निर्धारित प्रतिशतता से अधिक छात्र दाखिल हो रहे हैं। तथापि, जवाहर नवोदय विद्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को आकर्षित करने के लिए व्यापक प्रचार किया जाता है।

(घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को प्रवेश परीक्षा में अर्हता अंकों में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है।

विवरण-I

क्षेत्र का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या	कुल
1	2	3	4
भोपाल	मध्य प्रदेश	42	69
	उड़ीसा	18	
	छत्तीसगढ़	09	
चंडीगढ़	पंजाब	15	41
	हिमाचल प्रदेश	11	
	जम्मू व कश्मीर	14	
	चंडीगढ़	01	
हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	22	68
	कर्नाटक	26	
	केरल	13	
	पांडिचेरी	04	
	अंडमान व निकोबार	02	
	लक्षद्वीप	01	
जयपुर	राजस्थान	31	48
	हरियाणा	15	
	दिल्ली	02	
लखनऊ	उत्तर प्रदेश	54	62
	उत्तरांचल	08	
पटना	बिहार	34	50
	झारखण्ड	16	
पुणे	महाराष्ट्र	29	51
	गुजरात	17	
	गोवा	02	
	दमन व दीव	02	
	दादर व नागर हवेली	01	

1	2	3	4
शिलांग	मेघालय	06	57
	मणिपुर	09	
	मिजोरम	03	
	अरूणाचल प्रदेश	09	
	नागालैंड	04	
	त्रिपुरा	03	
	सिक्किम	03	
	असम	20	
	कुल	446	446

विवरण-II

31.3.2000 की स्थिति के अनुसार जवाहर नवोदय विद्यालयों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4
1.	अंडमान व निकोबार	13	125
2.	आंध्र प्रदेश	2055	923
3.	अरूणाचल प्रदेश	43	1340
4.	असम	578	1094
5.	बिहार	2284	424
6.	चण्डीगढ़	74	89
7.	दादर एवं नागर हवेली	4	73
8.	दमन व दीव	24	9
9.	दिल्ली	171	4
10.	गोवा	14	0
11.	गुजरात	647	442
12.	हरियाणा	1504	80
13.	हिमाचल प्रदेश	1069	589
14.	जम्मू एवं कश्मीर	302	624
15.	कर्नाटक	1628	574
16.	केरल	1281	144
17.	लक्षद्वीप	2	154
18.	मध्य प्रदेश	3175	1917
19.	महाराष्ट्र	2159	955
20.	मणिपुर	278	1456
21.	मेघालय	17	1002
22.	मिजोरम	7	242
23.	नागालैंड	0	431
24.	उड़ीसा	1170	1491
25.	पांडिचेरी	288	1

1	2	3	4
26.	पंजाब	1306	515
27.	राजस्थान	2131	1615
28.	सिक्किम	36	218
29.	त्रिपुरा	210	276
30.	उत्तर प्रदेश	4771	148
31.	झारखण्ड	741	1341
32.	छत्तीसगढ़	516	842
33.	उत्तरांचल	453	105
	कुल	28951	19343

[अनुवाद]

ए आई सी टी ई द्वारा तकनीकी कालेजों को स्वीकृति देना

262. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:**
श्री आर.एस. पाटिल:
श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल):

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में तकनीकी संस्थाओं को स्वीकृति देने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने उन संस्थाओं को स्वीकृति प्रदान नहीं की है जिन्होंने उनकी शर्तें पूरी कर ली हैं; और

(ग) यदि हां, तो देश में राज्य-वार विशेषकर कर्नाटक में ऐसी स्वीकृति हेतु लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् जो सांविधिक निकाय है और जिसे देश में तकनीकी संस्थाओं को अनुदान देने की शक्ति प्राप्त है, यथा निर्धारित विनियमों के आधार पर और निर्धारित मानदण्डों व मानकों के अनुसार वित्तीय व्यवहार्यता भूमि, भवन, कक्षाओं, संकाय आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता को भी ध्यान में रखकर प्रस्तावों पर विचार करती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जवाहर नवोदय विद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

263. **श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने जवाहर नवोदय विद्यालय हैं;

(ख) इन विद्यालयों में कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विशेषकर चालक श्रेणी में कितने कर्मचारी हैं; और

(ग) जवाहर नवोदय विद्यालयों में अस्थाई कर्मचारी नियुक्त करने हेतु निर्धारित नियम क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) 30 जून, 2001 तक 446 जवाहर नवोदय विद्यालय संस्वीकृत किये गये हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) समिति में नियुक्त किये गये सभी नये कर्मचारी अस्थायी आधार पर हैं तथा स्थायी पदों के उपलब्ध होने पर उन्हें स्थायी किया जाता है। इनकी नियुक्तियां पदों के लिए निर्धारित नियमावलियों के अनुसार की जाती हैं।

[अनुवाद]

दिल्ली पुलिस से संबंधित रिश्वत के मामले

264. **डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस के सतर्कता स्कंध ने दिल्ली यातायात पुलिस के बारह पुलिसकर्मियों को दिल्ली में चार अलग-अलग स्थानों से रिश्वत की मांग करते हुए और लेते हुए एक साथ पकड़ा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन यातायात पुलिस कर्मियें के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) दिल्ली पुलिस बल में रिश्वत की बुराई रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) दिल्ली पुलिस की सतर्कता शाखा के अधिकारियों द्वारा 21 मई, 2001 को विभिन्न स्थानों पर की गयी आकस्मिक जांच के दौरान 9 यातायात पुलिस कार्मिकों को वाहनों की अनधिकृत जांच करने में संलिप्त पाया गया। 23 जून, 2001 को की गई इसी प्रकार की अकस्मात जांच के दौरान 3 और यातायात पुलिस कार्मिकों को इसी प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाया गया।

(ख) इन सभी कर्मचारियों के नाम संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले कार्मिकों की सूची में डाल दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। इसी बीच, उन्हें गैर-संवेदनशील यूनिटों में भी स्थानान्तरित कर दिया गया है।

(ग) पुलिस बल में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में, सम्मिलित हैं:- वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्टाफ को नियमित रूप से ब्रीफ करना और गश्त/बूथ डयूटियों पर तैनात कर्मचारियों की गतिविधियों का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रबोधन और निरीक्षण, सतर्कता शाखा द्वारा अकस्मात जांच, भ्रष्टाचार में संलिप्त संदिग्ध पुलिस कार्मिकों पर कड़ी निगरानी, संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों का गैर-संवेदनशील पदों पर स्थानान्तरण, जनता को पुलिस स्टेशनों, जिला मुख्यालयों, पुलिस मुख्यालय में रखे गए शिकायत बक्सों और हैल्प लाईन सुविधाओं और ई-मेल के जरिए अपनी शिकायतें बताने के लिए प्रोत्साहित करना, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पुलिस कार्मिकों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों की जांच और भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए कार्मिकों को उदाहरणीय दण्ड देना ताकि यह अन्य के लिए एक उदाहरण का कार्य करे।

कोंकण के लिए सांविधिक विकास बोर्ड की स्थापना

265. **श्री प्रकाश वी. पाटील:**
श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोंकण के लिए पृथक सांविधिक विकास बोर्ड की स्थापना हेतु महाराष्ट्र सरकार से कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इन अनुरोधों पर कोई निर्णय लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। महाराष्ट्र सरकार से भारत के संविधान के अनुच्छेद 371(2) के अधीन कोंकण के लिए अलग से एक विकास बोर्ड गठित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ग) से (ङ) कोंकण क्षेत्र के लिए पृथक सांविधिक बोर्ड की स्थापना के लिए महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव पर विचार करते हुए, यह सुनिश्चित करना उपयुक्त समझा गया है कि राज्य में वर्तमान तीन विकास बोर्डों ने संविधान में दिए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में कितनी प्रभावकारिता से कार्य किया। तदनुसार, योजना आयोग से एक विस्तृत अध्ययन करने का अनुरोध किया गया था। योजना आयोग से सभी रिपोर्ट आनी है।

सुरक्षा नियमों के बिना सिनेमा हालों का चलाया जाना

266. **श्री रामजीवन सिंह:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा उन सिनेमा हालों का पता लगाने के लिए हाल ही में कोई सर्वेक्षण कराया गया है जिनमें उपहार जैसी त्रासदी होने का खतरा लगातार बना हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) लाइसेंस धारकों द्वारा सिनेमाटोग्राफ नियम, 1981 के प्रावधानों का पालन करने के उपरान्त ही दिल्ली में सिनेमाघरों के लिए लाइसेंस जारी किए जाते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सिनेमा घर उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार ही चल रहे हैं, इनका वार्षिक के साथ-साथ त्रैमासिक निरीक्षण, अधिकारियों के एक संयुक्त दल जिसमें दिल्ली पुलिस (लाइसेंस विभाग) तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विद्युत, भवन, स्वास्थ्य एवं अग्निशमन विभाग के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार नगर में सिनेमा घरों के निरीक्षण का लगातार प्रबोधन करती है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र और कर्नाटक में 'कपार्ट' द्वारा स्वीकृत परियोजना

267. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** 27 फरवरी, 2001, के अतारांकित प्रश्न संख्या 973 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त सूचना कब तक एकत्र किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र कर ली गई है तथा लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 973 दिनांक 27.2.2001 के उत्तर में दिया गया आश्वासन 1 जून, 2001 को संसदीय कार्य मंत्रालय को भेज दिया गया है।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर सीमा पर बाड़ लगाना

268. **श्री सुशील कुमार शिंदे:**
श्रीमती रेणूका चौधरी:
श्री दलपत सिंह परस्ते:
श्री बसुदेव आचार्य:
श्री के. येरननायडू:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाक रेंजरों ने जम्मू और कश्मीर के विभिन्न सैक्टरों में अनेक लोहे के खम्बे और कंटीली बाड़ उड़ा दी और राज्य की अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर गोलीबारी भी जारी रखी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार द्वारा इस संबंध में कोई विरोध दर्ज किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य निर्बाध रूप से किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। पाकिस्तान सेना ने तीन अलग-अलग घटनओं में, जम्मू अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर लगी बाड़ के छोटे से हिस्से में लोहे की पिकेटों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। विवरण निम्न प्रकार है:-

(1) जम्मू अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के रामगढ़ सब-सेक्टर में 18/19 मई 2001 के बीच की रात को आई.ई.डी. विस्फोट द्वारा 24 लोहे की पिकेटों को नुकसान पहुंचाया गया, जिसकी तुरन्त मरम्मत करवा दी गई।

(2) 20/21 मई के बीच की रात को अखनूर सब-सेक्टर में आई.ई.डी. विस्फोट से 15 लोहे की पिकेटों को नुकसान पहुंचाया गया। क्षति की मरम्मत करवा दी गई।

(3) 16/17 मई के बीच की रात को आई.ई.डी. विस्फोट से सीमा चौकी, गोलपट्टन के समीप 22 लोहे की पिकेटों को नुकसान पहुंचाया गया। मरम्मत का कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा, मुख्य रूप से रात्रि के समय, जम्मू अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर अकारण गोलीबारी भी की जा रही है जिसका सीमा सुरक्षा बल द्वारा समुचित जवाब दिया जाता है।

(ग) और (घ) सीमा सुरक्षा बल द्वारा पाकिस्तानी रेंजरों के साथ ध्वज बैठक के दौरान कड़ा विरोध दर्ज किया गया है।

(ङ) सरकार ने, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बाड़ निर्माण कार्य बिना किसी रुकावट के पूरा हो, सीमावर्ती चौकियों पर जवानों में वृद्धि करने, अतिरिक्त घात लगाना, रात में देखने के यंत्रों का प्रयोग, मोबाइल पैट्रोलिंग करना, पुलिस और गांव सुरक्षा समितियों द्वारा गहन नाकेबंदी आदि करने सहित कई कदम उठाए हैं।

[हिन्दी]

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र

269. **श्री राजो सिंह:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर बिहार में कितने अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चल रहे हैं;

(ख) क्या ये सभी केन्द्र सुचारू रूप से चल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार के पास राज्यों में ऐसे और अधिक केन्द्रों की स्थापना करने हेतु कोई योजना/प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार क्या ब्यौरा है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) अनौपचारिक शिक्षा योजना को 1.4.2001 से "शिक्षा

गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा (ई.जी.एस. एण्ड ए.आई.ई.)'' के रूप में संशोधित किया गया है। इस योजना में सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है तथा इस योजना के संदर्भ में मोटे तौर पर तीन प्रकार की कार्यनीतियों की परिकल्पना की गई है;

(1) जिन बस्तियों में स्कूल नहीं हैं, उनमें स्कूलों की स्थापना करना;

(2) सेतु पाठ्यक्रमों, स्कूल शिविरों में वापसी आदि के माध्यम से स्कूल न जाने वाले बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए कार्यक्रम शुरू करना;

(3) बहुत खास स्थिति और विषम परिस्थिति के कारण जो बच्चे पढ़ाई की मुख्यधारा में नहीं लाये जा सकते उनके लिए कार्यनीतियां तैयार करना।

[अनुवाद]

जनजातीय उपयोजना के तहत स्वीकृत धनराशि

270. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा जनजातीय उप-योजना के तहत वर्ष 1998-99, 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान विभिन्न राज्यों विशेषकर गुजरात को कितनी धनराशि मजूंर की गई;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने उप योजना में अपनी हिस्सेदारी की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विभिन्न राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता का उपयोग राज्य सरकारों ने उचित ढंग से किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या केन्द्र सरकार इस विशेष क्षेत्र में राज्य सरकारों के कार्यनिष्पादन से संतुष्ट है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क), (घ) और (ङ) वर्ष 1998-99 से 2001-2002 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत मंजूर की गई राशि तथा उसके उपयोग को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) और (ग) तदनुरूप अवधि के दौरान राज्यों के अपने जनजातीय उप-योजना में अंश से संबंधित सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(च) और (छ) यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्मुक्त निधियों का उपयोग राज्यों के द्वारा अभिप्रेत प्रयोजन के लिए किया जाए और लाभ लक्षित समूह को पहुंचे। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपयोग के तरीके को मानीटर करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जनजातीय विकास के प्रभारी मंत्रियों और सचिवों के साथ आवधिक बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा क्षेत्र दौरे भी किए जाते हैं।

विवरण-I

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में मंजूर की गई राशि तथा उनके द्वारा सूचित व्यय को दर्शाने वाला विवरण

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1998-99			1999-2000			2000-2001			आवंटन
		नि. रा.	सू. व्य.	अव्य. रा.	नि. रा.	सू. व्य.	अव्य. रा.	नि. रा.	सू. व्य.	अव्य. रा.	प्रस्तावित 2001-02
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	2728.5	2728.5	0.00	2182.9	2182.9	0.00	2182.9	727.50	1455.44	2732.80
2.	असम	2069.6	2152.0	-82.4	2443.5	1940.0	503.5	2443.50	–	2443.50	3058.99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	बिहार	0.00	4362.1	-4362.1	4779.1	0.00	4779.1	1711.06	–	1711.06	556.56
4.	गुजरात	3689.7	3249.6	440.1	3140.0	3123.8	16.2	3139.98	3646.00	-506.02	3930.91
5.	हि.प्र.	689.4	557.7	131.8	514.1	750.6	-236.6	514.05	–	514.05	643.53
6.	जम्मू व कश्मीर	739.2	500.3	239.0	776.4	726.6	49.8	776.38	–	776.38	971.94
7.	कर्नाटक	686.6	505.4	181.2	616.1	1094.5	-478.3	616.13	–	616.13	771.33
8.	केरल	408.2	208.1	200.0	218.6	208.0	10.6	218.63	–	218.63	273.70
9.	मध्य प्रदेश	9476.2	9476.2	-171.1	9797.2	11571.3	-1774.1	6257.12	6631.52	-374.40	7833.22
10.	महाराष्ट्र	3532.2	2767.4	764.8	2974.6	2783.3	191.2	2974.57	–	2974.57	3723.83
11.	मणिपुर	779.5	943.4	-163.9	608.7	651.5	-42.8	608.65	–	608.65	761.96
12.	उड़ीसा	5911.9	5000.0	91..9	5698.3	7660.1	-1961.9	5188.40	4931.72	256.68	6495.30
13.	राजस्थान	3475.7	2620.6	855.1	2915.2	3355.5	-440.2	2915.24	2667.51	247.73	3649.56
14.	सिक्किम	60.0	96.1	-36.1	86.3	86.4	-0.1	86.28	–	86.28	108.02
15.	तमिलनाडु	295.9	295.9	0.00	258.3	258.3	0.00	258.27	–	258.27	323.32
16.	त्रिपुरा	977.8	791.8	186.0	831.6	1067.6	-236.0	831.57	–	831.57	1041.03
17.	उत्तर प्रदेश	57.5	112.9	-55.4	99.9	79.5	20.3	41.83	71.83	-30.00	32.10
18.	प. बंगाल	2222.1	2222.1	0.00	1759.4	0.00	1759.4	1759.40	–	1759.40	2202.57
19.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3422.62	–	3422.62	5870.24
20.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3695.36	3647.36	48.00	4626.85
21.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.02	–	58.02	92.91
22.	अं. व नि.	133.9	123.8	10.1	255.4	135.3	120.2	233.90	–	233.90	200.85
23.	दमन व दीव	66.1	10.7	55.4	44.6	20.6	24.0	66.10	–	66.10	99.15
	कुल	38000.0	38895.7	-895.7	40000.0	37695.6	2304.4	40000.00	22323.44	17676.56	50000.00

संक्षिप्तियां:-

नि.रा. : निर्मुक्त राशि

सू. व्य. : सूचित व्यय

विवरण-II

जनजातीय उप-योजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्य वार्षिक योजना और जनजातीय उप-योजना के प्रवाह को दर्शाने वाला विवरण

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1998-1999		1999-2000		2000-2001	
		राज्य योजना	टी.एस.पी. को प्रवाह	राज्य योजना	टी.एस.पी. को प्रवाह	राज्य योजना	टी.एस.पी. को प्रवाह
1.	आन्ध्र प्रदेश	4678.94	158.09	5479.50	152.59	–	–
2.	असम	1128.70	108.66	1202.61	124.66	1210.34	136.54
3.	बिहार	2348.42	726.76	3630.00	1044.53	–	–
4.	गुजरात	5450.00	666.72	6550.00	853.08	7600.00	916.54
5.	हिमाचल प्रदेश	1440.00	122.67	1600.00	135.00	1720.00	146.11
6.	जम्मू व कश्मीर	–	–	522.26	56.94	–	–
7.	कर्नाटक	5353.00	76.18	5231.35	87.93	7274.00	89.94
8.	केरल	3100.00	61.17	3250.00	60.11	–	–
9.	मध्य प्रदेश	3700.00	634.32	2153.94	502.51	2490.60	631.24
10.	महाराष्ट्र	11600.73	561.00	6641.82	580.59	5798.00	525.00
11.	मणिपुर	277.03	126.93	475.00	198.64	681.95	257.54
12.	उड़ीसा	2071.23	643.85	2488.88	627.88	2908.92	818.00
13.	राजस्थान	3800.00	384.55	5022.27	427.31	4219.32	433.87
14.	सिक्किम	193.60	17.24	90.81	25.01	133.35	31.22
15.	तमिलनाडु	4500.00	46.24	5251.12	58.49	5700.27	58.60
16.	त्रिपुरा	440.00	120.51	437.00	145.64	555.50	172.88
17.	उत्तर प्रदेश	10260.96	49.10	11400.00	60.68	9025.00	46.76
18.	पश्चिम बंगाल	4594.85	79.92	5760.39	124.05	5977.58	138.14
19.	अंडमान व निकोबार	320.00	41.22	400.00	63.16	410.00	54.72
20.	दमन व दीव	33.39	1.40	36.60	1.35	34.06	1.24

स्नातक पाठ्यक्रम के रूप में वैदिक ज्योतिष शास्त्र को शुरू किया जाना

271. **श्री रूपचन्द पाल:**
श्रीमती रेणूका चौधरी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न विश्वविद्यालयों और कालेजों में वैदिक ज्योतिष शास्त्र जैसे स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अन्तरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त वैज्ञानिकों ने कहा है कि चौबीस विश्वविद्यालयों में वैदिक ज्योतिष शास्त्र विभाग स्थापित करने का कदम वस्तुत: हमें वापस मध्यकाल में ले जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो ज्योतिष शास्त्र को कालेज की शिक्षा में विषय के रूप में शामिल करने संबंधी कदम उठाने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सिद्धांत रूप में चयनित विश्वविद्यालयों में 'जोतिर्विज्ञान' के कुछ विभागों को स्थापित करने का निर्णय लिया। इस संबंध में प्राप्त 42 प्रस्तावों में से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति ने 20 विश्वविद्यालयों की सिफारिश की थी। आयोग ने इन विश्वविद्यालयों से ज्योतिर्विज्ञान में बी.ए./बी.ए. (आनर्स)/एम.ए. और पी.एच.डी. की डिग्रियां प्रदान करने वाले पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए स्वतंत्र विभागों की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त पाठ्यक्रमों को शुरू करने के कदम की मिली-जुली प्रतिक्रिया हुई है। देश में उच्च शिक्षा का अभिरक्षक होने के नाते विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ज्योतिर्विज्ञान के समग्र अभिप्राय में ज्ञान के सभी पहलुओं में मुक्त अन्वेषण की भावना से ऐसे पाठ्यक्रमों के अनुसरण का समर्थन किया है।

माध्यमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का प्रारूप

272. **श्री जी.एम. बनातवाला:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सी.ए.बी.ई.) के समक्ष पाठ्यक्रम प्रारूप रखा गया है अथवा रखे जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के मुख्य निर्णय/निष्कर्ष क्या है;

(ग) यदि पाठ्यक्रम का प्रारूप नहीं रखा गया है अथवा नहीं रखे जाने का प्रस्ताव है तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस पर सरकार/राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की प्रतिक्रिया क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने सम्पूर्ण देश में बहुस्तरीय विस्तृत विचार-विमर्श करने के बाद राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा पाठ्यचर्या ढांचे को अन्तिम रूप दे दिया है। इस दस्तावेज को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के सामान्य निकाय जिसके सदस्य अनेक राज्यों के शिक्षा मंत्री हैं, के समक्ष भी रखा गया था। इस निकाय ने इस पाठ्यचर्या ढांचे पर विचार-विमर्श किया था। इस दस्तावेज को केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के समक्ष नहीं रखा जा सका क्योंकि वर्ष 1994 में इसका कार्यकाल समाप्त होने के बाद इसका पुनर्गठन नहीं किया गया।

पश्चिम बंगाल में उपक्रमों और उर्वरक यूनिटों का पुनरुद्धार

273. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र की केन्द्रीय भेषजीय इकाईयों और उर्वरक इकाईयां गम्भीर कार्मिक प्रबन्धन संकट, नकद ऋण की कमी कार्यशील पूंजी की कमी और आधुनिकीकरण न होने की समस्या का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार आधुनिकीकरण के व्यापक पैकेज से राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप भेषजीय उत्पादन और उर्वरक उत्पादन बढ़ाने के लिए इन इकाईयों का पुनरुद्धार करने हेतु पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ मिलकर संयुक्त पहल करने के लिए कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो आज की तारीख के अनुसार प्रत्येक इकाई की कार्य शक्ति की नवीनतम स्थिति और वित्तीय स्थिति क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग)

रसायन तथा पेट्रोरसायन विभाग

पश्चिम बंगाल में भेषजीय क्षेत्र में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उपक्रम अर्थात् बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि. (बीसीपीएल), बंगाल इम्यूनिटी लि. (बीआईएल), और स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि. (एसएसपीएल) हैं। चूंकि ये कंपनियां बहुत वर्षों से निरंतर घाटा उठा रही थीं, अत: एसआईसीए, 1985 के तहत उन्हें बी आई एफ आर को निर्दिष्ट कर दिया गया था। इन कंपनियों के लिए बी आई एफ आर द्वारा पुनरुद्धार पैकेज भी स्वीकृत कर दिए गए थे। बी सी पी एल के लिए पुनरुद्धार पैकेज कार्यान्वयनाधीन हैं। बी आई एफ आर ने बी आई एल के लिए स्वीकृत किए गए पुनरुद्धार पैकेज को दिनांक 5 अप्रैल, 1999 को असफल घोषित करते समय कंपनी का प्रौद्यो-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन करने का भी निदेश दिया जो आई आई एम, कोलकत्ता द्वारा पूरा किया जा चुका है। जहां तक एसएसपीएल का संबंध है बीआईएफआर ने स्वीकृत स्कीम को दिनांक 17 अक्टूबर, 2000 को असफल घोषित कर दिया और प्रचालन एजेंसी (आई आई बी आई) को अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी के पुनर्वास हेतु इसके अधिग्रहण/पट्टे पर देने/समामेलन/विलयन के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए विज्ञापन जारी करने का निदेश दिया। कंपनी का विज्ञान दिनांक 9 फरवरी, 2001 के समाचार-पत्रों में प्रकाशित हआ किन्तु कोई प्रत्युत्त प्राप्त नहीं हुआ है। इस बीच कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी हेतु सरकार योजना भिन्न ऋण सहायता के माध्यम से बी आई एल और एस एस पी एल को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

ऐसी सहायता मई 2001 तक जारी की गई है।

उर्वरक विभाग

(क) से (ग) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन आफ इंडिया (एचएफसी) के दो उर्वरक एकक हल्दिया और दुर्गापुर बंगाल में स्थित हैं। चूंकि एच एफ सी निरंतर घाटा उठा रही थी, अत: बी आई एफ आर द्वारा इसे नवम्बर 1992 में रुग्ण घोषित कर दिया गया था। यद्यपि, प्रौद्यो-आर्थिक अव्यवहार्यता के कारण कभी भी प्रारम्भ न हो सकी हल्दिया उर्वरक परियोजना को बन्द/अलग करने का निर्णय सरकार द्वारा पहले ही लिया जा चुका है और दुर्गापुर एकक के प्रचालनों को प्राइमरी रिफोरमर टॉप में आग लग जाने के कारण रोकना पड़ा था। दुर्गापुर एकक का सुस्थिर और व्यवहार्य प्रचालन तब तक संभव नहीं है जब तक कि इस संयंत्र का पूर्ण पुनरुद्धार नहीं किया जाता जो कि बजटीय बाधाओं और उत्पादन की उच्च लागत के कारण बाधित है। हल्दिया और दुर्गापुर एककों सहित एच एफ सी के लिए पुनरुद्धार प्रस्ताव पर सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा 31.5.2001 को विचार किया गया था और इन प्रस्तावों की जांच करने तथा सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए मंत्रिदल का गठन किया गया है। इस बीच सरकार एच एफ सी को इसके निष्क्रिय एककों के स्थायी प्रभारों (वेतन/मजदूरी तथा संरक्षण लागत) पर होने वाले व्यय और क्रियाशील एककों की कार्यकारी पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजना-भिन्न सहायता के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

ऐसी सहायता जुलाई 2001 तक जारी की गई है।

[हिन्दी]

बिहार के जनजातीय क्षेत्रों का समेकित विकास

274. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्र सरकार के पास कुछ प्रस्ताव अनुमोदनार्थ भेजे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इनकी नवीनतम स्थिति क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाना

275. श्री डी.वी.जी. शंकर राव: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिपुरा में भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने का काम शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के कब तक आरम्भ होने और पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) त्रिपुरा में भारत-बांग्लादेश सीमा के साथ-साथ 736 कि.मी. में बाड़ लगाने के काम को सरकार द्वारा जून, 2000 में स्वीकृति दी गई है। कांटेदार तार, कन्सर्टिना कॉयल्स, एंगर आयरन पोस्ट आदि जैसी सामग्री प्राप्त करने का कार्य चल रहा है।

(ख) बाड़ लगाने का कार्य चालू वित्तीय वर्ष 2001-2002 की दूसरी तिमाही में आरम्भ होने और मार्च 2007 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने वाली योजनाएं

276. **श्री हरिभाई चौधरी:**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यवार, विशेषत: गुजरात और जम्मू-कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और रोजगार सृजन के लिए लागू की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं के तहत गत तीन वर्ष के दौरान अब तक वर्ष-वार, राज्य-वार और योजना-वार कितनी-कितनी निधियां आबंटित की गई;

(ग) क्या इन योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित किए गए लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं के तहत राज्य-वार और योजना-वार कितने युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) गुजरात, जम्मू और कश्मीर सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और रोजगार सृजन हेतु वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही प्रमुख योजनायें हैं, सुनिश्चित रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरूभूमि विकास कार्यक्रम तथा समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना।

(ख) से (घ) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत आबंटित निधियों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। 1998-99 से 2000-2001 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित वर्षवार लक्ष्य संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं। योजनाओं के अंतर्गत रोजगार प्राप्त युवाओं की संख्या के बारे में सूचना नहीं रखी जाती है।

विवरण-I

1998-99 से 2001-2002 के दौरान गुजरात, जम्मू और कश्मीर और राज्यों के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय आबंटन

(लाख रु. में)

कार्यक्रम	गुजरात को केन्द्रीय आवंटन				जम्मू और कश्मीर को केन्द्रीय आबंटन			
	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002
जे.जी.एस.वाई.	4405.58*	3508.04	3285.21	3285.44	1350.93*	1075.71	1007.38	1007.45
आई.ए.वाई.	3150.78	3243.00	3243.00	3389.62	966.16	618.00	618.00	606.54
ई.ए.एस.	4410.00	3872.86	6514.32	2597.35	4760.00	1187.58	760.26	796.45
एस.जी.एस.वाई.	1455.67*	2341.15	1996.15	1154.96	446.37*	717.90	612.10	354.16
डी.पी.ए.पी.	0.00	878.81	1427.34	0.00	0.00	219.56	368.76	0.00
डी.डी.पी.	0.00	1490.00	2445.00	0.00	0.00	396.02	784.00	0.00
आई.डब्ल्यू.डी.पी.	0.00	491.73	3721.11	0.00	0.00	100.00	272.00	0.00
ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.	6260.51	6428.52	7485.00	8237.00	5567.40	6434.26	9070.00	10105.88
सी.आर.एस.पी.	200.00	250.00	126.79	47.93	140.40	87.86	153.39	11.85
कुल	14021.29	18631.25	30243.92	18712.30	11433.96	10836.89	13645.89	12882.33

* जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत (जे.आर.वाई.)
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.)

विवरण-II

1998-99 से 2001-2002 के दौरान गुजरात के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत वास्तविक निष्पादन

कार्यक्रम	लक्ष्य 1998-1999	उपलब्धि 1998-1999	लक्ष्य 1999-2000	उपलब्धि 1999-2000	लक्ष्य 2000-2001	उपलब्धि 2000-2001	लक्ष्य 2001-2002	उपलब्धि 2001-2002	इकाइयां
जे.जी.एस.वाई.	53.34	59.18	*	44.75	*	93.44	*	0.96	रोजगार के श्रम दिन (लाख में)
आई.ए.वाई.	19692	21820	25944	26351	25944	23792	27117	1483	निर्मित आवासों की संख्या
ई.ए.एस.	*	63.07	59.97	48.49	32.02	80	27.96	8.25	रोजगार के श्रम दिन (लाख में)
एस.जी.एस.वाई.	*	39598	*	19341	*	87723	*	1695	लाभार्थियों की सं.
डी.पी.ए.पी.	450	360	*	एन.आर.	*	एन.आर.	*	एन.आर.	वाटरशेडों की सं.
डी.डी.पी.	445	445	*	एन.आर.	*	एन.आर.	*	एन.आर.	वाटरशेडों की सं.
आई.डब्ल्यू.डी.पी.	*	एन.आर.	*	6	*	एन.आर.	*	एन.आर.	वाटरशेडों की सं.
ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.	1800	1806	1800	1656	2400	960	2400	92	कवर की गई बसावटों की संख्या
सी.आर.एस.पी.	65000	68249	20000	1652	121719	106347	*	एन.आर.	निर्मित शौचालय की सं.

*कार्यक्रम के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।
एन.आर.- असूचित

1998-99 से 2001-2002 के दौरान जम्मू व कश्मीर के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत वास्तविक निष्पादन।

कार्यक्रम	लक्ष्य 1998-1999	उपलब्धि 1998-1999	लक्ष्य 1999-2000	उपलब्धि 1999-2000	लक्ष्य 2000-2001	उपलब्धि 2000-2002	लक्ष्य 2001-2002	उपलब्धि 2001-2002	इकाइयां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जे.जी.एस.वाई.	27.5	20.59	*	9.74	*	21.36	*	21.36	रोजगार के श्रम दिन (लाख में)
आई.ए.वाई.	7699	5400	5830	126	4644	3153	4852	एन.आर.	निर्मित आवासों की संख्या
ई.ए.एस.	*	69.37	25.79	26.27	16.5	20.41	7.29	एन.आर.	रोजगार के श्रम दिन (लाख में)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
एस.जी.एस.वाई.	*	13992	*	5835	*	11178	*	एन.आर.	लाभार्थियों की सं.
डी.पी.ए.पी.	*	एन.आर.	*	एन.आर.	*	एन.आर.	*	एन.आर.	वाटरशेडों की सं.
डी.डी.पी.	187	187	*	एन.आर.	*	एन.आर.	*	एन.आर.	वाटरशेडों की सं.
आई.डब्ल्यू.डी.पी.	*	एन.आर.	*	एन.आर.	*	एन.आर.	*	एन.आर.	वाटरशेडों की सं.
ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.	1000	685	440	423	4000	एन.आर.	402.0	एन.आर.	कवर की गई बसावटों की संख्या
सी.आर.एस.पी.	34068	5265	7029	एन.आर.	30087	एन.आर.	*	एन.आर.	निर्मित शौचालय की सं.

*कार्यक्रम के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

एन.आर.- असूचित

[अनुवाद]

पंचायती राज संस्थाओं संबंधी संविधान संशोधन विधेयक

277. **श्रीमती कान्ति सिंह:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ने मई, 2001 में पंचायती राज संस्थाओं संबंधी 87वें संविधान (संशोधन) विधेयक पर चर्चा करने के लिए सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या है; और

(ग) सरकार ने इस विधेयक पर क्या रुख अपनाया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) जी हां।

(ख) और (ग) 19 मई, 2001 को संसद भवन, नई दिल्ली में प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में संसद में सभी दलों के नेताओं की बैठक में 18 राजनैतिक दलों के नेता/प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि देश में पंचायती राज के व्यापक संदर्भ में संविधान (87वां संशोधन) विधेयक, 1999 को आस्थगित रखा जाये और इसका और अध्ययन किया जाए।

[हिन्दी]

जनजातियों हेतु कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

278. **श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में जनजातियों हेतु तैयार किए गए कार्यक्रमों का कार्यान्वयन प्रभावशाली ढंग से नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा इन कार्यक्रमों का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इन कार्यक्रमों से गुजरात में बलसाड़ की जनजातियां लाभान्वित हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) केन्द्र तथा राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करती हैं कि देश में जनजातियों के विकास के कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से समय पर तथा सार्थक तरीके से लक्ष्य समूह की महसूस की जा रही आवश्यकताओं से संबंधित योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जाए। इस उद्देश्य के लिए निरंतर मानीटरिंग की जा रही है।

(ग) से (ङ) राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के जनजातीय कल्याण संबंधी विभिन्न योजनाएं तथा कार्यक्रम गुजरात में बलसाड़ सहित देश में जनजातियों के कल्याण के लिए अभिप्रेत हैं।

विद्युत क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति

279. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव:**
श्री जय प्रकाश:
श्री ए. ब्रह्मनैया:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न उद्योगों और विद्युत केन्द्रों में कोयले की मौजूदा राज्य-वार, उद्योग-वार और विद्युत केन्द्र-वार आवश्यकता कितनी है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान आज तक प्रत्येक वर्ष इन उद्योगों/विद्युत केन्द्रों को उनकी मांग के अनुसार कोयला आपूर्ति की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकर ने इन क्षेत्रों को कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) कोयले की मांग का निर्धारण योजना आयोग द्वारा विद्युत, इस्पात, कोयला एवं उद्योग इत्यादि मंत्रालयों के परामर्श से उपभोक्ताओं की प्रक्षिप्त वृद्धि, अनुमान और मांग के आधार पर किया जाता है। मांग का निर्धारण राज्य-वार नहीं किया जाता है। पिछले तीन वर्षों में कोयले की क्षेत्र-वार मांग तथा प्रेषण निम्न प्रकार है:-

(मिलियन टन में)

	1998-99		1999-2000		2000-2001		2001-2002
	मांग	प्रेषण	मांग	प्रेषण	मांग	प्रेषण*	मांग
विद्युत	220.30	207.70	214.00	224.74	223.63	241.35	241.54
इस्पात	36.83	24.98	36.83	21.40	41.76	22.87	34.12
सीमेंट	15.00	8.61	10.00	9.50	15.42	10.03	17.00
अन्य	53.25	50.31	51.00	50.86	53.04	43.06	61.63
जोड़	325.38	291.60	311.83	306.50	333.85	317.31	354.29

*अनंतिम

(ग) और (घ) निर्धारित मांग का निर्णय वर्ष के प्रारंभ से पहले किया जाता है। अक्सर, कोयले की वास्तविक आवश्यकता तथा कुल खरीद योजना आयोग द्वारा निर्धारित मांग से भिन्न होती है।

उपभोक्ता, विशेष रूप से, इस्पात, सीमेंट और कुछ हद तक विद्युत क्षेत्र भी अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या तो देशी स्रोतों से कोयले की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण अथवा लागत के कारण कोयले का आयात करते हैं।

[अनुवाद]

आतंकवादियों द्वारा मस्जिदों में आश्रय लेना

280. **श्री राम मोहन गाड्डे:**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कश्मीर में कार्यरत सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों द्वारा मस्जिदों में आश्रय लेने की घटनाओं पर गंभीर चिंता जताई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने क्या नीति तैयार की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों द्वारा मस्जिदों में आश्रय लेने की घटनाओं पर गंभीर चिंता नहीं जताई है। यद्यपि, वे धार्मिक स्थलों में कार्रवाई करने की संवेदनशीलता से अवगत हैं।

(ग) सुरक्षा बलों को प्रत्येक विशिष्ट मामले में जमीनी स्तरीय आवश्यकताओं के आधार पर उत्पन्न होने वाली स्थितियों से इस

ढंग से निपटने और अपने अभियानों को, अभियान के उद्देश्य से समझौता किए बिना, इस प्रकार से संचालित करने की छूट है कि धार्मिक ढांचों को न्यूनतम क्षति पहुंचे।

अध्यापकों की मांगों पर बैठक

281. **श्री अजय चक्रवर्ती:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष मई में अध्यापकों की लम्बे समय से लम्बित मांगों पर विचार-विमर्श करने के लिए मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केन्द्रीय विश्वविद्यालय अध्यापक एसोसिएशन परिसंघ के प्रतिनिधियों के बीच बैठ हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो किए गए विचार-विमर्श, अध्यापकों की लम्बे सय से चली आ रही मांगों और इन मांगों के समाधान के लिए किए गए समझौते का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) ऐसी कोई बैठक नहीं हुई थी। तथापि, दिनांक 23.5.2001 को केन्द्रीय विश्वविद्यालय अध्यापक एसोसिएशन परिसंघ द्वारा उठाए गए मुद्दों पर उनके प्रतिनिधियों के साथ अनौपचारिक विचार-विमर्श हुआ था और सरकार के दृष्टिकोण से उन्हें अवगत करा दिया गया था।

कम्प्यूटर पाठ्यक्रम

282. **डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं में चलने वाले कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों में छात्र/छात्राओं के साथ धोखाधड़ी और उनसे पैसा ऐंठने के कई मामलों की जानकारी प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन संस्थाओं द्वारा तकनीकी शिक्षा परिषद् से संबद्ध होकर विदेशी एजेंसियों की ओर से कार्य करने के प्राधिकार के नाम पर किए जा रहे काम की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का छात्र/छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनके उत्पीड़न और वित्तीय नुकसान को कम करने के लिए देश में इन संस्थाओं के कार्यकरण को विनियमित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ङ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् कम्प्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम आदि का संचालन करने वाली संस्थाओं सहित अनुमोदित तकनीकी संस्थाओं के निर्धारित मानकों तथा स्तरों के रखरखाव सहित उनके कार्यनिष्पादन की मानीटरिंग करती है। तथापि, अनौपचारिक क्षेत्र में कम्प्यूटर-प्रशिक्षण संस्थानों की मानीटरिंग अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के कार्यक्षेत्र में नहीं आती है। कतिपय संस्थानों द्वारा किए गए कदाचारों की शिकायतें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की जानकारी नहीं आई हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् में एक कदाचार निवारण कक्ष बनाया गया है जो ऐसी विभिन्न प्रकार की शिकायतों का निपटारा भी करता है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने विदेशी एजेंसियों के फैनचाइज वाली किसी संस्था को अनुमोदित नहीं किया है। गैर-अनुमोदित संस्थाओं से लोगों को बचाने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् समय-समय पर प्रमुख समाचार-पत्रों में सूचनाएं प्रकाशित करती है जिसमें उनके संस्थाओं के अनुमोदन स्तर की जांच करने की सलाह दी जाती है। अनुमोदित तकनीकी संस्थानों की सूची अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

रसायन और उर्वरक संबंधी कृतिक बल

283. **श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रसायन और उर्वरक उद्योग के संबंध में विश्व व्यापार संगठन संबंधी पहलुओं का अध्ययन करने और उनका समाधान ढूंढने के लिए एक कृतिक बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को कृतिक बल की रिपोर्ट मिल गई है;

(ग) यदि हां, तो इसमें कौन-कौन सी मुख्य सिफारिशें की गई हैं;

(घ) सरकार की इन पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार नेफ्था आधारित उर्वरक उद्योग की सहायता करने के लिए एक एकमुश्त कोष बनाने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) डीएपी के लिए बाध्य दर वचनबद्धताओं तथा यूरिया पर से दिनांक 31.3.2001 तक मात्रा संबंधी प्रतिबन्ध समाप्त करने को ध्यान में रखते हुए कृतिक बल ने डीएपी के लिए टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) और रियायत की भिन्नता दर सहित डब्ल्यू टी ओ उपबन्धों के अनुसार उर्वरक क्षेत्र के लिए नीति उपायों के संबंध में विकल्पों की अनुशंसा की। तथापि, सरकार द्वारा दिनांक 31.3.2000 को घोषित की गई निर्यात तथा आयात नीति के अधीन यूरिया के आयात को दिनांक 1.4.2001 से राज्य व्यापार उद्यम (एसटीई) अनुबन्ध के तहत रखा गया है। इस अनुबन्ध के तहत निर्यात आयात नीति के पैरा 4.8 के अध्यधीन केवल भारतीय राज्य व्यापार निगम (एसटीसी) एमएमटीसी लि. और इंडियन पोटाश लि. (आईपीएल) नामक एसटीई के माध्यम से आयातों की अनुमति है। तथापि विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) यूरिया के आयात हेतु किसी अन्य व्यक्ति को लाइसेंस प्रदान कर सकता है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

एच एफ सी आई और एफ सी आई संबंधी पुनः प्रवर्तन पैकेज

284. श्री सुनील खां: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया (एचएफसीआई) और फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया (एफ सी आई) से गैस आधारित संयंत्रों के लिए पुनः प्रवर्तन पैकेज प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक अन्तिम रूप दिए जाने और कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया और फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया के एककों में से गैस पर आधारित एकमात्र अर्थात् नामरूप संयंत्र के पुनरुद्धार को 350 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सरकार द्वारा 1997 में अनुमोदित किया गया था। यह परियोजना दिनांक 2.11.1998 से कार्यान्वयनाधीन है और फरवरी 2002 तक पूरी होने की आशा है। 131.69 करोड़ रुपये की धनराशि पहले ही जारी की जा चुकी है और वर्ष 2001-2002 के दौरान 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

ग्रामीण स्कूलों/आंगनवाड़ियों में पेयजल की व्यवस्था

235. श्री चिंतामन वनगा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक सभी ग्रामीण स्कूलों और आंगनवाड़ियों में पेयजल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्ययोजना तैयार की है और कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका वित्तपोषण किस प्रकार किया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

महानगरों में देह व्यापार

286. श्रीमती रेनु कुमारी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सभी महानगरों में देह व्यापार बेरोकटोक चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष इन महानगरों, विशेषतः दिल्ली में ऐसे कितने रैकेटों का भंडाफोड़ किया गया है; और

(ग) सरकार इन गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार ''पुलिस और लोक व्यवस्था'' राज्य के विषय हैं और इस प्रकार महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाले अपराध सहित अपराधों को दर्ज करने, जांच-पड़ताल करने, पता लगाने और रोकने की जिम्मेवारी मुख्यतया राज्य सरकरों की है। तथापि, सरकार, समाज में वैश्यावृत्ति/बाल वैश्यावृत्ति की घटनाओं के बारे में चिन्तित हैं। इसे रोकने के उद्देश्य से और वेश्यावृत्ति की शिकार महिलाओं और बच्चों को समाज में मुख्यधारा में लाने और जोड़ने के लिए भारत सरकार ने, राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित किए जाने के लिए एक कार्य-योजना तैयार की हैं।

केन्द्र/राज्य सरकारें, वैश्यावृत्ति की शिकार महिलाओं और बच्चों के पुनर्वास और उद्धार के लिए अपनी एजेन्सियों या गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से अनेक परियोजनाएं/योजनाएं कार्यान्वित करती रही हैं। इन कुछ योजनाओं में से मध्य प्रदेश में ''जाबाली'' नामक एक योजना है जिसका उद्देश्य पीड़ित महिलाओं और बच्चों *के कल्याण और विकास के लिए कार्य करने हेतु स्वयंसेवी संगठनों* को सहायता प्रदान करना है, कर्नाटक सरकार की देवदासी पुनर्वास योजना, एच.आई.वी. से पीड़ित महिलाओं के पुर्नवास के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी परियोजना, महाराष्ट्र सरकार ने एक विशेष किशोर गृहों की स्थापना की है जिसमें व्यवसायिक यौन शोषण और एच.आई.वी./एड्स से प्रभावित बच्चों के लिए परामर्श सुविधा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वास्थ्य देख-रेख सुविधा उपलब्ध हैं।

इसके अतिरिक्त, वैश्याओं के कल्याण और पुनर्वास के लिए स्रोत क्षेत्रों में प्रशिक्षण योजनाएं, रोजगार और अन्य सृजन योजनाएं, जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता, प्रशिक्षण एवम् उत्पादन केन्द्रों की स्थापना, सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम, ट्राईसेम और डी.डब्ल्यू.ए.सी.आर.ए. को कार्यान्वित किया जाता है। कुछ वेश्यावृत्ति वाले इलाकों में एकीकृत बाल विकास सेवा योजनाएं शुरू की गयी हैं। सरकार के पास वेश्यावृत्ति के पीड़ितों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित गृहों और अल्पावधि तक रुकने के गृहों (शार्ट स्टे होम्स) का व्यापक नेटवर्क है।

[अनुवाद]

डीडीए में कार्यरत व्यक्ति

287. मोहम्मद शहाबुद्दीन: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के प्रत्येक संघ में फिलहाल प्रतिनियुक्ति पर लिए गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्ष के दौरान डीडीए में कितने व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर लिए गए;

(ग) गत तीन वर्ष के दौरान डीडीए में कितने व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर लिए गए और कितने व्यक्तियों को उनके विभागों को वापिस भेजा गया;

(घ) क्या सरकार की मौजूदा नीति के तहत विभिन्न कार्यालयों/विभागों में प्रतिनियुक्ति को बढ़ावा नहीं दिया जाता; और

(ङ) यदि हां, तो डीडीए में प्रतिनियुक्ति पर गए व्यक्तियों को वापिस बुलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या प्रस्तावित है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) दिनांक 15 जुलई, 2001 तक दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत व्यक्तियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) 55 व्यक्ति।

(ग) 23 व्यक्ति।

(घ) और (ङ) कुछ विशिष्ट पदों पर व्यक्तियों को केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के तहत तथा इन पदों के लिए भर्ती विनियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है। वे दिल्ली विकास प्राधिकरण में कार्यकाल के पूरा होने पर अपने कैडर में वापस लौट जाते हैं।

विवरण

मिनिस्ट्रियल विंग ग्रुप (क) और (ख)

क्र.सं.	नाम	पदनाम	कार्यग्रहण की तारीख
1	2	3	4
1.	श्री पी.के. होता	उपाध्यक्ष, भा.प्र.सं. उड़ीसा-69	16.12.2001
2.	श्री परनिल राय	आयुक्त (एल.एम.)-1 भा.प्र.सं., ए.जी.एम.यू.-85	5.5.2000
3.	श्री डी.बी. गुप्ता	आयुक्त (आवास) भा.प्र.सं., राजस्थान-83	15.5.2000
4.	श्री अमर चटर्जी	निदेशक (आवास), बिहार सरकार	19.11.96
5.	श्री सुरजीत राय	निदेशक (एल.एम.), यू.टी.सी.एस. अधिकारी, दिल्ली सरकार	1.10.99
6.	श्री ए.के. कदयान	निदेशक (सतर्कता) आई.डी.ए.एस. अधिकारी	1.10.99
7.	श्री डी. सरकार	ओ.एस.डी. (पी)/निदेशक (खेल-कूद), भा. डाक सेवा	15.4.97
8.	श्री एस.के. टंडन	सी.एल.ए., दिल्ली हायर जुडिशियरी सर्विस, दिल्ली उच्च न्यायालय	1.3.2001
9.	श्री अरविन्द कुमार	आयुक्त (पी) आई.आर.पी.एस.-82	14.8.96
10.	श्री आर.के. सिंह	सी.वी.ओ. आई.पी.ओ.एस.-74	15.6.99
11.	आलोक सरूप	उप-राज्यपाल के ओ.एस.डी. डेनिक्स, भारत सरकार	11.8.2000
12.	श्री के.एस. गंगर	उप-निदेशक, एस.ई.जेड., सी.एल.एम.-1 यू.टी.सी.एस., दिल्ली सरकार	1.4.99
13.	श्री विनय भूषण	उप-निदेशक (सीएस.)/सी.एल.डी., यू.टी.सी.एस.	9.6.99
14.	श्री रजनीश चौधरी	उपाध्यक्ष, के.ओ.एस.डी., यू.टी.सी.एस., दिल्ली सरकार	10.8.99
15.	श्री सी. उदय कुमार	उप निदेशक (इंड.)/सी.एल.डी., यू.टी.सी.एस., दिल्ली सरकार	10.11.99
16.	श्री नीरज भारती	उप निदेशक (सी.एल.)/सी.एल.डी., यू.टी.सी.एस. दिल्ली सरकार	7.4.2000
17.	श्री के.डी. रेड्डी	उप निदेशक (एल.एस.बी. (आर)/ सी.एल.डी.यू.टी.सी.एस., दिल्ली सरकार	20.7.2000
18.	श्री रवि	उप निदेशक (एल.एम.), उ.क्षे./ सी.एल.एम.-1 यू.टी.सी.एस., दिल्ली सरकार	25.7.2000
19.	श्री नरदुनचीजयीन	उप निदेशक, सी.ई./सी.एल.डी., यू.टी.सी.एस., दिल्ली सरकार	1.9.2000
20.	श्री बी.एन. सिंह	उप निदेशक (आवास), पी.सी.एस.-91, उ.प्र. सरकार	10.1.2001

1	2	3	4
21.	श्री गुरदीप सिंह	उप-राज्यपाल के ए पी एस, वाणिज्य मंत्रालय	10.2.97
22.	श्री सुदीप बनर्जी	उपाध्यक्ष के निजी सचिव, केन्द्रीय दल आयोग	13.3.2001
लेखा (अॅकाउन्ट्स) विंग			
23.	श्री के.पी.एल. राव	सदस्य (वित्त)	16.6.96
24.	श्री आर. चौहान	वरिष्ठ लेखा अधिकारी (सी.ए.ओ.)	8.11.99
25.	श्री अतुल कुमार राय	निदेशक (एल.सी.)	25.9.97
26.	श्री जगत सिंह	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	25.5.99
27.	श्री बी.एस. भारती	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	6.2.98
28.	श्री एस.के. शर्मा	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	11.8.97
29.	श्री एस.के. गोयल	एफ.ए.एच.	4.5.2001
इंजीनियरिंग विंग			
30.	श्री महेश चन्द्र	मुख्य इंजीनियर (क्यू.सी.) के.लो.नि.वि.	21.3.98
31.	श्री राजन सक्सेना	एस.ई. (विजि.) आई.आर.एस.	2.2.99
32.	श्री बी.के. बिन्दल	एस.ई. (विजि.) संचार मंत्रालय	7.5.99

[हिन्दी]

ग्रामीण स्वच्छता योजना

288. **प्रो. दुखा भगत:**
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान और अभी तक केन्द्र सरकार को प्राप्त हुए ग्रामीण स्वच्छता से संबंधित प्रस्तावों का राज्यवार और योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार परियोजनाओं की प्रगति को दर्शाते हुए सरकार द्वारा निपटाए/रद्द किए गए/लंबित प्रस्तावों का राज्यवार और योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) शेष प्रस्तावों का निपटान कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) वर्ष 2000-2001 के दौरन और अभी तक इस प्रयोजन के लिए राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार विगत तीन वर्षों के दौरान और आज तक केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त/अनुमोदित प्रस्तावों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण I में दिए गए हैं।

(ग) राष्ट्रीय योजना स्वीकृति समिति, संपूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजनाओं को अनुमोदित करने तथा मंजूर करने के लिए गठित की गई है और परियोजनाओं के अनुमोदनार्थ नियमित रूप से बैठक आयोजित की जाती है। विगत तीन वर्षों के दौरान, आदर्श गांवों के लिए 14 परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें से 9 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है और निधियों की सीमित उपलब्धता के कारण 5 परियोजना प्रस्तावों पर विचार-विमर्श नहीं किया जा सका। विगत तीन वर्षों के दौरान 6 विशेष प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनमें से 2 परियोजना प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया

है और शेष पर विचार-विमर्श नहीं किया जा सका तथा परियोजना प्रस्तावों पर विचार-विमर्श नहीं किए जाने के कारणों के बारे में संबंधित राज्य सरकारों को पहले ही सूचित किया जा चुका है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत 13 परियोजना प्रस्ताव लंबित है जिनमें से 6 परियोजनाओं पर विचार-विमर्श नहीं किया जा सका क्योंकि वे पहचाने गए प्रायोगिक जिलों के लिए नहीं थे। अगली बैठक में समिति द्वारा शेष 7 परियोजनाओं पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

(घ) वर्ष 2000-2001 और आज तक इस उद्देश्य हेतु मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में प्राप्त/अनुमोदित परियोजनाओं के राज्य-वार ब्यौरे

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99		1999-2000		2000-2001		2001-2002 (आज तक)	
	परियोजनाओं की सं.		परियोजनाओं की सं.		परियोजनाओं की सं.		परियोजनाओं की सं.	
	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	2	1	7	5	3	2	5	5
अरुणाचल प्रदेश	–	–	2	2	–	–	–	–
असम	–	–	3	3	–	–	–	–
बिहार	–	–	1	1	4	4	2	2
छत्तीसगढ़	–	–	–	–	1	1	–	–
गुजरात	–	–	3	3	–	–	–	–
हरियाणा	–	–	–	–	3	2	–	–
हिमाचल प्रदेश	–	–	1	1	1	–	–	–
जम्मू व कश्मीर	–	–	–	–	2	2	–	–
झारखंड	–	–	1	1	1	1	–	–
कर्नाटक	–	–	3	3	–	–	–	–
केरल	8	6	5	3	3	2	–	–
मध्य प्रदेश	–	–	–	–	5	5	–	–
महाराष्ट्र	–	–	8	8	4	2	–	–
मणिपुर	–	–	–	–	1	1	–	–
मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	–
मिजोरम	–	–	–	–	–	–	2	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
नागालैंड	–	–	–	–	3	3	–	–
उड़ीसा	–	–	3	3	–	–	2	–
पंजाब	–	–	–	–	3	2	2	–
राजस्थान	–	–	4	4	1	1	–	–
सिक्किम	–	–	2	2	–	–	–	–
तमिलनाडु	–	–	5	5	3	3	–	–
त्रिपुरा	–	–	–	–	1	1	–	–
उत्तर प्रदेश	–	–	4	4	8	8	–	–
प. बंगाल	–	–	1	1	5	5	2	1
पांडिचेरी	–	–	–	–	–	–	1	–
कुल	10	7	53	49	52	45	16	8

विवरण-II

2000-2001 के दौरान और चालू वर्ष में मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रिलीज की गई राशि (करोड़ रु. में)	
	2000-2001	2001-2002 (आज तक)
1	2	3
आंध्र प्रदेश	7.71	6.25
अरुणाचल प्रदेश	0.74	–
बिहार	6.79	–
हरियाणा	2.14	–
हिमाचल प्रदेश	0.20	–
जम्मू और कश्मीर	1.22	–
झारखंड	1.99	0.15
केरल	3.08	–
मध्य प्रदेश	7.73	–
महाराष्ट्र	11.96	–
मणिपुर	0.48	–
नागालैंड	1.18	–
उड़ीसा	9.71	–
पंजाब	0.94	0.73
राजस्थान	12.85	–
तमिलनाडु	8.34	–
त्रिपुरा	2.54	–
उत्तर प्रदेश	16.51	–
प. बंगाल	13.00	–
कुल	109.11	16.40

[अनुवाद]

आवास योजनाओं के लिए हुडको द्वारा वित्तीय सहायता

289. श्री सवशीभाई मकवाना: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान हुडको ने देश में विभिन्न ग्रामीण और शहरी आवास योजनाओं के लिए राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है;

(ख) वर्ष 2000-2002 की अवधि के दौरान कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;

(ग) क्या आवास विकास को बढ़ावा देने के लिए हुडको द्वारा ब्याज दर को घटाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अंतर को समाप्त करने के लिए हुडको द्वारा शुरू की गई आवास योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान आवास एवं नगर विकास निगम लि. (हुडको) ने देश में शहरी आवास के लिए 13514.12 करोड़ रु. तथा ग्रामीण आवास के लिए 3536.63 करोड़ रु. के ऋण स्वीकृत किए हैं। वर्ष-वार तथा राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। इस अवधि के दौरान हडको ने हडको निवास नामक रिटेल आवास योजना के तहत शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में व्यक्तियों के लिए 2331.24 करोड़ रु. के ऋण भी स्वीकृत किए हैं। योजना के तहत स्वीकृत ऋणों के वर्षवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II और III में दिए गए हैं।

(ख) 2000-2002 के दौरान लगभग 6844 करोड़ रु. की कुल सहायता मुहैया कराए जाने की संभावना है।

(ग) हडको औसत उधार मूल्य, प्रशासनिक प्रभार वित्तपोषण व्यय आदि के आधार पर ब्याज दर निर्धारित करता है और तदनुसार इन घटकों में से किसी एक में कोई परिवर्तन होने पर दरों को बढ़ाया या घटाया जाता है।

(घ) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अंतर को उत्तरोत्तर कम करने और यथासमय इसे पूर्णतया दूर करने के लिए बीस लाख आवास कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 13 लाख मकानों और शहरी क्षेत्रों में 7 लाख मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से हुडको को कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 6 लाख मकानों और शहरी क्षेत्रों में 4 लाख मकानों का वित्तपोषण करने का कार्य सौंपा गया है।

विवरण-I

1998-99 के दौरान स्वीकृत राज्य-वार आवास ऋण

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य	शहरी	ग्रामीण	योग
1	2	3	4	5
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	1.50	0.00	1.50
2.	आंध्र प्रदेश	339.49	274.88	614.37
3.	असम	197.56	0.00	197.56
4.	बिहार	35.17	0.09	35.26
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00
6.	दिल्ली	9.50	0.00	9.50
7.	गोवा	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	309.72	20.62	330.34
9.	हरियाणा	70.22	0.00	70.22
10.	हिमाचल प्रदेश	137.33	29.45	166.78

1	2	3	4	5
11.	जम्मू व कश्मीर	35.44	0.00	35.44
12.	कर्नाटक	936.02	161.04	1097.06
13.	केरल	421.90	225.80	647.70
14.	मेघालय	55.32	0.00	55.32
15.	मध्य प्रदेश	367.13	0.30	367.43
16.	महाराष्ट्र	1068.96	1.40	1068.36
17.	मणिपुर	56.59	0.00	56.59
18.	मिजोरम	2.00	0.00	2.00
19.	नागालैंड	27.84	0.00	27.84
20.	पाण्डिचेरी	5.74	0.00	5.74
21.	उड़ीसा	30.00	42.75	72.75
22.	पंजाब	223.55	0.00	223.55
23.	राजस्थान	149.97	1.62	151.59
24.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00
25.	तमिलनाडु	833.28	111.72	945.00
26.	त्रिपुरा	0.02	0.00	0.02
27.	उत्तर प्रदेश	248.53	0.00	248.53
28.	पश्चिम बंगाल	127.40	108.82	236.22
	योग	5688.18	978.49	6666.67

विवरण-II

1999-2000 के दौरान स्वीकृत राज्य-वार आवास ऋण

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य	शहरी	ग्रामीण	योग
1	2	3	4	5
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	2.45	0.00	2.45
2.	आंध्र प्रदेश	356.11	392.83	748.94

1	2	3	4	5
3.	असम	123.37	0.00	123.37
4.	बिहार	12.23	0.18	12.41
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00
6.	दिल्ली	14.55	0.00	14.55
7.	गोवा	49.49	0.00	49.49
8.	गुजरात	328.26	1.38	329.64
9.	हरियाणा	191.45	0.00	191.45
10.	हिमाचल प्रदेश	29.10	0.00	29.10
11.	जम्मू व कश्मीर	37.83	0.00	37.83
12.	कर्नाटक	915.85	77.29	993.14
13.	केरल	671.60	224.34	895.94
14.	मेघालय	5.00	0.00	5.00
15.	मध्य प्रदेश	215.78	0.00	215.78
16.	महाराष्ट्र	812.41	0.00	812.41
17.	मणिपुर	1.00	0.00	1.00
18.	मिजोरम	0.00	1.00	1.00
19.	नागालैंड	33.82	0.00	33.82
20.	पाण्डिचेरी	0.00	0.00	0.00
21.	उड़ीसा	22.38	620.19	642.57
22.	पंजाब	100.00	0.00	100.00
23.	राजस्थान	307.97	0.00	307.97
24.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00
25.	तमिलनाडु	890.76	105.53	996.29
26.	त्रिपुरा	9.09	0.00	9.09
27.	उत्तर प्रदेश	208.33	0.00	208.33
28.	पश्चिम बंगाल	823.68	54.68	878.36
	योग	6162.51	1477.42	7639.93
	हडको निवास	1259.97	–	1259.97
	कुल योग	4761.01	–	8899.99

विवरण-III

2000-2001 के दौरान स्वीकृत राज्य-वार आवास ऋण

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य	शहरी	ग्रामीण	योग
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	193.28	295.95	489.23
2.	असम	8.94	1.00	9.94
3.	बिहार	25.00	0.00	25.00
4	छत्तीसगढ़	10.83	0.00	10.83
5.	दिल्ली	0.05	0.00	0.05
6.	गुजरात	14.65	1.48	16.13
7.	हरियाणा	22.74	0.00	22.74
8.	हिमाचल प्रदेश	3.45	0.00	3.45
9	जम्मू व कश्मीर	17.96	0.00	17.96
10.	कर्नाटक	397.74	200.51	598.25
11.	केरल	255.54	124.10	379.64
12.	मध्य प्रदेश	49.15	0.00	49.15
13	महाराष्ट्र	40.52	0.00	40.52
14.	मिजोरम	3.00	0.00	3.00
15.	नागालैंड	24.48	0.00	24.48
16.	उड़ीसा	47.07	175.00	222.07
17.	पंजाब	117.60	0.00	117.60
18.	राजस्थान	18.51	0.00	18.51
19.	तमिलनाडु	294.61	55.94	350.55
20.	त्रिपुरा	0.71	0.00	0.71
21.	उत्तर प्रदेश	84.60	0.00	84.60
22.	पश्चिम बंगाल	3.00	226.74	259.74
	योग	1663.43	1080.72	2744.15
	हडको निवास	1071.27	–	1071.27
	कुल योग	2734.70	1080.72	3815.42

लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया जाना

290. **श्री वाई.वी. राव:**
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग के उपाध्यक्ष के हाल के दौरे के दौरान लद्दाख के लोगों ने लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिए जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार द्वारा कुछ राज्यों के क्षेत्रों को भी संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) 30-31 मई, 2001 को योजना आयोग के उपाध्यक्ष, श्री के.सी. पंत ने लद्दाख और कारगिल यात्रा के दौरान, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन सहित विभिन्न लद्दाखी संगठनों के प्रतिनिधियों, जिन्होंने लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिए जाने की मांग की, से मुलाकात की।

(ग) से (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

उड़ीसा के चक्रवात प्रभावित नगरों का विकास

291. **श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार ने उड़ीसा में चक्रवात से प्रभावित छोटे और मध्यम आकार के नगरों के विकास के लिए कितनी राशि खर्च की है;

(ख) क्या विकास कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही तथा सभा पटल पर रखी दी जायेगी।

महासागर विकास योजनाएं

292. **श्री सी. श्रीनिवासन:**
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:

क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा महासागर विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं पर अब तक कितना व्यय किया गया है; और

(ग) इन योजनाओं की अब तक की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) महासागर विकास विभाग वर्तमान में अनेक स्कीमें क्रियान्वित कर रहा है। विभिन्न स्कीमों के नाम तथा चालू योजना अवधि (1997-2001) के दौरान उन पर किया गया व्यय इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये)

स्कीम का नाम	किया गया व्यय (1997-2001)
अंटार्कटिक अभियान एवं ध्रवीय विज्ञान	77.57
समुद्री सजीव संसाधन	13.80
समुद्री निर्जीव संसाधन	60.72
तटीय और समुद्री क्षेत्र प्रबंधन	34.78
समुद्री प्रेक्षण एवं सूचना सेवाएं	58.70
समुद्री अनुसंधान एवं क्षमता निर्माण	10.75
तटीय समुदाय कार्यक्रम	5.31
राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान	63.15
समुद्री जागरूकता	1.61
अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं दायित्व	7.26

(ग) महासागर विकास विभाग की प्रमुख उपलब्धियों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है:

* अंटार्कटिक के लिए वार्षिक अभियान;

* केपटाऊन से उन्नीसवां और बीसवां भारतीय अभियान भेजा गया। प्रति अभियान 1.30 करोड़ रुपये की बचत तथा समुद्री यात्रा की अवधि में कमी;

* अंटार्कटिक की तुलना में भारत के संचलन की गति का अनुमान लगाया गया;

* प्रियदर्शिनी झील की तलछट 10,000 वर्ष पुरानी होने का अनुमान लगाया गया है;

* अत्यन्त शीत परिस्थितियों में मानव शारीरिक और मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण अध्ययन;

* नितल जीव समूह के लिए बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में 200 से 1000 मीटर गहराई में सर्वेक्षण किया गया;

* औषधि विकास के लिए आशाजनक मधुमेहरोधी, अतिसाररोधी, कोलेस्ट्रॉलरोधी, डिम्भकनाशी और चिन्तारोधी तत्व पाए गए तथा तीन पेटेंट फाइल किए गए;

* उन्नत चरण में औषधि विकास;

* 410 मीटर गहराई में उथला संस्तर खनन प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया;

* बहुविधात्मक पिण्डिकाओं से धातु निष्कर्षण हेतु 50 किलोग्राम/दिन प्रदर्शन संयंत्र के शीघ्र ही हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर में चालू होने की उम्मीद है;

* तूतीकेरीन तट के पास 1 मेगावाट के समुद्र ताप ऊर्जा रूपान्तरण प्रायोगिक संयंत्र लगाने का कार्य चल रहा है;

* ध्वानिक ज्वार प्रमापियों को देश में ही अभिकल्पित एवं विकसित किया गया एवं भारत तथा वियतनाम के विभिन्न स्थानों पर अधिष्ठापित किया गया।

* 6 तटीय संकटपन्न पर्यावासों के लिए जीआईएस का उपयोग करके सूचना प्रणाली विकसित की गई; चयनित प्राचलों के लिए तापी मुहाना एवं इन्नौर तट की अपशिष्ट समावेशी क्षमता निर्धारित की गई; बंदरगाहों एवं पोताश्रयों के लिए ईआईए दिशानिर्देश विकसित किए गये;

* यथार्थ समय आंकड़ा को इकट्ठा करने तथा प्रसारित करने के लिए 12 नौबंध आंकड़ा प्लवों को भारतीय समुद्र क्षेत्र में लगाया गया, जो ठीक मौसम पूर्वानुमान, वैज्ञानिक अध्ययनों में उपयोगी है;

* समुद्र वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझने एवं उपग्रह आंकड़ा के वैधीकरण हेतु अपवाही प्लवों, करेन्ट मीटर क्रम विन्यास एवं एक्सबीटी लगाए गए;

* समुद्र स्तर भिन्नताओं, संभाव्य मत्स्य क्षेत्र पूर्वानुमान के उत्पादन एवं प्रसार के मानीटरन के लिए दस आधुनिक ज्वार प्रमापी केन्द्र स्थापित किए गए।

भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा

293. श्री के. येरननायडू: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तस्करी और आई.एस.आई. की गतिविधियों सहित सीमा पार की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए भारत-नेपाल सीमा पर विशेष पुलिस संगठन की विशेष सेवा बटालियन को तैनात किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत-नेपाल सीमा पर अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने और क्या उपाय किए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) सरकार ने एस एस बी को भारत-नेपाल सीमा पर तैनात करने का निर्णय हाल ही में लिया है।

(ग) भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) भारत-नेपाल सीमा पर चौकसी गहन करना।

(2) नेपाल के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए-सीमा प्रबन्धन पर चौथा-भारत-नेपाल संयुक्त कार्य ग्रुप 28-29 जून 2001 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। दोनों पक्ष आतंकवादी और आपराधिक गतिविधियों पर सूचना के आदान-प्रदान को बढ़ाने के लिए सहमत हुए। वे आतंकवादी गुटों और अन्य प्रतिबन्धित संगठनों आदि द्वारा प्रायोजित सीमा पार के आतंकवाद को कम करने पर सहमत हुए।

(3) फील्ड फार्मेशनों को समय-समय पर सतर्क करना और तस्करी रोकने के लिए सीमा शुल्क की निवारक फार्मेशनों द्वारा समय-समय पर विशेष अभियान चलाना।

[हिन्दी]

कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनियों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

294. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.आई.एल. और उसकी सहायक कंपनियों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू करके कर्मचारियों की संख्या में कमी करने के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान और अब तक कंपनीवार कितने कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली;

(घ) इस योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को देय राशियों के निपटान में कितना समय लगा;

(ङ) क्या सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. के कर्मचारियों को देय राशि के भुगतान में एक वर्ष से अधिक समय लगा;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) कर्मचारियों को देय राशियों के समय पर भुगतान के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) बी.सी.सी.एल. तथा ई.सी.एल. के लिए प्रारंभ में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के द्वारा श्रमशक्ति में कमी का लक्ष्य केवल वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 के लिए निर्धारित किया गया था। बाद के वर्षों में सी.सी.एल. के लिए भी लक्ष्य निर्धारित किया गया। उक्त तीनों कंपनियों के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों तथा सी.आई.एल. और इसकी अनुषंगियों की उपलब्धियों का विवरण नीचे दिया गया है:-

वर्ष	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002 जून, 2001 तक
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लक्ष्य	7600 ई.सी.एल. और बी.सी.सी.एल	6600 ई.सी.एल. और बी.सी.सी.एल.	8000 ई.सी.एल., बी.सी.सी.एल. और सी.सी.एल.	11500 ई.सी.एल., बी.सी.सी.एल. और सी.सी.एल.
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की उपलब्धि	10,245	11,634	7,854 (सभी कंपनियों के लिए)	1462

(ख) वेतन समझौते के लिए बातचीत अंतिम चरण में थी कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत वेतन में अधिक लाभ पाने की प्रतीक्षा कर रहे थे, इसलिए वर्ष 2000-2001 को दौरान योजना के अंतर्गत वास्तविक सेवानिवृत्ति लक्ष्य से कम रही।

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान सेवानिवृत्ति की कंपनी-वार उपलब्धि निम्नानुसार है:-

कंपनी का नाम	2000-2001	2001-2002 जून, 01 तक
1	2	3
ईसीएल	2496	462
बीसीसीएल	2496	290
सीसीएल	1046	242
डब्ल्यूसीएल	958	305
एसईसीएल	793	462
एमसीएल	37	09
एनसीएल	01	–
एनईसी	26	–
सीएमपीडीआईएल	शून्य	–
डीसीसी	शून्य	–
सी.आई.एल. मुख्यालय	01	03
जोड़	7854	1462

(घ) सामान्यत: देय राशि का निपटान दो माह की अवधि के भीतर कर दिया जाता है।

(ङ) ऐसे किसी मामले को सी.सी.एल. की जानकारी में नहीं लाया गया है।

(च) और (छ) उपर्युक्त भाग (ङ) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

सी.आई.एल. द्वारा विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति रद्द किया जाना

295. **डा. एस. वेणुगोपाल:**
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.आई.एल. ने तीन विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले की आपूर्ति बंद कर दी है;

(ख) यदि हां, तो परियोजनावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन विद्युत संयंत्रों ने वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए कोई वचनबंध दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस स्थिति की समीक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) स्थायी संयोजन समिति (दीर्घावधि) ने दिनांक 15.12.2000 को आयोजित अपनी बैठक में तीन स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आई.पी.पी.) अर्थात् मेसर्स देवु पावर इंडिया लि. की कोरबा ईस्ट टीपीएस (2 × 535 मे.वा.), मेसर्स हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लि. की यमुना नगर टीपीएस (2 × 350 मे.वा.) तथा मेसर्स जवाहरपुर पावर (इंडिया) लि. की जवाहर टीपीएस (2 × 400 मे.वा.) को दिए गए दीर्घावधि संयोजनों की समीक्षा की गई थी। समिति ने विद्युत परियोजना को आरंभ करने में उनकी अरुचि को देखते हुए उनको प्रदान किए गए संयोजनों को रद्द करने का निर्णय लिया।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त आई.पी.पी. द्वारा उन्हें संयोजन पुन: प्रदान किए जाने हेतु अनुरोध प्रस्तुत किए गए हैं। स्थायी संयोजन समिति (दीर्घावधि) द्वारा अपनी अगली बैठक में उनके अनुरोध पर निर्णय लिया जाएगा।

हडको को दिए गए प्रस्ताव

296. **श्री के. मुरलीधरन:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने, विशेषतौर पर केरल सरकार ने हुडको को कोई नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार और परियोजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) हुडको द्वारा निपटाए गए/रद्द किए गए/लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) लंबित प्रस्तावों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) 30.6.2001 की स्थिति अनुसार आवास एवं नगर विकास निगम लिमिटेड (हडको) को 5745.77 करोड़ रुपये की हडको ऋण सहायता के लिए 351 आवास और नगर विकास स्कीमें प्राप्त हुई हैं।

अभी तक हडको को केरल राज्य में विभिन्न एजेंसियों से 484.04 करोड़ रु. की हडको ऋण सहायता के लिए 29 आवास स्कीमें और 383.12 करोड़ रुपये की ऋण सहायता के लिए 22 शहरी अवस्थापना स्कीमें प्राप्त हुई हैं।

(ख) हडको में स्वीकृति के लिए प्राप्त आवास और शहरी विकास स्कीमों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II क-ख में दिया गया है।

(ग) 2000-2001 के दौरान हडको द्वारा स्वीकृत आवास और शहरी विकास स्कीमों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(घ) हडको में प्राप्त सभी स्कीमें स्वीकृति के लिए प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं और इन पर हडको के दिशानिर्देशों और ऋण लेने वाली एजेंसियों के कार्यात्मक निष्पादन के अनुसार स्वीकृति के लिए विचार किया जाएगा।

विवरण-I

प्रक्रियाधीन स्कीमों की रिपोर्ट 30.6.2001 के अनुसार

(लाख रुपये में)

राज्य	आवास		शहरी अवस्थापना		कुल	
	स्कीमें की सं.	ऋण राशि	स्कीमों की सं.	ऋण राशि	स्कीमों की सं.	ऋण राशि
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	12	18438.65	22	23228.81	34	41667.46
अरुणाचल प्रदेश	1	64.94	1	64.10	2	129.04
असम	2	617.25	5	13732.00	7	14349.25
बिहार	1	1.53	1	700.00	2	701.53
दिल्ली (रा.रा.क्षे.)	11	5415.00	2	1050.00	13	6465.00
गोवा	0	0.00	2	3100.00	2	3100.00
गुजरात	6	5430.40	4	35331.18	10	40761.58
हरियाणा	1	800.00	7	3787.86	8	4587.86
हिमाचल प्रदेश	3	227.11	1	307.76	4	534.87
जम्मू व कश्मीर	0	0.00	1	684.22	1	684.22
कर्नाटक	9	5826.88	15	82105.06	24	87931.94
केरल	29	48404.50	22	38312.00	51	86716.50
मध्य प्रदेश	17	9831.41	11	18668.68	28	28500.09
महाराष्ट्र	34	16341.06	29	87046.08	63	103387.14
मणिपुर	0	0.00	0	0.00	0	0.00
मेघालय	0	0.00	0	0.00	0	0.00
मिजोरम	1	350.00	0	0.00	1	350.00
नागालैंड	3	1082.20	1	800.22	4	1882.42
उड़ीसा	3	1321.21	4	28000.00	7	29321.21
पजाब	0	0.00	14	15554.70	14	15554.70
राजस्थान	5	446.35	3	38800.00	8	39246.35

1	2	3	4	5	6	7
सिक्किम	1	38.75	0	0.00	1	38.75
तमिलनाडु	7	1436.58	9	9595.83	16	11032.41
त्रिपुरा	6	484.30	2	48.40	7	532.70
उत्तर प्रदेश	21	21326.32	8	19705.70	29	41032.02
पश्चिम बंगाल	8	552.95	4	13476.82	12	14029.77
संघ शासित क्षेत्र						
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0	0.00	0	0.00	0	0.00
चंडीगढ़	0	0.00	0	0.00	0	0.00
दमन व दीव	0	0.00	0	0.00	0	0.00
दादर नागर हवेली	0	0.00	0	0.00	0	0.00
लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0.00
पाण्डिचेरी	2	1755.19	1	284.61	3	2039.80
कुल	182	140192.58	169	434384.03	351	574576.61

विवरण-II क

30.6.2001 को समाप्त माह में राज्य/एजेंसी-वार विचाराधीन हाउसिंग योजनाएं

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/एजेंसी	स्कीम का नाम	रिहायशी			ऋण राशि			
			यूनिट	ईडब्ल्यूएस (आर)	ई.डब्ल्यू. एस (यू)	एल. आई. जी.	एम. आई. जी.	एच. आई. जी.	अन्य
1		2	3	4	5	6	7	8	9
केरल									
1.	ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी केन्द्र	2 एमएचपी फेस-3 एनजीओ के तहत त्रिसूर में आवास परियोजना	1500	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी केन्द्र	2 एमएसपी-IV त्रिसूर एनजीओ के तहत आवास परियोजना	1750	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2	3	4	5	6	7	8	9
ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी केन्द्र	2 एमएचपी-V त्रिसूर एनजीओ के तहत आवास परियोजना	2000	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी केन्द्र	2 एमएचपी-IV त्रिसूर एनजीओ के तहत आवास परियोजना	5000	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी केन्द्र	2 एमएचपी-V एनजीओ के तहत त्रिसूर कुल आवास कार्यक्रम	1500	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी केन्द्र	2 एमएचपी-VI एनजीओ के तहत त्रिसूर कुल आवास कार्यक्रम	2000	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
डेल व्यू	स्केट व आर ई एम एल, त्रिवेन्द्रम प्राइवेट लिमिटेड ईडब्ल्यूएस आवास स्कीम	800	220.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
जिला पंचायत अलपुझा	अलपूजा में कुल आवास डीपीए प्रोजेक्ट	15000	5250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जिला पंचायत त्रिसूर	2 मएचपी के तहत कुल आवास परियोजना	15000	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ग्रामीण पर्यावरण व इको. विकास मंच	फ्रिड अलपूजा में एनजीओ में सीएचएस	800	30.00	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
केरल पुलिस आवास व निर्माण निगम	राखीविलासोन त्रिवेन्द्रम में विन्यास आवास स्कीम	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
केरल राज्य आवास बोर्ड	लाइन आफ क्रेडिट स्कीम	3080	0.00	0.00	875.00	2800.00	1400.00	0.00
केरल राज्य आवास बोर्ड	इडिकी जिला में भू-मैत्री ईडब्ल्यूएस आरसीएलएचएस	8600	2494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
केरल राज्य आवास बोर्ड	वइनाड जिला में भू-मैत्री ईडब्ल्यूएस आरसीएलएचएस	8600	2494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
केरल राज्य आवास बोर्ड	हल्लापुरम जिला में भू-मैत्री ईडब्ल्यूएस आरसीएलएचएस	8600	2494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. केरल राज्य आवास बोर्ड	कोझीकोड जिला में भू-मैत्री ईडब्ल्यूएस आरसीएलएचएस	8600	2494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17. केरल राज्य आवास बोर्ड	कन्नूर जिला में भू-मैत्री ईडब्ल्यूएस आरसीएलएचएस	8600	2494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18. केरल राज्य आवास बोर्ड	त्रिवेन्द्रम जिला में भू-मैत्री ईडब्ल्यूएस आरसीएलएचएस	6400	0.00	2496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19. केरल राज्य आवास बोर्ड	कोल्लम जिला में भू-मैत्री ईडब्ल्यूएस सी/एलएचएस	6400	0.00	2496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20. केरल राज्य आवास बोर्ड	त्रिसूर जिला में भू-मैत्री ईडब्ल्यूएस यूसीएलएचएस	6400	0.00	2496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21. केरल राज्य आवास बोर्ड	अल्लेपी जिला में भू-मैत्री ईडब्ल्यूएस सीएलएचएस	6400	0.00	2496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 केरल राज्य आवास बोर्ड	कोट्टयम जिला में भू-मैत्री ईडब्ल्यूएस सीएलएचएस	6400	0.00	2496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23. केरल राज्य आवास बोर्ड	इडिकी जिला में भू-मैत्री ईडब्ल्यूएस सीएलएचएस	6400	0.00	2496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24. महीर पीएंडसी कंस्ट.	कोच्ची में मादर पीएंडसी कंस्ट. द्वारा अपार्टमेंट निर्माण	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
25. संध्या विकास सोसायटी	कोट्टयम एनजीओ में एनजीओ द्वारा आवास परियोजना	360	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26. सोसायटी फॉर इंटीग्रेटेट डेवलपमेंट एक्शन	सिदा कोट्टयम में कम्पोजिट कैश लोन हाचऊस स्कीम	1300	0.00	240.00	500.00	0.00	0.00	0.00
27. सोसायटी फॉर इंटीग्रेटेट डेवलेपमेंट एक्शन	इडिकी एनजीओ में ईडब्ल्यूएस आरईपी/आरओडब्ल्यूएल स्कीम	1000	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28. सोसायटी फॉर इंटीग्रेटेट डेवलपमेंट एक्शन	कोट्टयम में ईडब्ल्यूएस सी/एलएचएस	300	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29 ग्रामीण सुधार समिति	पालक्कड़ एनजीओ में आरईपी/आरईएनडब्ल्यूएल सुधार के लिए ईडब्ल्यूएस आवास स्कीम	100	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग		132978	26695.00	15455.00	1406.50	2600.00	1400.00	648.00

सकल योग: 48404.50

विवरण-2ख

क्रियाधीन शहरी अवस्थापना स्कीमें पाइप. प्र दिनांक: 30.6.2001

(रुपये लाख में)

ुज्य केरल

क्र.सं.	स्कीम का नाम/एजेंसी	अपेक्षित ऋण राशि	टिप्पणियां
1	2	3	4
1.	करूवेल्लील, कोल्लम में शैक्षिक परिसर का निर्माण	1180.00	एजेंसी से ब्यौरा अपेक्षित है।
2.	मराडू इरनाकुलम में बहुविशेज्ञा हॉस्पिटल का निर्माण	2600.00	सिक्योरिटी पैकेज संतोषजनक नहीं है।
3.	थ्रिथाला रेगुलेटर सह सेतु	2000.00	यूआईपीईसी द्वारा अनुमोदित
4.	त्रिवेन्द्रम में सीवरेज स्कीम	4000.00	यूआईपीईसी द्वारा अनुमोदित
5.	तेल्लीचेरी और संलग्न कस्बों में जलापूर्ति स्कीम	2000.00	स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जा रही है।
6.	वेकल में पर्यटन मूलक क्षेत्र विकास के लिए भूमि अधिग्रहण	3500.00	अनुपालन अपेक्षित
7	वडागरा, कोझीकोड जिला में कामर्शियल काम्पलेक्स तथा मार्किट का निर्माण	620.00	यूआईपीईसी की टिप्पणियों का अनुपालन अपेक्षित
	थिरूवल्ला में बस स्टैंड काम्पलेक्स	418.00	स्वीकृति नोट प्रस्तुत किया जा रहा है।
	पलक्कद में बस स्टैंड काम्पलेक्स	400.00	मांग आकलन के संबंध में अनुपालन प्रतीक्षित
).	केरल में 16 स्थानों पर के.एस.ई.वी. व्यवसायिक सह कार्यालय परिसर का निर्माण	2478.75	
।	किये जा रहे विभिन्न निर्माण गतिविधियों के लिए एचएफ	2500.00	
2.	कालपेटा, वेनाद में शहरी जलापूर्ति स्कीम	1500.00	
3.	मानजेरी, मलपपुरम में कोरमवाइल हॉस्पिटल एवं डायग्नोस्टिक सेंटर का विस्तार	520.00	
4.	कोलम-2 की जलापूर्ति स्कीम को बढ़ाना	1400.00	
5.	एलमपल्लूर कोलम में जलापूर्ति स्कीम	140.00	
6.	कोझीकोड में मेडिकल कालेज के लिए जल निकास स्कीम	435.51	
7.	गुरूवयूर में जल निकास स्कीम	800.00	
8.	वरकाला में बस स्टैंड सह शॉपिंग काम्पलेक्स निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण	110.00	

1	2	3	4
19.	चमरावट्टम रेगुलेटर-सह-पुल का निर्माण	11000.00	यूआईपीईसी द्वारा अनुमोदित
20.	थ्रिसूर में ठोस कचरा प्रबंधन	60.00	
21.	फेंटेसी आइलैंड, अलुवा में वाटर थीम पार्क	620.00	स्वीकृत किया जा रहा है
22.	कझाकोट्टम, त्रिवेन्द्रम स्कूल इमारत का निर्माण	30.00	9.10.2000 के पत्र द्वारा टी आर ओ से स्पष्टीकरण मांगा गया।
	सकल योग:	38312.26	

विवरण-III

वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्यवार निष्पादन रिपोर्ट

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	स्कीमों की संख्या	परियोजना लागत	स्वीकृत ऋण
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	50	1207.10	842.93
2.	असम	9	56.55	39.84
3.	बिहार	1	25.00	25.00
4.	छत्तीसगढ़	10	28.61	21.13
5.	दिल्ली	2	14.29	8.05
6.	गोवा	1	10.04	5.00
7.	गुजरात	16	1422.92	662.80
8.	हिमाचल प्रदेश	7	5.22	4.10
9.	हरियाणा	7	659.94	525.56
10.	जम्मू व कश्मीर	4	47.82	37.96
11.	केरल	22	592.82	446.65
12.	कर्नाटक	53	1686.67	1201.07
13.	मेघालय	0	0.00	0.00
14.	मणीपुर	0	0.00	0.00
15.	मध्य प्रदेश	35	96.62	70.76
16.	मिजोरम	3	4.02	3.00

1	2	3	4	5
17.	नागालैंड	2	28.81	24.48
18.	उड़ीसा	13	272.25	232.25
19.	पंजाब	6	304.11	227.57
20.	राजस्थान	9	151.62	118.51
21.	सिक्किम	0	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	42	1451.11	990.85
23.	त्रिपुरा	2	105.48	73.71
24.	उत्तरांचल	1	15.90	6.50
25.	उत्तर प्रदेश	22	426.73	198.79
26.	पश्चिम बंगाल	21	1690.68	752.30
संघ शासित प्रदेश				
27	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0.00	0.00
28.	चंडीगढ	0	0.00	0.00
29.	दादर व नागर हवेली	0	0.00	0.00
30.	पाण्डिचेरी	0	0.00	0.00
	योग	360	10913.36	6841.46

हुडको निवास सहित कुल स्वीकृतियां

ऋण राशि : 7912.73 करोड़

जारी राशि : 4829.32 करोड़

रिहायशी यूनिट : 3097651

युद्धविराम समझौते

297. डा. जयन्त रंगपी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्र सरकार ने देश में किन संगठनों के साथ युद्धविराम समझौते किए हैं;

(ख) मौलिक नियमों, मानिटरिंग व्यवस्था आदि सहित प्रत्येक ऐसे युद्धविराम समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) हथियारबंद समूहों के साथ युद्धविराम समझौतों के बारे में सरकार की सामान्य नीति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने नेशनल सोसलिस्ट काउन्सिल आफ नागालैंड (आई/एम गुट) (एन एस सी एन) (आई/एम) के साथ 25 जुलाई 1997 को और खापलांग गुट (एन एस सी एन (के) के साथ 28 अप्रैल 2001 को संघर्ष विराम समझौता किया। एन एस सी एन (आई/एम) के साथ संघर्ष विराम समझौते का प्रबोधन, संघर्ष विराम प्रबोधन ग्रुप (सी एफ एम जी), द्वारा अध्यक्ष और केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और एन एस सी एन (आई/एम) के प्रतिनिधियों के साथ किया जाता है। एन एस सी एन (के) के साथ संघर्ष विराम का प्रबोधन, संघर्ष विराम पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा अध्यक्ष और केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और एन एस सी एन (के) के प्रतिनिधियों के साथ किया जाता है। असम में

बोडो लिबरेशन टाइगर (बी एल टी) ने 14 जुलाई, 1999 से सुरक्षा बलों के खिलाफ अपने अभियानों को स्थगित करने की इकतरफा घोषणा की। बी एल टी के खिलाफ सुरक्षा बलों के अभियान को स्थगित करने की घोषणा केन्द्रीय गृह मंत्री ने 15 मार्च, 2000 को संसद में की थी। ''सहमत आधार नियमों'' के ब्यौरे संलग्न विवरण-I, II, III में दिए गए हैं।

(ग) सरकार, पूर्वोत्तर में शांति बहाली के लिए प्रतिबद्ध है और उन सभी को जो भाईचारे के रास्ते से भटक गए हैं, हिंसा का रास्ता छोड़ने और संविधान के दायरे के भीतर बातचीत के लिए आगे आने का निमंत्रण दिया है।

विवरण-I

भारत सरकार और एन एस सी एन (आई एम) के बीच युद्धविराम हेतु सहमत आधार नियम

युद्धविराम को और ज्यादा कारगर बनाने की दृष्टि से तथा शांतिपूर्ण एवं अर्थपूर्ण राजनीतिक वार्ता हेतु उपयुक्त और अनुकूल वातावरण बनाने के लिए भारत सरकार तथा नेशनल सोशियेलिस्ट काउंसिल आफ नागालैंड के प्रतिनिधियों के बीच हाल में और आगे बातचीत हुई। दोनों पक्षों ने यह नोट किया कि 12 दिसम्बर 1997 को अंतिम रूप दिए गए सहमत आधार नियमों के साथ 25 जुलाई 1997 को हुआ संघर्ष विराम 31.7.2001 तक वैध है।

संघर्ष विराम के लिए 13 जनवरी, 2001 को जिन संशोधित सहमत आधार नियमों को अंतिम रूप दिया गया उनकी मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं:-

(क) एन एस सी एन घात लगाकर हमला, छिपकर गोली चलाना और हमले जिनसे मृत्यु/जख्म/संपत्ति की क्षति या नुकसान हो, जैसे आक्रामक अभियान नहीं करेगा। एन एस सी एन इस प्रकार कार्य करेगा कि जिससे सिविलियन आबादी का उत्पीड़न न हो/सम्पत्ति को क्षति या नुकसान न पहुंचे या चोट न पहुंचे। एन एस सी एन सड़कों और संचार माध्यमों, आर्थिक या विकासात्मक गतिविधियों और आवश्यक सेवाओं में व्यवधान नहीं डालेगा।

(ख) एन एस सी एन, अपने शिविरों की सूची सी एफ एम जी को देगा, जो कि उचित विचार-विमर्श के पश्चात् उन्हें नामोद्दिष्ट शिविर घोषित करेगा। शांति प्रक्रिया को बढ़ाने के उद्देश्य से, एन एस सी एन केडर की वर्दी और/या शस्त्रों के साथ कोई परेड (या ग्रुपें में या व्यक्तिगत रूप से) नहीं होगी। वर्तमान में, इसके अन्तर्गत सभी आबादी वाले क्षेत्र सार्वजनिक परिवहन और राजमार्ग कवर होंगे।

(ग) एन एस सी एन सशस्त्र काडरों का एक नामोद्दिष्ट शिविर से दूसरे में से जाने के बारे में संबंधित सेना/अर्द्ध सैनिक बलों की चौकी को पूर्व सूचना दी जाएगी। गांव से जाते हुए शस्त्र छिपा दिए जाएंगे। इसकी रूपरेखा को सी एफ एम जी में अंतिम रूप दिया जाएगा। एन एस सी एन के लोग, जो अक्सर आते-जाते रहते हैं, को पहचान-पत्र रखना होगा, जिसे आपसी सहमति से बने फार्मेट में जारी किए जाएंगे। ये पहचान-पत्र, फिलहाल 60 से ज्यादा नहीं होंगे, जो एन एस सी एन द्वारा जारी किये जाएंगे और चेयरमैन, सी एफ एम जी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होंगे। ये पहचान-पत्र धारक अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु, हर समय अपने साथ एक सशस्त्र एन एस सी एन काडर को रखने का पात्र होग। हथियार छुपाकर ले जाए जाएंगे।

(घ) यह चिंता कि आवश्यक आपूर्ति पर धन की जबरन वसूली और सरकारी अधिकारियों समेत व्यक्ति विशेष को उत्पीड़ित किए जाने के आरोपों से एन एस सी एन ने इनकार किया। तथापि, शांति प्रक्रिया को बढ़ावा देने की दृष्टि से, एन एस सी एन के प्रतिनिधि इस बात पर सहमत हुए कि उक्त गतिविधियों को रोका जाएगा।

(ङ) सशस्त्र काडरों की जबरन भर्ती की रिपोर्ट के संबंध में, एन एस सी एन के प्रतिनिधियों ने बताया कि उन्होंने जबरन भर्ती नहीं की हैं और वे जबरन भर्ती नहीं करते हैं। तथापि, शांति प्रक्रिया को बढ़ावा देने के हित में, यह सहमति हुई कि यदि जबरन भर्ती की कोई रिपोर्टें हैं, तो उस पर मॉनीटेरिंग ग्रुप में विचार-विमर्श किया जाएगा।

(च) दोनों पक्ष इस पर सहमत हुए कि किसी भी सशस्त्र ग्रुप या तत्वों को कोई भी सुरक्षित जगह या शरणगाह या सहायता किसी के भी द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। नामोद्दिष्ट शिविर के दो कि.मी. के अंतर्गत कोई नई सशस्त्र बल चौकी स्थापित नहीं की जाएगी।

(छ) एन एस सी एन के विरुद्ध सुरक्षा बलों द्वारा कोई भी आक्रामक अभियान नहीं किए जाएंगे और सुरक्षा बल इस प्रकार से कार्य करेंगे जिससे कि सिविलियन आबादी का उत्पीड़न न हो/संपत्ति को क्षति या नुकसान न पहुंचे अथवा कोई जख्मी न हों, तथापि, उग्रवादियों/

शस्त्रों की घुसपैठ को रोकने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा निरंतर गश्त की जाएगी जैसे कि अभी तक होती रही है लेकिन एन एस सी एन के नामोद्दिष्ट शिविरों के 1 कि.मी. के अंतर्गत गश्त आबादी वाले क्षेत्रों, और/या राजमार्गों के नजदीक, सुरक्षा बलों की चौकियों पर की जाएगी। सुरक्षा बलों द्वारा कॉनवॉइ की सुरक्षा और सड़कों पर गश्त लगाना जारी रहेगा।

(ज) आधार नियमों के क्रियान्वयन हेतु, यह सहमति हुई थी कि रूपरेखा का प्रबोधन इस प्रयोजनार्थ गठित ग्रुप जिसमें एन एस सी एन, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि तथा भारत सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि होंगे, द्वारा किया जाएगा। तथापि, यह भी सहमति हुई थी कि किसी भी आकस्मिक मुठभेड़ या उल्लंघन से शांति प्रक्रिया में बाधा नहीं आने दी जाएगी तथा ऐसे किसी भी घटना के परिणाम को आपसी परामर्श के माध्यम से स्थानिकृत किया जाएगा। इन आधार नियमों की उल्लंघन के सभी मामले मॉनीटरिंग ग्रुप्स को भेजे जाएंगे, ताकि उल्लंघन के कारणों की पहचान हो सके एवं भविष्य में ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए किए जाने वाले कदमों पर सुझाव दिए जा सकें। उपर्युक्त के होते हुए भी, सुरक्षा बल, सार्वजनिक उपद्रव करने वाले किसी भी ग्रुप के विरुद्ध या जन-सुरक्षा शांति को आसन्न खतरे के समय पर निष्पक्ष और भेदभाव रहित ढंग से कार्रवाई करेंगे।

विवरण-II

भारत सरकार और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (के) बीच हुए संघर्ष विराम सहमति के आधार नियम का मूल

भारत सरकार और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागालैंड (एन एस सी एन) के प्रतिनिधियों के बीच 10 और 11 अप्रैल, 2001 को दिल्ली में विचार-विमर्श हुआ। डा. पी.डी. शिनाय की अध्यक्षता में भारत सरकार के प्रतिनिधियों और श्री टोंगभेथ वांगनाव कोनयक की अध्यक्षता में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के प्रतिनिधियों के बीच हुए इन विचार-विमर्शों के परिणामस्वरूप यह सहमति बनी कि स्थाई शांति के लिए दोनों पक्ष निम्नलिखित आधार नियमों का पालन करेंगे:-

(क) ये आधार नियम केवल नागालैंड राज्य के लिए वैध होंगे।

(ख) आधार नियमों को लागू करने की जिम्मेवारी भारत सरकार की होगी। भारत सरकार और एन एस सी एन संयुक्त रूप से आधार नियमों को कार्यान्वित करेंगे। आधार नियमों के कार्यान्वयन से संबंधित विवादास्पद मुद्दों को संघर्ष पर्यवेक्षी बोर्ड (सी एफ एस बी), जिसमें भारत सरकार और एन एस सी एन प्रत्येक के पांच-पांच प्रतिनिधि होंगे और भारत सरकार द्वारा नामित एक अध्यक्ष होगा, द्वारा हल किया जाएगा।

(ग) एन एस सी एन सिविलियन आबादी पर घात लगाना, छापा मारना कत्लेआम और मौत/घायल/क्षति करने वाले आक्रमण या सम्पत्ति को नुकसान या घायल करने जैसे अक्रामक अभियान नहीं चलाएगा।

(घ) एन एस सी एन के विरुद्ध भारतीय सेना, अर्द्धसैनिक बलों और पुलिस द्वारा घात लगाने, छापा मारने और हत्या/घायल/क्षति करने वाले आक्रमण या सम्पत्ति को नुकसान करने जैसा कोई आक्रमण अभियान नहीं चलाए जाएंगे। तथापि, भारत सरकार अन्य उन सभी उग्रवादी ग्रुपों के विरुद्ध अभियान जारी रखने का अधिकार सुरक्षित रखती है जो संघर्ष-विराम में शामिल नहीं हैं।

(ङ) एन एस सी एन संघर्ष विराम पर्यवेक्षी बोर्ड (सी एफ एस बी) अपने सभी शिविरों की सूची अधिसूचित करेगा। सी एफ सी बी उचित संवीक्षा के बाद ''निर्दिष्ट कैम्पों'' की सूची को अंतिम रूप देगा जहां एन एस सी एन के सभी सशस्त्र केडरों को तीन महीनें के भीतर अवस्थित किया जाएगा।

(च) शांति प्रक्रिया को बढ़ाने के उद्देश्य से वर्दीधारियों या ''निर्दिष्ट कैम्पों'' के बाहर वर्दी में या शस्त्रों के साथ आवागमन नहीं होगा।

(छ) एक ''निर्दिष्ट कैम्प'' से दूसरे कैम्प तक एन एस सी एन केडर का आवागमन आपसी समहत उद्देश्यों के लिए और सुरक्षा बलों और सी एफ एस बी को सूचित कर किया जाएगा। इसकी रूपरेखा को सी एफ एस बी द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।

(ज) एन एस सी एन सड़कों और संचार व्यवस्था को अवरुद्ध करने और ऐसी कार्रवाई जो स्थानीय और राज्य सरकारों के कार्यकरण में और आर्थिक या विकास कार्यों तथा आवश्यक सेवाओं में बाधा पैदा करती हो, से दूर रहेगा।

(झ) एन एस सी एन अन्य उग्रवादी ग्रुपों को किसी भी प्रकार का समर्थन या सहायता देने से बचेगा।

(त्र) संघर्ष विराम के दौरान एन एस सी एन अतिरिक्त हथियार/गोला बारूद/सैन्य उपस्कर एकत्र नहीं करेगा।

(ट) एन एस सी एन लूट-खसोट, जबरन धन एकत्र करना और उसकी आपूर्तियों और सरकारी कर्मचारियों सहित व्यक्तियों को धमकियां देने से बाज आएगा।

(ठ) एन एस सी एन जबरन सशस्त्र बलों की भर्ती नहीं करेगा।

(ड) उग्रवादियों/शस्त्रों की घुसपैठ को रोकने के लिए भारतीय सेना, अर्द्ध सैनिक बलों और पुलिस पहले की तरह गश्त जारी रखेगी। तथापि ''निर्दिष्ट कैम्पों'' के एक कि.मी. की दूरी में गश्त लगाने पर निर्णय, संघर्ष विराम पर्यवेक्षी बोर्ड (सी एफ एस बी) के साथ विचार-विमर्श करने के बाद, उन्हें सूचित करने के बाद लिया जाएगा। यह ध्यान रहे कि इस प्रकार का कोई कैम्प आबादी वाले क्षेत्रों, और/या राजमार्गों भारतीय सेना/अर्द्ध सैनिक बल चौकियों, पुलिस स्टेशन/ पुलिस चौकियों आदि के पास स्थित नहीं है/नहीं होंगे।

(ढ) मोटर गाड़ियों के कारवां सुरक्षा और सड़कों पर गश्त लगाना भारतीय सेना, अर्द्ध सैनिक बलों और पुलिस द्वारा जारी रखा जाएगा।

(ण) सुरक्षा बल देश के कानून बनाये रखने को सुनिश्चित करने और शांति को भंग करने को रोकने के बारे में अपने अधिकार को बरकरार रखेगी।

विवरण-III

सुरक्षा बलों एवं बोडो लिबरेशन टाइगर्स के बीच अभियानों को स्थगित करने के लिए सहमत आधार नियम

केन्द्रीय गृह मंत्री ने 15 मार्च, 2000 को संसद के दोनों सदनों में सुरक्षा बोडो द्वारा बोडो लिबरेशन टाइगर्स के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई को स्थगित करने की घोषणा की। केन्द्रीय सरकार द्वारा असम सरकार से विचार-विमर्श के उपरान्त लिए गए इस निर्णय के अनुसरण में भारत सरकार, असम सरकार एवं बोडो लिबरेशन टाइगर्स के प्रतिनिधियों की एक त्रिपक्षीय बैठक 28-29 मार्च, 2000 को नई दिल्ली में आयोजित हुई। सरकारी टीम का नेतृत्व भारत सरकार, गृह मंत्रालय के अपर सचिव (गृह) डा. पी.डी. शिनॉय द्वारा चिमांग ब्रह्मा उर्फ चन्दन उर्फ कमल मुशाहरे, उपाध्यक्ष, बी एल टी के नेतृत्व वाले बी एल टी के प्रतिनिधियों से अंखंड शांति का रास्ता तैयार करने और बोडो समस्या का शान्तिपूर्ण समाधान खोजने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के संबंध में बातचीत की।

2. दोनों पक्ष 15 मार्च, 2000 से अभियानों को स्थगित करने पर सहमत हो गए।

3. आपसी सहमति से तैयार आधार नियम निम्नलिखित हैं:-

(i) बोडो लिरेशन टाइगर्स (क) हिंसा का मार्ग पूर्ण रूप से छोड़ देगी; (ख) हिंसात्मक एवं गैर-कानूनी गतिविधियों जैसे हत्याएं, घायर करना, अपहरण, लूट-खसोट, धमकाना, जनता के बीच हथियार लेकर जाना आदि जैसे कार्य नहीं करेगा; और (ग) भारत के संविधान एवं देश के कानूनों का पालन करेगा।

(ii) सुरक्षा बल (सेना, अर्ध-सैनिक बल और राज्य पुलिस) बी एल टी के विरुद्ध अभियान नहीं चलाएंगे।

(iii) अभियान स्थगन की निगरानी करने के लिए दोनों पक्ष एक संयुक्त मानीटरिंग ग्रुप, जिसमें भारत सरकार, असम सरकार और बी एल टी के प्रतिनिधि होंगे, बनाने पर सहमत हुए।

(iv) संयुक्त मॉनीटरिंग ग्रुप की संरचना संलग्न है।

(v) अभियानों को प्रारम्भ में 6 महीने अर्थात 15 मार्च, 2000 तक स्थगित रखने पर सहमति हुई है। इसके बाद आपसी सहमति से कार्रवाईयां स्थगित करने की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

सहमत आधार नियमों में संयुक्त मॉनीटरिंग ग्रुप की संरचना पर विचार किया गया है। संयुक्त मानीटरिंग ग्रुप की संरचना निम्न प्रकार से है:

(क) संयुक्त सचिव (पूर्वोत्तर), गृह मंत्रालय - अध्यक्ष-एवं संयोजक

(ख) गृह मंत्रालय के दो प्रतिनिधि

(ग) सेना मुख्यालय द्वारा सूचित सेना के प्रतिनिधि।

(घ) के.रि.पु.बल के प्रतिनिधि, महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा सूचित।

(ङ) असम के मुख्य सचिव द्वारा सूचित असम सरकार के दो प्रतिनिधि।

(च) बोडो लिबरेशन टाईगर्स के दो प्रतिनिधि।

सामान्यतया जे.एम.जी. की बैठक दो माह में एक बार होगी और यदि आवश्यकता हो तो पहले भी की जा सकती है। बैठक का स्थान अध्यक्ष निर्धारित करेंगे।

[हिन्दी]

हिन्दी को राजभाषा घोषित किया जाना

298. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा हिन्दी को राजभाषा के रूप में घोषित किए जाने और उसे संवैधानिक उपबंधों और संसद द्वारा पूर्व में पारित संकल्पों के अनुसार लागू किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो हिन्दी को कब तक राजभाषा घोषित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) हिन्दी संघ की राजभाषा पहले से ही घोषित है और संविधान, राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा संसदीय संकल्प, 1968 की व्यवस्था लागू है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र/दिल्ली में फ्लाई ओवरों का निर्माण

299. **श्री प्रभात सामन्तराय:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, विशेष तौर पर दिल्ली में कितने फ्लाई ओवर निर्माणाधीन हैं;

(ख) इन फ्लाई ओवरों के निर्माण की प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा बदरपुर में यातायात की भीड़भाड़ को कम करने के लिए वहां फ्लाई ओवर का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) दिल्ली में 11 फ्लाईओवर निर्माणाधीन हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत परतापुर रेलवे क्रासिंग मेरठ पर एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है।

(ख) विभिन्न फ्लाई ओवरों की प्रगति इस प्रकार है:

1. मायापुरी	-	20 प्रतिशत
2. एंड्रयूजगंज	-	28 प्रतिशत
3. सफदरजंग	-	24 प्रतिशत
4. धौला कुँआ	-	5 प्रतिशत
5. पंजाबी बाग	-	74 प्रतिशत
6. विकास मार्ग	-	75 प्रतिशत
7. वजीराबाद (सड़क सं. 66)	-	59 प्रतिशत
8. नोएडा रोड (एनएच 24)	-	25 प्रतिशत
9. जेल रोड	-	64 प्रतिशत
10. रिंग रोड सड़क सं. 41 का चौराहा	-	47.5 प्रतिशत
11. नेलसन मंडेला-माहिलपुर चौराहा	-	99 प्रतिशत
12. परतापुर रेलवे क्रासिंग मेरठ-2002 तक पूरा होने की संभावना है।		

(ग) दिल्ली सरकार का बदरपुर में दिल्ली-मथुरा रोड के साथ-साथ फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव है।

(घ) बदरपुर पर दिल्ली-मथुरा रोड (राष्ट्रीय राजमार्ग-2) को करीब 1700 मीटर लंबाई तक ऊपर उठाने का प्रस्ताव है। इस स्कीम का भूतल परिवहन मंत्रालय ने अनुमोदन कर दिया है और दिल्ली विकास प्राधिकरण की तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित रूपरेखा (कन्सेप्ट) दिल्ली नगर कला आयोग के अनुमोदन पर निर्भर होगी।

तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड

300. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी समाप्त करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की नीति विनिर्माण व्यापार से अलग होने की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड (टी एस पी एल) भारत यंत्र निगम लिमिटेड जो केन्द्रीय सरकार के संपूर्ण स्वामित्व में सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, की एक सहायक कंपनी है। उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) द्वारा दिसंबर, 1996 में किए गए विस्तृत विश्लेषण के आधार पर सरकार ने पूंजी लगाने, प्रौद्योगिकी और नई प्रबंधन तकनीकियों के प्रयोजन से 30.1.1997 को टी एस पी एल में विनिवेश करने की सिद्धान्ततः मंजूरी दे दी थी। विनिवेश कार्य प्रबंधन नियंत्रण हस्तान्तरित करने सहित 74 प्रतिशत तक साम्या देकर संयुक्त उद्यम के माध्यम से किया जाता है। संभावित संयुक्त उद्यम भागीदारों से ''रुचि की अभिव्यक्ति'' प्राप्त हो गई है। वह प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।

(ग) और (घ) सरकार की घोषित नीति यह है कि गैर-कार्यनीति क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों के प्रचालन में सरकार सामान्य मामलों में अपनी साम्या को 26 प्रतिशत अथवा उससे कम करेगी। टी एस पी एल और गैर-कार्यनीति क्षेत्र में प्रचालनरत है, इसलिए इसका विनिवेश किया जाना है।

विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट्स

301. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेल को अपनी विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट लिमिटेड के लिए कोई खरीदार नहीं मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) सेल की वित्तीय एवं कारोबार पुनर्संरचना के एक भाग के रूप में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट (वी आई एस पी) का पुनरुद्धार करने के लिए इसे संयुक्त उद्यम (जे वी) में बदले जाने का प्रस्ताव है। अभी तक दो पार्टियों ने अपनी ''रुचि की अभिव्यक्ति'' दी है और इस संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई जा रही है।

इलाहाबाद का नाम बदला जाना

302. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इलाहाबाद का नाम बदलकर तीरथ राज प्रयाग रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) इलाहाबाद शहर का नाम बदलकर प्रयाग राज रखने के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार से, गावों, कस्बों आदि के नाम बदलने के बारे में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखकर और यह सुनिश्चित करते हुए कि यह प्रस्ताव निर्धारित मानदंडों को पूरा करता है, इस प्रस्ताव की जांच करने को कहा गया है।

[हिन्दी]

कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियों को घाटा

303. डा. बलिराम: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियों को गत कुछ वर्षों के दौरान करोड़ों रुपए का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने हाल में कोल इंडिया लि. के प्रशासनिक ढांचे की सम्पूर्ण पुनरीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कंपनी को हुए इस घाटे पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ङ) कोल इंडिया लि. के घाटे पर अंकुश लगाने के लिए सरकार का अन्य क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) पिछले कुछ वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि. को कोई घाटा नहीं हुआ है। किन्तु, इसकी कुछ अनुषंगी कंपनियों, नामतः, ईसीएल, बीसीसीएल, तथा सीसीएल में घाटा हुआ। अन्य सभी अनुषंगी कंपनियां नामतः डब्ल्यूसीएल, एसईसीएल, एमसीएल तथा एनसीएल लाभ कमा रही है।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि. तथा इसकी अनुषंगियों के लाभ (+) हानि (–) का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

कंपनी	1999–2000 लाभ (+)/हानि (–)	1998–1999 लाभ (+)/हानि (–)	1997–1998 लाभ (+)/हानि (–)
ईसीएल	(–)728.23	(–)472.47	(–)541.89
बीसीसीएल	(–)692.32	(–)442.34	(–)140.91
सीसीएल	(–)121.24	(–)149.35	(–)85.67
एनसीएल	(+)936.87	(+)802.14	(+)759.34
डब्ल्यूसीएल	(+)405.86	(+)476.58	(+)628.29
एसईसीएल	(+)455.34	(+)676.55	(+)693.20
एमसीएल	(+)607.65	(+)601.31	(+)654.11
सीएमपीडीआईएल	(+)0.71	(+)0.63	(+)3.30
सीआईएल/एनईसी	(+)581.18	(+)606.20	(+)540.82

ईसीएल, बीसीसीएल तथा सीसीएल में घाटों के मुख्य कारण इस प्रकार है:- (1) बड़ी संख्या में ऐसी छोटी भूमिगत खानों का विद्यमान होना, जो उत्पादकता में महत्वपूर्ण वृद्धि करने के लिए अब उपयुक्त नहीं रही, (2) मजदूरी में हो रही लगातार वृद्धि की तुलना में भूमिगत खानों से हो रहा कम उत्पादन (3) अधिशेष श्रम-शक्ति, (4) प्रतिकूल भू-खनन परिस्थितियां, तथा (5) भूमि अधिग्रहण तथा भू-वंचितों के पुनर्वास की समस्या से कुछ बड़ी कोयला खानों का उत्पादन प्रभावित होना।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ङ) फरवरी 1996 में, सरकार द्वारा सीआईएल के पूंजीगत पुर्नगठन हेतु एक पैकेज को स्वीकृत किया गया था जिसके द्वारा आंशिक रूप से वरीय इक्विटी में परिवर्तित करके तथा आंशिक रूप से ब्याज संभूति और पुनर्अदायगी पर ऋणस्थगन के द्वारा ब्याज के बकाया के अधित्याग के माध्यम से सीआईएल की 2228.57 करोड़ रु. की देय बकाया राशि को समाप्त किया गया। यह लाभ ईसीएल तथा बीसीसीएल जैसी घाटे में चल रही कंपनियों को प्रदान कर दिए गए। इसके अतिरिक्त, ईसीएल तथा बीसीसीएल जैसी घाटा उठाने वाली कंपनियों के कार्य-निष्पादन में सुधार किए जाने हेतु, सीआईएल ने अपनी अनुषंगियों के इक्विटी तथा ऋण ढांचे का आंतरिक पुर्नगठन किया जिसके द्वारा ईसीएल के 994 करोड़ रु. तथा बीसीसीएल के 1180.70 करोड़ रु. के ऋण को इक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया।

घाटे में चल रही कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार किए जाने के लिए किए गए कई उपायों के बावजूद, ये कंपनियां निरन्तर घाटे में चल रही है। अतः धारक कंपनी, कोल इंडिया लि. ने ईसीएल के पुनरुद्धार हेतु उपाय सुझाने के लिए भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम लि. (आईसीआईसीआई) को नियोजित किया है। ईसीएल के पुनरुद्धार पर आईसीआईसीआई की रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई है। जहां तक बीसीसीएल और सीसीएल का संबंध

है, सीआईएल बोर्ड ने बीसीसीएल और सीसीएल के पुनरुद्धार हेतु उपाय सुझाने के लिए क्रमशः आईसीआईसीआई और आईडीबीआई को नियोजित किया है।

[अनुवाद]

कोचीन में टैक्नोलॉजी हैबिटैट स्थापित किया जाना

304. **श्री रमेश चेन्नितला:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने कोचीन में टैक्नोलाजी हैबिटैड स्थापित करने हेतु सहायता के लिए आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) जी, हां।

(ख) केरल सरकार द्वारा भारत सरकार के अन्य सम्बद्ध विभागों के साथ विचार-विमर्श की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

कोयला खनन संबंधी कार्यक्रम

305. **श्री वीरेन्द्र कुमार:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दसवीं योजना के लिए कोयला खनन कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनीवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे कार्यक्रमों को अंतिम रूप देते समय संबंधित राज्य सरकारों को विश्वास में लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया रही है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (घ) जी, नहीं। सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के निरूपण के लिए कोयला तथा लिग्नाइट पर एक कार्यदल का गठन किया है। कार्य दल की रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन

306. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में संस्कृत भाषा की शिक्षा और उसके प्रोत्साहन के लिए कोई विशेष योजना चल रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान संस्कृत को प्रोत्साहन देने हेतु राज्यवार कितनी सहायता मंजूर की गई है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा क्या विशेष कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां। भारत सरकार ने संस्कृत शिक्षा के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम तैयार किए हैं। ये योजनाएं/कार्यक्रम मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक स्वायत्त संगठन, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान द्वारा इसके 8 घटक विद्यापीठों/शोध संस्थाओं एवं 21 आदर्श महाविद्यालयों के जरिए कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इसके अलावा 2 समविश्वविद्यालयों अर्थात् श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति, संस्कृत माध्यम से विभिन्न स्तरों पर शिक्षा प्रदान करते हैं और शोध के लिए सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 435 संस्कृत केन्द्र चलाये जा रहे हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत कार्यरत स्वायत्त संगठन महर्षि संदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन भी वैदिक अध्ययन एवं शोध के प्रोन्नयन हेतु छात्रवृत्तियां/फेलोशिप प्रदान करते हुए परंपरागत वैदिक संस्थाओं तथा अध्येताओं को सहायता प्रदान करने जैसे कई क्रियाकलाप चलाता है।

इसके अतिरिक्त संस्कृत शिक्षा के विकास की केन्द्रीय योजना के अंतर्गत अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे विख्यात संस्कृत पंडितों को वित्तीय सहायता दी जाती है; उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाती है, माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत अध्यापन, संस्कृत पाठशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए सहायता दी जाती है तथा संस्कृत के संवर्धन के लिए विभिन्न योजनाओं हेतु राज्य सरकारों को अन्य अनुदान दिए जाते हैं। केन्द्रीय योजना के अंतर्गत स्कूलों में संस्कृत अध्यापन की प्रणाली में सुधार के लिए सम-विश्वविद्यालयों/केन्द्रीय माध्यमिक

ाक्षा बोर्ड/राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्/राज्य क्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् आदि को भी वित्तीय हायता दी जाती है।

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान एवं सीडैक जैसी सरकारी एजेन्सियों ारा संस्कृत एवं कम्प्यूरीकरण को जोड़ने से संबंधित अनेक कार्यक्रमों व योजनाओं को पहले से ही चालाया जा रहा है।

(ख) संस्कृत शिक्षा के विकास हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत दी गई वित्तीय सहायता की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) केन्द्रीय योजना कार्यान्वित करने के अतिरिक्त संस्कृत के संवर्धन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों की अपनी योजनाएं हैं।

विवरण

(क) संस्कृत के विकास की केन्द्रीय योजनागत योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता

(रु. लाख में)

		प्रदान की गई राशि		
क्र.सं.	राज्य के नाम	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.33	8.73	24.99
2.	असम	–	–	2.27
3	बिहार	0.20	87.62	0.53
4.	गुजरात	2.25	8.80	3.95
5.	हरियाणा	6.71	0.97	1.58
6.	हिमाचल प्रदेश	60.18	131.68	116.39
7	जम्मू एवं कश्मीर	0.74	–	–
8.	केरल	20.31	5.71	34.63
9.	कर्नाटक	131.59	58.61	30.00
10.	महाराष्ट्र	4.95	0.60	0.50
11	मध्य प्रदेश	73.03	46.50	76.03
12.	मणिपुर	1.08	1.77	2.03
13.	मेघालय	0.10	0.10	–
14.	उड़ीसा	2.04	64.50	–
15.	पंजाब	0.40	0.20	0.10
16.	राजस्थान	26.13	–	52.63
17.	तमिलनाडु	22.17	46.23	20.82

1	2	3	4	5
18.	त्रिपुरा	5.91	3.09	6.57
19.	उत्तर प्रदेश	9.92	11.12	14.82
20.	पश्चिम बंगाल	18.74	4.45	25.83
21.	दिल्ली	91.08	10.68	0.78
22.	पांडिचेरी	0.06	0.06	0.064
23.	गोवा	0.88	0.09	0.086
24.	चंडीगढ़	0.35	–	–
25.	सिक्किम	0.18	11.11	0.185

(-)प्रस्तावों के प्राप्त न होने/पूर्ण न होने/दस्तावेज प्रतीक्षित होने के कारण राशि संस्वीकृत नहीं की गई।

(ख) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान द्वारा स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों को वित्तीय सहायता का राज्य-वार वितरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य के नाम	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	7.05	17.05	17.05
2.	कर्नाटक	1.32	11.32	11.32
3.	केरल	7.31	17.33	17.33
4.	मणिपुर	8.17	8.16	8.16
5.	उड़ीसा	9.71	9.76	9.76
6.	तमिलनाडु	8.87	18.87	18.87
7.	दिल्ली	4.30	14.30	14.30
8.	हरियाणा	22.01	42.01	42.01
9.	हिमाचल प्रदेश	2.34	2.34	2.34
10.	मध्य प्रदेश	7.38	7.38	7.38
11.	महाराष्ट्र	8.60	13.60	13.60
12.	राजस्थान	7.04	14.03	14.03
13.	सिक्किम	1.43	1.43	1.43

1	2	3	4	5
14.	जम्मू एवं कश्मीर	1.37	1.37	1.37
15.	पंजाब	2.80	5.80	5.80
16.	गुजरात	0.95	1.95	1.95
17.	गोवा	0.27	0.27	0.27
18.	उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित)	80.92	112.05	106.92
19.	पश्चिम बंगाल	30.36	51.35	46.35
20.	बिहार (झारखंड सहित)	24.00	25.37	18.32

फार्मा सेक्टर में अनुसंधान और विकास के लिए कोष का सृजन

307. **कुंवर अखिलेश सिंह:**
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:
डा. बलिराम:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष के बजट के दौरान फार्मा सेक्टर के लिए 150 करोड़ रुपए के कोष का सृजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उक्त कोष अभी तक नहीं बनाया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या वित्त मंत्रालय ने उनके मंत्रालय के अधीन ऐसे कोष के सृजन पर आपत्ति जताई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (घ) देश में भेषज उद्योग की अनुसंधान एवं विकास क्षमता को सुदृढ़ करने हेतु सिफारिश करने तथा स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास शुरू करने के लिए भारतीय भेषज कंपनियों के लिए अपेक्षित सहायता का पता लगाने की दृष्टि से सरकार द्वारा डा. आर.ए. माशेलकर, महानिदेशक, सी.एस.आई.आर. की अध्यक्षता में गठित भेषजीय अनुसंधान एवं विकास समिति (पी.आर.डी.सी.) ने सरकार को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ देश में भेषज उद्योग में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भेषजीय अनुसंधान एवं विकास सहायता निधि (पी.आर.डी.एस.एफ) स्थापित करने की सिफारिश की है। इस मसले पर अन्तर मंत्रालयीय विचार-विमर्श चल रहा है।

नया पुनर्वास अधिनियम, 1999

308. **श्री चन्द्रकांत खैरे:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने नया पुनर्वास अधिनियम, 1999 के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान किए जाने वाले कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक प्रस्ताव किस-किस तारीख को प्राप्त हुआ;

(ग) क्या सरकार ने इन प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पद आधारित रोस्टर

309. **श्री अशोक प्रधान:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** 27 फरवरी 2001, के अतारांकित प्रश्न संख्या 913 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्र की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक एकत्र कर लिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी अब मिल गयी है और लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 913 दिनांक 27.2.2001 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को पूरा करने से संबंधित कार्यान्वयन रिपोर्ट दिनांक 23.5.2001 को संसदीय कार्य मंत्रालय को भेज दी गई है।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत चंडीगढ़ को धन जारी किया जाना

310. श्री पवन कुमार बंसल: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चंडीगढ़ को वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत धन जारी नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और नौवीं योजना की शेष अवधि में इसके लिए इस संघ राज्य क्षेत्र की क्षतिपूर्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है और इसके उपयोग का ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत कितने लोग लाभान्वित हुए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ मार्च, 1999 तक मुहैया कराए गए केन्द्रीय धन का उपयोग नहीं कर सका। उनके पास अभी भी 31 मार्च, 2001 तक की स्थिति के अनुसार 179.66 लाख रु. की अप्रयुक्त धनराशि बकाया है। चालू वित्त वर्ष, जो नौवीं योजना अवधि का अंतिम वर्ष भी है, के दौरान अन्य कोई धनराशि जारी करना केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा अप्रयुक्त शेष धनराशि के उपयोग करने और उसके समुचित उपयोग प्रमाण प्रस्तुत करने पर निर्भर करेगा।

(ग) केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को 31 मार्च, 1999 तक 107.10 लाख रु. (पूर्ववर्ती शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रमों से 7.70 लाख रु. सहित) मुहैया कराए गए थे। उन्होंने मार्च 2001 तक केवल 27.44 लाख रु. खर्च करने की सूचना दी है, जिसमे स्कीम के शहरी स्वरोजगार घटक के अंतर्गत 16.29 लाख रु. शामिल है और इससे लघु उद्यम स्थापित करने के लिए 57 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं तथा 410 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया/ प्रशिक्षण पा रहे हैं।

हुडको द्वारा आंध्र प्रदेश को वित्तीय सहायता

311. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) द्वारा आंध्र प्रदेश को हुडको निवास योजना के अंतर्गत 350 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आंध्र प्रदेश सरकार ने किस सीमा तक इस धनराशि का उपयोग किया है; और

(घ) इस योजना के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, नहीं। तथापि, हुडको ने आज तक 1633 व्यक्तियों के लिए 54.41 करोड़ रु. का ऋण स्वीकृत किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) हुडको निवास स्कीम के तहत ऋण व्यक्ति विशेष को दिये जाते हैं न कि राज्य सरकार को।

जनजातीय क्षेत्रों में कुपोषण

312. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार कुपोषण से निपटने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय संबंधी योजनाओं को क्रियान्वित करने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र के पांच जिलों, यथा जलगांव, धुले, नासिक, नन्दुवार और अहमदनगर में मई, 2000 से कुपोषण के कारण 9000 से भी अधिक जनजातीय बच्चे मर चुके हैं;

(घ) यदि हां, तो इन जनजातीय क्षेत्रों की ओर केन्द्र सरकार की उदासीनता के क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या नए कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, नहीं। सरकार जनजातियों सहित समाज के पोषण संबंधी स्थिति में सुधार के लिए और कुपोषण का मुकाबला करने के लिए योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) महाराष्ट्र राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 2000-2001 के दौरान नासिक, धुले, नन्दुरबार, जलगांव और अहमदनगर के जिलों में 0-6 की आयु वर्ग के बच्चों की 2700 मौतें हुई हैं परन्तु उनमें से सभी मौतें कुपोषण के कारण नहीं हुई हैं, अन्य मामले जन्म से भार में कमी, समय से पूर्व जन्म लेना, डायरिया जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, व्यक्तिगत तथा पर्यावरणीय स्वच्छता के ज्ञान का अभाव।

शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए राज्य सरकार नवसंजीवन योजना को कार्यान्वित करती रही है जो एक समेकित योजना है और जिसमें स्वास्थ्य सेवा, रोजगार गारंटी खाद्यान्न की आपूर्ति, उपभोग ऋण योजना का प्रावधान है।

केन्द्र सरकार जनजातियों के लिए अन्य बैंक योजना को भी कार्यान्वित कर रही है जो उनमें भुखमरी से होने वाली मौत को रोकने के लिए अभिप्रेत है।

साक्षियों की गवाही

313. श्री रघुनाथ झा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अपराध दंड संहिता की धारा 161 के अंतर्गत पुलिस द्वारा साक्षियों की ली गई गवाही को न्यायालयों में अपरिवर्तनीय मानने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) भारत के विधि आयोग ने, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 पर अपनी 154वीं रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ धारा 164 में एक नई उप-धारा 1 (क) जोड़ने की सिफारिश की है, जिसे निम्न रूप से पढ़ा जा सकता है:-

> "प्रत्येक जांच अधिकारी जांच-पड़ताल के दौरान सभी तात्विक साक्षियों की नजदीकी मजिस्ट्रेट को भेजेगा और मजिस्ट्रेट, शपथ पर उनके बयान दर्ज करेगा, यदि ऐसे मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट पर मामलें को संज्ञान में लेने की शक्ति प्राप्त है, तो वह इस प्रकार के बयानों को, उसे प्राप्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ अपने पास रखेगा और धारा 173 के तहत आगे पुलिस रिपोर्ट की प्रतीक्षा करेगा। यदि वह संज्ञान में लेने के लिए प्राधिकृत नहीं है तो वह शपथ पर रिकार्ड किए गए इस प्रकार के बयानों को, मामले को संज्ञान में लेने के लिए प्राधिकृत मजिस्ट्रेट को भेजेगा।"

उपर्युक्त पर निर्णय लेने के लिए विशिष्ट समय सीमा बताना व्यवहारिक नहीं है क्योंकि सरकार को 154वीं रिपोर्ट में विधि आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों पर इसकी समग्रता के रूप में मत निर्धारित करना हैं।

छात्राओं के लिए छात्रावास सुविधाएं

314. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं के लिए छात्रावास सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना को जारी रखने की मंजूरी प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) क्या सरकार की स्वैच्छिक संगठनों द्वारा धन के दुरूपयोग के संबंध में कुछ शिकायतें मिली हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) निधियों का आवंटन राज्य-वार नहीं किया जाता है और राज्य सरकारों के माध्मय से गैर-सरकारी अभिकरणों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर योजना संस्वीकृत की जाती है।

(घ) और (ङ) जी, हां। शिकायतें मिलने पर विमोजित निधियां रोक दी गई थी।

विवरण

आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति ने गैर-सरकारी संगठनों को छात्राओं के लिए छात्रावासों हेतु प्रदान की जाने वाली निम्नलिखित सहायता के साथ योजना को जारी रखने का अनुमोदन किया है।

(1) किराया, मरम्मत और रख-रखाव की प्रतिपूर्ति के नए घटक को शामिल करना और इन पर होने वाले खर्च की 75 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति करना बशर्ते प्रत्येक मामले में राशि की अधिकतम सीमा 5 लाख रुपए से अधिक न हो।

(2) छात्रावास में रहने वाली प्रत्येक छात्रा के संबंध में वर्तमान अनावर्ती अनुदान को 1500 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए करना।

(3) योजना के तहत प्रति बालिका प्रति वर्ष आवर्ती अनुदान की अधिकतम सीमा को 5000/- रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करना।

(4) योजना में सतत अनुवीक्षण और मूल्यांकन के घटक को शामिल करना और जहां आवश्यक हो गैर-सरकारी संगठनों द्वारा योजना का मूल्यांकन कराना।

(5) कक्षा VIII और कक्षा X के बाद तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा ग्रहम करने वाली छात्राओं के अतिरिक्त कक्षा VII से XII में पढ़ रही छात्रावास में रहने वाली छात्राएं सहायता पाने की पात्र होनी चाहिए।

(6) छात्रावासों में रही छात्राओं की अधिकतम संख्या को 50 से बढ़ाकर 150 करना।

(7) पहली की तरह ही इस योजना का विषय क्षेत्र स्वैच्छिक अभिकरणों/समितियों और सार्वजनिक न्यासों तथा लाभ न कमाने वाले निकायों तक सीमित रहेगा।

इंडियन स्टील एलायन्स स्थापित किया जाना

315. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, टाटा स्टील, जिंदल ने अमरीकन स्टील एलायन्स की भांति इंडियन स्टील एलायन्स स्थापित करने पर सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसा एलायन्स स्थापित करने के पीछे मुख्य विचार क्या है;

(घ) इस एलायन्स के वित्त पोषण में प्रत्येक कंपनी का कितना-कितना भाग होगा; और

(ङ) इस एलायन्स से देश के इस्पात उद्योग को प्रोत्साहित करने में किस सीमा तक मदद मिलने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) से (ङ) सेल, टिस्को, जिंदल विजयनगर स्टील लि., इस्पात इंडस्ट्रीज लि. और एस्सार स्टील लि. नामक इस्पात उत्पादकों का दल ''इंडियन स्टील एलायन्स'' नामक निकाय का गठन करने पर विचार कर रहा है। इस एलायन्स का मुख्य उद्देश्य इस्पात को पसंदीदा सामग्री के रूप में स्थापित करना और इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देना है। इसमें शामिल होने वाली कंपनियों का इसमें कितना-कितना हिस्सा होगा यह अभी तय नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

देश में गैर-कानूनी अप्रवासी

316. श्री भीम दाहाल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि नेपाल और बंग्लादेश के नागरिक देश के सीमा क्षेत्रों में गैर कानूनी रूप से भूमि का अधिग्रहण कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2000 और 2001 के दौरान आज की तिथि तक इन दोनों देशों के ऐसे कितने व्यक्तियों की पहचान की गयी; और

(घ) सरकार द्वारा इन्हें रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गयी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल ; रख दी जाएगी।

अनुवाद]

भारतीय उर्वरक निगम, रामागुण्डम की स्थिति

317. श्री राजैया मल्याला: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** ह बताने की कृपा करेंगे कि रामागुण्डम स्थित भारतीय उर्वरक गम की वर्तमान वित्तीय स्थिति का पूरा ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत खर्जी): फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया (एफ सी आई) के मागुण्डम एकक की दिनांक 31.3.2001 की स्थिति (अनन्तिम) ; अनुसार वित्तीय स्थिति इस प्रकार है:

ाम्य पूंजी	–	148 करोड़ रुपये
द्ध अचल सम्पत्ति	–	53 करोड़ रुपये
ार्यकारी पूंजी	–	(–) 66 करोड़ रुपये
ाभ तथा हानि	–	(–) 1549.65 करोड़ रुपये (संचयी)

रामागुण्डम एकक के प्रचालनों को बहुत अधिक उत्पादन ागत और निरन्तर बढ़ती हुई हानियों के कारण दिनांक 1.4.99 ो रोक दिया गया है और इसके स्थाई प्रभारों (वेतन, मजदूरी और संरक्षण लागत) को, सरकार द्वारा एफ.सी.आई. को दी जा रही राजटीय सहायता से पूरा किया जा रहा है।

अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए अपर्याप्त छात्रावास

318. श्री अनन्त नायक: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति बहुल राज्यों विशेषकर उड़ीसा में स्थापित किये गये छात्रावासों की संख्या अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार इस मांग को पूरा करने के लिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए अतिरिक्त छात्रावास स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन छात्रावासों में बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता है; और

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 2001–2002 के दौरान इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (ग) अनुसूचित जनजातियों के लिए लड़कों के छात्रावासों की आवश्यकता और स्थान का निर्णय संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। अनुसूचित जनजातियों के लड़कों के छात्रावासों की योजना केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना है। लड़कों के छात्रावासों के निर्माण की कुल लागत को केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा 50:50 के आधार पर शेयर किया जाता है। वर्ष 1992–93 से 2000–2001 तक देश में मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल 548 लड़कों के छात्रावास मंजूर किए गए हैं, जिनमें से उड़ीसा राज्य सरकार को 60 लड़कों के छात्रावास मंजूर किए गए हैं। मंत्रालय के पास वर्ष 2001–2002 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के लिए लड़कों के छात्रावासों के निर्माण के लिए 10.00 करोड़ रु. का बजट प्रावधान है।

(घ) और (ङ) लड़कों के छात्रावासों की योजना के प्रावधान के अनुसार इस मंत्रालय द्वारा निर्माण की 50% लागत वहन की जाती है। संवासियों को सुविधाएं प्रदान करने संबंधी लागत सहित आवर्ती लागत का वहन संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है।

विद्युत संयंत्रों को कम राख वाले कोयले की आपूर्ति

319. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) ने अधिक राख वाले कोयले को कम राख वाले कोयले के साथ समिश्रित कर विद्युत संयंत्रों को कम राख वाले कोयले की आपूर्ति की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र के सभी विद्युत संयंत्र इस प्रस्ताव पर सहमत हो गए हैं;

(ग) यदि हां, तो सी.आई.एल. की विद्युत संयंत्रों को कम राख वाले ऐसे कोयले की आपूर्ति कब से शुरू करने की संभावना है;

(घ) क्या इससे कोयले के मूल्य में कोई अंतर होगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सी.आई.एल. की वर्ष के दौरान विद्युत संयंत्रों को ऐसे कोयले की आपूर्ति की क्षमता कितनी है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) वर्तमान वर्ष के दौरान सी.आई.एल. द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है।

(ख) से (च) किन्तु, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने शहरी तथा संवेदनशील क्षेत्रों में अथवा पिटहैड से 1000 कि.मी. से अधिक की दूरी पर स्थित विद्युत गृहों द्वारा 34% से कम राख वाले कोयले के उपयोग हेतु एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना को हाल ही में बढ़ा दिया गया और अब ये दिनांक 1.6.2002 से प्रभावी होगी। 34% से कम राख वाले कोयले की आपूर्ति हेतु कोल इंडिया लि. ने विद्युत मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा संबद्ध विद्युत गृहों के परामर्श से एक आधार तैयार किया है। किन्तु, जहां भी आवश्यक हो, सम्मिश्रण का कार्य विद्युत संयंत्रों द्वारा किया जाएगा।

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. द्वारा विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति

320. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. का विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति करने का कोई लिंकेज है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान आज की तिथि तक वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. द्वारा ऐसे विद्युत संयंत्रों को संयंत्रवार कितने कोयले की आपूर्ति की गई;

(घ) क्या वेस्टर्न कोलफील्ड्स के पास कोयले की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता है;

(ङ) यदि हां, तो क्या ऐसे कोयले के लिए वैकल्पिक बाजारों का पता लगाया जा रहा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या वेस्टर्न कोलफील्ड्स ने क्षमता का विस्तार करने के लिए धन की मांग की है और इसके लिए अनुमति मांगी है; और

(ज) यदि हां, तो वेस्टर्न कोलफील्ड्स की उत्पादन क्षमता की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है और कोयले की वर्तमान वार्षिक बिक्री कितनी है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (ग) जी, हां। वर्ष 2000-2001 के दौरान और अब तक आपूर्ति की गई कोयले की मात्रा निम्नवत है:-

(मीट्रिक टन में)

बिजली घर	2000-2001	2001-2002 (जून तक)
नासिक	3187966	557000
भूसावल	2182093	476000
पारली	1219723	352000
चन्द्रपुर	11369545	2986000
पारस	305826	45000
कोराड़ी	1555474	183000
खापरखेड़ा	603240	179000
सारणी	6355864	1239000
उकई	106841	-
रायचूर	1526273	375000
रामागुंडम	367316	78000
पी.एस.बी.ई.बी.	-	427000
ओबरा	-	282000

(घ) सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट द्वारा डब्ल्यू.सी.एल. की निर्धारित क्षमता 1.4.2001 की स्थिति के अनुसार 35.78 मिलियन टन है। डब्ल्यू.सी.एल. का 2000-2001 के दौरान नियोजित उत्पादन लक्ष्य 35 मिलियन टन है।

(ङ) और (च) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(छ) सरकार द्वारा कोई बजटीय सहायता नहीं दी जा रही है। निधि की आवश्यकता की पूर्ति डब्ल्यू.सी.एल. द्वारा आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से की जा रही है।

(ज) वर्ष 2000-2001 के दौरान डब्ल्यू.सी.एल. द्वारा कोयला का प्रेषण 35.21 मिलियन टन रहा है।

[हिन्दी]

अमरीकी प्रतिष्ठानों पर हमला करने की लादेन की धमकी

321. **श्री पी.आर. खूंटे:**
डा. अशोक पटेल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकी खुफिया एजेंसी सी.आई.ए. ने दिल्ली पुलिस को एक संदेश भेजा है कि लादेन अमरीकी प्रतिष्ठानों पर हमला करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में अमरीकी दूतावास को उड़ानें के षडयंत्र के संबंध में कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई छानबीन कराई गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) तत्संबंधी क्या निष्कर्ष निकलें?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (च) जी हां, श्रीमान्। अमेरिकी दूतावास ने संभवत: ओसामा-बिन लादेन से जुड़े आतंकवादियों द्वारा मौनसून के मौसम में दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास पर हमले की सम्भावना के बारे में अपुष्ट सूचना दी थी। इस सूचना के बारे में जानकारी प्राप्त करके एक सूडानी नागरिक सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनसे 6 किलोग्राम आर.डी.एक्स वाली प्री-फैबरिकेटिड आई.ई.डी. तथा पेन्सिल टाईमर युक्त डेटोनेटर, दो सेल-फोन तथा दो सिम कार्ड बरामद किए गए। इस मामले की जांच पड़ताल के आधार पर दो अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया जिन पर इस षडयन्त्र में शामिल होने का आरोप है।

गरीबी उपशमन कार्यक्रम

322. **श्री रामशकल:**
श्री ताराचन्द भगोरा:
श्री त्रिलोचन कानूनगो:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गरीबी उपशमन कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि आबंटन/जारी करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं;

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान तथा आज की तिथि तक कार्यक्रमवार और राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार अनप्रयुक्त/खर्च न की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है और इसके राज्यवार और योजनावार कारण क्या है;

(घ) क्या उड़ीसा में जनसंख्या का अधिकांश प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार द्वारा राज्य के लिए कोई विशेष पैकेज तैयार किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (ग) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वयन के अधीन ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हैं। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियां योजना आयोग के साथ परामर्श के बाद बनाए गए मानदंड के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित की जाती हैं और डी.आर.डी.ए. को निधियां पिछले वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने पर एवं उनके निष्पादन के आधार पर एक वर्ष में दो बराबर किस्तों में रिलीज की जाती हैं। 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान किए गए आबंटन तथा इन कार्यक्रमों के अंतर्गत आज तक खर्च न की गई राज्य वार शेष राशि को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। चालू वर्ष के दौरान निधियां को खर्च करने का समय अभी भी बचा हुआ है।

(घ) से (छ) योजना आयोग से प्राप्त 1993-1994 के गरीबी के आकलनों के अनुसार उड़ीसा में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में 49.72 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 41.64 प्रतिशत अनुमानित किया गया था जो कि देश में सर्वोच्च नहीं है। देश के कुल ग्रामीण गरीबों की तुलना में उड़ीसा का हिस्सा 6.45 प्रतिशत है। मंत्रालय ने उड़ीसा के लिए इन कार्यक्रमों के अंतर्गत कोई विशेष पैकेज नहीं बनाया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	एस.जी.एस.वाई.			जे.जी.एस.वाई.			ई.ए.एस.		
		केन्द्रीय आबंटन		खर्च न की गई राशि (आज तक)	केन्द्रीय आबंटन		खर्च न की गई राशि (आज तक)	केन्द्रीय आबंटन		खर्च न की की गई राशि (आज तक)
		2000-01	2001-2		2001-01	2002-02		2000-01	2001-02	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	5303.03	3068.31	1593.68	8727.55	8728.14	एन.आर.	6586.59	6900.16	456.64
2.	अरूणाचल प्रदेश	276.91	164.76	235.27	456.91	456.91	एन.आर.	406.80	359.98	344.64
3.	असम	7195.18	4281.13	एन.आर.	11872.04	11872.04	एन.आर.	10546.62	9353.70	1721.38
4.	बिहार	12616.76	7300.00	एन.आर.	16476.68	16477.80	एन.आर.	13184.87	13812.55	5525.02
5.	छत्तीसगढ़	2800.88	1620.58	1412.01	5094.75	3692.75	एन.आर.	3725.40	3902.75	2016.91
6.	गोवा	50	50.00	37.86	128.41	128.42	101.44	15.18	15.90	6.37
7.	गुजरात	1996.15	1154.96	927.66	3285.21	3285.44	-177.71	2479.32	2597.35	1639.72
8.	हरियाणा	1174.37	679.48	558.86	1932.75	1932.88	1316.77	1458.62	1528.07	769.5
9.	हिमाचल प्रदेश	494.67	286.16	18.8	813.95	814.01	541.18	614.28	643.53	216.61
10.	जम्मू व कश्मीर	612.1	354.16	92.51	1007.38	1007.45	-326.46	760.26	796.45	306.62
11.	झारखण्ड	4755.33	2751.41	60.11	12113.79	12114.60	15347.57	8385.06	8784.24	3393.67
12.	कर्नाटक	4004.53	2317.00	58.92	6590.54	6590.99	4615.32	4973.80	5210.60	4328.8
13.	केरल	1796.82	1039.63	604.5	2957.15	2957.35	3465.71	2231.73	2337.98	1680.22
14.	मध्य प्रदेश	6004.58	3474.22	2724.89	9397.00	10799.98	-2026.06	7217.24	7560.81	3128.74
15.	महाराष्ट्र	7915.98	4580.15	5665.01	13027.87	13028.76	800.99	9832.00	10300.07	6663.38
16.	मणिपुर	482.36	287.00	एन.आर.	795.90	795.90	315.04	707.18	627.08	190.51
17.	मेघालय	540.42	321.55	283.9	891.69	891.69	एन.आर.	792.68	702.54	299.62
18.	मिजोरम	125.06	74.41	25.95	206.33	206.33	142.39	183.36	162.58	118.06
19.	नागालैंड	370.7	220.57	एन.आर.	611.66	611.66	एन.आर.	543.30	481.90	147.01
20.	उड़ीसा	6065.56	3509.50	2677.82	9982.52	9983.20	7961.71	7533.70	7892.36	4631.69
21.	पंजाब	570.73	330.22	197.58	939.30	939.36	694.46	708.88	742.62	494.1
22.	राजस्थान	3040.77	1759.38	1634.58	5004.41	5004.75	4085.79	3776.78	3956.58	2656.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	सिक्किम	138.45	82.38	41.19	228.45	228.45	38.16	203.84	180.02	72.01
24.	तमिलनाडु	4689.03	2713.06	2071.75	7717.07	7717.59	-5094.6	5824.00	6101.26	2764.88
25.	त्रिपुरा	870.92	518.20	259.1	1437.02	1437.02	305.85	1276.22	1132.20	818.39
26.	उत्तरांचल	954.45	552.30	1059.97	1960.17	1960.34	एन.आर.	1483.15	1553.76	871.36
27.	उत्तर प्रदेश	18163.6	10509.37	15864.89	29503.89	29505.85	7645.51	22258.95	23318.62	9327.45
28.	पश्चिम बंगाल	6740.66	3900.11	9715.13	11093.58	11094.33	-2892.93	8372.22	8770.78	3105.11
29.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	50	50.00	30.18	84.64	84.64	52.15	35.04	36.70	72.86
30.	दादर व नागर हवेली	50	50.00	एन.आर.	55.87	55.87	एन.आर.	35.04	36.70	0
31.	दमन व दीव	50	50.00	64.61	27.07	27.07	1.58	1.17	1.22	1.16
32.	लक्षद्वीप	50	50.00	एन.आर.	42.43	42.43	3.36	2.34	2.45	0
33.	पांडिचेरी	50	50.00	एन.आर.	86.00	86.00	10	44.38	46.49	0
	कुल	100000	58150.00	47917.53	164549.98	164560.00	36927.22	126200.00	129850.00	57768.69

एन आर – असूचित * अनंतिम

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को सहायता

323. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ गैर-सरकारी सगंठन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में आतंकवादी गतिविधियों को सहायता प्रदान कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा अब तक ऐसे संगठनों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) यह सुझाने वाली कोई विशिष्ट रिपोर्टें नहीं हैं कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में गैर-सरकारी संगठन आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन कर रहे है। तथापि, कुछ राज्यों में गैर-सरकारी संगठनों को मूल निवासियों के लिए आत्मनिर्णय के मुद्दे को उछालते, उग्रवादियों गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकर्त्ताओं और आम जनता पर सुरक्षा बलों द्वारा किए जा रहे तथाकथित उत्पीड़न और अत्याचार की निन्दा करने के लिए विरोध प्रदर्शन आयोजित करते देखा गया हैं।

(ग) इन गैर सरकारी-संगठनों की गतिविधियों पर निकट से नजर रखी जाती है। जब कभी कानून के उल्लंघन के विशिष्ट मामलों का पता लगता है, राज्य सरकारें मामले दर्ज करती हैं।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र की रुग्ण उर्वरक इकाइयों के लिए पुनरुद्धार पैकेज

324. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
श्री जी.एस. बसवराज:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री नवल किशोर राय:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की चार रुग्ण उर्वरक इकाइयों के लिए उर्वरक नीति और पुनरुद्धार पैकेज का प्रारूप तैयार करने हेतु वित्त मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक समूह गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समूह में कितने सदस्य हैं और इसके निदेश पद क्या हैं;

(ग) क्या इस मामले में राज्य सरकारों, कृषकों और उद्योगों से परामर्श किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) निम्नलिखित संरचना के साथ दिनांक 8.6.2001 को मंत्रियों के एक दल का गठन किया गया है जो सार्वजनिक क्षेत्र के चार रुग्ण उर्वरक उपक्रमों के संबंध में पुनर्वास/पुनर्गठन प्रस्तावों की जांच करेगा और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा:-

श्री यशवन्त सिन्हा

वित्त मंत्री

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा

रसायन और उर्वरक मंत्री

श्री नीतीश कुमार

कृषि मंत्री तथा रेल मंत्री

श्री मनोहर जोशी

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

डा. मुरली मनोहर जोशी

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री।

श्री राम नाईक

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री

श्री अरूण शौरी

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विनिवेश विभाग

राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय, राज्य मंत्री, सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और राज्य मंत्री प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय।

मंत्रियों के दल के विचाराधीन विषयों में उर्वरक नीति तैयार करने का कार्य शामिल नहीं है।

(ग) और (घ) भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणी में भारतीय उर्वरक निगम को घाटा

325. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी 31 मार्च, 2000 तक समाप्त होने वाली रिपोर्ट में भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड और हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड को हजारों करोड़ रुपये के भारी घाटे की बात कही है;

(ख) यदि हां, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा उनकी रिपोर्ट में बताए गए तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उर्वरक विभाग को हुए ऐसे विशाल घाटे के मुख्य कारणों का पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय जांच का आदेश देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) जी, हां। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने 31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष के लिए 2001 की रिपोर्ट सं. 1 (पीएसयूज) में फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (एफ सी आई) तथा हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया (एफएफसी) में क्रमश: 5904.11 करोड़ रुपये और 4192.97 करोड़ रुपये की उपार्जित हानि दर्शाई है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि एफ सी आई तथा एच एफ सी प्रौद्योगिकी के पुरानेपन, डिजाइन तथा उपकरण त्रुटियों, बिजली की कमी, औद्योगिक संबंध, समस्याओं, फालतू जनशक्ति तथा संसाधन बाधाओं के कारण निरन्तर हानि उठा रही है और औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड द्वारा इन्हें नवम्बर, 1992 में रुग्ण घोषित कर दिया गया है।

दिल्ली में बम धमाके

326. **श्री टी.एम. सेल्वागनपति:**
श्री रामपाल सिंह:
श्री दलपत सिंह परस्ते:
श्री बसुदेव आचार्य:
श्री रामजीवन सिंह:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में अत्याधिक सुरक्षा वाले क्षेत्र में हाल ही में कई बम विस्फोट हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दिल्ली में कितने बम विस्फोट हुए;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच की गयी है;

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला और इन विस्फोटों के लिए कौन-कौन सी एजेन्सियां उत्तरदायी हैं;

(च) कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और इनमें से प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी; और

(छ) सरकार द्वारा राजधानी में बम विस्फोटों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) वर्ष 2001 के दौरान, विस्फोट की तीन अलग-अलग घटनाएं, सूचित की गयी, एक सेना भवन के सामने सेना मुख्यालय पार्किंग में, एक साऊथ ब्लाक के पीछे डलहोजी रोड पर और एक सीमा सुरक्षा बल कार्यालय, सी.जी.ओ. परिसर, लोदी रोड नई दिल्ली में एक टेन्ट की छत पर।

(ग) वर्ष 1999 और 2000 में हुए बम विस्फोटों की संख्या क्रमश: 2 और 4 थी।

(घ) से (च) वर्ष 1999 के दोनों मामलों और वर्ष 2000 के 3 मामलों को दिल्ली पुलिस ने हल कर लिया है और इस बारे में 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इन मामलों की जांच से, खालिस्तान जिन्दाबाद फोर्स, खालिस्तान कमान्डों फोर्स (पंजवार) और पाक आई.एस.आई. जैसे संगठनों की संलिप्तता का पता चला।

(छ) राजधानी में बस विस्फोटों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में सम्मिलित है:- बीट गस्त को गहन करना; सामरिक महत्व के स्थानों पर सशस्त्र टुकड़ियों की तैनाती, आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करना, अपराधियों और आतंकवादियों के संदिग्ध ठिकानों पर कड़ी निगरानी रखना और बार-बार छापे मारना; व्यक्तियों और सामान की तलाशी, विशेषरूप से भीड़भाड़ वाले बाजारों और मनोरंजन के स्थानों पर; गेस्ट हाऊस और धार्मिक स्थानों की जांच, प्रत्येक पुलिस जिले में आंतकवादी विरोधी एकक की स्थापना, प्रिन्ट और विज्युल मीडिया के जरिए जनता को सुग्राही बनाना; नई बनने वाली कालोनियों में किराएदारों का सत्यापन, सूचना के आदान-प्रदान के लिए राज्य और केन्द्रीय पुलिस संगठनों के साथ गहन बातचीत; ऊची इमारतों, सरकारी भवनों और कार पार्किंग क्षेत्रों इत्यादि की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कार्मिकों को सुग्राही बनाना; जमानत पर रिहा हुए उग्रवादियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी और चुनिन्दा क्षेत्रों में भेदियों को तैनाती करना।

ज्ञानदर्शन कार्यक्रम की ओर केबल ऑपरेटरों को आकर्षित करने हेतु योजना

327. **डा. जसवंत सिंह यादव:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने ज्ञान दर्शन कार्यक्रम की ओर केबल ऑपरेटरों को आकर्षित करने हेतु महत्वाकांक्षी और प्रोत्साहन देने वाली योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ज्ञान दर्शन कार्यक्रम की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, नहीं। यद्यपि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने ज्ञान दर्शन कार्यक्रम के संबंध में केबल ऑपरेटरों को आकर्षित करने के लिए एक प्रोत्साहन योजना लाने का प्रस्ताव किया है।

(ख) प्रस्तावित योजना के तहत, दूरस्थ क्षेत्रों के छोटे केबल ऑपरेटरों को ज्ञान दर्शन चैनल चलाने हेतु तकनीकी सहायता दी जाएगी।

(ग) और (घ) ज्ञान दर्शन कार्यक्रम की गुणवत्ता व विषय-वस्तु को उन्नत बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा समय-समय पर इसका मॉनीटरन किया जाता है।

[हिन्दी]

उदयपुर के जनजाति बहुल क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं

328. श्री रामजीलाल सुमन:
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण राजस्थान का उदयपुर जिला जनजाति बहुल क्षेत्र है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त राज्य में विशेषकर कोटाडा जनजाति बहुल खंड में उचित नागरिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस क्षेत्र में विशेषकर उक्त खंड में शिक्षा, चिकित्सा सुविधाओं, सफाई, सड़कों और रोजगार के उपलब्ध अवसरों की वास्तविक स्थिति क्या है;

(ङ) क्या इस खंड के जनजातीय लोग असभ्य समाज की परंपराओं को अपनाकर अपना जीवन जी रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इनके उत्थान के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का उदयपुर जिला एक जनजातीय बहुल जिला है, जिसमें 45.19 प्रतिशत जनजातीय जनसंख्या है।

(ख) और (ग) यह सत्य है कि कोटडा एक जनजातीय बहुल खंड है। लगभग 89% जनसंख्या जनजातीय है। सम्पूर्ण राजस्थान में उपलब्ध नागरिक सुविधाओं तथा कोटडा खंड में उपलब्ध नागरिक सुविधाओं की तुलनात्मक स्थिति निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	मद	राजस्थान	कोटडा खंड
1	2	3	4
1.	साक्षरता दर (1991 की जनगणना)	38.55	8.67
2.	प्रति 10,000 जनसंख्या पर स्कूलों की संख्या	11.21	14.87
3.	प्रति 10,000 वर्ग कि.मी. पर स्कूलों की सं.	14.41	16.28
4.	प्रति 10,000 जनसंख्या पर स्वास्थ्य संस्थाओं की संख्या	3.05	3.45
5.	प्रति 100 वर्ग कि.मी. पर स्वास्थ्य संस्थाओं की संख्या	3.07	3.78
6.	पेयजल आपूर्ति के अंतर्गत शामिल गांवों की प्रतिशतता	100	100
7.	प्रति 100 वर्ग कि.मी. पर सड़कों की लम्बाई	20.52	21.85

(घ) कोटडा खंड में उपलब्ध नागरिक सुविधाएं निम्नलिखित हैं:-

क्र.सं.	नागरिक सुविधाएं	यूनिट
1.	स्कूलों की संख्या	191
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	6
3.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	1
4.	उप केन्द्रों की संख्या	42
5.	आश्रम छात्रावासों की संख्या	4

(ङ) और (च) जी, नहीं। तथापि, सरकार इस खंड के आदिवासियों के उत्थान के लिए विभिन्न कदम उठा रही है ताकि वे आधुनिक समाज से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में आ सकें। ऐसे उपाय हैं: एक सौ की जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव में स्कूलों को खोलना, 750 की जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव में सम्पर्क मार्ग का निर्माण, शिक्षा कर्मी, लोक जुंबिश, राजीव गांधी पाठशाला आदि शिक्षा योजनाओं का कार्यान्वयन। इस खंड मुख्यालय में एक आवासीय स्कूल स्थापित किया गया है जिसके लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय सहायता अनुदान निर्मुक्त करता है।

दिल्ली पुलिस द्वारा उत्पीड़न

329. श्री रामदास आठवले: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 01.01.2001 से आज तक की तिथि तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अल्पसंख्यक समुदाय और जन प्रतिनिधियों से दिल्ली पुलिस द्वारा तथाकथित उत्पीड़न से संबंधी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) क्या आयोग ने इस संबंध में कोई जांच कराई है/कराने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा दिल्ली पुलिस के दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी/करने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन एच आर सी) को 1.1.2001 से 30.6.2001 तक की अवधि के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा तथाकथित उत्पीड़न के संबंध में अल्पसंख्यक समुदाय और दिल्ली के जन प्रतिनिधियों से 37 शिकायतें प्राप्त हुई।

(ख) से (घ) प्राप्त 37 शिकायतों में से आयोग ने 14 मामलों में दिल्ली पुलिस को जांच करने और आयोग को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया। एक मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जांच-पड़ताल प्रभाग को जांच करने को कहा गया। इस मामले को बाद में बंद कर दिया गया क्योंकि आरोप निराधार पाए गए। 13 मामलों को आरंभ में ही खारिज कर दिया गया। 9 मामले दिल्ली पुलिस को उचित कार्रवाई करने का निदेश देते हुए निपटाए गए।

आयोग द्वारा दिल्ली पुलिस को भेजे गए तीन मामलों में, संलिप्त पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

[अनुवाद]

बाल संहिता विधेयक, 2000

330. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्री वी.आर. कृष्ण अय्यर की अध्यक्षता वाली एक विशेष विशेषज्ञ समिति ने बाल संहिता विधेयक, 2000 तैयार किया है जिसे संसद में पेश किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह विशेषज्ञ समिति किन परिस्थितियों वश बनाई गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति द्वारा बाल संहिता विधेयक, 2000 तैयार किया गया था, जिसमें यूनीसेफ के इंडिया कंट्री कार्यालय ने सहायता प्रदान की थी। चूंकि, यह समिति भारत सरकार द्वारा नियुक्त नहीं की गई थी, इसलिए इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत किये जाने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) बाल संहिता विधेयक, 2000 में बाल अधिकार कन्वेंशन के उपबन्ध, बालिका से सम्बन्धित विशेष उपबन्ध, राज्य बाल आयोगों सहित प्रस्तावित राष्ट्रीय बाल आयोग के उपबन्ध, नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा का प्रावधान, स्वास्थ्य और पोषण के सम्बन्ध में प्रावधान, आर्थिक शोषण और दुर्व्यवहार के खिलाफ बच्चों के अधिकार, बच्चों की सुरक्षा और देखभाल, अधिकारियों की नियुक्ति और संस्थाओं की स्थापना, विकलांग बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, बाल कल्याण अभिकरणों के माध्यम से बच्चों को गोद लेना, अपराध और जुर्माना, बाल न्यायालय और बच्चों से सम्बन्धित अन्य मुद्दे शामिल हैं।

(ग) यूनीसेफ ने सूचित किया है कि भारत द्वारा अभिपुष्ट बाल अधिकार कन्वेंशन के अधिदेश के अनुसार और बाल अधिकार कन्वेंशन के कार्यान्वयन पर भारत की प्रथम रिपोर्ट के सम्बन्ध में बाल अधिकार कन्वेंशन समिति की टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में यूनीसेफ ने इस बात की समीक्षा करने के लिए विशेषज्ञ राष्ट्रीय समिति के गठन में सहायता प्रदान की कि बाल अधिकार कन्वेंशन की अन्तर्निहित भावना को भारत के आन्तरिक विधान में किस प्रकार सर्वोत्तम तरीके से शामिल किया जा सकता है।

[हिन्दी]

वाहनों का चालान

331. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली यातायात पुलिस वाहनों के नम्बर नोट करके चालानों को वाहन-मालिकों के रिहायशी पते पर भेजती है;

(ख) यदि हां, तो 1.1.2001 से लेकर 30.6.2001 तक रिहायसी पतों पर कितने चालान भेजे गये और इससे कुल कितनी धनराशि वसूल की गई;

(ग) क्या कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी उक्त चालान मिले हैं जिन्होंने उस चालान में उल्लिखित तिथियों को अपने वाहन ही नहीं निकाले थे;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का इस प्रकार की गतिविधि को रोकने, इस प्रकार बनाए गए चालानों को निरस्त करने व इस संबंध में दोषी कर्मियों को दण्डित करने का विचार है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) इस संबंध में सरकार का कौन से निवारणात्मक कदम उठाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) यातायात पुलिस कार्मिकों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पंजीकरण संख्या नोट कर ली जाती है और ऐसे वाहनों के पंजीकृत मालिकों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 133 के अन्तर्गत यह अनुरोध करते हुए नोटिस भेजे जाते हैं कि वे उस व्यक्ति का नाम, पता एवं ड्राईविंग लाइसेंस संख्या बताएं जो उस विशेष समय, दिनांक एवं स्थान पर वाहन चला रहा था।

(ख) इस अवधि के दौरान 524669 नोटिस जारी किए गए और 2,13,08,800/- रुपये की राशि वसूल की गई।

(ग) से (ज) ऐसे कुछ मामले हुए हैं जिनमें नोटिस गलती से भेजे गए पाए गए हैं। तथापि, जब कभी भी ऐसी कोई गलती पुलिस के ध्यान में लाई जाती है, तो मामले की जांच की जाती है और यदि यह सिद्ध हो जाता है कि नोटिस सम्बन्धित पुलिस अधिकारी की लापरवाही के कारण गलती से जारी किया गया था, तो नोटिस को वापिस ले लिया जाता है और दोषी अधिकारी के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

सीमापार से चालया जा रहा आतंकवाद

332. श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति:
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमापार से चलाए जा रहे आतंकवाद को समाप्त करने के मुद्दे पर सरकार को पड़ोसी देशों से अत्यंत उत्साहहीन प्रतिक्रिया मिली है;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में सीमापार से चलाई जा रही आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए कोई ठोस कार्य योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) सरकार ने प्राय: यह कहा है कि पाकिस्तान को शिमला समझौते और लाहौर घोषणा का पालन करना चाहिए और सीमा पार से आतंकवाद को प्रायोजित करना छोड़ देना चाहिए। सीमा पार से आतंकवाद के संबंध में हमारी चिंता के बारे में हमें कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) कूटनीतिक रूप से सरकार ने, पाकिस्तान द्वारा भारत में सीमा पार से आतंकवाद को प्रायोजित करने संबंधी तथ्यों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान उचित और प्रभावी रूप से दिलाया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जम्मू और कश्मीर में और भारत में अन्यत्र, पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से आतंकवाद को प्रायोजित करने की बात को खुले रूप से स्वीकार किया है। इसे अक्सर पाकिस्तान पर मिडिया कवरेज में दर्शाया जाता है।

(ग) और (घ) जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, सीमा प्रबन्धन मजबूत करना, भीतरी प्रदेश में आतंकवादियों के खिलाफ प्रतिकारी कार्रवाई करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, सभी स्तरों पर एकीकृत मुख्यालय के आपरेशन ग्रुपों और आसूचना ग्रुपों के संस्थागत ढांचे के माध्यम से व्यापक कार्यात्मक एकीकरण, सुरक्षा बलों के लिए उन्नत प्रोद्यौगिकी और उपस्कर उपलब्ध कराना, शामिल है।

सीमा पर कड़ी चौकसी रखने, सीमा के दोनों ओर से घुसपैठ को रोकने के लिए भीतरी क्षेत्रों में अधिक नाका दल स्थापित करना, अधिक पिकेट, गहन गश्त इत्यादि सहित आतंकवादियों को बाहर निकालने तथा उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

जम्मू रेलवे स्टेशन पर बम-विस्फोट

333. श्री नरेश पुगलिया: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 25 जून, 2001 को जम्मू रेलवे स्टेशन पर एक स्कूटर में रखे बम का शक्तिशाली विस्फोट हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितने व्यक्ति हताहत हुए;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस महत्वपूर्ण रेलवे-स्टेशन पर सुरक्षा प्रबंधों के विफल रहने के क्या कारण हैं; और

(च) इस रेलवे स्टेशन पर विशेषकर अमरनाथ-यात्रा को देखते हुए यात्रियों की रक्षा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) जी हां, श्रीमान्। 25.6.2001 की शाम को जम्मू रेलवे स्टेशन के समीप एक विस्फोट हुआ। इस घटना में सेना के तीन कर्मियों सहित 46 लोग जख्मी हुए। जम्मू और कश्मीर पुलिस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है।

(ङ) और (च) सरकार, जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाती रही है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सीमा प्रबन्धन का सुदृढ़ीकरण, भीतरी प्रदेश में सुरक्षा बल की समुचित कार्रवाइयां, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और अल्संख्यकों तथा दूर-दराज और दूर-दूर बसे गांवों के लिए सुरक्षा उपाय करना, सुरक्षा बलों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी हथियार और उपस्कर, एकीकृत मुख्यालय और निचले स्तरों पर आपरेशन ग्रुपों और आसूचना ग्रुपों के फ्रेमवर्क के माध्यम से व्यापक कार्यात्मक एकीकरण आदि शामिल है। आतंकवादियों की धमकियों का मुकाबला करने के लिए समुचित रणनीतियां और रणकौशल अपनाने तथा सुरक्षा बलों की परिवर्तनात्मक तैनाती के इरादे से सुरक्षा स्थिति की एकीकृत मुख्यालय में और निचले स्तरों पर नियमित रूप से पुनरीक्षा की जाती है। जम्मू और कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा तथा रेलवे स्टेशनों एवं रेलवे लाइनों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष उपाय किए जाते हैं और उनकी राज्य सरकार एजेन्सियों द्वारा इस प्रयोजनार्थ समय-समय पर आयोजित बैठकों में समीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में साक्षरता कार्यक्रम

334. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:**
श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश की 51 परियोजनाओं के लिए धनराशि की दूसरी किस्त जारी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) मध्य प्रदेश में पूर्ण साक्षरता अभियान/उत्तर साक्षरता कार्यक्रम के तहत राशि की दूसरी किश्त 26 जिलों को जारी की गई है।

(ख) दूसरी किश्त की जिलावार जारी निधियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) शेष जिलों को दूसरी किश्त जारी न किए जाने के निम्नलिखित कारण हैं:-

(1) प्रथम किश्त के 75 प्रतिशत का उपयोग न किया जाना;

(2) राज्य द्वारा अपने हिस्से का जारी न किया जाना;

(3) अद्यतन प्रगति रिपोर्ट का न भेजा जाना;

(4) पहले जारी की गई निधियों के लेखा परीक्षित लेखे का जमा न किया जाना।

विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	जिले का नाम	पूर्ण/उत्तर साक्षरता	जारी की गई राशि
1	2	3	4
1.	सिधी	पूर्ण साक्षरता अभियान	65.50
2.	दतिया	पूर्ण साक्षरता अभियान	14.58

1	2	3	4
3.	सतना	पूर्ण साक्षरता अभियान	82.44
4.	रीवा	पूर्ण साक्षरता अभियान	81.25
5.	ग्वालियर	पूर्ण साक्षरता अभियान	15.00
6.	भिण्ड (चरण-I और II)	पूर्ण साक्षरता अभियान	50.63
7.	बालघाट	पूर्ण साक्षरता अभियान	10.00
8.	राजगढ़	पूर्ण साक्षरता अभियान	21.00
9.	पन्ना	पूर्ण साक्षरता अभियान	10.00
		उत्तर साक्षरता कार्यक्रम	4.59
10.	देवास	पूर्ण साक्षरता अभियान	5.00
11.	सागर	पूर्ण साक्षरता अभियान	64.43
12.	विदिशा	पूर्ण साक्षरता अभियान	13.90
13.	उज्जैन (चरण-I)	पूर्ण साक्षरता अभियान	30.00
14.	सिवनी	पूर्ण साक्षरता अभियान	67.63
15.	शिवपुरी	पूर्ण साक्षरता अभियान	50.00
16.	टिकमगढ़	पूर्ण साक्षरता अभियान	67.23
		उत्तर साक्षरता कार्यक्रम	15.00
17.	झाबुआ (चरण-II)	पूर्ण साक्षरता अभियान	40.00
18.	भोपाल	पूर्ण साक्षरता अभियान	33.18
19.	छतरपुर	पूर्ण साक्षरता अभियान	56.33
		उत्तर साक्षरता कार्यक्रम	15.00
20.	छिंदवाड़ा	पूर्ण साक्षरता अभियान	99.00
21.	नरसिंहपुर	पूर्ण साक्षरता अभियान	30.70
		उत्तर साक्षरता कार्यक्रम	10.00
22.	मंदसौर और नीमच	पूर्ण साक्षरता अभियान	5.00
23.	शहडोल और उमरिया	पूर्ण साक्षरता अभियान	30.00
24.	रायसेन	पूर्ण साक्षरता अभियान	20.00
25.	खरगोन और बरवानी	पूर्ण साक्षरता अभियान	75.00
26.	मुरैना	पूर्ण साक्षरता अभियान	40.00

कोयला खानों को विभिन्न एजेंसियों को आबंटित करना

335. **डा. सुशील कुमार इन्दौरा:**
श्री नवल किशोर राय:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विद्युत उत्पादन तथा सीमेंट और इस्पात के उत्पादन के लिए कोयला खानों को विभिन्न एजेंसियों को आबंटित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन विभिन्न एजेंसियों का एजेंसी-वार ब्यौरा क्या है, जिन्होंने कोयला खानों के आबंटन हेतु आवेदन किया है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की विद्यमान धाराओं के अंतर्गत, लौह तथा इस्पात के निर्माण, विद्युत तथा सीमेंट के उत्पादन हेतु सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की कंपनियों को गृहीत आधार पर कोयला ब्लाकों का आबंटन किया जाता है।

उपर्युक्त गृहीत उपयोग के लिए गृहीत खनन ब्लाकों के आवंटन पर निर्णय कोयला मंत्रालय में अपर सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लिया जाता है। अद्यतन स्थिति तक, गृहीत उपयोग हेतु आवंटन के लिए कोल इंडिया लि. तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 122 गृहीत खनन ब्लाकों को विनिर्दिष्ट किया जा चुका है।

(ग) संलग्न विवरण के अनुसार दिनांक 10.7.01 तक विभिन्न सार्वजनिक/निजी पार्टियों को 27 ब्लॉक आवंटित किए जा चुके हैं।

विवरण

10.7.2001 की स्थिति के अनुसार आवंटित गृहीत खनन ब्लाकों का विवरण

क्र.सं.	पार्टी का नाम	आवंटित ब्लाक	अंतिम उपयोगकर्त्ता
1	2	3	4
1.	मेसर्स आरपीजी इंडस्ट्रीज/सीईएससी लि.	सरीसाटोली	विद्युत उत्पादन
2.	मेसर्स कलिंगा पावर	उत्कल-ए	विद्युत उत्पादन
3.	मेसर्स इन्डालको	तलाबीरा-1	विद्युत उत्पादन
4.	मेसर्स डब्ल्यूबीएसईबी	तारा (ईस्ट)	विद्युत उत्पादन
5.	मेसर्स सेल	तसरा	इस्पात उत्पादन
6.	मेसर्स डब्ल्यूबीपीडीसीएल	तारा (वेस्ट)	विद्युत उत्पादन
7.	मेसर्स तालचर माइनिंग प्रा. लि./वीपीएल	उत्कल-बी1	विद्युत उत्पादन
8.	मेसर्स बीएलए इंडस्ट्रीज	गोतीतोरिया (ईस्ट)	विद्युत उत्पादन
9.	मेसर्स बीएलए इंडस्ट्रीज	गोतीतोरिया (वेस्ट)	विद्युत उत्पादन
10.	मेसर्स जिन्दल स्ट्रीप्स लि.	गारे-पालमा-4/1	स्पॉज आयरन उत्पादन
11.	मेसर्स मोन्नेट इस्पात लि.	गारे-पालमा-4/5	स्पॉज आयरन उत्पादन
12.	मेसर्स लायड्स मेटल्स एण्ड इंजीनियर्स लि.	तकली-जेना-बेल्लोरा (नार्थ)	स्पॉज आयरन उत्पादन
13.	मेसर्स ए.सी.सी.	बिसरार	सीमेंट उत्पादन

1	2	3	4
14.	मेसर्स सेंट्रल कोलियरीज कंपनी	तकली-जेना-बेल्लोरा (साउथ)	विद्युत उत्पादन
15	मेसर्स जिन्दल पावर लि.	गारे-पालमा-4/2	विद्युत उत्पादन
16.	मेसर्स जिन्दल पावर लि.	गारे-पालमा-4/3	विद्युत उत्पादन
17.	मेसर्स उत्कल कोल लि.	उत्कल-सी	विद्युत उत्पादन
18.	मेसर्स जयसवाल निको लि.	गारे-पालमा-4/4	स्पांज आयरन उत्पादन
19.	मेसर्स मोन्नेट इस्पात	उत्कल-बी2	स्पांज आयरन उत्पादन
20.	मेसर्स गरूदा क्लेस लि.	उमरिया का पश्चिम (अनंतिम)	सीमेंट उत्पादन
21.	मेसर्स जयसवाल निको लि.	चोरीटांड-तिलैय्या (अनंतिम)	इस्पात उत्पादन/गृहीत विद्युत संयंत्र
22.	मेसर्स जयसवाल निको लि.	जोगेश्वर (अनंतिम)	इस्पात उत्पादन/गृहीत विद्युत संयंत्र
23.	मेसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लि.	छोतिया (अनंतिम)	स्पांज आयरन उत्पादन
24.	मेसर्स रायपुर अलॉयस एण्ड स्टील लि.	गारे-पालमा-4/7	स्पांज आयरन उत्पादन/गृहीत विद्युत संयंत्र
25.	मेसर्स बी.एस. इस्पात	मारकी-मंगली	स्पांज आयरन उत्पादन
26.	मेसर्स उड़ीसा माइनिंग कापोरेशन लि.	उत्कल-डी	विद्युत उत्पादन
27	मेसर्स पंजाब स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड	पछवाड़ा (अनंतिम-सब-ब्लाकिंग की शर्त पर सब ब्लाकिंग प्रतिक्षित)	विद्युत उत्पादन

ग्रामीण विकास योजनाएं

336. **श्री ताराचन्द भगोरा:**
वैद्य विष्णु दत्त शर्मा:
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2000-2001 के दौरान और अब तक स्वीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) केन्द्र प्रायोजित ग्रामीण योजनाओं और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) के लिए राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार और योजनावार कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है; और

(ख) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को योजनावार कितनी राशि जारी की गई, कितनी राशि का उपयोग किया गया तथा शेष कितनी राशि अप्रयुक्त रही?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम अब 1.4.99 से अस्तित्व में नहीं है। तब से ग्रामीण गरीबों के लिए स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई) नामक एक नई स्वरोजगार योजना कार्यान्वित की जा रही हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही एस जी एस वाई तथा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम सहित प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान किया गया राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार केन्द्रीय आबंटन संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत किया गया केन्द्रीय आवटंन

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जवाहर ग्राम समृद्धि योजना		स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना		सुनिश्चित रोजगार योजना		इंदिरा आवास योजना		राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	
		2000-2001	2001-2002	2000-2001	2001-2002	2000-2001	2001-2002	2000-2001	2001-2002	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	8727.55	8728.14	5303.03	3068.31	6586.59	6900.16	11036.00	11794.45	8987.45	5784.19
2.	अरूणचाल प्रदेश	456.91	456.91	276.91	164.76	406.80	359.98	726.86	555.06	266.15	210.89
3.	असम	11872.04	11872.04	7195.18	4281.13	10546.62	9353.70	16354.79	12489.11	4596.55	3420.63
4.	बिहार	16476.68	16477.8	12616.76	7300.00	13184.87	13812.55	29832.84	32038.79	6997.38	5001.85
5.	छत्तीसगढ़	5094.75	3692.75	2800.88	1620.58	3725.40	3902.75	2045.34	2016.89	2601.09	1562.74
6.	गोवा	128.41	128.42	50.00	50.00	15.18	15.90	68.00	76.20	42.74	33.67
7.	गुजरात	3285.21	3285.44	1996.15	1154.96	2479.32	2597.35	3243.00	3389.62	824.35	557.24
8.	हरियाणा	1932.75	1932.88	1174.37	679.48	1458.62	1528.07	1171.00	1146.14	654.70	486.04
9.	हिमाचल प्रदेश	813.95	814.01	494.67	286.16	614.28	643.53	515.00	507.06	286.38	311.34
10.	जम्मू व कश्मीर	1007.38	1007.45	612.10	354.16	760.26	796.45	618.00	606.54	423.91	299.66
11.	झारखण्ड	12113.79	12114.6	4755.33	2751.41	8385.06	8784.24	8765.16	9413.29	2403.47	1707.68
12.	कर्नाटक	6590.54	6590.99	4004.53	2317.00	4973.80	5210.60	5898.00	6100.88	4011.51	3204.13
13.	केरल	2957.15	2957.35	1796.82	1039.63	2231.73	2337.98	3552.00	3780.58	1914.99	1379.58
14.	मध्य प्रदेश	9397.00	10799.98	6004.58	3474.22	7217.24	7560.81	7137.66	7038.38	6846.55	4417.96
15.	महाराष्ट्र	13027.87	13028.76	7915.98	4580.15	9832.00	10300.07	10585.00	10824.79	5638.74	4056.52
16.	मणिपुर	795.90	795.9	482.36	287.00	707.18	627.08	866.65	661.80	440.86	360.39
17.	मेघालय	891.69	891.69	540.42	321.55	792.68	702.54	1151.46	879.29	477.70	389.71
18.	मिजोरम	206.33	206.33	125.06	74.41	183.36	162.58	276.42	211.09	135.03	109.62
19.	नागालैंड	611.66	611.66	370.70	220.57	543.30	481.90	743.31	567.62	330.67	274.65
20.	उड़ीसा	9982.52	9983.2	6065.56	3509.50	7533.70	7892.36	9154.00	9494.97	5653.14	3797.08
21.	पंजाब	939.30	939.36	570.73	330.22	708.88	742.62	745.00	759.25	567.93	492.06
22.	राजस्थान	5004.41	5004.75	3040.77	1759.38	3776.78	3956.58	3233.00	3198.28	2268.04	1610.13
23.	सिक्किम	228.45	228.45	138.45	82.38	203.84	180.02	199.28	152.17	130.39	105.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	तमिलनाडु	7717.07	7717.59	4689.03	2713.06	5824.00	6101.26	5846.00	5922.86	6087.12	3980.14
25.	त्रिपुरा	1437.02	1437.02	870.92	518.20	1276.22	1132.20	1681.23	1283.85	772.65	628.42
26.	उत्तर प्रदेश	1960.17	1960.34	18163.60	10509.37	22258.95	23318.62	21347.67	21595.12	12264.49	8060.19
27.	उत्तरांचल	29503.89	29505.85	954.45	552.30	1483.15	1553.76	2217.33	2242.99	736.16	500.58
28.	पश्चिम बंगाल	11093.58	11094.33	6740.66	3900.11	8372.22	8770.78	12064.00	12729.32	4829.40	3422.56
29	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	84.64	84.64	50.00	50.00	35.04	36.70	129.00	143.47	21.33	16.28
30.	चण्डीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	19.17	26.60
31.	दादर व नागर हवेली	55.87	55.87	50.00	50.00	35.04	36.70	69.00	75.29	15.13	11.96
32	दमन व दीव	27.07	27.07	50.00	50.00	1.17	1.22	27.00	31.16	5.65	3.47
33.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–	41.69	229.31
34.	लक्षद्वीप	42.43	42.43	50.00	50.00	2.34	2.45	3.00	2.44	281.20	2.94
35.	पांडिचेरी	86.00	86	50.00	50.00	44.38	46.49	67.00	71.22	57.16	43.51
	योग	164550.00	164560.00	100000.00	58150.00	126200.00	129850.00	161369.00	161799.97	81630.87	56499.41

*एन एस ए पी के अंतर्गत वर्ष 2000-2001 के लिए आवंटन में एन.ओ.ए.पी., ए.एफ.वी.एस. तथा एन.एस.वी.एस. शामिल है।

**चंडीगढ़ तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अन्य कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किए जाते है।

विवरण-II

2000-2001 के दौरान तथा मई 2001 तक जेजीएसवाई के अन्तर्गत रिलीजें, उपयोग तथा खर्च न की गई बकाया राशि

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-2001				2001-2002 (आज तक की प्राप्त सूचना के अनुसार)			
		केन्द्रीय रिलीज	कुल उपलब्ध निधियां	निधियों का उपयोग	खर्च न की गई बकाया राशि	केन्द्रीय रिलीज (आज तक)	कुल उपलब्ध निधियां	निधियों का उपयोग	खर्च न की गई बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	8224.23	13251.45	8802.65	4448.80	783.09	5492.92	–	5492.92
2.	अरूणाचाल प्रदेश	367.68	612.05	428.11	183.94	204.66	456.82	18.59	438.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	असम	0.00	2487.00	1426.61	1060.39	0.00	1060.39	0.64	1059.75
4.	बिहार	13707.02	27422.43	17006.30	10416.13	7811.44	20831.38		20831.38
5.	छत्तीसगढ़	3604.68	5829.72	5447.73	381.99	1543.90	2440.52		2440.52
6.	गोवा	128.41	189.75	233.16	-43.41	64.21	42.20	0.00	42.20
7	गुजरात	3273.12	4831.23	4934.81	-103.58	1596.02	2024.45	74.24	1950.21
8.	हरियाणा	1863.61	2793.61	3380.95	-587.34	966.44	701.25	30.58	670.67
9.	हिमाचल प्रदेश	661.34	1185.47	1247.08	-61.61	355.65	412.59	23.35	389.24
10.	जम्मू व कश्मीर	720.25	1073.83	971.08	102.75	434.38	681.92		
11.	झारखण्ड*	9644.14	20999.42	68.81	20930.61	5456.86	28206.43		
12.	कर्नाटक	5165.38	9942.19	9422.31	519.88	3222.86	4817.03	201.87	4615.16
13.	केरल	2725.50	4818.70	3404.06	1414.64	1387.00	3263.97	167.59	3096.38
14.	मध्य प्रदेश	10574.87	19250.94	17211.19	2039.75	5399.99	9239.74	188.68	9051.06
15.	महाराष्ट्र	9673.91	16514.79	17860.22	-1345.43	6143.41	6845.79	92.91	6752.88
16.	मेघालय	530.58	762.10	108.36	653.75	276.54	1022.47		
17	मणिपुर	763.61	1244.92	811.86	433.06	445.86	1027.54		
18.	नागालैंड	206.33	280.30	330.54	-50.24	103.17	87.32	0.00	87.32
19.	मिजोरम	454.48	624.98	597.75	27.23	305.83	435.00		
20	उड़ीसा	8971.67	15941.90	16876.74	-934.84	4991.60	5720.62	748.60	4972.02
21.	पंजाब	901.02	1329.97	1769.91	-439.94	469.68	186.30	15.45	170.85
22.	राजस्थान	4781.45	10113.99	9945.71	168.28	2502.38	3504.78	219.80	3284.98
23.	सिक्किम	228.45	304.67	248.45	56.22	114.23	208.53		
24.	तमिलनाडु	7716.72	10695.05	10646.00	49.05	3858.79	5194.11		
25.	त्रिपुरा	1437.02	1915.98	1908.67	7.31	718.51	965.32		
26.	उत्तर प्रदेश	1513.13	2813.66	3371.60	-557.94	906.49	650.71	77.57	573.14
27.	उत्तरांचल*	25274.21	43186.63	43238.39	-51.76	14752.93	19618.81		
28.	पश्चिम बंगाल	9469.13	17325.83	17628.42	-302.59	4918.37	6255.24		
29.	अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	54.04	86.27	45.03	41.24	11.72	52.96	6.00	46.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	दादर व नागर हवेली	54.23	57.26		57.26	27.94	85.20		
31.	दमन व दीव	0.00	3.03	0.00	3.03	0.00	3.03	0.00	3.03
32.	लक्षद्वीप	0.00	30.21	26.85	3.36	0.00	3.36		3.36
33.	पांडिचेरी	66.56	72.89	64.13	8.76	43.00	51.76		51.76
	योग	132756.77	237992.23	199463.48	38528.75	69816.95	131590.46	1865.87	129724.59

टिप्पणी: रिक्त कॉलम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आंकड़े न बताया जाना दर्शाते हैं।

2000-2001 और 2001-2002 के दौरान एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत रिलीजें, उपयोग तथा खर्च न की गई बकाया राशि

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-2001				2001-2002 (आज तक की प्राप्त सूचना के अनुसार)			
		केन्द्रीय रिलीज	कुल उपलब्ध निधियां	निधियों का उपयोग	खर्च न की गई बकाया राशि	केन्द्रीय रिलीज (आज तक)	कुल उपलब्ध निधियां	निधियों का उपयोग	खर्च न की गई बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	5283.98	6370.60	7082.46	-711.86	1534.16	1859.44	265.76	1593.68
2.	अरूणाचल प्रदेश	99.26	346.58	98.97	247.61	13.25	242.70	7.43	235.27
3.	असम	0.00	2209.46	2071.74	137.72	0.00	0.00		0.00
4.	बिहार	2978.76	18809.60	9984.51	8825.08	0.00	0.00		0.00
5.	छत्तीसगढ़	1138.08	4420.11	4815.87	-395.76	183.15	1427.39	14.58	1412.81
6.	गोवा	25.00	51.11	2.59	48.52	0.00	40.64	2.78	37.86
7.	गुजरात	1216.65	3481.08	3157.56	323.52	224.76	1006.86	79.20	927.66
8.	हरियाणा	1088.61	2004.93	2380.23	-375.30	339.74	582.56	23.70	558.86
9.	हिमाचल प्रदेश	245.91	656.02	771.02	-115.00	18.80	18.80		18.80
10.	जम्मू व कश्मीर	195.23	931.59	599.19	332.40	92.51	92.51		92.51
11.	झारखण्ड*	808.88	5131.72	2398.40	2973.32	60.11	60.11		60.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	कर्नाटक	1600.56	7186.12	4212.40	2973.72	58.92	58.92		58.92
13.	केरल	919.53	3392.82	3489.36	-96.54	426.88	630.25	25.75	604.50
14.	मध्य प्रदेश	3420.63	8818.97	9330.72	-511.75	843.82	3225.96	501.07	2724.89
15.	महाराष्ट्र	5770.72	13813.42	11333.89	2479.53	1194.42	5919.20	254.19	5665.01
16.	मेघालय	24.94	24.94	एन.आर.	24.94	0.00	0.00		0.00
7.	मणिपुर	23.89	364.80	88.94	275.86	0.00	285.25	1.35	283.90
8.	नागालैंड	62.56	154.50	110.48	44.02	0.00	25.95	0.00	25.95
9.	मिजोरम	174.94	309.87	53.86	256.01	0.00	0.00		0.00
0.	उड़ीसा	4353.99	10385.48	9780.81	604.67	987.09	2816.12	138.30	2677.82
1.	पंजाब	454.49	933.43	1232.06	-298.63	165.11	205.93	8.35	197.58
22.	राजस्थान	2594.50	5774.03	4460.72	1313.31	689.60	1706.04	71.46	1634.58
23.	सिक्किम	136.83	216.71	151.69	65.02	41.19	41.19		41.19
24.	तमिलनाडु	4626.30	7094.05	8430.46	-1336.41	1356.53	2169.43	97.68	2071.75
25.	त्रिपुरा	860.44	1274.13	1230.59	43.54	259.10	259.10		259.10
26.	उत्तर प्रदेश	7737.07	34739.37	19968.23	14771.14	90.85	16186.36	321.47	15864.89
27.	उत्तरांचल*	344.28	1803.36	904.50	898.86	30.55	1095.92	35.35	1059.97
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	10966.58	1561.10	9405.47	0.00	9720.92	5.79	9715.13
29.	अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	0.00	35.01	34.40	0.61	0.00	30.28	0.10	30.18
30.	दादर व नागर हवेली	0.00	35.90	0.26	35.64	0.00	0.00		0.00
31.	दमन व दीव	0.00	35.90	0.00	35.90	0.00	64.61		64.61
32.	लक्षद्वीप	0.00	43.54	6.23	37.31	0.00	0.00		0.00
33.	पांडिचेरी	25.00	53.60	9.17	44.43	0.00	0.00		0.00
	योग	46211.03	151869.31	109752.41	42116.91	8610.54	49771.83	1854.31	47917.52

एन.आर.-सूचित नहीं

2000-2001 और 2001-2002 के दौरान आई.ए.वाई. के अंतर्गत रिलीजें, उपयोग तथा खर्च न की गई बकाया राशि

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-2001				2001-2002 (आज तक की प्राप्त सूचना के अनुसार)			
		केन्द्रीय रिलीज	कुल उपलब्ध निधियां	निधियों का उपयोग	खर्च न की गई बकाया राशि	केन्द्रीय रिलीज (आज तक)	कुल उपलब्ध निधियां	निधियों का उपयोग	खर्च न की गई बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	11001.91	15962.08	9660.15	6310.93	5897.22	14164.89	0.00	14164.89
2.	अरुणाचल प्रदेश	519.91	939.20	570.89	368.31	150.59	569.10	0.00	569.10
3.	असम	8177.4	15532.56	11991.24	3541.32	0	3541.32	0.00	3541.32
4.	बिहार	17866.73	40180.47	19007.54	21172.93	12361.73	37655.23	0.00	37655.23
5.	छत्तीसगढ़	1874.67	3295.79	3174.71	121.08	992.02	1443.77	0.00	1443.77
6.	गोवा	27.2	74.03	77.92	-3.89	30.48	36.75	0.00	36.75
7.	गुजरात	8143	11357.75	4515.94	6841.81	4257.15	12518.01	336.56	12181.45
8.	हरियाणा	1151.94	1714.18	2273.07	-558.89	573.07	205.20	10.91	194.29
9.	हिमाचल प्रदेश	443.89	605.06	657.52	-52.46	229.99	254.20	0.34	253.86
10.	जम्मू व कश्मीर	132.95	299.62	276.02	23.60	243.11	347.74	0.00	347.74
11.	झारखण्ड*	4203.16	10790.51	5712.99	5077.52	1404.85	6950.66	0.00	6950.66
12.	कर्नाटक	4203.28	8845.67	5223.43	3622.24	3050.44	7689.50	142.48	7547.02
13.	केरल	2445.22	3746.03	2777.34	968.69	867.22	2124.99	109.74	2015.25
14.	मध्य प्रदेश	6670.61	10788.11	10514.75	273.36	3325.02	4706.72	0.00	4706.72
15.	महाराष्ट्र	9752.55	16446.87	18391.11	-1944.24	4377.87	3892.92	0.00	3892.92
16.	मेघालय	326.45	490.80	104.34	386.46	126.95	555.73	0.00	555.73
17.	मणिपुर	498.65	1565.70	99.06	1466.64	0	1466.64	0.00	1466.64
18.	नागालैंड	251.97	407.91	412.96	-5.05	105.55	135.68	0.00	135.68
19.	मिजोरम	660.31	990.83	676.80	314.04	283.81	692.45	0.00	692.45
20.	उड़ीसा	31325.76	46141.18	35098.49	11042.69	3895.75	16237.02	1774.05	14462.97
21.	पंजाब	708.58	1101.54	1200.44	-98.90	379.63	407.28	1.70	405.58

2	3	4	5	6	7	8	9	10
. राजस्थान	3924.66	6511.56	5957.54	554.02	1599.14	2686.21	0.00	2686.21
. सिक्किम	199.28	287.23	235.51	51.72	76.09	153.17	0.00	153.17
. तमिलनाडु	5846	8066.79	12638.44	-4571.65	2961.43	-623.08	33.96	-657.04
. त्रिपुरा	1681.23	2263.92	1239.09	1024.83	641.93	1880.74	0.00	1880.74
. उत्तर प्रदेश	18645.17	32423.03	16187.81	16235.22	10638.64	30420.07	0.00	30420.07
. उत्तरांचल*	1427.54	3342.14	921.98	2420.16	425.75	2987.82	0.00	2987.82
. पश्चिम बंगाल	9606.99	17155.30	10420.74	6734.56	5306.7	13810.16	0.00	13810.16
. अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	129	172.15	7.94	164.21	143.47	355.50	3.13	352.37
). दादर व नागर हवेली	0	34.22	32.96	1.26	0	1.26	0.00	1.26
। दमन व दीव	11.15	16.58	0.04	16.54	0	16.54	0.00	16.54
2. लक्षद्वीप	3	5.25	3.02	2.23	1.22	3.86	0.27	3.59
3. पांडिचेरी	33.5	84.58	48.81	35.77	0	35.77	0.00	35.77
योग	152193.66	261638.64	180110.58	81528.06	64346.82	167323.82	2413.14	164910.68

2000-2001 और 2001-2002 के दौरान ई.ए.एस. के अंतर्गत रिलीजें, उपयोग तथा खर्च न की गई बकाया राशि

(लाख रु. में)

.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-2001				2001-2002 (आज तक की प्राप्त सूचना के अनुसार)			
		केन्द्रीय रिलीज	कुल उपलब्ध निधियां	निधियों का उपयोग	खर्च न की गई बकाया राशि	केन्द्रीय रिलीज (आज तक)	कुल उपलब्ध निधियां	निधियों का उपयोग	खर्च न की गई बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	6483.22	9912.95	8168.13	1744.82	456.54	456.54	0.00	456.54
2.	अरूणाचल प्रदेश	812.95	1303.89	1064.19	239.70	131.78	371.48	26.84	344.64
3.	असम	5273.31	8086.60	5880.31	2206.20	0.00	2079.15	357.77	1721.38
4.	बिहार	9714.15	22802.40	18443.72	4358.68	5525.02	5525.02	0.00	5525.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	छत्तीसगढ़	3725.40	7732.80	7242.62	490.18	1561.10	2110.19	93.28	2016.91
6.	गोवा	15.18	60.20	56.12	4.08	6.36	6.37	0.00	6.37
7.	गुजरात	3779.32	7863.93	6398.65	1465.28	1038.94	2217.38	577.66	1639.72
8.	हरियाणा	2007.25	3388.19	3256.93	131.26	611.23	795.46	25.96	769.50
9.	हिमाचल प्रदेश	429.28	1376.31	1117.42	258.89	216.61	216.61	0.00	216.61
10.	जम्मू व कश्मीर	2251.46	2629.17	2085.13	544.04	306.62	306.62	0.00	306.62
11.	झारखण्ड*	6870.60	9947.98	5271.84	4676.14	3393.67	3393.67	0.00	3393.67
12.	कर्नाटक	5577.10	8494.39	7282.76	1211.63	2084.24	4794.08	465.28	4328.80
13.	केरल	2200.90	4201.34	3458.67	742.67	935.19	1880.65	200.43	1680.22
14.	मध्य प्रदेश	7711.15	13522.09	12748.41	773.68	3024.32	4252.22	1123.48	3128.74
15.	महाराष्ट्र	7285.68	16751.50	13662.39	3089.11	3670.56	6839.28	175.90	6663.38
16.	मेघालय	478.58	586.06	126.38	459.68	190.51	190.51	0.00	190.51
17.	मणिपुर	500.88	743.49	420.90	322.59	101.78	299.62	0.00	299.62
18.	नागालैंड	183.36	553.77	517.00	36.77	81.29	118.06	0.00	108.06
19.	मिजोरम	403.52	965.94	639.74	326.20	147.01	147.01	0.00	147.01
20.	उड़ीसा	10866.23	17190.16	13931.81	3258.35	3156.95	5413.06	781.37	4631.69
21.	पंजाब	651.60	2294.50	2150.64	143.86	297.05	538.85	44.75	494.10
22.	राजस्थान	3509.96	9362.49	8512.45	850.04	1582.63	3326.93	670.57	2656.36
23.	सिक्किम	403.84	628.07	625.09	2.98	72.01	72.01	0.00	72.01
24.	तमिलनाडु	7324.00	10311.73	9931.65	380.08	2440.50	2825.30	60.42	2764.88
25.	त्रिपुरा	1276.22	1616.30	1401.74	214.56	452.88	818.39	0.00	818.39
26.	उत्तर प्रदेश	18544.23	40785.52	33312.44	7473.08	9327.45	9327.45	0.00	9327.45
27.	उत्तरांचल*	1135.06	2563.29	1890.83	672.46	428.54	1114.33	242.97	871.36
28.	पश्चिम बंगाल	6631.13	16428.03	12091.41	4336.62	3105.11	3105.11	0.00	3105.11
29.	अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	0.00	63.10	29.54	33.56	0.00	75.27	2.41	72.86
30.	दादर व नागर हवेली	17.52	17.52	–	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दमन व दीव	0.00	1.62	–	1.62	0.00	1.16	0.00	1.16

2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. लक्षद्वीप	0.00	26.47	23.62	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
3. पांडिचेरी	0.00	89.00	72.12	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	116027.08	222300.80	181814.65	40486.15	44345.89	62617.78	4849.09	57768.69

2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान एन.एस.ए.पी. के अंतर्गत रिलीजें उपयोग तथा खर्च न की गई बकाया राशि

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-2001				2001-2002 (आज तक की प्राप्त सूचना के अनुसार)			
		केन्द्रीय रिलीज	कुल उपलब्ध निधियां	निधियों का उपयोग	खर्च न की गई बकाया राशि	केन्द्रीय रिलीज (आज तक)	कुल उपलब्ध निधियां	निधियों का उपयोग	खर्च न की गई बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	8941.93	9723.48	9051.36	672.12	2892.21	3335.90	747.05	2588.85
2.	अरूणाचल प्रदेश	87.89	93.54	21.06	72.48	17.44	35.11	9.83	25.28
3.	असम	3710.32	4144.70	2516.51	1628.19	1580.16	1598.08	4.66	1593.42
4.	बिहार	5547.77	9376.49	5731.11	3645.38	2188.32	2282.67	0.00	2282.67
5.	छत्तीसगढ़	2231.19	2724.83	2125.19	599.64	583.63	646.78	61.91	585.87
6.	गोवा	38.63	71.27	51.19	20.08	16.13	19.98	3.60	16.38
7.	गुजरात	1556.63	1907.24	631.65	1275.59	206.85	220.94	0.26	220.68
8.	हरियाणा	529.66	605.23	330.20	275.03	211.73	214.49	3.88	210.61
9.	हिमाचल प्रदेश	233.39	293.96	283.68	10.28	140.81	126.07	7.24	118.83
10.	जम्मू व कश्मीर	299.065	399.04	173.88	225.52	49.55	59.27	25.34	33.93
11.	झारखण्ड	1734.75	2802.44	1381.61	1420.83	561.88	617.65	25.69	591.96
12.	कर्नाटक	3889.26	4326.56	2385.87	1940.69	1486.69	1491.13	0.60	1490.53
13.	केरल	1356.26	2261.93	1472.54	789.39	518.28	620.73	17.61	603.12
14.	मध्य प्रदेश	6222.32	7388.55	7233.84	154.71	2194.7	2196.27	10.31	2185.96
15.	महाराष्ट्र	4328.43	6513.57	3551.11	2962.46	1413.1	1736.20	28.36	1707.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	मणिपुर	337.83	385.09	269.52	115.57	180.24	180.97	0.00	180.97
17.	मेघालय	392.61	462.39	276.38	186.01	168.97	207.34	0.00	207.34
18.	मिजोरम	125.6	126.94	126.88	0.06	47.14	47.18	0.00	47.18
19.	नागालैंड	286.81	304.49	199.70	104.79	99.62	118.47	1.41	117.06
20.	उड़ीसा	4693.19	6595.79	5356.56	1239.23	1756	2847.62	99.14	2748.48
21.	पंजाब	574.14	688.05	563.13	124.92	246.13	248.12	0.00	248.12
22.	राजस्थान	1867.75	1781.38	2498.49	-717.11	690.34	259.01	0.00	259.01
23.	सिक्किम	108.17	108.30	108.16	0.14	50.66	50.67	0.00	50.67
24.	तमिलनाडु	5545.64	7266.76	5716.56	1550.20	1962.15	1959.20	185.97	1773.23
25.	त्रिपुरा	655.84	700.98	616.44	84.54	309.08	378.54	0.00	378.54
26.	उत्तर प्रदेश	9754.83	13845.11	11799.01	2046.10	3291.78	5016.56	97.15	4919.41
27.	उत्तरांचल	646.66	874.93	711.30	163.63	235.68	311.07	50.89	260.18
28.	पश्चिम बंगाल	4104.2	6143.55	4007.96	2135.59	1612.44	1612.44	0.00	1612.44
29.	अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	0	10.20	10.10	0.10	0	0.00	0.00	0.00
30.	चण्डीगढ़	11.69	19.90	15.82	4.08	7.3	7.30	0.00	7.30
31.	दादर व नागर हवेली	13.44	14.78	6.88	7.90	5.98	5.98	0.00	5.98
32.	दमन व दीव	2.23	4.25	3.08	1.17	1.07	2.34	0.32	2.02
33.	दिल्ली	0	2.20	0.11	2.09	0	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0	29.45	0.00	29.45	0	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	25.59	65.21	55.58	9.63	0	6.66	0	6.66
	योग	69856.595	92062.935	69282.46	22780.48	24726.06	28460.74	1381.22	27079.52

[अनुवाद]

बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आई.एस.आई. की गतिविधियां

337. **श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:**
डा. रमेश चंद तोमर:
श्री भीम दाहाल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.एस.आई. राष्ट्रविरोधी गतिविधियां चलाने वाले व्यक्तियों/दलों की मदद लेकर बंगाल और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों को अस्थिर करने की भरसक कोशिश कर रही है जैसाकि इस आशय का समाचार 16 जून, 2001 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए बनाई गई ठोस कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) हालांकि 16 जून, 2001 के ''हिन्दुस्तान टाईम्स'' में इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं पायी गयी, तथापि सरकार को यह जानकारी है कि पाकिस्तान की आई.एस.आई. पूर्वोत्तर के कुछेक क्षेत्रों सहित देश के विभिन्न भागों में आतंकवाद को सहायता देने, भड़काने और समर्थन देने में संलिप्त हैं।

स्थिति से निपटने के उद्देश्य से सरकार ने आई.एस.आई. की गतिविधियों से निपटने के लिए एक सुसमन्वित और बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें सीमा प्रबन्धन को सुदृढ़ करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, सुसमन्वित आसूचना आधारित अभियानों द्वारा और पुलिस और सुरक्षा बलों को उन्नत अधुनातम हथियारों और संचार प्रणाली इत्यादि के साथ आधुनिकीकरण/उन्नयन करके आई.एस.आई. की योजनाओं को निष्फल करना सम्मिलित है।

केन्द्र सरकार भी, देश में आई.एस.आई. के खतरे और गतिविधियों के बारे में राज्य सरकारों को सुग्राही बनाती रही है। विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आसूचना का आदान प्रदान करने और इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए रणनीति बनाने के लिए राज्य सरकारों के साथ आवधिक समन्वय बैठकें भी की जाती हैं। आई.एस.आई. की गतिविधियों को रोकने के लिए केन्द्र और राज्य की विभिन्न सुरक्षा एजेन्सियां मिलकर कार्य कर रही हैं।

उग्रवादी ग्रुपों की गतिविधियों को रोकने के लिए विभिन्न देशों का समर्थन प्राप्त करने के लिए उन देशों के साथ राजनयिक पहलें भी की गयी हैं।

डिग्री देने के लिए निजी संस्थानों का फ्रैंचाइजी के रूप में प्रयोग

338. **श्री शिवाजी माने:**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मई-जून, 2001 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस आशय के कड़े निदेश जारी किए हैं कि किसी भी विश्वविद्यालय को अपनी डिग्री देने के प्रयोजन से किसी अन्य निजी संस्थान का उपयोग फ्रैंचाइजी के रूप में करने की अनुमति नहीं दी जायेगी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) उन महाविद्यालयों का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्डों का उल्लंघन किया है; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 22 मई, 2001 को आयोजित अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है कि विश्वविद्यालयों को कैम्पस से बाहर फ्रैंचाइज देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आयोग के पास ऐसा कोई विशेष मामला नहीं आया है।

सीमा सुरक्षा बल को सुदृढ़ बनाना

339. **श्री जी.एस. बसवराज:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारत-बांग्लादेश सीमा पर हुई घटनाओं के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ लगी सीमा पर सीमा सुरक्षा बल को सुदृढ़ बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वहां सीमा सुरक्षा बल को मजबूत करने के लिए और हमारी सभी सीमाओं पर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मंत्रालय द्वारा सीमा सुरक्षा बल को इन सीमाओं पर अपनी मासिक स्थिति प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) सरकार ने चरणबद्ध रूप से 5 वर्षों की अवधि में सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.) सहित केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार की वृद्धि से, संबंधित सीमाओं पर सीमा सुरक्षा बल की तैनाती सुदृढ़ की जाएगी

और इस बल को, सामान्य रूप से, आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी पर नहीं भेजा जाएगा। सीमा सुरक्षा बल को नेपाल और भूटान के साथ सीमाओं पर तैनात नहीं किया जाता है। सीमा सुरक्षा बल ने सीमा चौकसी को गहन करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं ताकि इस प्रकार की घटना दुबारा न हो।

(घ) और (ङ) सीमाओं पर स्थिति का प्रबोधन और समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना

340. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने-अपने प्रदेशों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के स्थापनार्थ केन्द्र सरकार को अभ्यावेदित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रही तीव्र प्रगति के मद्देनजर सरकार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना करने का विचार रखती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) जी हाँ। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना के लिए बिहार, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) से (ङ) मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा गठित सूचना प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास संबंधी कार्यबल द्वारा नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खोलने के मुद्दे पर विचार किया गया। कार्यबल ने सिफारिश की है कि देश में नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खोलने की संभावना का पता लगाया जाना चाहिए ताकि स्तरीय तकनीकी शिक्षा तक और अधिक छात्रों की पहुंच हो। इस बीच, संसाधनों की कमी तथा भारी निवेश को देखते हुए छात्रों की सीटों में वृद्धि और मौजूदा संस्थानों का स्तरोन्नयन जैसे अन्य लागत प्रभावी विकल्प अपनाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

आई.एल.टी.पी. संबंधी भारत-रूस समझौता

341. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और रूस के बीच, 3 अक्तूबर, 2000 को एकीकृत दीर्घावधिक कार्यक्रम के अंतर्गत किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन क्षेत्रों की पहचान करने के संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई है जिनमें उक्त समझौते के अनुसार द्विपक्षीय एवं संयुक्त परियोजनाएं/उद्यम शुरू किये जा सकते हैं; और

(घ) उसके अंतर्गत जिन योजनाओं को क्रियान्वयनार्थ शामिल किया जाना है, उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा"): (क) जी, हां। भारत गणराज्य और रूसी फैडरेशन के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग का एकीकृत दीर्घावधि कार्यक्रम (आईएलटीपी) अक्तूबर, 2000 को नई दिल्ली में सम्पन हुआ।

(ख) इस करार में आई.एल.टी.पी. के लिए भारत-रूसी संयुक्त परिषद की स्थापना का प्रावधान है जो कार्यक्रम का मार्गदर्शन करने हेतु द्विपक्षीय स्तर पर शीर्ष निकाय का कार्य करेगा। संयुक्त परिषद द्वारा द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करना, संयुक्त परियोजनाएं, संयुक्त उद्यम, प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण आदि विकसित/अनुमोदित करना तथा उन्हें कार्य रूप देने के लिए वित्तीय शर्तों का निर्धारण किया जाता है। इस करार में अन्य बातों के अलावा संयुक्त रूप से पहचान की गई परियोजनाओं के अंतर्गत भारतीय तथा रूसी प्रयोगशालाओं में शोध के संचालन का प्रावधान है।

(ग) रूस में जून, 2001 में आई.एल.टी.पी. के लिए भारत-रूसी संयुक्त परिषद के 10वें सत्र के दौरान आई.एल.टी.पी. के निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्यान्वयन हेतु 146 संयुक्त अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं की पहचान की गई है:-

1. जैव प्रौद्योगिकी एवं इम्यूनोलोजी
2. पदार्थ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
3. लेजर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
4. कैटेलिसीस
5. अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
6. एक्सीलरेटर्स एवं उनके अनुप्रयोग
7. जल विज्ञान
8. कम्प्यूटर एवं इलैक्ट्रानिकी
9. जैव चिकित्सकीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
10. महासागर विज्ञान एवं महासागरीय संसाधन
11. इंजीनियरी विज्ञान
12. गणित
13. सैद्धांतिक एवं अनुप्रयुक्त मैकेनिक्स
14. भूविज्ञान
15. भौतिकी एवं ताराभौतिकी
16. पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संरक्षण
17. रासायनिक विज्ञान
18. जीवन विज्ञान

(घ) उपर्युक्त क्षेत्रों में 146 संयुक्त अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण निम्नानुसार है:

राज्य	परियोजनाओं की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	13
दिल्ली	34
गोवा	7
गुजरात	3
हरियाणा	1
हिमाचल प्रदेश	1
झारखण्ड	7
कर्नाटक	6
मध्य प्रदेश	13
महाराष्ट्र	24
राजस्थान	2
तमिलनाडु	13
उत्तर प्रदेश	14
उत्तरांचल	2
पश्चिम बंगाल	6
कुल	146

[अनुवाद]

अर्द्धसैनिक बलों के हताहत कार्मिक

342. **श्री ए. नरेन्द्र:**
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान मुठभेड़ों में राज्यवार तथा बल-वार अर्द्ध-सैनिक बलों के कितने सुरक्षाकर्मी हताहत हुए;

(ख) इन सुरक्षाकर्मियों के परिवारों को प्रदत्त मुआवजे का ब्यौरा क्या है; और

(ग) मृत जवानों के परिवारों को पुनर्वासित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) अर्द्ध सैनिक बल सभी राज्यों में तैनात नहीं किये जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान मुठभेड़ों/दुश्मन की कार्रवाई में मारे गए और जख्मी हुए अर्ध सैनिक बलों के कार्मिकों की संख्या निम्नलिखित के अनुसार है:-

बल	1998		1999		2000		कुल	
	मारे गए	घायल हुए	मारे गए	घायल हुए	मारे गए	घायल हुए	मारे गए	घायल हुए
असम राइफल	10	–	12	–	18	–	40	–
सी.सु.बल	66	130	80	272	114	382	260	784
के.रि.पु. बल	53	86	91	274	55	195	199	555
के.औ.सु. बल	9	–	1	–	1	–	11	–
भा.ति.सी. पुलिस	1	–	5	11	4	6	10	17
एस.एस.बी.	–	–	2	–	2	4	4	4
आई.बी.	–	–	–	–	–	–	–	–

(ख) और (ग) भारत सरकार के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार मुठभेड़ों/दुश्मन की कार्रवाई में मारे गए अर्धसैनिक बल के कार्मिकों के निकट संबंधी 7.5 लाख रुपये की अनुग्रह मुआवजा राशि पाने के हकदार होते हैं। इसके अतिरिक्त विधवा को उदारीकृत पेंशन अधिनिर्णय (एल पी ए) के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी द्वारा लिए गए अंतिम वेतन के बराबर परिवार-पेंशन भी मिलती है।

जहां तक घायल कार्मिकों का संबंध है, जिन्हें सेवा से हटा दिया जाता है, उन्हें अशक्तता पेंशन दी जाती है। जो फिट पाए जाते हैं उन्हें सेवा में रहने दिया जाता है और हल्की ड्यूटी सौंपी जाती है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, सेवा के अन्य सभी लाभ जैसे सामान्य भविष्य निधि, के.स.क.स. बीमा योजना, छुट्टी नकदीकरण, मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान प्रदान किये जाते हैं।

मामलों के गुणावगुण के आधार पर मौजूदा सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति भी दी जाती है।

आवासीय क्षेत्रों में पार्किंग

343. श्री रामजी मांझी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि दिल्ली में आवासीय क्षेत्रों में कारों की पार्किंग के मामलों को लेकर उपजी असहमति अक्सर बहस, लड़ाई-झगड़े और हथियार निकालने तक पहुंच जाती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में ऐसे कितने मामले दिल्ली पुलिस की जानकारी में आए; और

(ग) इस संबंध में कौन से सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं/ उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे छः मामले दिल्ली पुलिस को सूचित किए गए।

(ग) आवासीय कालोनियों में साझे स्थान का प्रबंधन सामान्य रूप से आवासीय संगठनों द्वारा किया जाता है।

[हिन्दी]

इफको और कृभको के उर्वरक विक्रय स्थल और केन्द्र

344. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2001 की तिथि के अनुसार देश में विशेषकर महाराष्ट्र में इफको और कृभको के उर्वरक विक्रय स्थलों और किसान सेवा केन्द्रों की राज्यवार स्थिति क्या है; और

(ख) राज्य में 2001-2002 के दौरान कितने नए विक्रय केन्द्र स्थापित किये गये हैं और कितने विक्रय केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) इफको तथा कृभको अपने उर्वरकों का विपणन अधिकांशतः अपनी सदस्य सहकारी समितियों के माध्यम से करती

है। इसके अतिरिक्त इफको तथा कृभको ने संलग्न विवरण में दिए गए अनुसार क्रमश: 165 तथा 64 किसान सेवा केन्द्रों की स्थापना की है।

(ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान महाराष्ट्र में किसान सेवा केन्द्र स्थापित करने की इफको तथा कृभको की कोई योजना नहीं है।

विवरण

इफको तथा कृभको की सदस्य सहकारी समितियां तथा कृषक सेवा केन्द्रों की राज्य-वार संख्या

(31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	सदस्य सहकारी समिति		कृषक सेवा केन्द्र	
	इफको	कृभको	इफको	कृभको
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	1907	1540	2	–
कर्नाटक	1967	1200	–	2
केरल	343	–	–	–
तमिलनाडू	2676	310	–	–
पांडिचेरी	2	–	–	–
गुजरात	4344	1722	1	–
मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	4165	3489	7	–
महाराष्ट्र	1625	1800	–	–
राजस्थान	3559	1917	1	–
गोवा	9	–	1	–
हरियाणा	2104	1260	32	13
पंजाब	3196	1450	40	12
उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	5595	7140	66	37
हिमाचल प्रदेश	262	21	5	–
जम्मू और श्रीनगर	27	–	–	–
दिल्ली	19	6	1	–
चंडीगढ़	1	–	–	–
बिहार/झारखण्ड	2766	219	2	–

1	2	3	4	5
उड़ीसा	328	–	1	–
पश्चिम बंगाल	1060	135	6	–
आसाम	12	–	–	–
मेघालय	1	–	–	–
मिजोरम	1	–	–	–
त्रिपुरा	1	–	–	–
अरूणाचल प्रदेश	1	–	–	–
योग	35971	22209	165	64

उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे

345. **श्री राजो सिंह:**
श्री सईदुज्जमा:
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगे हुए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मामला उठाया है;

(घ) यदि हां, तो इन दंगों में कितने नागरिक/सुरक्षाकर्मी मारे गए/घायल हुए;

(ङ) क्या सरकार ने इन दंगों के लिए उत्तरदायी संगठनों की पहचान की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन दंगों को रोकने के लिए राज्य सरकार को उपलब्ध करायी गयी सहायता का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (छ) उत्तर प्रदेश में हाल ही में अर्थात मार्च, 2001 में साम्प्रदायिक हिंसा की एक प्रमुख घटना हुई। यह घटना कानपुर में हुई, जिसमें एक अपर जिला मजिस्ट्रेट सहित 14 सिविलियन मारे गए और 11 पुलिस कार्मिकों सहित 24 व्यक्ति जख्मी हुए। कुछ धार्मिक स्थान, भवन, दुकानें और वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए। पुलिस द्वारा कुल 112 हथियार/गोला बारूद, अर्थात देशी पिस्तौल, सक्रिय बम, कारतूस और चाकू बरामद किए गए और 286 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए।

भारत के संविधान के अनुसार ''लोक व्यवस्था'' और ''पुलिस'' राज्य के विषय हैं और इसलिए लोक व्यवस्था और शांति बनाए रखने और अपराध को दर्ज करने, जांच-पड़ताल करने और रोकने की जिम्मेवारी मुख्यतया राज्य सरकारों की है। कानपुर में उक्त साम्प्रदायिक हिंसा के लिए जिम्मेवार संगठन (संगठनों) का पता तभी लगेगा जब संबंधित एजेन्सियों से जांच परिणाम उपलब्ध होंगे।

जहां तक केन्द्र सरकार का संबंध है, यह सूचना का आदान-प्रदान करती है और सतर्कता संदेश/सलाह भेजती है ताकि संबंधित राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन उपर्युक्त कार्रवाई कर सके। साम्प्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके अलावा, उन्हें, विशिष्ट अनुरोध पर केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल उपलब्ध कराये जाते हैं और केवल साम्प्रदायिक तनावों से ही निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई बल भी तैनात किया जाता है।

उत्तर प्रदेश के मामले में भी त्वरित कार्रवाई बल उपलब्ध कराया गया है।

[अनुवाद]

आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों को जैविक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थ

346. श्री सुशील कुमार शिंदे: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत जैविक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थ खिलाने के संदर्भ में 5 मई, 2001 को 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो क्या एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (आई.सी.डी.एस.) के पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन केयर इंडिया से प्राप्त जैव संशोधित खाद्य पदार्थ का उपयोग लगभग 10 वर्षों से किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा होने से रोकने हेतु जांच के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हाँ। लेकिन, यह समाचार 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में 4 मई, 2001 को प्रकाशित हुआ था।

(ख) और (ग) को-ऑपरेटिव फॉर असिसटेंस एण्ड रिलीफ एवरीव्हेयर (केयर) नामक एक अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठन, आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा गर्भवती व शिशुवती महिलाओं के लिए अनुपूरक पोषाहार हेतु खाद्य-सहायता प्रदान करता रहा है। केयर द्वारा कॉर्न व सोया के मिश्रण (सी.एस.बी.) तथा शोधित वनस्पति तेल जैसी खाद्य सामग्री की आपूर्ति की जाती है। केयर द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले कॉर्न व सोया के मिश्रण को संयुक्त राज्य अमरीका में वाणिज्यिक रूप से उत्पादित कॉर्न व सोयाबीन से तैयार किया जाता है। अमरीका में जैव-प्रौद्योगिकी के उत्पादों को सामान्यतया घरेलू उपभोग अथवा निर्यात हेतु अलग-अलग श्रेणी में नहीं रखा जाता है। इस खाद्य-पदार्थ का स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा परीक्षण कर लिए जाने के बाद ही भारतीय बंदरगाहों से इसे देश के भीतर लाने की अनुमति दी जाती है।

अंडरवर्ल्ड के साथ बालीवुड की सांठ-गांठ

347. **श्री अधीर चौधरी:**
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में सी.बी.आई. को बालीवुड अभिनेताओं, निर्माताओं और वित्तपोषकों का दुबई और पाकिस्तान स्थित अंडरवर्ल्ड माफियाओं के साथ सांठ-गांठ की जांच करने का निर्देश दिया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या माफिया और बालीवुड अभिनेताओं, निर्माताओं और वित्तपोषकों के बीच सांठ-गांठ की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों से सरकार को रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा अंडरवर्ल्ड माफिया से बालीवुड उद्योग का संबंध विच्छेद करने के लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) बालीवुड सितारों, निर्माताओं एवं वित्तपोषकों की अपराध जगत के साथ सांठ-गांठ के सामान्य प्रश्न की जांच करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा सी.बी.आई. को हाल ही में कोई निदेश नहीं दिए गए हैं। तथापि, महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार फिल्म जगत के कुछ लोगों के अपराध जगत से संबंध पाए गए हैं और मुम्बई पुलिस ने फिल्म निर्माता नाजिम हसन रिजवी, सह-निर्माता रहीम अल्लाबक्श खान और फिल्म फाइनेन्सर तथा हीरों के व्यापारी भरत शाह को गिरफ्तार किया है। वांछनीय छोटा शकील और अंजुम के साथ-साथ इन तीनों के विरुद्ध विशेष न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा, अपराध जगत और बालीवुड सितारों, निर्माताओं और फाइनेन्सरों के बीच सांठ-गांठ की जांच करने के लिए किसी समिति का गठन नहीं किया गया है।

(ङ) फिल्म क्षेत्र को संस्थागत वित्त उपलब्ध कराने के मूल उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा फिल्म क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया गया है। वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है जिसके अंतर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) अधिनियम की धारा 2 (सी) (17) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए फिल्मों सहित मनोरंजन उद्योग को "औद्योगिक प्रतिष्ठान" के अंतर्गत अनुमोदित कार्य के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को फिल्मों के वित्त पोषण प्रस्तावों हेतु निधियां उपलब्ध कराने में सक्षम बनाने के लिए आई.डी.बी.आई. और भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने कतिपय दिशानिर्देश तैयार किये हैं।

रुग्ण कोयला खानें

348. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी:**
श्री सुनील खाँ:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयले की अनुपलब्धता के कारण ई.सी.एल. की कुछ कोयला खानें पहले ही बंद हो चुकी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ई.सी.एल. के लिए सरकार की भविष्य की क्या योजना है;

(घ) पश्चिम बंगाल राज्य में आर्थिक सक्षमता के संकट का सामना कर रही ई.सी.एल. के अंतर्गत कोयला खानों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) भविष्य के उत्पादन के लिए राज्य में खोजी जा सकने वाली नई कोयला खानें कौन सी हैं;

(च) क्या सरकार का विचार राज्य में कोयला खानों के निजीकरण या निजी क्षेत्र को नई कोयला खानें सौंपने का है; और

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) कोयला भंडार समाप्त हो जाने के कारण राष्ट्रीयकरण के बाद ई.सी.एल. की 49 खानें/यूनिटें बंद की गई हैं।

(ग) संचित घाटे में पर्याप्त वृद्धि होने के कारण कंपनी की निवल राशि 31.3.1999 को पुन: (-) 49.35 करोड़ रुपए तक ऋणात्मक हो गई और इसलिए ई.सी.एल. के पास स्वयं को 17.11.1999 को एक बार पुन: औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के पास भेजने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। ई.सी.एल. के संदर्भ पर बी.आई.एफ.आर. 30.8.2000 को सुनवाई की गई। मामले पर विचार करने पर बी.आई.एफ.आर. ने हाल ही में ई.सी.एल. को एक रुग्ण औद्योगिक कंपनी घोषित किया है और भारतीय स्टेट बैंक को कंपनी के लिए पुनरुद्धार योजना तैयार करने तथा उसे बी.आई.एफ.आर. को सौंपने के लिए प्रचालक एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया है।

(घ) वर्ष 2000-2001 के दौरान ई.सी.एल. की 92 खानों में घाटा हुआ है।

(ङ) पश्चिम बंगाल राज्य में तीन नई परियोजनाओं और 11 मौजूदा खानों की पुनर्गठन के लिए पहचान की गई है जिन्हें धनराशि उपलब्ध होने पर, नौवीं/दसवीं योजना के दौरान आरंभ किया जाना है।

(च) और (छ) सरकार का कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) की राज्य में स्थित मौजूदा कोयला खानों का निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1957 में 1993 में किए गए संशोधन की शर्तों पर कुछ कोयला ब्लाक कोयले के गृहीत उपयोग के लिए निजी पार्टियों को दिए जाते हैं।

कश्मीर मुद्दा

349. **श्रीमती कान्ति सिंह:**
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव:
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्री माधवराव सिंधिया:
श्री प्रबोध पण्डा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ने जम्मू और कश्मीर में स्थायी शांति के लिए रास्ता खोजने हेतु राज्य के सभी तबको के साथ राजनैतिक वार्ता शुरू करने के लिए श्री के.सी. पंत को नामित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए जिन दलों, समूहों और अन्य संगठनों से सलाह-मशविरा किया गया है और जो उनसे बातचीत के लिए आगे आये हैं, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयास में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) शांति और अमन चैन स्थापित करने के लिए सशक्त आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री कृष्ण चन्द्र पंत को, जम्मू और कश्मीर के लोगों के सभी वर्गों के प्रतिनिधियों के साथ राजनैतिक बातचीत करने के लिए नामित किया गया है।

(ख) और (ग) श्री कृष्ण चन्द्र पंत ने विभिन्न व्यक्तियों (जैसे श्री सैय्यद मीर कासिम, जम्मू और कश्मीर के भूतपूर्व मुख्य

मंत्री, श्री बलराज पुरी, पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता, काजी अम्मानुल्लाह, मीरवैज, दक्षिण कश्मीर इत्यादि) और राजनैतिक दलों/गैर-सरकारी संगठनों/स्थानीय मीडिया/मानवाधिकार निकायों/धर्म प्रमुखों इत्यादि (जैसे नैशनल कांफ्रेंस, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जे एण्ड के डेमोक्रेटिक फ्रिडम पार्टी, अवामी नेशनल कान्फ्रेंस, पनून कश्मीर, लद्दाख बुधिस्ट एसोसिएशन, लेह स्वायत्तशासी पर्वतीय विकास परिषद, इमाम खोमेनी मेमोरियल ट्रस्ट, जे. एण्ड के. नेशनल फ्रंट, जम्मू मुक्ति मोर्चा इत्यादि) के साथ, मामले पर उनके विचार जानने के लिए बातचीत की। उन्होंने इस प्रयोजनार्थ 28 मई से 2 जून, 2001 के दौरान जम्मू और कश्मीर की यात्रा भी की। उनका जवाब उत्साहजनक रहा।

[हिन्दी]

विश्व बैंक की सहायता से पेयजल परियोजनायें

350. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: क्या **ग्रामीण विकास** त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक से सहायता की मांग के लिए सरकार ह पास कई पेयजल परियोजनायें लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये परियोजनायें कब से लंबित पड़ी हैं;

(घ) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण है;

(ङ) इनके राज्य-वार कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है; और

(च) हाल में पूरी हुई परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या ै?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) विश्व बैंक से सहायता की मांग के लिए भारत सरकार के पास कोई भी पेयजल परियोजना लंबित नहीं पड़ी है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) 92 मिलियन यू एस डालर वाली कर्नाटक ग्रामीण पेयजल आपूर्ति तथा पर्यावरण परियोजना हाल ही में 30.9.2000 को समाप्त हुई है। परियोजना के नतीजे संतोषजनक पाए गए हैं।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों को विश्वविद्यालय का दर्जा

351. श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री शिवाजी माने:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों ने विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में आवेदन किया है;

(ख) इनमें से कितने कालेजों को विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है;

(ग) इनमें से कितने कालेजों को विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है; और

(घ) उक्त के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) 17 क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों ने सम विश्वविद्यालय स्तर देने के लिए आवेदन किये हैं।

(ख) से (घ) मंत्रालय इन क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों को सम विश्वविद्यालय स्तर देने की कार्रवाई कर रहा है। संस्था को सम विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करना एक सांविधिक प्रक्रिया है जिसके लिए बहुत सी शर्तें पूरी करनी होती हैं।

उच्च प्रौद्योगिकी वाली सीमा प्रबंधन प्रणाली

352. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में त्रुटि रहित उच्च प्रौद्योगिकी सीमा प्रबंधन प्रणाली को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का प्रस्ताव किया था

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनं लागत आयेगी; और

(ग) इस परियोजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) मंत्रियों के ग्रुप ने राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी अपनी रिपोर्ट में बेहतर प्रबोधन और निगरानी सुनिश्चित करने की दृष्टि से सीमा पर उच्च प्रौद्योगिकी वाले उपस्करों के अधिकाधिक इस्तेमाल की सिफारिश की है। इस सिफारिश को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है और अपेक्षित अनुवर्ती कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। प्रौद्योगिकी/प्रणालियों का उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है और इससे संबंधित प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा तथा उनका समय-समय पर क्रियान्वयन किया जाएगा।

निर्धन बच्चों के लिए शिक्षा

353. श्री टी. गोविन्दन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान देश में निर्धन बच्चों की शिक्षा के लिए कोई नयी योजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए राज्य-वार आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के उद्देश्य से एक अभियान के रूप में सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान योजना शुरू की है। इस सर्व शिक्षा अभियान में बालिकाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा विषम परिस्थितियों में रह रहे अन्य बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष बल देते हुए सम्पूर्ण देश को शामिल किया जाएगा। इस मंत्रालय ने 214 जिलों में प्रारंभिक कार्यकलापों को शुरू करने के लिए 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 95.61 करोड़ रु. का अनुदान प्रदान किया है।

इसके अतिरिक्त केन्द्र प्रायोजित अनौपचारिक शिक्षा योजना में संशोधन करके उसे शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा का नाम दिया गया है। शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान के समग्र कार्यक्रम का एक अंग है। संशोधित योजना को तीन मुख्य कार्य-योजनाओं के साथ 1.4.2001 से पूरी तरह लागू कर दिया गया है-स्कूल विहीन बस्तियों में एक किलोमीटर की परिधि में स्कूलों की स्थापना; स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों को सेतु पाठ्यक्रमों, पुन: स्कूल कैम्पों में वापसी, आदि के माध्यम से मुख्य धारा में लाने के प्रयास; तथा जिन बच्चों को मुख्य धारा में ला पाना कठिन है, उन बच्चों के लिए कार्यनीतियाँ बनाना। चालू वित्त वर्ष 2001-02 में इस योजना के लिए 400 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है।

कस्बों, रेलवे स्टेशनों और गांवों का पुन: नामकरण

354. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कस्बों, रेलवे स्टेशनों और गांवों के पुन: नामकरण के संबंध में नये दिशा-निर्देश जारी करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) कस्बों, रेलवे स्टेशनों और गांवों के पुन: नामकरण के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष नहीं है। वर्तमान दिशा-निर्देश पर्याप्त हैं।

अनधिकृत निर्माण के लिए स्वतंत्र एजेंसी

355. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में अनधिकृत निर्माण गतिविधियों पर सतत निगाह रखने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी के गठन का है क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और पुलिस इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने में असफल प्रतीत हो रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) सरकार इस संबंध मे प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

बी.सी.सी.एल. में अग्निकांड

356. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:**
श्री बसुदेव आचार्य:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) धनबाद के मुख्यालय में आग लगने की घटनाएँ हुई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कंपनी की महत्वपूर्ण फाइलों को नष्ट करने के लिए कोई षडयंत्र रचा गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई या करने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) जी, हाँ।

(ख) दिनांक 27.5.2001 को दोपहर लगभग 1.00 बजे कोयला भवन के केन्द्रीय ब्लॉक के स्तर-2 में आग लगी, जोकि बीसीसीएल के परियोजना तथा आयोजन प्रभाग के अधीन है।

आग लगने के तुरंत बाद सात अग्निशमक यंत्र काम में लाया गया तथा करीब 5 बजे (अप.) में आग पर काबू पा लिया गया और आग केवल स्तर-2 तक ही सीमित रह गई आग लगने के कारण पी. एवं पी. प्रभाग का सारा फर्नीचर तथा रिकार्ड जल गया।

(ग) जी, नहीं। आग लगने के स्रोत तथा कारणों का पता लगाने के लिए गठित जाँच समिति ने यह प्रमाणित किया है कि बिजली का शार्ट सर्किट हो जाने के कारण आग लगी तथा समिति ने बुरे इरादे अथवा प्रतिबंधित वस्तुओं के प्रयोग से आग लगने की बात को खारिज कर दिया है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

मेट्रो रेल परियोजना

357. **डा. एस. वेणुगोपाल:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार यातायात की भीड़भाड़ की समस्या को हल करने के लिए 5 मिलियन से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो बड़े शहरों में यातायात की अत्यधिक वृद्धि के मद्देनजर यातायात की समस्या को किस तरीके से हल किये जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) इस समय ऐसे कोई परियोजना प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बड़े नगरों में यातायात की समस्याओं का समाधान करने के लिए यातायात प्रणाली प्रबंधन (ट्रैफिक सिस्टम मैनेजमेंट), फ्लाई ओवरों का निर्माण और रिंग रोडों तथा परिवृत्तीय एक्सप्रेस मार्ग निर्माण सहित अल्प और दीर्घकालीन अनेक उपाय किये गये हैं। मेट्रो रेल परियोजनाएं अत्यधिक पूंजी खपत वाली होती है और इसलिए ऐसी परियोजनाओं के लिए संसाधनों की तंगी रहती है।

उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

358. **श्री पी.डी. एलानगोवन:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पहले से प्रस्तावित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना हेतु अब तक आबंटित धनराशि और खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) लगभग कितनी समय-सीमा के भीतर प्रस्तावित परियोजनाओं के पूरा किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार के पास विदेशों और विदेशी एजेंसियों की वित्तीय और प्रौद्योगिकीय सहायता के माध्यम से इन्हें लागू किए जाने का कोई नया प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) वर्तमान में हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड (एचएफसी) की नामरूप, असम स्थित नामरूप पुनरुद्धार परियोजना एकमात्र बड़ी उर्वरक परियोजना है जो भारत सरकार से वित्तीय सहायता के साथ देश में कार्यान्वयनाधीन है। इस परियोजना को

कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा अभी तक (1998-99 से 2001-2002 तक) 211.69 करोड़ रुपये की कुल बजटीय सहायता आबंटित की गयी है। 350 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत में से इस परियोजना पर 31.5.2001 की स्थिति के अनुसार 130.64 करोड़ रुपये का कुल व्यय किया गया है।

(ख) फरवरी 2002 तक एफएफसी की नामरूप पुनरुद्धार परियोजना के प्रारम्भ होने की आशा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सिंगरेनी कोलरीज में घाटा

359. **श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:**
श्री सईदुज्जमा:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश की सिंगरेनी कोलरीज गंभीर वित्तीय समस्याओं तथा अपने कामगारों की बकाया धनराशि के भुगतान को लेकर जूझ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और आज तक उक्त कोलरीज को कितना घाटा हुआ है;

(ग) क्या सरकार के पास इसके विनिवेश हेतु कोई योजना है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार को इसके पुनर्वास हेतु आंध्र प्रदेश सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ज) केन्द्र सरकार द्वारा रूग्ण कोलरीज के पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता-6 (एन.सी.डब्ल्यू.ए.-6) के अनुसार सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एस.सी.सी.एल.) के कर्मचारियों की बकाया राशि 455 करोड़ रुपए बनती है। बकाया राशि का भुगतान करने की मांग करते हुए जब कर्मचारी हड़ताल पर गए तो आंध्र प्रदेश सरकार के हस्तक्षेप से 14.8.2001 को यह निर्णय लिया गया कि सेवारत कर्मचारियों को एन.सी.डब्ल्यू.ए-6 के बकाया राशि का 1.7.1996 से 31.12.2000 तक की अवधि के लिए 60 प्रतिशत राशि तदर्थ समायोज्य अग्रिम के रूप में अदा की जाए। यह राशि 230 करोड़ रुपए बनती है। एस.सी.सी.एल. धनराशि की पूलिंग के लिए समुचित कदम उठा रही है। कंपनी को पिछले तीन वर्षों में और आज तक कोई घाटा नहीं हुआ है। एस.सी.सी.एल. द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा आज तक अर्जित लाभ का ब्यौरा निम्नवत है:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	लाभ
1997-98	128.03
1998-99	121.80
1999-2000	302.35
2000-2001	85.10 (अनंतिम)

(ग) और (घ) एस.सी.सी.एल. के विनिवेश की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) एस.सी.सी.एल. के पुनर्स्थापन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से कोयला मंत्रालय में हाल ही में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(च) से (ज) भाग (ङ) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पाटन रोधी शुल्क

360. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:** क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय संघ ने कुछ भारतीय इस्पात से बनी वस्तुओं पर लेवी और पाटन रोधी शुल्क लेना अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यूरोपीय संघ द्वारा तीन अन्य भारतीय इस्पात उत्पादों पर लगाया गया पाटन शुल्क जारी रहेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, तप्त वेल्लित क्वायलों, क्वार्टों प्लेटों और इस्पात की तारों व केबलों के लिए कतिपय भारतीय निर्यातकों द्वारा प्रस्तावित मूल्य यूरोपीय आयोग द्वारा स्वीकार कर लिए गए हैं।

(ग) और (घ) भारतीय इस्पात उत्पाद के संबंध में यूरोपीय आयोग द्वारा किए गए व्यापार सुरक्षा संबंधी उपायों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

	मद	माप	लागू होने की तारीख	शुल्क दर
1.	बेदाग इस्पात फास्टनर्स	ए डी	फरवरी, 1998	19.8-54%
2.	बेदाग इस्पात वायर्स (1 मि.मी. अथवा अधिक व्यास)	ए डी	जुलाई, 1999	55.6% तक
3.	स्टील स्ट्रेडिंड रोप्स एंड केबल्स	ए डी	अगस्त, 1999	20.3-30.8%
4.	तप्त बेल्लित क्वायल	ए डी	फरवरी, 2000	11.5% तक
5.	क्वार्टों प्लेटें	ए डी	अगस्त, 2000	22.3%
6.	बेदाग इस्पात ब्राइट बार्स	ए एस	नवंबर, 1998	25.5% तक
7.	बेदाग इस्पात वायर्स (1 मि.मी. अथवा अधिक व्यास)	ए एस	जुलाई, 1999	48.8% तक
8.	बेदाग इस्पात वायर्स (1 मि.मी. से कम व्यास वाले)	ए एस	जुलाई, 1999	44.4% तक
9.	तप्त बेल्लित क्वायलें	ए एस	फरवरी, 2000	4.9-13.1%

(ङ) सरकार ने यूरोपीय आयोग के साथ परामर्श करके इस्पात के संबंध में भारत यूरोपीय संघ संयुक्त कार्यकारी दल का गठन किया है, जिसने इस्पात क्षेत्र के विकास तथा इस्पात उत्पाद संबंधी व्यापारिक मुद्दों से जुड़े व्यापक मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए नियमित रूप से बैठकें की थीं। इस्पात उत्पादक कंपनियां भी यूरोपीय पक्ष के अपने प्रतिपक्षियों के साथ यह कार्य कर रही हैं।

औषधि और सौन्दर्य प्रसाधन नियम

361. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने औषधि और सौन्दर्य प्रसाधन नियम, 1945 में संशोधन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) औषध तथा सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम, 1945 में संशोधन एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसा कि औषधि तथा सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 की धारा 12 तथा 33 में प्रावधान है, औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड से सिफारिश प्राप्त होने के बाद, देश में औषधियों के आयात, उत्पादन तथा वितरण को विनियमित करते हुए सुधरी अपेक्षाएं निर्दिष्ट करने तथा इन कार्यकलापों के लिए निर्धारित विभिन्न प्रक्रियाओं को चुस्त-दुरूस्त बनाने के लिए समय-समय पर नियमों में संशोधन किया जाता है। उक्त अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार इन नियमों की प्रतियां संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं।

भारत-बांग्लादेश सीमा पर तैनात बी.एस.एफ. के जवानों में भ्रष्टाचार

362. श्री रामजीवन सिंह:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत बांग्लादेश सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों में बांग्लादेश के जवानों की सांठ-गांठ से सेना हथियार और मादक द्रव्यों इत्यादि की तस्करी के अलावा बांग्लादेशियों के अवैध आव्रजन के संबंध में भ्रष्टाचार व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी गतिविधियों में संलिप्त सीमा सुरक्षा बल के जवानों की पहचान करने के संबंध में कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इसमें दोषी पाए गए जवानों/सिविलियनों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी स्थिति से निपटने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ङ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भारत-बांग्लादेश सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों में कोई अनियंत्रित भ्रष्टाचार व्याप्त नहीं है। भारत-बांग्लादेश सीमा के साथ-साथ कड़ी निगरानी रखने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं। तथापि, सीमा सुरक्षा बल कर्मियों की संलिप्तता के व्यक्तिगत समय-समय पर सूचित किए जाते हैं। सीमा सुरक्षा बल अधिनियम और नियमों के अनुसार अनुकरणीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

दिल्ली में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

363. डा. बलिराम: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30.06.2001 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर विशेषकर गोल मार्केट में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) अतिक्रमण को कब तक हटाए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) परिस्थितियों की समग्रता कानून और व्यवस्था के पहलुओं और पात्र झुग्गी वासियों के पुनर्वास के लिए भूमि और धन-राशि की उपलब्धता तथा अन्य संबंधित मुद्दों को ध्यान में रखकर सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले अनधिवासियों और झुग्गी वासियों को हटाने के सतत प्रयास किये जाते हैं।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

364. श्री प्रभात सामन्तराय: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने अध्यापक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु कोई कदम उठाए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे कदमों को लागू किया जा रहा हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् का गठन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के तहत इस उद्देश्य से किया गया है कि संपूर्ण देश में अध्यापक शिक्षा पद्धति के योजनाबद्ध और समन्वित विकास को प्राप्त किया जा सके, अध्यापक शिक्षा पद्धति तथा उससे सम्बद्ध अन्य मामलों में मानदण्डों तथा मानकों का नियमन तथा समुचित अनुरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। अधिनियम के प्रावधानों के तहत, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए परिषद द्वारा निर्धारित मानदण्डों तथा मानकों को पूरा करने के आधार पर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने संबंधी शक्तियां प्राप्त हैं।

31.3.2001 तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा 2300 संस्थाओं को मान्यता प्रदान की गई है। इन संस्थाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से 31.3.2001 तक मान्यता प्राप्त संस्थाओं की राज्यवार सूची

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मान्यता की स्थिति (31.3.2001 तक)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	178
2.	अरूणाचल प्रदेश	2

1	2	3
3.	असम	47
4.	बिहार (झारखंड सहित)	18
5.	गोवा	4
6.	गुजरात	145
7.	हिमाचल प्रदेश	19
8.	हरियाणा	63
9.	कर्नाटक	310
10.	केरल	147
11.	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	134
12.	महाराष्ट्र	515
13.	मणिपुर	3
14.	मेघालय	7
15.	मिजोरम	3
16.	नागालैंड	6
17.	उड़ीसा	87
18.	पंजाब	36
19.	राजस्थान	103
20.	सिक्किम	2
21.	तमिलनाडु	127
22.	त्रिपुरा	5
23.	उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित)	253
24.	पश्चिम बंगाल	29
25.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2
26.	चंडीगढ़	5
27.	दमन और दीव	1
28.	दिल्ली	40
29.	पांडिचेरी	9
	सम्पूर्ण भारत (कुल)	2300

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई/स्वास्थ्य व्यवस्था

365. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों के 91 प्रतिशत लोग ठीक से सफाई तथा स्वास्थ्य व्यवस्था न होने के कारण प्रभावित हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान 31,995 करोड़ रुपये के बजट आबंटन में से 1,380 करोड़ रुपये प्रयुक्त नहीं किये गये और उन्हें वापस कर दिया गया;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986 में शुरू किया गया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में संपूर्ण स्वच्छता कवरेज कुल ग्रामीण बसावटों का लगभग 16-20 प्रतिशत था। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के कम कवरेज को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम में प्रमुख नीतिगत बदलाव किए गए हैं ताकि नौवीं योजना अवधि के अंतर्गत कम से कम 25 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को कवर किया जा सके।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, देश में स्वास्थ्य संबंधी सुविधा के ब्यौरे है:- उपकेन्द्र-137271, पी.एच.सी. 22975, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 2935, ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र-5435

(ग) और (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए किया गया बजटीय आबंटन 29544.90 करोड़ रु. था। इस अवधि के दौरान वापस की गई कुल राशि 1888.45 करोड़ रु. थी (जिसमें 2000-2001 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए गैर व्यपगत पूल को अंतरण के लिए वापस किए गए 458.35 करोड़ रु. शामिल हैं) यह वापसी मुख्य रूप से ग्रामीण विकास मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के तहत राज्य सरकारों के पास अत्यधिक मात्रा में अथशेष रहने के कारण वित्तीय मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर की गई कटौती के कारण हुई थी

और इस तथ्य के कारण भी यह वापसी की गई थी कि सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र 2000-2001 के दौरान किए गए 10 प्रतिशत आबंटन के पूरे हिस्से का उपयोग नहीं कर सका था।

(ङ) केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों को 1.4.99 से पुनर्गठित किया गया है। यह पहले के गरीबी मानदंड आधारित राज्य वार आबंटन के सिद्धांत की बजाय चरणबद्ध रूप से ''मांग आधारित'' प्रणाली में बदल जाता है। यह नया कार्यक्रम समुदाय आधारित और जनकेन्द्रित है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजना मोड में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रौद्योगिकी मिशन के आधार पर स्वच्छता और पर्यावरण सुरक्षा के संबंध में एक व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक दल का गठन किया है। देश में व्यापक रूप से जन स्वास्थ्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए उनके द्वारा एक समिति भी बनाई गई है। संक्रामक रोग के पर्यवेक्षण के लिए राष्ट्रीय निगरानी समिति ने कुछ कार्यक्रमों को भी शुरू किया है ताकि संक्रामक रोगों के फैलने के पहले ही पता लगाया जा सके और उनके लिए उचित उपाय किया जा सके ताकि मृत्यु दर में कमी लाई जा सके।

दिहाड़ी मजदूर

366. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत अनेक वर्षों से संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, चण्डीगढ़ तथा नगर निगम में दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को इस संबंध में न्यायालय द्वारा दिशा-निर्देश दिये जाने के बावजूद अभी तक स्थायी नहीं किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके लिए कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1992 की विशेष रिट याचिका सं. 10106-भारत संघ और अन्य बमाम धर्मपाल और अन्य में 29 मार्च, 1996 को दिए गए अपने निर्णय में प्रतिवादी को ऐसे दिहाड़ी मजदूरों, जिन्होंने वर्तमान रिक्तियों पर 240 दिनों की सेवा पूरी कर ली है, की सेवा को उनकी वरिष्ठता के हिसाब से उनकी श्रेणियों में नियमित करने के निदेश दिए थे। उक्त आदेश के अनुसरण में अभी तक चंडीगढ़ प्रशासन के इंजीनियरिंग विभाग में 398 मजदूरों को और चंडीगढ़ नगर निगम में 74 दिहाड़ी मजदूरों को नियमित किया जा चुका है।

एफसीआरए, 1976

367. श्री राजैया मल्याला: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नये संगठनों को वर्ष 2000-2001 के दौरान एफसीआरए, 1976 के अंतर्गत चन्दा स्वीकार करने की अनुमति प्रदान की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) विदेशी अभिदाय प्राप्त करने हेतु, संगठनों को विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत 2000-2001 में प्रदान की गई अनुमति के राज्यवार ब्यौरे।

राज्य	पंजीकरण	पूर्व अनुमति
1	2	3
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0
आंध्र प्रदेश	253	47
अरूणाचल प्रदेश	2	0
असम	17	2
बिहार	82	8
चंडीगढ़	3	1
छत्तीसगढ़	3	0
दादर और नागर हवेली	0	0
दिल्ली	76	131
गोवा (दमन एवं दीव समेत)	7	4
गुजरात	87	34
हरियाणा	5	8
हिमाचल प्रदेश	8	4
जम्मू और कश्मीर	5	1
झारखंड	1	1
कर्नाटक	138	57

1	2	3
केरल	72	34
लक्षद्वीप	0	0
मध्य प्रदेश	58	7
महाराष्ट्र	168	89
मणिपुर	33	1
मेघालय	2	2
मिजोरम	3	0
नागालैंड	8	2
उड़ीसा	122	7
पांडिचेरी	3	3
पंजाब	4	3
राजस्थान	26	25
सिक्किम	0	3
तमिलनाडु	257	85
त्रिपुरा	2	0
उत्तर प्रदेश	106	27
उत्तरांचल	2	1
पश्चिम बंगाल	127	51
कुल	1680	638

पुराने रेल और सड़क पुलों के लिए एसईआरसी द्वारा सुझाव

368. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संरचनात्मक अभियांत्रिक अनुसंधान केन्द्र (स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेन्टर) ने देश में 75 वर्ष पुराने सभी सड़क और रेल पुलों की जांच करने के लिए कोई सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एसईआरसी ने इस संबंध में रेल मंत्रालय और विभिन्न सड़क प्राधिकरणों के साथ कोई विचार-विमर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) जी नहीं। तथापि, संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान केन्द्र (एस.ई.आर.सी), चेन्नई, पुलों की अखंडता और दशा का मूल्यांकन संबंधित प्राधिकरणों की पहल एवं अनुरोध पर ही करता है। संबंधित रेल और सड़क प्राधिकरणों के साथ एसईआरसी. चेन्नई उनके लिए प्रारम्भ किए जा सकने वाले कार्यों के संबंध में समय-समय पर विचार-विमर्श करता है। सामान्यत: इन विचार-विमर्शों की परिणति विशिष्ट कार्य के लिए कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं में होती है।

बी.एस.एफ. कर्मियों की मौत पर बांग्लादेश की रिपोर्ट

369. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
श्री जी.एस. बसवराज:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बांग्लादेश ने सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों की मौत के संबंध में कोई रिपोर्ट सौंपी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने रिपोर्ट की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(घ) क्या बांग्लादेश ने इस संबंध में कोई जांच के आदेश नहीं दिये हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के साथ उठाने का है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) बांग्लादेश सरकार ने भारत सरकार को सूचित किया है कि घटना के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पूरी जांच-पड़ताल की जाएगी।

(ङ) और (च) इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के साथ उठाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जनजाति उप-योजना क्षेत्र में तहसीलों को शामिल किया जाना

370. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को वर्ष 1995 के दौरान "जनजातीय उप-योजना क्षेत्र में 10 और तहसीलों को शामिल किये जाने के संबंध में राजस्थान सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की स्थिति क्या है और इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किये जाने में विलंब के क्या कारण है;

(ग) क्या समय-समय पर राजस्थान सरकार से मांगे गए ब्यौरे को प्राप्त कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक मंजूरी प्रदान किये जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, हां।

(ख) इस प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ पांच जिलों अर्थात् उदयपुर, राजस्मंड, चित्तौड़गढ़, सिरोही और पाली शामिल थे। इस प्रस्ताव की जांच करने के लिए राज्य सरकार को अभी पूर्ण सूचना प्रस्तुत करनी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) पूर्ण सूचना प्राप्त होने पर प्रस्ताव पर कार्रवाई की जाएगी।

जलयान स्क्रैप का आयात

371. **श्री टी.एम. सेल्वागनपति:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयातित जलयान स्क्रैप से घरेलू इस्पात उद्योग के लाभ पर दुष्प्रभाव पड़ा है और इससे बाजार में घटिया इस्पात का पाटन हुआ है, जैसा कि दिनांक 17 अप्रैल, 2001 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) घरेलू इस्पात उद्योग की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गेहूं की किस्में विकसित करने हेतु भारत-स्विट्जरलैंड संयुक्त परियोजना

372. **डा. जसंवत सिंह यादव:**
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गेहूं की नई किस्में, जो कि रोग और सूखा प्रतिरोधी हों, विकसित करने हेतु स्विट्जरलैंड के साथ संयुक्त परियोजना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बड़े पैमाने पर गेहूं के उत्पादन में नई किस्मों से किसानों को कितनी मदद मिलेगी?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) से (ग) बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने अक्टूबर, 1999 से स्विस विकास एवं सहयोग अभिकरण (एस डी सी), स्विट्जरलैंड सरकार के सहयोग से जैवप्रौद्योगिकी में सहयोग का एक नया चरण शुरू किया था। इस सहयोग के तहत सूखा प्रतिरोधी गेहूं किस्मों को विकसित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, आण्विक मार्करों एवं आनुवंशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करके महत्वपूर्ण कवक बीमारियों जैसे लीफ रस्कट, हेड स्कैब एवं करनाल बंड के प्रतिरोध के साथ कृषि आर्थिक दृष्टि से वांछनीय गेहूं लाइनों को विकसित करने के लिए एक संयुक्त अनुसंधान नेटवर्क परियोजना की सहायता की गई है। इस गेहूं अनुसंधान कार्यक्रम में भारत के पांच अनुसंधान संस्थान और विश्वविद्यालय स्विस के तीन अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग कर रहे हैं। यह आशा है कि अनुसंधान से उत्पादकता वृद्धि हेतु कवक रोग प्रतिरोधी परिष्कृत गेहूं किस्मों का विकास होगा।

इस्पात का डम्प किया जाना

373. **श्री अशोक ना. मोहोल:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात उद्योग क्षेत्र विदेशी इस्पात मिलों द्वारा स्वीकार्य सुरक्षा और अन्य तकनीकी मानकों का उल्लंघन करके सस्ते इस्पात के बड़े पैमाने पर डम्प किए जाने से क्षुब्ध है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों ने घटिया स्तर की इस्पात को डम्प किया है;

(ग) ऐसे घटिया स्तर के इस्पात को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं; और

(घ) यह भारतीय घरेलू बाजार को किस सीमा तक प्रभावित कर रहा है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बोकारो इस्पात संयंत्र के विमानों का दुर्घटनाग्रस्त होना

374. **श्री रामदास आठवले:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तिथि-वार बोकारो इस्पात संयंत्र के कितने विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक दुर्घटना का क्या कारण था और प्रत्येक दुर्घटना में कितनी हानि हुई;

(ग) इस संबंध में की गई जांच का ब्यौरा क्या है और दोषी पाये जाने वालों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) ऐसी दुर्घटनाओं को टालने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) गत तीन वर्षों के दौरान बोकारो इस्पात संयंत्र का कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कोयला क्षेत्र के संबंध में व्यय सुधार आयोग की सिफारिशें

375. **श्री नरेश पुगलिया:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यय सुधार आयोग ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि., सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. और भारत कोकिंग कोल लि. में रोजगार कम किए जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो ईकाई-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छंटनी किए गए श्रमिकों को भुगतान किए जाने वाले मुआवजे की राशि का आकलन कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इकाई-वार तत्सबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) व्यय सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 30 में कोल इंडिया लि. में मानवशक्ति के पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

"यह अनुमान है कि कोल इंडिया लि. कोलियरियों की आवश्यकता की तुलना में 5,62,071 की कुल मानवशक्ति का पांचवां भाग सरप्लस है। हाल के एक अध्ययन से पता चला है कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि., जो कि वर्ग में सबसे अधिक घाटे वाली कंपनी है, 1,33,383 की कुल श्रमशक्ति में से 64,000 श्रमशक्ति 64 घाटे में चल रही कोलियरीज में कार्यरत है। इन 64 खानों में वेतन लागत का भार कोयले की बिक्री मूल्य का 112% है। कोल इंडिया लि. के वर्तमान वर्ष के बजट में 242 करोड़ रु. की कुल लागत पर 11,000 सरप्लस श्रमिकों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अंतर्गत लाया गया है। यदि सभी सातों अनुषंगी कंपनियों को प्रतियोगी बनना है तथा अपने को उभरते परिदृश्य में बनाए रखना है तो मानवशक्ति पुनर्गठन योजना को उच्चतम प्राथमिकता देने की आवश्यकता यह है। आने वाले दो वर्षों में मुख्यतया ईसीएल, बीसीसीएल तथा सीसीएल कंपनियों की एक लाख से भी अधिक सरप्लस श्रमशक्ति को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत कवर करेगी। वी.आर.एस. हेतु कोष की पूर्ति लाभ कमाने वाली अनुषंगी कंपनियों के सरप्लस कोष अथवा मानव शक्ति पुनर्गठन से उत्पादकता लाभ एवं अन्य दक्षता बढ़ाने वाले उपायों के माध्यम से की जा सकती है।"

(ग) और (घ) ईसीएल, बीसीसीएल तथा सीसीएल में सरप्लस श्रमशक्ति के पुनर्गठन हेतु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए सहायता अनुदान भारत सरकार द्वारा मुहैय्या कराया जायेगा। जनवरी, 2001 तक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत 505.00 करोड़ रु. निर्मुक्त किए गए और ईसीएल, बीसीसीएल तथा सीसीएल में 24,877 व्यक्तियों ने इसका लाभ उठाया है। वर्ष 2001-2002 के लिए इन तीन कंपनियों हेतु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत 11500 व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति का लक्ष्य रखा गया।

इसके लिए 156.99 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। इसमें बाद में वृद्धि की जाएगी।

जाली मुद्रा रैकेट

376. **श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:**
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जाली भारतीय मुद्रा के रैकेट सहित और देश में पड़ोसी देशों से की जाने वाली तस्करी की बढ़ती घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(घ) क्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय ने असली मुद्रा के समान जाली मुद्रा के प्रचलन का उद्घाटन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो देश में जारी भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के साथ-साथ तस्करी को रोकने हेतु सरकार द्वारा उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (घ) देश के विभिन्न भागों में समय-समय पर जाली मुद्रा नोटों के परिचालन/जब्ती के मामले सूचित किए जाते हैं। उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि जाली भारतीय मुद्रा नोटों को देश में भारत-पाक सीमा और भारत-नेपाल सीमा से चोरी छिपे लाया जा रहा है इसके अलावा इन नोटों को विभिन्न तकनीकों जिनमें प्रिंटिंग प्रैस, कलर फोटोकॉपियर्स, स्कैनर्स और कलर प्रिंटर्स शामिल हैं, का उपयोग करके भारत में तैयार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो से प्राप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान जब्त की गई जाली मुद्रा के मामलों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ङ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार ''लोक व्यवस्था'' और ''पुलिस'' राज्य के विषय हैं और इसलिए जाली मुद्रा सहित अपराध को दर्ज करने, उसकी जांच-पड़ताल करने, पता लगाने तथा रोकथाम करने की जिम्मेवारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(1) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने केवल जाली मुद्रा नोटों की जांच के लिए ही एक विशेष यूनिट का सृजन किया है। सीमा सुरक्षा बल ने अपनी अग्रिम टुकड़ियों को और अधिक चौकस कर दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस प्रकार के मुद्रा नोट तस्करी करके देश में न लाए जा सकें।

(2) जाली भारतीय मुद्रा के परिचालन से संबंधित मुद्दों के सम्पूर्ण मामले की जांच करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, गृह मंत्रालय/राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय के प्रतिनिधियों को लेकर एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है।

(3) विगत में जब्त किए गए नकली नोटों की जांच करने के लिए ताकि सरकार मुद्रण और सुरक्षा विशेषताओं के साथ-साथ सुधारात्मक उपाय करने में सक्षम हो सके, श्री वी.के. गायकवाड़, उप महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में नोट प्रिंटिंग/करेंसी पेपर इत्यादि के विशेषज्ञों को लेकर एक छः सदस्यीय तथ्यान्वेषण समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक को सलाह दी गई है कि असली नोटों में समाविष्ट सुरक्षा विशेषताओं के बारे में प्रचार अभियान चलाए।

भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(1) 500 रुपये के नोटों की सुरक्षा विशेषताओं का पत्र-पत्रिकाओं में व्यापक रूप से प्रचार किया गया है ताकि जनता को नकली नोटों की पहचान करने में मदद मिले।

(2) 500 रुपये के नोटों की सुरक्षा विशेषताओं की एक फिल्म अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार कर दूरदर्शन पर दिखाई गई।

(3) जनता की सुविधा के लिए एक पुस्तिका निकाली गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ असली नोटों की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। यह पुस्तिका भारतीय रिजर्व बैंक के वेबसाइट के अलावा जनता में बिक्री के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के निर्गम कार्यालयों में रखी गई है।

विदेश मंत्रालय ने मामले को महामहिम नेपाल की सरकार के साथ उठाया है। भारत के विरुद्ध, नेपाली क्षेत्र का दुरूपयोग रोकने के लिए दोनों पक्षों ने तत्काल आवश्यक कदम उठाने का निश्चय प्रकट किया है।

विवरण-I

वर्ष 1998, 1999 और 2000 के दौरान जब्त की गई जाली मुद्रा के मामलों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मामलों की संख्या		
		1998	1999	2000
1	2	3	4	5
राज्य				
1.	आन्ध्र प्रदेश	68	27	117
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	2	3
3.	असम	33	61	40
4.	बिहार	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
5.	गोवा	5	6	36
6.	गुजरात	24	173	42
7.	हरियाणा	13	53	18
8.	हिमाचल प्रदेश	3	2	1
9.	जम्मू और कश्मीर	9	29	12
10.	कर्नाटक	72	98	668
11.	केरल	44	65	51
12.	मध्य प्रदेश	35	51	5
13.	महाराष्ट्र	84	329	83
14.	मणिपुर	14	16	13
15.	मेघालय	2	3	2
16.	मिजोरम	11	55	11
17.	नागालैंड	4	7	4
18.	उड़ीसा	0	1	4
19.	पंजाब	7	4	43
20.	राजस्थान	185	42	53
21.	सिक्किम	5	0	0
22.	तमिलनाडु	64	61	84
23.	त्रिपुरा	1	1	8

1	2	3	4	5
24.	उत्तर प्रदेश	35	141	134
25.	पश्चिम बंगाल	30	26	59
	कुल (राज्य)	704	1253	1491
	संघ शासित क्षेत्र			
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
27.	चंडीगढ़	0	1	7
28.	दादर और नागर हवेली	0	0	0
29.	दमन और दीव	0	0	1
30.	दिल्ली (संघ शासित क्षेत्र)	17	86	10
31.	लक्षद्वीप	0	0	0
32.	पांडिचेरी	11	9	5
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	28	96	23
	कुल (अखिल भारत)	732	1349	1514

एन. ए. :- आंकड़े उपलब्ध नहीं

विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए मार्गनिर्देश

377. **श्री सुरेश रामराव जाधव:**
श्री वीरेन्द्र कुमार:
डा. जसवंत सिंह यादव:
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् भारतीय शिक्षा क्षेत्र में प्रवेश करने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए मार्गनिर्देश तैयार कर रही है जैसाकि 5 अप्रैल, 2001 के ''दि टाइम्स ऑफ इंडिया'' में ''यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. प्लान टु कीप एन आई ऑन फॉरेन वर्सिटीज'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मामले पर विचार करने तथा मार्गनिर्देश तैयार करने के लिए एक समिति नियुक्त की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मार्गनिर्देश कब तक तैयार किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के संचालन को नियमित करने तथा युक्तिसंगत बनाने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया था। आयोग ने समिति द्वारा तैयार किए गए विनियमों का 22.5.2001 की अपनी बैठक में अनुमोदन कर दिया था। अब, इन विनियमों पर सरकार विचार कर रही है। इसी प्रकार, अखिल भारत तकनीकी शिक्षा परिषद् ने भी भारत में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के प्रवेश को विनियमित करने के संबंध में दिशा-निर्देशों/विनियमों को अन्तिम रूप देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां

378. **श्री सुन्दर लाल तिवारी:**
श्री सत्यव्रत चुतर्वेदी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 मई, 2001 के 'राष्ट्रीय सहारा' में प्रकाशित घाटी से महिलाओं के अपहरण से संबंधित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि अपहृत महिलाओं में अधिकांश को पाकिस्तान में प्रशिक्षण देकर भारत वापस भेजा रहा है;

(घ) यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने मामले सामने आए और

(ङ) स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम ाये गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। सरकार को इस समाचार की ानकारी है।

(ग) और (घ) यह संकेत देने वाली आसूचना जानकारियां : कि पाकिस्तानी आई.एस.आई. जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी ातिविधियों में हिस्सा लेने के लिए युवतियों को भर्ती और प्रशिक्षण : रही है। उन्हें ओवर ग्राउन्ड वर्कर्स के रूप नियुक्त किए जाने की संभावना है?

(ङ) भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार और सुरक्षा बलों को आवश्यक कदम उठाने और अत्यधिक सावधानी बरतने के लिए सतर्क कर दिया है।

जनजातीय आबादी

379. **श्री थावरचन्द गेहलोत:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कुल, जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है;

(ख) उन जनजातीय बहुल राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में जनजातीय लोगों के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत तुलनात्मक रूप से कम सहायता प्रदान की गई है;

(ग) ऐसे राज्यों को कम सहायता आवंटित करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को जानकारी है कि मध्य प्रदेश में बेतुल जिले के जनजातीय लोग प्राकृतिक रूप से उगाए गए उत्पादों यथा जड़ी-बूटी इत्यादि पर जीवित रहने के लिए बाध्य हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन्हें जीविका प्रदान करने हेतु कोई पहल की है; और

(च) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास योजनाओं से संबंधित प्रस्ताव

380. **श्री भीम दाहाल:**
श्री राजो सिंह:
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में और चालू वर्ष में स्वीकृति और वित्तीय सहायता हेतु कुछ ग्रामीण विकास योजनाएं प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो अब तक प्रस्तुत और स्वीकृत योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक राज्य-वार इन योजनाओं के लिए कितनी निधियां आबंटित/जारी की गई हैं;

(घ) राज्य-वार शेष योजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ग) जी, हां। पिछले तीन वर्षों में हर वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों, जिसमें सिक्किम भी शामिल है, द्वारा वित्तीय सहायता हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रस्तुत किए प्रस्तावों का ब्यौरा दिया गया है:

योजना/परियोजना का नाम	राज्य	वर्ष	भेजी गई परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6
क्षेत्र सुधार परियोजना	बिहार	1999-2000	1	1	1999-2000 के दौरान 1122.00
					2000-2001 के दौरान 26.00
					2001-2002 के दौरान 1036.00
	अरूणाचल प्रदेश	1999-2000	2	2	1999-2000 के दौरान 448.80
	असम	1999-2000	3	3	1999-2000 के दौरान 967.12
	मिजोरम	1999-2000	1	1	1999-2000 के दौरान 74.45
	नागालैंड	1999-2000	1	1	1999-2000 के दौरान 166.62
	सिक्किम	1999-2000	2	2	1999-2000 के दौरान 363.02
	त्रिपुरा	1999-2000	1	1	1999-2000 के दौरान 244.95
	मेघालय	1999-2000	1	1	अपेक्षित औपचारिकताओं को अभी पूरा किया जाना है।
ग्रामीण आवास और पर्यावास विकास हेतु अभिनव चरण	बिहार	1999-2000			8.00
	अरूणाचल प्रदेश	1999-2000	13	4	92.05
	मणिपुर	1999-2002	3	3	49.85
	नागालैंड	1999-2002	8	2	58.00
	सिक्किम	1999-2002	2	शून्य	शून्य
	त्रिपुरा	1999-2002	2	1	50.00 लाख रु. अनुमोदित
जवाहर रोजगार	नागालैंड	1998-99	1	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6
योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत अभिनव परियोजनाएं					
	असम	1998-99	1	1	100.00 लाख रु. अनुमोदित
केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	बिहार	1999-2000	1	1	445.14
		2000-2001	4	4	676.69
		2001-2002	2	2	शून्य
	अरूणाचल प्रदेश	1999-2000	2	2	99.46
	असम	1999-2000	3	3	133.22
	मणिपुर	2000-2001	1	1	48.00
	मिजोरम	2000-2001	1	शून्य	शून्य
	नागालैंड	2000-2001	3	3	118.33
	सिक्किम	1999-2000	2	2	17.98
	त्रिपुरा	2000-2001	1	1	253.66
स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	जनकारी एकत्र की जा रही है।				
प्रधानमंत्री* ग्राम सड़क योजना	बिहार	14993.00			
	अरूणाचल प्रदेश	4095.00			
	असम	7500.00			
	मणिपुर	4000.00			
	मेघालय	3495.00			
	मिजोरम	1993.00			
	नागालैंड	1975.00			
	सिक्किम	1316.00			
	त्रिपुरा	2475.00			

*प्रस्ताव 31.07.2001 तक विचारार्थ प्रस्तुत किए जा सके।

(घ) ऐसे प्रस्ताव, जो संबंधित कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होते हैं, को निधियों की उपलब्धता होने पर स्वीकृत किया जाता है। इसलिए लंबित प्रस्ताव के लिए कोई समय सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकती है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को प्रशिक्षण

381. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में गैर-सरकारी संगठनों के हितार्थ राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एन आई आर डी), द्वारा महाराष्ट्र में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कार्यक्रम-वार इन कार्यक्रमों में कितने गैर-सरकारी संगठनों ने भाग लिया और कितने लोग इससे लाभान्वित हुए; और

(ग) राज्यों में इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से क्या परिणाम प्राप्त हुआ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ने गैर-सरकारी संगठनों के लाभार्थ महाराष्ट्र में कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

दुर्गापुर और हल्दिया उर्वरक इकाईयों का पुनरुद्धार

382. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उर्वरक संयंत्रों की दुर्गापुर और हल्दिया इकाईयों की पुनरुद्धार योजना की नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) उपर्युक्त दो संयंत्रों में निवेश की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना दस्तावेज की अपेक्षा के अनुसार इन इकाईयों के कार्य न करने के मूल कारण क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क), (ग) और (घ) प्रौद्योगिक आर्थिक अव्यवहार्यता के कारण कभी भी प्रारम्भ न हो सकी हल्दिया उर्वरक परियोजना 1986 से बन्द पड़ी है। इस एकक को अलग करने का निर्णय सरकार द्वारा पहले ही लिया जा चुका है। दुर्गापुर एकक के प्रचालनों को प्राइमरी रिफोरमर टॉप में आग लग जाने के कारण 1997 में रोकना पड़ा था। इस एकक का सुस्थिर और व्यवहार्य प्रचालन तब तक संभव नहीं है जब तक इस संयंत्र का पूर्ण पुनरुद्धार नहीं किया जाता जो कि बजटीय बाधाओं और उत्पादन की उच्च लागत के कारण बाधित है। दुर्गापुर एकक का पुर्नवास सरकार ने सक्षम प्राधिकारी के निर्णय तथा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के समक्ष लम्बित कार्रवाइयों के अन्तिम निष्कर्ष पर निर्भर करता है।

सम्बद्ध कंपनी अर्थात् हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. जिसके यह दोनों एकक हैं, को औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बो.आई. एफ. आर.) द्वारा रुग्ण औद्योगिकी कंपनियां (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के तहत 1992 में एक रुग्ण कंपनी घोषित कर दिया गया था और इन प्रस्तावों की जांच करने तथा सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए एक मंत्री दल का गठन किया गया है।

(ख) हल्दिया उर्वरक परियोजना तथा दुर्गापुर एकक में साम्य पूंजी और योजनागत ऋण के रूप में क्रमश: 547.70 करोड़ रुपये और 186.89 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।

सुरक्षा एजेंसियां

383. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आतंकवादी गतिविधियों के बारे में विभिन्न एजेंसियों से सूचना प्राप्त करने के लिए एक बड़ी धनराशि सुरक्षा एजेंसियों के निपटान पर रखी गई है;

(ख) यदि हां, तो वे किस सीमा तक सूचना प्राप्त करने में सफल रही है;

(ग) क्या सरकार को धनराशि के दुरूपयोग की सूचना प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस धनराशि की लेखापरीक्षा पर विचार किया जा रहा है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) सुरक्षा एजेंसियों को देश में आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मामलों के बारे में आसूचना प्राप्त करने में समर्थ बनाने हेतु उन्हें गुप्त निधियां प्रदान की जाती हैं। अपेक्षित सूचना को प्राप्त करने में गुप्त निधियां उपयोगी होती है।

(ग) और (घ) जी नहीं, श्रीमान्।

[हिन्दी]

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.

384. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. को औद्योगिक वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष अनुशासित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. का ऋण इसकी कार्यशील पूंजी को पार कर चुका है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. को हो रही हानि से बचाने के लिए कोई कार्य योजना बनाई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) चूंकि सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सी.सी.एल.) की निवल-आय दिनांक 31.3.2001 को नकारात्मक हो गई थी, अत: सी.सी.एल. के निदेशक बोर्ड ने रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धारा 15 के अंतर्गत कंपनी को दिनांक 22.5.2001 को औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) को संदर्भगत कर दिया।

(ग) और (घ) दिनांक 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार सी.सी.एल. की देनदारी 1898.11 करोड़ रु. की थी, जबकि कंपनी की कार्यशील पूंजी दिनांक 31.3.2000 को 550.85 करोड़ रु. थी। कंपनी की कार्यशील पूंजी अल्प अवधि में कंपनी के दिन-प्रतिदिन के कार्य-कलापों को वित्त-पोषित करने के लिए अपेक्षित होती है जबकि देनदारी में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लघु अवधि ऋणों तथा पूंजीगत व्यय सहित दीर्घावधि ऋण शामिल होते हैं।

(ङ) और (च) कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) द्वारा सी.सी.एल. की समस्याओं का पता लगाने तथा सी.सी.एल. की पुर्नस्थापना के लिए उपायों की सिफारिश किए जाने हेतु भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) को नियोजित किया है।

[अनुवाद]

कोयला खनन संबंधी व्यय सुधार समिति की सिफारिशें

385. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यय सुधार समिति ने देश में कोयला खनन संबंधी क्रियाकलापों को व्यवहार्य बनाने की दृष्टि से रेलवे, राज्य सरकारों और कोल इंडिया लि. द्वारा कुछ योगदान करने हेतु सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) टैरिफ (शुल्क) में कमी करने के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (ग) व्यय सुधार आयोग ने उल्लेख किया है कि कोयले के परिवहन पर रेलवे द्वारा प्रभारित भाड़े तथा रॉयल्टी इत्यादि के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा लगाए गए अतिरिक्त शुल्कों का कोयले की लागत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

यथामूल्य आधार को लागू किए जाने के मुद्दे समेत कोयले पर रॉयल्टी के युक्तिकरण का मुद्दा अपर सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में गठित एक समिति के विचारार्थ है। यह समिति व्यय सुधार आयोग के सुझावों पर भी विचार करेगी। जहां तक पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा प्रभारित उपकर का संबंध है, यह मामला भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णयाधीन है।

विशेष रूप से कोयले के लम्बी दूरी के उपभोक्ताओं के लिए, रेल भाड़ा ढ़ांचे को युक्तिपरक बनाये जाने हेतु उपाय किए जाने के लिए, कोयला संचल पर भाड़ा दरों में कमी किए जाने के मुद्दे को रेल मंत्रालय के साथ उठाया गया है।

वीजा नियमों में ढ़ील

386. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल में वीजा नियमों में ढील देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में दूसरे पक्ष की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) भारत और पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के बीच जन संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से, दोनों देशों के बीच यात्रा को आसान बनाने का प्रस्ताव है। यह निर्णय लिया गया है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट धारकों को सड़क के रास्ते आने की आज्ञा दी जाएगी और उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय जांच-चौकी पर वीजा लेना होगा। अटारी के अलावा, अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ नामित स्थलों पर कुछ नई जांच-चौकियां खोली जाएंगी।

(घ) दूसरी तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है।

दिल्ली में मलिन बस्तियों में रहने वालों की जनसंख्या

387. श्री प्रभात सामन्तराय:
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में मलिन बस्तियों में रहने वालों की अनुमानित जनसंख्या जोनवार कितनी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने दिल्ली में मलिन बस्ती वाले क्षेत्रों के पुनर्स्थापन हेतु स्थलों की संस्वीकृति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (घ) दिल्ली में स्लमों/अनधिवासियों (स्क्वैटर्स) की आबादी करीब 25 लाख है। वे पूरी दिल्ली में फैली हुई है। अनधिवासियों/स्लम वासियों को पुनर्वास केन्द्र सरकार की समग्र निगरानी में स्थानीय एजेंसियों (दिल्ली नगर निगम/दिल्ली विकास प्राधिकरण) द्वारा चलाई जा रही पुनर्वास स्कीम के तहत किया जाता है। पुनर्वास स्थल पर सड़कों, गलियों, पथ प्रकाश, पेयजल इत्यादि के रूप में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। अनधिवासी विस्थापन सह-पुनर्वास परियोजनाएं, विकास के उद्देश्य से खाली क्षेत्र की जरूरत के अनुसार और साथ ही पुनर्वास के लिए उपलब्ध भूमि तथा धनराशि को ध्यान में रख कर, शुरू की जाती हैं।

उड़ीसा में नीलांचल इस्पात निगम की स्थापना

388. श्री अनन्त नायक: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में नीलांचल इस्पात निगम की स्थापना की दिशा में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त इस्पात संयंत्र द्वारा व्यावसायिक रूप से उत्पादन शुरू किए जाने के लिए निर्धारित तिथि कौन-कौन सी है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कच्चे लोहे के उत्पादन के संबंध में नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड की वास्तविक प्रगति निम्नानुसार है:-

- 96% निर्माण कार्य पूरा हो गया है।
- धमन भट्टी संरचनाओं की रीफरबिशिंग का कार्य शत-प्रतिशत हो गया है।।
- संरचना उत्थापन का 96% कार्य पूरा हो गया है।
- 80% उपस्करों का उत्थापन कार्य कर लिया गया है
- 93% रिफ्रैक्ट्री का उत्थापन कार्य कर लिया गया है

(ख) कच्चे लोहे का चरण-1 का उत्पादन 2001 की अंतिम तिमाही में चालू किए जाने की संभावना है। इस्पात का उत्पादन करने के लिए चरण-2 का विस्तृत इंजीनियरिंग और निर्माण कार्य चल रहा है।

[हिन्दी]

भारतीय खिलाड़ियों को लश्कर-ए-तोइबा की धमकी

389. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृप करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि लश्कर-ए-तोइबा नामक एक आतंकवादी संगठन ने भारतीय खिलाड़ियों का अपहरण करने और उन्हें बंधक बनाने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्। सरकार को मालूम है कि आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तोइबा ने कुछ खिलाड़ियों को धमकी दी है। उन सभी को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय महासागर विकास संस्थान

390. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय महासागर विकास संस्थान को हाल में गुजरात तट से दूर समुद्र में जल के नीचे विध्वंस्थल मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और अनुसंधान क्या है;

(ग) संस्थान कब से अनुसंधान कर रही है;

(घ) क्या इस संस्थान द्वारा कई अपतटीय क्षेत्रों में अन्य स्थलों का पता लगाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां। संस्थान का नाम - राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (रा.स.प्रौ.सं.) है।

(ख) राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान ने, अक्तूबर 2000-मार्च 2001 के दौरान गुजरात तट के पास बहुविधात्मक अन्तर्जल सर्वेक्षण करते हुए कैम्बे की खाड़ी में 30 से 40 मीटर जल गहराई में इन पुरातात्विक स्थलों का पता लगाया। वर्तमान में यह स्थल हजीरा के पश्चिम में 9 किलोमीटर तक फैला हुआ दिखाई देता है। सर्वेक्षण के दौरान राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान को अचानक समुद्र के बीच में ढांचों का विस्तार मिला जो कि तटीय क्षेत्र के लिए विशिष्ट बात थी। अत्याधुनिक पार्श्व अवलोकन (साइड स्क्रीन) सर्वेक्षण में ऐसे चित्र लिए गए हैं जिनसे सामान्यत: मानवनिर्मित उत्कृष्ट ज्यामितिक वस्तुओं का पता चलता है। क्षेत्र में सुनिर्मित गृह बेसमेंट जैसी आकृतियां दिखाई दी है जो आंशिक रूप से बालू तरंगों और छोटी लहरों से ढकी हुई है।

(ग) राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान पुरातात्विक सर्वेक्षण नहीं करता है। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा किसी और प्रयोजन के लिए सर्वेक्षण करने के दौरान इन अन्तर्जल खण्डहरों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण विकास योजनाओं का कार्यान्वयन

391. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2001-2002 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्रीय विकास योजनाओं के प्रभावी रूप से कार्यान्वयन हेतु चतुर्मुखी रणनीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्होंने विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा करने हेतु कई राज्यों का दौरा किया है;

(घ) यदि हां, तो उसके परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरपंचों से भी कहा गया है कि वे योजनाओं के संबंध में लोगों को जानकारी दें;

(च) ग्रामीण क्षेत्रों के उन्नयन के लिए योजनाओं के कारगर कार्यान्वयन हेतु क्या अन्य कदम उठाए गए हैं;

(छ) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास हेतु कॉरपोरेट क्षेत्र, अनिवासी भारतीयों और अन्य लोगों से भी समर्थन मांगा है; और

(ज) यदि हां, तो सरकार ने संबंधित राज्यों से इन दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन संबंधी कितने प्रतिवेदन प्राप्त किए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) जी, हां।

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने (1) जागरूकता सृजन (2) पारदर्शिता (3) लोगों की भागीदारी (4) जवाबदेही/सामाजिक लेखा परीक्षा के जरिए वर्ष 2001-2002 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न केन्द्रीय ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक चतुर्मुखी रणनीति तैयार की है।

(ग) जी, हां।

(घ) विभिन्न राज्यों में माननीय मुख्यमंत्रियों तथा संबंधित मंत्रियों के साथ हुई समीक्षा बैठकों के परिणामस्वरूप जागरूकता सृजन, पारदर्शिता, जवाबदेही और लोगों की भागीदारी के जरिए कार्यक्रमों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए एक चतुर्मुखी रणनीति तैयार की गई।

(ङ) जी, हां।

(च) और (छ) पंचायती राज संस्थाएं तथा गैर सरकारी संगठन ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल हैं। कारपोरेट क्षेत्र तथा व्यक्तियों को सी आई आई तथा फिक्की के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

(ज) राज्यों द्वारा कार्यान्वयन के लिए कोई दिशा-निर्देश नहीं बनाए गए हैं।

दिल्ली पुलिस मुख्यालय के लॉकर से धन की चोरी

392. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 मई, 2001 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में ''रूपीज 15 लाख स्टोलेन फ्राम पुलिस हेडक्वार्टरस् लॉकर'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें छपे समाचारों का तथ्य क्या है;

(ग) क्या प्रारंभिक जांच से यह पता चला है कि यह कृत्य श्रोत धन को अन्यत्र प्रयोग में लगाने वाले किसी संगठित गिरोह का एक हिस्सा हो सकता है और यह धनराशि करोड़ों रुपए तक पहुंच सकती है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से मामले की जांच कराए जाने के आदेश दिए गए हैं/दिए जाने का प्रस्ताव है क्योंकि इसमें बड़ी राशि अन्तर्ग्रस्त है और इसमें कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्। इस मामले में अभी तक की गई जांच पड़ताल से पता चलता है कि यह अधिकारी विशेष द्वारा निधियों का दुरूपयोग किए जाने का मामला है। समाचार पत्र में प्रकाशित यह समाचार सही नहीं पाया गया है कि यह कई वर्षों से कई करोड़ों रुपये की राशि को अन्यत्र प्रयोग में लगाने वाले संगठित गिरोह का एक हिस्सा हो सकती है।

(घ) और (ङ) दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफ आई आर दर्ज की है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दोषी अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायिक हिरासत में है।

विदेशी छात्रों हेतु उच्च शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का प्रावधान

393. **श्री टी.एम. सेल्वागनपति:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशी छात्रों को उच्च शैक्षणिक संस्थानों में तकनीकी शिक्षा सहित 15 प्रतिशत सीटें उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विदेशों में भी उच्च तकनीकी संस्थानों की शाखाओं की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने तकनीकी संस्थाओं सहित उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में विदेशी छात्रों के लिए 15 प्रतिशत अधिसंख्य स्थान सृजित करने का निर्णय किया है बशर्ते इन संस्थाओं में पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों।

(ग) और (घ) उच्चतर तकनीकी संस्थाओं की शाखाएं विदेशों में खोलने के सम्बन्ध में सरकार ने अभी तक अनुमोदन प्रदान नहीं किया है।

ग्रामीण विकास हेतु धन जारी न किया जाना

394. **श्री अशोक ना. मोहोल:**
श्री ए. वेंकटेश नायक
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री जी.एम. बनातवाला:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए संस्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि को जारी नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो जारी नहीं किए गए शेष धन का योजनावार, राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) पूरी धनराशि को जारी न किए जाने के कारण विकास कार्यक्रम कहां तक प्रभावित हुए हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान विभिन्न राज्यों को ग्रामीण विकास योजनाओं के अन्तर्गत आबंटित की गई और जारी की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। निधियों में कटौती करने का प्रमुख कारण राज्यों द्वारा निधियों का कम इस्तेमाल किया जाना और उपयोग प्रमाण पत्र/लेखा परीक्षा रिपोर्ट का प्रस्तुत न किया जाना है।

(ग) कार्यक्रम केन्द्र द्वारा निधियों की पूर्ण राशि जारी नहीं किए जाने की वजह से नहीं बल्कि राज्यों द्वारा निधियों का कम इस्तेमाल किए जाने की वजह से प्रभावित हुए हैं।

(घ) कार्यक्रम के कार्यान्वयन को ज्यादा से ज्यादा कारगर और गतिशील बनाने हेतु उठाए गए उचारात्मक उपायों में निगरानी तंत्र को सशक्त बनाना और कार्यक्रम के कार्यान्वयन में लोगों का शामिल करना शामिल है। राज्य के मुख्य मंत्रियों से भी समय-समय पर निधियों का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया जाता रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री भी कार्यक्रम की समीक्षा कराने और राज्य प्राधिकारियों पर योजनाओं के कारगर और शीघ्र कार्यान्वयन की आवश्यकता पर जोर देने के लिए राज्यों का दौरा करते रहे हैं जिससे कि लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

विवरण

वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के दौरान केन्द्रीय आवंटन, केन्द्रीय रिलीजें और जारी न की गई राशि

कार्यक्रम: सुनिश्चित रोजगार योजना

(लाख रुपए में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99			1999-2000			2000-2001		
	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीजें	जारी न की गई राशि	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीजें	जारी न की गई राशि	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीजें	जारी न की गई राशि
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. आंध्र प्रदेश	16740.00	16740.00	0.00	10288.76	10288.76	0.00	6586.59	6483.22	103.37
2. अरूणाचल प्रदेश	2140.00	2140.00	0.00	226.21	719.27	0.00	406.80	812.95	0.00
3. असम	11018.00	11018.00	0.00	5877.72	4701.11	1176.61	10546.62	5273.31	5273.31
4. बिहार	18596.00	18596.00	0.00	33704.77	25388.02	8316.75	13184.87	9714.15	3470.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15420.90	15420.90	0.00
6.	गोवा	180.00	180.00	0.00	23.72	55.00	0.00	15.18	15.18	0.00
7.	गुजरात	4410.00	4410.00	0.00	3872.86	4301.49	0.00	6514.32	7814.32	0.00
8.	हरियाणा	1660.00	1660.00	0.00	2278.48	1981.53	296.95	1458.62	2007.25	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	2050.00	2050.00	0.00	959.56	945.06	14.50	1266.80	1081.80	185.00
10.	जम्मू व कश्मीर	4760.00	4760.00	0.00	1187.58	2755.00	0.00	760.26	2251.46	0.00
11.	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8385.06	6870.60	1514.46
12.	कर्नाटक	10350.00	10350.00	0.00	7769.46	6670.05	1099.41	4973.80	-5577.10	.00
13.	केरल	3861.00	3861.00	0.00	3486.13	3486.12	0.01	2231.73	2200.90	30.83
14.	मध्य प्रदेश	22033.00	22033.00	0.00	17084.06	17464.11	0.00	10136.20	10630.11	0.00
15.	महाराष्ट्र	8167.17	8167.17	0.00	15358.33	11002.98	4355.35	10277.00	7730.68	2546.32
16.	मणिपुर	890.00	890.00	0.00	394.04	307.87	86.17	707.18	478.58	228.60
17.	मेघालय	610.00	610.00	0.00	441.47	220.74	220.73	792.68	500.88	291.80
18.	मिजोरम	800.00	800.00	0.00	102.16	402.16	0.00	183.36	183.36	0.00
19.	नागालैंड	2100.00	2100.00	0.00	302.82	276.09	26.73	543.30	403.52	139.78
20.	उड़ीसा	12752.00	12752.00	0.00	11768.22	17621.12	0.00	12883.70	16216.23	0.00
21.	पंजाब	2720.00	2720.00	0.00	1107.32	813.98	293.34	708.88	615.60	93.28
22.	राजस्थान	8935.00	8935.00	0.00	5899.60	6888.13	0.00	8679.80	8412.98	266.82
23.	सिक्किम	320.00	320.00	0.00	113.10	313.10	0.00	203.84	403.84	0.00
24.	तमिलनाडु	18720.00	18720.00	0.00	9097.50	10597.49	0.00	5824.00	5824.00	0.00
25.	त्रिपुरा	1440.00	1440.00	0.00	711.47	711.46	0.01	1276.22	1276.22	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	35153.00	35153.65	0.00	37092.40	36155.49	936.91	22258.95	18544.23	3714.72
27.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1483.15	1135.06	348.09
28.	पश्चिम बंगाल	8270.00	8270.00	0.00	13078.02	9483.71	3594.31	8372.22	6631.13	1741.09
29.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	40.00	40.00	0.00	54.73	27.36	27.37	35.04	0.00	35.04
30.	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	दादर व नागर हवेली	30.00	30.00	0.00	54.73	27.36	27.37	35.04	17.52	17.52
32.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	1.82	0.91	0.91	1.17	0.00	1.17
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	100.00	100.00	0.00	3.65	1.82	1.83	2.34	0.00	2.34
35.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	69.32	34.66	34.66	44.38	0.00	44.38

वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के दौरान केन्द्रीय आवंटन, केन्द्रीय रिलीजें और जारी न की गई राशि

कार्यक्रम: इन्दिरा आवास योजना

(लाख रुपए में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99			1999-2000			2000-2001		
	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीजें	जारी न की गई राशि	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीजें	जारी न की गई राशि	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीजें	जारी न की गई राशि
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. आंध्र प्रदेश	8370.41	9515.81	0.00	11036.00	11095.40	0.00	11036.00	11001.91	34.09
2. अरूणाचल प्रदेश	184.03	118.47	65.56	754.00	841.47	0.00	726.86	519.91	206.95
3. असम	4781.82	5004.32	0.00	15658.00	13820.00	1838.00	16354.79	8177.40	8177.39
4. बिहार	27420.52	23478.11	3942.41	38598.00	29527.20	9070.80	29832.84	17866.73	11966.11
5. छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2045.34	1874.67	170.67
6. गोवा	19.20	29.21	0.00	68.00	62.26	5.74	68.00	27.20	40.80
7. गुजरात	3150.78	3503.67	0.00	3243.00	3228.33	14.67	3243.00	8143.00	0.00
8. हरियाणा	1853.66	2035.25	0.00	1171.00	1447.92	0.00	1171.00	1151.94	19.06
9. हिमाचल प्रदेश	780.64	712.84	67.80	515.00	449.39	65.61	515.00	443.89	71.11
10. जम्मू व कश्मीर	966.16	1079.80	0.00	618.00	124.01	493.99	618.00	132.95	485.05
11. झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8765.16	4203.16	4562.00
12. कर्नाटक	6320.85	5657.27	663.58	5898.00	4337.38	1560.62	5898.00	4203.28	1694.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	केरल	2836.20	3210.84	0.00	3552.00	3084.74	467.26	3552.00	2445.22	1106.78
14.	मध्य प्रदेश	13898.74	14391.74	0.00	9183.00	9168.49	14.51	7137.66	6670.61	467.05
15.	महाराष्ट्र	12494.77	13644.95	0.00	10585.00	10435.37	149.63	10585.00	9752.55	832.45
16.	मणिपुर	320.57	163.08	157.49	693.00	177.45	515.55	866.65	326.45	540.20
17.	मेघालय	359.16	159.16	200.00	1057.00	651.49	405.51	1151.46	498.97	652.81
18.	मिजोरम	83.11	85.75	0.00	260.00	297.05	0.00	276.42	251.97	24.45
19.	नागालैंड	246.36	454.13	0.00	653.00	773.28	0.00	743.31	660.31	83.00
20.	उड़ीसा	9574.03	10225.13	0.00	9154.00	13154.96	0.00	9154.00	31325.76	0.00
21.	पंजाब	900.86	950.27	0.00	745.00	678.66	66.34	745.00	708.58	36.42
22.	राजस्थान	4799.63	5221.40	0.00	3233.00	2705.87	527.13	3233.00	3924.66	0.00
23.	सिक्किम	92.02	104.13	0.00	122.00	123.90	0.00	199.28	199.28	0.00
24.	तमिलनाडु	7401.30	8375.09	0.00	5846.00	6236.91	0.00	5846.00	5846.00	0.00
25.	त्रिपुरा	578.80	654.95	0.00	1433.00	1455.29	0.00	1681.23	1681.23	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	30176.52	32561.68	0.00	23565.00	21682.91	1882.09	21347.67	18645.17	2702.50
27.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2217.33	1427.54	789.79
28.	पश्चिम बंगाल	10639.62	6363.00	4276.62	12064.00	8209.33	3854.67	12064.00	9906.99	2157.01
29.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	44.40	0.00	44.40	129.00	0.00	129.00	129.00	129.00	0.00
30.	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादर व नागर हवेली	43.80	30.66	13.14	69.00	34.50	34.50	69.00	0.00	69.00
32.	दमन व दीव	1.82	0.00	1.82	27.00	0.00	27.00	27.00	11.15	15.85
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	3.65	0.00	3.65	3.00	1.50	1.50	3.00	3.00	0.00
35.	पांडिचेरी	56.57	64.01	0.00	67.00	33.50	33.50	67.00	33.50	33.50

वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के दौरान केन्द्रीय आवंटन, केन्द्रीय रिलीजें और जारी न की गई राशि

कार्यक्रम: जवाहर ग्राम समृद्धि योजना*/जवाहर रोजगार योजना (लाख रुपए में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99			1999-2000			2000-2001		
	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीजें	जारी न की गई राशि	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीजें	जारी न की गई राशि	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीजें	जारी न की गई राशि
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. आंध्र प्रदेश	11703.94	11702.49	1.45	9319.52	9617.32	0.00	8727.55	8945.17	0.00
2. अरूणाचल प्रदेश	257.32	475.26	0.00	204.90	142.71	62.19	456.91	367.68	89.23
3. असम	6686.18	15112.28	0.00	5324.02	3787.01	1537.01	11872.04	0.00	11872.04
4. बिहार	38340.77	29733.82	8606.95	30529.68	28484.06	2045.62	16476.68	13707.02	2769.66
5. छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5094.75	3604.68	1490.07
6. गोवा	172.20	103.32	68.88	137.12	124.11	13.01	128.41	134.41	0.00
7. गुजरात	4405.58	4449.43	0.00	3508.04	3508.03	0.01	3285.21	6273.12	0.00
8. हरियाणा	2591.88	2591.88	0.00	2063.84	2063.87	0.00	1932.75	1863.61	69.14
9. हिमाचल प्रदेश	1091.54	1022.15	69.39	869.16	1752.41	0.00	813.95	736.17	77.78
10. जम्मू व कश्मीर	1350.93	1094.62	256.31	1075.71	897.74	177.97	1007.38	720.25	287.13
11. झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12113.79	9644.14	2469.65
12. कर्नाटक	8838.13	10838.13	0.00	7037.56	7037.56	0.00	6590.54	5165.38	1425.16
13. केरल	3965.64	3965.65	0.00	3157.73	3157.72	0.01	2957.15	2725.50	231.65
14. मध्य प्रदेश	19433.93	18314.14	1119.79	15474.69	16926.38	0.00	9397.00	10623.87	0.00
15. महाराष्ट्र	17470.82	17180.81	290.01	13911.52	13911.47	0.05	13027.87	9673.91	3353.96
16. मणिपुर	448.24	501.64	0.00	356.92	115.54	241.38	795.90	530.58	264.32
17. मेघालय	502.19	951.75	0.00	399.88	132.18	267.70	891.69	763.61	128.08
18. मिजोरम	116.21	296.89	0.00	92.53	92.37	0.16	206.33	206.33	0.00
19. नागालैंड	344.48	775.99	0.00	274.30	223.90	50.40	611.68	454.48	157.18
20. उड़ीसा	13386.90	13443.31	0.00	10659.61	15974.14	0.00	9982.52	9489.07	493.45
21. पंजाब	1259.63	1559.63	0.00	1003.01	975.08	27.93	939.30	1201.02	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	राजस्थान	6711.09	6008.50	702.59	5343.85	5343.85	0.00	5004.41	4914.88	89.53
23.	सिक्किम	128.66	288.00	0.00	102.45	102.45	0.00	228.45	228.45	0.00
24.	तमिलनाडु	10348.85	10348.85	0.00	8240.50	9163.14	0.00	7717.07	8256.72	0.00
25.	त्रिपुरा	809.31	1824.38	0.00	644.43	487.95	156.48	1437.02	1437.02	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	42194.35	42235.90	0.00	33598.18	33593.14	5.04	29503.99	25314.21	4189.68
27.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1960.17	1513.13	447.04
28.	पश्चिम बंगाल	14876.87	10061.21	4815.66	11846.18	10800.26	1045.77	11093.58	9469.13	1624.45
29.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	117.89	39.70	78.19	93.87	13.00	80.87	84.64	54.04	30.60
30.	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादर व नागर हवेली	77.81	48.94	28.87	61.96	30.98	30.98	55.87	54.23	1.64
32.	दमन व दीव	37.70	10.06	27.64	30.02	0.00	30.02	27.07	0.00	27.07
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	59.10	35.46	23.64	47.06	23.53	23.53	42.43	0.00	42.43
35.	पांडिचेरी	115.42	82.14	33.28	91.91	45.96	45.95	86.00	66.56	19.44

वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के दौरान केन्द्रीय आवंटन, केन्द्रीय रिलीजें और जारी न की गई राशि

कार्यक्रम: स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना×/समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

(लाख रुपए में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99			1999-2000			2000-2001		
	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीजें	जारी न की गई राशि	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीजें	जारी न की गई राशि	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीजें	जारी न की गई राशि
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. आंध्र प्रदेश	3876.15	3870.32	0.00	6219.55	6219.57	0.00	5303.03	5283.98	19.05
2. अरूणाचल प्रदेश	201.91	202.78	0.00	136.74	92.14	44.60	276.91	99.26	177.65
3. असम	5246.36	5246.36	0.00	3553.09	3062.36	490.73	7195.18	0.00	1195.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	बिहार	12668.33	6608.31	6060.02	20374.56	11918.05	8456.51	12616.76	2978.76	9638.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2800.88	1138.08	1662.80
6.	गोवा	8.91	24.43	0.00	59.78	59.78	0.00	50.00	25.00	25.00
7.	गुजरात	1455.67	1455.67	0.00	2341.15	2340.56	0.59	1996.15	1216.65	779.50
8.	हरियाणा	856.39	692.00	164.39	1377.36	1784.18	0.00	1174.37	1088.61	85.76
9.	हिमाचल प्रदेश	360.66	323.26	37.40	580.06	475.99	104.07	494.67	245.91	248.76
10.	जम्मू व कश्मीर	446.37	319.20	127.17	717.90	411.69	306.21	612.10	195.23	416.87
11	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4755.33	808.88	3946.45
12.	कर्नाटक	2920.24	2439.51	480.73	4696.65	2348.33	2348.32	4004.53	1600.56	2403.97
13.	केरल	1310.30	1346.69	0.00	2107.37	2083.35	24.02	1796.82	919.53	877.29
14.	मध्य प्रदेश	6421.25	6421.25	0.00	10327.33	10013.58	313.75	6004.58	3420.63	2583.95
15	महाराष्ट्र	5772.61	5772.63	0.00	9284.11	9284.11	0.00	7915.98	5770.72	2145.26
16.	मणिपुर	351.71	87.76	263.95	238.19	119.10	119.09	482.36	24.94	457.42
17	मेघालय	394.05	144.49	249.56	266.87	131.52	135.35	540.42	23.89	516.53
18.	मिजोरम	91.18	104.25	0.00	61.75	58.15	3.60	125.06	62.56	62.50
19.	नागालैंड	270.30	86.70	183.60	183.06	102.09	80.97	370.70	174.94	195.76
20.	उड़ीसा	4423.22	4384.65	38.57	7113.90	7222.67	0.00	6065.56	4353.99	1711.57
21.	पंजाब	416.20	416.18	0.02	669.38	664.98	4.40	570.73	454.49	116.24
22.	राजस्थान	2217.44	2084.45	132.99	3566.34	3566.34	0.00	3040.77	2594.50	446.27
23.	सिक्किम	100.95	90.57	10.38	68.38	68.38	0.00	138.45	136.83	1.62
24.	तमिलनाडु	3419.41	3463.58	0.00	5499.44	6999.46	0.00	4689.03	4626.30	62.73
25.	त्रिपुरा	635.03	635.03	0.00	430.08	488.12	0.00	870.92	860.44	10.48
26.	उत्तर प्रदेश	13941.61	13889.50	52.11	22422.38	13337.96	9084.42	18163.60	7737.07	10426.53
27.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.45	344.28	610.17
28.	पश्चिम बंगाल	4915.53	2321.76	2593.77	7905.65	3652.84	3952.81	6740.66	0.00	6740.66
29.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	69.58	63.00	6.58	59.78	29.90	29.88	50.00	0.00	50.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादर व नागर हवेली	41.53	21.88	19.65	59.78	29.89	29.89	50.00	0.00	50.00
32.	दमन व दीव	27.43	13.72	13.71	59.78	29.89	29.89	50.00	0.00	50.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	6.85	3.43	3.42	59.78	29.89	29.89	50.00	0.00	50.00
35.	पांडिचेरी	56.83	29.93	26.90	59.78	29.89	29.89	50.00	25.00	25.00

01.04.1999 से कार्यान्वित होने की वजह से

वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के दौरान केन्द्रीय आवंटन, केन्द्रीय रिलीजें और जारी न की गई राशि

कार्यक्रम: राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (लाख रुपए में)

		1998-99			1999-2000			2000-2001		
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीजें	जारी न की गई राशि	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीजें	जारी न की गई राशि	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीजें	जारी न की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	4361.76	4439.38	0.00	4361.76	4361.76	0.00	4361.76	4360.76	1.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	45.86	1.94	43.92	57.12	7.07	50.05	181.26	66.60	114.66
3.	असम	656.14	724.49	0.00	826.98	745.87	81.11	2624.34	2344.31	280.03
4.	बिहार	7248.38	6685.08	563.30	6877.24	5761.09	1116.15	5144.85	4268.85	876.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1243.22	1005.13	238.09
6.	गोवा	10.30	23.17	0.00	27.94	27.94	0.00	27.94	27.94	0.00
7.	गुजरात	825.77	357.14	468.63	561.60	320.92	240.68	561.60	370.53	191.07
8.	हरियाणा	352.87	295.46	57.41	535.80	498.94	36.86	535.80	450.14	85.66
9.	हिमाचल प्रदेश	108.58	125.53	0.00	236.55	233.29	3.26	236.55	200.12	36.43
10.	जम्मू व कश्मीर	248.98	201.91	47.07	317.26	299.55	17.72	317.26	228.02	89.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1732.39	1250.95	481.44
12.	कर्नाटक	2959.63	3649.63	0.00	2959.63	2959.63	0.00	2959.63	2899.69	59.94
13.	केरल	1252.37	1377.55	0.00	1396.31	1274.72	121.59	1396.31	947.96	448.35
14.	मध्य प्रदेश	4584.52	4660.82	0.00	4585.46	4610.76	0.00	3342.24	3056.14	286.10
15.	महाराष्ट्र	4695.91	3252.35	1443.56	4158.46	3047.39	1111.12	4158.51	3161.48	997.03
16.	मणिपुर	97.34	18.82	78.52	103.06	87.71	15.35	327.06	251.00	76.06
17.	मेघालय	94.54	81.33	13.21	111.13	94.79	16.34	352.67	297.33	55.34
18.	मिजोरम	37.44	47.55	0.00	37.44	29.20	8.24	98.51	91.62	6.89
19.	नागालैंड	66.46	9.41	57.05	80.71	41.02	39.69	256.13	221.75	34.38
20.	उड़ीसा	3102.62	2289.62	813.00	3120.62	3573.63	0.00	3682.21	2962.35	719.86
21.	पंजाब	341.64	159.72	181.92	386.79	317.91	68.88	386.79	429.15	0.00
22.	राजस्थान	1030.50	941.57	88.93	1474.54	1420.79	53.75	1474.54	1390.60	83.94
23.	सिक्किम	22.47	38.21	0.00	29.80	14.90	14.90	94.57	94.57	0.00
24.	तमिलनाडु	3668.18	2384.62	1283.56	3276.00	3158.57	117.43	3276.00	3086.94	189.06
25.	त्रिपुरा	146.02	137.68	8.34	178.19	178.18	0.01	565.46	497.93	67.53
26.	उत्तर प्रदेश	9617.40	7155.07	2462.33	8264.83	7315.09	949.74	7861.76	6629.80	1231.96
27.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.07	385.00	18.07
28.	पश्चिम बंगाल	3312.50	2909.68	402.82	3312.50	4216.81	0.00	3312.50	2965.01	347.49
29.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	2.81	0.00	2.81	17.38	8.69	8.69	17.38	0.00	17.38
30.	चण्डीगढ़	6.08	0.00	6.08	13.66	13.66	0.00	13.66	8.83	4.83
31.	दादर व नागर हवेली	2.81	1.41	1.40	11.80	0.00	11.80	11.80	10.62	1.18
32.	दमन व दीव	1.88	1.87	0.01	2.48	2.48	0.00	2.48	1.95	0.53
33.	दिल्ली	177.84	88.92	88.92	249.58	124.79	124.79	249.58	0.00	249.58
34.	लक्षद्वीप	0.94	0.00	0.94	1.86	0.93	0.93	1.86	0.00	1.86
35.	पांडिचेरी	14.04	21.06	0.00	49.05	49.05	0.00	49.05	24.53	24.52

वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के दौरान केन्द्रीय आवंटन, केन्द्रीय रिलीजें और जारी न की गई राशि

कार्यक्रम: राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (लाख रुपए में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99			1999-2000			2000-2001		
	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीजें	जारी न की गई राशि	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीजें	जारी न की गई राशि	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीजें	जारी न की गई राशि
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. आंध्र प्रदेश	1969.19	1988.90	0.00	1590.19	1590.29	0.00	1590.19	1567.90	22.29
2. अरूणाचल प्रदेश	19.34	0.78	18.56	19.34	1.56	17.78	27.11	4.61	22.50
3. असम	292.34	82.04	210.30	292.34	113.34	179.00	419.43	267.03	152.40
4. बिहार	940.37	454.84	485.53	823.59	694.56	129.03	618.14	398.93	219.21
5. छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.52	222.76	81.76
6. गोवा	0.78	0.00	0.78	2.58	0.00	2.58	2.58	0.00	2.58
7. गुजरात	104.00	24.66	79.34	104.00	67.51	36.49	104.00	73.99	30.01
8. हरियाणा	52.00	34.62	17.38	64.69	45.48	19.21	64.69	33.98	30.71
9. हिमाचल प्रदेश	15.60	7.36	8.24	19.11	12.22	6.89	19.11	10.08	9.03
10. जम्मू व कश्मीर	36.40	26.07	10.33	49.27	35.64	13.63	49.27	24.70	24.57
11. झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.45	142.98	62.47
12. कर्नाटक	78.00	60.47	17.53	402.66	402.68	0.00	402.66	361.00	41.66
13. केरल	156.00	83.08	72.92	136.58	108.03	28.55	136.58	88.30	48.28
14. मध्य प्रदेश	1040.00	595.25	444.75	904.74	647.56	257.18	600.20	437.46	162.74
15. महाराष्ट्र	312.00	230.36	81.64	453.49	342.58	110.91	453.49	345.55	107.94
16. मणिपुर	40.56	0.99	39.57	40.56	25.52	15.04	48.80	38.86	9.94
17. मेघालय	39.31	18.93	20.38	39.31	14.37	24.94	52.81	32.04	20.77
18. मिजोरम	15.91	13.53	2.38	15.91	14.80	1.11	14.85	13.82	1.03
19. नागालैंड	27.77	8.09	19.68	27.77	12.03	15.74	38.43	32.63	5.80
20. उड़ीसा	780.00	462.80	317.20	624.24	601.87	22.37	624.24	529.28	94.96
21. पंजाब	52.00	21.39	30.61	46.98	28.95	18.03	46.98	42.02	4.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	राजस्थान	312.00	181.65	130.35	325.34	173.47	151.87	325.34	96.65	228.69
23.	सिक्किम	2.60	0.64	1.96	5.98	2.99	2.99	14.15	7.08	7.07
24.	तमिलनाडु	906.36	351.79	554.57	906.36	376.69	529.67	906.36	754.65	151.71
25.	त्रिपुरा	101.40	64.53	36.87	81.12	14.57	66.55	84.41	66.84	17.57
26.	उत्तर प्रदेश	1300.00	708.45	591.55	1713.92	997.82	716.10	1627.32	1064.05	563.27
27.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.60	59.45	27.15
28.	पश्चिम बंगाल	616.15	227.20	388.95	541.17	406.89	134.28	541.17	417.53	123.64
29.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	1.09	0.00	1.09	1.09	0.00	1.09	1.09	0.00	1.09
30.	चण्डीगढ़	2.65	0.00	2.65	2.65	1.33	1.32	2.65	0.00	2.65
31.	दादर व नागर हवेली	0.47	0.00	0.47	0.47	0.00	0.47	0.47	0.24	0.23
32	दमन व दीव	0.31	0.04	0.27	0.31	0.00	0.31	0.31	0.00	0.31
33.	दिल्ली	36.97	0.00	36.97	36.97	0.00	36.97	36.97	0.00	36.97
34.	लक्षद्वीप	0.16	0.00	01.6	0.16	0.00	0.16	0.16	0.00	0.16
35.	पांडिचेरी	7.54	7.54	0.00	5.25	3.25	0.00	5.25	2.63	2.62

वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के दौरान केन्द्रीय आवंटन, केन्द्रीय रिलीजें और जारी न की गई राशि

कार्यक्रम: राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (लाख रुपए में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99			1999-2000			2000-2001		
	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीजें	जारी न की गई राशि	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीजें	जारी न की गई राशि	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीजें	जारी न की गई राशि
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. आंध्र प्रदेश	3823.04	3861.30	0.00	3035.50	3035.52	0.00	3035.50	3013.27	22.23
2. अरूणाचल प्रदेश	22.88	3.04	19.84	22.88	1.90	20.98	57.78	16.68	41.10
3. असम	646.36	339.74	306.62	646.36	464.33	182.03	1552.78	1098.98	453.80
4. बिहार	1768.00	1024.96	743.04	1700.02	1632.27	67.75	1234.38	879.99	354.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1053.35	1003.30	50.05
6.	गोवा	13.00	6.50	6.50	12.22	18.72	0.00	12.22	10.69	1.53
7.	गुजरात	156.00	75.54	80.46	158.76	122.56	36.20	158.76	1112.11	0.00
8.	हरियाणा	31.20	27.69	3.51	54.21	44.48	9.73	54.21	45.54	8.67
9.	हिमाचल प्रदेश	40.04	24.81	15.23	30.72	29.37	1.35	30.72	23.19	7.53
10.	जम्मू व कश्मीर	62.40	38.11	24.29	57.38	52.19	5.19	57.38	46.35	11.03
11.	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.63	340.82	124.81
12.	कर्नाटक	143.52	108.90	34.62	649.22	637.66	11.56	649.22	628.57	20.65
13.	केरल	530.40	347.14	183.26	382.10	406.72	0.00	382.10	319.88	62.22
14.	मध्य प्रदेश	5106.40	3901.15	1205.25	3957.46	4358.63	0.00	2904.11	2728.72	175.39
15.	महाराष्ट्र	1026.74	789.29	237.45	1014.01	877.61	136.40	1026.74	821.40	205.34
16.	मणिपुर	28.60	6.15	22.45	28.60	23.40	5.20	65.00	47.97	17.03
17.	मेघालय	34.32	19.68	14.64	34.32	21.23	13.09	72.22	63.24	8.98
18.	मिजोरम	11.44	9.73	1.71	11.44	5.73	5.71	21.67	20.16	1.51
19.	नागालैंड	17.16	2.58	14.58	17.16	6.30	10.86	36.11	32.43	3.68
20.	उड़ीसा	1744.60	1124.14	620.46	1346.69	1346.11	0.58	1346.69	1201.56	145.13
21.	पंजाब	142.48	74.51	67.97	134.16	117.03	17.13	134.16	102.97	31.19
22.	राजस्थान	468.16	399.19	68.97	468.16	464.23	3.93	468.16	380.50	87.66
23.	सिक्किम	5.72	2.28	3.44	5.72	2.86	2.86	21.67	6.52	15.15
24.	तमिलनाडु	1904.76	1463.87	440.89	1904.76	1776.25	128.51	1904.76	1704.05	200.71
25.	त्रिपुरा	93.60	63.64	29.96	72.54	55.84	16.70	122.78	91.07	31.71
26.	उत्तर प्रदेश	3120.00	1996.23	1123.77	3021.90	2871.76	150.14	2775.42	2060.98	714.44
27.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.48	202.21	44.27
28.	पश्चिम बंगाल	1047.70	332.37	715.33	975.73	849.43	126.30	975.73	721.66	254.07
29.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	2.86	0.00	2.86	2.86	1.43	1.43	2.86	0.00	2.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	चण्डीगढ़	2.86	0.00	2.86	2.86	2.86	0.00	2.86	2.86	0.00
31.	दादर व नागर हवेली	2.86	1.43	1.43	2.86	0.00	2.86	2.86	2.58	0.28
32.	दमन व दीव	2.86	1.44	1.42	2.86	0.29	2.57	2.86	0.28	2.58
33.	दिल्ली	31.46	15.73	15.73	31.46	15.73	15.73	31.46	0.00	31.46
34.	लक्षद्वीप	2.86	0.00	2.86	2.86	1.43	1.43	2.86	0.00	2.86
35.	पांडिचेरी	2.86	2.86	0.00	2.86	1.43	1.43	2.86	1.43	1.43

वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के दौरान केन्द्रीय आवंटन, केन्द्रीय रिलीजें और जारी न की गई राशि

कार्यक्रम: त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (लाख रुपए में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99			1999-2000			2000-2001		
	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीजें	जारी न की गई राशि	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीजें	जारी न की गई राशि	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीजें	जारी न की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	10131.61	10033.44	98.17	9283.51	12534.37	0.00	17677.70	19291.15	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	3623.00	2163.82	1459.18	2476.00	1980.80	495.20	4365.00	2206.50	2158.50
3.	असम	6120.00	6417.00	0.00	4180.00	2090.00	2090.00	7372.00	5459.78	1912.22
4.	बिहार	11768.50	0.00	11768.50	9380.00	4690.00	4690.00	4687.00	26.00	4661.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1580.00	1580.00	0.00
6.	गोवा	283.75	0.00	283.75	352.92	0.00	352.92	1404.00	888.59	515.41
7.	गुजरात	6260.51	7151.35	0.00	6428.52	7842.20	0.00	7485.00	19260.68	0.00
8.	हरियाणा	3643.34	3477.47	165.87	3334.34	3857.67	0.00	1962.00	2099.18	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	2008.15	2939.59	0.00	2316.85	3107.95	0.00	5678.00	5384.50	293.50
10.	जम्मू व कश्मीर	5567.40	4659.41	907.99	6434.26	3190.72	3243.54	9070.00	3694.00	5376.00
11.	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4745.00	2385.50	2359.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	कर्नाटक	10134.49	10549.42	0.00	9359.83	11409.40	0.00	10859.00	8419.62	2439.38
13.	केरल	4673.49	4672.49	0.00	4307.88	3446.30	861.58	6868.00	5150.42	1717.58
14.	मध्य प्रदेश	11063.07	11061.14	1.93	9444.68	12330.44	0.00	12895.00	12895.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	13301.00	16384.68	0.00	13614.41	17302.37	0.00	16934.00	16934.00	0.00
16.	मणिपुर	1330.00	666.74	663.26	907.00	0.00	907.00	1475.00	0.00	1475.00
17.	मेघालय	1425.00	1709.00	0.00	974.00	779.20	194.80	1716.00	1797.15	0.00
18.	मिजोरम	1018.00	1017.66	0.34	696.00	696.00	0.00	1226.00	1161.99	64.01
19.	नागालैंड	1058.00	796.90	261.10	724.00	579.20	0.00	1275.00	822.61	452.39
20.	उड़ीसा	5236.47	4793.75	442.72	4847.93	4847.93	0.00	8457.00	5350.50	3106.50
21.	पंजाब	1668.62	2205.28	0.00	1720.64	2320.64	0.00	3502.98	2902.98	600.00
22.	राजस्थान	15519.38	16506.47	0.00	17241.06	15654.37	1586.69	23351.82	26474.47	0.00
23.	सिक्किम	434.00	1401.12	0.00	460.83	1045.59	0.00	650.00	325.00	325.00
24.	तमिलनाडु	7922.54	10527.51	0.00	6534.66	8958.28	0.00	8430.00	8462.00	0.00
25.	त्रिपुरा	1262.00	2128.95	0.00	862.00	1662.00	0.00	1521.00	1521.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	18537.93	16297.06	2240.87	14775.00	14825.12	0.00	16679.50	15092.33	1587.17
27.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2304.00	2304.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	7169.63	6424.91	742.72	7008.15	5606.45	1401.70	7895.00	14140.09	0.00
29.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	12.50	0.00	12.50	12.50	0.00	12.50	13.00	0.00	13.00
30.	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादर व नागर हवेली	12.50	0.00	12.50	12.50	0.00	12.50	7.00	3.50	3.50
32.	दमन व दीव	12.50	0.00	12.50	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
34.	लक्षद्वीप	12.50	0.00	12.50	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00

वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के दौरान केन्द्रीय आवंटन, केन्द्रीय रिलीजें और जारी न की गई राशि

कार्यक्रम: केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (लाख रुपए में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99			1999-2000			2000-2001		
	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीजें	जारी न की गई राशि	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीजें	जारी न की गई राशि	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीजें	जारी न की गई राशि
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. आंध्र प्रदेश	642.12	1148.93	0.00	570.77	657.67	0.00	975.06	1522.41	0.00
2. अरूणाचल प्रदेश	45.00	0.00	45.00	30.00	15.00	15.00	85.48	73.98	11.50
3. असम	559.00	0.00	559.00	792.82	0.00	792.82	303.95	0.00	303.95
4. बिहार	564.42	0.00	564.42	1585.89	0.00	1585.89	1102.11	749.78	352.33
5. छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.93	0.00	93.93
6. गोवा	9.36	0.00	9.36	6.48	0.00	6.48	2.31	1.16	1.15
7. गुजरात	200.00	200.00	0.00	250.00	125.00	125.00	126.79	0.00	126.79
8. हरियाणा	104.84	0.00	104.84	179.05	0.00	179.05	278.10	214.23	63.87
9. हिमाचल प्रदेश	101.09	70.77	30.32	70.56	35.28	35.28	45.08	32.49	12.59
10. जम्मू व कश्मीर	140.04	0.00	140.40	87.86	0.00	87.86	153.39	122.05	31.34
11. झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.31	199.13	142.18
12. कर्नाटक	520.43	498.67	21.76	461.14	461.14	0.00	164.51	164.51	0.00
13. केरल	400.62	731.37	000	298.28	253.03	45.25	414.50	632.99	0.00
14. मध्य प्रदेश	750.69	525.48	225.21	876.21	438.11	438.10	991.16	928.82	62.34
15. महाराष्ट्र	821.83	575.28	246.55	804.89	724.40	80.49	1483.07	1339.51	143.56
16. मणिपुर	65.00	45.50	19.50	52.98	8.96	44.02	68.39	48.08	20.31
17. मेघालय	70.00	35.00	35.00	57.48	0.00	57.48	22.04	9.09	12.95
18. मिजोरम	30.00	21.00	9.00	14.79	1.89	12.90	5.67	0.00	5.67
19. नागालैंड	48.00	0.00	48.00	39.84	0.00	39.84	133.60	118.33	15.27
20. उड़ीसा	451.17	315.82	135.35	527.98	527.98	0.00	1159.37	971.06	188.31
21. पंजाब	106.71	53.35	53.36	155.13	0.00	155.13	149.61	94.25	55.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	राजस्थान	387.52	193.76	193.76	478.23	223.35	254.88	1455.84	1285.23	170.61
23.	सिक्किम	40.00	28.00	12.00	14.70	7.45	7.25	5.64	2.82	2.82
24.	तमिलनाडु	679.56	496.39	183.17	567.17	538.82	28.35	1036.58	1016.66	19.92
25.	त्रिपुरा	120.00	24.00	96.00	92.92	0.00	92.92	289.29	253.66	35.63
26.	उत्तर प्रदेश	1594.99	1116.49	478.50	1962.33	567.28	1395.05	2318.23	2000.68	317.55
27.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.43	0.00	32.43
28.	पश्चिम बंगाल	304.21	304.21	0.00	852.60	0.00	852.60	1604.15	1300.03	304.12
29.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	4.88	0.00	4.88
30.	चण्डीगढ़	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादर व नागर हवेली	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	3.88	0.00	3.88
32.	दमन व दीव	5.00	3.50	1.50	5.00	0.00	5.00	0.77	0.00	0.77
33.	दिल्ली	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	2.31	0.00	2.31
34.	लक्षद्वीप	5.00	3.50	1.50	5.00	0.00	5.00	0.48	0.00	0.48
35.	पांडिचेरी	5.00	3.50	1.50	5.00	2.50	2.50	2.68	0.00	2.68

[हिन्दी]

जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां

395. श्री रामदास आठवले:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के गठन और कार्यकरण से संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को बंद करने और जिला पंचायतों को गठित करने का है;

(ग) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों से प्रत्येक वर्ष के दौरान और अब तक केन्द्र सरकार द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों पर राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च की गई और अब तक इसके अंतर्गत क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) जिला स्तर पर विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के निरीक्षण के लिए पारंपरिक रूप से मुख्य संस्था रही है। डीआरडीए को सुदृढ़ बनाने के लिए तथा इसे और अधिक पेशेवर तथा विशेष एजेंसी बनाने के लिए 1 अप्रैल, 1999 से डीआरडीए प्रशासन नामक एक अलग योजना शुरू की गई है। जिले में मौजूद ब्लॉकों की संख्या के आधार पर जिलों को चार श्रेणियों में बांटा गया है और श्रेणी के अनुसार आवश्यक स्टाफ बल का सुझाव दिया गया है। एक तरफ ग्रामीण विकास मंत्रालय के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रबंधन में सक्षम एक पेशेवर तथा विशेष एजेंसी के रूप में काम करने और इन्हें जिले में गरीबी उन्मूलन के समग्र प्रयास से प्रभावशाली ढंग से जोड़ने हेतु डीआरडीए की परिकल्पना की गई है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन की आयोजना के संबंध में, डीआरडीए अन्य सरकारी, गैर सरकारी, तकनीकी

तथा वित्तीय एजेंसियों के साथ समन्वय करती है ताकि कार्यक्रम का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया जा सके, क्षमता निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी के लिए समुदाय और ग्रामीण गरीबों को सक्षम बनाया जा सकें और दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन का निरीक्षण कर सकें और कार्यान्वयन संबंधी प्राधिकृत अधिकारी को इसकी सूचना दे सकें।

(ख) और (ग) प्रत्येक जिले की अपनी जिला ग्रामीण विकास एजेंसी होनी चाहिए जो अपनी अलग पहचान रखेगी और यह उम्मीद की जाती है कि इसका पंचायती राज संस्थाओं के साथ प्रभावी समन्वय होगा। वैसे राज्यों के संबंध में, जहां डीआरडीए को जिला पंचायत के साथ नहीं मिलाया गया है और इसकी एक अलग पहचान नहीं है, वहां जिला परिषद् के अंतर्गत एक अलग डीआरडीए प्रकोष्ठ है।

(घ) जिला ग्रामीण विकास एजेंसी प्रशासन योजना 1.4.99 से शुरू की गई है। 1.4.1999 से आज तक केन्द्र सरकार द्वारा जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों पर खर्च की गई राशि के राज्यवार ब्यौरों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इस योजना के डीआरडीए के प्रशासनिक खर्च को पूरा करने की योजना होने के कारण इसके अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं जिसके कारण ऐसी उपलब्धियों का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है।

विवरण

(लाख रु.)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय रिलीजें		
	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1 2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	489.30	944.12	486.08
2. अरूणाचल प्रदेश	211.55	351.21	134.23
3. असम	463.03	534.24	0.00
4. बिहार	1177.19	986.49	584.68
5. छत्तीसगढ़	–	458.31	285.38
6. गोवा	22.18	40.55	34.91
7. गुजरात	491.02	731.22	360.96
8. हरियाणा	332.00	476.15	244.37
9. हिमाचल प्रदेश	209.85	295.03	186.41
10. जम्मू व कश्मीर	271.95	322.78	197.59
11. झारखण्ड*	–	430.71	160.32
12. कर्नाटक	489.30	627.89	381.34
13. केरल	290.03	462.09	268.79
14. मध्य प्रदेश	898.42	1315.72	839.21
15. महाराष्ट्र	675.95	1096.54	597.88

1	2	3	4	5
16.	मेघालय	117.38	146.40	42.46
17.	मणिपुर	148.77	208.74	52.44
18.	नागालैंड	134.10	200.65	122.81
19.	मिजोरम	129.32	195.78	42.46
20.	उड़ीसा	606.00	1016.92	601.95
21.	पंजाब	318.70	453.56	285.38
22.	राजस्थान	597.47	1207.30	593.52
23.	सिक्किम	19.45	44.89	16.25
24.	तमिलनाडु	606.34	1020.88	602.34
25.	त्रिपुरा	76.77	115.07	64.11
26.	उत्तर प्रदेश	1701.98	1920.64	1365.25
27.	उत्तरांचल*		320.93	229.80
28.	पश्चिम बंगाल	391.37	462.70	233.87
29.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	41.86	48.30	0.00
30.	दादर व नागर हवेली	20.93	24.15	0.00
31.	दमन व दीव	20.93	24.15	0.00
32.	लक्षद्वीप	20.93	24.15	20.79
33.	पांडिचेरी	25.93	41.58	25.76
	योग	11000.00	16549.83	9061.34

*नवगठित राज्य

[अनुवाद]

समुद्र से औषधि

396. श्री नरेश पुगलिया: क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'समुद्र से औषधि' नामक कोई कार्यक्रम बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) अब तक इस कार्यक्रम पर कितनी धनराशि खर्च की गई है और वर्ष 2001-2002 हेतु कितना धन आबंटित किया गया है;

(घ) क्या समुद्र से औषधि प्राप्त करने की प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण व्यावसायिक उपयोग हेतु भेषजीय कंपनियों को करने के लिए कोई प्रयास किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां।

(ख) 10 सहभागी संस्थानों के साथ 'समुद्र से औषधियां' पर 1991 से प्रारम्भ राष्ट्रीय परियोजना में 1400 समुद्री जीवों व वनस्पतियों के 4000 नमूनों को उनके जीववैज्ञानिक कार्यकलापों के लिए एकत्र किया गया एवं उनका मूल्यांकन किया गया। इन नमूनों में से कई में इनसे प्राप्त विभिन्न अंशों में मधुमेहरोधी, अतिसाररोधी, हाइपरलिपिडेमिकरोधी इत्यादि जैसे मध्यम से लेकर प्रभावशाली चिकित्सीय कार्यकलाप पाये गये। तीन जीवों या सत्त का अन्तिम रूप आगे विकास किया गया। ये नीचे दिये गये हैं।

-सीडीआर-134डी-123	(मधुमेहरोधी)
-सीडीआर-134डी	-125 (अतिसाररोधी)
-सीयू002/004	(हाइपरलिपिडेमिकरोधी)

इन तीन नमूनों में बारंबार संग्रह के दौरान सक्रियता पाई गई एवं पंचवर्षीय योजना के दौरान विषाक्ता अध्ययन प्रारम्भ किए गए। उपर्युक्त पहले दो सम्पाकों पर कृन्तक विषाक्तता संबंधी अध्ययन पूरे कर लिए गये हैं एवं उन्हें पाया गया। ये विषाक्तता अध्ययन बंदरों पर प्रारम्भ किए गये हैं। तीसरे सम्पाक की विषाक्तता को जुलाई, 2001 में प्रारम्भ किया गया।

(ग) 1990-2001 के दौरान इस कार्यक्रम पर खर्च की गई कुल राशि 18.74 करोड़ रुपये है एवं वर्ष 2001-2002 के लिए 2.19 करोड़ रुपये प्रदान किए गये हैं।

(घ) और (ङ) औषधि विकास में 8-12 वर्षों का समय लगता है एवं विषाक्तता अध्ययन पूरे होने के पश्चात वाणिज्यिकरण किया जाता है। इस मामले में विषाक्तता अध्ययन वर्तमान में जारी हैं।

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवासों का निर्माण

397. **श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:**
श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया:
श्री सवशीभाई मकवाना:
श्री प्रभात सामन्तराय:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नौवीं योजना के दौरान विशेषकर गुजरात और उड़ीसा के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में आवासों के निर्माण के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार इन आवासों के निर्माण की गति से संतुष्ट है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा किया है; और

(छ) वर्ष 2000-2001 के दौरान अब तक कितनी निधियां राज्य-वार आबंटित/निर्गत की गई हैं और उनका कितना उपयोग हुआ है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) जी नहीं, तथापि इंदिरा आवास योजना के निष्पादन की राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त मासिक प्रगति रिपोर्टों के आधार पर समीक्षा की जाती है। मंत्रालय के क्षेत्र अधिकारी राज्यों का दौरा भी करते हैं और क्षेत्र में कार्यक्रम के वास्तविक कार्यान्वयन का निरीक्षण करते हैं। इसके अतिरिक्त जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा योजना के कार्यान्वयन की समय-समय पर उनकी बैठकों में समीक्षा की जाती है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक 74 लाख आवास निर्मित कराए गए हैं।

(ग) से (च) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत जिसमें गुजरात, उड़ीसा भी शामिल है, राज्य वार लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। ऐसा लगता है कि कुल मिलाकर इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निष्पादन संतोषजनक है।

(छ) वर्ष 2000-2001 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत राज्य वार आबंटित की गई/जारी की गई और प्रयुक्त निधियां संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-98 से 2001-2002) † £ के दौरान आई.ए.वाई. के अंतर्गत निर्मित आवासों की संख्या तथा लक्ष्य*

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवासों की संख्या	
		लक्ष्य	निर्मित
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	400642	339280
2.	अरूणाचल प्रदेश	15858	9127
3.	असम	367565	123954

1	2	3	4
4.	बिहार	1085118	555679
5.	छत्तीसगढ़	32499	17777
6.	गोवा	2376	1695
7.	गुजरात	119278	102285
8.	हरियाणा	42538	37700
9.	हिमाचल प्रदेश	18247	13144
10.	जम्मू व कश्मीर	25036	20555
11.	झारखण्ड	145426	41173
12.	कर्नाटक	220333	164047
13.	केरल	117257	64055
14.	मध्य प्रदेश	361577	344109
15.	महाराष्ट्र	395173	268310
16.	मणिपुर	18065	2972
17.	मेघालय	24801	4293
18.	नागालैंड	6018	4906
19.	मिजोरम	16574	16788
20.	उड़ीसा	335594	293583
21.	पंजाब	27141	23243
22.	राजस्थान	142437	147026
23.	सिक्किम	4351	3253
24.	तमिलनाडु	237866	229372
25.	त्रिपुरा	36146	27769
26.	उत्तर प्रदेश	855866	13775
27.	उत्तरांचल*	34792	590737
28.	पश्चिम बंगाल	418932	205451
29.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	2752	95
30.	दादर व नागर हवेली	1716	109
31.	दमन व दीव	600	42
32.	लक्षद्वीप	187	209
33.	पांडिचेरी	1722	1223
	कुल	5515483	3667817

* आंकड़े अनंतिम हैं।

† 2001-2002 के लिए लक्ष्य अर्थात् 12.94 लाख मकान शामिल है। 2001-2002 में निर्मित मकानों की अंतिम स्थिति केवल 2002-2003 (पहली तिमाही) में स्पष्ट हो जाएगी।

£ वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के लक्ष्यों में नए निर्माण और उन्नयन संबंधी लक्ष्य भी शामिल हैं।

विवरण-II

वर्ष 2000-2001 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवंटन रिलीज और उपयोग

(लाख रु. में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन			केन्द्रीय रिलीज	उपयोग
		केन्द्र	राज्य	कुल		
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	11036.00	3678.67	14714.67	11001.91	15165.63
2.	अरूणाचल प्रदेश	726.86	242.29	969.15	519.91	875.29
3.	असम	16354.79	5451.60	21806.39	8177.40	11991.24

1	2	3	4	5	6	7
4.	बिहार	29832.84	9944.28	39777.12	17866.73	26710.13
5.	छत्तीसगढ़	2045.34	681.78	2727.12	1874.67	3174.71
6.	गोवा	68.00	22.67	90.67	27.20	77.92
7.	गुजरात	3243.00	1081.00	4324.00	8143.00	4515.94
8.	हरियाणा	1171.00	390.33	1561.33	1151.94	2273.07
9.	हिमाचल प्रदेश	515.00	171.67	686.67	443.89	657.52
10.	जम्मू व कश्मीर	618.00	206.00	824.00	132.95	276.02
11.	झारखण्ड	8765.16	2921.72	11686.88	4203.16	5712.99
12.	कर्नाटक	5898.00	1966.00	7864.00	4203.28	7278.37
13.	केरल	3552.00	1184.00	4736.00	2445.22	3525.02
14.	मध्य प्रदेश	7137.66	2379.22	9516.88	6670.61	10514.75
15.	महाराष्ट्र	10585.00	3528.33	14113.33	9752.55	18391.11
16.	मणिपुर	866.65	288.88	1155.53	326.45	104.34
17.	मेघालय	1151.46	383.82	1535.28	498.65	521.95
18.	मिजोरम	276.42	92.14	368.56	251.97	412.90
19.	नागालैंड	743.31	247.77	991.08	660.31	676.80
20.	उड़ीसा	9154.00	3051.33	12205.33	31325.76	35098.49
21.	पंजाब	745.00	248.33	993.33	708.58	1200.44
22.	राजस्थान	3233.00	1077.67	4310.67	3924.66	5987.54
23.	सिक्किम	199.28	66.43	265.71	199.28	235.50
24.	तमिलनाडु	5846.00	1948.67	7794.67	5846.00	12638.44
25.	त्रिपुरा	1681.23	560.41	2241.64	1681.23	2271.33
26.	उत्तर प्रदेश	21347.67	7115.89	28463.56	18645.17	27925.52
27.	उत्तरांचल	2217.33	739.10	2956.43	1427.54	2299.80
28.	पश्चिम बंगाल	12064.00	4021.33	16085.33	9906.99	10420.74
29.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	129.00	0.00	129.00	129.00	7.94
30.	दादर व नागर हवेली	69.00	0.00	69.00	0.00	32.96

1	2	3	4	5	6	7
31.	दमन व दीव	27.00	0.00	27.00	11.15	0.04
32.	लक्षद्वीप	3.00	0.00	3.00	3.00	3.02
33.	पांडिचेरी	67.00	0.00	67.00	33.50	48.81
	कुल	161369.00	53691.33	215060.33	152193.66	210996.36

*आंकड़े अनंतिम हैं।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए कृतिक बल

398. श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए एक कृतिक बल का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी संरचना तथा अन्य ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

पेयजल/पर्यावरण स्वच्छता के लिए विश्व बैंक सहायता

399. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को विश्व बैंक से ग्रामीण जलापूर्ति/पर्यावरण स्वच्छता कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्यों से विशेषकर महाराष्ट्र से इन योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता की मांग के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, हां।

(ख) आर्थिक कार्य विभाग तथा सहायता, लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रक से उनकी बैवसाइट एच टी टी पी/एफ आई एन एम आई एन आई सी आई एन/सी ए.ए.ए. के जरिए प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार ग्रामीण पेयजल तथा पर्यावरण स्वच्छता परियोजनाओं के लिए प्राप्त की गई विश्व बैंक सहायता की राज्यवार जानकारी नीचे दी गयी है:-

राज्य	परियोजना का नाम	विश्व बैंक से प्राप्त सहायता
महाराष्ट्र	दा महाराष्ट्र ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता परियोजना (परियोजना जून, 1998 में पूरी हुई)	एस डी आर 69.4 मिलियन
कर्नाटक	दा कर्नाटक समेकित ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता परियोजना सितम्बर, 2000 को पूरी हुई	368.373 करोड़ रु.
उत्तर प्रदेश (अविभाजित)	दा यू.पी. ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता परियोजना	84.566 करोड़ रु. (31.5.2001 तक)
केरल	केरल ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता परियोजना	यू एस डालर 19360 (परियोजना तैयारी सुविधा अनुदान)

(ग) जी, हां।

(घ) महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों से प्राप्त ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता परियोजनाओं के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता परियोजनाओं के प्रस्तावों के राज्यवार ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	राज्य अनुमानित परियोजना लागत (लाख रु. में)	डी ई ए द्वारा विश्व बैंक को भेजी गई तारीख	स्थिति
2		3	4	5	6
.	आंध्र प्रदेश	समेकित ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता परियोजना	94500.00	15.4.99	विश्व बैंक ने राज्य सरकार से परियोजना को संशोधित करने का आग्रह किया है।
.	कर्नाटक	कर्नाटक ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता परियोजना-2	157500.00	25.5.99	राज्य सरकार से विश्व बैंक तैयारी मिशन द्वारा सुझाए अनुसार परियोजना को अंतिम रूप देते समय महत्वपूर्ण कार्यान्वयन मुद्दे बताने का आग्रह किया गया है।
3.	मध्य प्रदेश	ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता परियोजना	4231.05	1.12.98	राज्य सरकार से विश्व बैंक के सुझाव अनुसार छोटी प्रायोगिक परियोजना के बदले बड़े आकार की परियोजना बनाने का आग्रह किया गया है।
4.	महाराष्ट्र	विश्व बैंक सहायता से 15 जिलों में ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता में क्षेत्र सुधार का प्रस्ताव	163723.00	–	राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव ''संक्षिप्त नोट'' के रूप में था। राज्य सरकार से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने तथा प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया है।
5.	नागालैंड	पाग्हो बोटो मुख्यालय तथा इर्द गिर्द के सात गांवों के लिए स्वच्छ पेयजल आपूर्ति तथा स्वच्छता	1605.412	–	योजना आयोग की मंजूरी मांगी गई है। राज्य सरकार से प्रति व्यक्ति की उच्च लागत के पहलु की जांच तथा विस्तृत आकलन तैयार करने का आग्रह किया गया है।
6.	तमिलनाडु	ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तमिलनाडु जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना	50000.00	1.12.98	डी ई ए ने राज्य सरकार को लिखा है कि इस बात की पुष्टि करें कि क्या वे परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य योजना में पर्याप्त योजना प्रावधान बनाएंगे।

1	2	3	4	5	6
7.	तमिलनाडु	होगनाकल जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना	78800.00	1.6.99	क्रम सं. 6 पर परियोजना प्रस्ताव के भाग के रूप में सिफारिश
8.	उत्तरांचल	उत्तरांचल में ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सेवाओं को सुधारने के लिए प्रस्ताव	50000.00	–	प्रस्ताव एक पत्र के रूप में था राज्य सरकार से जिनेरिक परियोजन संकल्पना दस्तावेज के अनुरूप परियोजन रिपोर्ट बनाने का आग्रह किया गय है।

[अनुवाद]

''कपार्ट'' द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को स्वीकृत परियोजनाएं

400. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान कपार्ट द्वारा ग्रामीण प्रौद्योगिकी, विपणन, ग्रामश्री मेला, मीडिया तथा ग्रन्थालय योजनाओं के अंतर्गत जिन गैर-सरकारी संगठनों की परियोजनाएं स्वीकृत की गई थी उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन योजनाओं के अंतर्गत परियोजनावार और गैर-सरकारी संगठन-वार कितनी धनराशि स्वीकृत/निर्गत की गई और कितनी धनराशि का उपयोग किया गया?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उर्वरक रियायत योजना

401. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:**
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 अप्रैल, 2001 के ''फाइनेंशियल एक्सप्रेस'' में फ्रैश गाइडलाइन्स सून ऑन फर्टिलाइजर कन्सेशन स्कीम्स शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब तक लागू किए जाने की सम्भावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) जी, हां। नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटिक तथ पोटाशिक उर्वरकों के लिए रियायत से संबंधित समस्याओं/शिकायतं के निवारण के लिए उर्वरक विभाग द्वारा दिनांक 17.5.2001 कं दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं जिनमें रियायत योजना के तह नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों की बिक्री के संबं में भुगतान/वसूलियों के लिए बिलों के प्रस्तुतीकरण हेतु संशोधि पद्धति का उल्लेख किया गया है। दावों पर कारवाई में तेजी ला और बिक्री तथा रियायत जारी करने के बीच लगने वाले समय मं कमी करने के लिए बिक्री प्रमाणन की पद्धति को युक्तिसंग बनाया गया है। यह संशोधित पद्धति दिनांक 1.4.2001 से की गयं नियंत्रणमुक्त उर्वरकों की बिक्री पर लागू है। इसके अलावा, सिंग सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) उद्योग में भ्रष्टाचार को रोकने की दृषि से, एसएसपी एककों का पहली बार और छमाही निरीक्षण करं हेतु एक तकनीकी लेखा परीक्षा और निरीक्षण सेल (टीएसी) क गठन किया गया है। टीएसी द्वारा निरीक्षण की व्यवस्था वाली य पद्धति दिनांक 1.6.2001 से की गयी एसएसपी की बिक्री पर ला है। संशोधित दिशा-निर्देशों का सम्पूर्ण मूल पाठ इंटरनेट (एचटीटीपी //एफईआर. एनआईसी. ईन). पर भी उपलब्ध है।

रक्षित विद्युत संयंत्र

402. श्री प्रभात सामन्तराय: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने कं कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के अपने रक्षि विद्युत संयंत्र हैं;

(ख) यदि हां, तो इन रक्षित विद्युत संयंत्रों में से किसी संयं का विस्तार किया जा रहा है;

(ग) इसके लिए निर्धारित निधि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में बनाई गई विस्तार योजना का ब्यौरा क्या ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

बालिकाओं के लिए कल्याण योजना

403. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 1990 के दशक के दौरान कार्यान्वित बालिका दक्षेस दशक ने भारतीय किशोर बालिका (11-17 वर्ष के आयु वर्ग) को पहले से भी बदतर स्थिति में रखा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(ग) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यह योजना 2000 क्षयनित एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं में लागू की गई थी;

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना में इस योजना को उपयुक्त ना से लागू नहीं किए जाने के प्रमुख कारण क्या हैं; और

(ङ) इस योजना को उपयुक्त रूप से लागू करने और नौवीं जना के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम ाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मित्रा महाजन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु 'किशोरी शक्ति योजना' नामक एक स्कीम का नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान वर्ष 2000 में अनुमोदन किया गया था। यह योजना समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) स्कीम के अंतर्गत आने वाले 2000 विकास खण्डों में स्वीकृत की गई है। इस स्कीम को राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है।

(ङ) स्कीम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश भेजे जा चुके हैं और निधियां भी निर्मुक्त की जा चुकी है।

कोयला क्षेत्र के संबंध में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

404. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने अपनी मार्च, 2000 की रिपोर्ट में विशेषकर साऊथ-ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि., वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. तथा कोल इंडिया के संदर्भ में लाभ में अत्यधिक कमी पायी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) इन भारी घाटों के लिए उत्तरदायी पदाधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई या की जानी प्रस्तावित है; और

(घ) भविष्य में इन कोयला कंपनियों द्वारा ऐसे भारी घाटों से बचने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही/की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) कोल इंडिया लि. की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा 1999-2000, खंड-2 में दिए गए ब्यौरे के अनुसार, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक (सी एण्ड ए जी) ने साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के लेखों में कुछ टिप्पणियां की थी, जिसके द्वारा 100.61 करोड़ रु. का अतिरिक्त प्रावधान किया जाना था जिसमें अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन/मजदूरी में क्रमशः दिनांक 1.1.97 तथा 1.7.96 से संशोधन किए जाने के कारण किया गया 98.06 करोड़ रु. का तदर्थ प्रावधान शामिल था। इसके परिणामस्वरूप कंपनी के कर-पूर्व लाभ में 100.60 करोड़ रु. की कमी आई।

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के संबंध में, 31.3.2000 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के अनुपालन में, समझौता ज्ञापन/करार को अंतिम रूप दिया जाना लंबित होने के कारण वेतन संशोधन के तहत 8022.80 लाख रु. तथा मूल्य ह्रास आदि के तहत 58.41 लाख रु. की राशि का प्रावधान करना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप कर पूर्व लाभ में 8163.22 लाख रु. की कमी आई। इसके अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों के फलस्वरूप लेखों में किए गए संशोधन के कारण वर्ष 1999-2000 के दौरान कोल इंडिया लि. के लाभ में 1848.88 लाख रु. की कमी आई है।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनियों द्वारा अपनी वार्षिक सामान्य बैठक में वार्षिक लेखों को अंगीकृत करने से पूर्व भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा इनकी लेखा-परीक्षा की जाती है। अत: वार्षिक लेखों के अंगीकरण से पूर्व, सी एण्ड ए जी की टिप्पणियों के आधार पर कंपनियों के वार्षिक लेखों में संशोधन किया जाना एक प्रक्रियात्मक आवश्यकता है। ये संशोधन, चूंकि कुछ प्रावधानों को शामिल किए जाने के कारण होते हैं, अत: इनमें कोई अनियमितता नहीं होती है और इसलिए, इस मामले में किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(घ) कथित घाटे प्रचालन में होने वाले घाटे नहीं हैं। ये प्रावधान स्वीकृत लेखा प्रक्रियाओं के कारण करने पड़े। अत: इस मामले में सरकार की भूमिका सीमित है।

विदेशों में भारतीय संस्कृति, धरोहर और भाषाओं को प्रोत्साहन

405. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनिवासी भारतीयों के लाभार्थ विदेशों में भारतीय संस्कृति और धरोहर को प्रोत्साहित करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा विदेशों में भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) विदेश मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के संबंध में उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है जिसका कार्य अन्य बातों के साथ-साथ भारत और विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के बीच पारस्परिक संबंधों को मजबूत बनाने में संस्कृति एवं शिक्षा की भूमिका का अध्ययन करना है। समिति ने संबंधित मंत्रालयों से अनुरोध किया है कि विशेषज्ञ दल गठित करें जो भारत व विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के बीच सांस्कृतिक एवं शैक्षिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए तौर-तरीकों की सिफारिश करेंगे।

इसके अलावा, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के कई सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना त्रिनीडाड एवं टोबेगो, मारीशस, गयाना, सूरीनाम, यू.के., श्रीलंका आदि जैसे देशों में की गई है जहां अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के लोग पर्याप्त संख्या में रह रहे हैं। इन केन्द्रों के प्रमुख कार्यकलाप भारतीय संगीत/नृत्य/ भारतीय भाषाएं/योग आदि में प्रशिक्षण देना है। भारतीय मूल के कई व्यक्तियों को परिषद् की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थाओं ने भारतीय कला एवं संस्कृति का अध्ययन करने के लिए विभिन्न छात्रवृत्तियां प्रदान की गयी हैं।

(ग) भारत सरकार भारतीयों तथा विदेशियों एवं अनिवासी भारतीयों के लाभार्थ पत्राचार पाठ्यक्रम और आन-लाइन भाषा अध्ययन कार्यक्रम चलाती है। भारतीय भाषा की पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है और ये पत्रिकाएं सूचना तथा प्रचार के लिए विदेश स्थित हमारे मिशनों को नियमित रूप से भेजी जाती है। कुछ द्विभाषी/त्रिभाषी शब्दकोश तैयार किए गए हैं तथा और भी शब्दकोश प्रकाशित किए जा रहे हैं। केन्द्रीय हिन्दी संस्थान तथा केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान में विदेशियों के लिए दीर्घकालीन गहन भारतीय भाषा पाठ्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन भारत तथा विदेशों में आयोजित किए जाते हैं। संस्कृत पर पिछला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अप्रैल, 2001 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तत्पश्चात् मई 2001 में बैंकॉक में संस्कृत सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें भारत तथा विश्व के अनेक भागों से बड़ी संख्या में प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् विदेशों में भारतीय अध्ययन पीठों का संचालन कर रही है और इसने हंगरी, मारिशस, रूस, दक्षिण कोरिया, पोलैंड, ट्रिनीडाड एवं टोबेगो, चीन, बल्गारिया, टर्की, रोमानिया, थाइलैंड, फ्रांस, किरगिस्तान, सूरीनाम और उजबेकिस्तान में हिन्दी, संस्कृत, तमिल, आधुनिक भारतीय इतिहास एवं भारतीय सभ्यता, पढ़ाने के लिए प्रोफेसरों को भेजा है।

[हिन्दी]

भारत-नीदरलैंड परियोजना

406. श्री रामदास आठवले: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में नीदरलैंड की भागीदारी/सहायता से विकास कार्य चलाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नीदरलैंड की सहायता से ऐसे विकास कार्यों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस परियोजना के अंतर्गत निधियों के उपयुक्त उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

विवरण

नीदरलैंड की सहायता/भागीदारी से कतिपय राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू किए जा रहे विकास कार्यों के बारे में राज्यवार ब्यौरे

(आंकड़े एन.एल.जी. मिलियन में हैं)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	सहमति की तारीख/अंतिम तारीख	सहायता राशि
1.	ए.पी. ग्राउंडवाटर बोरवैल, इरीगेशन योजना, आंध्र प्रदेश	14.11.94/31.3.2002	26.847
2	ट्रेनिंग वूमैन इन एग्रीकल्चर फेस-2, गुजरात	9.12.97/30.6.2002	6.611
3	गोधा रूरल वाटर सप्लाई एंड सेनीटेशन, गुजरात	4.8.97/3.8.2002	19.369
4.	महिला समखिया प्रोग्राम (गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय क्षेत्र परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।)	31.10.94/31.12.2002	30.295

[अनुवाद]

तमिलनाडु में केन्द्रीय मंत्रियों की गिरफ्तारी

407. **श्री नरेश पुगलिया:**
श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्री निखिल कुमार चौधरी:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और दो कैबिनेट मंत्रियों को तमिलनाडु पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या आरोप थे;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने उनकी गिरफ्तारी के संदर्भ में एक केन्द्रीय दल तमिलनाडु भेजा था;

(ङ) यदि हां, तो केन्द्रीय दल द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने इस रिपोर्ट की जांच कर ली है;

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/की जानी प्रस्तावित है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ज) तमिलनाडु राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री श्री एम. करूणानिधि को भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम, 1988 के अधीन 9 फ्लाईओवरों के निर्माण में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार से लगभग 12 करोड़ रुपये की कुल हानि पहुंचाने के कथित आरोपों में, 29/30 जून 2001 के बीच की रात को गिरफ्तार किया गया था। श्री मुरासोली मारन और श्री टी.आर. बालू दोनों भारत सरकार के केबिनेट मंत्रियों को पुलिस कार्य में रूकावट पैदा करने और ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों पर हमला करने के कथित आरोप में गिरफ्तार किया गया था। चेन्नै से प्राप्त परस्पर-विरोधी रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए 30 जून, 2001 को एक केन्द्रीय दल चेन्नै भेजा गया। केन्द्रीय दल की रिपोर्ट में उन परिस्थितियों का वर्णन हैं जिनमें श्री एम. करूणानिधि और दो केन्द्रीय मंत्रियों और एक विशिष्ट राजनितिक दल के सदस्यों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी की गई है। सरकार ने अन्य रिपोर्टों के साथ-साथ केन्द्रीय दल की रिपोर्टे की जांच की है और तत्पश्चात् राज्य सरकार को समुचित पत्र जारी किया।

हिन्दुस्तान स्टील कारपोरेशन लिमिटेड

408. श्री सुनील खां: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील कारपोरेशन लिमिटेड के लंबित वेतनमान अब भी वित्त मंत्रालय में मंजूरी के लिए लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हिन्दुस्तान स्टील कारपोरेशन लिमिटेड का विपणन विभाग दुर्गापुर स्टील संयंत्र बी.एफ.-3 में एल-2 बनने में विफल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को निविदा देने हेतु स्थानीय इकाई के शामिल ने रहने के क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) जी, हां। सांविधिक देयताओं और लंबे समय से बकाया वेतन के निपटान के लिए 182.28 करोड़ रुपए का गैर-योजना ऋण मंजूर करने का इस्पात मंत्रालय का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय में निर्णय के लिए लंबित है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। उक्त निविदा में हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एच एस सी एल) की स्थिति एल-2 थी। एच एस सी एल की स्थानीय इकाई निविदा की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल थी।

[हिन्दी]

महिला और बाल विकास योजना में शामिल किए गए जिले

409. श्री अमीर आलम: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में महिला और बाल विकास योजना के अंतर्गत अब तक राज्य-वार कितने जिले शामिल किए जा चुके हैं; और

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत विशेषकर उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को शामिल किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) महिला एवं बाल विकास विभाग देश में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए अनेक स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है। तथापि, 'महिला और बाल विकास योजना' नामक कोई स्कीम नहीं चलायी जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नीदरलैंड से सहायता प्राप्त करने हेतु समझौता

410. श्री के. येरननायडू: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में हैदराबाद को हरा-भरा बनाए जाने के लिए सहायता प्राप्त करने हेतु नीदरलैड की सरकार के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजना के कब तक आरंभ होने और इसके पूरा होने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) भारत सरकार ने 'ग्रीन हैदराबाद कार्यक्रम 2001-2005' के मुख्य चरण की तैयारी के लिए 'ग्रीन हैदराबाद कार्यक्रम' के प्रारंभिक चरण के लिए दिनांक 12.04.2001 को रॉयल नीदरलैंड सरकार के साथ 6.482 मिलियन उच गिल्डर्स की धनराशि के अनुदान समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ।

परियोजना का उद्देश्य सतत बायोमास प्रबंधन को मजबूत करना, समेकित झील अभिक्रिया को शुरू करना तथा संरक्षित करना, शहरी परती भूमि के विकास को तेज करना, समग्र पर्यावरणीय उद्देश्य के ढांचे के अंदर गरीबी के उपशमन में योगदान करना, लिंग समानता एवं अधिकार इत्यादि को प्रोत्साहित करना है ।

शुरूआती चरण अवधि अक्टूबर 2000 से जून, 2001 है । तथापि, इसे 30.9.2001 तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है।

विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान गतिविधियां

411. **श्री ए. नरेन्द्र:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान गतिविधियों के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं करा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस उद्देश्य हेतु और अधिक धनराशि उपलब्ध कराने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान गतिविधियों के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान गतिविधियों के लिए वर्षवार पृथकत: कितनी धनराशि उपयोग की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

अरबी मदरसे

412. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** 24.4.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5537 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संबंधित सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यह सूचना कब तक एकत्रित कर ली जाएगी;

(ग) क्या सरकार इन मदरसों को मान्यता और कोई आर्थिक सहायता देती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो मदरसे किस वित्तीय स्रोत पर निर्भर हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) महाराष्ट्र राज्य सरकार से सूचना भेजने के लिए अनुरोध किया गया है। इसकी अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है।

(घ) राज्य सरकारों को उनके द्वारा सिफारिश किए गए मदरसों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इनके ब्यौरे का केन्द्रीय रूप से रखरखाव नहीं किया जाता है।

[अनुवाद]

शहरी नवीकरण और इंजीनियरी प्रौद्योगिकी

413. **श्री रामशेठ ठाकुर:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरी नवीकरण और इंजीनियरी के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए सूचना, पूर्वानुमान और आकलन परिषद् तथा हुडको के बीच किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पहले चरण में उक्त परियोजना को शुरू किए जाने के लिए किन शहरों की पहचान की गई है; और

(घ) इस परियोजना को कब तक शुरू किए जाने की सम्भावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) जी, हां।

(ख) प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद् (टाइफैक) "मिशन फार एप्लिकेशन आफ अर्बन रिन्युअल एण्ड इंजीनियरिंग" (एम ए टी यू आर ई) शीर्षक से भारत सरकार-यू एन डी पी का एक सह-कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। इस मिशन में देश के अंतर्गत चन्द शहरों/कस्बों में उपयुक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए शहरी नवजीवन प्रक्रिया का उत्प्रेरण करने की परिकल्पना की गई है। इस मिशन में सम्बद्ध नागरिक निकाय, समुदाय तथा अन्य इच्छुक एजेंसियों के साथ गहन-सहयोग करना शामिल है। मिशन का त्वरित एवं प्रभावकारी तरीके से कार्यान्वयन करने के लिए टाइफैक तथा हुडको के बीच एक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर कर लिए गए हैं।

(ग) इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए अब तक जिन शहरों/स्थलों का पता लगाया गया है, वे हैं नई दिल्ली, अल्मोड़ा और मुम्बई स्थित एक स्थान। और भी शहरों/स्थलों का पता लगाए जाने की आवश्यकता है।

(घ) चुने हुए शहरों/स्थलों पर आरम्भिक भूमि संबंधी कार्य तथा परियोजना निरूपण संबंधी गतिविधि पहले ही आरम्भ की जा चुकी हैं। स्थलों पर निदर्शन परियोजनाओं की शुरुआत चार से छः माह के अन्दर होने की सम्भावना है।

राजीव गांधी पेयजल मिशन

414. **श्री वाई.वी. राव:**
श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल):

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सहित राज्यों में विशेषकर आदिवासी पिछड़े और ग्रामीण इलाकों में, राजीव गांधी पेयजल मिशन (आर.जी.डी.डब्ल्यू.एम.) के अंतर्गत सभी योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्यवार कितने गांवों को सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या पेयजल की गंभीर समस्या को देखते हुए आर जी डी डब्ल्यू एम के अंतर्गत धन जारी करने के लिए विभिन्न राज्यों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और आज की तारीख तक आर.जी.डी.डब्ल्यू.एम. के अंतर्गत राज्यवार कितना धन आबंटित किया गया है; और

(छ) आर.जी.डी.डब्ल्यू.एम. के अंतर्गत रोजगार मुहैया कराने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) पेयजल आपूर्ति राज्यों का विषय होने के नाते ग्रामीण क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति सुविधाएं मुहैया कराने वाली योजनाएं राज्यों द्वारा उनके निजी संसाधनों से चलायी जाती हैं। भारत सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम और प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना-ग्रामीण पेयजल घटक के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में मदद करती है। राज्य सरकारों को अपनी-अपनी पेयजल आपूर्ति योजनाएं तैयार करने, उन्हें स्वीकृत करने और कार्यान्वित करने की शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी गई हैं।

इसके अलावा, ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम व्यापक स्वरूप का कार्यक्रम है। समाज के सभी वर्ग बसावट में अपनी आबादी के अनुपात के अनुसार योजनाओं से लाभ प्राप्त करते हैं। तथापि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कवरेज में तेजी लाने के लिए महाराष्ट्र सहित राज्यों से त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की निधियों का कम से कम 25 प्रतिशत और 10 प्रतिशत क्रमशः अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पेयजल आपूर्ति हेतु निर्धारित करने और इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है।

राज्यों से प्राप्त अद्यतन जानकारी के अनुसार 1.4.2000 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण बसावटों के कवरेज की स्थिति संलग्न विवरण-I में दी गई है। वर्ष 2001-2002 के दौरान ग्रामीण बसावटों के कवरेज संबंधी राज्यवार अनन्तिम लक्ष्य संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) जी हां, पेयजल की विकट समस्या के मद्देनजर कुछ राज्यों ने अतिरिक्त निधियों के लिए अनुरोध किया था। वर्ष 2000-2001 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात को वहां आए भूकम्प के मद्देनजर उत्पन्न ग्रामीण पेयजल समस्या से निपटने और राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की कमी से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए उनके आबंटन के अतिरिक्त 100 करोड़ रुपए जारी किए गए। इसके अलावा, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तरांचल राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की कमी की वजह से उत्पन्न विकट समस्या के मद्देनजर, भारत सरकार ने एक बार के उपाय के रूप में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम से संबंधित दिशा निर्देशों में निर्धारित प्राथमिकताओं में इस बावत छूट दी है कि वार्षिक आबंटन के अनुसार त्वरित

ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी की गई निधियों को इन राज्यों में पेयजल की कमी से प्रभावित क्षेत्रों में चल रही ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं की मरम्मत करने, जीर्णोद्धार करने, पुनरुद्धार करने, बहाल करने और उन्हें बदलने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। यह छूट 30.6.2001 तक लागू थी। इसी प्रकार की छूट प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना-ग्रामीण पेयजल घटक में भी दी गई।

(च) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम निधियों के राज्यवार आबंटन से संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(छ) पेयजल आपूर्ति योजनाएं रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यान्वित नहीं की जा रही है। इसलिए, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार मुहैया कराने के लिए कोई भी मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है।

विवरण-I

20.7.2001 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1.4.2001 को ग्रामीण बसावटों के स्तर को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1.4.2001 की स्थिति (अनंतिम)			
		कवर न की गई	आंशिक रूप से कवर की गई	पूर्णत: कवर की गई	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0	18583	51149	69792
2.	अरूणाचल प्रदेश	403	995	2900	4298
3.	असम	801	22314	47554	70669
4.	बिहार	2	2	105336	105340
5.	छत्तीसगढ़	402	817	49160	50379
6.	गोवा	11	46	339	396
7.	गुजरात	255	2685	27329	30269
8.	हरियाणा	0	193	6552	6745
9.	हिमाचल प्रदेश	1593	11658	32116	45367
10.	जम्मू व कश्मीर	2348	3726	5110	11148
11.	झारखण्ड	497	119	99480	100096
12.	कर्नाटक	35	21479	35168	56682
13.	केरल	805	6956	2002	9763
14.	मध्य प्रदेश	127	0	109362	109489
15.	महाराष्ट्र	2256	26120	57554	85930
16.	मणिपुर	28	364	2399	2791

1	2	3	4	5	6
17.	मेघालय	549	920	7170	8639
18.	मिजोरम	0	525	386	911
19.	नागालैंड	393	596	536	1525
20.	उड़ीसा	34	119	113946	114099
21.	पंजाब	1792	3123	8534	13449
22.	राजस्थान	6908	19545	67493	93946
23.	सिक्किम	0	472	1207	1679
24.	तमिलनाडु	0	4934	61697	66631
25.	त्रिपुरा	287	711	6414	7412
26.	उत्तर प्रदेश	32	126	243475	243633
27.	उत्तरांचल	325	1175	29508	31008
28.	पश्चिम बंगाल	0	17809	61227	79036
29.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	0	141	363	504
30.	दादर व नागर हवेली	46	243	227	510
31.	दमन व दीव	0	1	31	32
32.	दिल्ली	0	0	219	219
33.	लक्षद्वीप	0	10	0	10
34.	पांडिचेरी	40	84	143	267
35.	चण्डीगढ़	0	0	18	18
	कुल	19969	166591	1236104	1422664

विवरण-II

वर्ष 2001-2002 के दौरान ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण बसावटों के कवरेज हेतु राज्यवार अनंतिम लक्ष्य

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण बसावटें		
		कवर न की गई	आंशिक रूप से कवर की गई	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0	5500	5500
2.	अरूणचाल प्रदेश	350	300	650

1	2	3	4	5
3.	असम	623	3500	4123
4.	बिहार	2	2	4
5.	छत्तीसगढ़	402	817	1219
6.	गोवा	11	39	50
7.	गुजरात	200	1000	1200
8.	हरियाणा	0	193	193
9.	हिमाचल प्रदेश	1000	1400	2400
10.	जम्मू व कश्मीर	1200	800	2000
11.	झारखण्ड	421	100	521
12.	कर्नाटक	35	4990	5025
13.	केरल	500	1100	1600
14.	मध्य प्रदेश	127	0	127
15.	महाराष्ट्र	1200	7800	9000
16.	मणिपुर	28	364	392
17.	मेघालय	300	200	500
18.	मिजोरम	0	500	500
19.	नागालैंड	185	100	285
20.	उड़ीसा	34	199	153
21.	पंजाब	1000	800	1800
22.	राजस्थान	3000	8000	11000
23.	सिक्किम	0	350	350
24.	तमिलनाडु	0	4934	4934
25.	त्रिपुरा	287	711	998
26.	उत्तर प्रदेश	32	126	158
27.	उत्तरांचल	300	1000	1300
28.	पश्चिम बंगाल	0	7750	7750
29.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	0	50	50
30.	दादर व नागर हवेली	46	50	96

1	2	3	4	5
31.	दमन व दीव	0	1	1
32.	दिल्ली	0	0	0
33.	लक्षद्वीप	0	10	10
34.	पांडिचेरी	30	40	70
35.	चण्डीगढ़	0	0	0
	कुल	11313	52646	63959

विवरण-III

वर्ष 1998-99, 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार आवंटन को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	99.91	91.43	116.00	130.44
2.	अरूणाचल प्रदेश	36.23	24.76	43.65	44.76
3.	असम	61.20	41.80	73.72	75.61
4.	बिहार	111.69	93.80	46.61	72.74
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	15.80	38.77
6.	गोवा	2.84	3.53	14.04	14.55
7.	गुजरात	58.61	60.29	70.85	78.37
8.	हरियाणा	21.91	18.84	19.43	22.00
9.	हिमाचल प्रदेश	19.67	22.76	50.91	55.52
10.	जम्मू व कश्मीर	55.15	63.81	87.88	98.96
11.	झारखण्ड	0.00	0.00	47.19	36.19
12.	कर्नाटक	91.77	84.02	103.50	124.14
13.	केरल	46.73	43.08	57.46	63.31
14.	मध्य प्रदेश	110.63	94.45	95.29	88.77
15.	महाराष्ट्र	133.01	136.14	169.34	191.59

1	2	3	4	5	6
16.	मणिपुर	13.30	9.07	14.75	16.43
17.	मेघालय	14.25	9.74	17.16	17.60
18.	मिजोरम	10.18	6.96	12.26	12.57
19.	नागालैंड	10.58	7.24	12.75	13.08
20.	उड़ीसा	52.36	48.48	62.13	65.22
21.	पंजाब	16.69	17.21	23.83	22.77
22.	राजस्थान	109.55	126.76	163.61	187.05
23.	सिक्किम	4.34	4.61	6.50	5.36
24.	तमिलनाडु	79.23	65.35	73.08	79.56
25.	त्रिपुरा	12.62	8.62	15.21	15.59
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	23.04	33.56
27.	उत्तरांचल	185.38	147.75	124.72	132.69
28.	पश्चिम बंगाल	71.70	70.08	78.95	87.73
29.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	0.13	0.13	0.13	0.13
30.	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादर व नागर हवेली.	0.13	0.13	0.07	0.07
32.	दमन व दीव	0.13	0.13	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.05	0.00	0.05	0.05
34.	लक्षद्वीप	0.13	0.13	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	0.05	0.05	0.05	0.05
	कुल	1436.15	1301.15	1639.96	1825.23

टिप्पणी: छत्तीसगढ़, झारखण्ड और उत्तरांचल राज्य वर्ष 2000-2001 में बनाए गए थे।

कालेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा स्तर को बेहतर बनाने संबंधी उपाय

415. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के कालेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा स्तर को बेहतर बनाने के उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने कालेजों/विश्वविद्यालयों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदण्डों को पूरा नहीं किया है; और

(घ) सरकार ने ऐसे कालेजों/विश्वविद्यालयों पर रोक लगाने के लिए क्या कार्यवाही की है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में मानकों के निर्धारण तथा उन्हें बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया है। इस दायित्व को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने समय-समय पर विनिमय तैयार किए हैं यथा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता, शिक्षण के न्यूनतम स्तर आदि। इसके अलावा स्तरीय अनुसंधान और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए आयोग द्वारा कई योजनाएं भी बनाई गई हैं।

[हिन्दी]

पुस्तकालय विज्ञान में शिक्षा

416. **श्री सुबोध राय:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** पुस्तकालय विज्ञान में शिक्षा के बारे में 19 दिसम्बर, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4673 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सूचना कब तक एकत्रित कर लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) जी नहीं। इस मामले पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ पत्र-व्यवहार चल रहा है तथा सूचना यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जाएगी।

[अनुवाद]

टी.आई.एफ.ए.सी. द्वारा चलायी गई नई परियोजनाएं

417. **श्री पवन कुमार बंसल:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टैक्नोलोजी इन्फार्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट सेन्टर द्वारा कुछ नई परियोजनाएं चलाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जय विज्ञान मिशन के अन्तर्गत शामिल कौन-कौन से राज्य हैं और इन राज्यों में उनके द्वारा अब तक क्या कार्यकलाप किए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) जी, हां।

(ख) विवरण-I संलग्न है।

(ग) देश भर में विभिन्न राज्यों में इक्कीस जय विज्ञान राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन है।

आरम्भ की गई गतिविधियां संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

क्र. सं.	परियोजना का शीर्षक	शामिल राज्य	अध्ययन के लक्ष्य/क्षेत्र	कुल परियोजना लागत (लाख रुपये में)	अवधि	अब तक की प्रगति	अन्य तत्संबंधी जानकरी
1	2	3	4	5	6	7	8
कृषि*							
1.	बिहार परियोजना	बिहार	कुल प्रणाली उपगमन प्रौद्योगिकियों के माध्यम से क्षेत्र की कृषि उत्पादकता को सुधारना, मृदा परीक्षण, वर्षा संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण, विद्यमान प्रबन्धन प्रक्रियाओं इत्यादि पर आधारित बैच मार्क	34.60		प्रगतिरत है	

1	2	3	4	5	6	7	8
			सर्वेक्षण को सम्पन्न करने के बाद परियोजना का डिजाइन तैयार कर लिया गया है।				
2.	देवरिया परियोजना	उत्तर प्रदेश	-तदैव-	13.00		प्रगतिरत है	
3.	कांचीपुरम परियोजना	तमिलनाडु	-तदैव-	10.00		प्रगतिरत है	
4.	उड़ीसा परियोजना	उड़ीसा	मुख्य परियोजना का उद्देश्य लघु जल स्रोतों का सृजन, कुल प्रणाली उपगमन प्रौद्योगिकियों का अनुसरण करके क्षेत्र की कृषि उत्पादकता को सुधारने के लिए सृजित जल संसाधनों का समुपयोजन करना है।	22.99		प्रगतिरत है	
5.	एन ए एफ परियोजना	तमिलनाडु	ग्रामीण जीवन शैली के स्तर को सुधारना तथा रोजगार के अवसर बढ़ाना। विभिन्न फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म पौष्टिक तत्वों के प्रभाव का भी अध्ययन किया जाएगा।	56.44		प्रगतिरत है	
6.	सिक्किम परियोजना	सिक्किम	कुल प्रणाली उपगमन प्रौद्योगिकियों को अपनाते हुए क्षेत्र की कृषि उत्पादकता को सुधारना। मृदा परीक्षण, वर्षा संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण, विद्यमान प्रबन्धन प्रक्रियाओं इत्यादि पर आधारित बैच मार्क सर्वेक्षण को सम्पन्न करने के बाद परियोजना का डिजाइन तैयार कर लिया गया है।	10.00		प्रगतिरत है	
7.	झारखण्ड परियोजना	झारखण्ड	प्राकृतिक संसाधनों व विभिन्न फसलों की उत्पादकता का मूल्यांकन करने के लिए विद्यमान कृषि प्रक्रियाओं को समझने के लिए, उर्वरता की स्थिति इत्यादि के लिए बैच मार्क सर्वेक्षण करना।	0.60		प्रगतिरत है	
8.	उत्तरांचल परियोजना (पिंडर घाटी)	उत्तरांचल	फलों, सब्जियों इत्यादि की मात्रा बढ़ाने, लघु पन विद्युत उत्पादन का निदर्शन करने, खुबानी को सुखाने एवं समग्र कृषि विकास की दिशा में ग्रीन हाउस की स्थापना करना।	43.28		प्रगतिरत है	
कृषि खाद्य प्रसंस्करण							
1.	पंजाब मिल्क फेड परियोजना	पंजाब	दूध की गुणवत्ता तथा उसके लाभों में बेहतर फार्म प्रबन्धन के माध्यम से सुधार लाना	200.00 (टाइफैक की वचनबद्धता 100 लाख)	1 वर्ष	कार्यान्वयन के अधीन	बैक्टोस्केन का भारत में पहली बार किया गया
2.	कोमुल परियोजना	कर्नाटक	दूध की गुणवत्ता तथा उसके लाभों में बेहतर फार्म प्रबन्धन के माध्यम से सुधार लाना।	216.00 (टाइफैक की वचनबद्धता 100 लाख)	1 वर्ष	प्रगतिरत	कमेटी मिल्किंग पार्लर की अवधारणा भारत में पहली बार।

*कुल परियोजना लागत शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए आंकड़े टाइफैक द्वारा अब तक स्वीकृत की गई राशि है, परियोजना की भावी आवश्यकताओं के आधार पर और राशि स्वीकृति की जाएगी।

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	ए पी डी डी सी एफ परियोजना	आन्ध्र प्रदेश	दूध की गुणवत्ता तथा उसके लाभों में बेहतर फार्म प्रबन्धन के माध्यम से सुधार लाना।	209.25 (टाइफैक की वचनबद्धता 100 लाख)	1 वर्ष	प्रगतिरत	
4.	बी ए आई एफ परियोजना	महाराष्ट्र	वहनीय जीवन के लिए दूध देने वाले पशुओं की जननिकी सुधारना	239.86 (टाइफैक की वचनबद्धता 100 लाख)	3 वर्ष	प्रगतिरत	भ्रूण के हस्तांतरण की प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय स्तर पर केन्द्रित रही
सड़क निर्माण तथा परिवहन उपकरण							
1.	आपदा प्रबन्धन उपकरण परियोजना का विकास।	कर्नाटक	भूकम्प इत्यादि के कारण क्षतिग्रस्त हुए भवनों को गिराने के लिए तेज गति से तैनात किए जाने में सक्षम सचल उपकरणों को डिजाइन कर उनका निर्माण करना।				
	हाइड्रोजन उत्पादन के लिए इलैक्ट्रो लाइजर						परियोजना कुशलता से प्रगति कर रही है।
3.	विशेष तेलों तथा द्रव्य निर्माण प्रक्रिया में हाइड्रोजेनेशन को परीक्षण में चलाना	गुजरात	अधिक प्रदूषण फैलाने वाले ओलयिम उपचार प्रक्रिया को बदलने के लिए बड़ौदा तथा इसके आसपास एस एम ई द्वारा वाणिज्यी स्तर पर अपनाने के लिए द्रव्य एवं विशेष तेलों की निर्माण प्रक्रिया में हाइड्रोजेनेशन प्रक्रिया की टैक्नो-आर्थिक व्यवहार्यता का अध्ययन तथा मूल्यांकन करना।	8 लाख रुपये (टाइफैक का योगदान 4 लाख है)	6 माह	विशिष्ट डिस्टिलेट के साथ प्रयोगशाला स्तर पर प्रथम परीक्षण किया गया।	शून्य
शहरी कचरे से ऊर्जा							
4.	ठोस शहरी कचरे से ऊर्जा प्राप्ति	आन्ध्र प्रदेश	ईंधन पेलेट्स/फलफ बनाने के लिए ठोस शहरी कचरे का प्रसंस्करण तथा पेलेट्स/ फलक के प्रयोग से बिजली (6.6 मेगावाट) का उत्पादन और इस तरह ठोस शहरी कचरे से ऊर्दा प्राप्ति।	ठोस शहरी कचरे के प्रसंस्करण द्वारा ईंधन पेलेट्स उत्पादन के चरण-1 के लिए 1090 लाख रुपये (टाइफैक केवल टैक्नो प्रबन्धन सहायता उपलब्ध करा रहा है)	चरण-1 पूरा हो चुका है	ईंधन पेलेट्स के उत्पादन हेतु 700 टी पी डी कचरे के प्रसंस्करण के लिए चरण-1 लगाया गया है।	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भेषज क्षेत्र में एस एम ई का उन्यनयन	पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश	भेषज क्षेत्र में एस एम ई का उन्नयन		7.00	1 वर्ष	राज्यों एवं रूचि रखने वाले उद्योगों के साथ प्रारम्भिक चर्चा की गई।
1.	उत्तरांचल रामगढ़ जल शेड	उत्तरांचल	दीर्घकालिक आर्थिक गतिविधियों के लिए 7 गांवों के लिए एकीकृत योजना। एक एकीकृत तरीके के किए गए विकास के माध्यम से स्थानीय लोगों के जीवन की गुणवत्ता सुधारना इसका समग्र उद्देश्य है	117.26 (टाइफैक की वचन-बद्धता 21.31 है)		प्रगतिरत।	
2.	वायुयानों की रचना एवं विकास	उत्तरांचल	उत्तरांचल में माल तथा यात्रियों के आवागमन हेतु वायुयानों की रचना एवं विकास	31.14			
स्वास्थ्य सुरक्षा क्षेत्र							
1.	हर्बल तथा प्राकृतिक उत्पादों एवं पुष्पकृषि पर रिपोर्टें		हमारे देश में हर्बल और प्राकृतिक उत्पादों एवं पुष्पकृषि के लिए स्थिति तथा दृष्टिकोण सामने लाना।	1.50 लाख		पूर्ण	
5.	विटुमन का अप्रत्यक्ष उष्मण उपस्कर	गुजरात	20 टन, 30 टन, 40 टन और 50 टन टैंक आकार के 2 प्रोटोटाइपों तथा थर्मिक आयल के हीटर टाइपों का विकास करना जो 500000 के सी एल एवं 400000 के सी एल क्षमताओं वाले आकारों के अप्रत्यक्ष उष्मण हेतु आवश्यक है।	80.05 (टाइफैक की वचनबद्धता 44.02)	2 वर्ष	प्रगति पर	
वस्त्र मशीनरी का स्तरोन्नयन							
1.	ओटोमेटिक कोन वाइंडर के उत्पादन में प्रौद्योगिकी स्तरोन्नयन	तमिलनाडु	प्रस्तावित परियोजना का लक्ष्य 18 - 24 महीने की अवधि में 70% स्वदेशीकरण है। 70% स्वदेशीकरण से मशीन के मूल्य में आयातित मशीनों की लैंडिड लागत की तुलना में लगभग 25 - 30% का अंतर सम्भव हो सकेगा।	1286 (टाइफैक की वचनबद्धता 25 - 30%	2 वर्ष 644.00)	परियोजना प्रगति पर	
2.	टू फार वन ट्विस्टर के लिए प्रौद्योगिकी विकास	तमिलनाडु	एयर थ्रेडिंग, न्यूमेटिक क्रेडल लिफ्टिंग कार्य प्रणाली तथा टेनजेंशियल बेल्ट ड्राइव से स्पन यान के लिए टू फार वन ट्विस्टर विकास।	644 (टाइफैक की वचनबद्धता 322.00)	2 वर्ष	परियोजना प्रगति पर	
3.	उच्च वेग काम्बर	तमिलनाडु	विद्यमान 250 निप्स/मिनट के माडल रन की तुलना में 400 निप्स/मिनट की दर से चलने वाले काम्बर का विकास करना। इसके फलस्वरूप उत्पादन में 50% की वृद्धि होगी और प्रति कि.ग्रा. उत्पादित सिल्वर पर मानवशक्ति की लागत में 30% की कमी होगी।	110.00 (टाइफैक की वचनबद्धता 55.00)	16 महीने	परियोजना प्रगति पर	

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	कार्ड के लिए आटो लेवेलर	तमिलनाडु	आटो लेवेलर डिलीवर वेग 220 मीटर/मिन. तथा उत्पादकता 70 कि.ग्रा./घण्टे की होगी। आटो लेवेलिंग सेंसिंग बहुत संक्षिप्त होगी ताकि सी वी % (5 एम) 1% से कम होगी।	25 (12.5)	16 महीने	परियोजना प्रगति पर	
5.	ट्विन डिलीवरी आटो लेवलर ड्रा फेम	तमिलनाडु	प्रस्तावित ड्रा फेम डिलीवर वेग मौजूदा माडल के 600 मीटर/मिन. की तुलना में 1000 मी./मिन. होगी। सिलवर सी वी% (1 एम) के लिए आटो लेवेलिंग सेंसिंग 0.4% से कम होगी।	60 (टाइफैक की वचनबद्धता 26)	16 महीने	परियोजना प्रगति पर	
6.	उन्नत सर्फेस उपचारित वलय	तमिलनाडु	वलय, स्पिनिंग मशीनरी का एक महत्वपूर्ण घटक है और परियोजना का उद्देश्य 25000 आर पी एम पर चलने वाले वलय विकसित करना है जिससे 20% वर्धित जीवन की प्राप्ति होगी।	39 (टाइफैक की वचनबद्धता 19.50)	13 महीने	परियोजना प्रगति पर	
विज्ञान एवं इंजीनियरी महाविद्यालयों का स्तरोन्नयन							
1.	शनमुघा कालेज आफ इंजीनियरिंग	तमिलनाडु	विश्व के सर्वोत्तम के साथ तुलना योग्य शिक्षा स्तर में नई बुलंदियां प्राप्त करने के लिए औचित्य एवं उत्कृष्टता के केन्द्रों के सृजन हेतु कतिपय चुनिंदा विज्ञान एवं इंजीनियरी कालेजों का स्तरोन्नयन।	538.40 (टाइफैक की वचनबद्धता 248.70)	3 वर्ष	प्रगति पर	
2.	पी एस जी कालेज आफ इंजीनियरिंग	तमिलनाडु	-तदैव-	646.38 (254.77)	3 वर्ष	प्रगति पर	
3.	थापर इन्स्टीट्यूट	पंजाब	-तदैव-	536.90 (291.90)	3 वर्ष	प्रगति पर	
4.	जे एस एस कालेज आफ फार्मेसी	तमिलनाडु	-तदैव-	227.00 (110.00)	3 वर्ष	प्रगति पर	
5.	एन आई टी आई ई	महाराष्ट्र	-तदैव-	260.00 (199.00)	3 वर्ष	प्रगति पर	
6.	एम ई पी सी ओ श्लेन्क इंजीनियरिंग कालेज	तमिलनाडु	-तदैव-	105.80 (40.90)	3 वर्ष	प्रगति पर	
7.	डिब्रुगढ़ विश्व-विद्यालय	असम	-तदैव-	207.00 100.00	3 वर्ष	प्रगति पर	

1	2	3	4	5	6	7	8
अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लक्षित कार्यक्रम							
विद्युत क्षेत्र							
1.	एस टी ए टी सी ओ एम एण्ड पी एस टी	आन्ध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र	संचार एवं आबंटन नेटवर्क में विद्युत शक्ति की सक्षमता में सुधार लाना। परियोजना में प्रारम्भिक चरणों में प्रोटो-टाइप की डिजाइनिंग एवं विकास शामिल है।	290.00	एस टी ए टी सी ओ एम-18 महीने पी एस टी-18 महीने	प्रगति पर	
हाइड्रोजन ऊर्जा							
1.	संयुक्त आर वी - टाइफैक हाइड्रोजन अर्थ व्यवस्था प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम	कर्नाटक	देश में दीर्घकालिक हाइड्रोजन अर्थ व्यवस्था प्रौद्योगिकियों का विकास: 1. वेल्डिंग, कटिंग, धात्विकी आदि में एक्वा गैस का अनुप्रयोग 2. आई सी इंजनों में एच 2/वाटर इंडक्शन। 3. हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकियां।	198 लाख रु. (टाइफैक की वचनबद्धता 178 लाख)	प्रत्येक विशिष्ट परियोजना समयबद्ध है जो 6 से 18 माह तक चलेगी।	विशिष्ट परियोजनाओं की पहचान की जा रही है।	शून्य
2.	पोलिमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन वाटर का विकास।	तमिलनाडु	वायुमण्डलीय दाब के साथ-साथ उच्च दाब और इसके तेज परीक्षणों पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए पालिमर इलैक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन वाटर इलेक्ट्रो-लाइजर का स्वदेशी विकास।	30 लाख रु.	24 महीने	इलैक्ट्रोड एवं एकल सेल के अभिकल्पन पर आरम्भिक परीक्षण किया गया है।	शून्य

विवरण-II

क्र.सं.	परियोजना का शीर्षक	शामिल राज्य
1	2	3
	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्	
1.	घरेलू आहार तथा पौष्टिकता संबंधी सुरक्षा	19 राज्य
2.	कृषि जैविक विविधता का संवर्धन	समस्त राज्य
	परमाणु ऊर्जा विभाग	
3.	औषधि में नाभिकीय प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग	महाराष्ट्र
	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	
4.	संक्रामक रोगों के लिए नए टीकों का विकास एंव उत्पादन तथा नैदानिक उपाय	समस्त राज्य

1	2	3
6.	हर्बल उत्पादों के विकास की दिशा में जैव प्रौद्योगिकीय दृष्टिकोण	समस्त राज्य
7.	जीन सम्बन्धी अनुसंधान कार्यों के लिए मिरर साइटों की स्थापना	समस्त राज्य
	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद	
8.	हल्के परिवहन विमान (एल टी ए) का डिजाइन व विकास, निर्माण तथा उसकी उड़न योग्यता संबंधी परीक्षण	समस्त राज्य
	पर्यावरण तथा वन मंत्रालय	
9.	नोएडा वनस्पति उद्यान की स्थापना करना	नोएडा तथा उत्तर प्रदेश
	सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	
10.	भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी का विकास	कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु
11.	सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से ब्रेल साक्षरता के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	समस्त राज्य
12.	कैन्सर के उपचार के लिए स्वदेश में विकसित एकीकृत चिकित्सा लाइनेक के विकास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम	समस्त राज्य
	महासागर विकास विभाग	
13.	महासागर तापीय ऊर्जा संवर्धन	समस्त राज्य
	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद	
14.	थैल्सिमिया के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय मिशन मोड कार्यक्रम	समस्त राज्य
15.	सन्धिवातीय बुखार/सन्धिवातीय हृदय रोग नियंत्रण हेतु जय विज्ञान राष्ट्रीय मिशन	समस्त राज्य
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	
16.	दृष्टिहीनों के लिए प्रौद्योगिकी मिशन	समस्त राज्य
17.	प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम के विशेष सन्दर्भ में हिमालयी भूविज्ञान के लिए प्रौद्योगिकी मिशन	पूर्वोत्तर सहित हिमालयी क्षेत्र
18.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के लिए क्षेत्र विकास मिशन	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह
	(क) समग्र रणनीति तैयार करना	

1	2	3
	(ख) अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में उपग्रह दूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करते हुए भू-दृश्य स्तर पर जैव विविधता का चरित्र-चित्रण।	
19.	ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जय विज्ञान स्वास्थ्य परियोजना—एक रिमोट चिकित्सा नैदानिक प्रणाली	आन्ध्र प्रदेश
	अंतरिक्ष विभाग	
20.	दूर संवेदन एवं जी आई एस का उपयोग करते हुए क्रोपिंग प्रणाली सम्बन्धी अध्ययन	समस्त राज्य
21.	आपदा प्रबन्धन	पंजाब, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा झारखण्ड।

अपराह्न 12.01 बजे

प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य

भारत और पाकिस्तान के बीच शिखर वार्ता

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, माननीय प्रधानमंत्री वक्तव्य देंगे जो सीधा प्रसारित होगा।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को भारत आने का निमंत्रण दिया था।

उनकी यात्रा से पहले मैंने भारत-पाकिस्तान संबंधों की भावी संभावनाओं के बारे में राजनीतिक दलों के नेताओं, प्रतिष्ठित व्यक्तियों, मीडिया प्रतिनिधियों तथा बुद्धिजीवियों के साथ व्यक्तिगत और संयुक्त रूप से विचार-विमर्श किया था। उन्होंने लगभग सर्वसम्मति से हमारे इस विचार का समर्थन किया था कि इस यात्रा को पाकिस्तान के साथ स्थाई शांति और मैत्रीपूर्ण सहयोग के लिए अवसर तलाशने के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। शिमला समझौता तथा लाहौर घोषणा के आधार पर हम चाहते थे कि निमंत्रण तथा तत्पश्चात यात्रा के माध्यम से बातचीत के व्यापक ढांचे को सुदृढ़ किया जाए ताकि जम्मू और कश्मीर सहित सभी बकाया द्विपक्षीय मुद्दों पर आगे बढ़ा जा सके। हमने सीमा-पार से जारी आतंकवाद को भी बातचीत के एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में रखा था।

यात्रा से पहले सौहार्दपूर्ण वातावरण और विश्वास का माहौल पैदा करने के लिए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की थी जो शांति और सुरक्षा, परमाणु और गैर-परमाणु हथियारों के बारे में विश्वास पैदा करने के उपायों, दोनों देशों के लोगों के बीच परस्पर संपर्क, जनहित से जुड़े मुद्दे, शिक्षा, युवाओं का एक दूसरे के देश में आना-जाना तथा व्यापार से संबंधित थे। हमारा विश्वास है कि भारत तथा पाकिस्तान के लोगों द्वारा इन निर्णयों की व्यापक स्वागत किया गया है। सरकार इनके क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है।

राष्ट्रपति मुशर्रफ, बेगम मुशर्रफ के साथ 14 जुलाई को नई दिल्ली आए थे। उन्हें समारोहपूर्वक पूरा सम्मान दिया गया। उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की और राष्ट्रपति ने उन्हें राजकीय भोज दिया। उप-राष्ट्रपति, गृह मंत्री, विदेश और रक्षा मंत्री और लोक सभा में विपक्ष की नेता ने उनसे मुलाकात की। मैंने उनके सम्मान में दोपहर का भोज किया। दिनांक 15 और 16 जुलाई को आगरा में प्रवास के दौरान राष्ट्रपति मुशर्रफ और मैंने 5 घण्टे से भी अधिक समय तक आमने-सामने बैठकर व्यापक चर्चा की। हमने प्रतिनिधिमंडल स्तर पर भी बातचीत की।

इन चर्चाओं के दौरान मैंने जम्मू और कश्मीर सहित सभी बकाया मुद्दों पर प्रगति के लिए विश्वास का माहौल पैदा करने के महत्व पर बल दिया। मैंने अन्य विशिष्ट मुद्दे भी उठाए जो

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

शांति की प्रक्रिया में सहायक हो सकते थे। इनमें पाकिस्तान की जेलों में कैद 54 भारतीय युद्धबंदियों का मुद्दा, कुख्यात आतंकवादियों और अपराधियों, जिन्हें पाकिस्तान में शरण दी गई है, का प्रत्यर्पण करने, पाकिस्तान में सिख गुरुद्वारों और हिन्दू मंदिरों की देखरेख करने, पाकिस्तान में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा पर जाने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार करने तथा परस्पर लाभ वाले व्यापार को बढ़ावा देने के मुद्दे शामिल थे।

जम्मू और कश्मीर राज्य में आतंकवाद को बढ़ावा दिए जाने की ओर ध्यान केन्द्रित करते हुए मैंने स्पष्ट शब्दों में यह बात बता दी कि भारत के पास आतंकवाद और हिंसा को पूरी तरह से कुचल देने के लिए दृढ़ संकल्प, शक्ति और क्षमता है। मैं इसी दृढ़ संकल्प को आज इस सदन में दोहराना चाहता हूँ।

अपनी बात में राष्ट्रपति मुशर्रफ ने केवल जम्मू और कश्मीर पर ही चर्चा की। माननीय सदस्य उनके सभी विचारों से अवगत होंगे, क्योंकि इनका हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया था।

हमारे विचारों में स्पष्ट मतभेद होने के बावजूद, हम संयुक्त दस्तावेज के मसौदे में इस मतभेद को कम करने की दिशा में आगे बढ़े। हम दस्तावेज में अधिकारी स्तर, मंत्री स्तर और शिखर स्तर पर बैठकों के आयोजन सहित सभी मुद्दों पर भावी वार्ता प्रक्रिया की रूपरेखा को शामिल करना चाहते थे। हमने परमाणु और परम्परागत हथियारों के प्रति विश्वास का माहौल बनाने के उपायों सहित शांति तथा सुरक्षा, जम्मू और कश्मीर, आतंकवाद के मुद्दों और संयुक्त बातचीत से उभर कर सामने आये अन्य सभी मुद्दों के समाधान के प्रस्ताव रखे। किन्तु अंत में हमें संयुक्त दस्तावेज के अपने प्रयासों को छोड़ना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान संबंधों को सामान्य बनाने के लिए पूर्व शर्त के रूप में जम्मू और कश्मीर के मुद्दे के 'समाधान' पर अड़ा रहा। पाकिस्तान सीमा-पार से चलाए जा रहे आतंकवाद को स्वीकार करने और उसका हल निकालने का भी इच्छुक नहीं था। मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी और मैं इस बात पर सहमत थे कि हम संयुक्त दस्तावेज जारी करने के लिए अपने बुनियादी सिद्धांतों का त्याग नहीं कर सकते।

माननीय सदस्यगण, यद्यपि, भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच जम्मू और कश्मीर के समाधान के बारे में गहरे मतभेद हैं किन्तु, हमारा विश्वास है कि पाकिस्तान और भारत के बीच दोस्ताना संबंधों में चहुँमुखी प्रगति का जम्मू और कश्मीर के संबंध में हमारी बातचीत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

इस वाद-विवाद से कि जम्मू और कश्मीर एक "मुख्य मुद्दा" है या नहीं, कोई खास उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हम इस राज्य में सीमा पार से चलाए जा रहे आतंकवाद और हिंसा की वास्तविकता को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज जम्मू-कश्मीर में भाड़े के विदेशी आतंकवादियों द्वारा और विदेशी धन से जो हिंसक गतिविधियां जारी हैं वे और कुछ नहीं सिर्फ आतंकवाद है। निर्दोष स्त्री, पुरुष और बच्चों की हर रोज हो रही हत्या को हम न 'जेहाद' कह सकते हैं और न ही किसी प्रकार का राजनीतिक आंदोलन। यह विचारणीय है कि आगरा शिखर वार्ता के समाप्त होते ही अमरनाथ की पवित्र यात्रा पर जा रहे हमारे तीर्थयात्रियों को मार दिया गया। और अभी दो दिन पहले एक और नरसंहार हुआ जिसमें एक ही समुदाय के लोग आतंकवादियों के हाथों मारे गए। इसीलिए, सीमा पार से चलाए जा रहे आतंकवाद को खत्म करने से पाकिस्तान का इनकार ही परस्पर स्वीकार्य समाधान के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में सबसे बड़ी बाधा है।

पाकिस्तान "कश्मीरी लोगों" की इच्छा के मुताबिक जम्मू और कश्मीर की समस्या का समाधान चाहता है। मुझे विश्वास है कि हरेक कश्मीरी चाहे वह कश्मीर घाटी का हो, या जम्मू, लद्दाख, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, उत्तरी क्षेत्र या शाक्सगाम घाटी का, उसकी सबसे पहली इच्छा अमन-चैन, सुरक्षा और आजादी के साथ रहने की है ताकि वह आर्थिक प्रगति कर सके। हमारी यह लगातार कोशिश होनी चाहिए कि हम उन्हें उनका यह मौलिक अधिकार दें। अधिकांश कश्मीरियों के अपने निर्वाचित प्रतिनिधि हैं जिनके माध्यम से वे अपनी जायज मांगों को सामने लाते हैं। हम कश्मीर की सभी अन्य विचारधाराओं को सुनने को तैयार हैं, चाहे वे कितने ही छोटे तबके का प्रतिनिधित्व क्यों न करते हों, बशर्ते कि वे हिंसा का रास्ता छोड़ दें। इसी भावना के साथ हमने ऑल पार्टी हुर्रियत कान्फ्रेंस के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने की पेशकश की थी।

अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति मुशर्रफ ने मुझे पाकिस्तान आने का निमंत्रण दिया है। मैंने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। इसी प्रकार, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भी हमारे विदेश मंत्री को आमंत्रित किया है। इसे भी स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार, पाकिस्तान के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध जारी रहेंगे। हम बातचीत और परस्पर मेल-मिलाप को जारी रखेंगे। हम पाकिस्तान को यह समझाने का लगातार प्रयास करते रहेंगे कि हमारा द्विपक्षीय सहयोग केवल किसी एक मुद्दे के समाधान की खातिर रोका नहीं जाना चाहिए। हालांकि हम आगरा में संयुक्त दस्तावेज पर सहमति नहीं बना सके, फिर भी हम आपसी समझ पैदा करने में कुछ हद तक सफल हुए। इसी आधार पर ही हम समझौतों के दूसरे क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे। निस्संदेह, सीमा-पार से चलाए जा रहे आतंकवाद जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत की चिंता को भावी बातचीत के किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए दस्तावेज में शामिल किया जाना होगा।

मैं यह भी कहना चाहूँगा कि हम किसी प्रचार या बहस के किसी मुद्दे की तलाश में नहीं हैं। हम संयम और गंभीरता से कूटनीति जारी रखेंगे। शांति मित्रता और सहयोगपूर्ण संबंधों के लिए हमारे प्रयास प्रबलता से जारी रहेंगे।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): अध्यक्ष महोदय, इस समस्या का पाकिस्तान पर हमला करना एक ही इलाज हो सकता है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस सबजैक्ट को शाम को डिस्कस कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: हम आज शाम इस मामले पर चर्चा करेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हम इस मामले पर अपराह्न 4.00 बजे चर्चा करेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

अपराह्न 2.10 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं।

(1) (एक) संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (1) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा मणिपुर राज्य के संबंध में 2 जून, 2001 को जारी उद्घोषणा, जो संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अंतर्गत 2 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 410(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा 2 जून, 2001 को किए गए आदेश, जो 2 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 411(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3716/2001]

(2) 31 मई, 2001 को मणिपुर के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजी गई रिपोर्ट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3717/2001]

(3) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ग्रुप ''ख'', ''ग'' और ''घ'' (सामान्य ड्यूटी/तकनीकी/ट्रेडसमेन संवर्ग) (अराजपत्रित) (पुरुष/महिला) तथा ग्रुप ''घ'' (अभ्यावेशित अनुचर) (पुरुष/महिला) भर्ती नियम, 2001 जो 12 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 245 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3718/2001]

(4) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल (चिकित्सा अधिकारी संवर्ग) भर्ती नियम, 2001 जो 31 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 180 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3719/2001]

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): महोदय, मैं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 12 और धारा 13

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 683, जो 31 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उसमें उल्लिखित पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं को मान्यता देने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3720/2001]

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण आयुक्त/आयुक्त-सह-सचिव, भर्ती विनियम (2001) जो 24 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 282(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा इसका एक शुद्धिपत्र (केवल हिन्दी संस्करण) जो 27 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 301(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) सा.का.नि. 414(अ) जो 4 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण में सहायक निदेशक के पद के लिए भर्ती विनियमों में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3721/2001]

(2) भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 की धारा 32 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एफ. नम्बर के.-14011/48/89-यूडी. 2 (यूटी) एस.ओ. जो 27 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसका आशय उक्त अधिनियम की अनुसूची में दिल्ली महानगर के संबंध में "महानगर संरेखण" को जोड़ना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3722/2001]

(3) बिना बारी के उन आवंटियों के नाम, जिन्हें 31 दिसम्बर, 2000 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार 5 प्रतिशत विवेकाधीन कोटा के अंतर्गत आवंटन किया गया था, दर्शाने वाले वार्षिक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3723/2001]

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद्, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद्, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3724/2001]

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): महोदय, मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) काउंसिल फार एडवान्समेंट आफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नालाजी, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) काउंसिल फार एडवान्समेंट आफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नालाजी, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3725/2001]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी): महोदय, मैं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत, अधिसूचना संख्या का.आ. 536(अ) जो 19 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग-8, गुजरात के अहमदाबाद-मुंबई खण्ड में राष्ट्रीय राजमार्ग के भाग का उपयोग करने के लिए यांत्रिक वाहनों पर फीस के उद्ग्रहण के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3726/2001]

अध्यक्ष महोदय: ए.वी.एस.एम. क्या है।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी: इसका अर्थ है अतिविशिष्ट सेवा मेडल।

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3727/2001]

(दो) एम एस टी सी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3728/2001]

(तीन) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3729/2001]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(क) की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) मीकॉन लिमिटेड के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मीकॉन लिमिटेड का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3730/2001]

[हिन्दी]

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): अध्यक्ष महोदय, मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत कोयला खान नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2001 जो 23 मई, 2001 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 453(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3731/2001]

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 123(2) (क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) राष्ट्रपति द्वारा 8 मई, 2001 को प्रख्यापित भारतीय विश्व मामले परिषद (दूसरा) अध्यादेश, 2001 (2001 का संग्ख्यांक 3)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3732/2001]

(2) राष्ट्रपति द्वारा 22 मई, 2001 को प्रख्यापित खाद्य निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (2001 का संख्यांक 4)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3733/2001]

(3) राष्ट्रपति द्वारा 5 जुलाई, 2001 को प्रख्यापित पशुधन आयात (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (2001 का संख्यांक 5)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3734/2001]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3735/2001]

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हिन्दुस्तान कीटनाशी लिमिटेड तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3736/2001]

(दो) राष्ट्रीय केमीकल्स एंड फर्टीलाइजर्स लिमिटेड तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3737/2001]

(तीन) पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3738/2001]

अपराह्न 12.12 बजे

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मैं 19 अप्रैल, 2001 को सभा को सूचित करने के पश्चात् तेरहवीं लोक सभा के छठे सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित तीन विधेयकों को सभापटल पर रखता हूं:

(1) विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2001

(2) वित्त विधेयक, 2001; और

(3) विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2001

मैं, संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त एवं राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित निम्नलिखित चार विधेयकों की प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूं:

(1) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2001;

(2) चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2001;

(3) बीमा विधि (कारबार का अंतरण और आपात उपबंध) निरसन विधेयक, 2001; और

(4) कलोनियल प्रिजनर्स रिमूवल (निरसन) विधेयक, 2001

अपराह्न 12.13 बजे

लोक लेखा समिति

बाईसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल): अध्यक्ष महोदय, मैं (एक) आयातित प्रणालियों के संचालनात्मक तैनाती में विलंब (दो) प्रणाली के विकास एवं उत्पादन में विलंब विषयक लोक लेखा समिति (तेरहवीं लोक सभा) का बाईसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.13 बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

अध्ययन दौरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, मैं गोवा शिपयार्ड लि. के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के अध्ययन दौरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) को सभापटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.14 बजे

याचिका समिति

आठवां और नौवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं याचिका समिति का आठवां तथा नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.15 बजे

एन.एस.सी.एन. के साथ हुए युद्ध विराम समझौते को नागालैण्ड से बाहर लागू करने के निर्णय के पश्चात् पूर्वोत्तर राज्यों में उत्पन्न स्थिति के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा में शून्यकाल शुरू होगा। श्री सी. कुप्पुसामी।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): महोदय, मैं मणिपुर के बारे में कहना चाहता हूं। यह एक ज्वलंत मुद्दा है *...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, मणिपुर के संबंध में माननीय मंत्री ने कहा कि हम इस मामले पर चर्चा करेंगे। निः संदेह, हम सभा में इस मामले पर चर्चा टाल नहीं सकते है *...(व्यवधान)* इससे हम नहीं बच सकते *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब मैं बारी-बारी से नाम पुकारूंगा।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, यहां ऐसे कतिपय मामले इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनमें विलंब नहीं किया जा सकता है। मणिपुर की स्थिति इसी तरह की है। मणिपुर की समस्त जनता सड़कों पर उतर आई है। यहां लगभग विद्रोह की स्थिति है। यहां कुछ भी कार्य नहीं हो रहा है। हजारों महिलाओं सहित सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बच्चे और विद्यार्थी भी सड़कों पर उतर आए हैं। विधान सभा और सरकारी कार्यालयों को जला दिया गया है। मंत्रियों, संसद सदस्यों तथा विधायकों सहित किसी की कोई सुरक्षा नहीं है। यहां यह स्थिति है। ऐसा सरकार द्वारा अन्य क्षेत्रों में भी युद्धविराम समझौता लागू करने में पूर्णतः मनमाने और असंगत दृष्टिकोण के कारण हुआ है।

महोदय, कोई विचार-विमर्श नहीं हुआ। किसी भी विपक्षी दल के साथ चर्चा नहीं हुई। स्थानीय रूप से कोई चर्चा नहीं हुई। पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोई परामर्श नहीं किया गया और आज हमारे देश का एक राज्य जल रहा है और यह सरकार एक संभाषक पर निर्भर है। आजकल इसके मुहावरे चल रहे हैं। हम नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। उनका राजनैतिक और विधायी प्राधिकार क्या है। वे बैंकाक जाते हैं और अब वे आम्सटर्डम में हैं। सब कुछ उन पर छोड़ दिया गया है। हम नहीं जानते कि वे क्या कहना चाहते हैं। यह सरकार सभा को कभी भी विश्वास में नहीं लेती है।

हम काफी समय के बाद मिल रहे हैं। मुझे यहां बैठे मंत्री महोदय से सहानुभूति है। उनकी सरकार में नहीं चलती है। कोई भी उनकी बात नहीं सुनता है। मणिपुर से हमारे मित्र यहां मौजूद हैं। विधायक, संसद सदस्य और मंत्री महोदय मणिपुर वापस नहीं जा सकते हैं। कम से कम इस सरकार को तत्काल यह वक्तव्य देना चाहिए कि त्वरित कार्यवाही के रूप में उनका ऐसा करने का विचार है। इसके लिए मणिपुर में राष्ट्रपति उद्घोषणा पर चर्चा की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती है। महोदय, ऐसा किया जाना चाहिए और राजग दलों के बीच आपसी झगड़ों के कारण देश के एक भाग को जलने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है।

महोदय, हम सरकार से तुरंत उत्तर चाहते हैं और चाहते हैं कि वे तुरंत तत्काल कार्यवाही करे। अब सरकार ने हिंसा का रास्ता अपना लिया है। गोलीबारी चल रही है। एक महिला भी जुलूस में मारी गई। आंसू गैस के गोले छोड़े गए और घर जलाए जा रहे हैं मानो यह सरकार इस सबसे बेखबर है। 'रोम' जल रहा है। महोदय, यह एक बहुत गंभीर स्थिति है। हम तत्काल कार्यवाही, वक्तव्य चाहते हैं और हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार इस मामले पर क्या विचार कर रही है।

अध्यक्ष महोदय: श्री संतोष मोहन देव, क्या आपको भी यही कहना है?

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): हमने भी नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय: आपने भी मणिपुर के बारे में नोटिस दिया है, पहले संतोष मोहन जी बोलेंगे, फिर आपको चांस दूंगा। वे पूर्वोत्तर राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव: मैं श्री मुलायम सिंह यादव और श्री सोमनाथ चटर्जी को यह मामला उठाने के लिए धन्यवाद देता हूं।

मणिपुर ही नहीं वरन् पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र जल रहा है। पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस मामले पर क्रोध व्याप्त है। इसके लिए कौन दोषी है? यह राजग सरकार है।

आज एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है कि असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री ने उन्हें लिखा है कि उन्हें विश्वास में लिए बिना ही यह कार्य ऐसे व्यक्ति से क्यों कराया गया जिसका सरकार में कोई स्थान नहीं है।

एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है दूसरे को हटा दिया जाता है। जगन्नाथ को हटाया गया। बी.पी. श्रीवास्तव को हटाया गया और पदमनाभैया को नियुक्त किया गया है। मेरा मुद्दा यह है कि राज्य सरकार यह प्रचार कर रही है कि इस बात से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है कि नागालैण्ड का क्षेत्रफल बढ़ाया जायेगा। एक पुस्तिका प्रकाशित की गई है।

भौगोलिक दृष्टि से मणिपुर का क्षेत्रफल 16 हजार किमी है। यह मांग नागालैंड सरकार की नहीं है बल्कि मुइवा ग्रुप नागालैंड यह मांग कर रहा है कि उनका क्षेत्रफल 1,20,000 कि.मी. तक बढ़ाया जाए। शेष क्षेत्र कहां से आएगा? इसे या तो असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा राज्य से लेना होगा।

आप किस प्रकार की सरकार चला रहे हैं? आपको पूर्वोत्तर की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान नहीं है। आप किसी को भी समझौता करने के लिए भेज देते हैं। वह देश के अन्दर ही बातचीत क्यों नहीं करते। वह बैंकाक, हांगकांग और एम्सटरडम क्यों जाते हैं? प्रधान मंत्री ने सर्वदलीय शिष्टमंडल से मुलाकात की। हम इसका स्वागत करते हैं। परंतु उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि "मैं स्थिति की समीक्षा करूंगा।" परंतु कब समीक्षा करेंगे, जब संपूर्ण मणिपुर समाप्त हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय: श्री संतोष मोहन देव, नेताओं की बैठक में, हम इस मामले पर सभा में बहस के लिए सहमत हुए हैं।

श्री संतोष मोहन देव: महोदय, मैं हमेशा आपकी बात सुनता हूं। आज कृपया मुझे मत रोकिए। मैं दो मिनट और लूंगा।

परसों 50,000 लोग स्त्री, पुरुष, बच्चे कर्फ्यू तोड़ कर सड़क पर उतर आए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मणिपुर के लोग अपने हितों की रक्षा के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। जो राष्ट्रीय समाचार-पत्र यह कहते हैं कि मणिपर के लोग संकीर्ण विचारधारा के हैं, उनका यह कहना गलत है। नागालैंड सरकार ने कहा, "हम कोई संघर्ष नहीं चाहते, हम युद्धविराम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सभी पार्टियां एक साथ आएं और समझें कि हमारे यहां कानून और व्यवस्था की समस्या है"। मेरा आपसे निवेदन है कि इसे कश्मीर के बाद प्राथमिकता दी जाए और इस पर यहाँ चर्चा होनी चाहिए। यदि इस मामले पर राष्ट्रपति शासन की पुष्टि पर चर्चा के साथ विचार-विमर्श होगा तो मुझे इस पर आपत्ति है। यदि आप ही राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन करना चाहते हैं तो इसके पूर्व सभा में आपको देश को और हमें आश्वस्त करना होगा कि इस मामले में आपका नजरिया क्या है और आप यह कार्य किस प्रकार करेंगे। उसके बाद ही मैं अपनी पार्टी की ओर से यह कह सकता हूं कि हम राष्ट्रपति के शासन के अनुमोदन का समर्थन करेंगे। अन्यथा, आप याद रखिए कि आपके सामने एक और समस्या पैदा हो जाएगी *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप भी अपने आप को इससे सम्बद्ध कर सकते हैं।

श्री विजय हान्दिक (जोरहाट): जो कुछ भी उन्होंने कहा उसके साथ हम भी अपने आप को सम्बद्ध करते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री के.ए. सांगतम (नागालैण्ड): महोदय, मैं भी पूर्वोत्तर का हूं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया समझिए कि मैं उन सदस्यों को बुला रहा हूं। जिन्होंने चर्चा के लिए सूचनाएं दी हैं। श्री बनातवाला ने सूचना दी है और मैंने उनको बुलाया है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है? आपने भी सूचना दी है, परंतु आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। आपने सूचना दी है। श्री बनातवाला ने भी चर्चा के लिए सूचना दी है। मैं उन सदस्यों को बुला रहा हूँ जिन्होंने सूचनाएं दी हैं।

श्री के.ए. सांगतम: महोदय, आपको मुझे बोलने का अवसर देना ही होगा।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): अध्यक्ष महोदय, मणिपुर और संपूर्ण पूर्वोत्तर की स्थिति अत्यंत गंभीर है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, आपका उनके बाद है। उन्होंने नोटिस दिया है, इसलिए हमने उनको पहले मौका दिया है।

श्री के.ए. सांगतम: हमने भी सूचनाएं दी हैं।

अध्यक्ष महोदय: इसलिए, मैं उन सदस्यों को बुला रहा हूं। जिन्होंने इसी विषय पर सूचनाएं दी हैं।

श्री जी.एम. बनातवाला: हम सभी जानते हैं कि हत्याएं हो रही हैं और घर जलाए जा रहे हैं। लोगों के प्रतिनिधियों, विधानसभा सदस्यों, संसद सदस्यों को मणिपुर से बाहर रखा जा रहा है। वे मणिपुर नहीं लौट सकते। संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में आंदोलन की स्थिति बनी हुई है।

सरकार को स्वत: ही एक वक्तव्य देना चाहिए। हम सरकार के इस उदासीन रवैये की भर्त्सना करते हैं। सभा, देश और संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र को सरकार के स्वत: वक्तव्य के माध्यम से सरकार से यह जानने का अधिकार है कि विभिन्न मामलों पर उसका क्या विचार है।

महोदय, यह अत्यंत आवश्यक है कि सरकार सभा में तत्काल वक्तव्य दे। यह बात निंदनीय है कि सरकार इस मामले में स्वत: कोई वक्तव्य देने में असफल रही है परंतु फिर समय की मांग और परिस्थिति को देखते हुए सरकार गम्भीर स्थिति के संबंध में सभा में अविलंब वक्तव्य दे और हमें बताए कि इस मामले में क्या निर्णय लिये जा रहे हैं *...(व्यवधान)*

श्री के.ए. सांगतम: महोदय, मैंने चर्चा के लिए सूचना दी है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका नाम भी सूची में है। मैं आपको भी बुलाऊंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री मुलायम सिंह जी, कभी-कभी आपको भी सूचना देनी चाहिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, आज सदन में सबसे गम्भीर मामला पूर्वोत्तर का है। जैसा संतोष मोहन देवजी ने कहा, मणिपुर ही नहीं पूरे के पूरे पूर्वोत्तर में आग लगी हुई है। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं, विद्यार्थी, वकील, बच्चे, महिलायें, आम जनता सभी लोग सड़कों पर हैं। मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, हमारे ही देश के मणिपुर राज्य के लोग कह रहे हैं कि हम अलग से लोक सभा बनायेंगे। उन्होंने एक सीमा भी निश्चित कर दी है, 31 जुलाई तक अगर सरकार मणिपुर से युद्ध विराम समाप्त करने का निर्णय नहीं लेती है, तो हम अपनी मणिपुर लोक सभा का गठन करेंगे। यह भावना क्या है और यह भावना क्यों पैदा हुई? यह भावना इसलिए पैदा हुई, क्योंकि पुलिस की गोली के कारण 20 लोगों की हत्यायें हो चुकी हैं। उसके बाद बीस दिन तक घरों में आग लगती रही, सचिवालय में आग लगी, एसेम्बली में आग लगी, स्पीकर के घर आग लगी, मिनिस्टरों के घर आग लगी तथा करोड़ों की क्षति हुई। इतना सब कुछ होने पर भी सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि वहां नहीं गया। वहां प्रवेश ही नहीं कर सके। इसका मतलब यह है कि जो अलगाव पैदा हुआ है, उसका कारण सरकार की नीतियां हैं। मैं अफसोस के साथ कह रहा हूं कि देश की एकता और अखण्डता को बनाए रखने में यह सरकार अक्षम है। इस सरकार के रहते हुए, मुझे नजर आ रहा है कि देश की एकता व अखंडता को खतरा पैदा हो गया है। पूर्वोत्तर के लोग यहां तक कहने लगे हैं कि हम इंडिया जा रहे हैं वे यह नहीं कहते हैं कि दिल्ली जा रहे हैं, हिन्दुस्तान या अपने देश में घूम रहे हैं, दूसरे सूबे में जा रहे हैं। अगर इस भावना को शान्त नहीं किया गया, तो देश के बंटवारे के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। इस बात को मैंने कल आपके चैम्बर में भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, कश्मीर की समस्या से मणिपुर की समस्या/स्थिति ज्यादा गम्भीर है। वहां कोई भी जनप्रतिनिधि अपने घर में नहीं रह सकता। वे लोग आपकी शरण में आए हुए हैं और प्रधान मंत्री जी, गृह मंत्री जी तथा विपक्ष के नेताओं से रक्षा की गुहार कर रहे हैं। हमारी मदद कीजिए और हमें किसी तरह से मणिपुर भेजिए, लेकिन भेज नहीं पा रहे हैं। उनको एक महीना हो गया है। यह कह रहे हैं कि वहां कौन सी एसेम्बली चल रही है, सरकार की यह संवेदनहीन भावना है।

ये सरकार में बैठे लोग कहेंगे कि क्या फर्क पड़ता है, एक-दो महीने यहां बने रहेंगे। कहीं बच्चे हैं, कहीं परिवार है। वहां

[श्री मुलायम सिंह यादव]

हमले हो रहे हैं। आग लगी हुई है, घरों में हत्याएं हो रही हैं, पुलिस गोली चला रही है। ...*(व्यवधान)* सड़कों पर गोलियां चलते आप देख रहे हैं। ...*(व्यवधान)* इलेक्ट्रोनिक मीडिया न हो तो हम लोगों को जानकारी न हो सके। इलेक्ट्रोनिक मीडिया एवं अखबारों के माध्यम से जानकारी हो रही है। हमारी आपको सावधान करने की जिम्मेदारी है। आपकी नजरों में, इस मामले को लाने की जिम्मेदारी हमारी है और यह देखना आपकी जिम्मेदारी है कि अलगाव की समस्या को कैसे दूर किया जाए। आज पूर्वोत्तर के लोग कैसे कह रहे हैं कि हम हिन्दुस्तान जा रहे हैं? इस भावना को रोकिए। आप तत्काल सरकार की तरफ से वक्तव्य दीजिए। मैंने तभी कहा था कि आगरा से पहले चर्चा अगर मणिपुर की हो जाती तो अच्छा था। मैं स्वीकार करता। आगरा दूसरे नम्बर पर, यूटीआई तीसरे नम्बर पर हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हवाला, घोटाला, तहलका और यूटीआई, ये तो न जाने कब टी.टी. कृष्णमाचारी से लेकर चले हैं। इन्हें रोकने की जरूरत है, हम मानते हैं लेकिन जब देश ही टूटेगा, देश का बिखराव हो जाएगा, संसद पर खतरा पैदा हो जाएगा तो बताइए कहां यूटीआई होगा, कहां भ्रष्टाचार होगा। इसलिए हमारी अपील है कि आप तत्काल वक्तव्य दीजिए और बताइए कि आप मणिपुर की समस्या का समाधान कैसे करें तथा जन प्रतिनिधियों को कब तक भेज रहे हैं? वहां के लोग कब तक शांत हो रहे हैं? इस बारे में गृह मंत्री जी आज वक्तव्य देते तो अच्छा रहता। प्रधानमंत्री जी के साथ यह वक्तव्य आ जाता तो बहुत अच्छा रहता। वहां भी कुछ लोगों में बातचीत करने की भावना पैदा होती। आप किस-किस से इस समस्या के विषय में बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। कहां किसे विश्वास में लिया जा रहा है, कौन इस समस्या को हल कर रहा है, ये सब किस मंत्री के जिम्मे हैं। इसे कौन देख रहा है, अभी तक हमें पता नहीं वरना उससे पूछ लेते। इसलिए तत्काल वक्तव्य दीजिए और इसे गम्भीरता से लीजिए। आप प्राथमिकता के आधार पर मणिपुर पर सदन के अंदर चर्चा कराईये। और पूरे पूर्वोत्तर को विश्वास में लीजिए, यही हमारी आपसे अपील है।

[अनुवाद]

श्री के.ए. सांगतम: माननीय, अध्यक्ष महोदय, मैं सभा को नागा युद्धविराम मामले को इतना महत्व देने और पूर्वोत्तर राज्यों में हो रही घटनाओं पर अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

यह विदित तथ्य है कि नागा मामला एक राजनैतिक मामला है यह एक आंदोलन है जो भारत की स्वतंत्रता से पूर्व शुरू हुआ था। भारत सरकार ने इसे मान्यता दी है और लोगों को बातचीत के लिए राजी किया है और इस आंदोलन के विभिन्न गुटों और दलों के साथ युद्धविराम की घोषणा की है।

अध्यक्ष महोदय: आप इस मामले पर अन्य सदस्यों को भी अपने साथ सम्बद्ध कर सकते हैं।

श्री के.ए. सांगतम: मैं यहाँ यह बताना चाहता हूँ कि बैंकाक में एनएससीएन (आईएम) ग्रुप और भारत सरकार के मध्य बातचीत के परिणामस्वरूप गंभीर स्थिति पैदा हो गई है जो केवल मणिपुर या पूर्वोत्तर के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश के लिए गंभीर चिंता का विषय है। भारत सरकार को इस प्रकार का कोई निर्णय लेने से पहले सम्बद्ध राज्यों की राय लेनी चाहिए थी।

अध्यक्ष महोदय: हम संपूर्ण विषय पर अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप अन्य सदस्यों के साथ सम्बद्ध हो सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री के.ए. सांगतम: महोदय, आप जिस प्रकार मेरे निवेदन पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं इससे लगता है कि आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: अन्य नेता भी आपका समर्थन करना चाहते हैं इसलिए मैं आपसे उनके साथ संबद्ध होने के लिए कह रहा हूँ।

श्री के.ए. सांगतम: महोदय, जिस समय युद्ध विराम की घोषणा की गई और समझौता होने वाला था तो सरकार ने मेरे राज्य नागालैंड समेत पूर्वोत्तर राज्यों से क्यों नहीं परामर्श किया? उनके विचार जानने के संबंध में इस मामले के वार्ताकार अथवा भारत सरकार की ओर से एक भी बात नहीं कही गई। मुझे लगता है कि वार्ताकार प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन है जबकि गृह मंत्रालय पूर्वोत्तर राज्यों को देख रहा है। हमें यह ही नहीं पता कि इस मामले को असल में कौन देख रहा है।

इससे पहले हमने नागालैंड की संघ सरकार (फैडरल गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड) और भारत सरकार के मध्य शांतिवार्ता को भी देखा है? शांतिवार्ता सीधी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ हुई। वार्ता के छः दौर हुए परन्तु ए.जेड. फिजो के लंदन में रहने के कारण समझौते पर हस्ताक्षर करने नहीं आ सके इसलिए युद्धविराम और शांतिवार्ता रद्द कर दी गई।

अब हम इस स्थिति में हैं कि हम किसी वार्ताकार के माध्यम से उनसे सीधे ही बातचीत कर सकते हैं। मणिपुर में विस्फोटक स्थिति बनी हुई है।

महोदय, माननीय प्रधानमंत्री ने तारांकित प्रश्न संख्या 25 के उत्तर में यह आश्वासन दिया है कि युद्धविराम समझौता में शामिल

शब्द ''बिना किसी क्षेत्रीय सीमा'' सहित युद्ध विराम समझौते की समीक्षा की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय: क्या ''शून्य काल'' में मामला उठाने का यही तरीका है।

श्री के.ए. सांगतम: महोदय, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण और गम्भीर मामला है। यदि सरकार इस प्रकार के मामले पर गम्भीरता से विचार नहीं करेगी तो हमारी बात कौन सुनेगा? नागालैंड में स्थिति पहले से ही विस्फोटक है। समय गुजरता जा रहा है। इसलिए, यदि युद्धविराम की समीक्षा की जाएगी तो नागालैंड की स्थिति और बिगड़ जाएगी और इसका सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र पर असर पड़ सकता है।

इसलिए सरकार को हमें बताना होगा कि वे किस प्रकार इस मामले को सुलझायेंगे। हमें पता है कि 31 जुलाई अंतिम तारीख है। यदि भारत सरकार इस मामले से उचित ढंग से नहीं निपटेगी तो मैं आपको बताता हूँ कि नागालैंड में पहले से ही विस्फोटक स्थिति है और जब इसकी समीक्षा की जाएगी तो इसका प्रभाव केवल नागालैंड पर नहीं बल्कि सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पड़ेगा। इसका असर भारत के अन्य भाग में भी होगा।

इसलिए मैं युद्धविराम की समीक्षा के बारे में भारत सरकार से उपयुक्त उत्तर प्राप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.): अध्यक्ष जी, अभी कुछ माननीय सदस्यों ने मणिपुर के सवाल को उठाया। नागालैंड की समस्या के बारे में इस सरकार का जो रुख रहा है वह प्रारम्भ से ही आपत्तिजनक रहा है। नागालैंड में शांति होनी चाहिए, इस बात पर किसी के दो मत नहीं हो सकते। नागालैंड के मुख्यमंत्री को मैं वर्षों से जानता हूं और अभी कुछ दिन पहले वे हमसे मिले भी थे। शायद यह पहली बार होगा कि सरकार वार्ता कर रही हो और वहां के मुख्यमंत्री को उस बारे में कोई सूचना भी न हो। नागालैंड के मुख्यमंत्री में जो भी कमजोरियां हों लेकिन वे 20-25 वर्षों से अकेले व्यक्ति हैं जो कहते रहे हैं कि नागालैंड हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, चाहे वह फिजो का जमाना रहा हो या दूसरा समय रहा हो। मैं उस जमाने में भी नागालैंड में गया था जब माइकल-स्कॉट, जयप्रकाश जी और फिजो से बातचीत चल रही थी। सरकार यदि यह विश्वास करती है कि वहां पर एक सरकार है, वहां एक मुख्यमंत्री है तो उस मुख्यमंत्री को बिना बताए हुए वार्ता कौन लोग चला रहे हैं जब एकता बनाए रखने की बात होती है। हमारे मंत्री जी बैठे हैं और

जो लोग राज्यों को बहुत महत्व देना चाहते हैं और इसी बल पर सरकार रोज-रोज वक्तव्य भी देती है, मैं उस दूरी तक जाने के लिए उनके साथ तैयार भी नहीं हूं। जिन व्यक्तियों से ये लोग बात कर रहे हैं वे कौन व्यक्ति हैं? शायद नागालैंड में उनको कम लोग ही जानते हैं। एक उन्माद फैलाने वाले व्यक्ति से बैंकाक में जाकर बात क्यों होती है? भारत की धरती पर बात न होकर भारत से बाहर बात क्यों होती है? इसका मतलब यह है कि बुराई हम जानबूझकर पैदा कर रहे हैं। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वक्तव्य दिया। हमारे आचरण से ऐसे तत्वों को बल मिलता है जो कहते हैं कि सरकार पर कहीं भी दबाव डाला जा सकता है। इस दबाव के अंदर जो कुछ किया गया है उसके अंदर मणिपुर के लोगों का उत्तेजित होना स्वाभाविक है। मैं कहता हूं कि नागालैंड के लोगों में भी वही प्रवृत्ति पैदा हो गयी है। इस राष्ट्र को सरकार ने ऐसी विषम स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है कि यदि मणिपुर में सरकार शांति कायम करने की कोशिश करेगी तो नागालैंड में अशांति होगी। मैं इस विवाद को बढ़ाना नहीं चाहता हूं। यहां पर माननीय मंत्री जी बैठे हैं। मैं विशेषकर माननीय प्रमोद महाजन जी से कहूंगा कि हर पार्टी के लोगों से जिनका संपर्क वहां के लोगों से हो, मिलकर इसका कोई रास्ता निकालें। याद रखिए, आज गृहमंत्री जी और प्रधान मंत्री जी के बस में वहां की स्थिति नहीं रह गयी है, स्थिति जनता के हाथों में रह गयी है और उसको संभाल पाना इस सरकार के लिए संभव दिखाई नहीं पड़ता है। मैं बहुत दु:खी मन से यह बात कह रहा हूं। मणिपुर के लोगों को सांत्वना दीजिए। नहीं तो जो बात हमारे मित्र ने कही, कहीं नागालैंड में न दोहराई जाए तथा स्थिति और विषम हो जाए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): मणिपुर जलवा दिया, अब नागालैंड में आग लग गयी है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम आपको बुलाएंगे, अभी आप बैठ जाइये।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने पहले मणिपुर को जला दिया और अब नागालैंड में आग लग गई है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): माननीय अध्यक्ष महोदय यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा है। मणिपुर का शिष्टमंडल प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात कर चुका है। उन लोगों ने एक समय सीमा दी है और अंतिम तारीख 31 जुलाई है। उन लोगों ने उस तारीख तक त्यागपत्र देने का निर्णय किया है।

[श्री के. येरननायडू]

इस संबंध में, मैं आपके जरिए संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूँ। सभी संवेदनशील मामलों का समाधान करने के लिए सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाए। क्या सत्ता पक्ष की ओर से इस मामले पर कोई वक्तव्य दिया गया है? हमें इस महीने की 31 तारीख तक इस मामले का समाधान करना है। हमें निर्वाचित मुख्यमंत्री को विश्वास में लेना है। इसी बीच सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए; हमें यह जानना चाहिए कि वास्तविक स्थिति क्या है तथा इसका समाधान कैसे किया जाए। यह पूरे देश के लिए एक समान मुद्दा है; सभी राजनीतिक दल चिन्तित हैं; वे भी इस देश के अंग हैं। हमें इस संवेदनशील मुद्दे की वास्तविक स्थिति का विश्लेषण करना है। हमें इस मुद्दे के समाधान के लिए तथा मणिपुर नागालैंड और शेष पूर्वोत्तर राज्यों में शांति की बहाली के लिए जोर देना है। यह मेरा अनुरोध है। हमें इसे एक गंभीर मुद्दे के रूप में ग्रहण करना चाहिए। समय सीमा 31 जुलाई है और इसलिए हमें इस मुद्दे को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। यह मेरा विनम्र सुझाव है। तेलगू देशम पार्टी की ओर से ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय इसका जवाब दें। हम पूर्ण चर्चा नहीं कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमें सरकार की प्रतिक्रिया जाननी है। इस मामले में सरकार को कुछ कहना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, तो हम सीधे चर्चा शुरू कर सकते हैं। परंतु यह 'शून्य काल' है। आज मुझे विभिन्न मुद्दों को उठाने के लिए 38 माननीय सदस्यों से नोटिस मिले हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आप यह समझते हैं कि दूसरे मामले महत्वपूर्ण नहीं हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): महोदय, यह पूर्णतया दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत सरकार राज्य की संघीय विशेषता को नहीं समझ रही है। मुख्यमंत्री को विश्वास में नहीं लिया गया है; इसलिए सम्पूर्ण सांविधानिक तंत्र ठप्प हो गया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह 'शून्य काल' है, कृपया यह समझिए।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, पूर्वोत्तर-मणिपुर अथवा नागालैंड के प्रश्न से भारत के लोगों का सारोकार है; यह सभी राज्यों की चिंता का विषय है। यह एक राज्य से संबंधित मुद्दा नहीं है। हम भारत में रहते है तथा हम भी भारत के अंग हैं। हम इस संसद में भारतीय संसद के सदस्य के रूप में आते हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि सरकार कम से कम 31 तारीख से पहले मुख्यमंत्री को विश्वास में ले। अन्यथा, विधानसभा सदस्यों का विचार सुनने का क्या उपयोग है? क्या उनकी कोई विशेष राजनीतिक विचारधारा है? दल-बदल भी हुआ। ...*(व्यवधान)* विधानसभा सदस्यों ने त्याग-पत्र देने की धमकी दी है। इसका क्या मतलब है? भारत सरकार द्वारा मुख्यमंत्री को विश्वास में लेना चाहिए था। उन्हें मुख्यमंत्री से बातचीत करनी चाहिए थी। हम बाहरी व्यक्ति से बातचीत नहीं कर सकते हैं; हम संवैधानिक दृष्टि से उत्तरदायित्वविहीन व्यक्ति से बातचीत नहीं कर सकते हैं। तब कौन उत्तरदायी है?

अध्यक्ष महोदय: श्री पांडियन, कृपया बैठ जाइए।

श्री पी.एच. पांडियन: जनरल परवेज मुशर्रफ हुर्रियत कांफ्रेंस के नेताओं से बात कर रहे थे परंतु हम किसी बाहरी व्यक्ति से बात नहीं कर सकते हैं। केन्द्र सरकार ने इस मुद्दे में हेराफेरी की है; उसने इस मुद्दे को अतिशयोक्तिपूर्ण बना दिया है तथा वह इस मुद्दे से निपटने में विफल रही है। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में असंतोष फैला हुआ है। सरकार ने इस मुद्दे को ठीक से नहीं निपटाया है। कम-से-कम अब हम सरकार को सचेत करना चाहते हैं तथा हम सरकार को चेतावनी देते हैं ताकि वह इस मामले में सांविधानिक प्राधिकारी से परामर्श करें। ...*(व्यवधान)* मेरी पार्टी और अखिल भारतीय अन्नाद्रमुक की ओर से जो कहा गया है उससे मैं अपने आपको संबद्ध करता हूं तथा यहां बैठे हम सभी सदस्य इस मामले पर समैक्यता अभिव्यक्त करते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री महोदय जवाब दें।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में भाषण नहीं देना चाहता। प्रधान मंत्री जी ने कहा कि इस बारे में रिव्यू करेंगे लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब पूरा मणिपुर जल जाएगा क्या तब वह इसे रिव्यू करेंगे? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने माननीय मंत्री जी को जवाब देने के लिए कहा है।

...(व्यवधान)

श्री मणिशंकर अय्यर (मयिलादुतुरई): महोदय, श्री राजकुमार वंग्चा अरुणाचल प्रदेश के हैं; उन्हें बोलने का मौका दिया जाए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री मणिशंकर अय्यर जी, कृपया यह समझिए कि यह 'शून्य काल' है। हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं कृपया आप इस बात को समझिए।

हमने नेताओं की बैठक में भी इस मुद्द पर विचार किया था। हम सभा में इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप दूसरे सदस्य के मामले की क्यों वकालत कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या आपके कहने का मतलब यह है कि दूसरे सदस्य इस विषय पर गंभीर नहीं हैं?

श्री राजकुमार वंग्चा (अरूणाचल पूर्व): कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें। *...(व्यवधान)*

श्री वैको (शिवकाशी): अन्य मुद्दे उठाने के लिए नोटिस देने वाले दूसरे सदस्यों को भी समायोजित किया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ऐसे 38 नोटिस प्राप्त हुए हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री राजकुमार, आप दूसरे सदस्यों के साथ अपने को सम्बद्ध कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री राजकुमार वंग्चा: मुझे बोलने का अवसर दिया जाए। मैं अपने आपको किसी के साथ संबद्ध नहीं करना चाहता। मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ।

सर्वप्रथम, मैं सम्पूर्ण पूर्वोत्तर में समस्या उत्पन्न करने के लिए वर्तमान सरकार को दोषी ठहराता हूँ। केन्द्र सरकार ने जनता द्वारा

चुनी गई लोकप्रिय राज्य सरकार को विश्वास में नहीं लिया। हम इस मुद्दे को बार-बार केन्द्र सरकार के साथ उठा रहे हैं। केन्द्र सरकार ने पद्मनाभैय्या को वार्ताकार के रूप में निगुक्त किया है। मैं जानना चाहता हूं कि उनकी हैसियत क्या है? वे पूर्वोत्तर के बारे में क्या जानते हैं? उन्होंने सम्पूर्ण मुद्दे को गड़बड़ कर दिया है। आज प्रश्न मणिपुर, अरुणाचल अथवा असम तक युद्धविराम के विस्तार का नहीं है। हमें केन्द्र सरकार द्वारा युद्धविराम की हाल में घोषणा के दौरान, उससे पहले और उसके बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र में हो रही घटनाओं पर समग्रता से विचार करना होगा। मैं समझता हूँ कि वर्तमान सरकार ने सभी पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोही गुटों के प्रसार में सहायता की है। अरुणाचल प्रदेश पूरे देश में एक सर्वाधिक शांतिपूर्ण राज्य के रूप में विख्यात था। परंतु सरकार के इस निर्णय के बाद विद्रोही अरुणाचल प्रदेश के भी तीन-चार जिलों में फैल गये हैं। विश्वस्त सूत्रों से हमें ज्ञात हुआ है कि वे चीन भी जा रहे हैं जो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के हितों के लिए हानिकर है। मैं पिछले एक महीने में घटित कुछ घटनाओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं।

11 जुलाई को तिरप के जिला मुख्यालय में तीन सीआरपीएफ कर्मी मारे गए। 20 जुलाई को छह सीआरपीएफ कर्मी घटनास्थल पर ही मारे गए तथा अन्य छह घायल हुए। 13 जून को असम के सीमावर्ती क्षेत्रों में असम राइफल्स के नौ कर्मी मारे गए। इन क्षेत्रों में युद्धविराम के विस्तार के बाद ये घटनाएं हो रही हैं। हमें प्रामाणिक रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि ये विद्रोही गुट अरुणाचल प्रदेश के कुछ आतंकवादियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं तथा वे चीन जा रहे हैं। भारत सरकार को ऐसी घटनाओं से भलीभांति परिचित होना चाहिए। कल भी, उत्तरी कछार जिले में एक घटना हुई जिसमें तीन सीआरपीएफ कर्मी मारे गए। पूर्वोत्तर क्षेत्र में यही स्थिति है। हमें केवल युद्धविराम के विस्तार पर ही नहीं बल्कि इसकी निरंतरता पर भी विचार करना है। नागालैंड में युद्धविराम की घोषणा के बाद क्या हुआ है? हम शांति वार्ता के विरुद्ध नहीं हैं परन्तु केन्द्र सरकार इस स्थिति से समुचित ढंग से निपटने में असफल रही है और यही बात हमें उत्तेजित कर रही है। *...(व्यवधान)*

श्री विजय हान्दिक: महोदय, आप इस ओर भी ध्यान दें।

अध्यक्ष महोदय: दूसरे सदस्यों ने जो कहा है उससे आप अपने को संबद्ध कर सकते हैं।

श्री विजय हान्दिक: मैं कैसे कर सकता हूँ? माननीय सदस्य ने कहा कि वे अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सामान्यत: पूर्वोत्तर विशेषकर

[श्री प्रमोद महाजन]

मणिपुर की स्थिति और नागा युद्धविराम तथा इसके प्रभाव के बारे में माननीय सदस्यों की चिन्ता से सहमत हूँ।

मैं इस तर्क से भी सहमत हूँ कि मणिपुर की स्थिति का समाधान संसदीय वाद-विवाद का इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि संसद का अपना हिसाब-किताब है। कई मुद्दों पर चर्चा की जानी है तथा संसद द्वारा इस पर चर्चा होने अथवा राष्ट्रपति शासन अथवा दूसरे मुद्दों के निपटान तक इंतजार नहीं किया जा सकता। मैं इस तर्क से सहमत हूँ। हम मणिपुर के लोगों द्वारा निर्धारित 31 जुलाई की समय-सीमा से भी भिज्ञ हैं।

महोदय, सभा यह जानती है कि प्रधानमंत्री जी ने इस शनिवार तक इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। साथ ही मैं माननीय श्री चन्द्रशेखर जी के इस सुझाव को स्वीकार करता हूँ कि गृह मंत्री द्वारा सदस्यों से भी परामर्श किया जाना चाहिए। अत: मैं इस मामले पर यहां व्यक्त की गई गंभीरता बताये गये समाधान और दी गई सलाह तथा गृह मंत्री की की गई आलोचना को शीघ्र ही उन तक पहुंचा दूंगा। मेरा केवल इतना अनुरोध है कि यदि मुझे यह ज्ञात होता कि इतने गंभीर मामले पर हम थोड़ी देर के लिए बहस करेंगे तो मैं गृह मंत्री से अनुरोध करता कि वे यहां उपस्थित रहें *...(व्यवधान)*। महोदय, आप समझ रहे हैं कि स्थिति की जटिलता को देखते हुए संसदीय कार्य मंत्री के लिए इसका उत्तर देना कितना कठिन है।

जैसाकि मैं कह चुका हूं हम पहले ही उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुला चुके हैं। लेकिन फिर भी मैंने आप द्वारा दिए गए सुझावों को नोट कर लिया है तथा गृह मंत्री से आपके साथ विचार-विमर्श करने के लिए कहूंगा। मुझे ज्ञात है कि आज ही गृह मंत्री राज्य सभा में कुछ विपक्षी दलों के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं। मैं उनसे लोक सभा के सदस्यों के साथ भी विचार-विमर्श के लिए कहूंगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है, हम संसद में बहस की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। मैं इस मामले पर सभा में व्यक्त की गई गंभीरता को शीघ्र ही गृह मंत्री तक पहुंचा दूंगा।

अपराह्न 12.52 बजे

उड़ीसा और केरल में बाढ़ की स्थिति के बारे में

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): महोदय, मैंने उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति के बारे में नोटिस दिया है। महोदय, आज उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति बहुत गंभीर है। सभी नदियों में जल स्तर अभी भी बढ़ रहा है। महोदय, मैं प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 100 करोड़ रुपये स्वीकृत करने के लिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन यह तो ऊंट के मुंह में जीरा जैसी बात हुई। यह धनराशि बाढ़ की वर्तमान स्थिति के लिए पर्याप्त नहीं है।

आज, राज्य के 30 जिलों में से 21 बाढ़ से बुरी तरह ग्रस्त हैं, जल स्तर प्रतिदिन बढ़ रहा है। महोदय, बाढ़जनित बीमारियां फैलना शुरू हो गई हैं तथा इससे पहले ही 57 मौतें हो चुकी हैं।

अपराह्न 12.53 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय, *पीठासीन* हुए]

स्वास्थ्य सेवाओं में नए सिरे से सुधार करना होगा। केन्द्र सरकार को राज्य सरकार की सहायता करने के लिए आगे आना चाहिए क्योंकि आज राज्य सरकार गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रही है। केन्द्र सरकार को चाहिए कि बाड़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए और अधिक धन तथा सामग्री उपलब्ध कराये। महोदय, आज राज्य की बड़ी नदियों महानदी, ब्राह्मणी आदि के तटबंध बनाने के लिए एक व्यापक मास्टर प्लान बनाये जाने की जरूरत है। राज्य की राहत संहिता (रिलीफ कोड) में स्पष्ट रूप से बाढ़ मुक्त क्षेत्र बनाये जाने का उल्लेख है। लेकिन यह कहते हुए मुझे अफसोस है कि यहां की पूर्ववर्ती सरकारों ने बाढ़ से निपटने में थोड़ी भी रुचि नहीं दिखाई इसलिए राज्य में बाढ़ की स्थिति के समाधान के लिए भावी योजना होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, 38 सदस्यों ने सूचनायें दी हैं। यदि आप धैर्य रखेंगे तो मैं प्रत्येक को बोलने का अवसर देने का प्रयास करूंगा। श्री देव, अब, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री बिक्रम केशरी देव: महोदय बाढ़ के कारण चार लाख व्यक्तियों का मुख्य भूमि से सम्पर्क कट गया है तथा उन्हें पिछले सात दिन से खाने को भोजन तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि बाढ़ के शिकार हुए लोगों की सहायता के लिए और अधिक सशस्त्र बलों को तैनात किया जाए।

मौजूदा खड़ी फसलें जल भराव के कारण बुरी तरह बर्बाद हो गई हैं। इसलिए केन्द्र सरकार को चाहिए कि राज्य के कृषकों को बचाने के लिए कोई पैकेज लेकर आगे आए। राज्य में कृषि बुरी तरह प्रभावित हुई है और विशेषकर कालाहांडी जिला में जो कि सूखा-प्रवण क्षेत्र है, बाढ़ में आप्लावित हो गया है। मैं पुन: अनुरोध करता हूं कि केन्द्र सरकार वहां के लोगों के बचाव के लिए आगे आए।

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): श्री बिक्रम केशरी देव ने उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति के विषय में जो कुछ कहा है, मेरा भी वही कहना है। मैं उसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं। उड़ीसा में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में 1.3 लाख टन ग्रेड 'ए' का चावल है। मैं आपके माध्यम से खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए उस स्टाक को अविलम्ब जारी करें? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया इस प्रकार व्यवधान न डालें।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम): आपको अच्छी तरह ज्ञात है कि केरल बाढ़ से बर्बाद हो गया है। यह अप्रत्याशित ही है कि केन्द्र सरकार ने बाढ़ की स्थिति का सामना करने के लिए राज्य सरकार को अनुदान देने से इन्कार कर दिया है। मुझे उड़ीसा के लोगों से पूरी सहानुभूति है क्योंकि वहां विनाशकारी बाढ़ आई हुई है। केन्द्रीय कैबिनेट ने उड़ीसा को सहायता देने का निश्चय किया है जबकि केरल को किसी प्रकार की सहायता या अनुदान देने से इन्कार कर दिया है। यह अप्रत्याशित निर्णय है। इसलिए मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि केरल को अविलम्ब सहायता दे। *...(व्यवधान)* केरल सरकार का कठोर और उपेक्षात्मक रवैया केरल की सहायता में आड़े नहीं आना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप अपनी ही बात को निष्फल न करें।

श्री सुरेश कुरूप: केन्द्र सरकार को अविलम्ब केरल के लोगों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए।

श्री वी.एम. सुधीरन (अलेप्पी): केरल की स्थिति गंभीर है। भीषण बाढ़, चक्रवातीय आंधी और समुद्रीय कटाव की वजह से लोगों का जीवन बहुत कठिन हो गया है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यदि आप मामले को इस प्रकार उठाएंगे तो आपको नहीं बुलाया जाएगा। यदि आप धैर्य रखेंगे तो मैं तभी आपको बोलने का अवसर दूंगा।

श्री वी.एम. सुधीरन: समुद्रीय कटाव की वजह से केरल का संपूर्ण तटवर्ती क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र सहित केरल के अनेक स्थानों में समुद्र का तटवर्ती क्षेत्र कटकर बह गया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अरात्तुपुझा, त्रिक्कुनापुझा, पुराक्कोड, ओट्टामासेरी, अर्थुंगल और ओमानापुझा आदि स्थानों पर समुद्र तटवर्ती सिरा कटाव की वजह से बह गया है। अत: लोग बहुत अधिक परेशानी में हैं। यह वह सही समय है जब केन्द्र सरकार राज्य को केरल सरकार द्वारा मांगी गयी अतिरिक्त वित्तीय सहायता सहित अन्य सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराये।

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): मैं श्री सुरेश कुरूप और श्री सुधीरन द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से पूरी तरह सहमत हूं। मेरा भी वही कहना है। केरल सरकार ने केन्द्र सरकार को ज्ञापन दिया है तथा तत्कालीन कृषि मंत्री से भी मुलाकात की। लेकिन दुर्भाग्य से वे कृषि मंत्री बदल गए, अब दूसरे कृषि मंत्री आ गए हैं। हमने 555 करोड़ रुपये की सहायता का अनुरोध किया है। नुकसान इतना अधिक हुआ है कि केन्द्र सरकार द्वारा केरल सरकार को सहायता न देने पर बाढ़ की विनाशकारी स्थिति से निपटना कठिन होगा। मेरे निर्वान क्षेत्र में भी समुद्रतटीय कटाव जारी है। समुद्र तटीय कटाव से केरल के पूरे समुद्रतटीय क्षेत्र को खतरा है। अत: हम केन्द्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि कृषि मंत्रालय को चाहिए कि केरल सरकार की पर्याप्त सहायता करे।

श्री वैको (शिवकाशी): केवल केरल के सदस्यों को बुलाया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय: जिन सदस्यों ने सूचनाएं दी हैं, उन्हें बुलाया जा रहा है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: ये सभी सदस्य केरल विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं फिर भी वे सदन में इस प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): केरल में बाढ़ की स्थिति अप्रत्याशित है। इदुक्की जिले में भूस्खलन हुए हैं तथा इसमें 100 से अधिक व्यक्तियों की जान गयी है। भूस्खलन से करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति बर्बाद हुई है। इस विनाश को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए और इस मामले में केन्द्र सरकार का रवैया भी सहयोगात्मक नहीं रहा है।

केन्द्र सरकार द्वारा उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए उठाए गए कदमों का मेरे द्वारा स्वागत किया जाना स्वाभाविक है। वास्तव में उन्हें प्रभावकारी कदम उठाने चाहिए, लेकिन भारतीय खाद्य निगम ने पर्याप्त सहायता नहीं उपलब्ध कराई है। केरल दक्षिण में स्थित राज्य है अत: केन्द्रीय प्राधिकारी केरल राज्य में पुनर्वास के लिए प्रभावकारी कदम नहीं उठा रहे हैं। हम भी इस संघीय गणतंत्र में रहते हैं। प्रधानमंत्री ने उड़ीसा में टेलीफोन कर दयालुता का परिचय दिया। मैं समझता हूं यह बहुत अच्छी बात

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

है। लेकिन उन्हें चाहिए था कि केरल राज्य से वहां की स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए लिखते। इस मामले में अभी कुछ नहीं किया गया है। यह अत्यन्त खतरनाक तथा भेदभावपूर्ण स्थिति है।

हमें मालूम है कि केन्द्र सरकार में केरल का कोई भी प्रतिनिधि नहीं है। हमारा राजनीतिक प्रभाव कम है क्योंकि केरल के सभी प्रतिनिधि विपक्ष में हैं। लेकिन यह भी आवश्यक है कि केरल के साथ न्याय किया जाए। राज्य को 500 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तुरन्त कदम उठाए तथा दक्षिण के राज्यों के साथ न्याय करे।

[अनुवाद]

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): महोदय, जैसाकि केरल के मेरे सहयोगियों ने यहां बताया है कि केरल में अभूतपूर्व बाढ़, एकाएक मूसलाधार वर्षा और भूस्खलन आदि से तबाही होती रही है। इनसे सबसे अधिक प्रभावित मेरा निर्वाचन क्षेत्र रहा है। लगभग 20,000 मकान नष्ट हो गये और 35,000 लोग बेघर हो गये हैं। सड़कों और पुलों की क्षति से लगभग 550 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और नकदी फसलों तथा अन्य कृषि फसलों की क्षति से लगभग 150 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है? केन्द्र से हमें मात्र 26 करोड़ रुपये मिले हैं और केन्द्रीय सहायता कोष से केरल को मिलने वाली यह अंतिम किश्त है। हमें केन्द्र से सहायता के रूप में अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। हमें एनसीसीएफ से अधिक सहायता चाहिए जोकि केन्द्र सभी आपदाग्रस्त राज्यों को प्राय: देती है। केन्द्र सरकार द्वारा केरल के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार ही किया जाता है।

अत: मैं यहां उपस्थित अपने सहयोगियों के साथ केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता हूँ कि इस संकट से उबरने के लिए वह पर्याप्त निधि जारी करे।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): महोदय, मैं केरल के अपने माननीय सहयोगियों द्वारा व्यक्त भावनाओं से सहमत हूं।

बाढ़ की स्थिति अत्यधिक गंभीर है। जब भूतपूर्व कृषि मंत्री, श्री नीतीश कुमार केरल आये तो हमने उनके साथ मामले पर व्यक्तिगत रूप से चर्चा की थी और केरल सरकार ने उन्हें ज्ञापन भी दिया था। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि केरल राज्य को प्राकृतिक आपदा राहत कोष से संतुलित राशि के रूप में मात्र 26 करोड़ रुपये दिये गये। मेरे विचार से स्थिति काफी गंभीर है। अब भी लोग बेघर हैं और शिविरों (कैंप) में रह रहे हैं। यद्यपि राज्य सरकार दिवालिया हो चुकी है और उसके पास रोजमर्रा के कार्यों की व्यवस्था करने के लिए कोई पैसा नहीं है, फिर भी सरकार राहत शिविरों के प्रबंधन के लिए विभिन्न जिलों को वित्तीय सहायता दे सकती है। सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थीं। भूस्खलन भी हुये। मलयालम मनोरमा का फोटोग्राफर श्री विक्टर जार्ज बाढ़ में बह गये। इदुक्की, अलेप्पी और पथारथट्टा जिलों तथा राज्य के दूसरे भागों में भी कई गंभीर घटनायें घटी। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कृषि मंत्री जी ने इन घटनाओं की ओर ध्यान तक नहीं दिया है।

नि:संदेह, उड़ीसा में भी स्थिति बहुत गंभीर है। केरल में भी यही स्थिति है। लेकिन यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि केन्द्र सरकार ने केरल राज्य के प्रति सहानुभूति तक नहीं जतायी है।

इसलिए, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि सरकार को इस मामले पर तुरंत ध्यान देना चाहिए और राज्य की गरीब जनता के पुनर्वास और सड़कों की मरम्मत के लिए भी पर्याप्त वित्तीय सहायता देनी चाहिए। सरकार को चाहिये कि वह बाढ़ की इस अभूतपूर्व स्थिति से बुरी तरह प्रभावित लोगों, किसानों को पर्याप्त मुआवजा दे।

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार): महोदय, हमने भी सूचना दी है।

उपाध्यक्ष महोदय: आपको भी अवसर दिया जायेगा। आपकी सूचना इस मुद्दे से संबंधित नहीं है।

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर): उपाध्यक्ष महोदय, पूरा राष्ट्र एक महान देशभक्त, तमिलनाडु के विख्यात फिल्म अभिनेता पद्मभूषण शिवाजी गणेशन के निधन पर दुखी था जिन्होंने 350 से भी अधिक फिल्मों में अलग-अलग भूमिका निभाकर फिल्म जगत में अपनी अलग पहचान बनाई थी। तमिलनाडु की समूची जनता और पूरे सिनेमा जगत को उनके जाने से अत्यधिक हानि हुई। वह कई महत्वाकांक्षी कलाकारों की प्रेरणा थे।

शिवाजी गणेशन को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था जिनमें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और फ्रांसीसी सरकार द्वारा दिया गया शेवलियर अवार्ड भी शामिल था *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपको प्रक्रिया मालूम होनी चाहिए। कुप्पुसामी जी, आप कृपया अपनी बात जारी रखें।

श्री सी. कुप्पुसामी: इसलिए, महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सभा में अनुरोध करता हूँ कि भारत के इस महान सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करके और उनकी सेवाओं को याद करते हुए मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ कि उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार "भारत रत्न" से सम्मानित किया जाये और

उनके सम्मान और याद में डाक टिकट भी जारी किये जायें। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदयः अब श्री वैको बोलेंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः इस मामले में वह श्री कुप्पुसामी के कथन में शरीक हो रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री वैकोः अध्यक्षपीठ ने मुझे बोलने का अवसर दिया है। *...(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितलाः महोदय, कम से कम संसदीय कार्य मंत्री को तो केरल में बाढ़ की स्थिति के संबंध में वक्तव्य देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदयः मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता।

...(व्यवधान)

श्री वैकोः मैंने इस मुद्दे पर विशेष सूचना दी है। अध्यक्षपीठ ने इसी विषय के संबंध में मुझे सभा में बोलने का मुझे मौका दिया है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः वैको जी, कृपया बैठ जायें। माननीय मंत्री जी इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः राधाकृष्णन जी, माननीय मंत्री जी इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। वह इसका उत्तर दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री वैकोः मैंने इसी मामले के संबंध में बोलने के लिए विशेष सूचना दी है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): वैको जी, आप एक मिनट के बाद अपनी बात जारी रख सकते हैं। मैं केरल के मुद्दे का उत्तर दूंगा और उसके बाद आप इसे जारी रख सकते हैं।

महोदय, मेरे विचार से, मुझे सरकार की ओर से केरल संबंधी मुद्दे का उत्तर देना चाहिए क्योंकि केरल के अनेक संसद सदस्यों ने केरल में बाड़ की स्थिति के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है। सामान्यतः, केरल में बाढ़ की स्थिति किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अजीब हो सकती है जिसे केरल की स्थल रूपरेखा की समझ न हो। यदि कोई व्यक्ति तीन-चार दिन बाद वहां जाकर यह पता लगाने की कोशिश करे कि पानी कहां था, तो उसके लिए यह असंभव होगा। समुद्र और पहाड़ों की स्थलाकृति को देखने मात्र से ही कुछ कहना संभव नहीं होगा। लेकिन मैदानी क्षेत्रों की तुलना में केरल में बाढ़ से कहीं अधिक क्षति हुई है। ऐसी स्थिति में आप पेड़ और बहुत कुछ और गंवा देते हैं। इसलिए उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए आपको छह से आठ वर्ष का समय चाहिए। केरल में आप कोई तीन महीने में उगने वाली फसल नहीं गंवाते हैं। बल्कि ऐसी फसल गंवाते हैं जिसे आप दस वर्षों तक नहीं पा सकते।

सरकार को यह भी मालूम है कि केरल सरकार भारत सरकार को पहले ही अभ्यावेदन दे चुकी है। मेरे विचार से, कल या परसों केरल विधान सभा ने सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया जिसमें केन्द्र सरकार से सहायता मांगी गई है। इसलिए में माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूँ कि मैं व्यक्तिगत तौर पर माननीय कृषि मंत्री जी के साथ इस मुद्दे पर विचार करूंगा। संकट की इस घड़ी में केरल के लोगों की सहायता करने का हम यथासंभव प्रयास करेंगे।

इस बात का खंडन करते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने किसी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। चाहे कोई व्यक्ति राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को चुने या न चुने, वह एक अलग मामला है। जहां तक लोगों का संबंध है, वे लोग भारत के हैं। इसलिए वे किसे वोट देते हैं, यह बात मायने नहीं रखती। हम इस मामले से निपटने के लिए सभी संभव प्रयास करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यों, प्रधानमंत्री द्वारा 14 से 16 जुलाई, 2001 तक चली भारत और पाकिस्तान के बीच शिखर वार्ता के बारे में दिए गए वक्तव्य की प्रतियां प्रकाशन काउंटर पर उपलब्ध हैं। सदस्य कृपया प्रकाशन काउंटर से उसे प्राप्त कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अब वैको जी अपनी बात जारी रखेंगे। अपनी बात कह रहे थे।

[अनुवाद]

श्री वैको (शिवकाशी): उपाध्यक्ष महोदय, 21 जुलाई, शनिवार का दिन तमिलनाडु के लिए बड़ा दु:खद दिन है। इसी दु:खद दिन को हमारे समय के महान अभिनेता 'नाडिगर तिलागम' शिवाजी गणेशन का निधन हुआ था। लाखों लोगों और सभी राजनैतिक दलों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है।

एक नाटक में जब शिवाजी गणेशन ने छत्रपति शिवाजी की भूमिका अदा की तो सामाजिक न्याय के अग्रदूत 'तन्थाई पेरियार' ने उन्हें 'शिवाजी' की उपाधि प्रदान की थी। वे हॉलीवुड के सभी नेताओं से बेहतर अभिनय कर सकते थे। स्वर्गीय नेता और उन विगनोर अन्ना, जो संस्थापक थे, ने मार्लोन ब्राण्ड के बारे में सटीक टिप्पणी करते हुए कहा था कि यदि वह अपनी ओर से बेहतरीन प्रयास करें तो वह शिवाजी गणेशन की भाँति अभिनय कर सकते हैं। उन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सभी नायकों की भूमिका अदा की थी। वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने सिनेमा के क्षेत्र में 50 वर्ष तक काम किया। उनके समकक्ष कोई नहीं है। इसलिए अफ्रीकी-एशियाई फिल्म महोत्सव में उन्हें नाजिर द्वारा उच्चतम उपाधि से सम्मानित किया गया। फ्रांस सरकार ने उन्हें 'शेवलियर' की उपाधि से सम्मानित किया। भारत सरकार ने भी उन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित किया।

महोदय, अब वह समय आ गया है कि भारत सरकार उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सम्मान, 'भारत-रत्न' से सम्मानित करे। मैं इस मांग पर सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों का समर्थन चाहता हूँ। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से राज्य के तमिलों की भावनायें प्रधानमंत्री को संप्रेषित करने का भी अनुरोध करता हूँ ताकि हमारी भावनाएं पूर्ण रूप हो सकें। *...(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): हम श्री वैको की भावनाओं से सहमत हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): हम पूर्ण रूप से इसका समर्थन करते हैं।

श्री मणिशंकर अय्यर (मयिलादुतुरई): तमिलनाडु के संसद सदस्यों की ओर से हम श्री वैको द्वारा व्यक्त भावनाओं का समर्थन करते हैं।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): स्वर्गीय शिवाजी गणेशन राज्य सभा के सदस्य थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में राष्ट्रीय एकता के लिए भी करीब 50 वर्षों तक काम किया। जब चीन तथा अन्य देशों के साथ युद्ध हुआ तो उन्होंने संपूर्ण भारत भारतीय भूभाग की सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा की। अत:, उन्हें उपयुक्त सम्मान दिया जाना चाहिए ताकि भविष्य में विश्व उन्हें हमेशा याद रखे।

मैं संचार मंत्रालय से शिवाजी गणेशन के सम्मान में एक डाक टिकट जारी करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के हसनपुर गांव में, अलीगढ़ जिले के जहराना गांव तथा आज समाचार-पत्रों में छपा है कि मुरादाबाद के एक गांव में छ: अल्पसंख्यकों की हत्या हुई। बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में दलितों और अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किये जा रहे हैं। *...(व्यवधान)* आपको दिखाई नहीं देता। यह अत्यधिक गम्भीर घटना है। उत्तर प्रदेश की सरकार कमजोर वर्गों की रक्षा करने में बिल्कुल असफल सिद्ध हुई है। जब से यह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी है, कमजोर वर्गों में अविश्वास की भावना बनी है और अक्लियत के लोगों में दहशत बढ़ी है। मैं चाहूंगा कि पूरे हिन्दुस्तान में दलितों और अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, इस पर नियम 193 के तहत चर्चा कराई जाये।

***श्री के.के. कलिअप्पन** (गोबिचेट्टिपालयम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक महीना पहले ईरान को निर्यात किए गए गेहूँ की स्थिति के बारे में इस सम्मानजनक सभा को बताना चाहता हूँ। भारत से निर्यातित लगभग 27 हजार टन गेहूँ मानव-उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाया गया। इसे सड़ा हुआ गेहूँ बताकर भारत वापस भेज दिया गया, जो मानव उपभोग योग्य नहीं था।

इस देश में विद्वानों और वैज्ञानिकों की कमी नहीं है। हमारे यहाँ कृषि के लिए विशेष रूप से केबिनेट स्तर के मंत्री हैं। परंतु फिर भी हम निर्यात की जाने वाली खेप की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं कर पाये जिसके कारण हमें करोड़ों रुपये का घाटा हुआ। माननीय खाद्य मंत्री को मानव उपभोग के लिए खाद्यान्नों, जिन्हें निर्यात और उपयोग हेतु विदेश भेजा जाना है की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का ध्यान रखना चाहिए। समुचित भंडारण और गुणवत्ता बनाए रखने की सुविधाओं के अभाव में करोड़ों रुपये का लाखों टन अनाज खराब हो रहा है। मैं इस सरकार को पर्याप्त ध्यान न देने, अनुपयुक्त आधारभूत ढांचे और पूर्णरूपेण प्रबंधन का दोषी मानता

* मूलत: तमिल के दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

हूँ। केन्द्रीय मंत्रियों, विशेषतौर पर वाणिज्य मंत्री, श्री मुरासोली मारन को विशेष रूप से निर्यात किए जाने वाले खाद्यान्न की गुणवत्ता का ध्यान रखना चाहिए था। वे खाद्यान्न-निर्यात का प्रबंध करने में बुरी तरह से असफल रहे हैं। दुर्भाग्य से हजारों टन गेहूँ खराब हो गया और खाने के लिए अनुपयुक्त हो गया। हमारे यहाँ चाय का प्रचुर उत्पादन होता है लेकिन फिर भी श्रीलंका से चाय का आयात किया जा रहा है। इससे श्रीलंका के उत्पादकों का ही फायदा होता है चूँकि हमारी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है और जिम्मेदारी की भावना से काम नहीं कर रही है इसलिए हमारे कृषि उत्पादों को वापस लौटाया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अनुवाद मत कीजिए। आपको नोटिस देना चाहिए था। अब मैं श्री प्रभुनाथ सिंह को बुलाऊंगा।

श्री मणिशंकर अय्यर: महोदय, उन्हें बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: उन्हें बोलने की अनुमति दी गई थी। परंतु उन्हें तमिल में बोलने के लिए नोटिस देना चाहिए था।

अपराह्न 1.15 बजे

आतंकवादियों द्वारा जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ तीर्थयात्रियों की हत्या के बारे में

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा का ध्यान अमरनाथ तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा करने में केन्द्र सरकारी की पूर्ण रूप से असफलता की ओर दिलाना चाहता हूं। गत वर्ष इसी प्रकीर की घटना होने के बावजूद सरकार ने एहतियाती उपाय करने में असफल रही और उसने तीर्थ यात्रियों को आतंकियों के खुले आक्रमण के लिए सुरक्षित छोड़ दिया। सुरक्षोपाय बिल्कुल असफल हो गये और मेरे जिले में दो लड़कों समेत 13 लोग मारे गये। सरकार बम विस्फोट के बाद न केवल स्थिति से निपटने में उदासीनता बरत रही है अपितु घायलों की तरफ भी ध्यान नहीं दे रही है। जब हमने सरकार से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया तो वह तत्काल हमारी मदद नहीं कर सकी। जब हम शवों को लेने के लिए दिल्ली हवाई अड्डे पहुंचे तो हमने देखा कि शवों के साथ सीमा सुरक्षा बल अथवा केन्द्र सरकार का कोई अधिकारी नहीं था। फिर हमने वहां से शवों को लेकर कोलकाता भिजवा दिया।

अत: मेरे विचार से यह सरकार बहुत निर्दयी है और यह केवल सुरक्षा से ही नहीं बल्कि हमले में घायल लोगों की सहायता और उनके पुनर्वास संबंधी स्थिति की तरह समुचित ढंग से ध्यान नहीं दे रही है?

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): यहां संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, उन्होंने सुबह कहा था कि गृह मंत्रीजी इस पर वक्तव्य देंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मोहन रावले, पहले जिन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिए। उसके बाद मैं आपको बुलाउंगा। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री हन्नाह मोल्लाह, कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए। अन्य कई सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री हन्नान मोल्लाह: महोदय, मेरे विचार से सरकार एक वक्तव्य देकर इन सभी बातों को स्पष्ट करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अधीर चौधरी, आपको उनकी बात से स्वयं को सम्बद्ध करना पड़ेगा।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): उपाध्यक्ष महोदय, बढ़ती हुई आतंकवादी गतिविधियों के कारण अमरनाथ जाते हुए रास्ते में पवित्र स्थान शेषनाग पर बम विस्फोट से 13 लोगों की, जिनमें दो यात्री मेरे राज्य के थे, नृशंस हत्या से कश्मीर एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। आतंकवादियों ने डोडा जिले में किर्गी गांव में एक बार फिर आक्रमण किया है।

महोदय, यह बात ध्यान देने योग्य है कि आगरा शिखर वार्ता के उपरांत आतंकवादियों ने घाटी से एक समुदाय-विशेष के लोगों को भगाने के उद्देश्य से अपनी आतंकवादी गतिविधियां तेज कर दी हैं। समुचित सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद लोगों के मारे जाने के समाचार प्रति दिन सुनने को मिलने हैं।

सीमा-पार से गोलाबारी के भी समाचार मिले हैं। मौत का तांडव जारी है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री अधीर चौधरी: ये सभी दु:खद घटनायें इस बात का पुख्ता प्रमाण हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद और मार्च में युद्ध-विराम, जिसका बड़ा प्रचार किया गया था। आतंकियों के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह घाटी में आम लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए सभी उपाय करे।

उपाध्यक्ष महोदय: सूची में से 28, 34, 35 और 36 के माननीय सदस्य उनकी बात से सहमत हैं। अब, श्री स्वदेश चक्रवर्ती बोलेंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मोहन रावले, उनको सम्बद्ध किए जाने के उपरांत यदि आप चाहें तो मैं आपको अवसर दूंगा। अब श्री चक्रवर्ती बोलेंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रावले, अब समय बर्बाद मत कीजिए।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: उन्होंने सदन में आश्वासन दिया था। आतंकवादी गरीब लोगों को मार रहे हैं।... *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): जिन्होंने नोटिस दिया है, उन्हें तो पहले बोलने दीजिए।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रावले, आपको बोलने का अवसर दिया जा चुका है।

श्री चक्रवर्ती, आपको भी संक्षेप में बोलना होगा।

श्री स्वदेश चक्रवर्ती (हावड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो दो लड़के मारे गए हैं वे मेरे निर्वाचन क्षेत्र के थे। लेकिन गौरतलब बात यह है कि उस घटना के शिकार व्यक्तियों के प्रति मंत्रालय का दृष्टिकोण बड़ा निष्ठुर है। उनके शवों को लेने में भी उसकी कोई खास रुचि नहीं थी। उन्होंने इसमें लापरवाही बरती। यहां तक कि घायल व्यक्ति का तत्काल उपचार तक मुहैया नहीं कराया गया। हमें घायल व्यक्तियों की देखभाल करनी चाहिए थी। उन्हें श्रीनगर से दिल्ली लाया गया। हमें उन्हें यहां से कोलकाता भेजना था। मृतकों तथा अन्य घटनाग्रस्त व्यक्तियों को देखने के लिए श्रीनगर अथवा दिल्ली अथवा कोलकाता में गृह मंत्रालय से कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं था। इसलिए, मैं आपका ध्यान गृह मंत्रालय के इस अजीब और क्रूर रवैये की ओर दिलाना चाहता हूं। यह एक अति महत्वपूर्ण मुद्दा है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री को अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता हूं ताकि ये संवेदनाएं गृहमंत्री तक पहुंच जाएं। जब कश्मीर घाटी में यह घटना घटी जिसमें अमरनाथ यात्री प्रभावित हुए थे, उसकी अगली सुबह मैंने हावड़ा के कोनार निवासी श्री असीम घोष, श्री सुरोजी, श्री चंचल आलोक की मृत्यु तथा बुरी तरह से घायल अन्य व्यक्तियों के बारे में जानकारी एकत्रित की। चूंकि उस दिन अवकाश था और श्री आडवाणी घर पर नहीं थे इसलिए मैंने उनके कार्यालय में तत्काल फैक्स भेजा कि उन लोगों को पूर्ण चिकित्सीय सुविधा के साथ कोलकाता लाया जाए और भारत सरकार के प्रतिनिधि कोलकाता में मृतकों के परिवारों को उनके शव सौंपे तथा इसके साथ-साथ पर्याप्त मुआवजे की व्यवस्था की जाए और घायल व्यक्तियों के पूर्ण उपचार की भी व्यवस्था की जाए। उनके कार्यालय ने दो घंटे बाद मुझे आश्वासन दिया कि उनकी हर संभव सहायता की जाएगी और मुझे बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

संयोगवश, जो कुछ हुआ उसकी जानकारी मैंने एकत्र कर ली। मैं श्री स्वदेश चक्रवर्ती था श्री हन्नान मोल्लाह की चिंता को समझता हूं उन्होंने जो कुछ कहा वह बिल्कुल सही है। यह व्यवहार निष्ठुर था! भारत सरकार की ओर से कोई भी मृतकों के शवों के साथ उनके परिवारों से नहीं मिला और न ही उन्हें मुआवजा तथा घायलों को उपचार सहायता दी गई।

पिछली बार जब नियम 184 के अधीन मेरे प्रस्ताव के अंतर्गत इस सभा में अमरनाथ नरसंहार पर चर्चा हुई थी तो सरकार की ओर से पूर्ण आश्वासन मिला था कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा और प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया।

मैं, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अपील करता हूं कि वे कश्मीर में अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के नरसंहार तथा डोडा में एक ही समुदाय के निर्दोष लोगों की हत्या के बारे में एक वक्तव्य दें। प्रधानमंत्री के आज के वक्तव्य में उनका उल्लेख है। गृह मंत्री या तो आज सभा के उठने से पहले अथवा कल सबसे पहले उपलब्ध समय में उक्त घटना पर एक व्यापक वक्तव्य दें। अन्यथा, मान लिया जाएगा कि सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): उपाध्यक्ष जी, जो विस्फोट वहां हुआ, आतंकवादियों ने अमरनाथ जी के यात्रियों पर जो विस्फोट किया और वह भी वहां मध्य रात्रि को हमला किया और उसमें 6 यात्री मारे गये हैं। उनमें से तीन महाराष्ट्र के थे। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि 13 तारीख को मैं भी यात्रा पर गया था। उस समय यात्रियों में ऐसा डर व्याप्त था कि जनरल मुशर्रफ के जाने के बाद और यदि चर्चा विफल हो गई तो हम लोग यहां से वापस भी जाएंगे या नहीं जाएंगे।

मैं बताना चाहता हूं कि आतंकवादी अमरनाथ यात्रियों पर और कश्मीर में डोडा जिले में हिन्दुओं पर हमला करने लगे हैं, तो हम लोग चुप क्यों बैठे हैं। आज सुबह शिवसेना के सदस्य माननीय प्रमोद महाजन जी से मिले थे, उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द चर्चा प्रस्तुत करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमरनाथ यात्रियों को वहां बहुत असुविधायें हैं। जिस प्रकार माता वैष्णो देवी पर जाने वाले यात्रियों के लिए केन्द्रीय सरकार के माध्यम से व्यवस्था है, वैसी सुरक्षा व्यवस्था यहां के लिए भी होनी चाहिए। भारत सरकार द्वारा यह लक्ष्य होगा, तो वहां इस प्रकार के हादसे नहीं होंगे।

उपाध्यक्ष महोदयः अब मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री मोहन रावले (मुम्बई): सर, आपने प्रोमिस किया था कि आप मुझे बोलने के लिए समय देंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः आपने कोई सूचना नहीं दी है लेकिन में विशेष मामले मानकर आपको बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावलेः महोदय, अमरनाथ यात्रियों पर भी गए साल हमला हुआ था और इस साल भी हमला हुआ तथा श्री चन्द्रकांत खैरे जी ने ठीक कहा है कि अमरनाथ यात्रियों के मन में आतंकवाद की वजह से डर है। आतंकवाद की समस्या पर मुशर्रफ जी ने कहा है कि आतंकवादी अपनी स्वतन्त्रता के लिए लड़ रहे हैं। वे यह संदेश देकर चले गए कि आतंकवाद करते रहो, हम आपके साथ हैं। डोडा में हिन्दु लोग मारे गए हैं, अमरनाथ यात्री मारे गए हैं। इस कीमत पर कश्मीर की कुर्बानी देकर क्या प्रधान मंत्री इस्लामाबाद जाना चाहते हैं? वे आतंकवाद को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इस बात के लिए मैं गृह मंत्रालय का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने वहां जाकर परिस्थिति को देखा है। प्रमोद महाजन जी ने कहा है कि स्वामी जी स्टेंटमेंट देंगे। मैं एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार अमरनाथ यात्रियों के लिए कड़ी सुरक्षा करे।... *(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रातः काल प्रश्नकाल के दौरान शिवसेना के माननीय सदस्यों ने इस विषय को उठाया था। शून्यकाल में उस विषय की पुनरावृत्ति हुई है। शिवसेना के सदस्यों ने जब यह मामला उठाया, तब माननीय गृह मंत्री जी यहां उपस्थित थे। गृह मंत्रीजी ने कहा था, जैसे समय तय होगा, वे सदन के सामने वक्तव्य के साथ आयेंगे। यह मामला सुबह 11 बजे उठा था और उस चर्चा को अभी दो घन्टे भी पूरे नहीं हुए हैं और आच चार बजे हमारी काश्मीर पर चर्चा है। अब उसके पहले स्टेटमेंट कैसे हो सकता है।... *(व्यवधान)* पहले मैं अपनी बात समाप्त कर लूं, फिर आप बोलिएगा। मैं आप ही के मुद्दे पर आ रहा हूं। अमरनाथ यात्रियों के संबंध में गृह मंत्री जी ने कहा था, इस चर्चा में सदन की प्रतिक्रिया पर ये व्यक्तिगत रूप से चर्चा करेंगे। मैं प्रार्थना करूंगा कि कल वह प्रतिक्रिया व्यक्त हो। उसके पहले सदन से समय लेना है।

मोहन रावले जी ने इस बात को सुबह से दो-तीन बार कहा है, हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री काश्मीर की कुर्बानी देकर पाकिस्तान जा रहे हैं। मैं तीखे शब्दों में कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के प्रश्न... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*... (व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजनः इस प्रकार के प्रश्न का मन में आना गलत भावना का संकेत है।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*... (व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदयः श्री रावले, कृपया सभा का समय बर्बाद मत कीजिए। मैंने श्री आचार्य को बोलने का अवसर दिया है।

... (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, एक लाख से अधिक श्रमिक... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः उन्हें बोलने दीजिए।

... (व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तात में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: अब श्री बसुदेव आचार्य सभा में बोलेंगे।

... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मोहन रावले, यह क्या हो रहा है? यह शून्य काल है। आपने मामला उठाया है और मंत्री जी ने इसका उत्तर दिया है। यह चर्चा नहीं है। इस सभा में इस मामले पर परिपूर्ण चर्चा होगी। कृपया सभा का समय बर्बाद मत कीजिये।

अब, श्री बसुदेव आचार्य बोलेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, आज हमारे देश के एक लाख से अधिक श्रमिक दिल्ली में रैली आयोजित कर रहे हैं। वे आई.एन.टी.यू.सी. के सभी केन्द्रीय मजदूर संघ से लेकर भारत मजदूर संघ तक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज मजदूर संघ भारत सरकार की राष्ट्र विरोधी तथा मजदूर वर्ग विरोधी नीति में बदलाव की मांग कर रहे हैं। सरकार ने उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की नीति अपनाई। इसके परिणामस्वरूप अनेक उद्योग बंद हो रहे हैं। श्रमिक बेरोजगार हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश किया जा रहा है। मजदूर संघ मांग कर रहे हैं सरकार को यह नीति बदलनी चाहिए। सरकार ने विराष्ट्रीयकरण की नीति अपनाई है। सरकार हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों का विराष्ट्रीयकरण कर रही है। सरकार ने बीमा क्षेत्र खोल दिया है। महोदय, ये नीतियां हमारे देश की जनता के लिए खतरनाक हैं।

महोदय, एक करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों जिसमें राज्य तथा केन्द्र सरकार के कर्मचारी शामिल हैं, ने कल एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया है। मैं मांग करता हूं कि सरकार को यह नीति बदलनी चाहिए क्योंकि यह जन विरोधी तथा श्रमिक वर्ग विरोधी है। सरकार अब श्रम कानून में संशोधन करने पर तुली हुई है। श्रमिक वर्ग को दिए गए अधिकार वापस लिए जा रहे हैं। ऐसा प्रस्ताव वित्त मंत्री द्वारा किया गया है। महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह नीति में बदलाव लाए तथा यह नीति हमारे देश की जनता के हित में होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अजय चक्रवर्ती, रैली के संबंध में आपको उनके साथ संबद्ध होना पड़ेगा और अब कोई भाषण नहीं देंगे। आप संक्षेप में कहिए।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): भारत मजदूर संघ, जो भाजपा का मजदूर संघ संगठन है, सहित सभी केन्द्रीय मजदूर संघ आज देशभर में प्रदर्शन कर रहे हैं। वे संसद मार्ग, नई दिल्ली में धरने पर बैठे हैं। वे भारत सरकार की मजदूर विरोधी तथा जनविरोधी नीति के विरुद्ध देश के सभी राज्यों की राजधानियों में प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रमिक वर्ग भारत सरकार की विनिवेश नीति तथा औद्योगिक नीति के विरुद्ध देश में प्रदर्शन कर रहा है। अत:, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह भारत सरकार की विनिवेश नीति तथा औद्योगिक नीति के संबंध में श्रमिक वर्ग की मांगों पर विचार करे।

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार): महोदय, मैं आपका ध्यान सामान्यत: कर्नाटक में और मुख्यत: मेरे निर्वाचन क्षेत्र कोलार सहित अधिकांश जिलों में सूखे की अभूतपूर्व स्थिति से उत्पन्न अविलंब और अति महत्वपूर्ण मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र सहित अधिकांश जिलों में बिल्कुल वर्षा नहीं हुई है जिसके परिणामस्वरूप वहां अकाल पड़ गया है और पीने के लिए पानी तथा जानवरों के लिए चारा नहीं है। किसान भूमि जोतने की बजाय अपने जानवर बूचड़खाने में भेज रहे हैं। कर्नाटक में गंभीर स्थिति है।

माननीय मुख्यमंत्री ने उपलब्ध निधि में से किसानों को बहुत कम धनराशि दी है। उन्होंने उपलब्ध धनराशि में से सभी जिलों में कतिपय राहत उपाय किए हैं जिसमें किसानों के लिए 243 करोड़ रुपये के दाण्डिक ब्याज माफ करना शामिल है। उन्होंने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वह सूखा राहत उपायों के लिए 736 करोड़ रुपये की राशि जारी करे। उन्होंने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वे इस राशि में से 350 करोड़ रुपये की धनराशि तत्काल जारी करे। अत:, मैं भारत सरकार तथा केन्द्रीय कृषि मंत्री से 350 करोड़ रुपये की राशि तत्काल जारी करने का आग्रह करता हूं।

मैं केन्द्रीय कृषि मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री से भी अनुरोध करता हूं कि वे स्थिति को देखने तथा उसका आकलन करने हेतु तत्काल कर्नाटक का दौरा करें और शीघ्र 350 करोड़ रुपये जारी करे जिसका अनुरोध माननीय मुख्य मंत्री ने भी किया है।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अत्यंत ही संवेदनशील मामला उठाना चाहता हूं। बिहार राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होती जा रही है। आई.एस.आई. की गतिविधियां उत्तरी बिहार में बढ़ गयी हैं और वहां अपहरण एक उद्योग बन गया है और विशेष रूप से वहां पर राजनैतिक कार्यकर्ताओं की सुरक्षा पर एक प्रश्नचिह्न लग गया है। सभी राजनैतिक दलों के सच्चे कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं जो गरीबों और दलितों के बीच में दिन-रात काम करते हैं। जो गांव में भूमि के सवाल पर गरीबों के हित

में लड़ाई लड़ते हैं उनकी निर्मम हत्याएं हो रही हैं। मैं सीतामढ़ी से आता हूं। वहां के नानपुर थाना के बोखरा प्रखंड में चकौती ग्राम-पंचायत में महेन्द्र धनकार एवं रामनाथ शाह जो अच्छे कार्यकर्ता थे जो सूप बनाने वाले कमजोर वर्ग के लोगों की जमीन के सवाल पर लड़ाई लड़ते थे। महेन्द्र धनकार को ट्रेक्टर फाइनेंस करने के बहाने मुजफ्फरपुर में कांटी थाना में पानापुर के निकट पेट चीरकर हत्या कर दी गयी और आज तक पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुजफ्फरपुर में भी एक राजनैतिक कार्यकर्ता की हत्या हुई और पुर्णिया में भी राजनैतिक कार्यकर्ताओं की हत्याएं होती रही हैं। नानपुर प्रखंड में मतस्यजीवी सहयोग समिति रामप्रमोद सहनी निषाद की भी मछली लूट ली गयीं और अब उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही हैं। राजनैतिक रूप से वहां 100 एकड़ जमीन जो गरीबों को वितरित की गयी है वहां बिहार सरकार के एक मंत्री ने जब्त कर रखी है। क्योंकि ये लोग गरीबों के हक की लड़ाई लड़ते रहे हैं इसलिए उनकी हत्या की धमकी दी जा रही है... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*... (व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदयः आप केन्द्र सरकार से क्या चाहते हैं?

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर रायः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि राज्य सरकार से रिपोर्ट लेकर के भारत सरकार इस संबंध में कठोर कार्रवाई करने की कृपा करे और जिन पर जुल्म हुआ है उनको मुआवजा भी दे।

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक): महोदय, आज समाचार-पत्र में एक खबर छपी है कि भारत सरकार एअर-इंडिया के विनिवेश की योजना बना रही है। एअर इंडिया हमारे देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। हमारे देश का गौरव ही नहीं अपितु उसकी विशाल परिसम्पत्ति पूरे देश में फैली हुई है। यह माना जा रहा है कि भारत सरकार शेयर के 49 प्रतिशत के विनिवेश की योजना बना रही है, और शेयर का 26 प्रतिशत मुख्य भागीदार को दिया जाएगा। इसलिए, इसका अर्थ यह हुआ कि निजीकरण पिछले दरवाजे से किया जाएगा। इस प्रकार, सरकार हानि को कम करने की योजना बना रही है। वे लाभ का निजीकरण कर रही है।... *(व्यवधान)* इसलिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।

आज, विभिन्न केन्द्रीय मजदूर संघों की जिसमें बीजेपी की एक इकाई बीएमएस शामिल है की विशाल रैली है। वे तथाकथित आर्थिक नीति के विरुद्ध सड़कों पर रैली निकाल रहे हैं। इसलिए वर्तमान परिपेक्ष्य में, सरकार की आर्थिक नीति बदलनी चाहिए। अन्यथा, संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*... (व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर रायः अध्यक्ष जी, सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य इस पर आना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः श्री नवल किशोर राय, मैं सरकार को बाध्य नहीं कर सकता। आप प्रत्येक बात पर प्रतिक्रिया चाहते हैं। आप यह कैसे कर सकते हैं? बहुत हो गया।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): उपाध्यक्ष महोदय, मास्ट्रो मोटर्स लि. कंपनी सिफानी आटोमोबाइल्स बंगलौर ने बेरोजगारों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया है। इनके लिए कर्जा वापस करना मुश्किल हो गया है। कहीं-कहीं पर बेरोजगार लोगों ने आत्महत्याएं की हैं। विशेषकर महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश में हत्याएं हुई हैं। मेरी भारत सरकार के वित्त मंत्री और उद्योग मंत्री से प्रार्थना है कि इन बेरोजगार लोगों को न्याय दिलाने की कृपा करें और इन लोगों के इंडस्ट्रीज लाइसेंस रद्द करें और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके गरीब बेरोजगारों का पैसा वापस दिये जाने की कृपा करें और आत्महत्यायें होने से रोकें।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के गोदाम अनाज से भरे पड़े हैं। यद्यपि एक तरफ उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों में किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य केन्द्र सरकार नहीं देती है और दूसरी तरफ

*कार्यवाही-वृत्तात में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[कुंवर अखिलेश सिंह]

स्थिति गम्भीर है। देश के विभिन्न हिस्सों में अकाल, बाढ़ और सूखे के कारण हजारों लोगों के मौत की खबरें आ रही हैं। यह बड़ी दुखदायक स्थिति है कि एक तरफ सरकार के गोदाम अनाज से भरे हों और दूसरी तरफ लोग अन्न के बिना दम तोड़ने के लिए मजबूर हों। मेरा सरकार से कहना है कि आज राजस्थान, उड़ीसा, बंगाल और उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अकाल से जिन लोगों की मौतें हो रही हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध कराया जाए और अकाल से हो रही मौतों पर नियंत्रण किया जाए। यदि इन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि गरीबों के मन में व्यवस्था के प्रति एक विद्रोह उभरेगा, जो पूरी व्यवस्था के लिए खतरनाक होगा। इसलिए सरकार उदारता का परिचय देते हुए अनाज के गोदाम गरीबों के लिए खोलने का काम करे। यदि वह सीधे तौर पर अनाज नहीं दे सकती तो काम के बदले अनाज योजना चला कर कम से कम इन मौतों पर अंकुश लगाने का काम करे।

[अनुवाद]

श्री टी. गोविन्दन (कासरगौड़) महोदय, मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद।

यह केरल की रेलवे लाइनों की खतरनाक स्थिति के बारे में है। शोरानूर–मैंगलोर क्षेत्र के लगभग सभी पुल 100–120 वर्ष पुराने हैं। रेलवे–इंजीनियरिंग विशेषज्ञों के अनुसार, पुलों का जीवनकाल 80–90 वर्ष होगा। जब ब्रिटिशों ने रेलवे लाइनों और पुलों का निर्माण कराया था तो कुछ ही यात्री रेल और मालगाडियां चला करती थी। जब से कोंकण रेलवे यातायात के लिए खुली है, यात्री रेलों और मालगाड़ियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। यह तथ्य है कि शोरानूर–मैंगलोर सिंगल लाइन पर अत्यधिक भार पड़ रहा है। पिछले 10–15 वर्षों से, लोग और यात्री इस लाइन को डबल करने की पुरजोर मांग कर रहे हैं परंतु रेलवे ने लाइनों को डबल करने का कार्य बहुत देश से शुरू किया और निधियों की वार्षिक मंजूरी बहुत थोड़ी थी। इसीलिए दोहरीकरण का कार्य विलम्बित है। वर्तमान स्थिति यदि कायम रहती है तो इसमें संदेह है कि 2003 से पूर्व काम पूरा हो पाएगा। इसका अर्थ यह है कि, कमज़ोर लाइनें और पुलों को ही सारा भार वहन करना है।

इन परिस्थितियों में, मैं रेलवे प्राधिकारियों से पुराने पुलों के स्थान पर नये पुलों का निर्माण करने और शोरानूर–मैंगलोर लाइनों के दोहरीकरण करने के कार्य को युद्ध स्तर पर करने के लिए विशेष निधि के आवंटन का निवेदन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा अपराह्न 2.45 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.42 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.45 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.48 बजे पुन: समवेत हुई।

अपराह्न 2.48 बजे

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा *पीठासीन* हुई]

सभापति महोदय: अब सभा में विधेयक पुर:स्थापित किये जायेंगे।

अपराह्न 2.48$^{1}/_{2}$ बजे

विधेयक—पुर:स्थापित

(एक) परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): महोदय, श्री बालासाहिब विखे पाटील की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:–

"कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड–2, दिनांक 24.7.2001 में प्रकाशित।

अपराह्न 2.49 बजे

(दो) दिल्ली अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक*

[अनुवाद]

शहरी विकास और गरीबी अपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): मैं प्रस्ताव करता हूं कि किसी भवन में अलग-अलग अपार्टमेंट के और ऐसे अपार्टमेंट से अनुलग्न सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में अविभक्त हितों के स्वामित्व का उपबंध करने और ऐसे अपार्टमेंट और हित में दाययोग्य और अंतरणीय बनाने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

सभापति महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन, जिन्होंने इस विधेयक के पुर:स्थापन के विरोध में सूचना दी थी, उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न यह है:

"कि किसी भवन में अलग-अलग अपार्टमेंट के और ऐसे अपार्टमेंट के अनुलग्न सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में अविभक्त हितों के स्वामित्व का उपबंध करने और ऐसे अपार्टमेंट और हित को दाययोग्य और अंतरणीय बनाने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जगमोहन: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 2.50 बजे

(तीन) अधिवक्ता कल्याण निधि विधेयक*

[अनुवाद]

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिवक्ताओं के फायदे के लिए कल्याण निधि का गठन करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड-2, दिनांक 24.7.2001 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

सभापति महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन अनुपस्थित हैं।

प्रश्न यह है:-

"कि अधिवक्ताओं के फायदे के लिए कल्याण निधि का गठन करने वाले और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अरूण जेटली: मैं विधेयक पुर:स्थापित* करता हूं।

नियम 377 के अधीन मामले

अपराह्न 2.51 बजे

[हिन्दी]

सभापति महोदय: सभा अब नियम 377 के अधीन मामलों पर विचार करेगी।

(एक) किसानों के हितों की रक्षा के लिए राजस्थान में भूमिगत जल स्तर बढ़ाने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू): सभापति महोदय, राजस्थान प्रदेश विशेष रूप से चुरू जिले में घटते हुए जल स्तर के कारण विकट समस्या हो गई है। भूमिगत जल का स्तर काफी नीचे चला गया है, जिसके कारण किसानों के सामने एक विकट समस्या पैदा हो गई है। मेरे संसदीय क्षेत्र के काफी ट्यूब वैल, कुएं सूख गये हैं जिससे इन कृषि कुओं से सिंचाई नहीं हो रही है। किसान बर्बाद हो रहा है, बिजली का खर्चा वही है, लेकिन जल स्तर नीचे चले जाने के कारण फसल बर्बाद हो रही है।

अत: मेरा आपके माध्यम से संबंधित मंत्री महोदय से निवेदन है कि समस्या को हल करने के लिए किसानों को कुओं तथा ट्यूब वैल को गहरा करने के लिए अनुदान तथा आर्थिक सहायता दी जाए एवं भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किये जाएं ताकि किसान बर्बाद होने से बच जाए।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

(दो) दौसा से लालसोट तक बनाए जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार सवाई माधोपुर (राजस्थान) होते हुए श्योपुर (मध्य प्रदेश) तक किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जसकौर मीणा (सवाई माधोपुर): सभापति महोदय, राजस्थान में सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र में लाल पत्थर जो इतिहास प्रसिद्ध इमारतों में लगा हुआ है, निकलता है। लाल पत्थर खनन एरिया में डाकुओं की समस्या लगातार जन-जीवन को प्रभावित करती रहती है। इनके उन्मूलन का एकमात्र हल है यातायात को सुगम बनाना। सड़क परिवहन मंत्रालय दौसा से लालसोट तक नेशनल हाईवे बनाने जा रहा है। यदि इस नेशनल हाईवे का विस्तार लालसोट से सवाई माधोपुर और श्योपुर तक कर दिया जाए तो इससे राजस्थान तथा मध्य प्रदेश दो राज्यों को जोड़ा जा सकता है। इस सड़क मार्ग पर चम्बल, बनास एवं मोरेल जैसी बड़ी नदियों पर पिछले पांच वर्ष से पुल बनाकर यातायात को सुलभ किया है। लालसोट से श्योपुर मात्र 120 किलोमीटर दूर है। इसके बनने से दिल्ली-जयपुर इस मार्ग से वी.टी. रोड से जुड़कर मुम्बई-आगरा रोड तक सुलभ हो जायेगा। डाकू प्रभावित क्षेत्र राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की जनता को भी सुरक्षा मिलेगी, साथ ही कीमती इमारती पत्थर के व्यवसायी भी लाभान्वित होंगे।

(तीन) लखनऊ-मौरवां-बक्सर-बिंदकी-सागर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने तथा बक्सर में गंगा नदी पर पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

डॉ. अशोक पटेल (फतेहपुर): सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जनपद सागर, मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली सड़क के सामने गंगा नदी पर पुल न होने के कारण मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध रहता है और यात्री कानपुर अथवा फतेहपुर होकर ही अपनी यात्रा पूरी करते हैं जिससे लगभग 100 कि.मी. का चक्कर जनता को अनावश्यक काटना पड़ता है। उन्नाव जनपद का कस्बा भगवन्त नगर एवं फतेहपुर जनपद का कस्बा बिंदकी प्राचीन काल से औद्योगिक केन्द्र रहे हैं, लेकिन गंगा नदी पर पुल न होने के कारण इन दोनों कस्बों का उद्योग मृतप्रायः हो गया है। बक्सर में चन्द्रिका देवी की दिव्य शक्तिपीठ है जहां पर प्रतिवर्ष लाखों दर्शनार्थी गंगा में स्नान करके देवी दर्शन हेतु आते हैं। इसी स्थान पर स्वतंत्रता संग्राम के महान नायक अमर शहीद राव राम बक्श सिंह का शहीद स्थल है जहां प्रतिवर्ष देश के कोने-कोने से अमर शहीद को श्रद्धांजली देने वालों का मेला लगता है किन्तु गंगा नदी पर पुल के अभाव में सैकड़ों किलोमीटर का चक्कर काटकर बक्सर पहुंचने में समय एवं धन खर्च करना पड़ता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि लखनऊ-मौरवां-बक्सर-बिंदकी-सागर (मध्य प्रदेश) मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग घोषित कर गंगा नदी पर बक्सर के सामने पुल का निर्माण करने की कृपा करें।

(चार) भोपाल-कोटा या जयपुर-कोटा रेलगाड़ी को रतलाम, मध्य प्रदेश तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मन्दसौर): महोदय, पश्चिम रेलवे के रतलाम-कोटा के बीच रेलवे से यात्रा करने वालों को तथा माल आदि भेजने के लिए वर्तमान में जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, वे अपर्याप्त हैं। पिछले लंबे अर्से से रतलाम-कोटा अथवा कोटा-रतलाम के मध्य एक अतिरिक्त पैसेन्जर यात्री गाड़ी चलाए जाने की मांग रेल उपभोक्ताओं, व्यापारियों, विद्यार्थियों तथा नागरिकों द्वारा की जाती रही है। वर्तमान में भोपाल-कोटा के मध्य तथा जयपुर-कोटा के मध्य जो यात्री गाड़ियां चलती हैं, वे कोटा आकर 15 से 16 घंटे तक खड़ी रहती हैं जिस कारण उनका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। इन दोनों गाड़ियों में से किसी एक को कोटा से रतलाम तक बढ़ाया जाए क्योंकि इनको बढ़ाया जाना सहज संभव हैं। इससे छोटे-छोटे स्टेशनों के आम यात्रियों को भारी सुविधा होगी। रेल प्रशासन द्वारा इस बारे में जांच की गई तथा इसको उपयुक्त और आवश्यक माना गया है।

अतः मेरा रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि उपर्युक्त दोनों गाड़ियों में से किसी एक गाड़ी को कोटा से रतलाम तक बढ़ाए जाने हेतु योग्य निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

(पांच) कर्नाटक को अन्तर-राज्यीय नदी जल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा (हसन) महोदया, कर्नाटक में मानसून के न आने के कारण वहां भयंकर सूखा पड़ रहा है। जलाशय, तालाब, झीलें और पानी के दूसरे परम्परागत भण्डार सूख गए हैं। फसल के सूखने से किसान चिंतित हैं।

यह रिपोर्ट भी है कि अंतराज्यीय नदी जल की दिशा में भी परिवर्तन हुआ है जिसने उनके कष्टों को और बढ़ाया है। इस जल पर कर्नाटक का अधिकार है और इसकी दिशा में परिवर्तन करना उच्चतम न्यायालय, दूसरे न्यायाधिकरणों और बछावत न्यायाधिकरण जैसे आयोगों के निर्देशों का उल्लंघन है। कर्नाटक सरकार ने यह मामला केन्द्र के साथ बार-बार उठाया है।

ऐसी सूचना भी मिली है कि कर्नाटक सीमा पर नहर की खुदाई का काम तेजी से चल रहा है। मैं कन्द्र से अनुरोध करता

हूं कि वह अंतर्राज्यिक जल वितरण व्यवस्था के संबंध में न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों द्वारा जारी निर्देशों को क्रियान्वित कराकर कर्नाटक को अकाल और सूखे की स्थिति से बचाएं।

(छह) कर्नाटक में सूखे से उत्पन्न स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए वहां केन्द्रीय दल भेजे जाने और राज्य को पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार (मैसूर): महोदय, राज्य के कई क्षेत्रों में गम्भीर सूखे के कारण कर्नाटक में किसानों को गहरा धक्का लगा है। जून में मानसून के न आने से कई जिले प्रभावित हुए हैं और इस कारण राज्य का लगभग 50 प्रतिशत खरीफ क्षेत्र प्रभावित हुआ है। मानसून की कमी के कराण दालों, तिलहनों तथा ज्वार, बाजरा और अन्य खाद्यान्नों की बुआई प्रभावित हुई है। यहां तक कि आलू के परम्परागत क्षेत्र पर भी सूखे से भी नुकसान हुआ है। प्रभावित किसानों की सहायता के लिए जब तक कोई आपात सहायता कार्यक्रम नहीं बनाया जाता उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी और उन्हें नुकसान होता रहेगा।

इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह स्थिति का जायजा लेने के लिए वहां पर एक केन्द्रीय दल भेजे और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कर्नाटक सरकार को अविलम्ब पर्याप्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करे।

(सात) मंगलौर में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री जी.एस. बसवराज (तुमकुर): महोदया, कर्नाटक सरकार ने बंगलौर के व्हाईटफील्ड में एक निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना की है। जो एक बहुत बड़ी सफलता है। राज्य सरकार ने मंगलौर में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना करने के लिए एक अन्य प्रस्ताव भेजा है। केन्द्र सरकार की अंतर-मंत्रालयीय समिति ने इस प्रस्ताव को अप्रैल, 1999 के दौरान स्वीकृति प्रदान की थी।

मंगलौर के निकट कुलई ग्राम में 150 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क पर 26.52 करोड़ रुपये की लागत आने की संभावना है।

मंगलौर एक बड़े औद्योगिक विकास केन्द्र के रूप में उभर रहा है और इसलिए वहां पर एक और निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क बनाने की मांग भी उठ रही है।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाए और मंगलौर में इस दूसरे निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए राज्य सरकार को तुरंत स्वीकृति प्रदान की जाए।

अपराह्न 3.00 बजे

(आठ) केरल में खाड़ी देशों के वाणिज्य दूतावास खोले जाने की आवश्यकता

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा): 16 लाख से भी अधिक केरलवासी सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन, ओमान और कत्तार जैसे खाड़ी देशों में कार्य कर रहे हैं। प्रत्यार्पित भारतीय समुदाय के आधे लोग केरल के हैं।

केरल सरकार को प्रत्यार्पित केरल वासियों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए है जिनमें केरल में अन्य देशों विशेषकर खाड़ी देशों के वाणिज्य दूतावास खोले जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इस समय केरल वासियों को दस्तावेज सत्यापित कराने, वीजा आदि से संबंधित कार्यों के लिए अक्सर केरल से दिल्ली अथवा मुम्बई आना-जाना पड़ता है और वे दूतावासों अथवा वाणिज्य दूतावासों तक पहुंचने के प्रयास में एजेंटों के जाल में फंस जाते हैं और उनसे धोखा खाते हैं।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि केरल में कम से कम सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन और कत्तार के वाणिज्य दूतावास खोले जायें।

[हिन्दी]

(नौ) उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में सफेदाबाद रेलवे क्रासिंग पर उपरि-पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री रामसागर रावत (बाराबंकी): सभापति महोदया, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ-फैजाबाद राष्ट्रीय मार्ग के रेलवे क्रासिंग सफेदाबाद और बाराबंकी पर उपरिपुल न होने से घंटों तक राज-मार्ग पर जाम लगा रहता है जिससे पूर्वांचल उत्तर भारत तथा उत्तरांचल भारत को जाने वाले नागरिकों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस क्रासिंग पर कई बार भंयकर दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। इस क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाने की मांग कई बार इस सदन में भी हो चुकी है।

मैं पुन: भारत सरकार से इस महत्वपूर्ण स्थान पर जनहित में ओवर ब्रिज बनाने की मांग करता हूं।

(दस) महाराष्ट्र के नासिक शहर से विमान सेवा आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री उत्तमराव ढिकले (नासिक): सभापति महोदया, नासिक शहर दिन-ब-दिन बढ़ता जाने वाला शहर है। यह मुम्बई से 184 कि.मी. पूना से 200 कि.मी. और गुजरात से 100 कि.मी. की दूरी पर सेंटर में बसा हुआ है। यहां कुम्भ मेला भी 2003 में शुरू होने वाला है। इसलिए इस शहर में विमान सेवा (सिविल) शुरू होनी आवश्यक है। विमान सेवा शुरू करने के लिए नासिक में आझरनिग और गांधीनगर यह दो विमानतल डिफेन्स के भी मौजूद हैं।

इसलिए मेरी सरकार प्रार्थना है कि जल्द से जल्द सिविल विमान सेवा शुरू करें।

(ग्यारह) राष्ट्रीय गन्ना और चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान को उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में ही बनाए रखे जाने की आवश्यकता

श्री बालकृष्ण चौहान (घोसी): सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र घोसी-मऊ (उ.प्र.) के जिला मुख्यालय मऊ में लगभग आठ वर्षों से निर्माणाधीन राष्ट्रीय गन्ना और चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान की ओर दिलाना चाहता हूं। मऊ पूर्वांचल उ.प्र. का एक अविकसित जिला है जहां केन्द्र सरकार ने 1986 में उक्त संस्थान के निर्माण की नींव डाली। 70 एकड़ भूखंड में फैले उक्त संस्थान की अधिकांश इमारतें पूर्ण हो चुकी हैं जिसमें 23 करोड़ रुपए लग चुके हैं। संस्थान में कर्मचारियों की भर्ती हेतु साक्षात्कार भी हो चुका है।

लेकिन ज्ञात हुआ है कि उक्त संस्थान को सरकार अन्यत्र स्थानान्तरित करने जा रही है जिससे क्षेत्रीय जनता आन्दोलित है और भर्ती हेतु साक्षात्कार देने वाले बेरोजगारों में रोष है। क्षेत्रीय जनता की मांग है कि उक्त संस्थान को मऊ में ही बने रहने दिया जाए।

अत: सरकार से मैं मांग करता हूं कि निमार्णाधीन राष्ट्रीय गन्ना और चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान, मऊ, उ.प्र. को अन्यत्र स्थानान्तरित न करके मऊ में ही स्थापित रहने दें और कर्मचारियों की भर्ती करके संस्थान को चालू करें।

(बारह) बिहार के मुंगेर संसदीय क्षेत्र में मलेरिया के प्रकोप की रोकथाम की आवश्यकता

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर): सभापति महोदया, मुंगेर संसदीय क्षेत्र में तीन जिले पड़ते हैं, मुंगेर, लखीसराय और जमुई। मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर क्षेत्र में हुई भयंकर मलेरिया का प्रकोप हुआ जिसमें बहुत लोगों की मृत्यु हो गई। यह प्रकोप अधिकांश आदिवासी क्षेत्रों में हुआ। यह बीमारी फलेरेसिस महामारी के रूप में रहस्योद्घाटित हुई। जमुई जिले के खैरा प्रखंड के पूर्वी क्षेत्र झिगोई में पंचायत के जोगा झिगोई, जित झिगोई, मुस्लिम होता, निजुआरा मुसहरी हरदीमोह, पासी टोला परसा और झिंगो मुसहरी में डायरिया का भीषण प्रकोप से कम से कम 60 लोगों की जान गई। लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा प्रखंड के कस्बा पंचायत के मसुदन, बसौनी और अभयपुर गांव में सेरिब्रल मलेरिया के प्रकोप से दर्जनों जानें गई एवं प्रभाव अभी भी है।

मुंगेर, जमुई एवं लखीसराय जिले के प्रभावित किसी भी गांव में अभी तक पर्याप्त डी.डी.टी. एवं ब्लीचिंग पाउडर को मुहैया नहीं किया गया है। अत: मैं भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से मांग करता हूं कि मृतक लोगों के परिजनों को मुआवजा तथा बीमारियों की रोकथाम के मामले में त्वरित कार्रवाई की जाए।

[अनुवाद]

(तेरह) पश्चिम बंगाल में पूर्व रेलवे के हसनाबाद-बारासाट सेक्शन का विद्युतीकरण शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री अजय चक्रवर्ती: पूर्वी रेलवे के सियालदाह डिवीजन के अंतर्गत हसनाबाद-बरासाट सैक्शन के विद्युतीकरण का कार्य काफी लम्बे समय से चल रहा है। यद्यपि तत्कालीन रेल मंत्री ने इस परियोजना का उद्घाटन करते समय इसके शीघ्र पूरा होने के बारे में सबको आश्वस्त किया था, लेकिन इसकी कार्य गति को देखते हुए हर कोई इसके प्रति आशंकित है। इस परियोजना में पहले ही बहुत विलंब हो गया है। इसके अलावा इस क्षेत्र के बंगलादेश सीमा से लगे होने के कारण राजधानी के साथ शीघ्र संचार संपर्क स्थापित करना आवश्यक है। मैं रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे आवश्यक कदम उठायें ताकि हसनाबाद-बरासाट सैक्शन के विद्युतीकरण का कार्य यथाशीघ्र पूरा हो सके।

अपराह्न 3.06 बजे

उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (विधिमान्यकरण) निरसन विधेयक

[अनुवाद]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1961 का निरसन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1961 का निरसन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

[अनुवाद]

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: सभापति महोदया, मुझे कन्नड़ में बोलने की अनुमति प्रदान करें।

सभापति महोदय: क्या आपने अनुवाद के लिए नोटिस दिया था?

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: महोदया, मैने गन्ना विधेयक पर बोलने का निर्णय अभी लिया है।

सभापति महोदय: जब तक आप अंतिम रूप से सूचित नहीं करते तब तक अनुवाद की व्यवस्था नहीं हो पाएगी।

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: महोदया, मैं अब नोटिस दे रहा हूं।

सभापति महोदय: आप बोल तो सकते हैं किंतु उसका अनुवाद नहीं होगा।

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: तो फिर उसका क्या फायदा? मैं नोटिस दूंगा और तभी बाद में बोलूंगा।

सभापति महोदय: ठीक है। ये नोटिस दे रहे हैं और ये बाद में बोलेंगें।

डा. बी.बी. रमैया (एलूरू): माननीय सभापति महोदया, गन्ना उपकर निरसन विधेयक बहुत पुराना हो चुका हैं। भिन्न-भिन्न राज्यों की पृथक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 1998 में एक बार पहले भी इस विधेयक पर विचार किया गया था।

सभापति महोदय, उपकर का आशय गन्ने के उत्तम किस्म हेतु अनुसंधान और विकास करने, बीमारियों को दूर करने तथा सुलभ परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था। लेकिन अनेक राज्यों में न तो इसका सही रूप से उपयोग किया जा सका और न ही इसे परिषद् को सौंपा जा सका जिसका गठन मिलों और गन्ना उत्पादकों के लाभ के लिए किया गया था। यदि वे उसका उपयोग उसी लिए करते जिसके लिए वह बनाया गया है तो वे इस उद्योग की सेवा कर पाते। यह कोई कर नहीं है। यह उपकर है। गन्ना उत्पादकों के विकास के लिए ही उपकर लाया गया है। मुझे विश्वास है कि सरकार कुछ ऐसा उपबंध करेगी जिससे कि राज्य सरकारें गन्ना उद्योग के अनुसंधान व विकास और उन्हें संचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से इसका उपयोग कर सकें।

सभापति महोदय, मैं एक मुद्दे पर और चर्चा करना चाहूंगा और वह है ज़ोन। सरकार कतिपय जोनों को भी समाप्त करना चाहती है। ये जोन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कम्पनी और उत्पादकों के बीच इनका घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। वे गन्ने की अच्छी किस्में, उर्वरक और दूसरी चीजों के उपलब्ध कराने के लिए बहुत काम करते हैं। वे बैंक ऋण हेतु गारंटी भी प्रदान करते हैं। यदि वे जोनों को नहीं बनाएंगे व यदि वे उन्हें कार्य करने नहीं देंगे तो काफी अराजकता फैल जाएगी। क्योंकि उस स्थिति में किसान अपनी मर्जी से किसी को भी गन्ने की आपूर्ति करेंगे। इन जोनों के अस्तित्व में रहने के कारण ही गन्ना की उत्तम किस्मों का विकास संभव हो सका है। अत: हमें देखना होगा इन जोनों को समाप्त न किया जाये तथा उन्हें न केवल गन्ना उत्पादकों के व्यापक हितों में अपितु देश के गन्ना उद्योगों के विकास के लिए भी कार्य करें।

सभापति महोदय: श्री पुट्टास्वामी गौड़ा, क्या आप अब बोलना चाहेंगे? इस पर बोलने के लिए कोई भी दूसरा सदस्य नहीं है।

... (व्यवधान)

सभापति महोदय: भाषान्तरण की कोई व्यवस्था के लिए समय नहीं है क्योंकि आपने अग्रिम नोटिस नहीं दिया था। तकनीकी समस्या है यदि आप अब कन्नड़ में बोलेंगें तो यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा क्योंकि भाषान्तरण या इसे लिखने के लिए यहां कोई नहीं है।

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: महोदया, इस स्थिति में, मै किसी दूसरे अवसर पर बोलूंगा।

[हिन्दी]

श्री शांता कुमार: महोदया, यह बिल केवल रिपील बिल है। उत्तर प्रदेश ने एक सैस लगाया, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश को यह सैस लगाने का अधिकार नहीं था, यह असंवैधानिक था। उत्तर प्रदेश लगभग 45 करोड़ रुपया उसमें इकट्ठा कर चुका था तो उस समय भारत सरकार ने एक आर्डिनेंस जारी करके उसको वैलीडेट किया और उसमें एक कानून बनाया ताकि सरकार को उस पर बकाया न देना पड़े और उस सम्बन्ध

[श्री शांता कुमार]

में केवल उसके वैलीडेशन के लिए वह बना था। बाद में जैन कमेटी ने कहा कि अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसको रिपील किया जाये। इसका परपज केवल इतना है कि जिस कानून की अब कोई आवश्यकता नहीं है, उसको रिपील करना है। माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, मैं समझता हूं, वह सरकार के ध्यान में हैं। गन्ने और चीनी के लिए जो सरकार को करना है, वह सरकार कर रही है, लेकिन इसका इससे सीधा कोई सम्बन्ध नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1961 का निरसन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यंथापारित, पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है :-

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए

सभापति महोदय: अब, मंत्री महोदय प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया गया।

श्री शान्ता कुमार: महोदया मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:-

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अपराह्न 3.13 बजे

टीकाकरण (निरसन) विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब, सभा मद संख्या 23 पर विचार करेगी। डा. सी.पी. ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): सभापति, महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि टीकाकरण अधिनियम, 1880 का निरसन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

यह अधिनियम छोटा है जो कि चेचक के टीकाकरण के लिए बनाया गया था। अब, इस बीमारी का उन्मूलन कर दिया गया है, इसलिए सरकार यह निरसन विधेयक लाई हैं।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि टीकाकरण अधिनियम, 1880 का निरसन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): आदरणीय महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं सरकार तथा स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान कुछ बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

यह कानून 121 वर्ष पुराना है। इसमें 23 धारायें हैं। यह उस समय अधिनियमित किया गया था जब लोग वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप मानव जाति को उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में नहीं जानते थे। लोग भूत-प्रेत और दैवी प्रकोप की धारणा में विश्वास करते थे और उनका विश्वास था कि चेचक का इलाज 'नीम' के प्रयोग या अन्य परम्परागत दवाओं से किया जा सकता है।

उस समय ब्रिटिश साम्राज्य ने लोगों के लिए दण्ड का प्रावधान किया कि टीका न लगवाने पर उन्हें तीन माह या छह माह तक दण्ड दिया जाएगा। उस समय इस प्रकार के दण्डात्मक प्रावधान की आवश्यकता थी। बाद में इसे कुछ नगर निगमों में लागू किया गया और उसके बाद पूरे भारत में।

मुझे याद है जब मैंने 1968 में मद्रास में विधि महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्रयास किया था। चयन समिति के सामने उपस्थित होने से पहले मैंने सामान्य ज्ञान एवं अन्य बातों की बहुत अधिक तैयारी की थी। जब मैं समिति के समक्ष उपस्थित हुआ तो उसने मुझसे साधारण प्रश्न किया "क्या आपको टीका लगा है?" मैंने 'हां' में उत्तर दिया। मुझे तुरन्त विधि महाविद्यालय में प्रवेश मिल गया। उस समय यह स्थिति थी। लोगों को टीका लगने या न लगने की चिन्ता नहीं थी। वे इस विपत्ति के बारे में चिन्ता नहीं करते थे। 1968 में भी यही स्थिति थी।

यह अच्छी बात है कि अब हम यह घोषणा करने की स्थिति में हैं कि हमने चेचक का पूर्णत: उन्मूलन कर दिया हैं। लेकिन यह भी है कि दैवी प्रकोप दूसरे रूप में आ जायेगा। अब, यह एड्स या अन्य रूपों में आ गया है। अब विपणन तरीका अलग है और सरकारी तंत्र ने पोलियो टीकाकरण को गरीब वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाकर इसे अत्यन्त सफल तथा संपूर्ण बनाया है।

अब, मैं सरकार का ध्यान इसके एक विशेष पहलू पर दिलाना चाहता हूं। राज्य सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों का उचित ध्यान नहीं रख रही हैं। केन्द्रीय निधि से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये गये हैं जिसका संचालन संबद्ध राज्य सरकारें करती हैं। सरकारी औषधालयों की भी यह स्थिति हैं। मुझे ज्ञात है कि अनेक सरकारी औषधालयों में चिकित्सा अधिकारी नहीं हैं। मुझे ज्ञात है कि तालुका और जिला मुख्यालय के अस्पतालों में भी उचित व्यवस्था नहीं है। वहां विशेषज्ञ नहीं है। यदि विशेषज्ञ हैं तो सुविधाएं नहीं है। शल्य चिकित्सक हैं तो शल्य चिकित्सा कक्ष (आपरेशन थियेटर) नहीं हैं। इसी प्रकार यदि उन्हें चिकित्सा कर्मचारी दिए गये हैं तो उनके पास दवाईयां नहीं है। यदि उनके पास इलाज के लिए मरीज हैं तो नर्सें नहीं हैं। अत: यह सब कुछ चल रहा है। यदि 100 शय्या उपलब्ध हैं तो 1000 व्यक्ति उसके लिए प्रतीक्षारत हैं। वे अस्पताल के गलियारे में ऐसे पड़े रहते हैं जैसे कि सड़कों पर पशु। यह स्थिति सदैव नहीं चल सकती। हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हम वैश्विक अर्थव्यवस्था और अन्य बातों के स्तर पर पहुंच चुके हैं। मेरा सुझाव है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए, जिन पर अविलम्ब ध्यान देने की आवश्यकता है, कोई चिकित्सा बीमा योजना होनी चाहिए।

महोदय डेढ़ वर्ष तक अत्यन्त अल्प समय में सांसद रहते हुए मुझे प्रधानमंत्री राहत कोष से पचास लाख रुपये की निधि प्राप्त हुई है। मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में ही हृदय के बहुत अधिक रोगी हैं। प्रति मरीज 1.5 लाख रुपये का खर्चा आता है लेकिन प्रधानमंत्री राहत कोष से 20,000 या 30,000 रुपये दिये जाते हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री कोष से 20,000 रुपये दिये जाते हैं। शेष धनराशि की व्यवस्था मरीज को स्वयं करनी पड़ती है जिसकी व्यवस्था के लिए उसे अपनी थोड़ी बहुत सम्पत्ति भी बेचनी पड़ती है। अत: वे नुकसान उठाते रहते हैं।

इसलिए, मेरा सुझाव है कि सरकार को व्यापक दृष्टिकोण रखना चाहिए। जैसे कि इस अधिनियम ने उस समय सरकार को यह प्रेरणा दी थी कि उसे लोगों की रक्षा करनी है। यद्यपि उस समय हमारे देश में औपनिवेशिक सरकार थी फिर भी वह लोगों की रक्षा करती थी। अब, हमारे देश में प्रजातन्त्र है। इसलिए, अब सरकार पर और अधिक जिम्मेवारी आ जाती है। सरकार के पास अधिक धन नहीं है लेकिन चिकित्सा बीमा योजना की व्यवस्था है जिससे बहुत अधिक सहायता मिल सकेगी। सामान्य बीमा अब निजी क्षेत्र को दिया जा रहा है। इसलिए इसमें केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और जनता की भागीदारी होनी चाहिए जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के गरीबों को चिकित्सा सुविधा दी जा सके।

महोदय, गैर-सरकारी संगठनों का ध्यान सरकारी निधि के माध्यम से रखा जाता है, और निजी क्षेत्र अपने कर्मचारियों और उनके परिवार का ध्यान रखते हैं लेकिन गरीब लोगों का ध्यान कोई नहीं रख रहा है। मैं उनके लिए, उनके हित के लिए अनुरोध करता हूं कि सरकार को चाहिए कि उस भावना से प्रेरणा ले जिससे कि इस अधिनियम को बनाया गया है ताकि लोगों का उचित समय पर ध्यान रखा जा सके।

अब नये तरह की बीमारियों दिखाई दे रही हैं। लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं। अत: लोगों में कुछ जागरुकता आनी चाहिए। अनेक गैर सरकारी संगठनों को जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए निधि प्रदान की जाती है। इसका प्रसार किया जाना चाहिए।

इस बात पर और अधिक ध्यान देना चाहिए कि ये वास्तव में, उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जिन्हें कि उसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय को चाहिए कि गरीब लोगों का अच्छी प्रकार ध्यान रखने के लिए व्यापक योजना बनाए।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार के द्वारा प्रस्तुत टीका निरसन विधेयक, 2001 का हार्दिक और पुरजोर समर्थन करता हूं। मैं केवल सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज हम इस बिल को रिपील कर रहे हैं लेकिन आज से 120 वर्ष पहले जब यह बिल बना था, पारित हुआ था तब यह कितना उपयोगी था और इसने देश का कितना उपकार किया। मैं समझता हूं कि आज इस अवसर पर जब इस बिल को हम रिपील कर रहे हैं तो इस बिल के

[प्रो. रासा सिंह रावत]

माध्यम से हुए उस उपकार को हमें स्मरण करना चाहिए क्योंकि जब यह बिल बना था तो उस समय चेचक एक बहुत ही भयानक संक्रामक रोग माना जाता था और जब चेचक की बीमारी फैलती थी तो हजारों लोग मौत के मुंह में चले जाते थे। हजारों बच्चे अकस्मात मौत के ग्रास बन जाते थे और उनके चेहरे खराब हो जाते थे और इस रोग को देवी का प्रकोप माना जाता था, इसे किसी भूत-प्रेत का प्रभाव माना जाता था और शीतला माता की कल्पना अभी तक समाज के अंदर प्रचलित है। हमें इस अंध-विश्वास को रोकना है क्योंकि चेचक को देवी का प्रकोप माना जाता था। जिस समय यह कानून बना तो वैक्सीनेशन बिल पारित हुआ था। इस बिल के माध्यम से टीका न लगे हुए व्यक्तियों के भ्रमण पर प्रतिबंध लगाया गया था और इसके लिए दंड की भी व्यवस्था की गई थी। उनके लिए सजा वगैरह का प्रावधान था जिनको टीका नहीं लगा हुआ था तो वे लोक एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं आ सकते थे। इस टीके के परिणामस्वरूप वास्तव में समाज में जागृति पैदा हुई। लोग टीका लगवाने लगे। मुझे याद है कि बचपन में जब गांवों में शील सप्तमी का दिन आता था, सप्तमी जी उसको कहते हैं तो शीतला देवी जी की मूर्ति के सामने छोटे-छोटे बच्चों को लिटाकर उन्हें तीन बार दुलटी देते थे कि अब इनको चेचक की बीमारी नहीं होगी और चेचक का टीका लगवाने वाले आते थे तो बच्चों को छिपा दिया जाता था लेकिन इस बिल की बदौलत जो समाज के अंदर चेतना पैदा हुई, कार्यकर्ताओं और डाक्टरों के माध्यम से या प्राइमरी हैल्थ सेंटर के माध्यम से या जो भी उपचार के केन्द्रों के माध्यम से समाज के अंदर चेतना पैदा हुई। आज डब्ल्यूएचओ ने 1977 के अंदर भारत को अंतर्राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन निर्धारण आयोग द्वारा चेचक मुक्त देश घोषित किया था। सौ वर्ष की मेहनत के बाद यह स्थिति पैदा हुई। 1980 में सारी दुनिया के अंदर डब्ल्यूएचओ ने भारत को चेचक से रहित देश घोषित किया है। अब प्रशासनिक सुधार आयोग जो बना है, उसने सुझाव दिया कि अब जब यह बीमारी ही नहीं रही तो इस कानून की क्या आवश्यकता है। इसलिए इस कानून को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा आज यह विधेयक लाया जा रहा है। मैं इसका समर्थन करता हूं लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस टीके की उपयोगिता अभी भी है। गांवों के अंदर चेचक खत्म हो गई लेकिन ज्यों ही सर्दी का मौसम आता है, गांवों में खसरा या छोटी चेचक और कभी-कभी वैसी ही चेचक देखने को मिलती है और जब लोग मरीज को डाक्टरों के पास ले जाते हैं तो वे कहते हैं कि यह चेचक नहीं है, यह खसरा है, यह छोटी चेचक है, छोटे दाने हैं। इस बारे में मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि छोटी चेचक या खसरे से भी कई लोग काल कलवित हो जाते हैं, इसलिए इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे भविष्य में यह रोग न पनपे। इसी तरह से जो मलेरिया दूर हो गया था लेकिन फिर कौन से मच्छर पैदा हो गये कि मलेरिया वापस आ गया।

वैक्सीनेशन को छः बीमारियों के अंदर प्रीवेंटिव मैजर्स माना गया है। वैक्सीनेशन अपने आप में अलग-अलग बीमारियों के लिए उपयोगी है, जैसे पोलियो उन्मूलन अभियान देश के अंदर चलाया गया और उसमें भारी सफलता प्राप्त हुई लेकिन मुझे कहते हुए संकोच भी हो रहा है कि एक सर्वेक्षण किया गया था और 'हिन्दुस्तान टाइम्स' की रिपोर्ट आई थी कि पल्स पोलियो प्रोग्राम के अंदर 33 लाख बच्चों के पोलियो वैक्सीन दिया गया था लेकिन वह इनअफैक्टिव था।

पूना की होपकिन्स इन्स्टीट्यूट ने उसकी जांच की थी। उस जांच में टीके के परीक्षण के बाद पाया गया कि वह टीका, जो 35 लाख बच्चों को लगा था, प्रभावी नहीं था। मैं समझता हूं कि सरकार को इस बारे में सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि पोलियो जैसी भयावह बीमारी से सम्पूर्ण रूप से विजय पा सकें।

इसके साथ एन्टी-रैबीज टीके का भी कहीं-कहीं पर प्रभाव नहीं देखा गया है। इस समस्या की ओर भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर जिन छः बीमारियों के उन्मूलन टीके के माध्यम से किए जा सकते हैं या प्रारम्भ में जिस प्रकार बीसीजी या पोलियो उन्मूलन या अन्य टीके बच्चों को लगाए जाते हैं, जिससे भविष्य में वे बीमारियां न हो, इसके टीके भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध होने चाहिए। इसके साथ ही मैं सरकार का ध्यान जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियुक्त किए जाते हैं, उनकी ओर भी दिलाना चाहता हूं, ताकि इन बीमारियों का उन्मूलन जड़ से हो सके।

इन शब्दों के साथ में इस बिल का पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं लेकिन टीके की उपयोगिता अन्य बीमारियों के अन्दर बरकरार है, इसलिए इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। इस बिल पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आपने समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

डा. सी.पी. ठाकुरः महोदया, मैं माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई बातों में से कुछ से पूर्णतः सहमत हूं। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर व्यवस्था में सुधार की बात कही है। इसकी अत्यन्त आवश्यकता है। केन्द्र सरकार भी सोच रही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को कैसे कार्यशील बनाया जाए। हम राज्य सरकार की सहायता से योजना बना रहे हैं कि कुछ दवायें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर ही मिलें। चिकित्सक और पैरा मेडिकल स्टाफ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध होने चाहिए। दवा, चिकित्सक और पैरा मेडिकल स्टाफ उपलब्ध होने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

कार्य कर सकेंगे। दूसरे बीमा के बारे में विचार चल रहा है कि चिकित्सा सेवाओं के बारे में भी सामान्य बीमा की शुरूआत की जानी चाहिए। अत: यह भी विचाराधीन है।

जहां तक टीकाकरण का प्रश्न है, यह भी हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित है। लेकिन निश्चय ही, यह कार्यक्रम पूर्णत: प्रभावी नहीं है। हम राज्य सरकार पर सदैव दबाव डालते रहे हैं कि सभी टीके उपलब्ध होने चाहिए तथा बच्चों को खसरा का टीका भी दिया जाना चाहिए जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है। अत: सरकार माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए इन सभी मामलों के प्रति बहुत ही संवेदनशील है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि टीकाकरण अधिनियम, 1880 का निरसन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

डा. सी.पी. ठाकुर: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अपराह्न 3.30 बजे

स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ (संशोधन) विधेयक

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़, अधिनियम, 1966 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

यह एक छोटा विधेयक है। इसमें यह प्रावधान है कि यदि संसद के किसी सदस्य को संसद में उपाध्यक्ष अथवा लोक सभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है अथवा किसी सदस्य को सरकार में उपमंत्री अथवा राज्य मंत्री अथवा केन्द्रीय मंत्री बनाया जाता है तो वह इस संस्थान के शासी निकाय का सदस्य नहीं रहेगा। एक सदस्य, मंत्री बनने के पश्चात भी इस शासी निकाय का सदस्य बना हुआ पाया गया था। इसलिए ऐसी स्थिति को रोकने के लिए यह विधेयक सभा में विचार हेतु लाया गया है।

मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक पर यह सम्माननीय सभा विचार करे।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ अधिनियम, 1966 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले कई सदस्य वहीं बने रहते हैं। वे अपनी सदस्यता नहीं त्यागते। उनका क्या होगा?

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): मैडम, इसमें नोमिनी ले लेते तो अच्छा काम होता, अब आप मंत्री हो गये हैं।

डा. सी.पी. ठाकुर: इसमें आया है कि अगर कोई मिनिस्टर बन जाता है तो उन्हें वहां नहीं रहना चाहिए, उनके बदले दूसरा मैम्बर होगा।

सभापति महोदय: नोमिनी मैम्बर का ही होता है और कौन हो जायेगा।

श्री राजो सिंह: मैडम, क्षेत्र दूसरे का रहेगा।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहता था कि पिछले दिनों एस्टीमेंट कमेटी के माध्यम से हमें चंडीगढ़ जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। यह अमेंडमेंट बहुत अच्छा है, इसमें कोई नई बात नहीं है कि अगर किसी सदस्य की पदोन्नति हो जाए वह डिप्टी स्पीकर बन जाए, सदस्य न रहे तो उसे अपने आप इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां कई तरह की पुरानी मशीनें और यंत्र हैं। वहां बहुत भारी भीड़ रहती है। देश के उत्तरी राज्य कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत से लोग हजारों की संख्या में वहां जाते हैं। वहां बहुत ज्यादा रश रहता है। वे कहते हैं कि हम किसी को मना नहीं कर सकते हैं, सभी को भर्ती करते हैं, क्योंकि वह अखिल भारतीय पी.जी.आई. संस्थान है। जैसा कि दिल्ली में एम्स है, उसमें भी उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के विभिन्न राज्यों से लोग आते हैं, उन्हें अच्छा उपचार प्राप्त होता है। यहां बड़े-बड़े डाक्टर्स और विशेषज्ञ हैं। इसी प्रकार से पी.जी.आई की स्थापना इसी उद्देश्य को लेकर की गई थी, लेकिन वहां जो मशीनें एम.आर.आई., सी.टी.स्कैन आदि हैं वे अक्सर खराब रहती हैं, उन्हें ठीक होने में बड़ा टाइम लग जाता है। कभी टैक्नीशियन्स उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। वहां पहले वर्क-प्लान बना था, वह वर्क-प्लान स्वास्थ्य मंत्रालय में आया हुआ है। इसी तरह से वहां थोड़ा विस्तार होना था, वहां कुछ बिल्डिंगें पुरानी हो गई हैं, वहां कुछ नये ब्लाक्स बनने थे। जिस तरह से दिल्ली के एम्स की तरफ हमारा पूरा ध्यान रहता है, चूंकि यह एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान हैं, ऐसे ही बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स और डाक्टर्स की सुविधा यदि पी.जी.आई. के स्तर पर भी उपलब्ध हो सके तो मैं समझता हूं कि जनता का अधिक कल्याण हो सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़): सभापति महोदया, इस विधेयक के उपबंधों पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। शायद, ऐसा उपबंध लाने की आवश्यकता ही नहीं थी, किंतु अनुभवों ने माननीय मंत्री को बाध्य कर दिया है कि वे यह उपबंध लाएं और इसे स्वीकृत भी किया ही जाना चाहिए।

हालांकि स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़, अधिनियम के अनुसार संस्थान के शासी निकाय में लोक सभा के दो सदस्यों और राज्य सभा के एक सदस्य को शामिल किया जाएगा। यह स्पष्ट है कि यदि ऐसा कोई सदस्य मंत्री बन जाता है यह वह विधेयक में दर्शाए गए पदों में से कोई पद ग्रहण कर लेता है या निकाय के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाला मंत्री, मंत्री पद पर बने नहीं रह पाता है। तो यह स्पष्ट है कि उन्हें शासी निकाय के संस्थान से अपनी सदस्यता त्यागनी होगी।

किंतु विगत में कहीं कुछ ऐसी घटना हुई है जिससे सरकार को इस उपबंध पर पुनर्विचार करना पड़ा और यह संशोधन लाना पड़ा। यदि यह विधेयक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से संबंधित विधेयक से साथ लाया गया होता तो समय बचाया जा सकता था किंतु जबकि आज यह विधेयक सभा के समक्ष हैं, मैं चाहता हूं कि उस ओर बैठे माननीय सदस्य इसका लाभ उठाएं और ऐसे उपबंध प्रस्तावित करें जिन्हें इस विधेयक में शामिल किए जाने की आवश्यकता हो।

महोदया, हमारे पास दो महत्वपूर्ण स्थाई समितियां हैं। ये सांविधिक समितियां हैं। एक है वित्त संबंधी स्थाई समिति और दूसरी संपदा संबंधी स्थायी समिति है।

ये दोनों समितियां बहुत उपयोगी सेवाएं प्रदान करती हैं और दरअसल ये दो संस्थान राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं। ऐसे उदाहरण हैं जहां सरकार ने समस्त शक्तियां स्वयं न रखकर संस्थान के निकाय और शासी निकाय के माध्यम से कार्य किया है। मुझे विश्वास है कि यदि सरकार ने दूसरे संगठनों में भी ऐसा ही किया होता तो यह कार्यशील लोकतन्त्र का एक अच्छा अनुभव होता और इससे यह भी सुनिश्चित होता कि हमारे यह सहभागितापूर्ण लोकतन्त्र है। यहां उन व्यक्तियों को जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों जैसे आयुर्विज्ञान शिक्षा, शिक्षण या विज्ञान के क्षेत्र में दक्षता हासिल की है अथवा जो व्यक्ति विश्वविद्यालय के कुलपति जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। उन्हें इस निकाय में लाया जा सकता है। इसे संस्था निकाय या शासी निकाय पर लागू किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये दोनों संस्थान जरूरत के समय बड़ी सहायता कर सकते हैं, उन्हें मिलकर काम करना होगा।

इसी तरह, संस्था निकायों के ये ऐसे सदस्य जो वित्त संबंधी स्थायी समिति और संपदा संबंधी स्थायी समिति में सदस्य के रूप में कार्य करते हैं उनसे अनुरोध किया गया कि वे संस्था के वित्त व संपदा संबंधी दिन प्रतिदिन के कार्यों में भी भाग लें।

एक समिति है जो रह गई, और वह है संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र। दुर्भाग्यवश कई वर्षों से हमने यह देखा है कि बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए जो सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध, जो इन संस्थानों में होने चाहिए, वह नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच छोटी-छोटी बातों से विवाद उत्पन्न हो जाते हैं जो कभी कभी गम्भीर रूप

धारण कर लेते हैं किंतु यदि यहां संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र होता जो कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने के लिए समय-समय पर बैठकें करता, उन पर चर्चा करता तो ऐसी समस्याओं का वहीं समाधान हो जाता। इसमें संस्थान और निदेशक कार्यालय से भी सदस्य होने चाहिए। वे एक साथ बैठकर समस्याएं सुलझा सकते हैं।

जब मैं ऐसा कहता हूं, मैं आपको चण्डीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय का उदाहरण दूंगा जहां हमने संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र जैसी संस्थागत प्रणाली को लागू किया और हमने वहां विश्वविद्यालय के अधिकारियों और गैर अध्यापन कर्मचारियों के संबंधों में बहुत बड़ा परिवर्तन देखा। इसी प्रकार, यदि ऐसा ही उपबंध अधिनियम में सम्मिलित कर लिया गया होता, जो अभी नहीं हो सकता, तो बहुत अच्छा होता किंतु मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस बिंदू पर भी विचार करें क्योंकि वे बार-बार बिगड़ने वाली स्थिति से अवगत है। कर्मचारियों द्वारा एक या दूसरी मांग उठाने तथा उसे प्राधिकारियों द्वारा स्वीकार न किए जाने से समस्या उठ खड़ी होती है जो आन्दोलन में बदल जाती हैं। और आन्दोलन के कारण कर्मचारियों का निलंबन और बर्खास्तगी जैसे नए मुद्दे उभर आते हैं। तदउपरान्त मुख्य मुद्दों को भुलाकर नए मुद्दों पर या बिना मुद्दों के आन्दोलन आरंभ हो जाता है।

मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री इस महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान देंगे और देखेंगे कि इस बारे में कुछ किया जाए।

दूसरा, कुछ समय पहले, संस्था निकाय ने संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र से मिलता जुलता तंत्र बनाया था, मैं इसी की बात कर रहा हूं। उन्होंने गैर-संकाय कर्मचारियों की मांगों और शिकायतों को देखने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था किंतु वह उतना कारगर सिद्ध नहीं हो सका जितना होना चाहिए था। पिछले कई सालों से बल्कि दशकों से कई मांगें लंबित हैं जिन पर तुरंत ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। इनके विस्तार में जाकर मैं सभा का समय नहीं लूंगा किंतु मैं उन मांगों को संक्षेप में रखूंगा और मेरा यह अनुरोध है कि माननीय मंत्री कृपया इन मांगों पर अवश्य ध्यान दे।

एक हैं, 1.1.93 से दूसरी बैकलॉग प्रमोशन स्कीम; समान प्रतिपूर्ति भत्ता; शिफ्ट ड्यूटी इंजीनियरिंग स्टाफ को समयोपरि भत्ता, इंजीनियरिंग स्टाफ की संवर्ग संवीक्षा रिपोर्ट (काडर रिव्यू रिपोर्ट) को तुरंत लागू करना-ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण हैं। काफी समय से सुलग रहा है और कर्मचारियों के लिए चिन्ता का विषय बना हुआ है। अस्पताल में भर्ती मरीजों की देखभाल सम्बंधी भत्ते की मंजूरी; और कर्मचारियों के दूसरे वर्गों के काडर रिव्यू को लागू करना इत्यादि। जैसा कि माननीय मंत्री जानते ही हैं कि इन मांगों को लेकर कई बार प्रदर्शन होते रहते हैं और यदि मंत्री महोदय कुछ करना चाहें तो मुझे विश्वास है कि ये सभी मामले पुराने पड़ जाएंगें और संस्था संपूर्ण क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आगे बढ़ सकेगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चण्डीगढ़ से लोग यहां आते हैं। इन सब मुद्दों पर *तुरंत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।*

सुनिश्चित केरियर प्रोन्नयन योजना नामक योजना (असुयर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम) को लागू करने की आवश्यकता है। समय को देखते हुए मैं केवल अंतिम मुद्दे पर आता हूं। चण्डीगढ़ में बड़ी संख्या में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी रहते हैं।

यद्यपि चंडीगढ़ केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय की शर्तें पूरी करता है। अभी तक वहां यह योजना शुरू नहीं की गई है।

माननीय मंत्री जी का रवैया अत्यंत अनुकूल होने के बावजूद केवल नौकरशाही से उत्पन्न बाधाओं अथवा लालफीताशाही के कारण ही अभी तक वहां दूसरी शुरूआत नहीं की जा सकी है। मैं जानता हूं कि वे इस पर कार्य कर रहे हैं तथा मैं आश्वस्त हूं कि यथाशीघ्र इसे शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन तब तक वहां की जनता की चिकित्सा संबंधी जरूरतों को पीजीआईएमईआर पूरा क्यों नहीं करता? केन्द्र सरकार के कर्मचारी उपचार के लिए पीजीआईएमईआर नहीं जा सकते हैं। पीजीआईएमईआर एक केन्द्रीय निकाय हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा क्यों होता है?

इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया इस संबंध में तत्काल अनुदेश जारी करे ताकि सीजीएचएस सेवा का लाभ उठाने के हकदार केन्द्र सरकार के कर्मचारी सेवानिवृत अथवा सेना में कार्यरत कर्मियों को पीजीआईएमईआर में उपचार की सुविधा प्राप्त हो सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

डा. सी.पी. ठाकुर: सभापति महोदया, रावत जी ने बहुत सी बातों को यहां उठाया है और कहा कि पी.जी.आई. में और सुधार होना चाहिए। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी चीजें उसमें जोड़ी गई हैं। वहां एक बहुत बड़ा आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट बनाया गया है। एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर फेज-दो भी बनने वाला है। आई सेंटर, कार्डियक सेंटर, बोन मेरो ट्रांसप्लांट सेंटर आदि बन रहे हैं। इक्विपमेंट के नवीनीकरण के लिए भी फंड आबंटित किया गया है। पी.जी.आई को केवल इस क्षेत्र के लिए ही नहीं, बल्कि हम उसे पूरे देश का एक सेंटर आफ

[डा. सी.पी. ठाकुर]

एक्सीलेंस के रूप में रखना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिए हैं, उन पर हम ध्यान दे रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री बंसल ने पीजीआईएमईआर के कुछ विवादों को निपटाने के बारे में कुछ सुझाव दिए हैं। मैं इस मामले पर चर्चा करूंगा तथा आवश्यक कार्रवाई करने का प्रयास करूंगा। उन्होंने सुधार के लिए भी कुछ सुझाव दिए हैं।

पीजीआईएमईआर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभभोगियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मैं शीघ्र ही वहां सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक केन्द्र खोलने जा रहा हूं। तब तक मैं सोचता हूं कि पीजीआईएमईआर के उस क्षेत्र के सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए अस्पताल के रूप में कार्य करने के लिए कहा जाएगा।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ अधिनियम 1966 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

डा. सी.पी. ठाकुर: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.45 बजे

औद्योगिक विवाद (बैंककारी कंपनी) विनिश्चय (निरसन) विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा मद संख्या 25 पर विचार आरम्भ करेगी। 4 बजने में 15 मिनट बाकी है। मुझे आशा है कि हम इस पर चर्चा पूरी कर सकते हैं। डा. सत्यनारायण जटिया।

[हिन्दी]

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि औद्योगिक विवाद (बैंककारी कंपनी) विनिश्चय अधिनियम, 1955 का निरसन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

महोदय, श्री पी.सी. जैन की अध्यक्षता में प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा की एक कमेटी बनी हुई थी और उसमें कहा गया था कि इस औद्योगिक विवाद विनिश्चय अधिनियम, 1955 की बाकी के अधिनियमों के साथ निरसन की सिफारिश की जाती है। इसका जो कार्यकाल था, जिस वक्त यह लागू करना था, 21 मार्च 1959 तक ही इसकी उपयोगिता थी और यह महसूस किया जाता है कि क्योंकि 21 मार्च, 1959 के बाद इसका कोई उपयोग नहीं है, इसलिए यह राज्य सभा में रखा गया था और इसे 25 अप्रैल को पारित कर दिया गया। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि इसे पारित करने की अनुमति प्रदान करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: डा. संजय पासवान-उपस्थित नहीं। इस विधेयक पर बोलने वाला कोई सदस्य उपस्थित नहीं है।

अब प्रश्न यह है:

"कि औद्योगिक विवाद (बैंककारी कम्पनी) विनिश्चय अधिनियम, 1955 की निरसन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.48 बजे

अंतर्राज्यिक जल-विवाद (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा मद संख्या 26 पर विचार आरम्भ करेगी। श्री अर्जुन सेठी।

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि अंतर्राज्यिक जल-विवाद अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): सभापति महोदया, माननीय मंत्री जी 4 बजे तक स्पष्टीकरण दे सकते है। अंतर्राज्यिक जल-विवाद से संबंधित यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए कई माननीय सदस्यगण इस चर्चा में भाग लेना चाहेंगे। इसलिए हम इस विधेयक पर कल चर्चा कर सकते हैं।

सभापति महोदय: लेकिन आप मंत्री महोदय, जो वह कहना चाहते है उससे अधिक करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं।

श्री अर्जुन सेठी: जैसा कि माननीय सदस्यगण जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 262 के अंतर्गत अंतर्राज्यिक नदियों और नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों के निपटान के लिए अंतर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 अधिनियमित किया गया था। फिर भी, कई मुद्दों-जैसे कि अधिनियम के अंतर्गत न्यायाधिकरण के गठन में लगने वाला समय, न्यायाधिकरणों द्वारा फैसला सुनाने और अधिनिर्णय आदि में लिया जाने वाला सामान्यत: लंबा समय आदि मुद्दों ने कुछ ऐसी चिंताएं उत्पन्न कर दी जिनके लिए सुधारात्मक उपाय करना अपेक्षित हो गया है।

केन्द्र-राज्य संबंधों से संबंधित आयोग ने जिसे सरकारिया आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अपनी रिपोर्ट में अंतर-राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 में कुछ संशोधन करने की सिफारिश की थी। अन्य बातों के साथ-साथ ये सिफारिशें न्यायाधिकरणों द्वारा तीन वर्ष के भीतर विवादों का निपटारा करने, इस समय सीमा को निर्णय के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तथा प्रत्येक नदी बेसिन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर डाटा बैंक और सूचना प्रणाली की स्थापना से संबंधित है। आरम्भ में अंतर-राज्य परिषद द्वारा कतिपय संशोधनों का अनुमोदन करने से पहले अंतर-राज्यीय समिति की उप समिति ने तथा तत्पश्चात इसकी स्थायी समिति ने विस्तार से विचार किया। तदनुसार अब उपर्युक्त आधार पर उक्त अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है।

महोदया, मैंने संसद के बजट सत्र के दौरान दिनांक 7 मार्च, 2001 को इस सभा में अंतर्राज्यिक जल-विवाद (संशोधन) विधेयक, 2001 नामक विधेयक पुर:स्थापित किया है। मैंने संसद के वर्तमान सत्र के दौरान 24 जुलाई, 2001 को इस विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव पेश किया है। अब मैं माननीय सदस्यगण से अनुरोध करता हूं कि वे इस विधेयक पर विचार कर इसे पारित करें ताकि उन समस्याओं का समाधान किया जा सके जो मैंने अपने भाषण के प्रारम्भ में उठाई है।

जैसाकि मैंने अपने पहले के वक्तव्यों में कहा है, इस संशोधन को संसद द्वारा पारित किये जाने की मांग की जाती रही है ताकि सरकारिया आयोग और गृह मंत्रालय की अन्तर-राज्य परिषद की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा सके। मेरा यही उद्देश्य है। अत: मैं आपसे सहयोग की अपेक्षा करता हूं ताकि यह विधेयक पारित हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): माननीय सभापति महोदय, यह बिल अत्याधिक महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि सरकार जिस भावना से इस बिल को लेकर आई है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। इस देश के अन्दर वैसे जल राष्ट्रीय सम्पत्ति है। हमारे देश के अन्दर तो अत्यन्त प्राचीन काल से यह परम्परा रही है कि चाहे नदियां हों, उनको माता कहकर पुकारा गया। गंगा हो तो उसको गंगा मैया कहकर सम्बोधित किया जाता है। जब भारतीय संस्कृति में विश्वास रखने वाला व्यक्ति प्रातःकाल स्नान करने के लिए जाता है तो देश की सभी नदियों को पवित्र मानकर उनके नाम का उच्चारण करके गौरव का अनुभव करता है। इसके पीछे यही भावना है कि इस देश की नदियों का जो जल है, वह जल ही हमारे लिए जीवन है, राष्ट्र के लिए जीवन है। वह जल राष्ट्रीय सम्पत्ति होने के नाते उस पर राष्ट्र का अधिकार होना चाहिए। वे नदियां जो एक राज्य से निकलकर दूसरे, तीसरे राज्य तक बहकर जाती हैं और उसके बाद समुद्र में गिरती हैं तो इस प्रकार की नदियों को अन्तर्राज्यीय नदियां कहा जाता है।

इन नदियों के पानी को लेकर अक्सर हमारे देश के अन्दर कई बार विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। अभी कुछ समय पहले से कावेरी विवाद हम सब के दिमागों के अन्दर छाया हुआ है। किस प्रकार से कावेरी नदी के जल को लेकर आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और पांडिचेरी, चार राज्यों के अन्दर एक प्रकार से विवाद का विषय बन गया था। बाद में माननीय प्रधान मंत्री जी के हाथ में मसला आया और प्रधान मंत्री जी ने अपना फैसला दिया और ट्रिब्यूनल आदि के निर्माण की प्रक्रिया चली, उसके माध्यम से कावेरी नदी का पानी सिंचाई के लिए तमिलनाडु को कितना जाये, सूखाग्रस्त क्षेत्रों को कितना दिया जाये और जहां से वे नदियां निकलती हैं, उस राज्य को कितना हिस्सा मिले और पड़ोस के राज्यों को कितना हिस्सा मिले, उसके बारे में फैसला किया गया, लेकिन अब तक भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या ट्रिब्यूनल अथवा अन्यान्य मंचों के ऊपर किसी न किसी रूप में वह मामला उछलता रहता है।

इसी प्रकार से राजस्थान में जहां अधिकतर रेतीला इलाका है, पिछले तीन साल से लगातार अकाल पड़ रहा है, पीने का पानी भी मुश्किल से मिलता है। भाखड़ा का जो पानी है, उसमें हमारा भी हिस्सा है। वह गंगा नहर के माध्यम से या इंदिरा गांधी कैनाल के माध्यम से राज्य में आता है, लेकिन कई बार पंजाब में हरीके नामक स्थान पर ही उसे रोक दिया जाता है। एस.वाई.एल. का विवाद हरियाणा और पंजाब में है, इसी तरह से राजस्थान-पंजाब और हरियाणा के बीच में भी विवाद है। कई मामले ट्रिब्यूनल में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं। कई न्यायालयों के निर्णय आए हैं, लेकिन हमें जितना हिस्सा पानी का मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल रहा है। परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार ने इस प्रकार के विवादों को निपटाने के लिए जो बिल प्रस्तुत किया, वह ठीक है। वैसे तो 1956 में यह बिल बना था। सरकार ने सरकारिया आयोग का गठन किया, जिससे केन्द्र भी सशक्त हो और राज्य भी सशक्त हों। राज्यों और केन्द्र के बीच कैसे सम्बन्ध हों, कौन से अधिकार हों और क्या-क्या सीमाएं हों, इनके बारे में सरकारिया आयोग ने राष्ट्र हित में अपनी रिपोर्ट दी, जिसे भारत सरकार ने भी माना।

एक राज्य से दूसरे राज्य में बहने वाली नदियां हैं, उनके बारे में भी उस आयोग ने उपयोगी सुझाव दिए। उनके आधार पर यह संशोधन बिल लाया गया है। इसमें मुख्य रूप से तीन-चार बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। जैसा अभी मंत्री जी ने बताया कि ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, वह फैसला देता है तो उसके फैसले को जल्द से जल्द लागू किया जाए। इसके अलावा कितना पानी गर्मियों में, सर्दियों में और बरसात में आता है, बेसिन का इलाका कौन-कौन सा है, कितने पानी को जमीन सोंखती है और कितना पानी सिंचाई के काम आता है, ये सारी सूचनाएं तैयार होनी चाहिए। इसके साथ-साथ नदियों के पानी की राष्ट्रीय स्तर पर कितनी उपयोगिता है, इन सारी अनुशंसाओं को लेकर यह संशोधन लाया गया है।

सभापति महोदय, आज इस बिल के आने की सम्भावना नहीं थी, लेकिन यह आज आ गया है। मैंने इस पर चर्चा शुरू कर दी है। मैं आपका संरक्षण चाहूंगा कि अभी चार बजे दूसरे विषय पर चर्चा होनी है इसलिए कल भी मुझे इस बिल पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाए। जहां मैं इस बिल का स्वागत करता हूं वहां मैं यह भी चाहता हूं कि इस बिल पर संसद गम्भीरता से विचार करें, जिससे भविष्य में पैदा होने वाले इस प्रकार के विवादों से बचा जा सके और सब राज्य सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहें।

प्रकृति ने हमें जल के रूप में जो वरदान दिया है, उसकी हमें कद्र करनी चाहिए। भारत बड़ा भाग्यशाली देश है कि यहां अनेक ऐसी नदियां हैं जो साल भर बहती हैं। चाहे पहाड़ों की बर्फ पिघलने से बहती हों यह वर्षा के माध्यम से बहती हों। इनसे हमारे देश की धरती को सिंचित किया जा सकता है और मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे-मोती वाली बात चरितार्थ हो सकती है।

मुझे इस बिल के माध्यम से दो-तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना है। अनेक राज्यों में इस प्रकार के विवाद हैं, जिनको दो राज्य भी मिलकर हल नहीं कर सकते। कई बार ट्रिब्यूनल भी निर्णय लेता है।

अपराह्न 4.00 बजे

लेकिन उसके निर्णयों में भी कमियां रह जाती हैं। इसलिए ट्राईब्यूनल के द्वारा विभिन्न राज्यों में बहने वाले नदियों के जल के वितरण के बारे कि इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि जल का वितरण समुचित रूप से हो सके, उसकी उचित देखरेख की जा सके और कानून का पालन किया जा रहा है या नहीं, उसकी मशीनरी का व्यवस्था हो सके। इन सबका प्रावधान इस बिल के अंदर किया जाना चाहिए। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि सरकार जिस मंशा से इस बिल को लाई है, हम उसका आदर करते हैं लेकिन जल को राष्ट्रीय सम्पत्ति मानकर एक राष्ट्रीय जल नीति बनानी चाहिए और इसके साथ नदियों के पानी के बंटवारे के बारे में गंभीरता से सोच-विचारकर व्यवस्था करनी चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति पैदा न हो कि प्राकृतिक जल के बंटवारे को लेकर देश में रहने वाले नागरिक आपस में शत्रु बन जाएं और आपस में जल के बहाव को अवरुद्ध कर दें जिससे खेती सूख जाये। आज देश का पानी पाकिस्तान में बह जाता है शत्रु देश में पानी बह जाये, वह ठीक है लेकिन पड़ोसी राज्य उस पानी का उपयोग करना चाहता है तो उसमें बाधा डालने की बातें की जाती हैं।

अपराह्न 4.02 बजे

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए)

इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस बारे में सरकारिया कमीशन की सिफारिशों और उसके मार्गदर्शन के अंदर ऐसी समग्र और सर्वांगीण नीति निर्धारित की जाये जिससे भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा न हो। अब चूंकि समय हो गया है, इसलिए मैं कल कंटीन्यू करूंगा, मैं इसकी आज्ञा चाहूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय जी मुझे अगली बार अपना भाषण जारी रखने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: जी, हां।

अपराह्न 4.03 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

आगरा में भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुई शिखर वार्ता

अध्यक्ष महोदय: अब हम मद संख्या 27 पर चर्चा आरम्भ करेंगे - नियम 193 के अधीन चर्चा। दो घंटे का समय आवंटित किया गया है।

माननीय सदस्यगण मुझे सभा को जानकारी देनी है कि श्री रामजीलाल सुमन ने, जिनके नाम से आगरा में भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुई शिखर वार्ता के संबंध में प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए वक्तव्य पर नियम 193 के अधीन चर्चा सूचीबद्ध है, मुझसे अनुरोध किया है कि उनकी ओर से उनकी ओर से श्री मुलायम सिंह यादव को चर्चा शुरू करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सदस्यगण, मुझे इस क्षेत्र में शांति के लिए इस मुद्दे की महत्ता और निहितार्थ पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है। सम्पूर्ण राष्ट्र इस मुद्दे में गहरी रूचि रखता है। अत: तर्कसंगत, संयम और उत्तरयादित्वपूर्ण चर्चा होनी चाहिए। यह सभा के सभी वर्गों पर लागू होता है। इस सर्वोच्च सभा का जनता तक समुचित संदेश पहुंचे।

अब श्री मुलायम सिंह जी।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने कहा है, मैं आपसे सहमत हूं कि आज की बहस गंभीर विषय पर है। यह गंभीर विषय है और गंभीर विषय पर गंभीरता से ही चर्चा होनी चाहिए। माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, वे तथ्य तो जानकारी में थे लेकिन कुछ आंतरिक तथ्य भी थे, उन तथ्यों को पाकिस्तान के जनरल मुशर्रफ जी ने पाकिस्तान में जाकर और कुछ आगरा में बैठकर उजागर किये लेकिन माननीय प्रधान मंत्री जी को ही पहले बातें बता देनी चाहिए थी क्योंकि जनरल मुशर्रफ ने आरोप लगा दिया कि यह बातचीत भारत की वजह से विफल हुई। क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि इससे धूमिल नहीं हुई। इसके लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं, ये बातें आपके वक्तव्य के माध्यम से देश के सामने, जनता के सामने आनी चाहिए थी कि यह मुशर्रफ साहब का वक्तव्य गलत है या सही है। प्रधानमंत्रीजी स्पष्ट कीजिये।

जहां तक बातचीत का सवाल है, यह हम पहले ही बताना चाहते हैं कि हमारा दल, समाजवादी पार्टी और समाजवादी आन्दोलन, इस बात का पक्षधर रहा है और आज भी है कि पाकिस्तान के साथ सभी विवादों को बातचीत के साथ हल किया जाए। यह इसलिये भी जरूरी है कि भारत एक बड़ा और मजबूत पड़ौसी है और दोनों की संस्कृति एवं विरासत भी एक है। एक अवसर ऐसा आएगा की यह बातचीत कामयाब हो सकती है। ऐसे हम आशावादी हैं। बातचीत का सिलसिला आपने चलाया। सर्वदलीय बैठक में हम सबने आपका समर्थन किया और आज भी हम यह कहना चाहते

[श्री मुलायम सिंह यादव]

हैं कि इस्लामाबाद में आपकी बातचीत हो, तो उस बातचीत के हम समर्थक हैं, लेकिन सावधानी बरतनी पड़ेगी। सावधानी इसलिए बरतनी पड़ेगी कि पाकिस्तान का अलग होने के बाद 54 साल में लगातार बातचीत और साथ-साथ युद्ध लड़ने का इतिहास रहा है। बातचीत हमेशा भारत ने की और युद्ध हमेशा पाकिस्तान ने थोपा है। युद्ध में हमेशा पाकिस्तान हारा है और हिन्दुस्तान जीता है। जब-जब युद्ध के बाद बातचीत हुई है, तो बातचीत में पाकिस्तान जीता है और हिन्दुस्तान हारा है। हम यह लगातार देख रहे हैं कि जब भी बातचीत हुई है, बातचीत में हिन्दुस्तान हारा है और युद्ध में हिन्दुस्तान जीता है और बातचीत में पाकिस्तान जीता है। लगभग यही स्थिति और परिणाम आगरा में भी हुआ।

महोदय, शुरू-शुरू में आपने देश के सामने मजबूती से एक कदम उठाया था। आपने पत्र 23 मई को लिखा। आपने यह पत्र किन परिस्थितियों में लिखा जबकि एक हफ्ते पहले आप कह चुके थे कि जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को नहीं रोकेगा, आतंकवाद, सीमा पार से बन्द नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान से बातचीत नहीं होगी और जब तक लोकतान्त्रिक सरकार पाकिस्तान में नहीं आएगी, तब तक पाकिस्तान से बातचीत का सवाल ही नहीं है। इसी बीच, चाहे कमीशन कहिए या कमेटी का एक व्यक्ति आपकी तरफ से, श्री के.सी. पंत जी, उनको काश्मीर की समस्या के समाधान के लिए आपने नियुक्त कर दिया। वे वहां बुद्धिजीवियों या जो भी दल है या जो उग्रवाद को बढ़ावा देने वाले हैं या समर्थन करने वाले हैं, जो भी वहां घटक हैं, उनसे बातचीत कर रहे थे। इसी के साथ-साथ वहां जितने भी विरोधी दल है, उन सभी दलों से बातचीत कर रहे थे। वे बैठे हैं, श्रीनगर में या लद्दाख में या जम्मू में और पंतजी की रिपोर्ट भी नहीं आई। तब तक आपने जनरल मुशर्रफ को निमंत्रण दे दिया। इसलिए यह स्पष्ट होना चाहिए कि प्रधानमंत्रीजी की कौन सी परिस्थितियां आ गई थीं, क्या मजबूरी थी जिनकी वजह से जल्दी से जल्दी आपने उन्हें भारत आने हेतु निमंत्रण भेजा। मुशर्रफ साहब ने स्पष्ट किया है, पत्र लिखा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, अमेरिका के दबाव में। अगर पत्र विदेशी के दबाव में लिखा है, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। क्यों ऐतराज नहीं है? क्योंकि मैं मानता हूं कि 1947 में हिन्दुस्तान और पाकिस्तान, हम दोनों भाइयों को लड़ा दिया था और हम अलग-अलग हो गए थे। एक विदेश ने अलग-अलग कर दिया। अगर कोई विदेशी लुक-छुप कर हम दोनों की दोस्ती करा देता है, तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन काश्मीर के मामले में किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप बर्दास्त नहीं है। यदि है, कोई विदेशी दोस्ती करा देता है, तो हमें ऐतराज नहीं है। करा देता है, तो बहुत अच्छा हैं।

जहां तक दोस्ती का सवाल है, यह दोस्ती तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना दोस्ती किए, दोनों देशों की जनता खुशहाल नहीं हो सकती है। धीरे-धीरे जनता इस बात को महसूस करने लगी है। यह अलग बात है कि हम जनता को जगा कर दोस्ती हेतु तैयार नहीं कर पाये हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी।

अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान, पाकिस्तान की दोस्ती इसलिए जरूरी है कि हिन्दुस्तान उसका एक मजबूत पड़ोसी है और दोनों देशों की सांस्कृतिक विरासत एक ही है। हमने बातचीत के दौरान देखा जनरल मुशर्रफ एवं अन्य पाकिस्तानी प्रतिनिधि पाकिस्तानी भाषा में बातचीत कर रहे थे और हमारे लोग उनसे विदेशी भाषा अंग्रेजी में बात कर रहे थे। यह मैंने भोजन के दौरान भी देखा और दूसरी जगह भी देखा। यह अच्छी बात नहीं है। दुनिया के अन्य देशों में हमने देखा है कि वे अपनी भाषा में बात करते हैं। प्रधान मंत्री जी, आप तो विदेश मंत्री की हैसियत से, कमेटियों के माध्यम से और गांधी जी की विचारधारा का प्रचार-प्रसार करने के लिए भी पूरी दुनिया में बहुत घूमे हैं। भाषा के संबंध में, आप हिंदी भाषा के प्रयोग का पालन भी करते हैं लेकिन सिर्फ 95 फीसदी करते हैं, भाषा के सवाल को लेकर आप भी 5 फीसदी गड़बड़ा जाते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगा कि प्रधान मंत्री जी एवं भारत के अन्य प्रतिनिधि अंग्रेजी भाषा में बोल रहे थे। दोनों राष्ट्रों की सांस्कृतिक विरासत एक है, इसलिये दोनों देशों की जनता की भावनाओं को रोका नहीं जा सकता। दोनों देशों की जनता परस्पर दोस्ती चाहती है और जहां तक दोस्ती एवं एका की बात है, हम और समाजवादी पार्टी इसके पक्ष में हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने इसलिए इस बात को पहले से ही कह दिया, क्योंकि आपका निर्देश हो गया था। हम सब को अहसास था कि वार्ता की सफलता संभव नहीं है परंतु सभी ने वार्ता का समर्थन इसलिये किया था क्योंकि हम जानते हैं कि युद्ध के क्या परिणाम होते हैं। लेकिन सावधान करने की जरूरत इसलिए है कि जब-जब बातचीत होती है तो युद्ध हो जाता है। आप अब लाहौर बस लेकर गए तो कारगिल पर पाकिस्तान ने कब्जा करने का प्रयास किया जिसकी परिणति युद्ध के रूप में हुई। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा कि कश्मीर समस्या जब तक हल नहीं होगी तब तक युद्ध की संभावना रहेगी। पाकिस्तान पहुंचकर जरनल मुशर्रफ ने अपनी प्रेस वार्ता में जो कुछ कहा वह सरासर अपमानजनक है। शिमला समझौता और लाहौर घोषणापत्र जिनमें भारत का एक पक्ष है, का अपमान, भारत की प्रभुसत्ता का अपमान है। हमने अखबार में पढ़ा कि उन्होंने कहा कि जब तक कश्मीर की समस्या हल नहीं होगी तब तक युद्ध की संभावना है और युद्ध भयंकर हो सकता है।

महोदय, जहां तक कश्मीर का सवाल है, हम एक बात जरूर करना चाहते हैं कि आप इस्लामाबाद जरूर बातचीत करने जाएं,

लेकिन हिन्दुस्तानी नागरिकों के स्वाभिमान और भारत की प्रभुसत्ता की कीमत पर कोई वार्ता नहीं होनी चाहिये। देश की जनता के मन में यह सवाल बार-बार उठ रहा है कि भारत सरकार ने बातचीत के लिये पूरी तैयारी क्यों नहीं की। जब जनरल मुशर्रफ ने कश्मीर का एजेंडा बातचीत का एकमात्र मुद्दा घोषित किया तब हम क्यों यह दोहरा रहे थे कि बातचीत का कोई मुद्दा नहीं है। हिन्दुस्तान का मीडिया भी इस वार्ता में भारतीय पक्ष को ठीक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुंचा पाया। इस कूटनीति में आप असफल हुए हैं। इसकी क्या वजह थी, यह आप बताएं। मैंने शुरू में कहा कि जब-जब बातचीत होती है तो पाकिस्तान जीत जाता है, हिन्दुस्तान हार जाता है और जब-जब युद्ध होता है तो हिन्दुस्तान जीत जाता है और पाकिस्तान हार जाता है। यह बात दिमाग में रहनी चाहिए कि जो लोग बातचीत में भारत के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हों-चाहे विदेश मंत्री हों, या अन्य प्रतिनिधि हों, बिना किसी एजेंडे और अधकचरी तैयारी के साथ वार्ता नहीं होनी चाहिये। 23 मई को प्रधानमंत्री जी ने बातचीत के लिये निमंत्रण भेजा और 24 मई को पाकिस्तान के राष्ट्रपति जी को वह पत्र मिल गया, 25 मई को उन्होंने फैसला कर लिया कि हम हिन्दुस्तान आएंगे। 25 मई को 13 जुलाई तक पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने बार-बार अपना बयान बदला और हर बार दोहराया कि वे कश्मीर के मुद्दे पर ही बातचीत करेंगें। आप 28 जून का अखबार पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कहा कि वह पाकिस्तान में पहले शासक हैं जिन्हें केवल कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत के लिये बुलाया गया है। यह एक गलत और झूठा बयान था।

भारत की ओर से गोलमोल सफाई दी जा रही थी। प्रधानमंत्रीजी ने दो-टूक शब्दों में यह नहीं कहा कि कश्मीर को बातचीत का केन्द्रीय मुद्दा नहीं बनाया जायेगा। यह दो-टूक जवाब आपको देना चाहिए था। क्या परिस्थितियां रहीं, क्यों ऐसा नहीं हुआ, इसका जवाब हम आपसे चाहेंगे। प्रधानमंत्रीजी को स्पष्ट शब्दों में कहना चाहिये था कि कश्मीर के संबंध में वार्ता केवल आतंकवादियों की ओर से किये जा रहे हमले को लेकर होगी।

बातचीत में आप हारते हैं और लड़ाई के मोर्चे पर आप जीतते हैं। हमने रणनीति की दृष्टि से अत्याधिक महत्वपूर्ण जीते हुए क्षेत्र पाकिस्तान को वापिस कर दिये। एक लाख से अधिक पाकिस्तानी बंदी सैनिक वापिस कर दिये किन्तु 100 भारतीय युद्धबंदियों को वापस नहीं करा सके। यह अलग बात है कि आप उन जवानों को युद्धबंदी कहें और पाकिस्तान मानता हो कि ये जासूसी करने वाले लोग थे। इसी नाम से अगर बंदी बना रखे हों, तो भी कानून के तहत हमारे जिन जवानों को गिरफ्तार किया है उन्हें छोड़ना चाहिये। परन्तु आप उन जवानों को नहीं छुड़वा सके तो इससे ज्यादा और क्या आपकी असफलता हो सकती है।

मेरा कहना यह है कि भारतीय युद्धबंदी 100 जवानों को छुड़ाने का कार्य सबसे पहले बातचीत में आपको करना चाहिए। बातचीत हो तो आपको कहना चाहिए कि चाहे जासूसी के नाम पर ही गिरफ्तार किए गये हों उन्हें तुरन्त छोड़ना चाहिये। पाकिस्तान बार-बार कह चुका है कि भारत का कोई भी युद्धबंदी पाकिस्तान में नहीं है तो कैसे अब वह मान ले कि कोई युद्धबंदी उनके यहां है। आपको उनको कहना चाहिए कि यह कोई मान-अपमान की बात नहीं है, कोई ऐसा सवाल नहीं है कि आप एक बार मना कर चुके हो कि नहीं है तो नहीं है। इसलिए बातचीत में यह आना चाहिए कि हमारे जो 100 जवान युद्ध बंदी हैं जिनका प्रमाण हमने उन्हें दिया है उन्हें किसी भी तरह से हमें छुड़ाना चाहिए।

उनके परिवार वाले तो उन्हें भुला चुके थे लेकिन जब से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो वे बहुत भावुक हो गये कि अब उनके लोग छूट जाएंगे। उनके बच्चे, पत्नी और सगे-संबंधी मुझसे भी मिले हैं और आपसे भी मिले होंगे और बातचीत के बाद उन्हें उम्मीद जगी कि उनके लोग अब छूटकर आ जाएंगे। आगरा में पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कह दिया कि हम व्यक्तिगत तौर पर इस मामले को देखेंगे। जाने के बाद यह भी कह दिया कि हमारे यहां कोई युद्धबंदी नहीं है। बातचीत के माध्यम से जो भावनाएं संगे-संबंधियों के मन में जगी थीं कि उनके रिश्तेदार मिल जाएंगे, उन पर पूरी तरह से पानी फेरा जा चुका है।

इसलिए हमने कहा कि जब-जब बातचीत होती है तो हम लोग हार जाते हैं, लेकिन युद्ध होता है तो जीत जाते हैं। यह मैंने एक उदाहरण दिया है, भारतीय जमीन के बारे में दिया है, अब हम उसका उदाहरण नहीं देंगे, चूंकि बातचीत हो रही है, वरना हम जानते हैं कि तो इलाका दिया है, उसे कैसे और किन परिस्थितियों में दिया गया है, वे ऐसी बातें हो गई हैं, जिन्हें, हम कहना नहीं चाहते। लेकिन देश के सवाल पर इतिहास को कभी झुठलाया नहीं जा सकता, इतिहास को दबाया नहीं जाना चाहिए। यदि भूलों को सामने रखकर हम बातचीत करेंगे तो आगे हमसे कोई बड़ी भूल नहीं होगी। इसलिए हम कहना चाहते हैं और इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए कि किसकी सरकार थी, किसके साथ समझौता हुआ था, लेकिन सच्चाई, सच्चाई है। जब जनरल मुशर्रफ बार-बार कश्मीर की बात करते थे तो भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लेने की बात क्यों नहीं की। क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात का प्रचार-प्रसार आवश्यक नहीं है कि पाकिस्तान भारत के एक हिस्से पर जबरन कब्जा किये बैठा और उसे वह खाली करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक आतंकवादियों का सवाल है, आप अमरनाथ यात्रा को ही ले लीजिए। अमरनाथ यात्रा में जो कुछ आतंकवादियों द्वारा किया जा रहा है, उससे उन्होंने पूरे कश्मीर की

[श्री मुलायम सिंह यादव]

सभ्यता और संस्कृति को तहस-नहस किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए, कम है। लेकिन प्रधान मंत्री जी केवल निन्दा से काम नहीं चलेगा। आतंकवादियों को रोकने में आपकी सरकार पूरी तरह से विफल ही रही है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जब तक आपका लाल किला सुरक्षित नहीं हैं तो हिंदुस्तान का एक भी आदमी यह नहीं कह सकता कि हम सुरक्षित हैं। इसलिए आतंकवाद चाहें कहीं भी हो, उसे रोकने में सरकार पूरी तरह से विफल रही है। उसी का परिणाम है कि एक साल बाद अमरनाथ यात्रा में इतने लोगों को मारने की हिम्मत की गई, जबकि पिछले साल पूरी सावधानी बरती गई थी, मीटिंगें की गई, हम सारे विपक्ष के नेता पहलगाम के मौके पर गये थे, और उसके बाद अमरनाथ यात्रा हुई। लेकिन इस बार बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी सदन को निन्दा करनी चाहिए। किसी भी तरफ से अमरनाथ यात्रा पूरी नहीं हो सकती है। जिन परिस्थितियों में यात्रा हो रही है, जो लोग वहां से लौटकर आये हैं, आप उनसे पूछिये। वे कहते हैं कि अमरनाथ यात्रा क्या, हम किसी तरह से बचकर आये हैं। ऐसी भावना पैदा हो गई है। इसका सीधा-सादा मतलब यह है कि आतंकवाद को रोकने में सरकार पूरी तरह से विफल रही है। पता नहीं कैसे रणनीति बनाई जाती है। जब-जब भी आपने युद्धविराम किया, हमारे लोगों की ज्यादा जानें गई। आंकड़े कितने भी दिये जाएं, लेकिन जब-जब युद्धविराम हुआ है, ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। जाने किन परिस्थितियों में युद्धविराम होता है, फिर लागू होता है और फिर युद्धविराम किया जाता है - पता नहीं इस सरकार का क्या स्टैन्ड है, आप क्या चाहते हैं। हम यह कह सकते हैं कि यह सरकार देश के संवेदनशील मामलों में आतंकवादियों के मामलों में, सीमा की सुरक्षा में और कारगिल के सवाल को लेकर भ्रमित है। देश की सुरक्षा कैसे की जायेगी, कैसे आतंकवादियों को मुकाबला किया जायेगा, कुछ पता नहीं है। प्रधान मंत्री जी जब-जब युद्ध होते हैं तो नई-नई सीमाएं बनती हैं। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है, लेकिन यह दुर्भाग्य हमारे देश का है कि युद्ध के बाद हमारे देश की सीमा ज्यों की त्यों रहती है या कम हो जाती है। युद्ध भी हो जाता है और कुछ चला भी जाता है! दुनिया में जब-जब युद्ध हुए हैं तो हमेशा नई सीमाएं तय हुई हैं। लेकिन यही हिंदुस्तान है जिसमें युद्ध के बाद सीमाएं सिकुड़ती हैं यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हमने दुनिया में देखा है कि जब-जब युद्ध हुए हैं, नई सीमाएं बनी हैं। आज आप हमें बतायेंगे, चर्चा यह भी है कि पूरा कारगिल ज्यों का त्यों हमारे हाथों में नहीं आ पाया है। अब यह सच है या गलत, इस बारे में आप जानते होंगे या रक्षा मंत्री जी जानते होंगे। जब आप जवाब दें तो हमें और देश को संतुष्ट करिये कि कारगिल में हमारी जितनी जमीन थी, उस पर हमने ज्यों का त्यों कब्जा कर लिया है और उस कब्जे में हमारे शहीदों को कितना अपमानित होना पड़ा है। अब तो क्लिंटन साहब ने भी किताब में लिखा है कि पाकिस्तान की सैनाएं हमने हटवाई।

इस सभागार में आप सभी आसन पर बैठे हुए थे और सारी दुनिया देख रही थी। उन्होंने आकर कहा कि पाकिस्तान की सेनाएं हमने हटाई। हमारे शहीदों की कुर्बानी बेकार गई। इस तरह से हमारे देश के सम्मान पर जो चोट आती है वह सबसे ज्यादा खतरनाक है। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले हमारे देश की सैन्य शक्ति बहुत विशाल है और हमारे जवान बहुत बहादुर हैं। जिन परिस्थितियों में हमारे जवान लड़ते हैं, उसके बाद भी दूसरे देश का राष्ट्रपति आकर हमारी संसद में आकर यह कह कर चला जाए कि पाकिस्तान की फौजें मैंने हटवाई थीं तो यह शर्मनाक बात है और आपने विजय का डंका बजाकर चुनाव जीत लिया। सच बात सामने आनी चाहिए कि क्लिंटन सच हैं या आप सच हैं। इस मौके पर आपको साफ-साफ बताना होगा। मैंने इसी सदन में सवाल किया था तो प्रधान मंत्री जी ने कहा कि इसका हम क्या जवाब दें। इसका जवाब रक्षा मंत्री दें चाहे प्रधान मंत्री दें मगर इसको साफ करना चाहिए कि हमारी फौज के जवानों ने, अधिकारियों ने पाकिस्तान की फौजें हटाई हैं या विदेशियों ने हटाई हैं, यह साफ हो जाना चाहिए। अब तो किताब लिख दी गई है। हमारे जवानों ने लड़ाई में जो कुर्बानी दी है, उस पर कलंक लग रहा है। इसलिए हमने आपसे कहा और आपसे चाहा कि साफ उत्तर दें।

जहां तक बातचीत के परिणाम का सवाल है हम सभी चाहते हैं कि वे अच्छे निकले। हम यह चाहते हैं कि यह सिलसिला बना रहे, बातचीत होती रहे लेकिन यह कैसे होगा की बातचीत भी हो रही है और लोग सीमा पर मारे जा रहे हैं, किसान अपने खेत काट नहीं पा रहा है, बो नहीं पा रहा है। आगरा में बातचीत हो रही है और सीमा पर तोपों की आवाजें आ रही हैं, बंदूकों की आवाजें आ रही हैं और उसके बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति प्रेस कॉनफ्रेन्स में कहते हैं कि जिस तरह से मुक्तिवाहिनी सेना थी 1971 में, उसी तरह से यह भी कश्मीर की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। जनरल मुशर्रफ ने जेहादी हमलों का समर्थन करते हुए आतंकवादियों को जंगे-आजादी का मसीहा बताया है। इस प्रकार इस बातचीत के माध्यम से एक अफसोस की बात यह हुई। इसके बावजूद क्यो कोई बातचीत शुरू करे का आधार बनता है। जब जनरल मुशर्रफ आपकी जमीन पर, आगरा में बैठकर यह कहकर चले गए तो सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार की बातचीत वे करने जा रहे हैं। जब उन्होने कहा कि कश्मीर पर हम बात करेंगे तो आपने कहा कि कश्मीर का कोई बड़ा विवाद नहीं। अगर आपने यह मान लिया है तो आपने मान लिया है कि पाकिस्तान कश्मीर का लगभग 40 फीसदी जो हिस्सा दबाए बैठा है, वह पाकिस्तान का नहीं है? यह बात साफ होनी चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि जब उन्होंने कहा है और साफ-साफ कहा है और उन्होंने कहा कि कश्मीर पर विवाद है, और आपने कहा कि विवाद नहीं है तो इसके मायने यह कि विवाद नहीं है और सारी दुनिया जानती

है कि कश्मीर पर विवाद है और कश्मीर का एक तिहाई या 40 फीसदी हिस्सा पाकिस्तान अवैध रूप से अधिग्रहीत किए हुए है। क्या आपने यह सवाल उठाया कि 40 फीसदी हिस्सा वापस दें? क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने प्रचार किया कि पाकिस्तान हमारे कश्मीर का एक-तिहाई हिस्सा दबाए बैठा है? क्या इसमें प्रचार की आवश्यकता नहीं है, क्या दुनिया को नहीं बताना है कि कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान दबाए बैठा है, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? आपको बताना चाहिए। वे कहते हैं कि कश्मीर आज़ाद कराएंगे तो क्या आपने कहा कि कश्मीर का जो 40 फीसदी हिस्सा दबाए बैठे हैं, वह आपको हमें देना पड़ेगा? हम फिर कहना चाहते हैं कि आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार करना पड़ेगा कि अवैध रूप से पाकिस्तान कश्मीर का 40 फीसदी हिस्सा दबाए बैठा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि पूरा सदन मेरी इस बात से सहमत होगा कि पाकिस्तान जब कश्मीर की बात करता है, तो हमें भी उसके कब्जे में अपने कश्मीर का जो 40 प्रतिशत हिस्सा है, उसकी बात करनी चाहिए।... *(व्यवधान)*

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा): प्रधान मंत्री जी, मजबूती के साथ, खूंटा गाढ़ आए हैं। इसलिए हम यहां शांति के साथ बैठे हैं।... *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: आपने खम्भा गाढ़ दिया है।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, आप कितना समय और लेंगे?

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष जी, दो-तीन बातें कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब तक वोट का लालच रहेगा तब तक दोस्ती नहीं हो सकती है। हमें वोट का कोई लालच नहीं है। जब चुनाव हुए थे, तो हमें वोट का कोई लालच नहीं था, लेकिन आप तो थर-थर कांप रहे थे। यदि मैं इस बात को कह दूं तो आप कह देंगे कि मुलायम सिंह जी आप तो हमारे वोट बिगाड़ना चाहते हैं। इस बात तो आप अकेले में कहेंगे, सबके सामने स्वीकार नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, यदि प्रधान मंत्री जी का दिल बड़ा होता, तो जब मुशर्रफ ने कहा था कि कश्मीर पर बात नहीं करनी है, तो मैं पाकिस्तान जाने की बजाय मैं यही नहर वाली हवेली को खरीदकर रहूं, तभी प्रधान मंत्री जी को कहना चाहिए था कि नहर वाली हवेली में क्यों आप पाकिस्तान को हिन्दुस्तान में मिला दो और रेस कोर्स रोड पर रहो। यह पाकिस्तान का दुर्भाग्य है कि वहां चाहे कोई शासक हो, तानाशाह हो, लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ शासक हो या फौजी शासक हो, कोई भी हो, वह वहां की कट्टरवादी ताकतों के दबाव में रहता है। इसलिए यह प्रश्न उनके लिये जीवन-मरण का प्रश्न बन गया है।

अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान का कोई तानाशाह शासक हो, लोकतांत्रिक हो या फौजी शासक हो, वह इस बात को जानता है कि कश्मीर को भारत से लड़कर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस बात को नवाज शरीफ ने तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री गुजराल के सामने स्वीकार किया था और मुशर्रफ साहब कितनी भी घुड़की देते हों, लेकिन वे भी जानते हैं कि युद्ध के माध्यम से वे कश्मीर को नहीं ले सकते। जब मैं इसी बात को कहता हूं तो आप कहते हैं कि मुलायम सिंह वोट बिगाड़ना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कहता हूं कि मुशर्रफ साहब यदि पाकिस्तान हिन्दुस्तान में मिला दें, तो नहर वाली हवेली क्या रेस कोर्स रोड पर रहें। यह बात अकेले आपके चौड़े दिल होने से नहीं बनेगी, बल्कि पाकिस्तान का भी चौड़ा दिल होना चाहिए। संकीर्णता छोड़नी चाहिए। दोनों तरफ जब चौड़े दिल होंगे, तब यह बात बनेगी।... *(व्यवधान)*

हम खुलकर कहना चाहते हैं कि मुशर्रफ यदि पाकिस्तान को हिन्दुस्तान में मिला दें, तो वे रेस कोर्स रोड पर रहें, उन्हें नहर वाली हवेली में रहने की जरूरत नहीं है।... *(व्यवधान)*

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह): क्या आप चाहते हैं कि भारत का प्रधान मंत्री वहां का प्रधान मंत्री बन जाए, क्या आप चाहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान में चला जाए? मैं फिर कहता हूं कि हिन्दुस्तान इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। जहां हमारा बलिदान हुआ वह कश्मीर हमारा है।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या हो रहा है? यह ठीक नहीं है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, प्लीज़ आप चेयर को ऐड्रैस कीजिए।

... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव: *... (व्यवधान)* हम फिर दोहराना चाहते हैं कि अगर वह हमें पाकिस्तान दे दें तो आ जाएं, कोई बात नहीं। मैं तैयार हूं। है दिल? वे नहरवाली कोठी में क्यों रहना चाहते हैं? दें पाकिस्तान, मिलाएं हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, एक कर दें। पर वे इसके लिए भी तैयार नहीं हैं। हम उन बातों में जाना नहीं चाहते, ऐसी मानसिकता वाले लोगों ने ही हिन्दुस्तान-पाकिस्तान का बंटवारा करवाया है। इसके लिए अकेले जिन्ना जिम्मेदार नहीं

[श्री मुलायम सिंह यादव]

थे, ऐसी मानसिकता वाले अन्य लोग भी जिम्मेदार थे। हिन्दुस्तान-पाकिस्तान के बंटवारे का अपराधी कौन है, इसमें मत पड़िए। हम कहना चाहते हैं कि जब तक दोनों तरफ से वोट का लालच दूर नहीं करेंगे, तब तक दोनों एक नहीं हो सकेंगे।... *(व्यवधान)* हम जानते हैं कि असत्य बोलने में वह कितना माहिर हैं। श्री क्लिंटन को चिट्ठी लिखिए। किताब में आग लगा दें, है हिम्मत?... *(व्यवधान)*

श्री विष्णु पद राय: श्री क्लिंटन भारत में खुद आए थे, उन्हें किसी ने पुकारा नहीं था। और भी आएंगे। यह अटल जी के नेतृत्व में हुआ।... *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: हम ज्यादा बात नहीं करना चाहते। ये बीच में टोका-टाकी करते हैं। इनको फिर बुरा लगेगा। कश्मीरी पंडितों के पक्ष में बहुत थे, न बिचारों को चारों तरफ घुमाते थे। उस वक्त हम भी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे। कश्मीरी पंडित मेरे पास आए। हमारी सरकार ने उनको दस-दस हजार रुपये महीना दिया। फाइल मंगाइए। कश्मीरी पंडितों को दस हजार रुपये महीना और हमने नोएडा में उनके रहने की व्यवस्था के लिए बातचीत शुरू कर दी थी अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए गए। कश्मीरी पंडितों से पूछें कि हमारी सरकार जो रुपये देती थी, वह क्यों बंद कर दिए गए। चार साल से दस हजार रुपये क्यों बंद है? कश्मीरी पंडितों की बहुत बात करते थे कि जिस दिन अटल जी, आडवाणी जी प्रधान मंत्री बन जाएंगे, कश्मीर समस्या चुटकी में हल हो जाएगी। प्रधान मंत्री जी, आपकी चुटकियां टेप्ड हैं। अब ऐसी चुटकी बजनी जाने कहां बंद हो गई। कश्मीरी पंडितों की बारह साल से बहुत दुर्दशा है। पति-पत्नी, बेटा, बेटी सब किसी तरह टैंटों में जीवन निर्वाह कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों की यह जिन्दगी है। बड़ी बात करते थे, चुटकी में कश्मीर समस्या हल होती थी। अब बताइए, चुटकी कहां गई। हम यह बात नहीं कहना चाहते। हम ऐसा कमजोर भी नहीं करना चाहते। वह जो यहां दहाड़ते थे, वे कहां चले गए। कौन दबाए हैं आपको, क्या मजबूरी है?

आप कभी-कभी इतने भावुक हो जाते हैं कि राष्ट्रपति ओथ भी नहीं ले पाये और आपने बधाई पहले ही दे डाली। यह पता नहीं है कि कौन आपको समझा रहा है या आप अपने मन से काम कर रहे हैं कि जल्दी-जल्दी बधाई दे दो। वह बधाई से काबू में नहीं आ सकते हैं। हम यह भी नहीं कहते कि ऐसे मौके पर क्या करना है। आपको बात भी करनी पड़ेगी और सीमा को सुरक्षित भी करना पड़ेगा। अब एक इंच भी जमीन आपकी बातचीत के द्वारा जाती है तो जनता इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती और बातचीत में यह सब हो रहा है। एक तरफ गोलियां चल रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, दूसरी तरफ बातचीत हो रही है। आप मुशर्रफ साहब को सबसे पहले बधाई देते हैं, जब दुनिया के देश आलोचना करते हैं। उनको कोई राष्ट्रपति की मान्यता देने को तैयार नहीं है तो हमारे भारत के योग्य प्रधान मंत्री उनको सबसे पहले बाकायदा मान्यता दे देते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए दुनिया के लिए दुनिया में कहीं भी कोई लड़ाई होगी तो यह नहीं कहा जायेगा कि उसका आन्तरिक मामला है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के पक्ष में रहेंगे, चाहे वे दुनिया के किसी मुल्क में हो। यह हमारे देश की विदेश नीति है। आप विदेश मंत्री रहे हैं। जब विदेश नीति बनी तो हम लोगों ने ये सारे सिद्धान्त बनाये थे, चाहे पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के जमाने में बने हों और हमें इस बात का फर्क है कि हिन्दुस्तान की विदेश नीति नेहरू जी, गांधी जी की देख-रेख में डॉ. राम मनोहर लोहिया ने बनाई थी, तब, जब वे विदेश सचिव थे। विदेश नीति में लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन करिये, बातचीत करिये, लेकिन इतनी जल्दी क्या थी, दुनिया के लोगों का इन्तजार कर लेते। बातचीत तो होनी ही थी, चाहे वह जनरल रहता, चाहे राष्ट्रपति रहता, लेकिन आपको सबसे पहले बधाई देने की क्या आवश्यकता थी। इसलिए हमारी विदेश नीति की जो मान्यता है कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए लड़ेंगे, वह जो हमारी विदेश नीति का अंग है, प्रधान मंत्री जी, उस पर कुठाराघात हुआ है, इसलिए आज हम कुछ बातों को खुलकर बोल रहे हैं। बुरा लगे तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि तब अच्छी तरह से जवाब भी मिल जायेगा। मैं इसलिए ये बातें रख रहा हूं कि यह सब देश के सामने साफ हो।... *(व्यवधान)* आगरा की बातचीत पूरी तरह से असफल हुई। हमारा मीडिया भी सही नहीं रहा। कोई तैयारी भी नहीं और पहले से कोई एजेण्डा भी नहीं। सारी दुनिया नजरें लगाये बैठी थी कि हिन्दुस्तान पाकिस्तान की बातचीत हो रही है। पाकिस्तान हिन्दुस्तान की जनता के बीच प्रत्येक घर में लोग उम्मीद लगाये बैठे थे, उनकी भावना थी कि दोनों में दोस्ती हो, लेकिन पता नहीं कि इनका बातचीत करने का तरीका क्या था। जैसे लोग कहते हैं कि पता नहीं कोठरी में आप क्या करते रहे। दोनों लोगों के बीच क्या हुआ, पता नहीं, लेकिन बातचीत असफल हुई। आप कह रहें हैं कि साझा एजेंडें पर दस्तखत तो नहीं हो पाये, लेकिन बातचीत असफल नहीं हुई तो यह बता दीजिए कि बातचीत सफल कौन सी रही और असफल कौन सी। हम मानते हैं कि बातचीत असफल हुई। हमने आपको राय दी कि एक पंक्ति, एक लाइन ही लिखा लो कि अब हम दोनों भाई-भाई की तरह से बातचीत करेंगे, इस पर दस्तखत करा लो, बयान में तो आ गया और कोई भी विवाद होगा तो हम भाई की तरह बातचीत के द्वारा उसे सुलझाएंगे। तथा अब ताकत के बल पर, हथियार के बल पर हिन्दुस्तान पाकिस्तान की समस्या का निदान नहीं किया जायेगा। आप केवल यही एक लाइन लिखा लेते, अगर यह लिखा लिया होता, अब भी लिखाकर ले आइये तो हम पहले व्यक्ति होंगे, जो आपको बधाई देंगे। आप कम से कम यही काम कर लीजिए।

अध्यक्ष जी, बार-बार आपका इशारा हो रहा है, और नेताओं को भी बोलना है, आदरणीय सोमनाथ दादा को भी बोलना है। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आप बातचीत करें, बातचीत को हमारा पूरा-पूरा समर्थन है। समर्थन पहले भी था, आज भी है, लेकिन बातचीत अपने देश के सम्मान एवं प्रभुसत्ता की कीमत पर नहीं हो सकती। अगर पाकिस्तान कश्मीर की बात उठाता है तो आप दुनिया के सामने इस्लामाबाद जाकर यह कहकर आएं कि हमारा जो एक चौथाई कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, वह हमें वापस करे। मुझे उम्मीद है कि अब की बार आप सावधानी के साथ जाएंगे और जाने से पहले पूरी तरह तैयारी करके जाएंगे। अगर जल्दी-जल्दी भागकर जाएंगे तो वह अच्छा नहीं रहेगा। आगरा में कोई तैयारी नहीं हुई थी, आपका मीडिया भी आपका साथ नहीं दे पाया। आगरा की वार्ता पूरी तरह असफल हुई है, विदेश नीति की कूटनीति असफल सिद्ध हुई है। मैं चाहता हूं कि जो कमजोरी यहां हुई, उसको वहां जाकर दूर करके आएं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): मुलायम सिंह जी का मैं आदर करता हूं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि वे यहां से क्या संदेश देना चाहते हैं?

अध्यक्ष महोदय: अभी आपको मौका नहीं मिला है, जब आपको बोलने का मौका मिले, तब कहें।

श्री मुलायम सिंह यादव: उनके साथ सीमा विवाद खत्म हो, यह हम चाहते हैं, हम तो पाकिस्तान और भारत को एक करने की बात करते हैं और यह संदेश देना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: आपस में बात न करें। अब आप बैठ जाएं।

[अनुवाद]

श्री माधव राव सिंधिया: महोदय, आगरा शिखर वार्ता ने देश को असमंजस की स्थिति में डाल दिया है। इससे भी अधिक परेशानी वाली बात यह है कि यहां तक कि माननीय प्रधान मंत्री, यह सरकार और विदेश मंत्री असमंजस की स्थिति में लगते हैं। वे इस बात का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि यह शिखर वार्ता सफल रही अथवा असफल।

माननीय विदेश मंत्री की पहली प्रतिक्रिया यह थी, "हमने शिखर-वार्ता में प्रगति की है। हमने एक ऐसा रास्ता अख्तियार किया है जो हमें शांति की मंजिल तक पहुंचाता है।" दो दिन बाद विदेश मंत्रालय ने इस वार्ता को 'दु:स्वपन' कहकर नकार दिया। उसके एक दिन बाद यह घोषणा की गई कि विदेश मंत्री जी ने पाकिस्तान के दौरे पर जाने के लिए श्री सत्तार का आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। उसी वार्ता के मुद्दों पर अपने विचार-विमर्श करने के लिए, जिसे भारतीय विदेश कार्यालय ने अभी 'दु:स्वपन' कहकर नकार दिया गया।

महोदय, मेरे विचार से इस सरकार को अब से पहले कभी भी सभी विपक्षी दलों, विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी का ऐसा समर्थन प्राप्त नहीं हुआ है। मेरे मित्र श्री एस. जयपाल रेड्डी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमने उन्हें लगभग एक खाली चेक दिया था और उन्होंने उसका परिणाम हमें ओवर-ड्राफ्ट के रूप में दिया है। यही आगरा शिखर वार्ता का परिणाम है।

इसके परिणामस्वरूप, दक्षिण-एशिया में शांति स्थापना के बारे में हमारी स्थिति अनिश्चित हो गई है। क्या यह वार्ता "दक्षिण एशिया के इतिहास में एक और निर्णायक मोड़ होगा" जिसका सम्बन्ध लाहौर से है क्या यह शिखर वार्ता हमारा मार्ग शान्ति की ओर प्रशस्त करती है अथवा दूसरे कारगिल की ओर ले जाती है। क्या आगरा-शिखर-वार्ता ने हमें इस दिशा में आगे बढ़ाया है अथवा इसने शिमला-समझौता, जो लगभग तीन दशक तक हमारे लिए कसौटी बना रहा और बाद में हुई लाहौर-घोषणा के महत्व को भी समाप्त कर दिया है। क्या जम्मू और कश्मीर और अधिक सुरक्षित हो गया है अथवा जैसाकि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है, आगरा-शिखर-वार्ता की असफलता की कीमत हमें निर्दोष लोगों की जान देकर चुकानी पड़ेगी।

न्याय-व्यवस्था का अभी अस्तित्व है और हम आशा करते हैं कि सरकार हमारे मस्तिष्क को उद्वलित करने वाले अनेकानेक प्रश्नों के उत्तर देगी।

पिछले कुछ समय से, विशेष रूप से गत तीन वर्षों से हम कुछ अजीबोगरीब किस्म के घटनाक्रम के शिकार हुए हैं। सरकार ने अनेकों बार पहल की परन्तु हर बार आगे बढ़ने के बजाय हमें असफलता का सामना करना पड़ा। हमने तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश की परंतु हम उसी आधार को गंवा बैठे जिस पर हम खड़े थे। माननीय गृह मंत्री ने जम्मू और कश्मीर में दो बार बड़े जोरशोर से आतंकवादी गतिविधियों में कमी लाने के लिए सक्रिय कार्यवाही करने की घोषणा की और परिणाम यह हुआ कि आतंकवाद में और तेजी आई। एक दिन इस सरकार ने हुर्रियत नेताओं को रिहा करके जम्मू और कश्मीर पर वार्ता शुरु की। उन्होंने निर्वाचित सरकार और उस मुख्य मंत्री को जो, राजग का सदस्य है की पूर्ण उपेक्षा करके उन्हें केन्द्रीय स्थान प्रदान किया। एक वर्ष के पश्चात् श्री के सी. पंत ने यह मालूम किया कि हुर्रियत जम्मू और कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधित्व ही नही करता। हुर्रियत के नेताओं को जब वीजा देने का समय निकट आया तो गठबंधन की यह सरकार

[श्री माधवराव सिंधिया]

बड़े धैर्य और युक्ति से काम लेते हुए स्वयं को ऐसी स्थिति में ले आई कि इसे उस चाय-पार्टी का भी बायकॉट करना पड़ा जो इसने ऐसे मेहमान के सम्मान में दी थी, जो उसी के आमंत्रण पर यहां आया था।

यह जीवन वाकई बहुत मजेदार है और हम एक बड़े अच्छे समय में जी रहे हैं। पाकिस्तान के मामले में यह असफलता अपने चरम पर पहुच जाती है। जब माननीय प्रधानमंत्री, श्री वाजपेयी ने लाहौर की बस-यात्रा की तो हमने उन्हें चेताया था, "जाने से पहले देख लीजिए अन्यथा कहीं आप भविष्य को नष्ट न कर दे।" हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के विरुद्ध नहीं है। हम इसका पूर्ण समर्थन करते हैं। शांति प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। बातचीत कई स्तरों पर जारी रहनी चाहिए। परंतु लाहौर सम्मेलन में इस शिखर वार्ता में हम उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे और हम उसके परिणाम जानते थे। अध्यक्ष महोदय, बारबोन्स के चर्चित विदेश मंत्री, टैलीरेण्ड और नेपोलियन ने जो कहा है उसे उद्धृत करना उचित होगा; "राजनयिक सबंधो में बहुत अधिक उत्साह अच्छा नहीं होता।" हमें दरकिनार कर दिया गया। हमें बताया गया कि हमारा देश "इतिहास के एक निर्णायक मोड़" पर पहुंच गया है। परंतु प्रधानमंत्री महोदय की बस तेजी से घूमी और कारगिल की ढलान पर लड़खड़ाकर चकनाचूर हो गई। हमारे सैन्य बलों ने हमारे मनोबल को बनाये रखा। उन्हीं के बूते आज भी हमारा तिरंगा कारगिल की बर्फानी ऊंचाइयों पर गर्व से लहरा रहा है।

एक निर्गायक मोड़ दूसरे निर्णय की घोषणा करता; "एक तानाशाह के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। जब तक पाकिस्तान सीमा-पार से आतंकवाद को उकसाना नहीं छोड़ता तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। परंतु यहां हालांकि सरकार सीमा-पार आतंकवाद के बारे में बोलती रही इसने हमारे माननीय विदेश मंत्री को आतंकवादियों की स्वतंत्रता के लिए कंधार तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए उनके साथ भेज दिया। कितना अभूतपूर्व दृश्य का वह। हमें विश्वास नहीं हुआ और फिर विदेश मंत्री ने उस तालिबान की प्रशंसा की जो अपहरणकर्ताओं से मिला हुआ था। हमारी सरलता और मानवीय दयालुता में विश्वास सचमुच हृदयस्पर्शी है!

परंतु यह किसी भी प्रकार से नाटक का अंत नहीं था। जम्मू और कश्मीर के मामले में सक्रियता की जो नीति एक बार नहीं अपितु दो बार अपनाई गई थी जिसे अचानक छोड़ दिया गया। सरकार ने जम्मू और कश्मीर में तत्काल एकतरफा युद्ध विराम की घोषणा की और फिर अकर्मण्य हो गई। उसने युद्ध-विराम को बातचीत के माध्यम से शांति-स्थापना का माध्यम न मानकर समस्या का अंत मान लिया। यह भ्रांति छह महीने भी नहीं चली। युद्ध-विराम को यकायक समाप्त कर दिया गया। पुनः सक्रियता की नीति अपनाई गई। परंतु अब एक नहीं दो समस्यायें थीं जिन्हें एक साथ हल किया जाना था। अध्यक्ष महोदय एक ही समय दो यू-टर्न लेना बहुत-बड़ी कला है। यह आसान नहीं है। परंतु यू-टर्न लेने से इस सरकार के अनुभव को देखते हुए, यह कार्य बड़ी आसानी से हो गया। युद्ध विराम की समाप्ति और जनरल मुशर्रफ को यहां आने का न्यौता देने की घटनाएं साथ-साथ हुई। अब हम सारा चक्कर लगाकर देख चुके हैं अर्थात् सभी पहलुओं पर विचार करके देख चुके हैं। हम अब उस सैनिक-तानाशाह से बातचीत करने के इच्छुक हैं, तो अभी भी उग्रवाद का समर्थन करता है। इस दृष्टिकोण के साथ हम आगरा पहुंचे।

मैं हरेक व्यक्ति की ओर से कह सकता हूं कि हम इस बात पर अत्यधिक क्षुब्ध हैं कि आगरा शिखर-वार्ता असफल हो गई है। हमने आपकी सफलता की कामना की थी। हमारा समर्थन आपके साथ था। हम आपके हित की कामना कर रहे थे। परंतु जब हमें आगरा शिखर-वार्ता से निराशा हाथ लगी तो निश्चित रूप से हमें उसकी असफलता पर आश्चर्य नहीं हुआ। हमने देखा है कि यह सरकार दिशाहीन होकर कार्य कर रही है। उसे लगता है कि आकाश मार्ग से उसे अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होगा। एक दिन सरकार अचानक जागी और उसने बजट ट्रैवल की भ्रांति आगरा की यात्रा शुरू की इसमें उसने ठीक प्रकार से यह भी नहीं देखा कि उसके बैग में क्या है। प्रधान मंत्री महोदय ऐसा प्रतीत होता है कि जिस यात्रा पर निकले थे, उसके लिए आपने पूरी तैयारी नहीं की थी। आगरा उन दुर्लभ शिखर-वार्ताओं में से एक है जिसे इतिहास में इस बात के लिए याद किया जायेगा कि शिखर-वार्ता की पूर्व सन्ध्या तक भी उसके मसौदे पर असमंजस की स्थिति बनी रही। क्या एक ऐसा व्यापक मसौदा तैयार करने के लिए लिए राजनयिक प्रयास नहीं किए जाने चाहिए थे, जो दोनों देशों के अनुकूल होता?

माननीय विदेश मंत्री ने हमें बताया कि उन्होंने पाकिस्तानियों को बताया था कि वे चर्चा के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजना चाहते हैं परंतु पाकिस्तानी इसके लिए इच्छुक नहीं था। परंतु यदि ऐसा था, तो हमने तिथि निर्धारित करने में इतनी शीघ्रता क्यों की? पहले आमंत्रण और फिर तैयारी, ऐसा क्यों? अधिकांश देश आमंत्रण भेजने से पहले अपने विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय से यही कहते हैं कि आमन्त्रण भेजने से पहले बातचीत का व्यापक आधार तैयार कि या जाए।

महोदय, मैं आज अपने सहयोगी श्री मणि शंकर अय्यर द्वारा लिखित एक लेख पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने श्री राजीव गांधी की चीन-यात्रा के बारे में लिखा है:

> "प्रथमतः सुभ्योरॉग्चु, जहां हमें चीनी घुसपैठ की आशंका थी, वहां चीनी सेना से सीधे सैन्य भिंडत को टालना। चीन ने इस बात की अनदेखी की थी।"

वह आगे कहते हैं:

"तत्पश्चात् बीजिंग के पूर्वानुमानित विरोध के बावजूद भी सचमुच गणराज्य की प्रत्येक भावना को प्रतिध्वनित करते हुए कि चीन चाहे जो भी सोचे अरुणाचल प्रदेश की प्रत्येक इंच भूमि हमारी है, हमने फरवरी 1987 में अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया।"

केवल उसके पश्चात् ही चीन यात्रा की तिथियों पर चर्चा की गई। दिसम्बर, 1988 में ही चीन और पाकिस्तान का दौरा करना मात्र संयोग नहीं था। श्री राजीव गांधी के जाने से पहले प्रत्येक की भली-भांति तैयारी की गई। इसीलिए सभी कुछ इतनी आसानी से हो गया।

अपराह्न 5.00 बजे

"जनसभा (ग्रेट हॉल आफ दि पीपल) में कैमरे के सामने देंग जियोपिंग से जो हाथ मिलाने का अवसर था वह पूर्व नियोजित नहीं था। ऐसा काफी देर तक चलता रहा और विश्व में प्रत्येक टेलीविजन दर्शक को सूचित किया गया कि टकराव का युग समाप्त हो गया है, आपसी सहयोग की शुरूआत हो चुकी है।

एक दशक के पश्चात् भी विश्व के दूतावासों के कार्यालयों में उस अभिवादन की प्रतिध्वनि गूंज रही है। दो प्रतिपक्षियों के मध्य हुए शिखर सम्मेलन में यही होना चाहिए।"

श्री वैको: क्या आपको खोया हुआ क्षेत्र मिल गया है?

श्री माधवराव सिंधिया: मैं सदस्यो से अनुरोध करता हूं कि वे इस मुद्दे को थोड़ी गंभीरता से लें।

दो विरोधी राष्ट्रों के नेताओं द्वारा कैमरे के सामने हाथ मिलाने से पहले व्यापक मसौदो पर सहमति की जानी है। आमतौर पर शिखर-वार्ता सक्रिय राजनयिक गतिविधियों और तंदोपरांत होने वाले विचारों के आदान-प्रदान की अंतिम परिणति होती है। इस बार लम्बे समय से चली आ रही परंपरा को ताक पर रख दिया गया था। पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करने की मंशा ठीक है और इसके लिए प्रयास अवश्य किया जाना चाहिए। परंतु उसको मूर्त रूप देने का आपका तरीका गंभीर नहीं और इस बात का अनुमान लगाने के लिए सावधानीपूर्वक विचार नहीं किया गया कि पाकिस्तान यहां क्यों आ रहा है, यहां आने का उसका उद्देश्य क्या है और उसकी रणनीति क्या है। यदि पाकिस्तान ने उस मसौदे और कार्यसूची को देखने से इंकार कर देता तो उनकी यात्रा की तारीख को अंतिम रूप नहीं दिया जाना चाहिए था। मसौदे अथवा कार्यसूची के बिना शिखर-वार्ता आयोजित करने की क्या आवश्यकता थी?

इससे काफी अटकलबाजियां उठती हैं। क्या अन्य देशों से भी दबाव था। क्या यह युद्ध-विराम के मुद्दे पर हाथ लगी असफलता से ध्यान विकेन्द्रीत करने का प्रयास था? क्या पांच राज्यों में हुए चुनावों के विपरीत परिणामों अथवा तहलका घोटाले से ध्यान हटाने के लिए ऐसा किया गया था। मैं इस पर नहीं बोलूंगा। मैं इस बात की कल्पना नहीं कर सकता कि यह सरकार विदेश नीति की सबसे बड़ी चुनौती को दांव पर लगाने के लिए मजबूर होगा। परंतु इससे काफी अटकलबाजियां है क्योंकि जितने गैर-अनुभवी ढंग से इस मुद्दे को लिया गया उसने आपकी पोल खोल दी है।

जैसा कि मैंने कहा विभिन्न स्तरों पर हुई बातचीत का हम पूर्ण समर्थन करते हैं परंतु बातचीत करने का तात्पर्य यह नहीं होता कि आप बिना किसी तैयारी के उसका आयोजन कर डालें। हैरानगी की बात है कि एक-एक करके हुई दो बैठकों और प्रधान मंत्री के एक दिन के विचार विमर्श के उपरांत जनरल मुशर्रफ यह कह रहे हैं कि सीमा पार से आने वाले आतंकी, आतंकवादी नहीं अपितु कौम की आजादी के लिए लड़ने वाले सैनिक है। कितनी उल्लेखनीय विचार है। हमारे द्वारा ही आयोजित एक शिखर-वार्ता में दूसरे देश के राष्ट्रध्यक्ष ने हमारे ही मूल मुद्दे को दरकिनार कर दिया। क्या हमें यह पता लगाने के लिए कि पाकिस्तान सीमा-पार आतंक के बारे में बात करने का इच्छुक नहीं है, आगरा जाने की जरूरत थी?

प्रधानमंत्री महोदय के वक्तव्य में आज कहा गया है:

"हमें संयुक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी कोशिश को मुख्यत: इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि संबंधों को सामान्य बनाने के लिए पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर के मुद्दे के समाधान को अपनी पूर्व-शर्त के रूप में रखा था। पाकिस्तान भी सीमा-पार से आतंकवाद फैलाने की बात मानने और उस पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था।"

क्या इस बात का पता लगाने के लिए हमें आगरा जाने की जरूरत थी? विदेश-मामलों संबंधी कार्यालय क्या कर रहा था? हम उन पर आरोप नहीं लगा सकते क्योंकि आपने उन्हें समय नहीं दिया। आपने उन्हें समय इसलिये नहीं दिया क्योंकि इससे पहले कि वे ऐसी उच्च स्तरीय शिखर-वार्ता के लिए काम करना शुरू करते और समुचित तैयारी करते, आपने आमंत्रण भेज दिया। कार्यसूची के अभाव में जनरल मुशर्रफ को आगरा शिखर वार्ता में हमारे मुकाबले कहीं ज्यादा लाभ उठाने का अवसर प्रदान किया। जैसे कि इतना कुछ पर्याप्त नहीं था, यह गड़बड़ी शिखर-वार्ता के दौरान भी जारी रही।

[श्री माधवराव सिंधिया]

संपूर्ण देश यह जानने का इच्छुक था कि भारत ने उस मामले में जिसे वह गर्व से सिर उठाकर ''शांति का शिखर-पथ'' कहता है, कितनी प्रगति की है। एक और बैठक में हुई बातचीत को औपचारिक तथा अनौपचारिक रूप से बताने के लिए पाकिस्तान के विदेश सचिव, प्रवक्ता सूचना सचिव तथा पी.आई.ओ. हर समय उपलब्ध थे, वहीं दूसरी ओर, भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य कहीं गायब ही हो गये थे। माननीय विदेश मंत्री का कहना है कि वह ''जन-संपर्क कार्य'' के लिए नहीं अपितु 'राजनयिक-उद्देश्य' से आगरा गये थे। अध्यक्ष महोदय, हम रिचेल्यु और मज़ारिन के युग में नहीं अपितु 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं जहां अच्छी राजनयिक स्तर की बातचीत के लिए उपयुक्त-संप्रेषण और मीडिया नीति की आवश्यकता होती है।

जनरल मुशर्रफ जन-माध्यमों का पूरा फायदा उठाते है टेलीविजन और समाचार पत्रों में पाकिस्तान की स्थिति बताने के लिए लम्बे-लम्बे कॉलम दिए गए! अंत में हम सभी पाकिस्तान की स्थिति से अवगत है। परंतु भारत की स्थिति क्या थी; भारत का दृष्टिकोण क्या था और माननीय प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री जी शिखर वार्ता से क्या चाहते थे, इसका पता चलना मुश्किल था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमें दोनों नेताओं की झलक भी मुश्किल से देखने को मिली। न जाने किसके आमंत्रण पर थोड़े समय के लिए जनरल मुशर्रफ की पत्नी की उपस्थिति ने अव्यवस्था उत्पन्न कर दी... *(व्यवधान)*

जनरल मुशर्रफ के साथ सुबह के नाश्ते के दौरान हुई बातचीत के बारे में हमारे पास जारी करने के लिए 24 घंटे पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा की गई टिप्पणियों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। कितनी खराब बात है! स्पष्ट रूप से उस स्थिति से उबरने के लिए हमारे पास न कोई रणनीति थी और न ही कोई विकल्प। यहां तक कि वहां क्या बातचीत चल रही थी, उसका पता लगाने के लिए भारतीय पत्रकारों को पाकिस्तान अधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ा। मेरा कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि आप संपर्क माध्यमों से इसका अत्याधिक प्रचार-प्रसार करें परंतु समय-समय पर उसे संक्षेप में बताने और वहां तक पहुंच का होना, अत्यधिक आवश्यक है। क्या हम मौन इसलिए थे कि हमारी कोई नीति नहीं थी, हमारे विचार स्पष्ट नहीं थे? या फिर हम इसलिए चुप थे कि हम-गुपचुप तरीके से किसी ऐसी बात पर समझौता करना चाहते थे जिसके लिए राष्ट्र तैयार नहीं था? मैं सरकार के इरादों की निंदा नहीं कर रहा हूं। मेरा कहना यह है कि शिखर-वार्ता को अजीबोगरीब तरीके से निपटाने के कारण अफवाहों और आशंकाओं में इजाफा किया है। यदि सरकार यह मानती है कि ये अब धारणायें गलत थी तो मैं जो सरकार का कथन है, उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। परंतु मैं आपको इस दोष से बरी नहीं करूंगा कि सर्वप्रथम आपने ही इन धारणाओं को उत्पन्न करने में मदद की।

मैं श्रीमती सुषमा स्वराज के धारा प्रवाह-वक्तता और स्पष्टवादिता का कायल हूं। परंतु जब यह एक संस्थापित परंपरा है कि स्थिति बताने के लिए विदेश-मंत्री अथवा विदेश सचिव तथा प्राधिकृत अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, तो उन्हें बोलने की अनुमति क्यों दी गई?

> ''इन चर्चाओं के दौरान, मैंने जम्मू और कश्मीर सहित सभी मुख्य मुद्दों की प्रगति के लिए विश्वास का वातावरण बनाने के महत्व पर जोर दिया।''

क्या आप जिस प्रकार का वातावरण तैयार करने की बात कर रहे हैं, उसमें श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा पत्रकारों को दी गई जानकारी में जम्मू और कश्मीर का उल्लेख न करने संबंधी भूल से कोई मदद मिलेगी? जब विदेश मंत्री यह कहते हैं कि उन्होंने केबिनेट मंत्री होने के नाते ऐसा कहा तो यह बात और भी तर्कसंगत लगती है। उनके बुद्धिमतापूर्ण शब्दों से इसी अवधारणा को बल मिला कि मंत्रिमंडल में मतैक्य नहीं है।

क्या यही बात थी? यदि हां, तो सी.सी.एस. में असहमति की वजह क्या थी क्योंकि इस प्रकार की धारणायें सरकार की गरिमा और साख को कम करती हैं। यही बात एक सुविख्यात पत्रिका जैसे 'द इकानॉमिस्ट में कही गई थी। ''ऐसा प्रतीत होता है कि दोनो नेता इस बात पर सहमत हो गए हैं कि घोषणा में आतंकवाद उल्लेख किया जाना चाहिए। परंतु भारत की ओर से गृह मंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में अन्य नेताओं ने पाकिस्तान को अपने क्षेत्र से इस्लामी आतंकवादियों को भारत में प्रवेश की जिम्मेदारी लेने के लिए मनाने हेतु सीमा-पार आतंक का उल्लेख करने पर जोर दिया। जनरल मुशर्रफ के लिए समझौता प्रारूप न मानने का यही कारण था। प्रसिद्ध पत्रिकाओं में इस प्रकार की अटकलें लगाई जा रही है। अतः हम सच जानना चाहते हैं। इस मुद्दे पर आप जो कुछ करेंगे, हम सभी स्वीकार करेंगे। यह मुद्दा अत्याधिक संवेदनशील है, यह अत्यधिक नाजुक मामला है। हम इस मामले में राजनीति नहीं करना चाहते। परंतु स्पष्टीकरण और उत्तर निश्चित रूप से अपेक्षित है।

जनरल मुशर्रफ अपनी घोषणाओं के दौरान पूरे समय यही संकेत देते रहे कि केबिनेट का कोई सदस्य उनके घोषणा पत्र में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। हर समय उनका यही प्रयास था। इस्लामाबाद में, हाल ही में हुए संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने श्री वाजपेयी और श्री जसवन्त सिंह की इतनी सराहना की कि उससे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह यह संकेत दे रहे हों कि शिखर-वार्ता उनकी वजह से असफल नहीं हुई क्योंकि वो उस पर सहमत थे। यह सूक्ष्म संकेत, जो इतना सूक्ष्म भी नहीं था, यह है कि इसके पीछ अन्य लोग थे। उनका कहना है कि उन्होंने अपना नब्बे

प्रतिशत समय जम्मू और कश्मीर पर बोलने में व्यतीत किया। अपने वक्तव्य में जनरल मुशर्रफ के बारे में बात करते हुए प्रधान मंत्री ने भी कहा है कि अपना पक्ष रखते समय प्रेजीडेंट मुशर्रफ ने अपना संपूर्ण ध्यान विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर पर केन्द्रित रखा।

यदि यह बात है और 90 प्रतिशत समय जम्मू और कश्मीर पर व्यतीत किया गया तो हमारे अन्य मुख्य कार्यों का क्या हुआ? मुख्य कार्यों के लिये कितना समय शेष बचा? फिर जनरल मुशर्रफ संवाददाता सम्मेलन में कहते हैं: ''क्या कश्मीर के समाधान के बगैर कोई समाधान हो सकता है? नहीं। एकदम नहीं।'' ये उनके शब्द हैं। ''अन्य मुद्दों की तुलना कश्मीर मुद्दे से नहीं की जा सकती।'' ये बातें उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कही हैं। ''शिमला और लाहौर समझौता कश्मीर को केन्द्रीय मुद्दा नहीं मानते। इसलिए, वे अप्रसांगिक हैं।'' कश्मीर को प्रमुख मुद्दा बनाये बगैर वे किसी बात पर सहमत न होते। वे कहते हैं कि उग्रवादी स्वतन्त्रता सेनानी और स्वदेशी हैं और इससे सीमापार से आतंकवाद फैलाने का कुछ लेना देना नहीं है। फिर वे कहते हैं कि बातचीत में प्रगति हुई थी और वे लगभग समझौते के करीब पहुंच गये थे। उनके अनुसार वास्तव में व्यवस्था की गई और मतभेद की अत्यल्प थे। इसके बाद क्या होता है? उन्हें पता नहीं है। वे इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। वास्तव में एक बात चर्चा में है कि अन्ततः हमने अपने ही ड्राफ्ट को रद्द कर दिया। यह भी अफवाह है और मेरा इसमें विश्वास नहीं है।

श्री वाजपेयी जी ने स्वयं अपने वक्तव्य में कहा है कि हमारे बीच कुछ हद तक समझ बन गयी थी। यदि यह सही है तो फिर आपके हस्ताक्षर, यदि जनरल मुशर्रफ की बात सही है जिसका कि बड़ी सहजता से खंडन किया जा सकता है अर्थ होना- कि जम्मू और कश्मीर के केन्द्रीय मुद्दा होने पर सहमति जता दी गई है और इसका यह अर्थ होता कि सीमा पार से आतंकवाद फैलाने के हमारे मुद्दे को छोड़ दिया गया है। सत्य क्या है? इसे देश जानना चाहता है और क्या कारण हैं जिसकी वजह से जनरल मुशर्रफ हर तरह से श्री वाजपेयी और उनकी खुली सोच की प्रशंसा करते हैं। वास्तव में, वे आपको उलझन में डाल रहे हैं।

वह कहना चाहते हैं कि वे दोनों इन बातों पर सहमत हुए हैं कोई दूसरे रहते तो सहमत नहीं होते। और वे इन दो शर्तों पर सहमत हुए हैं अन्यथा वह चले जाते। मैं यह नहीं कह रहा कि यह बात तथ्यतः गलत है, प्रधानमंत्री ने भी केरल में अपनी काव्यमय भाषा में कहा है जिसे मैं उद्धृत कर रहा हूं:

> ''कश्मीर समस्या के स्थायी समाधान के लिए हम बाहरी और आन्तरिक दोनों मामलों में भूतकाल के बने बनाये मार्ग पर ही नहीं चलेंगे। बल्कि, हम पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र की शान्ति एवं समृद्धि की भावी इमारत के नक्शानवीस होंगे। इस कार्य में शान्ति न्याय और राष्ट्र के हितों के प्रति प्रतिबद्धता हमारा मार्गदर्शन करेगी।''

प्रधानमंत्री महोदय ने काव्यमय भाषा में यही कहा है। चाहे कितना भी गलत हो, जनरल मुशर्रफ भी अपने संवाददाता सम्मेलन में यही कह रहे हैं। कृपया इसका खंडन करें।

इसके बाद पाकिस्तान के उच्चायुक्त सोचते हैं कि अब बोलने की उनकी पारी है। वे प्रेस को दिये गये 19 जुलाई के साक्षात्कार में कहते हैं:

> ''नौ क्षेत्रों में कार्य करने के लिए निश्चय ही, कार्यकारी सहमति हो चुकी है। इसमें से तीन क्षेत्रों कश्मीर, सीबीएम और नार्कोटिक में राजनीतिक स्तर पर समाधान करने का निर्णय लिया गया है। आगरा वार्ता में हुई सहमति के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जिसकी वजह से कश्मीर मुद्दे को प्रथम स्थान मिला है।''

पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने यही कहा है। यह बात नोट करने योग्य है कि पाकिस्तान के उच्चायुक्त के कथनानुसार राजनीतिक स्तर पर विचार विमर्श के लिये निश्चित किये गये विषयों में सीमापार से आतंकवाद का उल्लेख नहीं किया गया है। क्या लाहौर घोषणा भी सहमति योग्य नहीं है। लाहौर घोषणा में कहा गया है:

> ''आतंकवाद के सभी रूपों और प्रकारों की निन्दा करने और इसके विरुद्ध संघर्ष करने की अपनी वचनबद्धता को पुनः दोहरातें हैं''

क्या यह भी स्वीकार्य नहीं है?

महोदय, शिमला द्विपक्षीय संबंधों का आधार था और लाहौर उसका विस्तार। शिमला और लाहौर दोनों में जम्मू और कश्मीर को एक ही मुद्दा माना गया था। जनरल मुशर्रफ का मुख्य मकसद कश्मीर को प्रमुख मुद्दा बनाना था। सबको ज्ञात है कि उसके बगैर वे घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। जब वह कहते हैं कि उन्होंने घोषणा पर लगभग हस्ताक्षर कर दिये थे तो क्या इसका अर्थ है कि विगत समझौतों की उपयोगिता खत्म हो गई है? पाकिस्तान के वक्तव्यों में विरोध नहीं है। पाकिस्तान के प्रवक्ता मेजर जनरल कुरैशी द्वारा दूरदर्शन पर दिए गये उस वक्तव्य में विरोध नहीं है जिसमें उन्होंने कहा है: ''ड्राफ्ट को माननीय जसवन्त सिंह ने शुद्ध किया और श्री अटल बिहारी वाजपेयी को दिखाया।''

[श्री माधवराव सिंधिया]

यदि यह सही नहीं है तो आप उसका विरोध करें। आपका विदेश कार्यालय क्या कर रहा है? क्या वह सो गया है? वे अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार का प्रभाव पैदा कर रहे हैं।

महोदय, जहां तक ड्राफ्ट का संबंध है, उसके विषय में प्रधानमंत्री ने क्या कहा? तथापि, उन्होंने ड्राफ्ट के विषय में कभी कभार कुछ कहा हैं। उन्होंने कहा है:

> ''हमने अपने दृष्टिकोण में स्पष्ट मतभेद होने के बावजूद एक संयुक्त ड्राफ्ट में इसे कम करने का प्रयास किया।''

कुछ दिन पहले 23 जुलाई के 'द हिन्दू' में एक समाचार है जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि समझौते संबंधी कोई ड्राफ्ट था ही नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनरल मुशर्रफ और वे किसी भी समय किसी समझौतो पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं थे क्योंकि हमारे सामने कोई ड्राफ्ट नहीं आया। अपने कथन में वह कहते हैं: ''अन्ततः हमें इसे छोड़ना पड़ा। अतः, सच्चाई क्या है? मैं यह सवाल कर रहा हूं क्योंकि अभी भी बहुत अधिक भ्रम बना हुआ है। क्या वे सीमा पार से आतंकवाद फैलाने का उल्लेख किये बगैर कश्मीर को प्रमुख मुद्दा मानने या हस्ताक्षर करने वाले थे? क्या इसकी वजह से भविष्य में पाकिस्तान शिमला और लाहौर में हुए समझौतों से इन्कार करेगा?

क्योंकि यह राजनीतिक सर्वसहमति के विरुद्ध था अतः सरकार को स्पष्ट करना चाहिये कि वह इस सर्वानुमति को एक तरफा क्यों तोड़ रही थी। हमें बताया जाए कि किन बातों पर सहमति और किन पर असहमति हुई। क्या हमें जनरल मुशर्रफ और श्री काजी, उच्चायुक्त दिग्भ्रमित कर रहे हैं। पाकिस्तान की बात को इतनी वजनदार क्यों बनने दिया गया विभिन्न पत्रिकाओं में इसके प्रति क्या धारणा है। अवलोकन करें। मैंने 'इकोनामिस्ट' को अभी पढ़कर आपको सुनाया। 'फार इस्टर्न इकोनामिक रिव्यू' पर भी इसी प्रकार की धारणा है। ये धारणायें काफी पुख्ता हो गयी क्योंकि पाकिस्तान द्वारा विभिन्न अवसरों पर कही गई बातों का तुरन्त विरोध नहीं किया गया। हमें सच्ची बात बताकर लोगों के मन को प्रभावित करना चाहिये था।

मैं माननीय प्रधानमंत्री, अपने देश की सरकार के प्रधानमंत्री की बात को अन्य किसी राज्य के प्रमुख की बात की तुलना में पहले मानने को पूरी तरह तैयार हूं। मेरा कहना है कि मुझे उत्तर चाहिए। राष्ट्र को विश्वास में लीजिए और सहमति बनाइये। हमें सच्ची बात बताइये। हम इसे स्वीकार करेंगे। हम या आप जनरल मुशर्रफ को आप के दम पर निर्णायक मौका नहीं दे सकते क्योंकि यह राष्ट्र को काफी महंगा पड़ेगा।

जहां तक शिखर-वार्ता का संबंध हैं, हम शिखर वार्ता से पहले नुकसान में रहे, शिखर वार्ता के दौरान नुकसान में रहे और उसके बाद भी नुकसान में रहे। हम शिखर वार्ता के पहले नुकसान में रहे क्योंकि जनरल मुशर्रफ एजेन्डा के लिए तैयार नहीं थे। यह उनकी चाल थी। यदि कोई बना बनाया एजेन्डा होता तो वह वार्ता के दौरान केवल 'कश्मीर' - जम्मू और कश्मीर पर ही बार-बार बल नहीं देते। वे एजेन्डा नहीं चाहते थे। हम उनके आगे झुक गए। हम शिखर वार्ता के दौरान नुकसान में रहे क्योंकि वे अधिक मुखरता से अपनी बात व्यक्त कर रहे थे। हम शिखर वार्ता के बाद नुकसान में रहे क्योंकि अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर यह धारणा थी कि मंत्रिमंडल में एक राय नहीं थी, और देश असमंजस में था। मुझे आशा है कि हम अब अपनी बात व्यक्त कर रहे हैं।

महोदय, दो राज्य प्रमुखों के बीच शिखर वार्ता दुधारी तलवार की तरह होता है। यदि इसकी योजना दृढ़ता और साहस के साथ बनायी जाए तो इससे दो शत्रु राष्ट्र भी मित्र बन जाएंगे। यदि यह अव्यवस्थित होगी तो इससे दूरी बढ़ेगी और हिंसक शक्तियों का बढ़ावा मिलेगा।

आगरा की शिखर वार्ता ने हमें आगे ले जाने की बजाए पीछे ले गई है। पिछले तीन दिनों से जो जघन्य आक्रमण हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। डोडा और शेषनाग में 33 व्यक्ति मारे गए हैं। ये हत्यायें सीधे तौर-पर सरकार के गलत संचालन के कारण हो रही हैं। शिखर वार्ता असफल हुई और इससे अप्रत्यक्ष तौर पर उग्रवादियों का साहस बढ़ा है। गत वर्ष पहलगाम में निर्दोष लोगों का खून बहाया गया। हिजबुल-मुजाहीदीन और लश्कर-ए-तोएबा ने जनरल मुशर्रफ की प्रशंसा करते हुए कहा है कि वे अपनी गतिविधियों में तेजी लाएंगे और पाकिस्तान तो उनको प्रोत्साहित करने को बाध्य है। इससे सीमा पार से आतंकवाद कमजोर नहीं हुआ है बल्कि शिखर वार्ता की असफलता से इसे और बल मिला है। लेकिन जनरल मुशर्रफ इस बर्बरतापूर्ण आतंकी कार्रवाई को स्वदेशी स्वतन्त्रता संघर्ष का एक हिस्सा मानते हैं।

इस्लामाबाद में अपने संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा: ''यदि हम समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करते तो, यह संभव है कि कुछ अतिवादी तत्वों को इससे बढ़ावा मिले। तथापि, यदि इस संबंध में कोई प्रगति हुई तो इससे इन तत्वों पर काबू पाया जा सकता है।'' इसका क्या तात्पर्य है? पाकिस्तान से निपटने का अर्थ कट्टरपंथी राजनयिकों से निपटना है जिन पर अंतिम विश्लेषण में कविता और भावनाओं का बहुत कम प्रभाव पड़ता है।

हम जनरल मुशर्रफ की पृष्ठभूमि की अवहेलना नहीं कर सकते। उनके बारे में यह विख्यात है कि वह अपने शुरुआती दिनों में तबलिग जमात और लश्कर-ए-तोएबा से जुड़े हुए थे। वे पूर्वी क्षेत्र के सेना के कमांडर थे जिसका संपूर्ण कार्य क्षेत्र सियाचिन सहित, पूर्वी भारत का क्षेत्र था। वह जनरल जिया के कार्यकाल में कट्टरपंथ को लेकर सरकार में आए थे। क्या वे अब आपके सिर पर बंदूक तान कर कह रहे है कि केवल हमारे शांति समझौते पर प्रगति से ही, उन पर काबू पाया जा सकता है? ये वही जनरल मुशर्रफ हैं जिनके कारगिल पर टेप लीक हुए थे।

चीन से जनरल अजीज के साथ टेलीफोन पर बातचीत में उन्होंने कहा था और यही टेलीफोन पर हुई बातचीत की टेप लीक हुई थी। उन्होंने कहा था, ''आतंकवादी पाकिस्तान के हाथ में नल की टोंटी की तरह है जिसे वे अपनी इच्छा से 'जब चाहे खोल सकते हैं या जब चाहें बंद कर सकते हैं।'' तब हमारे विचार कहां मिलते हैं? जनरल मुशर्रफ ने अपने संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि स्वतंत्रता संघर्ष का परिणाम ही आगरा शिखर वार्ता है। अब, यदि प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाते हैं तो, इसका अर्थ यह हुआ कि आतंकवाद में हुई वृद्धि और उनके खिलाफ युद्ध ने उन्हें थका दिया है और इसी कारण वे पाकिस्तान जा रहे हैं? क्या यही आदर भाव जनरल मुशर्रफ हमारे प्रधानमंत्री के प्रति दिखा रहे हैं?

इसलिए अंत में, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि कुछ उपाय हैं जो किए जाने चाहिए। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान जाने से पूर्व बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। निश्चय ही, एक सीमा तक संयुक्त राष्ट्र संघ या सार्क में बैठकें करिए। उनके अधिकारियों की बैठक होनी चाहिए, उनके विदेश मंत्रियों की बैठक होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे विनती करता हूं कि बिना ऐंजेडा को परिभाषित किए और बिना पूरी तैयारी के आप पाकिस्तान न जाए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जो रुख अपनाना चाहते हैं सरकार में तथा सरकार से बाहर आम सहमति बनाएं। आप मीडिया से बच नहीं सकते। उत्कृष्ट कूटनीति के दिन लद गये हैं। आपको अपना अर्थात समूचे देश का दृष्टिकोण निर्भीकता और सच्चाई के साथ स्पष्ट रूप से रखना चाहिए क्योंकि आपने अपने वक्तव्य में कहा है कि ''हम प्रचार का लाभ हासिल करने या इसे बहस का मुद्दा बनाने का प्रयास नहीं बल्कि हमें इस प्रक्रिया में पूर्ण गम्भीरता से कूटनीतिपूर्ण रवैया अख्यतार करेंगे।

माननीय प्रधानमंत्री, एक तरफा संयम रखने से काम नहीं चलेगा। यह तो एक दोतरफा रास्ता है। इसीलिए हमें जम्मू और कश्मीर पर अपने विचार पूर्ण विश्वसनीयता के साथ रखने चाहिए। यह भारत का अभिन्न अंग है और इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। सीमा पार से पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों की गतिविधियों को बढ़ावा दिए जाने पर रोक लगनी चाहिए।

महोदय, सर्वाधिक महत्व का मामला परमाणु हथियारों का है। इस पर आप कितना जोर दे रहे है। यह बहुत अत्यंत दुःख की बात है। इसलिए जब भी पाकिस्तान जाएं तो पूरी तैयारी करके जाएं और पाकिस्तान के समक्ष इस मामले को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मामले की तरह उठाएं क्योंकि दो परमाणु शक्तियों के ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी है। जब पूर्व सोवियत संघ और अमेरिका में शीतयुद्ध चल रहा था, तब भी परमाणु शस्त्रों पर उनकी चर्चा, उनकी बातचीत कभी बंद नहीं हुई। इसलिए, परमाणु खतरे को कम करने संबंधी उपाय को उपयुक्त स्थान देना चाहिए और इन उपायों पर अन्य मुद्दों से हटकर स्वतन्त्र रूप से बातचीत करनी चाहिए चाहे अन्य विषयों पर आपकी बातचीत सफल होवे या न होवे। इसके लिए अलग ही रास्ता चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसके लिए एक ऐसा तन्त्र स्थापित किया जाए जिसकी समय-समय पर बैठकें हो, उनमें विचारों का आदान-प्रदान हो, सुरक्षात्मक उपायों पर बातचीत हो और इस प्रकार कम-से-कम इस विशेष मुद्दे पर एक व्यापक सूझबूझ का वातावरण बने। क्योंकि इस मामले पर उक्त सुरक्षोपाय करने पर सम्पूर्ण उप-महाद्वीप इच्छुक है, हमारे सभी पड़ोसी देश इच्छुक हैं।

मैं पाकिस्तान से किस तरह से निपटा जाए इस बाबत बहुत अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता। यह सरकार का विशेषाधिकार है। मैंने केवल कुछ जरूरी सामान्य रूपरेखा का ही सुझाव दिया है, परंतु मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसी भी उस सच्ची पहल उस बातचीत का समर्थन करेगी जो यह सरकार शांति कायम करने हेतु पाकिस्तान के साथ करेगी। तथापि, सरकार को इस तैयारी में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आगरा को दोहराया नहीं जाना चाहिए क्योंकि असफलता की कीमत बहुत अधिक है और इससे कई कीमती जानें खतरें में पड़ सकती हैं।

इसमें कोई शंका नहीं कि पिछले कुछ दिनों में यह बात सामने आई है कि भारत और पाकिस्तान के लोग शांति की कामना करते हैं। हम इन भावनाओं की एक सीमा के बाहर लगातार अवहेलना नहीं कर सकते। यदि लोगों में निराशा आ गई तो इससे मानव के प्रति द्वेष उत्पन्न होगा जो युद्ध में बदल सकता है और दो परमाणु देशों के मध्य युद्ध का क्या परिणाम होगा, इसकी परिकल्पना करनी भी बहुत भयानक है। माननीय प्रधानमंत्री, आपका यह उत्तरदायित्व है कि निश्चित रूप से ऐसा वातावरण तैयार हो जिसमें ऐसे हथियारों के उपयोग की कभी कल्पना भी न हो सके। इसलिए, इस मुद्दे की अन्य बातों से हटकर पृथक ढंग से लें। इसे उन अन्य बहुत व्यापक और बहुत जटिल मामलों के साथ मिलने न दें। इसका एक अलग रास्ता होना चाहिए क्योंकि न केवल भारत और पाकिस्तान की अपितु संपूर्ण उप-महाद्वीप और सभी पड़ौसी देशों की सुरक्षा, इस पर बहुत अधिक निर्भर है।

[श्री माधवराव सिंधिया]

इसलिए, आगरा-2001 के लेखा-जोखा की तुलना 1998 की स्थिति से किस प्रकार की जा सकती हैं। प्रथमत: जम्मू और कश्मीर को वास्तव में सही या गलत तरीके से सम्पूर्ण मुद्दे के एक केन्द्रीय मामले में रूप में प्रचारित किया गया है। दूसरे, पाकिस्तान अब सीमा पार के आतंकवादियों को स्वतंत्रता सेनानियों की संज्ञा दे रहा है। तीसरे, उन्होंने शिमला और लाहौर समझौते को निरर्थक साबित कर दिया है। चौथे, आतंकवाद में बेतहाशा वृद्धि हुई है। पांचवें, पाकिस्तान उच्चायुक्त को भारतीय टीवी पर, भारत की जमीन पर यह कहने की हिम्मत हुई-और श्रीमती सुषमा स्वराज ने जिस तरीके से उसका जवाब दिया मैं उसकी प्रशंसा करता हूं-कि वे जम्मू कश्मीर के सरकार के चुने हुए नेता, श्री फारुख अब्दुल्ला को मुख्य मंत्री मानने से इंकार करते हैं। यह उच्चायुक्त भारतीय जमीन पर, भारतीय टी.वी. पर कह रहे थे। यह उसी जनरल मुशर्रफ के साथ आपके तीन सालों में किए गये उत्साहपूर्ण समझौतों का परिणाम है कि जिन्होंने खलीज टाइम्स में अपने साक्षात्कार में कहा था कि और मैं उद्धृत करता हूं:

> "नि:संदेह, देश के हित में कभी-कभी आपको झूठ भी बोलना पड़ता है।"

यह कोई ऐसा लेखा-जोखा नहीं है जिस पर कोई भी सरकार गर्व कर सके और आगरा प्रकरण से जो आधा-अधूरा, बिना पूरी तैयारी से किया गया कार्य था, केवल स्थिति बिगड़ी ही है।

कांग्रेस आपको पूर्ण तैयारी के साथ किए गये और महत्वपूर्ण शांति प्रयासों का समर्थन करने को तैयार है परंतु इस प्रकार अकुशल और अव्यावहारिक प्रयत्नों से आप देश का सम्मान या समर्थन नहीं प्राप्त कर सकते। आपके किन्हीं भी शांति प्रयासों का हम तहे दिल से समर्थन करते है परंतु भगवान के लिए, हमारी विदेशी नीति के संचालन में आप अधिक सावधानी, अधिक दूरदर्शिता अपनाए।

आपने देश की छवि और विश्वनीयता को कुछ क्षति पहुंचाई है। भारतीय राजनैतिक संस्थाएं और जनता अपने पड़ौसी देश से उचित शांति के संधि-प्रस्ताव का समर्थन करेगी। तथापि, यदि शांति के नाम पर छल-कपट किया गया तो उस पर वे पुरजोर और निर्णयात्मक रूप से अपनी प्रतिक्रिया देंगी और इसी से आपको जब आप पाकिस्तान से वार्ता करते है और आप पाकिस्तान से बातचीत जारी रखते है, रक्षा करनी है।

[हिन्दी]

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, आगरा शिखर वार्ता पर अभी मुलायम सिंह जी और माधवराव सिंधिया जी ने यहां अपने भाषण दिये। मैं समझता हूं कि जो वातावरण शिखर वार्ता से पहले सर्वदलीय नेताओं कि बैठकों में पैदा हुआ था, आज उसके बिलकुल विपरीत भाषण दिये गये। माधवराव जी ने हमें सिखाने की कोशिश की है शिखर वार्ता कैसे होनी चाहिए, वार्ताओं से पूर्व क्या करना चाहिए, वार्ताओं की क्या तैयारी करनी चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि जिस पार्टी ने 60 हजार वर्गमील भारत का हिस्सा चीन के हाथों में दे दिया, जिस पार्टी ने एकतिहाई कश्मीर अधिकृत रूप से पाकिस्तान के कब्जे में दे दिया हो, जिस पार्टी ने पाकिस्तान के 93 हजार कैदियों को छोड़ दिया हो, जिस पार्टी ने सेना द्वारा अपना खून बहा कर पाकिस्तान के जीते हुये हिस्सों को शिखर वार्ताओं में लौटा दिया हो, जिन्होंने सारी शिखर वार्ताओं में हमेशा पाकिस्तान की शर्तों पर समझौता किया हो, उस पार्टी के लोग हमें आज बता रहे हैं कि शिखर वार्ताएं कैसे की जाती हैं।

अध्यक्ष जी, 93 हजार कैदियों को जिस पार्टी के नेता ने छोड़ दिया हो और उसके बदले अपने देश के 54 सैनिक कैदियों को पाकिस्तान से नहीं छुड़ा पाये, वे आज हमें सिखा रहें है कि शिखर वार्ताएं कैसे की जाती हैं। जब पाकिस्तान हार चुका था, पाकिस्तान पराजित हो चुका था, तब भुट्टो साहब ने शिमला शिखर वार्ता की जिसमें हमारे देश की उस समय की नेता ने उनके कैदी भी छोड़ दिए, हमारी सेना द्वारा अपना खून बहाकर जीती गई जमीन, जो हमारी सेना की भारी उपलब्धि थी, वह भी पाकिस्तान, को वार्ता की मेज पर प्लेट में सजाकर वापस कर दी, उस पार्टी के नेता आज हमें शिखर वार्ता कैसे होनी चाहिए, डिप्लोमेसी कैसी होनी चाहिए, होती है, हमें अलकांरिक भाषा में बता रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझ नहीं पाया कि आज मुलायम सिंह जी को क्या हो गया, वैसे में उनकी बहुत सी बातों से सहमति जताता रहा हूं, लेकिन आज वे ऐसी भाषा में बोले जिसे मैं समझ नहीं पाया। उन्होंने अखण्ड भारत की बात कही।

वे आज अखंड हिन्दुस्तान की बात कर रहे हैं कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान मिला दो। जब कभी हम अखंड हिन्दुस्तान की बात करते थे तो नेहरू जी से लेकर आखिरी नेता तक हमको कहता था कि ये साम्प्रादायिक हैं, ये दंगे कराना चाहते हैं, हिन्दुस्तान, पाकिस्तान में लड़ाई कराना चाहते हैं। आज इन्होंने यहां उसी तरह की बात रखी।... *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: हमने महासंघ की बात की और आज भी कह रहे है। मुझे खुशी है कि आपके गृह मंत्री जी दो बार महासंघ की बात कह चुके हैं। यह बात औरों से कीजिए।

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: मैं उन्हीं से बात करता हूं क्योंकि आप तो हमारी भाषा बोल रहे थे। मुझे माधवराव जी पर

आश्चर्य होता है। वे इस पर विश्वास कर रहे हैं कि मुशर्रफ ने क्या कहा, वे विश्वास कर रहे हैं कि काजी साहब ने क्या कहा, वे विश्वास कर रहे हैं कि उनके विदेश मंत्री ने क्या कहा। वे हमारे विदेश मंत्री और प्रधान मंत्री की बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं हैं। वे उनकी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं कि भारत ने अपना रुख कैसे रखा। उन्होंने भाषण में कहा कि सभी नेता एकदम गायब हो गए और श्रीमती सुषमा स्वराज ने वहां जाकर जो बातें रखी थी, उससे बात बिगड़ गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आज आपने बहुत बड़ी बात की है और यह कहा है कि पाकिस्तान जाने से पहले पाकिस्तान को बता दें कि वहां जाने से पहले हमारी यह शर्तें हैं। जिस दिन सर्वदलीय नेता बुलाए गए थे, उनमें से प्राय: सब नेता यहां बैठे हैं। माधवराव जी का मैं नहीं कहता परन्तु वहां उपस्थित हरेक ने कहा कि प्रधान मंत्री जी को पाकिस्तान में जाना चाहिए, किसी ने यह नहीं कहा कि नहीं जाना चाहिए। उनको बता दिया गया था कि अगर पाकिस्तान वहां एजेण्डा मानने को तैयार न हो तो जाना चाहिए कि नहीं। सब ने कहा जाना चाहिए। शिखर वार्ता से पहले भी सभी नेताओं को बुलाया गया था। सभी नेता, वहां मौजूद थे।... *(व्यवधान)* शिखर वार्ता ने पहले भी बुलाया गया था, आगरा जाने से पहले सभी दलों के नेता उसमें आए थे।... *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: चिट्ठी से पहले नहीं।

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: जी हां, यह ठीक है, चिट्ठी से पहले नहीं। वार्ता से चार दिन पहले बुलाया गया... *(व्यवधान)* पहले बुलाना चाहिए था परन्तु प्रधान मंत्री जी का स्वास्थ्य ठीक नही था। परन्तु चार दिन पहले जब बुलाया गया था तो क्या उसमें यह नहीं बताया गया था कि पाकिस्तान कोई एजेंडा मानने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान कोई स्ट्क्चर्ड डिबेट के लिए तैयार नहीं है? क्या उस समय सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, श्री चटर्जी और मुलायम सिंह जी को यह नहीं बताया गया कि पाकिस्तान कह रहा है कि वह जिस दिन भारत आएंगे, यहां पहुचेंगे, तब अपना एजैंडा बताएंगे? तब तो किसी ने नहीं कहा कि बातचीत तोड़ दे, तब तो किसी ने नहीं कहा कि उनसे वार्ता मत करो। हरेक ने वहां यह दुहराया कि पाकिस्तान एजेंडा सेट न भी करे परन्तु आप वार्ता अवश्य करें। उस वार्ता में क्या करें, उस पर एक कनसैन्सस बना। सबने मिल कर कनसैन्सस बनाया और वह कनसैन्सस क्या था, यह आप जानते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा और बिल्कुल ठीक कहा। सोनिया जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि वार्ता का आधार शिमला समझौता और लाहौर समझौता होना चाहिये।... *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: हमने यह कहा कि कुछ भी न हो, एक पंक्ति यह लिखवा लें। मुलायम सिंह ने कहा कि कम से कम एक पंक्ति यह लिखवा लीजिए। सदन के अंदर इधर-उधर की बात मत कीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मुलायम सिंह यादव, वे अपना भाषण समाप्त नहीं कर रहें हैं। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: शिमला समझौते, लाहौर समझौते के पैरामीटर में बात कीजिए, यह कांग्रेस पार्टी ने कहा। बिल्कुल ठीक, कहा जब मैं बोला था तो मैंने कहा कि उन्होंने यह बात बिल्कुल ठीक कही है, इस का ध्यान रखना चाहिए। सबने कहा, मुलायम सिंह जी आपने भी उस बात को कहा कि क्रॉस बार्डर टैरोरिज्म हमारा कोर ईशु होना चाहिए। तीसरी बात आपने कही, मैंने प्रारंभ किया था, आपने उसे दुहराया कि पाकिस्तान स्थित हमारे कैदियों को जरूर छुड़वाया जाये, कैदियों के लिए उनसे बातचीत की जाए। कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने कहा कि इसके साथ-साथ गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, इन सारे सवालों और व्यापार के मामले में बातचीत होनी चाहिए। उसके बाद यह स्वीकार किया गया कि कश्मीर भारत का हिस्सा है उसकी एक इंच भूमि देने की बात नहीं की जानी चाहिए। समझौते के अंदर इस बात को न किया जाए, यह हमारा ईशू होना चाहिए। फिर यह तय किया गया कि पाकिस्तान से बात करते हुए पाकिस्तान में जो गुरुद्वारे और मंदिर हैं, उनकी व्यवस्था की देख रेख की बात भी पाकिस्तान से की जानी चाहिए।

यह सारी सहमति वहां पर बनी। मुझे बताइये कि क्या प्रधान मंत्री जी ने इनमें से एक भी बात को छोड़ा, इनमें से सब बातें कहीं या नहीं कही? श्रीमती सुषमा स्वराज ने जो अधिकृत तौर पर आकर कहा, उसमें उन्होंने यही बातें दुहराई कि नहीं, कि प्रधान मंत्री ने इन सब बातों को उठाया है, क्रास बोर्डर टैरेरिज्म को उठाया, गरीबी और भुखमरी की बात को उठाया, व्यापार की बात को उठाया। इसके साथ पाकिस्तान के अंदर गुरूद्वारों और मंदिरों का सवाल उठाया, 54 युद्धबन्दियों को छुड़ाने की बात की है और इसके साथ आणविक शस्त्रों के बारे में दोनों में युद्ध न हो, इसकी बात की है और लाहौर और शिमला समझौता वार्ता का आधार होगा, यह बात की है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बजाय यह कहने के कि सारा देश प्रधान मंत्री जी को बधाई देता है कि आपने पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुशर्रफ को खाली हाथ लौटा दिया, अपने एजेण्डे के उपर बात की और एक बात पर भी सरेण्डर नहीं किया, ऐसा पहली बार हुआ है मैं यह कहना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): मल्होत्रा जी, निमंत्रण देने के पहले ही एजेण्डा तय करना चाहिए था।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया व्यवधान मत डालिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: यह पिछले 50 साल में पहला प्रधान मंत्री है, जिसने पाकिस्तान की शर्तों पर समझौता नहीं किया, जिसने मुशर्रफ को खाली हाथ लौटा दिया, हिन्दुस्तान की एक इंच जमीन नहीं दी, हिन्दुस्तान के हितों का कोई कन्सेशन उसको अपने एजेण्डे के बाहर नहीं दिया।...*(व्यवधान)* माधवराव जी बार-बार यह बात कह रहे हैं- "मैं विश्वास नहीं करता, पर ये बातें अखबारों में छप रही हैं, ये बातें कही जा रही हैं कि आपने न्यौता किसी बाहर वाले के कहने से दिया था। मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस पार्टी के प्रणव मुखर्जी साहब ने जब पहले बहस हुई तो अपने भाषण में क्या कहा था। अब प्रणव मुखर्जी और माधवराव जी की बातचीत में फर्क हो तो मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा:

[अनुवाद]

> "इसलिए, आप उन्हें यह संदेश दीजिए और यह संदेश उन तक सही पहुंच गया है। परंतु इस संदेश को उसके उचित परिप्रेक्ष्य में किस तरह समझा जा सकेगा, यदि दूसरे ही पल यह सुझाव दिया जाता है कि जब तक पाकिस्तान का सैनिक शासन इस बात पर प्रतिबद्धता नहीं दर्शाता कि वह सीमा पर से आतंकवाद को बंद कर देगा तब तक बातचीत करना व्यर्थ है, निरर्थक है? क्या ऐसी परिस्थिति बन सकती है?"

[हिन्दी]

वे पूछ रहे हैं कि यह शर्तें क्यों लगा रहे हो। यह प्रणव मुखर्जी साहब का 23.11.2000 का भाषण है, जिसमें वह अपने फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर से कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि बातचीत बड़ी मुश्किल है, वार्ता बड़ी कठिन है...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: आप कहां से कोट कर रहे हैं?

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: यह पूरे का पूरा प्रणव मुखर्जी साहब का पार्लियामेंट में दिया गया भाषण है।...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: हाउस में?

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: जी हां, हाउस में दिया हुआ है। उसमें उन्होंने आगे यह भी कहा है कि आप ये जो कह रहे हैं कि वहां पर मिलिट्री का शासन है तो मिलिट्री शासन से ही बातचीत होती है, इसके उपर ही आप क्यों झगड़ा कर रहे हैं। वे कहते हैं कि मुझे मालूम है कि निर्णय नहीं होगा, पर बातचीत करो, बिना शर्त के बातचीत करो। पाकिस्तान में कौन सा शासन है इस पर विवाद न करो। पहले भी पाकिस्तान में मिलिट्री शासन रहा है, जब कांग्रेस के लोगों ने बातचीत की थी। यह वे खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान से हमेशा बातचीत होती रही है। वहां मिलिट्री शासन था, तब भी बातचीत होती रही है तो आज यह कौन सी नई बात पैदा हो गई। अगर हम कहे कि क्रास बोर्डर टैरेरिज्म...*(व्यवधान)* वे आगे कहते हैं:

[अनुवाद]

> "मुझे आशंका है, माननीय मंत्री जी, कि यदि आपने अपनी ओर से पहल नहीं कि, तो हमें यह बातचीत दूसरों की शर्तों पर करनी पड़ेगी, जिसे हम पसंद नहीं करेंगे?"

[हिन्दी]

यह प्रणव मुखर्जी कह रहे हैं कि अगर आपने अपने हाथ में इनीशिएटिव नहीं लिया, आपने बिना शर्त बातचीत नहीं की तो फिर दूसरों के कहने से करनी पड़ेगी। "हम उसे पसंद नहीं करेंगे।"

आज आप खड़े होकर कह रहे हैं कि बातचीत क्यों शुरू कर दी, इनीशिएटिव क्यों लिया, तारीख क्यों तय कर दी। दुनिया में पाकिस्तान सबसे कह रहा था कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन हिन्दुस्तान तैयार नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि बातचीत क्यों नहीं करते, सी.पी.आई. (एम.) वाले भी कहते थे कि बातचीत करो, आज भी कह रहे हैं कि बातचीत के लिए तैयार होना चाहिए, बातचीत चलती रहनी चाहिए, आप बातचीत क्यों नहीं करते। अगर हिन्दुस्तान की सारी पार्टियां कह रही हों कि बातचीत करो, दूसरे मुल्क कह रहे हों कि बातचीत क्यों नहीं की, प्रधान मंत्री जी ने इनीशिएटिव लिया कि अच्छा हम तैयार हैं बातचीत करो, पर पाकिस्तान की शर्त पर नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने कह दिया कि हम एजेंडा नहीं रखते, तो क्या करें। माधवराव जी ने पांच-छः बातें यहां रखीं हैं। एक बात यह भी कही कि आज अखबार में छपा है कि किसी के दबाव में बातचीत की जा रही है, यह भी कहा गया है कि आपने उसका विरोध क्यों नहीं किया।

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया: मैंने यह कहा था कि यह ऐसी समझ है जिस पर मैं यकीन नहीं करता।

[हिन्दी]

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: कहने का तरीका है, वह मैं भी जानता हूं। मैं भी कह सकता हूं कि मैं विश्वास नहीं करता। कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन अभी अमेरिका होकर आया है जिसमें यह कहा गया है कि इस डेलीगेशन में कई लोग प्राइमिनिस्टीरियल केंडीडेट हैं। यह अखबारों में छपा है कि ये वहां पर अमेरिकी सरकार को एश्योर्ड करके आए हैं कि अगर हमारी सरकार बन गई तो हम प्रो-अमेरिकन एटीट्यूड रखेंगे। क्या आपकी तरफ से किसी ने इसका खंडन किया, क्या आपने इसके बारे में कहा कि यह गलत छपा है कि ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। मैं इसका विश्वास नहीं करता कि यह ऐसा कहकर आए होंगे। परंतु यह पर्सेप्शन है। बार-बार वहां कहा गया है कि बहुत जल्दी हमारी सरकार बनने वाली है और हम प्रो-अमेरिकन एटीट्यूड रखेंगे।

हुर्रियत के बारे में कहा गया कि कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। चाय पार्टी हुई, हुर्रियत वालों से बात हुई। मुशर्रफ साहब ने बहुत सारी बातें अंतर्राष्ट्रीय शालीनता के खिलाफ की हैं। उनको बताया गया कि हुर्रियत से बातचीत न करो, लेकिन उन्होंने की। सिर्फ हुर्रियत से बातचीत ही नहीं उन्हें चाय पार्टी पर बुलाया, जम्मू-कश्मीर के महाराजा कर्ण सिंह को नहीं बुलाया, फारूक अब्दुल्ला को नहीं बुलाया, उन्होंने वहां के किसी चुने हुए प्रतिनिधि को नहीं बुलाया। वहां से छः सांसद हैं, किसी को नहीं बुलाया और न वहां की असेम्बली के किसी सदस्य को बुलाया। उन्होंने यही कहा कि हुर्रियत ही एकमात्र वहां की प्रतिनिधि है। हमारी एन.डी.ए. में शामिल सभी पार्टियों ने उस चाय पार्टी का बायकाट किया।

(**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए)

श्री मुलायम सिंह यादव: मुशर्रफ साहब हुर्रियत वालों से बात करते रहते हैं, चार-पांच महीने हो गए, रोजाना बात होती है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप बार-बार ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है।

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हुर्रियत से बातचीत न करो। मैं यह कह रहा हूं कि अगर मुशर्रफ साहब हुर्रियत को जम्मू कश्मीर का केवल मात्र प्रतिनिधि घोषित करें और चाय पार्टी पर बुलाएं, यह ठीक नहीं है। मुझे थोड़ी खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने साधारण से प्रतिनिधि को वहां भेजा, जबकि वह भी नहीं भेजना चाहिए था। परंतु मुलायम सिंह जी आप सोनिया जी की चाय पार्टी पर जाएं या न जाएं, यह आपके घर का मामला है, लेकिन आप मुशर्रफ साहब की चाय पार्टी में कैसे चले गए।

श्री मुलायम सिंह यादव: सोनिया जी ने हमें चाय पार्टी पर कब बुलाया, यह आपको पता नहीं है। हमें तो बुलाया ही नहीं गया। हुर्रियत वालों को जेल से आपने छोड़ा, आपने पासपोर्ट दिए और न जाने क्या-क्या किया...*(व्यवधान)* जहाज में बैठाकर आप ले गए, उनके साथ जहाज में आपने खाना खाया। आप बताएं कि क्या आपने हुर्रियत के लोगों को जेल से नहीं छोड़ा, क्या आपने पासपोर्ट नहीं दिए और क्या उनके साथ खाना नहीं खाया?

सर्वदलीय मीटिंग में मैंने कहा कि अभी फैसला कीजिए कि वहां पर जाना है या नहीं जाना है, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप एक घंटे में, दो घंटे में मुझे सूचना दीजिए कि क्या निर्णय है। क्या मुझे कभी निर्णय दिया?...*(व्यवधान)* आप गलत क्यों बोल रहे हैं?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, मेरे लिए आपत्ति यह है,

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: एक बात खत्म नहीं हुई और दूसरी शुरू हो गयी।

...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: जेल से छोड़ने वाले आप हो, हीरो बनाने वाले आप हो। देश की जनता को आप गुमराह कर रहे हो। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, ये क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यदि कोई माननीय सदस्य स्पष्टीकरण चाहता है तो, परिपाटी ये है कि पहले वक्ता इस पर अपनी सहमति दे दें। वरिष्ठ सदस्य यहां व्यवधान डाल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: मैंने बोलते हुए एक शब्द भी इनके लिए नहीं कहा।...*(व्यवधान)* मैं समझता हूं वार्ता उस दिन टूट गई थी और एक तरह से टूट जानी चाहिए थी जिस दिन मुशर्रफ साहब ने कहा कि कश्मीर को केवल हुर्रियत रिप्रेजेंट

[डॉ. विजय कुमार मलहोत्रा]

करती है। अगले दिन वह पत्रकारों को नाश्ते पर बुलाते हैं और कहते हैं कि ऑफ दि रिकार्ड इनफॉर्मल डिसक्शन है लेकिन उस डिस्कशन को सभी टी.वी. चैनलों पर दिखाया जाता है, बाहर उसे प्रकट कर दिया जाता है। यह दूसरी शालीनता उन्होंने तोड़ी। उन्होंने प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय प्रोटोकोल को तोड़ा। तीसरी निन्दनीय बात जो उन्होंने कही वह यह थी कि कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी है, वे फ्रीडम फाइटर्स हैं। वहां पर जिस तरह से लोगों को मारा जाता है, गला रेत-रेत कर काटा जाता है। पत्नी के सामने पति को मारकर उसके कलेजे को निकाला जाता है। और यह बात कोई साल दो साल में नहीं हो रही है, 1988-90 से हो रही है और लगातार आतंकवादी निर्दोष लोगों पर भीषण अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, क्रूरतम हत्याकांड कर रहे हैं। वहां पर लोगों को रेत-रेत कर डुबो-डुबो कर मारने की नृशंस घटनाएं करते हैं। कल मैंने एक समाचार पढ़ा जिसमें यह बताया गया कि जब वे लोगों को घरों से निकाल कर मार रहे थे तो मां ने कहा कि जो कुछ लेना है, हमसे ले लो लेकिन कम से कम बेटे की जान छोड़ दो तो हत्यारों ने कहा कि उन्हें तो भारतीयों का खून चाहिए। उन्हें पैसे नहीं चाहिए। क्या भारतीयों का खून इस बात पर नहीं खौलना चाहिए। मुशर्रफ साहब ने आतंकवादियों को स्वतंत्रता सेनानी कह दिया और आप आलोचना भारत सरकार की कर रहे हैं? आप मुशर्रफ की आलोचना नहीं कर रहें, आप पाकिस्तान की आलोचना नहीं कर रहे कि पाकिस्तान वहां आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। मुलायम सिंह जी ने ठीक कहा कि उनको दो टूक बताना चाहिए। मुलायम सिंह जी ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान में आतंकवादियों के जो अड्डे हैं उनको नष्ट कर देना चाहिए। उन्होंने सही बात कही थी कि पाकिस्तान के अंदर जो उनके अड्डे हैं, उनके ऊपर हमला करो, उनको तोड़ दो। होना तो यह चाहिए कि पाकिस्तान जो परोक्ष युद्ध कर रहा है उसके लिए सारा देश मिलकर एक आवाज में पाकिस्तान की निंदा करे और मुशर्रफ को बेनकाब करें। यहां पर तो मुशर्रफ महात्मा गांधी जी की समाधि पर शांति की बात करके गए थे। उसके बाद अमरनाथ यात्रियों पर और डोडा जिले के गांवों में नृशंस पाशविक भयंकर कांड हो रहे हैं। आप सरकार की आलोचना कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस दिन सरकार ने प्रो-एक्टिव कार्य योजना बनाने की बात की थी उस समय क्या दोनों सदनों में हाहाकार नहीं मचा था कि आडवाणी जी ने प्रो-एक्टिव होने की बात क्यों कर दी है। जब सरकार प्रो-एक्टिव होने की बात करे तो आप हाहाकार मचा दें। मुलायम सिंह जी उस समय वोट की राजनीति होती है। आज वोट की राजनीति नहीं हो रही। प्रो-एक्टिव होने पर घटना से पूर्व उन आतंकवादियों का पीछा करते हुये प्लानिंग से पहले उनको मारने की बात करें तो आप सब लोग विरोध करने लग जाते हैं। तब मानवाधिकार की बात उठानी शुरू कर देते हैं और तब कहा जाता है कि सेना उन पर अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है तब मानवाधिकार के झूठे और घटिया निराधार आरोप शुरू कर दिए जाते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादवः आप गलत बयानी मत कीजिए। मैंने यह कभी नहीं कहा। मैंने तो हमले तक के लिए कहा कि उनके कैम्पों पर हमला कीजिए।*...(व्यवधान)*

माधवराव सिंधिया और सोनिया गांधी जी ने कहा है कि मत छेड़ो*...(व्यवधान)* मुलायम सिंह जी को मत छेड़ो, उधर छेड़ो*...(व्यवधान)*

डॉ. विजय कुमार मल्होत्राः मुलायम सिंह जी, मैं आप ही की भाषा बोल रहा हूं।*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः आप डायरैक्ट मुलायम सिंह जी की बात करना शुरू कर देते हैं। इससे सारी आपत्ति फेस करनी पड़ रही है।

डॉ. विजय कुमार मल्होत्राः काश्मीर में नृशंस नरसंहारों के लिए ये भाड़े के हत्यारें पाकिस्तान के भेजे हुए हैं और पाकिस्तानी पैसे से ही पाकिस्तान में उनके अड्डे चलते हैं। ''वाशिंगटन टाइम्स'' में जो रिपोर्ट छपी है उस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए।

[अनुवाद]

समाचार का शीर्षक है ''1.75 मीलियन लोगों को पाकिस्तान में जेहाद के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है: रिपोर्ट''। उसमें लिखा है:

> ''वाशिंगटन टाइम्स के अनुसार तकरीबन 1.75 मीलियन पाकिस्तानी युवकों को सीमापार पाकिस्तान करीब के 7,000 मदरसों (धार्मिक पाठशालाएं) में कश्मीर और विश्व के अन्य भागों में जेहाद (पवित्र युद्ध) के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है।''

[हिन्दी]

जेहाद के नाम पर हत्याएं वहां पर हो रही हैं। क्या सारे देश को उनके खिलाफ आवाज बुलन्द नहीं करनी चाहिए। विश्व भर में जनमत जागृत नहीं करना चाहिए। बजाय ऐसा करने के आप सरकार की आलोचना कर रहे हैं। यह कोई दो-एक दिन से नहीं हो रहा है। 1988 से पाकिस्तान के षडयंत्र से काश्मीर के हालात बिगड़े हुये हैं। क्यों बिगड़े, यह भी अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं*...(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंहः श्री जगमोहन जी आपके साथ बैठे हुए हैं।*...(व्यवधान)*

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: जिस दिन उसने नाश्त पर विषवमन किया, उसके बाद पाकिस्तान से वार्ता एक प्रकार से समाप्त हो गई। यहां वक्ता कह रहे हैं कि उन्हें निराशा हुई है। वह चाहते थे कि वार्ता सफल हो जाती। माधवराव सिंधिया जी कह रहे हैं, मुशर्रफ वहां ऊंचाई पर थे और वाजपेयी जी नीचे थे...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: हमारे अटल जी जैसे लीडर, उस दिन थोड़े बौने लग रहे थे।

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: पाकिस्तान के सारे राजनीतिक दल और वहां के पूर्व प्रधान मंत्री भी कह रहे हैं कि मुशर्रफ खाली हाथ वापिस आए हैं। दुनियां जानती है कि मुशर्रफ खाली हाथ लौटे हैं। इस सारे सदन में एक भी सदस्य हैं, जो यह कहे कि हमें पाकिस्तान की शर्तों पर संधि कर लेनी चाहिए थी, वार्ता को सफल बना देना चाहिए था। और वह भी पाकिस्तान की शर्तों पर। मुझे मालूम है, एक भी सदस्य ऐसा नहीं होगा। ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: हम देश के सम्मान और स्वाभिमान की कीमत पर एक इंच भी जमीन नहीं देना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: मैं समझता हूं कि इन परिस्थितियों में वार्ता का कोई आधार नहीं बना और वार्ता विफल हुई, यही सबसे बड़ी सफलता है। जिन्होंने पाकिस्तान को एक-तिहाई काश्मीर को दे दिया वह पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर की बात कर रहे हैं। पीओके के बारे में अटल जी पहले प्रधान मंत्री हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ यह प्रश्न उठाया है। यह बात उन्होंने सर्वदलीय मीटिंग में बताई थी। इनके नेता माधवराव सिंधिया जी को न बताएं, तो उसमें मेरा कसूर नहीं है। मुशर्रफ साहब को पाकिस्तान अधिग्रहित क्षेत्र के बारे में खुले तौर पर बताया गया और उनको कहा गया कि अगर काश्मीर कोर इशू है, तो काश्मीर के कोर इशू की कोर में जाना पड़ेगा और वह है 1947 में कबाइलियों का पाकिस्तान के समर्थन से हमला। मैं उस समय कश्मीर में था और मुझे मालूम है, हिन्दुस्तान के लोगों ने, हिन्दुस्तान की सेना ने, किस तरीके से काश्मीर को बचाया था। 1971 में भी जब हमारी सेनाएं आगे बढ़ रही थी और उस समय एक-दो दिन सेना को और दे देते तो पाकिस्तान तो झुक ही जाता चांद-सितारे सब झुक जाते, परन्तु इन्होंने उस समय सेना को रोक दिया। युद्धबन्दी की घोषणा कर दी और युद्धबन्दी करके पाकिस्तान को जीवन-दान दे दिया। मैं मुलायम सिंह जी से सहमत हूं कि

सायं 6.00 बजे

हमारे शूरवीर सैनिक जिस काम के लिए अपना खून बहाते रहे, वार्ता की मेज पर उसे धो दिया गया। अटल जी पहले प्रधान मंत्री हैं जिन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। पहली बार उस दूषित परम्परा को तोड़ दिया। यह परम्परा पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के समय से चल रही है। कहा जाता है कि यह हमारी संस्कृति है। किसी ने तो इस विकृति को तोड़ा है, किसी ने तो कहा है कि हम वार्ता करेंगे परन्तु वार्ता में किसी बात में नहीं झुकेंगें। आज सदन में सब बताएं कि माधवराव जी ने जो कहा है कि प्रधान मंत्री जी को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, जब तक पाकिस्तान यह नहीं माने...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: मैंने नहीं कहा है।...*(व्यवधान)*

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: माधवराव जी ने यह बात कही, कि जब तक...*(व्यवधान)* स्ट्रक्चर्ड डिबेट न हो, पहले एजेंडा तय हो।

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया: मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैंने यह कहा- जब आप पाकिस्तान जाएं कृपया बिना एजेंडा तैयार किए, बिना पूरी तरह तैयार हुए न जाएं। यही मैंने कहा था।

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: यही तो मैं कह रहा हूं।

[हिन्दी]

यही बात मुलायम सिंह जी ने कही है। मैं कह रहा था कि सदन इस बात पर अपनी भावना व्यक्त करें कि अगर पाकिस्तान काश्मीर की समस्या के अतिरिक्त और किसी विषय पर बातचीत करने को तैयार न हो, स्ट्रक्चर्ड डिबेट के लिए तैयार न हो, शिमला समझौते, लाहौर समझौते को न माने तथा आधार न बनाए, क्रॉस बार्डर टेरेरिज्म को खत्म करने की बात न करें और कहे कि प्रधान मंत्री वहां आएं तो प्रधान मंत्री जी को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कृपया सभा को अपना मत व्यक्त करने दें। मुझे दु:ख होता है जब कुछ नेता सर्वदलीय बैठक में और बाहर कहते हैं कि जरूर जाना चाहिए, बिना शर्त बात करनी चाहिए। सीपीएम ने यह स्टैंड लिया है कि वार्ता जरूर होनी चाहिए, उसी में से रास्ता निकलेगा। यही प्रणव मुखर्जी जी कहते रहे हैं और यही अन्य नेता कहते हैं। सर्वदलीय बैठक में एक बात करते हैं और यहां आकर दूसरी बात शुरू कर देते हैं। कंफ्यूजन इसी बात पर है कि यह नेता अपनी पार्टी के हितों को, देश के हितों को ऊपर देखते हैं।

[डा. विजय कुमार मल्होत्रा]

इसलिए कम से कम आज जो शिखर वार्ता हुई, उसकी सबसे बड़ी सफलता मैं यह समझता हूं कि पहली बार पाकिस्तान को पता लग गया कि हिन्दुस्तान से बातचीत करते हुए अपनी शर्तों पर भारत को झुकाया नहीं जा सकता। इसके लिए सारा देश प्रधान मंत्री जी को बधाई दे। यही अनुरोध करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.04 बजे

(तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 25 जुलाई 2001/3 श्रावण, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।